रिपोर्ट

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

31 मार्च, 2007 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

वाणिज्यिक
उत्तर प्रदेश सरकार

दिनांक 19 फरवरी 08 को
सदन में प्रस्तुत की गयी।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का

प्रतिवेदन

31 मार्च, 2007 को समाप्त हुए वर्ष के लिये

वाणिज्यिक

उत्तर प्रदेश सरकार

विषय-सूची

	विवरण	सन्दर्भ	
		प्रस्तर	पृष्ठ संख्या
	प्राक्कथन		vii
	विहंगावलोकन		ix - xiv
	अध्याय-I		
	सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों का विहंगावलोकन		
	प्रस्तावना	1.1	1
	कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू)	1.2 - 1.14	2 - 8
	ऊर्जा क्षेत्र में सुधार	1.15 - 1.16	8 - 9
	अकार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू)	1.17 - 1.22	9 - 11
	सांविधिक निगमों की पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों को विधायिका के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की स्थिति	1.23	11 - 13
	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश, निजीकरण एवं पुनर्संरचना	1.24	13 -14
	भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा पीएसयू के लेखों पर लेखा परीक्षा के परिणाम	1.25 - 1.31	14 - 16
	लेखा परीक्षा द्वारा इंगित करने पर वसूलियाँ	1.32	16
	आंतरिक लेखा परीक्षा/आंतरिक नियंत्रण	1.33	17
	पीएसयू की बन्दी के लिए संस्तुति	1.34	17
	सार्वजनिक उपक्रम समिति (कोपू) द्वारा लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) पर चर्चा की स्थिति	1.35	17 -18
	619-बी कम्पनियाँ	1.36	18
	अध्याय-II		
	सरकारी कम्पनियों से सम्बन्धित निष्पादन समीक्षाएं	2	
	उत्तर प्रदेश स्माल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा कच्चे माल की खरीद एवं वितरण पर निष्पादन समीक्षा	2.1	
	मुख्य अंश	--	19
	प्रस्तावना	2.1.1	19 -20
	लेखा परीक्षा का क्षेत्र	2.1.2	20 -21
	लेखा परीक्षा के उद्देश्य	2.1.3	21
	लेखा परीक्षा की कसौटी	2.1.4	21
	लेखा परीक्षा प्रक्रिया	2.1.5	21 - 22
	लेखा परीक्षा प्रेक्षण	2.1.6 - 2.1.8	22 - 24
	लौह एवं इस्पात	2.1.9-2.1.15	24 - 29
	कोयला	2.1.16-2.1.21	29 - 34
	स्क्रेप	2.1.22-2.1.24	34 - 35
	आन्तरिक नियन्त्रण एवं आन्तरिक लेखा परीक्षण	2.1.25-2.1.26	35 - 36
	अभिस्वीकृति	2.1.27	36
	निष्कर्ष	--	37
	संस्तुतियाँ	--	37
	पश्चिमांचल एवं मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में बिलिंग एवं राजस्व संग्रहण में दक्षता पर निष्पादन समीक्षा	2.2	
	मुख्य अंश	--	38
	प्रस्तावना	2.2.1	39
	लेखा परीक्षा का क्षेत्र	2.2.2	39 - 40
	लेखा परीक्षा के उद्देश्य	2.2.3	40
	लेखा परीक्षा की कसौटी	2.2.4	40 - 41

	अध्याय-II		
	लेखा परीक्षा प्रक्रिया	2.2.5	41
	लेखा परीक्षा निष्कर्ष	2.2.6	41
	बिलिंग प्रक्रियाएं	2.2.7-2.2.24	41 - 53
	राजस्व का संग्रहण	2.2.25-2.2.32	53 - 57
	राजस्व का लेखांकन	2.2.33-2.2.43	57 - 62
	आंतरिक नियंत्रण एवं आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली	2.2.44-2.2.45	62 - 63
	अभिस्वीकृति	2.2.46	64
	निष्कर्ष	--	64
	संस्तुतियाँ	--	64
	पावर सेक्टर कम्पनियों मे परिवर्तको की खरीद, निष्पादन, रखरखाव एंव मरम्मत पर निष्पादन समीक्षा	2.3	
	मुख्य अंश	--	65
	प्रस्तावना	2.3.1	65 - 66
	लेखा परीक्षा का क्षेत्र	2.3.2	66
	लेखा परीक्षा के उद्देश्य	2.3.3	66 - 67
	लेखा परीक्षा की कसौटी	2.3.4	67
	लेखा परीक्षा प्रक्रिया	2.3.5	67
	लेखा परीक्षा प्रेक्षण	2.3.6	67 - 68
	परिवर्तकों की आवश्यकता/खरीद का आंकलन	2.3.7-2.3.13	68 - 74
	परिवर्तको का निष्पादन	2.3.14	74 - 75
	परिवर्तको का अनुरक्षण	2.3.15-2.3.16	75 - 76
	परिवर्तको की मरम्मत	2.3.17-2.3.26	76 - 84
	आतंरिक नियंत्रण और आंतरिक लेखा परीक्षा	2.3.27-2.3.28	84 - 85
	अभिस्वीकृति	2.3.29	85
	निष्कर्ष	--	85
	संस्तुतियाँ	--	85 - 86
	पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के वाराणसी एवं इलाहाबाद नगरों में राजस्व बिलिंग के लिये सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित प्रणाली की निष्पादन समीक्षा	2.4	
	मुख्य अंश	--	87
	प्रस्तावना	2.4.1	87 - 88
	संगठनात्मक ढाँचा	2.4.2	88
	लेखा परीक्षा का कार्य क्षेत्र	2.4.3	88 - 89
	लेखा परीक्षा के उद्देश्य	2.4.4	89
	लेखा परीक्षा की कसौटी	2.4.5	89
	लेखा परीक्षा प्रक्रिया	2.4.6	89
	लेखा परीक्षा प्रेक्षण	2.4.7-2.4.26	90 - 100
	अभिस्वीकृति	2.4.27	100
	निष्कर्ष	--	100
	संस्तुतियाँ	--	100
	अध्याय-III		
	सांविधिक निगम से सम्बन्धित निष्पादन-समीक्षा		
	उत्तर प्रदेश जल निगम के कन्स्ट्रक्शन एवं डिजाइन सर्विसेज विंग की निष्पादन समीक्षा	3.1	
	मुख्य अंश	--	101
	प्रस्तावना	3.1.1	101-102
	लेखा परीक्षा का क्षेत्र	3.1.2	102

	अध्याय-III		
	लेखा परीक्षा के उद्देश्य	3.1.3	102-103
	लेखा परीक्षा की कसौटी	3.1.4	103
	लेखा परीक्षा प्रक्रिया	3.1.5	103-104
	लेखा परीक्षा प्रेक्षण	3.1.6	104
	बिना निविदा आमन्त्रण के कार्यों को प्रदान करना	3.1.7	104-105
	वित्तीय प्रबन्धन	3.1.8	105-106
	कार्यों के निष्पादन हेतु नियोजन	3.1.9-3.1.10	106-108
	कार्यों का निष्पादन	3.1.11-3.1.18	108-114
	सामग्री खरीद	3.1.19-3.1.22	115-117
	सामग्री का उपयोग	3.1.23-3.1.30	117-122
	पर्यवेक्षण और परिवीक्षण	3.1.31-3.1.40	122-128
	गुणवत्ता नियन्त्रण	3.1.41	128
	आन्तरिक नियन्त्रण एवं आन्तरिक लेखा परीक्षा	4.1.42-3.1.43	128-129
	अभिस्वीकृति	3.1.44	129
	निष्कर्ष	--	129-130
	संस्तुतियाँ	--	130
	अध्याय-IV		
	व्यवहारिक लेखा परीक्षा प्रेक्षण	4	131-169
	सरकारी कम्पनियाँ		131-148
	उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड		
	प्रतिशत प्रभार के अनारोपण से हानि	4.1	131
	उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड		
	छूट का गलत आगणन	4.2	131-132
	अतिरिक्त व्यय	4.3	132-133
	आवंटी को अनुचित लाभ से हानि	4.4	133-134
	उत्तर प्रदेश स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड		
	जस्तेदार लोहे के पाइपो की खरीद पर अतिरिक्त व्यय	4.5	134
	आपूर्तिकर्ताओं को अनुचित लाभ	4.6	135
	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड		
	आधिक व्यय	4.7	135-136
	कार्य समाप्ति में विलम्ब के कारण हानि	4.8	136-137
	दि प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इनवेस्टमेन्ट कारपोरेशन ऑफ उत्तर प्रदेश लिमिटेड		
	पूंजी सहायता की अनियमित स्वीकृति	4.9	137-138
	विद्युत वितरण कम्पनियाँ		
	शण्ट कैपिसिटर अधिभार का अनारोपण	4.10	138-139
	उपभोक्ताओं को अनुचित लाभ	4.11	139-140
	पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड		
	अर्थदण्ड का अल्प-प्रभारण	4.12	140-141
	दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड		
	निम्न शक्ति गुणांक अधिभार का अनारोपण	4.13	141-142
	राजस्व की हानि	4.14	142-143
	राजस्व का अल्प-निर्धारण	4.15	143
	अनियमित भार-गुणांक छूट	4.16	143-144
	पावर फैक्टर सुधार अधिभार का अल्प-प्रभारण	4.17	144-145
	राजस्व का अल्प निर्धारण	4.18	145-146
	उपभोक्ता को अनुचित लाभ	4.19	146-147

	अध्याय-IV		
	उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड		
	अंशदायी भविष्य निधि को अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश न किया जाना	4.20	147-148
	सांविधिक निगम		148-155
	उत्तर प्रदेश वित्त निगम		
	ब्याज की हानि	4.21	148-149
	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद		
	आवंटी को अनुचित लाभ	4.22	149-150
	परिहार्य व्यय	4.23	150
	परिवर्तकों की ऊँचे मूल्यों पर खरीद के फलस्वरूप हानि	4.24	150-151
	उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम		
	विक्रय मूल्य प्राप्त किये बिना ही भूमि का अन्तरण	4.25	151-152
	परिहार्य व्यय	4.26	152
	अधिक अनुबन्धित भार के फलस्वरूप परिहार्य व्यय	4.27	153
	अधिक व्यय	4.28	153-154
	स्टील की खरीद पर अतिरिक्त व्यय	4.29	154
	उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम		
	नगद साख सीमा सुविधा का लाभ न लेने के फलस्वरूप हानि	4.30	155
	सामान्य		
	हानि वाली कम्पनियाँ	4.31	155-161
	उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम मे सूचना प्रौद्योगिक सहायता प्रणाली	4.32	162-167
	लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुगामी कार्यवाही	4.33-4.35	167-168
	निरीक्षण प्रतिवेदनों, ड्राफ्ट प्रस्तरों एवं समीक्षाओं पर प्रतिक्रिया	4.36	168-169
	परिशिष्ट	**सन्दर्भ**	
क्रम	**विवरण**	**प्रस्तर**	**पृष्ठ संख्या**
1	सरकारी कम्पनियों और सांविधिक निगमों के सम्बन्ध में 31 मार्च 2006 को अद्यतन प्रदत्त पूँजी, बजट बहिर्गमन, बजट से प्राप्त ऋण एवं बकाया ऋणों को दर्शाती विवरणी	1.4, 1.5, 1.6 एवं 1.19	171-178
2	सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों के अद्यतन वर्ष जिनके लेखों को अन्तिम रूप दे दिया गया, के संक्षिप्त वित्तीय परिणामों को दर्शाती विवरणी	1.7, 1.8, 1.10, 1.11, 1.12, 1.14, 1.21 एवं 1.22	179-189
3	वर्ष के दौरान प्राप्त उपदान, प्राप्त प्रत्याभूतियाँ, देयों की माफी, ऋण जिन पर विलम्बन अनुमन्य किया गया और ऋण का अंशपूँजी में परिवर्तन एवं मार्च 2006 की समाप्ति पर प्राप्य उपदान तथा बकाया प्रत्याभूतियों को दर्शाती विवरणी	1.6 एवं 1.19	190-192
4	सांविधिक निगमों की वित्तीय स्थिति को दर्शाती विवरणी	1.8	193-196
5	सांविधिक निगमों के कार्यचालन परिणामों को दर्शाती विवरणी	1.8	197-200
6	सांविधिक निगमों के परिचालनात्मक उपलब्धियों को दर्शाती विवरणी	1.13	201-203
7	आंतरिक लेखा परीक्षण/आंतरिक नियन्त्रण पर टिप्पणियों को दर्शाती विवरणी	1.33	204
8	कम्पनियाँ जिनका आवर्त पिछले पाँच वर्षो जिसके लेखे प्रमाणित किये गये है के दौरान पाँच करोड़ रुपये से कम रहा है को दर्शाती विवरणी	1.34	205
9	कम्पनियाँ, जो लगातार पाँच वर्षो से घाटा दे रही है, जिससे निवल मूल्य ऋणात्मक हो गया, को दर्शाती विवरणी	1.34	206
10	अद्यतन पूर्ण लेखों के अनुसार 619-बी के अन्तर्गत कम्पनियों की प्रदत्त पूँजी, निवेश एवं संक्षिप्त कार्यचालन परिणामों को दर्शाती विवरणी	1.36	207
11	उत्तर प्रदेश स्माल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड का संगठनात्मक चार्ट	2.1.1	208
12	पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का संगठनात्मक चार्ट	2.2.1	209
13	मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का संगठनात्मक चार्ट	2.2.1	210

	परिशिष्ट	सन्दर्भ	
क्रम	विवरण	प्रस्तर	पृष्ठ संख्या
14	वर्ष 2005-06 के दौरान, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड एवं मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में, उपभोक्ताओं की संख्या, संयोजित भार तथा राजस्व के निर्धारण को दर्शाती विवरणी	2.2.2	211
15	वर्ष 2003-04 से 2006-07 के मध्य, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड एवं मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में ऊर्जा की आवश्यकता, क्रय, विक्रय तथा वितरण हानियों को दर्शाती विवरणी	2.2.7	212
16	पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में राजस्व के कम निर्धारण को दर्शाती विवरणी	2.2.11	213
17	लो पावर फैक्टर अधिभार को भारित न करने/या कम भारित करने को दर्शाती विवरणी	2.2.18	214
18	पविविनिलि में शण्ट कैपिसिटर अधिभार को भारित न करने/या कम भारित करने को दर्शाती विवरणी	2.2.18	215
19	मविविनिलि में शण्ट कैपिसिटर अधिभार को भारित न करने/या कम भारित करने को दर्शाती विवरणी	2.2.18	216
20	पविविनिलि एवं मविविनिलि में 2003-04 से 2006-07 के मध्य, वर्ष के प्रारम्भ में बकाया धनराशि, राजस्व निर्धारण, राजस्व संग्रह एवं अपलिखित की गयी धनराशि को दर्शाती विवरणी	2.2.25	217
21	पविविनिलि द्वारा स्थायी विच्छेदन करने में असफल रहने को दर्शाती विवरणी	2.2.31	218
22	पविविनिलि एवं मविविनिलि में वसूली प्रमाण पत्रों की स्थिति को दर्शाती विवरणी	2.2.41	219
23	परिवर्तको की खरीद, निष्पादन, रखरखाव एवं मरम्मत से सम्बन्धित उत्तर प्रदेश में पावर सेक्टर कम्पनियों का संगठनात्मक चार्ट	2.3.1	220
24	31 मार्च 2007 के अन्त तक पाँच वर्षों मे विभिन्न ट्रान्सफारमेशन स्थानों पर ट्रानसफारमेशन क्षमता को दर्शाती विवरणी	2.3.9	221
25	पावर सेक्टर कम्पनियों की 14विभागीय कार्यशालाओं में मरम्मत की लागत को दर्शाती विवरणी	2.3.22	222
26	उ0प्र0 जल निगम के कन्स्ट्रक्शन एवृ डिजाइन सर्विसेज विंग का संगठनात्मक चार्ट	3.1.1	223
27	सीएण्डडीएस के वित्तीय स्थिति तथा कार्यचालन परिणाम दर्शाती विवरणी	3.1.8	224
28	तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किये बिना निष्पादित किये गये कार्य को दर्शाती विवरणी	3.1.10	225-226
29	प्राक्कलनों को गलत तरीके से तैयार करने को दर्शाती विवरणी	3.1.10	227
30	उच्च दरों पर क्रय किये गये ईंटो को दर्शाती विवरणी	3.1.19	228
31	उच्च दरों पर क्रय की गई भवन सामग्री दर्शाती विवरणी	3.1.19	229
32	रायल्टी की कटौती नही की गई दर्शाती विवरणी	3.1.22	230-231
33	विशिष्टियों (सीसी फ्लोरिंग) को नकारते हुए निष्पादित किये गये कार्यो को दर्शाती विवरणी	3.1.27	232-233
34	कम्पनियों की प्रदत्त पूँजी, संचित हानि, शुद्ध मूल्य, आय, व्यय तथा लाभ एवं हानि को दर्शाती विवरणी	4.31.2	234
35	प्रस्तर/समीक्षा जिनके उत्तर प्राप्त नही हुये थे, को दर्शाती विवरणी	4.33	235
36	भारत के नियत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (वाणिज्यिक), उत्तर प्रदेश सरकार में सम्मिलित सरकारी कम्पनियों से सम्बन्धित निरन्तर अनियमितताओं को दर्शाती विवरणी	4.35	236-240
37	भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (वाणिज्यिक), उत्तर प्रदेश सरकार में सम्मिलित सरकारी निगमों से सम्बन्धित निरन्तर अनियमितताओं को दर्शाती विवरणी	4.35	241-243
38	विभागवार अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदनों को दर्शाती विवरणी	4.36	244
39	विभागवार प्रस्तरों/समीक्षाओं, जिनके उत्तर प्रतीक्षित थे, को दर्शाती विवरणी	4.36	245

प्राक्कथन

सरकारी वाणिज्यिक संस्थान, जिनके लेखों की लेखा परीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती है, निम्न श्रेणियों के अन्तर्गत आते हैं:

(i) सरकारी कम्पनियाँ,

(ii) सांविधिक निगम, एवं

(iii) विभागीय रूप से प्रबन्धित वाणिज्यिक उपक्रम

2. इस प्रतिवदेन में सरकारी कम्पनियों और सांविधिक निगमों की लेखा परीक्षा के परिणामों की चर्चा की गई है। इसे समय-समय पर यथा संशोधित नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, अधिकार एवं सेवा शर्ते) अधिनियम, 1971 की धारा 19ए के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सरकार को प्रस्तुत किये जाने हेतु तैयार किया गया है। आठ विभागीय रूप से प्रबन्धित वाणिज्यिक उपक्रमों से सम्बन्धित लेखा परीक्षा परिणामों को भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल), उत्तर प्रदेश सरकार में सम्मिलित किया गया है।

3. सरकारी कम्पनियों के लेखों की लेखा परीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 के प्रावधानों के अन्तर्गत सम्पन्न की जाती है।

4. उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद और उत्तर प्रदेश जल निगम, जो सांविधिक निगम हैं, के सम्बन्ध में सीएजी एकमात्र लेखा परीक्षक हैं। राज्य वित्तीय निगम (संशोधित) अधिनियम, 2000 के अनुसार, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के सम्बन्ध में सीएजी को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित लेखा परीक्षकों की सूची में से नियुक्त शासपत्रित लेखाकारों द्वारा सम्पन्न की गई लेखा परीक्षा के साथ-साथ उनके लेखों की लेखा परीक्षा सम्पन्न करने का अधिकार है। उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम के सम्बन्ध में सीएजी को, उसके परामर्श से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त शासपत्रित लेखाकारों द्वारा सम्पन्न की गई लेखा परीक्षा के साथ-साथ उनके लेखों की लेखा परीक्षा सम्पन्न करने का अधिकार है। उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम एवं उत्तर प्रदेश वन निगम की लेखा परीक्षा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, अधिकार एवं सेवा शर्ते) अधिनियम, 1971 की धारा 19(3) के अन्तर्गत सम्पन्न की जाती है। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत नियामक आयोग के सम्बन्ध में भी सीएजी एकमात्र लेखा परीक्षक है। इन समस्त निगमों/आयोग के वार्षिक लेखों पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन राज्य सरकार को अलग से अग्रसारित किये जाते हैं।

5. इस प्रतिवेदन में वे प्रकरण उल्लिखित हैं जो वर्ष 2006-2007 के दौरान की गई लेखा परीक्षा में संज्ञान में आये तथा वे भी जो पहले ही जानकारी में आ गये थे परन्तु जिनकी चर्चा पूर्ववर्ती प्रतिवेदनों में नहीं की गई थी। 2006-2007 के बाद की अवधि के मामलों को भी यथा आवश्यकता सम्मिलित किया गया है।

6. इस प्रतिवेदन में सम्मिलित सामग्री के सम्बन्ध में लेखा परीक्षा सीएजी द्वारा जारी लेखा परीक्षा मानको के अनुरूप की गई है।

विहंगावलोकन

1. सरकारी कम्पनियों और सांविधिक निगमों पर विहंगावलोकन

- 31 मार्च 2007 को राज्य में, 40 अकार्यरत कम्पनियों को सम्मिलित करते हुये, 88 सरकारी कम्पनियों तथा सात सांविधिक निगमों सहित 95 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) थे जबकि 31 मार्च 2006 को कम्पनियां की संख्या 87 तथा निगमों की संख्या सात थी। सभी सात सांविधिक निगम कार्यरत निगम थे। इसके अतिरिक्त, 31 मार्च 2007 को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-बी के अन्तर्गत चार कम्पनियाँ (एक कार्यरत एवं तीन अकार्यरत) थीं।

(प्रस्तर 1.1 एवं 1.36)

- कार्यरत पीएसयू में कुल निवेश 31 मार्च 2006 के 27,128.12 करोड़ रुपये से बढ़कर 31 मार्च 2007 को 28,071.54 करोड़ रुपये हो गया। अकार्यरत पीएसयू में कुल निवेश उसी अवधि के दौरान 875.84 करोड़ रुपये से बढ़कर 878.96 करोड़ रुपये हो गया।

(प्रस्तर 1.2 एवं 1.18)

- कार्यरत पीएसयू को वितरित की गई पूँजी, ऋण तथा अनुदानों/उपदानों के रूप में बजट सहायता, 2005-06 के 1,444.18 करोड़ रुपये से घटकर 2006-07 में 701.97 करोड़ रुपये हो गयी। राज्य सरकार ने 2006-07 के दौरान कार्यरत पीएसयू को कुल 4,362.05 करोड़ रुपये के ऋणों की प्रत्याभूति दी। दस कार्यरत कम्पनियों एवं दो सांविधिक निगमों के विरुद्ध बकाया प्रत्याभूति की कुल राशि 31 मार्च 2007 को 7,489.72 करोड़ रुपये थी।

(प्रस्तर 1.6)

- मात्र पाँच कार्यरत सरकारी कम्पनियों ने वर्ष 2006-07 के अपने लेखे को अन्तिमीकृत किये। 43 कार्यरत सरकारी कम्पनियों तथा सात कार्यरत सांविधिक निगमों के लेखे 30 सितम्बर 2007 को एक वर्ष से 15 वर्ष की अवधि के लिये बकाये में थे। 40 अकार्यरत कम्पनियों में से 10 कम्पनियाँ परिसमापनाधीन थी। शेष 30 अकार्यरत सरकारी कम्पनियों के लेखे, 30 सितम्बर 2007 को, एक वर्ष से 25 वर्ष की अवधि के लिये बकाये में थे।

(प्रस्तर 1.7 एवं 1.21)

- अद्यतन अन्तिमीकृत लेखों के अनुसार, 21 कार्यरत पीएसयू (18 सरकारी कम्पनियाँ तथा तीन सांविधिक निगम) ने कुल 912.46 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया। इसके विरुद्ध 22 कार्यरत पीएसयू (21 सरकारी कम्पनियाँ तथा एक सांविधिक निगम) ने अपने अद्यतन लेखों के अनुसार कुल 1,465.71 करोड़ रुपये की हानि उठाई। 21 हानि उठाने वाली सरकारी कम्पनियों में से, 12 कम्पनियों की संचित हानियाँ कुल 6,884.87 करोड़ रुपये थीं जो उनकी 5,021.18 करोड़ रुपये की कुल प्रदत्त पूँजी से अधिक हो गई थीं।

(प्रस्तर 1.9, 1.10 एवं 1.11)

2. सरकारी कम्पनियों तथा सांविधिक निगम से सम्बन्धित निष्पादन समीक्षायें

उत्तर प्रदेश स्माल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड में कच्चे माल की खरीद और वितरण, **पश्चिमाचंल एवं मध्याचंल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड** में बिलिंग एवं राजस्व संग्रहण में दक्षता, **पावर सेक्टर कम्पनियों** में परिवर्तको की खरीद, निष्पादन, रखरखाव एवं मरम्मत, **पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड** के इलाहाबाद एंव वाराणसी नगरों में राजस्व वसूली हेतु सूचना प्रोद्योगिकी सहायता प्रणाली तथा **उत्तर प्रदेश जल निगम** के कन्स्ट्रक्शन एवं डिजाइन सर्विसेज विगं से सम्बन्धित निष्पादन समीक्षायें आयोजित की गई। प्रमुख प्रेक्षणों में से कुछ निम्नवत् हैं:

उत्तर प्रदेश स्माल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा कच्चे माल की खरीद एवं वितरण पर निष्पादन समीक्षा

उत्तर प्रदेश स्माल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड का निगमन (जून 1958) राज्य में लघु पैमाने की औद्योगिक इकाइयों (एसएसआई) के संवर्द्धन एवं सहायता के उद्देश्य से हुआ था। कम्पनी ने एसएसआई इकाइयों द्वारा कच्चे माल की मांग का निर्धारण करने के लिये कोई प्रणाली विकसित नहीं की। कम्पनी ने एमओयू होल्डर्स, हैण्डलिंग ठेकेदारों एवं समन्व्यको की नियुक्ति में अनियमतितायें की और उनको अनुचित लाभ प्रदान किया। संज्ञान में आयी कुछ महत्वपूर्ण कमियाँ नीचे दी गई हैं:

- आगरा और गाजियाबाद क्षेत्रीय कार्यालयों में कम्पनी ने 3.18 करोड़ रुपये की छूट एसएसआई इकाइयों के बजाय एमओयू होल्डर्स को प्रदान की।
- वर्ष 2000-01 से 2002-03 के दौरान कम्पनी ने व्यापारिक क्रियाकलापों में संलिप्त छः बन्द/आंशिक कार्यरत इकाईयों को 25599 मीट्रिक टन लौह एवं इस्पात की आपूर्ति की और अनियमित रूप से 1.41 करोड़ रुपये की एसएसआई रिबेट प्राप्त की।
- राज्य कोटा के अन्तर्गत प्राप्त कोयले के मूल्य निर्धारण में पाँच प्रतिशत अनुषांगिक प्रभारों को भारित किया। इसके परिणामस्वरूप समन्वयकों को 77.70 लाख रुपये का अनुचित लाभ पहुँचाया गया।
- स्क्रैप के विक्रय मूल्य के त्रुटिपूर्ण निर्धारण के कारण, कम्पनी ने 2002-03 से 2006-07 के दौरान, सिंचाई विभाग द्वारा आवंटित जले हुये ताँबे के तार और इस्पात के स्क्रैप के विक्रय में 63.33 लाख रुपये और रक्षा मन्त्रालय द्वारा आबंटित पीतल के स्क्रैप के विक्रय में 24.34 लाख रुपये के लाभांश की हानि उठाई।

(अध्याय-2.1)

पश्चिमांचल एवं मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में बिलिंग एवं राजस्व संग्रहण में दक्षता

कम्पनियों का निगमन 1 मई 2003 को उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड के चार वितरण कम्पनियों में पुनर्गठन के उपरान्त हुआ था। संज्ञान में आयी कुछ महत्वपूर्ण कमियाँ नीचे दी गई हैं:

- पश्चिमांचल एवं मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड उपभोक्ताओं से ऊर्जा की लागत नहीं वसूल सकी जिसके फलस्वरूप कम्पनियों की मार्च 2007 के अन्त में संचित हानि पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (पविविनिलि) में 3902.21 करोड़ रुपये एवं मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (मविविनिलि) में 1458.69 करोड़ रुपये हो गयी।
- मविविनिलि द्वारा सही टेरिफ को लागू करने में विफलता एवं बिल जारी न करने के कारण 5.60 करोड़ रुपये के कुल राजस्व की वसूली न होना।
- दोनों कम्पनियां उपभोक्ताओं से राजस्व बकायों की वसूली करने में असफल रही जो मार्च 2007 के अन्त में पविविनिलि एवं मविविनिलि में क्रमशः 2242.91 करोड़ रुपये एवं 1535.81 करोड़ रुपये हो गई।
- उपभोक्ताओं के छोर पर कैपसिटर्स बैंक के प्रबन्धन में विफलता के कारण दोनों कम्पनियों में 4.82 करोड़ रुपये की कुल राजस्व की हानि।
- ई-सुविधा को उपभोक्ताओं से संग्रहित 6.84 करोड़ रुपये को रोकने और खण्ड के खाते में देर से स्थानान्तरण के कारण अनुचित लाभ प्रदान किया गया।

(अध्याय-2.2)

पावर सेक्टर कम्पनियों में परिवर्तकों की खरीद, निष्पादन, रखरखाव एवं मरम्मत पर निष्पादन समीक्षा

वितरण परिवर्तकों की खरीद, निष्पादन, रखरखाव एवं मरम्मत सम्बन्धित डिसकाम द्वारा और पावर परिवर्तकों क सम्बन्ध में यूपीपीसीएल द्वारा की जाती है। परिवर्तकों की खरीद, निष्पादन, रखरखाव एवं मरम्मत के सम्बन्ध में पावर सेक्टर कम्पनियों का निष्पादन कार्यविधियों की अमानकीकरण, मानकों के अनिर्धारण एवं नियंत्रण के अभाव के कारण ठीक नहीं था। संज्ञान में आयी कुछ महत्वपूर्ण कमियाँ नीचे दी गई हैं:

- निविदित मात्रा की 50 प्रतिशत से कम या अधिक के विकल्प का प्रयोग न करना और परिवर्तकों के उच्चदर पर क्रय के फलस्वरूप 9.62 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ।
- वितरण परिवर्तकों की क्षति दर 17.20 से 21.27 प्रतिशत के बीच रही। इसके कारण कम्पनी को वितरण परिवर्तकों, जो कि 31 मार्च 2007 तक पाँच वर्षों की अवधि में मानक से अधिक विफल हुए थे, की मरम्मत पर 377.79 करोड़ रुपये का भारी वित्तीय भार उठाना पड़ा ।
- अपनी मरम्मत कार्यशाला की क्षमता के कम उपयोग/निष्क्रिय रहने के कारण कम्पनी ने बाह्य एजेन्सियों से 12001 परिवर्तकों की मरम्मत पर 8.98 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय किया ।

(अध्याय-2.3)

पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के वाराणसी एवं इलाहाबाद नगरों में राजस्व बिलिंग के लिये सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित प्रणाली

यूपीपीसीएल ने 2004-05 के दौरान राज्य के 19 नगरों में बिलिंग और संग्रहण का कार्य (चेक द्वारा) बाहरी एजेन्सियों को दिया। इनमे पूविविनिलि के अन्तर्गत इलाहाबाद और वाराणसी नगर सम्मिलित थे जहाँ यह कार्य केएलजी सिस्टल लिमिटेड (एजेन्सी) को नवम्बर 2004 में 7.36 करोड़ रुपये के अनुबन्ध मूल्य पर दिया गया। संज्ञान में आयी कुछ महत्वपूर्ण कमियाँ नीचे दी गई हैं:

- भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) मैपिग जिसका प्रयोग नेटवर्क एवं सम्बन्धित उपभोक्ताओं के सूक्ष्मतम विवरण प्रदान करने के लिये होना था 27.44 लाख रुपये व्यय करने के पश्चात् भी परिवीक्षण हेतु उपलब्ध नहीं थी।
- मास्टर डाटा बैक को अपडेट न करने के कारण वाराणसी नगर के 64 प्रतिशत प्रकरण सम्मिलित नहीं किये जा सके। डुप्लीकेट सेवा संयोजन संख्या, डुप्लीकेट मीटर संख्या एवं डुप्लीकेट उपभोक्ता तथा उच्च टैरिफ के उपभोक्ता को कम टैरिफ वाली श्रेणी में रखना इत्यादि के प्रकरण मास्टर डाटा बैक में ठीक नहीं किये जा सके।
- घरेलू पंखा एवं बत्ती के दोषपूर्ण मीटरों के मामलों में विद्युत प्रभार को नियत इकाइयों के अनुसार प्रभारित नहीं किया गया जैसा कि अन्य श्रेणी के उपभोक्ताओं के साथ किया गया। इसके परिणामस्वरूप 7.06 करोड़ रुपये का कम निर्धारण हुआ।
- एजेन्सी के साथ हुये अनुबन्ध में प्रणाली की संरचना का विवरण प्राप्त करने, कर्मचारी दक्षता, सुरक्षा उपाय, कम्पनी या बाह्य एजेन्सियों के द्वारा आईटी लेखा परीक्षा का प्राविधान नहीं था।

(अध्याय-2.4)

उत्तर प्रदेश जल निगम के कन्स्ट्रक्शन एवं डिजाइन सर्विसेज विंग की निष्पादन समीक्षा

उत्तर प्रदेश जल निगम (निगम) ने अपने कार्यकलापों का विविधीकरण करने हेतु एक वाणिज्यिक शाखा की स्थापना (अप्रैल 1989) की, जिसका नाम "कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज" (सीएण्डडीएस) रखा गया। सीएण्डडीएस प्राथमिक रूप से राज्य सरकार के विभागों/संस्थानों (क्लाइन्ट्स) द्वारा सौंपे गये डिपाजिट कार्यों को लागत और प्रतिशत प्रभार के आधार पर निष्पादन में लगा था। संज्ञान में आयी कुछ महत्वपूर्ण कमियाँ नीचे दी गई हैं:

- 212.33 करोड़ रुपये लागत के छः कार्य क्लाइन्ट से उप-ठेकेदारों के माध्यम से प्राप्त किये गये तथा उन्हें ही उन कार्यों को बैक टू बैक आधार पर प्रदान किया गया।

- सीएण्डडीएस ने 531 कार्य बिना प्रतिशत प्रभार के तथा 90 कार्य निर्धारित दरों से नीचे निष्पादित किये, परिणामस्वरूप 35.99 करोड़ रुपये की आय की हानि हुई।
- क्लाइन्ट्स से प्राप्त धनराशि से 14.87 करोड़ रुपये का अधिक व्यय हुआ, जिसका दावा क्लाइन्ट्स को प्रस्तुत नहीं किया गया।
- सात कार्यों के निष्पादन में मानकों, विशिष्टियों तथा स्वीकृत प्राक्कलन से 1.97 करोड़ रुपये मूल्य की अधिक सामग्री प्रयोग की गई।

(अध्याय-3.1)

3. व्यवहारिक लेखा परीक्षा प्रेक्षण

इस प्रतिवेदन में सम्मिलित लेखा परीक्षा आपत्तियाँ सार्वजनिक उपक्रमों के प्रबन्धन की कमियों को दर्शाती हैं, जिसके फलस्वरूप गम्भीर वित्तीय अनियमिततायें हुई। दर्शायी गई अनियमितताएँ व्यापक रूप से निम्नलिखित प्रकृति की हैं:

आठ प्रकरणों में 6.70 करोड़ रुपये मूल्य की राजस्व हानि के कारण थे:

- निक्षेप कार्यों पर प्रतिशत प्रभार का भारित न किया जाना,
- शन्ट कैपेसिटर/लो पावर फैक्टर अधिभार का भारित न किया जाना,
- ऊर्जा की चोरी के विरुद्ध अर्थदण्ड का अल्प निर्धारण,
- संरक्षित भार/लोड फैक्टर रिबेट के लिये अनुबन्ध निष्पादित न करना,
- टैरिफ का गलत प्रयोग।

(प्रस्तर 4.1, 4.10, 4.12, 4.13 से 4.15, 4.17,एवं 4.18)

परिहार्य, अधिक व्यय के 5.89 करोड़ रुपये के 13 दृष्टांत निम्न कारणों से थे:

- प्राक्कलन का गलत बनाया जाना,
- कार्यों की समाप्ति में विलम्ब,
- अविवेकपूर्ण निर्णय,
- कर्मचारी भविष्य निधि अशंदान को जमा करने में विलम्ब।

(प्रस्तर 4.2, 4.3, 4.5, 4.7, 4.8, 4.20, 4.21, 4.23, 4,24 एवं 4.26 से 4.29)

ठेकेदारों, उपभोक्ताओं एवं आवंटी को अनुचित लाभ पहुँचाने के 4.36 करोड़ रुपये के छः मामले निम्न कारणों से थे:

- हस्तांतरण शुल्क को भारित न करना,
- आईएस विशिष्टियों को पूरा न करने वाले जीआई पाइपों की आपूर्ति स्वीकार करना,
- शमन शुल्क का अप्रभारण,
- अनियमित लोड फैक्टर रिबेट,
- किश्तों में भुगतान की सुविधा दो बार प्रदान करना,
- प्रारम्भिक धनराशि वसूल किये बिना कब्जा हस्तांतरित करना।

(प्रस्तर 4.4, 4.6, 4.11, 4.16, 4.19,एवं 4.22)

4.44 करोड़ रुपये की राशि के अनुबन्ध की शर्तों के उल्लंघन वाले तीन प्रकरण निम्न कारणों से थे:

- वेन्चर कैपिटल स्कीम के अन्तर्गत पूँजी सहायता की अनियमित स्वीकृति,
- विक्रय धनराशि प्राप्त किये बिना भूमि का अन्तरण,
- नकद साख सुविधा का उपभोग न करना।

(प्रस्तर 4.9 4.25 एवं 4.30)

महत्वपूर्ण प्रस्तरों में से कुछ के सारांश निम्नवत् हैं:

- **उत्तर प्रदेश स्माल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड** में विधायक निधि के अन्तर्गत निष्पादित निक्षेप कार्यों पर 69.38 लाख रुपये का प्रतिशत प्रभार भारित नहीं किया।

(प्रस्तर 4.1)

- **उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड,** ने ट्रोनिका सिटी, गाजियाबाद में शोधित जल निस्तारण पाइप लाइन बिछाने पर 1.39 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय किया।

(प्रस्तर 4.2)

- **उत्तर प्रदेश स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड** ने स्थिर दर अनुबन्ध की वैधता अवधि में जस्तेदार लोहे (जीआई) के पाइपों की आपूर्ति हेतु दोबारा निविदा देने पर 63.35 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय किया।

(प्रस्तर 4.5)

- **दि प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इनवेस्टमेन्ट कारपोरेशन ऑफ उत्तर प्रदेश लिमिटेड** को योजना की शर्तों के विपरीत पूँजी सहायता स्वीकृत करने के कारण 26.24 लाख रुपये की हानि हुई।

(प्रस्तर 4.9)

- **पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड** ने निगम द्वारा बिजली की चोरी के विरुद्ध अर्थदण्ड के अल्प प्रभारण के फलवरूप 21.96 लाख रुपये के राजस्व का अल्प निर्धारण किया।

(प्रस्तर 4.12)

- **दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड** ने टैरिफ के गलत प्रयोग के कारण 1.53 करोड़ रुपये के कुल राजस्व की हानि वहन की।

(प्रस्तर 4.15)

- **उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम** ने 3.92 करोड़ रुपये की विक्रय धनराशि प्राप्त किये बिना परिवहन विभाग अलीगढ़ को भूमि का स्वामित्व एवं कब्जा हस्तांतरित करने के कारण हानि वहन की।

(प्रस्तर 4.25)

अध्याय-I

सरकारी कम्पनियों और सांविधिक निगमों का विहंगावलोकन

1.1 प्रस्तावना

31 मार्च 2007 को राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन 88 सरकारी कम्पनियाँ (48 कार्यरत कम्पनियाँ तथा 40 अकार्यरत कम्पनियाँ[1]) तथा सात कार्यरत सांविधिक निगम थे जबकि 31 मार्च 2006 को 87 सरकारी कम्पनियाँ (48 कार्यरत तथा 39 अकार्यरत कम्पनियाँ) तथा सात कार्यरत सांविधिक निगम थे। वर्ष 2006-07 के दौरान प्राप्त सूचना के अनुसार, परिसमापनाधीन एक अकार्यरत कम्पनी[2] का अन्ततः विघटन हो गया तथा दो कम्पनियाँ[3], जिन्होने ने पहले सूचित किया था कि उनका अपनी धारक कम्पनियों में संविलयन हो गया, ने पुनः सूचित किया कि विधिक प्रक्रियाओं के पूर्ण न होने के कारण वे अब भी एक स्वतन्त्र विधिक निकाय के रूप में विद्यमान हैं। सरकारी कम्पनियों के लेखों (जैसा कि कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में परिभाषित है) का लेखा परीक्षण सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा किया जाता है जिनकी नियुक्ति कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(2) के प्रावधानों के अनुसार भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा की जाती है। यह लेखे कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 के प्रावधानों के अनुसार सीएजी द्वारा सम्पादित की जाने वाली अनुपूरक लेखा परीक्षा के भी अधीन हैं। सांविधिक निगमों की लेखा परीक्षा व्यवस्थायें नीचे प्रदर्शित की गयी हैं:

क्र. सं.	निगम का नाम	सीएजी द्वारा लेखा परीक्षा का प्राधिकार	लेखा परीक्षा व्यवस्था
1.	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा 33(2)	सीएजी द्वारा एकल लेखा परीक्षा
2.	उत्तर प्रदेश राज्य वित्तीय निगम	राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 की धारा 37(6)	सनदी लेखाकारों तथा सीएजी द्वारा अनुपूरक लेखा परीक्षा
3.	उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम	राज्य भण्डारण निगम अधिनियम, 1962 की धारा 31(8)	सनदी लेखाकारों तथा सीएजी द्वारा अनुपूरक लेखा परीक्षा
4.	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद	नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, अधिकार एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(3)	सीएजी द्वारा एकल लेखा परीक्षा
5.	उत्तर प्रदेश जल निगम	नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, अधिकार एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 20(1)	
6.	उत्तर प्रदेश वन निगम	नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, अधिकार एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(3)	सीएजी द्वारा लेखा परीक्षा[4]
7.	उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम[5]	नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, अधिकार एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(3)	सनदी लेखाकारों तथा सीएजी द्वारा अनुपूरक लेखा परीक्षा

उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग का गठन किया तथा इसकी लेखा परीक्षा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 104(2) के अन्तर्गत सीएजी द्वारा की जाती है।

1 अकार्यरत कम्पनियाँ वह है जो कि परिसमापन/बन्दी/संविलयन की प्रकिया के अन्तर्गत है।
2 मोहम्मदाबाद पीपुल्स टैनरी लिमिटेड।
3 हैन्डलूम इन्टेन्सिव डेवलपमेन्ट कारपोरेशन (गोरखपुर और बस्ती) लिमिटेड एवं हैण्डलूम इन्टेन्सिव डेवलपमेन्ट कारपोरेशन (बिजनौर) लिमिटेड - उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम लिमिटेड की सहायक इकाईयाँ।
4 वन निगम अधिनियम संशोधन की प्रतीक्षा में स्थानीय निधि लेखा परीक्षक द्वारा भी लेखा परीक्षा की जा रही है।
5 भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, निगम के नियमों में कोई विशेष प्राविधान न होने के कारण विधायिका में प्रस्तुत नहीं की जाती है क्योंकि निगम का पंजीकरण सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत हुआ है।

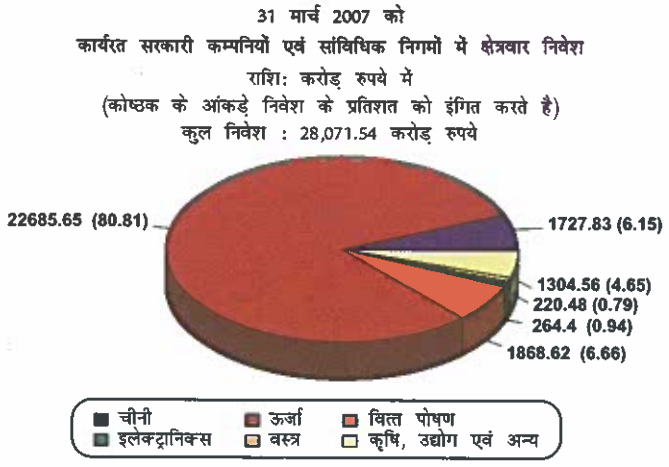
कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू)

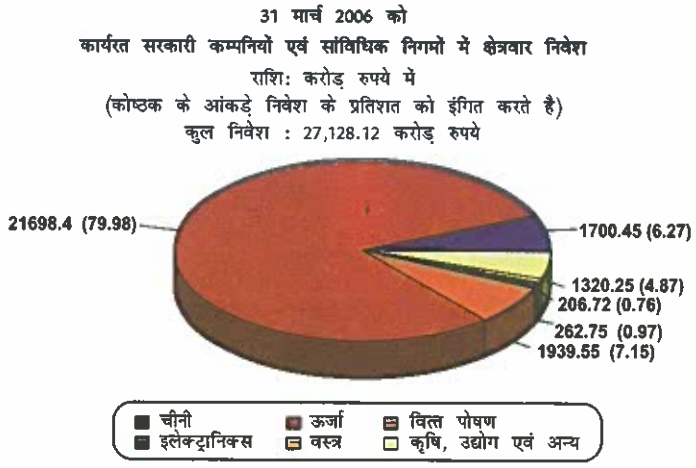
कार्यरत पीएसयू में निवेश

1.2 31 मार्च 2007 को कुल 55 कार्यरत पीएसयू (48 सरकारी कम्पनियाँ एवं सात सांविधिक निगम) में निवेश 28,071.54 करोड़ रुपये* (अंशपूँजी: 11,603.48 करोड़ रुपये, अंश आवेदन राशि: 7,714.18 करोड़ रुपये तथा दीर्घावधि ऋण: 8,753.88 करोड़ रुपये**) के विरूद्ध, 31 मार्च 2006 के अन्त में 55 कार्यरत पीएसयू (48 सरकारी कम्पनियाँ एवं सात सांविधिक निगमों) में निवेश 27,128.12 करोड़ रुपये (अंश: 11,152. 92 करोड़ रुपये, अंश आवेदन राशि: 7,733.56 करोड़ रुपये तथा दीर्घावधि ऋण: 8,241.64 करोड़ रुपये) था। कुल निवेश में बढ़ोत्तरी का कारण मुख्यत: ऊर्जा, चीनी एवम् टेक्सटाइल क्षेत्रों में अंशपूँजी तथा ऋण में बढ़ोत्तरी थी। कार्यरत पीएसयू में निवेश का विश्लेषण अनुवर्ती प्रस्तरों में दिया गया है।

कार्यरत सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों में क्षेत्रवार निवेश

1.3 31 मार्च 2007 तथा 31 मार्च 2006 को विभिन्न क्षेत्रों में निवेश (अंशपूँजी तथा दीर्घावधि ऋण) तथा उनके प्रतिशत नीचे पाई चार्ट में दिये गये हैं:





* कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में राज्य सरकार का निवेश 18,293.22.13 करोड़ रुपये (अन्य: 9,778.32 करोड़ रुपये) था। वित्त लेखा 2006-07 के अनुसार यह 22873.62 करोड़ रुपये है। अन्तर का समाधान किया जा रहा है।

** प्रस्तर 1.2, 1.4, 1.5 तथा 1.18 में वर्णित दीर्घकालीन ऋणों में ऐसे ऋणों पर देय और संचित ब्याज सम्मिलित नहीं है।

कार्यरत सरकारी कम्पनियाँ

1.4 मार्च 2007 तथा मार्च 2006 के अन्त में कार्यरत सरकारी कम्पनियों में कुल निवेश निम्नलिखित था:

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	कार्यरत पीएसयू की संख्या	कार्यरत पीएसयू में निवेश			
		अंशपूँजी	अंश आवेदन राशि	ऋण	योग
2005-06	48	10650.34	7731.35	6834.70	25216.39
2006-07	48	11100.90	7711.97	7422.60	26235.47

पूर्व वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष में निवेश मुख्यत: ऊर्जा, चीनी, टेक्स्टाइलस एवम् इलेक्ट्रिानिक्स क्षेत्रो में ऋण एवं अंशपूँजी में वृद्धि के कारण बढ़ गया है।

31 मार्च 2007 को कार्यरत सरकारी कम्पनियों के कुल निवेश में अंश पूँजी और ऋण 31 मार्च 2006 के 72.90 प्रतिशत एवम् 27.10 प्रतिशत की तुलना में क्रमश: 71.71 प्रतिशत एवम् 28.29 प्रतिशत था।

कार्यरत सरकारी कम्पनियों में अंशपूँजी तथा ऋणों के रूप में सरकारी निवेश का संक्षिप्त विवरण **परिशिष्ट-1** में दिया गया है।

कार्यरत सांविधिक निगम

1.5 सात कार्यरत सांविधिक निगमों में कुल निवेश मार्च 2006 तथा मार्च 2007* के अन्त में निम्नवत् था:

(करोड़ रुपये में)

निगम का नाम	2005-06		2006-07	
	पूँजी	ऋण	पूँजी	ऋण
उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	312.13	211.77	312.13	182.59
उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम	179.28	1008.32	179.28	1008.32
उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम	11.17 (2.21)	55.45	11.17 (2.21)	39.87
उत्तर प्रदेश वन निगम**	-	-	-	-
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद**	-	-	-	Nil
उत्तर प्रदेश जल निगम**	-	129.75	-	98.85
उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम**	-	1.65	-	1.65
योग	**502.58** **(2.21)**	**1406.94**	**502.58** **(2.21)**	**1331.28**

(कोष्ठक के आंकड़े अंश आवेदन राशि को इंगित करते हैं)

स्रोत: निगमों द्वारा दी गई सूचना।

31 मार्च 2007 को कार्यरत सांविधिक निगमों के कुल निवेश में अंशपूँजी और ऋण 31 मार्च 2006 के 26.40 प्रतिशत तथा 73.60 प्रतिशत की तुलना में क्रमश: 27.49 प्रतिशत तथा 72.51 प्रतिशत था।

* वर्ष 2006-07 के आँकड़े अनन्तिम है।

** इन निगमों में अशंपूँजी नही है। उत्तर प्रदेश वन निगम के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त नही हुई है।

कार्यरत सांविधिक निगमों में अंशपूँजी और ऋणों के रूप में सरकारी निवेश का संक्षिप्त विवरण **परिशिष्ट-1** में दिया गया है।

बजट बहिर्गमन, अनुदान/उपादान, प्रत्याभूतियाँ, देयों की माफी एवं ऋणों का अंशपूँजी में परिवर्तन

1.6 कार्यरत सरकारी कम्पनियों एवं कार्यरत सांविधिक निगमों के बजट बहिर्गमन, अनुदान/उपादान, निर्गत प्रत्याभूतियों, देयों की माफी तथा राज्य सरकार द्वारा ऋणों के अंशपूँजी में परिवर्तन सम्बन्धित विवरण **परिशिष्ट-1 एवं 3** में दिये गये हैं।

कार्यरत सरकारी कम्पनियों एवं कार्यरत सांविधिक निगमों को 2006-07 तक के तीन वर्षों में राज्य सरकार से अंशपूँजी और ऋण तथा अनुदान/उपादान के रूप में बजट बहिर्गमन नीचे दिये गये है:

(करोड़ रुपये में)

विवरण	2004-05				2005-06				2006-07			
	कम्पनियाँ		निगम		कम्पनियाँ		निगम		कम्पनियाँ		निगम	
	सं0	राशि	सं0	राशि	सं0	राशि	सं0	राशि	सं0	राशि	सं0	राशि
अ (i) बजट से अंशपूँजी बहिर्गमन	7	5,575.04	-	-	4	420.86	-	-	5	423.31	--	--
(ii) बजट से दिये गये ऋण	9	453.40	1	3.02	12	508.98	1	30.00	6	126.28	--	--
योग अ (i)+(ii)	**13**	**6,028.44**	**1**	**3.02**	**16**	**929.84**	**1**	**30.00**	**11**	**549.59**	**--**	**--**
ब. अनुदान/उपादान (i) परियोजनाओं/ कार्यक्रमों/योजनाओं के लिए	7	1,297.26[1]	1	76.91	5	479.01[3]	1	2.02	3	145.38	01	2.62[5]
(ii) अन्य	3	5.23[2]	-	-	2	3.31[4]	-	-	1	4.38	--	--
योग (ब) (i)+(ii)		**1,302.49**	**-**	**76.91**	**-**	**482.32**	**-**	**2.02**	**-**	**149.76**	**01**	**2.62**
कुल बहिर्गमन (अ+ब)	**17[6]**	**7,330.93**	**1[6]**	**79.93**	**21[6]**	**1412.16**	**2**	**32.02**	**13[6]**	**699.35**	**01[6]**	**2.62**

वर्ष 2006-07 के दौरान सरकार ने नों कार्यरत कम्पनियों द्वारा लिये गये 4362.05 करोड़ रुपये के ऋणों की प्रत्याभूति दी। वर्ष के अन्त में दस कार्यरत सरकारी कम्पनियाँ (6941.73 करोड़ रुपये) तथा दो कार्यरत सांविधिक निगम (547.99 करोड़ रुपये) के विरुद्ध 7489.72 करोड़ रुपये की राशि की प्रत्याभूति अवशेष थी। दो[7] सरकारी कम्पनियों तथा एक[7] सांविधिक निगम द्वारा 2006-07 के दौरान सरकार को चुकाया गया/देय प्रत्याभूति कमीशन क्रमश: 4.84 करोड़ रुपये तथा 31.27 लाख रुपये था।

[1] 129.69 करोड़ रुपये का अनुदान सम्मिलित है।

[2] 1.11 करोड़ रुपये का अनुदान सम्मिलित है।

[3] 3.21 करोड़ रुपये का अनुदान सम्मिलित है।

[4] 3.25 करोड़ रुपये का अनुदान सम्मिलित है।

[5] अनुदान।

[6] ये सभी वास्तविक संख्या में वे कम्पनियाँ/निगम है जिन्होंने सरकार से सम्बन्धित वर्षों में अंशपूँजी, ऋण, अनुदान तथा उपदान के रूप में बजटीय सहयोग प्राप्त किया।

[7] 10 कार्यरत एवं दो सांविधिक निगमों, जिनके विरुद्ध प्रत्याभूति बकाया थी, में से केवल दो सरकारी कम्पनियों (उत्तर प्रदेश राज्य चीनी एवम् गन्ना विकास निगम लिमिटेड तथा उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड) एवं एक सांविधिक निगम (उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम) ने सूचना प्रदान की है (परिशिष्ट-3)।

कार्यरत पीएसयू द्वारा लेखों का अन्तिमीकरण

1.7 प्रत्येक वित्तीय वर्ष के सरकारी कम्पनियों के लेखों को, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 166, 210, 230, 619 एवं 619बी सपठित नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, अधिकार एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 के अन्तर्गत सम्बन्धित वित्तीय वर्ष के समाप्ति होने से छः माह के अन्दर पूर्ण किया जाना चाहिये। उन्हें वित्तीय वर्ष की समाप्ति से 9 माह के अन्दर विधायिका के समक्ष प्रस्तुत भी करना होता है। इसी प्रकार सांविधिक निगमों के प्रकरण में, उनके लेखों को सम्बन्धित परिनियमों के प्रावधानों के अनुसार पूर्ण, लेखापरीक्षित तथा विधायिका को प्रस्तुत किया जाता है।

48 कार्यरत कम्पनियों में केवल पाँच* कार्यरत कम्पनियों ने वर्ष 2006-07 के लेखों को अन्तिमीकृत किया तथा सात कार्यरत सांविधिक निगमों में से किसी भी निगम ने वर्ष 2006-07 के लेखों को संकल्पित अवधि के अन्दर अन्तिमीकृत नहीं किया। अक्टूबर 2006 से सितम्बर 2007 तक की अवधि के दौरान 32 कार्यरत सरकारी कम्पनियों ने पूर्व वर्ष के 36 लेखों को अन्तिमीकृत किया। इसी प्रकार, उसी अवधि के दौरान चार कार्यरत सांविधिक निगमों ने पूर्व वर्षों के पाँच लेखों को अन्तिमीकृत किया।

30 सितम्बर 2007 को, 43 कार्यरत सरकारी कम्पनियों और सात सांविधिक निगमों के लेखे एक वर्ष से 15 वर्षों तक की अवधि से निम्न विवरण के अनुसार बकाये में थे:

क्र.सं.	कार्यरत कम्पनियों/निगमों की संख्या		वर्ष जबसे लेखे बकाया है	वर्षों की संख्या जिनके लिये लेखे बकाया है	परिशिष्ट-2 के क्रमांक का संकेत	
	सरकारी कम्पनियाँ	सांविधिक निगम			सरकारी कम्पनियाँ	सांविधिक निगम
1	2	3	4	5	6	7
1	1	--	1992-93 से 2006-07	15	अ-24	--
2	1	--	1993-94 से 2006-07	14	अ -17	--
3	2	--	1994-95 से 2006-07	13	अ -10, 43	--
4	1	--	1996-97 से 2006-07	11	अ -14	--
5	1	--	1998-99 से 2006-07	9	अ -46	--
6	1	1	1999-2000 से 2006-07	8	अ -6	ब-4
7	2	--	2000-01 से 2006-07	7	अ -8, 21	--
8	3	--	2001-02 से 2006-07	6	अ -9, 23, 44	--
9	1	1	2003-04 से 2006-07	4	अ -34	ब -7
10	12	--	2004-05 से 2006-07	3	अ -1, 7, 18, 29, 30, 33, 36, 37, 38, 39, 47,48	--
11	3	2	2005-06 से 2006-07	2	अ -28, 32, 45	ब -5, 6
12	15	3	2006-07	1	अ -4, 5, 11, 15, 16, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 31, 35, 40, 41	ब -1, 2, 3

* उत्तर प्रदेश (पश्चिम) गन्ना बीज एवम् विकास निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश (मध्य) गन्ना बीज एवम् विकास निगम लिमिटेड, अपट्रान पावरट्रानिक्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक कम्पनी), श्रीट्रान इण्डिया लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक कम्पनी) तथा दि प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कारपोरेशन आफ उत्तर प्रदेश लिमिटेड (परिशिष्ट-2)।

प्रशासकीय विभागों को यह देखना और सुनिश्चित करना होता है कि पीएसयू द्वारा लेखे निर्धारित अवधि के अन्दर पूर्ण और अंगीकृत कर लिये गये हैं। यद्यपि सम्बन्धित प्रशासकीय विभागों और सरकारी अधिकारियों को लेखा परीक्षा द्वारा अपूर्ण लेखों के बकाये के बारे में त्रैमासिक रूप से जानकारी दी गयी थी, सरकार द्वारा कोई प्रभावी कदम नहीं उठाये गये और परिणामस्वरूप इन पीएसयू के शुद्ध मूल्य का निर्धारण लेखा परीक्षा में नहीं किया जा सका।

कार्यरत पीएसयू की वित्तीय स्थिति और कार्य संचालन परिणाम

1.8 अद्यतन अन्तिमीकृत लेखों के अनुसार कार्यरत पीएसयू (सरकारी कम्पनियाँ तथा सांविधिक निगम) के संक्षिप्त वित्तीय परिणाम **परिशिष्ट-2** में दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक कार्यरत सांविधिक निगमों के अद्यतन तीन वर्षो के पूर्ण किये गये लेखों के अनुसार वित्तीय परिणामों को दर्शाती हुई विवरणी क्रमश: **परिशिष्ट-4 व 5** में दी गयी है।

48 कार्यरत सरकारी कम्पनियों और सात सांविधिक निगमों के अद्यतन अन्तिमीकृत लेखों के अनुसार 21 कम्पनियों और 2 निगमों ने क्रमश: 1,441.07 करोड़ रुपये तथा 24.64 करोड़ रुपये की कुल हानि उठाई, 26 कम्पनियों और 5 निगमों ने क्रमश: 867.45 करोड़ रुपये तथा 98.17 करोड़ रुपये का कुल लाभ अर्जित किया। एक कार्यरत सरकारी कम्पनी[1] निर्माण की प्रक्रिया मे थी।

कार्यरत सरकारी कम्पनियाँ

लाभार्जन करने वाली कार्यरत कम्पनियाँ और लाभांश

1.9 सरकार ने न्यूनतम लाभांश भुगतान के लिये लाभांश नीति (अक्टूबर 2002) तैयार की तथा पीएसयू को निर्देशित किया कि सरकार द्वारा निवेशित पूँजी पर वित्तीय वर्ष 2002-03 से 5 प्रतिशत का न्यूनतम लाभांश अदा किया जाय। 32 कार्यरत कम्पनियों में से जिन्होंने सितम्बर 2007 तक पूर्व वर्षो के लेखे को अन्तिम रूप दिया था, 18 कम्पनियों ने कुल 845.43 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया और 13[2] कम्पनियों ने दो अथवा अधिक वर्षो तक लगातार लाभ अर्जित किया। केवल तीन[3] कम्पनियों ने 1.45 करोड़ रूपये का लाभांश घोषित किया।

अंशपूँजी (28.08 करोड़ रुपये) के प्रतिशत के रूप में उपरोक्त तीन कम्पनियों का लाभांश प्रतिशत 5.16 निकाला गया। अवशेष 15 लाभ अर्जित कम्पनियों ने कोई भी लाभांश घोषित नहीं किया। सभी कार्यरत सरकारी कम्पनियों में 1.45 करोड़ रुपये के लाभांश के रूप में कुल प्रतिलाभ पिछले वर्ष के 0.014 प्रतिशत के सापेक्ष 2006-07 में राज्य सरकार के 16635.51 करोड़ रुपये के कुल पूँजी निवेश का 0.009 प्रतिशत था।

1 यूपीएसआईडीसी पावर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड की सहायक कम्पनी)।

2 उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम, उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति एवं वित्त विकास निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश ड्रग्स एण्ड फार्मासिट्यूक्लस लिमिटेड, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश डेवलपमेन्ट सिस्टमस कारपोरेशन लिमिटेड तथा उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड (परिशिष्ट-2)।

3 उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड तथा उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (परिशिष्ट-2)।

हानि उठाने वाली कार्यरत सरकारी कम्पनियाँ

1.10 21 हानि उठाने वाली सरकारी कम्पनियों में से 12 कम्पनियों की कुल संचित हानियाँ 6,884.87 करोड़ रुपये थी, जो उनकी 5,021.18 करोड़ रुपये की कुल प्रदत्त पूँजी से अधिक हो गयी थी (**परिशिष्ट-2**)।

खराब निष्पादन और प्रदत्त पूँजी के पूर्ण क्षरण के बावजूद राज्य सरकार इन कम्पनियों को उपादान, अनुदान तथा ऋण के रूप में लगातार वित्तीय सहायता प्रदान करती रही। उपलब्ध सूचना के अनुसार, इनमें से 12 हानि उठाने वाली कम्पनियों में से चार कम्पनियों को राज्य सरकार ने अंशपूँजी ऋण, उपादान तथा अनुदान के रूप में वर्ष 2006-07 के दौरान 30.13 करोड़ रुपये का वित्तीय सहयोग किया।

कार्यरत सांविधिक निगम

लाभार्जन करने वाले सांविधिक निगम और लाभांश

1.11 चार कार्यरत सांविधिक निगमों में से तीन[1] निगमों जिन्होंने सितम्बर 2007 तक अपने पिछले वर्षों के लेखों को अन्तिम रूप दिया था, कुल 67.03 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया। इन तीन सांविधिक निगमों ने दो या अधिक वर्षों तक लगातार लाभार्जन किया तथा एक निगम (उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम) ने 1.51 करोड़ रुपये का लाभांश घोषित किया।

हानि उठाने वाले सांविधिक निगम

1.12 दो हानि उठाने वाले कार्यरत सांविधिक निगमों में से एक निगम (उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम) जिसने सितम्बर 2007 तक अपने पिछले वर्षों लेखों को अंतिम रूप दिया, की कुल संचित हानियाँ 11.33 करोड़ रुपये थी।

कार्यरत सांविधिक निगमों की कार्यचालन उपलब्धियाँ

1.13 कार्यरत सांविधिक निगमों का कार्यचालन उपलब्धियाँ **परिशिष्ट-6** में दी गई है।

नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ

1.14 अद्यतन अन्तिमीकृत लेखों के अनुसार, 48 कार्यरत कम्पनियों में नियोजित पूँजी[2] की गणना 14,599.13 करोड़ रुपये की गयी तथा उस पर कुल प्रतिलाभ[3] पूर्व वर्ष के (-)582.00 करोड़ रुपये की तुलना में 337.05 करोड़ रुपये रहा। इसी प्रकार पूर्व वर्ष के 288.75 करोड़ रुपये (4.23 प्रतिशत) के कुल प्रतिलाभ के तुलना में सात कार्यरत सांविधिक निगमों के सम्बन्ध में अद्यतन अन्तिमीकृत लेखों के अनुसार नियोजित पूँजी और उस पर कुल प्रतिलाभ, क्रमशः 6712.16 करोड़ रुपये तथा 171.75 करोड़ रुपये (2.56 प्रतिशत) आगणित किया गया। कार्यरत सरकारी कम्पनियों तथा सांविधिक निगमों

1 उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम एवं उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद (परिशिष्ट-2)।

2 नियोजित पूँजी, निवल अचल परिसम्पतियों (पूँजीगत प्रगतिगत कार्य सहित) एवं कार्यशील पूँजी के योग को प्रदर्शित करती है सिवाय वित्त पोषण कम्पनियों और निगमों को छोड़कर जहाँ यह कुल प्रदत्त पूँजी के पूर्व एवं अंतिम शेषों के मध्यमान, मुक्त आरक्षित निधि, वाण्ड जमा तथा ऋण (पुनर्वित्त पोषण सहित) प्रदर्शित करती है।

3 नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिलाभ के आगणन हेतु, ऋण ली गयी निधियों के ब्याज को शुद्ध लाभ में जोड़ा जाता है/हानि से घटाया जाता है, जैसा कि लाभ हानि खाते में प्रदर्शित किया गया।

के सम्बन्ध में नियोजित पूँजी और नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिलाभ के विवरण परिशिष्ट-2 में दिये गये है।

ऊर्जा क्षेत्र में सुधार

राज्य सरकार और केन्द्र सरकार के बीच हुए एमओयू के कार्यान्वयन की स्थिति:

1.15 उत्तर प्रदेश सरकार व केन्द्र सरकार के बीच ऊर्जा क्षेत्र में सुधार कार्यक्रम लागू करने के लिए एक संयुक्त प्रतिज्ञा के रूप में मेमोरेन्डम आफ अन्डरस्टैडिंग (एमओयू) पर हस्ताक्षर हुये (फरवरी 2000)।

एमओयू में लिये गए प्रत्येक प्रतिज्ञा पर सुधार कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की स्थिति का विवरण नीचे दिया जा रहा है:

क्र.सं.	एमओयू समझौते के अनुसार सुधार कार्यक्रम	लक्ष्य प्राप्ति की अनुसूची	वर्तमान स्थिति
I	**राज्य सरकार द्वारा**		
(i)	11 के.वी. के सभी फीडरों पर मीटर का लगाया जाना	30 सितम्बर 2000	पारेषण नेटवर्क के 97 प्रतिशत पोषकों पर मीटर स्थापित कर दिये गये एवं वितरण नेटवर्क के 99.21 प्रतिशत पोषकों पर मीटर स्थापित किये गये (मार्च 2007)।
(ii)	शत-प्रतिशत उपभोक्ताओं को मीटर द्वारा आपूर्ति	31 दिसम्बर 2001	केवल 58.70 प्रतिशत उपभोक्ताओं को मीटरीकृत किया जा सका (जून 2007)।
(iii)	20 चुने गये नगरों की आन लाइन बिलिंग	31 मार्च 2001	केवल एक नगर, लखनऊ मे सितम्बर 2006 में लागू किया गया। शेष 17 नगरों में आन लाइन बिलिंग विचाराधीन है।
(iv)	वितरण प्रणाली को उन्नत करना	शून्य	विभिन्न कार्य जैसे कि सर्विस लाइन का पुर्नवियोजन, कैपेसीटर बैंक का संयोजन, लाइन का निर्माण, प्रवर्तकों को लगाना और वितरण प्रणाली को सुदृढ कराना, पूर्णता के विभिन्न स्तरों पर है (सितम्बर 2007)।
(v)	वितरण क्षेत्रों का निजीकरण जिसकी वाणिज्यिक रूप से सक्षमता स्थापित न हो।	शून्य	अभी तक कोई भी निजीकरण नही हुआ (सितम्बर 2007)।
II	**केन्द्र सरकार द्वारा**		
(i)	चालू तापीय तथा हाइड्रो ऊर्जा स्टेशनों का नवीनीकरण एवं आधुनीकीकरण हेतु भारत सरकार से वित्तीय सहायता	शून्य	पावर फाइनेन्स कारपोरेशन द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को 1103.98 करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत किया गया। इसके अतिरिक्त त्वरित उर्जा विकास सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा 18.06 करोड़ रुपये का ऋण एवं इतनी ही राशि का उपदान स्वीकृत किया गया (मार्च 2006)।
(ii)	महत्वपूर्ण पारेषण कार्यो के निर्माण के लिए भारत सरकार से सहयोग	शून्य	उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड ने 57 परियोजनाओं हेतु पावर फाइनेन्स कारपोरेशन से 986.78 करोड़ रुपये प्राप्त किये (मार्च 2007)।

स्त्रोत: यूपीपीसीएल द्वारा दी गयी सूचना।

1.16 उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग का गठन 10 सितम्बर 1998 को विद्युत नियामक आयोग अधिनियम, 1998[1] की धारा 17 के अधीन किया गया। आयोग एक निगमित निकाय है जिसमें सभापित को लेकर तीन सदस्य होते हैं जो कि राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जाते हैं। आयोग के लेखों की लेखा परीक्षा का दायित्व विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 104(2) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को सौंपा गया है। आयोग ने सितम्बर 2007 तक छः टैरिफ आदेश जारी किये हैं।

अकार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू)

अकार्यरत पीएसयू में निवेश

1.17 31 मार्च 2007 को 40 अकार्यरत पीएसयू (सभी सरकारी कम्पनियाँ) में कुल निवेश 878.96[2] करोड़ रुपये (अंशपूँजी: 391.87 करोड़ रुपये, अंश आवेदन राशि: 48.88 करोड़ रुपये तथा दीर्घावधि ऋण: 438.21 करोड़ रुपये) के सापेक्ष 31 मार्च 2006 के अन्त तक 39 अकार्यरत पीएसयू (सभी सरकारी कम्पनियाँ) में कुल निवेश 875.84 करोड़ रुपये (अंशपूँजी 391.88 करोड़ रुपये, अंश आवेदन राशि 45.85 करोड़ रुपये तथा दीर्घावधि ऋण 438.11 करोड़ रुपये) था।

मार्च 2007 के अन्त तक अकार्यरत सरकारी कम्पनियों का वर्गीकरण निम्नानुसार था:

अकार्यरत सरकारी कम्पनियों की स्थिति	कम्पनियों की संख्या	निवेश (करोड़ रुपये में)	
		अंशपूँजी[3]	दीर्घावधि ऋण
परिसमापन/बन्दी के अन्तर्गत	10	59.09	150.77
संविलय के अन्तग	3	0.47	--
निष्क्रिय/अकार्यरत कम्पनियाँ	27	381.19	287.44
योग	**40**	**440.75**	**438.21**

उपरोक्त अकार्यरत सरकारी कम्पनियों में से 10 सरकारी कम्पनियाँ, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के अन्तर्गत 4 से 32 वर्षों से परिसमापनाधीन/बन्दी के अन्तर्गत थी और इन कम्पनियों में 209.86 करोड़ रुपये का पर्याप्त धन सन्निहित था। उनके त्वरित परिसमापन अथवा पुनर्जीवन हेतु प्रभावी कदम उठाये जाने की आवश्यकता है।

अकार्यरत सरकारी कम्पनियों में क्षेत्रवार निवेश

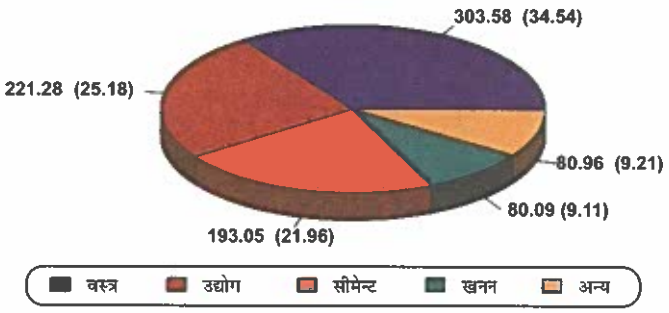
1.18 31 मार्च 2007 और 2006 के अन्त में विभिन्न क्षेत्रों में निवेश (अंशपूँजी और दीर्घावधि ऋण) और उनके प्रतिशत को निम्न पाई चार्टों में इंगित किया गया है:

1 विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 82(1) से बदल दिया गया।

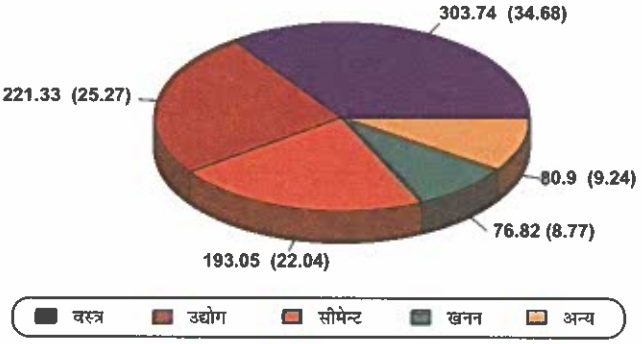
2 राज्य सरकार का निवेश 654.07 करोड़ रूपये (अन्य: 224.89 करोड़ रुपये) था। वित्त लेखे 2006-07 के अनुसार 686.17 करोड़ रुपये है। अन्तर का समाधान किया जा रहा है।

3 निष्क्रिय ध अकार्यरत सरकारी कम्पनियों के सम्बन्ध में 48.88 करोड़ रुपये की अंश आवेदन राशि मिलाकर ।

31 मार्च 2007 को
अकार्यरत सरकारी कम्पनियों में क्षेत्रवार निवेश
राशि : करोड़ रुपये में
(कोष्ठक के आंकड़े निवेश के प्रतिशत को इंगित करते है)
कुल निवेश : 878.96 करोड़ रुपये



31 मार्च 2006 को
अकार्यरत सरकारी कम्पनियों में क्षेत्रवार निवेश
राशि : करोड़ रुपये में
(कोष्ठक के आंकड़े निवेश के प्रतिशत को इंगित करते है)
कुल निवेश : 875.84 करोड़ रुपये



बजट बहिर्गमन, अनुदान/उपादान, प्रत्याभूतियाँ, बकायों की माफी तथा ऋणों का अंशपूँजी में परिवर्तन

1.19 राज्य सरकार द्वारा अकार्यरत सरकारी कम्पनियों में बजट बहिर्गमन, अनुदान/उपादान, निर्गत प्रत्याभूतियों, बकायों की माफी तथा ऋणों के अंशपूँजी में परिवर्तन के विवरण **परिशिष्ट-1 व 3** में दिये गये हैं।

वर्ष 2006-07 के दौरान अंशपूँजी के रूप में 3.03 करोड़ रुपये बजट बहिर्गमन एक* अकार्यरत कम्पनी को किया गया। मार्च 2007 के अन्त में पाँच अकार्यरत सरकारी कम्पनियों पर 37.03 करोड़ रुपये प्रत्याभूति के रूप में अवशेष थे।

अकार्यरत पीएसयू पर कुल स्थापना खर्च

1.20 अकार्यरत सरकारी कम्पनियों के 2006-07 तक के पिछले तीन वर्षों के दौरान कुल स्थापना व्यय तथा उनके वित्त पोषण के स्रोतों का वर्षवार विवरण निम्न तालिका में दिये गये है:

* उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड (परिशिष्ट-1)।

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	अकार्यरत पीएसयू की संख्या	कुल स्थापना खर्च	वित्त पोषण				
			निवेश/ परिसम्पत्तियों का निस्तारण	निजी पार्टियों से ऋण	सरकार द्वारा		अन्य
					ऋण	अनुदान	
2004-05	5	1.13	-	-	-	-	1.13
2005-06	3	0.52	-	-	-	-	0.52
2006-07	2[1]	0.51	-	-	-	-	0.51

स्रोत: कम्पनियों द्वारा दी गई सूचना।

अकार्यरत पीएसयू द्वारा लेखे का अन्तिमीकरण

1.21 40 अकार्यरत कम्पनियों में 10 कम्पनियाँ परिसमापन के अन्तर्गत थी। 30 सितम्बर 2007 को 30 अकार्यरत कम्पनियों के लेखे 1 से 25 वर्षों तक की अवधि के लिये बकाये में थे, जैसा कि **परिशिष्ट-2** से देखा जा सकता है।

अकार्यरत पीएसयू की वित्तीय स्थिति व कार्यचालन परिणाम

1.22 अद्यतन पूर्ण किये गये लेखों के अनुसार अकार्यरत सरकारी कम्पनियों के संक्षिप्त वित्तीय परिणाम **परिशिष्ट-2** में दिये गये हैं।

अद्यतन पूर्ण किये गये लेखे के अनुसार अकार्यरत सरकारी कम्पनियों की प्रदत्त पूँजी, शुद्ध मूल्य, नकद हानि तथा संचित हानि का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जा रहा है:

(करोड रुपये में)

विवरण	प्रदत्त पूँजी	शुद्ध मूल्य[2]	नकद हानि[3]	संचित हानि
अकार्यरत कम्पनियाँ	386.03	(-) 1121.39	132.81	1158.25

सांविधिक निगमों की पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों को विधायिका के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की स्थिति

1.23 निम्न तालिका सांविधिक निगमों के लेखे पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निर्गत विभिन्न पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों (एसएआर) को सरकार द्वारा विधायिका के सम्मुख प्रस्तुत किये जाने की स्थिति को इंगित करती है:

1 40 अकार्यरत कम्पनियों में से, केवल दो कम्पनियों (उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड तथा उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम लिमिटेड) ने स्थापना व्यय का विवरण उपलब्ध कराया।

2 शुद्ध मूल्य, प्रदत्त पूँजी एवं मुक्त आरक्षित निधि के योग से संचित हानि को घटाकर प्रदर्शित होती है।

3 नकद हानि, वर्ष की हानि एवं वर्ष के मूल्य ह्रास के योग को प्रदर्शित करती है।

क्रमांक	सांविधिक निगम का नाम	वर्ष जहाँ तक एसएआर विधायिका में रखी गयी	वर्ष जहाँ तक एसएआर विधायिका में नहीं रखी गयी	
			एसएआर का वर्ष	सरकार को निर्गत करने की तिथि
1	2	3	4	5
1.	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	01.04.2003 से 30.10.2003	31.10.2003 से 31.03.2004 2004-05 2005-06	11.09.2006 11.06.2007 01.10.2007
2.	उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम	1992-93	1993-94 1994-95 1995-96 1996-97 1997-98 1998-99 1999-2000 2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05	07.07.1995 18.04.1996 28.08.1998 17.12.1999 27.07.2000 20.10.2001 25.07.2002 20.02.2004 28.01.2005 21.12.2005 08.09.2006 01.05.2007
3.	उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम	2004-05	2005-06	15.06.2007
4.	उत्तर प्रदेश वन निगम*	--	1997-98 1998-99	17.08.2000 23.05.2002
5.	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद	1996-97	1997-98 1998-99 1999-2000 2000-01	22.02.2006 27.07.2006 16.11.2006 23.04.2007
6.	उत्तर प्रदेश जल निगम	1994-95	1995-96 1996-97 1997-98 1998-99 1999-2000 2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05	21.10.1997 18.02.1999 03.07.2000 19.09.2001 07.02.2002 13.02.2003 27.03.2004 30.12.2005 07.06.2006 02.02.2007

स्रोत: कम्पनियों द्वारा दी गई सूचना एवं लेखा पत्रावलियों से संकलित सूचना के आधार पर।

* लेखा परीक्षण 1997-98 से सौंपा गया।

राज्य सरकार ने 11 वर्षों के अन्तराल के बावजूद भी पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों को विधायिका के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया (उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम)। पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों को विधायिका के समक्ष प्रस्तुत न करने के कारणों को पूछा गया है किन्तु सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग ने सूचना प्रदान नही की है।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश, निजीकरण एवं पुनर्संरचना*

1.24 सरकार द्वारा बनायी गयी (जून 1994) पीएसयू के निजीकरण/विनिवेश की नीति में सभी उपक्रमों (सार्वजनिक एवं जनकल्याण की गतिविधियों तथा सार्वजनिक उपादेयता के कार्य में लगे उपक्रमों को छोड़कर) जिनकी वार्षिक हानि 10 करोड़ रुपये से अधिक थी तथा जिन्होंने अपने शुद्ध मूल्य के 50 प्रतिशत या अधिक का क्षरण कर लिया था, की समीक्षा का प्रावधान था।

निजीकरण/विनिवेश/बीआईएफआर को संदर्भित किये जाने वाले प्रकरणों की समीक्षा करने तथा निर्णय लेने एवं अन्य विकल्पों जैसे आंशिक निजीकरण, निजी उद्यमियों द्वारा प्रबन्धन, निजी उद्यमियों को पट्टे पर देने आदि को संस्तुति करने हेतु एक अधिकार प्राप्त समिति (ईसी) का गठन किया गया (दिसम्बर 1995)। ईसी की संस्तुतियों को लेखा परीक्षा के समक्ष उपलब्ध नहीं कराया गया। ईसी की संस्तुतियों पर राज्य विनिवेश आयोग का गठन किया गया था (नवम्बर 1998) किन्तु यह भंग कर दी गई (जनवरी 2000) और एक विनिवेश कमीशन (डीसी) का गठन किया गया (जनवरी 2000)।

विनिवेश प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिये एक केन्द्रीय कमेटी (सीसी) का भी गठन किया गया (जनवरी 2000)। पीएसयू के कार्य प्रणाली में सुधार, संविलयन, पुनर्संरचना, निजीकरण अथवा बन्दी में सुधार के मामलों को डीसी को सन्दर्भित करने के लिए सीसी को अधिकृत किया गया। यह विचारित था कि डीसी अपनी संस्तुतियाँ सीसी को सौपेगा।

डीसी को 27 पीएसयू का संदर्भ प्रस्तुत किया गया तथा डीसी ने इन सभी मामलों पर अपनी संस्तुतियाँ दी। सीसी ने 25 पीएसयू के मामलों पर विचार कर अपनी संस्तुतियों सौंपी। इन सभी संस्तुतियाँ को लेखा परीक्षा के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया।

पुनः एक उच्च स्तरीय विनिवेश कमेटी (एचपीडीसी) का गठन किया गया (अप्रैल 2003) तथा विनिवेश का कार्य, योजना विभाग को सौंपा गया।

सरकार ने सूचित (सितम्बर 2003) किया कि:

- प्रथम चरण में, उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड की 11 चीनी मिलों तथा उत्तर प्रदेश राज्य चीनी एवं गन्ना विकास निगम लिमिटेड की आठ बीमार तथा पाँच बन्द चीनी मिलों के लिये विनिवेश प्रक्रिया शुरू हुई।
- 27 पीएसयू, जो कि डीसी को सन्दर्भित किये गये थे, के सम्बन्ध में डीसी की संस्तुतियों पर कार्यवाही की जायेगी।

* पुनर्संरचना में पीएसयू का सम्मिलन और बन्दी सम्मिलित है।

- विभागों/पीएसयू से विनिवेश की सम्भावना के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही थी तथा प्राप्त सूचनाओं के आधार पर विनिवेश के लिये आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

- दि प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कारपोरेशन आफ उत्तर प्रदेश लिमिटेड (पिकप) को विनिवेश के लिये सलाहकार चुना गया है। नीतिगत मामलों के निर्णय तथा व्यवहारिक संस्तुतियाँ करने के लिये एचपीडीसी पिकप से सलाह ले रही थी।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा पीएसयू के लेखों की लेखा परीक्षा के परिणाम

1.25 अक्टूबर 2006 से सितम्बर 2007 की अवधि के दौरान 55 सरकारी कम्पनियों (39 कार्यरत तथा 16 अकार्यरत) तथा पाँच सांविधिक निगमों के लेखे समीक्षा हेतु चयन किये गये। पीएसयू की समीक्षा के परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा आपत्तियों का शुद्ध प्रभाव निम्न प्रकार रहा:

विवरण	लेखों की संख्या			लाख रुपये में		
	सरकारी कम्पनियाँ		सांविधिक निगम	सरकारी कम्पनियाँ		सांविधिक निगम
	कार्यरत	अकार्यरत	कार्यरत	कार्यरत	अकार्यरत	कार्यरत
1	2	3	4	5	6	7
(i) लाभ में वृद्धि	6	-	1	237.00	-	215.41
(ii) लाभ में कमी	--	-	-	--	-	-
(iii) हानि में वृद्धि	2	-	-	21544.25	-	-
(iv) हानि में कमी	6	5	1	15582.06	152.44	7.09
(v) महत्वपूर्ण तथ्यों का खुलासा न करना	4	-	1	475.53	-	341.09
(vi) वर्गीकरण की कमियाँ	5	1	1	2349.72	1.09	3.37

स्त्रोत: अक्टूबर 2006 से सितम्बर 2007 निर्गत टिप्पणियाँ एवं प्रथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

उपरोक्त में से कुछ कम्पनियों और निगमों के वार्षिक लेखों की समीक्षा के दौरान देखी गयी कुछ मुख्य त्रुटियों और चूकों की चर्चा नीचे की गयी है।

सरकारी कम्पनियों से सम्बन्धित पाई त्रुटियाँ एवं चूकें

1.26 उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड (2003-04)

- *कम्पनी ने विलम्ब भुगतान अधिभार 199.45 करोड़ रुपये का इस आधार पर प्राविधान नहीं किया कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के साथ हुये पूरक अनुबन्ध में समय पर भुगतान करने मे छूट एवं विलम्ब भुगतान पर अधिभार के उपबन्ध को हटा दिया गया था। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग, कन्डक्ट आफ बिजनेस रेगूलेशनस 2004 के अनुसार पूरक अनुबन्धों को आयोग के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत नही किया गया।*

- *अन्य चालू सम्पत्तियों (784.11 करोड़ रुपये) में 100 करोड़ रुपये का अनाधिकृत लेनदेन सम्मिलित था जिसे राज्य सरकार से प्राप्त होने योग्य दर्शाया गया। इसे समायोजन प्रविष्टि द्वारा उत्तर प्रदेश पावर सेक्टर इम्पलाईज ट्रस्ट लेखे में राज्य सरकार के बिना किसी आदेश के क्रेडिट किया गया।*

1.27 उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड (2004-05)

- उर्जा विक्रय का लेखाकंन 57.63 करोड़ रुपये के स्थान पर 47.21 करोड़ रुपये करने के कारण उर्जा विक्रय एवं विविध देनदारों को 10.42 करोड़ रुपये कम दर्शाया गया।

1.28 उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड (2005-06)

- *स्वीकृत लागत से अधिक व्यय का प्राविधान न करने के कारण चालू सम्पत्तियों (कार्य प्रगति पर/सम्पादित कार्य) एवं चालू दायित्वों को 15.52 करोड़ रुपये एवं लाभ 2.71 करोड़ रुपये अधिक दर्शाया गया।*

1.29 हैण्डलूम इन्टेन्सिव डेवलपमेन्ट प्रोजेक्ट (बिजनौर) लिमिटेड (1992-93)

- *ऋण एवं अग्रिम ज्यादा दर्शाये गये एवं हानि को, संदिग्ध ऋण जो 20 साल से अधिक समय से बकाया थे, का प्राविधान न करने के कारण कम दर्शाया गया।*

सांविधिक निगमों से संबंधित पाई गई त्रुटियाँ तथा चूकें

1.30 उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (2005-06)

- *निगम को टैक्सियों से होने वाली आय पर सेवा कर देना था लेकिन न तो इसका भुगतान किया गया और नही देने योग्य कर का निर्धारण और उनका प्राविधान लेखों में किया। सेवाकर दायित्व की गणना 2005-06 के लिये 75.78 लाख रुपये एवं 2004-05 के लिये 62.56 लाख रुपये की गई।*

पीएसयू के वित्तीय मामलों में सतत् अनियमिततायें एवं प्रणाली कमियाँ

1.31 पीएसयू के वित्तीय मामलों में निम्नलिखित सतत् अनियमिततायें एवं प्रणाली कमियों को, लेखों के लेखा परीक्षण के समय बार-बार इंगित किया गया किन्तु अभी तक इन पीएसयू ने कोई सुधारात्मक कार्यवाही नहीं की:

क्र.सं.	सरकारी कम्पनियों/सांविधिक निगमों के नाम	अनियमितताओं के प्रकार
सरकारी कम्पनियाँ		
1.	उत्तर प्रदेश जल विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	(i) विलम्ब भुगतान अधिभार की आय को उपार्जन आधार पर लेखों में न लेना। (ii) इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट 1948 (अब इलैक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 में विलीन) के स्थान पर स्थायी सम्पत्ति पर आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार ह्रास का प्रावधान करना। (iii) क्रेडिट शेष को चालू दायित्व मे दिखाने के स्थान पर डेबिट शेष को बैंक खाते के क्रेडिट शेष के विरुद्ध समायोजित करना।
2.	उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवम् विकास निगम लिमिटेड	(i)) क्रेडिट शेष को चालू दायित्व मे दिखाने के स्थान पर डेबिट शेष को बैंक खाते के क्रेडिट शेष के विरुद्ध समायोजित करना। (ii) बैंक अवशेष में कालातीत चेकों को सम्मिलित करना। (iii) लेखा परीक्षक 1982-83 से लगातार रिपोर्ट कर रहे है कि कम्पनी के लेखे सही एवं उचित स्थिति (ट्रू एण्ड फेयर व्यू) प्रदर्शित नही कर रहे है किन्तु फिर भी प्रबन्धन द्वारा इसको ठीक करने हेतु कार्यवाही नही की गई।
3.	उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड	(i) स्वीकृत प्राक्कलन से अधिक किये गये व्यय का प्रावधान न करना एवं क्लाइन्ट से अधिक व्यय किये गये धन की अनुमति न लिया जाना। (ii) 11 वर्षो से बकाया अग्रिम का प्रावधान न करना।
सांविधिक निगम		
1.	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	(i) आय की असाधारण मदों को न दर्शाना। (ii) कार्य पूर्ण होने पर अग्रिमों को समायोजित न करना।
2.	उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम	ग्राहक द्वारा काटे गये धन को आय में शामिल करना।

स्त्रोत: अक्टूबर 2006 से सितम्बर 2007 के मध्य जारी की गई टिप्पणियाँ/प्रथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित करने पर वसूलियाँ

1.32 2006-07 के दौरान पावर सेक्टर कम्पनियों के अभिलेखों की नमूना जाँच में 235 मामलों में कुल 111.48 करोड़ रुपये के राजस्व का निर्धारण न किया जाना/कम निर्धारण किया जाना, प्रकट हुआ। कम्पनी ने लेखा परीक्षा में दिखाये गये 129 मामलों में कुल 63.11 करोड़ रूपये मूल्य की आपत्तियों को स्वीकार किया जिसमें से 10 लेखा परीक्षा आपत्तियों के सम्बन्ध में 3.98 करोड़ रुपये वसूले गयें।

आन्तरिक लेखा परीक्षा/आन्तरिक नियन्त्रण

1.33 कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(3)(अ) के अन्तर्गत सीएजी द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार सांविधिक लेखा परीक्षको (सनदी लेखाकार) को उनके द्वारा लेखा परीक्षित कम्पनियों में आन्तरिक लेखा परीक्षा/आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली के विभिन्न पहलुओं पर एक विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत करना तथा उन क्षेत्रों को चिन्हित किया जाना होता है, जहाँ सुधार की आवश्यकता है। तद्नुसार, वर्ष 2006-07 के दौरान सांविधिक लेखा परीक्षकों ने नौ कम्पनियों के मामलों में आन्तरिक लेखा परीक्षा प्रणाली में खामियों को अवलोकित किया। सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा आन्तरिक लेखा परीक्षा/आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली में संभावित सुधार पर महत्वपूर्ण संस्तुतियों/टिप्पणियों की सारांश **परिशिष्ट-7** में दिया गया है। **परिशिष्ट** से यह प्रकट होता है कि मुख्य टिप्पणियाँ निम्नलिखित प्रकृति की थी:

- आन्तरिक लेखा परीक्षा पद्धति अधिकतर सरकारी कम्पनियों के व्यापार के आकार एवं प्रकृति के अनुरूप नहीं थी।
- कुछ पीएसयू में आन्तरिक लेखा परीक्षा पद्धति विद्यमान नहीं थी।

पीएसयू की बन्दी के लिये संस्तुति

1.34 अपने अस्तित्व में आने के 15 से 33 वर्षो के बाद भी नौ कार्यरत सरकारी कम्पनियाँ के कुल टर्नओवर (बिक्री एंव अन्य आय) अद्यतन अन्तिमीकृत लेखों के अनुसार पूर्ववर्ती पाँच वर्षो में से प्रत्येक में 5 करोड़ रुपये से कम रही है **(परिशिष्ट-8)**। इसी प्रकार पाँच कार्यरत सरकारी कम्पनियाँ **(परिशिष्ट-9)** लगातार पाँच वर्षो से हानि उठाती रही थी (अद्यतन अन्तिमकृत लेखों के अनुसार) जिससे शुद्ध मूल्य ऋणात्मक हो गया। क्षीण टर्नओवर और लगातार हानियों की दृष्टिकोण से, सरकार को उपरोक्त सरकारी कम्पनियों के कार्य सम्पादन में या तो सुधार करना चाहिये या उनके बन्दीकरण पर विचार करना चाहिये।

सार्वजनिक उपक्रम समिति (कोपू) द्वारा लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) पर चर्चा की स्थिति

1.35 30 सितम्बर 2007 तक सार्वजनिक उपक्रम समिति (कोपू) में विचार-विमर्श हेतु लम्बित लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की स्थिति निम्नलिखित है:

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की अवधि	लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में उल्लेखित कुल समीक्षाये एवं प्रतिवेदन		चर्चा हेतु लम्बित समीक्षाऐं एवं प्रस्तर	
	समीक्षा	प्रस्तर	समीक्षा	प्रस्तर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1982-83	5	50	4	49
1983-84	4	60	2	60
1984-85	2	14	1	14
1985-86	6	22	5	22

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1986-87	3	28	2	25
1987-88	8	23	7	23
1988-89	5	22	4	22
1989-90	6	14	6	14
1990-91	6	21	2	3
1991-92	4	38	--	5
1992-93	5	33	3	8
1993-94	5	31	2	17
1994-95	5	41	1	32
1995-96	7	39	5	19
1996-97	8	40	2	29
1997-98	5	67	3	20
1998-99	5	26	3	14
1999-2000	4	41	3	23
2000-01	5	34	3	28
2001-02	4	34	--	--
2002-03	4	38	2	3
2003-04	4	26	--	2
2004-05	4	27	--	2
2005-06	6	34	--	--
योग	**120**	**803**	**60**	**434**

अक्टूबर 2006 से 30 सितम्बर 2007 की अवधि के दौरान सार्वजनिक उपक्रम समिति (कोपू) ने 6 बैठकें की तथा 1993-94 से 2004-05 तक के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) में उल्लिखित 3 समीक्षाओं तथा 2 प्रस्तरों पर विचार-विमर्श किया।

619-ब कम्पनियाँ

1.36 कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-ब के अन्तर्गत चार कम्पनियाँ आती थी जिसमें एक कम्पनी कार्यरत थी। **परिशिष्ट-10**, इन कम्पनियों के उनके अद्यतन उपलब्ध लेखों के अनुसार प्रदत्त पूँजी, अंशपूँजी, ऋण एवं अनुदान के माध्यम से निवेश एवं संक्षिप्त कार्यचालन परिणामों के विवरण को इंगित करता है।

अध्याय-II

सरकारी कम्पनियों से सम्बन्धित निष्पादन समीक्षाएं

2.1 उत्तर प्रदेश स्माल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा कच्चे माल की खरीद एवं वितरण पर निष्पादन समीक्षा

मुख्य अंश

उत्तर प्रदेश स्माल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड का निगमन (जून 1958) राज्य में लघु पैमाने की औद्योगिक इकाईयों (एसएसआई) के संवर्द्धन एवं सहायता के उद्देश्य से हुआ था। कम्पनी ने आगरा एवं गाजियाबाद के क्षेत्रीय कार्यालयों से 3.18 करोड़ रुपये की छूट को एसएसआई इकाईयों को अन्तरित करने के बजाय एमओयू होल्डर्स को अन्तरित कर दिया।

(प्रस्तर 2.1.1 एवं 2.1.14)

वर्ष 2000-01 से 2002-03 के दौरान कम्पनी ने व्यापारिक क्रियाकलापों में संलिप्त छः बन्द/आंशिक कार्यरत इकाईयों को 25599 मीट्रिक टन लौह एवं इस्पात की आपूर्ति की और अनियमित रूप से 1.41 करोड़ रुपये की एसएसआई रिबेट प्राप्त की। कम्पनी ने 14.80 करोड़ रुपये मूल्य के 69858.65 मीट्रिक टन कोयले और 45 लाख रुपये मूल्य के 50 मीट्रिक टन स्माल आर्मस क्रश्ड ब्रास स्क्रैप गैर एसएसआई इकाईयों को आपूर्ति की।

(प्रस्तर 2.1.16, 2.1.21 एवं 2.1.23)

कोयला प्रायोजन योजना के अन्तर्गत प्राप्त कोयले के मूल्य निर्धारण करने में कम्पनी ने हैण्डलिंग और परिवहन प्रभारों, रेलवे द्वारा परिवहन की गई मात्रा का पाँच प्रतिशत के बराबर की कमी, को अनियमित रूप से भारित किया। इसके अतिरिक्त, राज्य कोटा के अन्तर्गत प्राप्त कोयले के मूल्य निर्धारण में पाँच प्रतिशत अनुषांगिक प्रभारों को भारित किया। इसके परिणामस्वरूप समन्वयकों को 77.70 लाख रुपये का अनुचित लाभ पहुँचाया गया।

(प्रस्तर 2.1.18 एवं 2.1.19)

स्क्रैप के विक्रय मूल्य के त्रुटिपूर्ण निर्धारण के कारण, कम्पनी ने 2002-03 से 2006-07 के दौरान, सिंचाई विभाग द्वारा आवंटित जले हुये ताँबे के तार और इस्पात के स्क्रैप के विक्रय में 63.33 लाख रुपये और रक्षा मन्त्रालय द्वारा आबंटित पीतल के स्क्रैप के विक्रय में 24.34 लाख रुपये के लाभांश की हानि उठाई।

(प्रस्तर 2.1.24 एवं 2.1.25)

प्रस्तावना

2.1.1 उत्तर प्रदेश स्माल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, कानपुर (यूपीएसआईसी) का निगमन (जून 1958) कम्पनी अधिनियम-1956 की धारा 34 के अन्तर्गत पूर्ण स्वामित्व वाली सरकारी कम्पनी के रूप में राज्य की लघु पैमाने की औद्योगिक

इकाईयों (एसएसआई) के सवर्द्धन एवं सहायता के उद्देश्य से हुआ था। भारत सरकार के पास सेल, आरआईएनएल और टाटा स्टील जैसे प्रमुख उत्पादकों से एसएसआई इकाईयों और अन्य शासकीय विभागों को (सकल आवंटन के 30 प्रतिशत तक) लौह एवं इस्पात के आवंटन को राज्य लघु उद्योग निगमों (एसएसआईसी) के माध्यम से पहुँचाने की योजना है। उन राज्यों में जहाँ एसएसआई या तो अकार्यरत है या अस्तित्व में नहीं है, लौह एवं इस्पात राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एसएसआईसी) के माध्यम से पहुँचाया जाता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि एसएसआई इकाईयाँ इन कच्ची सामग्रियों को उचित मूल्यों पर प्राप्त करें, सरकार निगमों को नाम मात्र के हैण्डलिंग प्रभार (जिसे एसएसआई रिबेट के नाम से जाना जाता है) प्रदान करती है ताकि निगम एसएसआई इकाईयों को उनके निकटस्थ स्थान पर इस्पात सामग्री की आपूर्ति करें। एसएसआई इकाईयों को लौह एवं इस्पात के वितरण एवं खरीद के अतिरिक्त, कम्पनी, कोयला, लौह एवं अलौह स्क्रैप की खरीद एवं एसएसआई इकाईयों को उनका वितरण भी कर रही है। कोयले की खरीद वृहत मात्रा में कोल इण्डिया लिमिटेड (सीआईएल) और उसकी सहायक कम्पनियों से की जाती है जबकि रक्षा मन्त्रालय (एमओडी) द्वारा आबंटित स्माल आर्म्स क्रस्ड ब्रास स्क्रैप (पीतल स्क्रैप) और ताँबा तथा लौह स्क्रैप की खरीद क्रमशः एमओडी के अधीन विभिन्न आयुध डिपो और सिंचाई विभाग से क्रमशः की जाती है।

कम्पनी का प्रबन्धन कम से कम तीन, अधिक से अधिक 12 निदेशको जिसमे राज्य सरकार द्वारा नामित निदेशक भी शामिल है, वाले एक निदेशक मण्डल में निहित है। वर्तमान में (मार्च 2007) कम्पनी में नामित निदेशकों एवं प्रबन्ध निदेशक सहित छः निदेशक हैं। कम्पनी के दिन-प्रतिदिन के क्रियाकलापों के प्रबन्धन में प्रबन्ध निदेशक की सहायता के लिए प्रधान कार्यालय में एक वरिष्ठ प्रबन्धक (वित्त), चार प्रबन्धक और एक अधीक्षण अभियन्ता होते है (कम्पनी का संगठनात्मक चार्ट **परिशिष्ट-11** में दिया गया है)।

लेखा परीक्षा का क्षेत्र

2.1.2 अक्टूबर 2006 से अप्रैल 2007 के दौरान सम्पादित की गई निष्पादन समीक्षा 2006-07 तक पाँच वर्षों के दौरान लौह एवं इस्पात, कोयला और लौह एवं अलौह स्क्रैप के क्रय एवं वितरण से सम्बन्धित कम्पनी के कार्य-निष्पादन को समाहित करती है।

कम्पनी के छः क्षेत्रीय कार्यालय* और वाराणसी में एक कोल डम्प है। समीक्षा की अवधि के दौरान, छः क्षेत्रीय कार्यालयों में से, कानपुर, आगरा और गाजियाबाद के क्षेत्रीय कार्यालय जो लौह एवं इस्पात के क्रय एवं वितरण में संलग्न थे। अन्य क्षेत्रीय कार्यालय जैसे- इलाहाबाद, लखनऊ और मुरादाबाद सरकारी विभागों द्वारा वाँछित मदों के विपणन सहित निर्माण, प्रदूषण नियन्त्रण और कन्साइनमेन्ट एजेन्सी के क्रियाकलापों में संलग्न थे। कम्पनी का प्रधान कार्यालय लौह एवं अलौह स्क्रैप के क्रय में संलग्न था।

* इलाहाबाद, कानपुर, आगरा, गाजियाबाद, लखनऊ और मुरादाबाद।

लेखा परीक्षण में प्रधान कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालय कानपुर, आगरा और गाजियाबाद एवं कोलडम्प वाराणसी, जिनकी समीक्षा की अवधि के दौरान बिक्री 309.21 करोड़ रुपये थी, के अभिलेखों की जाँच की गयी।

लेखा परीक्षा के उद्देश्य

2.1.3 निष्पादन समीक्षा के लेखा परीक्षा उद्देश्यों में निर्धारित करना था कि:

- राज्य में एसएसआई इकाईयों के संवर्द्धन एवं सहायता करने का कम्पनी का उद्देश्य प्राप्त हुआ;
- लौह एवं इस्पात और कोयले की माँग क्रमश: केन्द्रीय इस्पात मन्त्रालय (एमओएस) और उत्तर प्रदेश के आयुक्त एवं उद्योग निदेशक (सीएण्डडीआई) को प्रस्तुत की गयी;
- एमओयू होल्डर्स और हैण्डलिंग ठेकेदारों/समन्वयकों की नियुक्ति उचित रूप से की गयी;
- कच्ची सामग्रियों का वितरण लक्षित एसएसआई इकाईयों को किया गया;
- क्रय की गई कच्ची सामग्रियों का भण्डारण पर्याप्त रूप से और कम्पनी द्वारा दिये गये मानकों के अनुरूप किया गया; और
- कच्चे माल के उपयुक्त वितरण को सुनिश्चित करने के लिए एक पर्याप्त अनुश्रवण और आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली विद्यमान थी।

लेखा परीक्षा की कसौटी

2.1.4 लेखा परीक्षा के उद्देश्यों की उपलब्धियों के निर्धारण के लिए निश्चित की गयी लेखा परीक्षा कसौटियाँ थीं:

- एसएसआई इकाईयों की स्थापित क्षमता के आधार पर कम्पनी द्वारा माँग का मूल्यांकन;
- कम्पनी द्वारा रजिस्टर्ड माँग के विरुद्ध एमओएस द्वारा लौह एवं इस्पात और कोयले का कोयला नियन्त्रक द्वारा आवंटन/बंटन;
- आवंटन/बंटन के विरुद्ध कच्ची सामग्रियों के क्रय की प्रक्रिया;
- सेल के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) और आरआईएनएल के साथ दीर्घकालीन संविदा (एलटीसी) के प्रावधान;
- कच्चे माल के समन्वयकों/हैण्डलिंग ठेकेदारों और एमओयू होल्डर्स/ समन्वयकों के साथ निष्पादित समझौता/एमओयू की नियम एवं शर्तें, और
- कच्चे माल के वितरण और भण्डारण से सम्बन्धित राज्य सरकार/प्रबन्धन द्वारा जारी किये गये दिशानिर्देश।

लेखा परीक्षा प्रक्रिया

2.1.5 लेखा परीक्षा कसौटियों के संदर्भ में लेखा परीक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अपनायी गयी प्रक्रिया में निम्नलिखित की जाँच करना था:

- लघु औद्योगिक इकाईयों को कच्ची सामग्रियों के वितरण एवं क्रय के लिए सरकारी नीतियाँ, दिशानिर्देश;
- निदेशक मण्डल की बैठकों कर कार्यसूची एवं कार्यवृत्त और प्रबन्धन द्वारा जारी निर्देश/परिपत्र;
- लौह एवं इस्पात के क्रय के लिए सेल के साथ किये गये एमओयू और आरआईएनएल के साथ किये गये एलटीसी और मन्त्रालय/शासकीय विभागों द्वारा कच्चे माल का आवंटन/बंटन और उनके विरुद्ध कम्पनी द्वारा उठायी गयी सामग्रियों की जाँच;
- कच्चे माल के हैण्डलिंग ठेकेदारों और समन्वयको के साथ निष्पादित समझौता;
- भौतिक सत्यापन रिर्पोट, वार्षिक प्रतिवेदनों, मासिक प्रगति प्रतिवेदनों और वित्तीय विवरणों की जाँच; और
- लेखा परीक्षा प्रश्नावली जारी करना और प्रबन्धन के साथ विचार विमर्श।

लेखा परीक्षा प्रेक्षण

2.1.6 निष्पादन समीक्षा के परिणामस्वरूप लेखा परीक्षा आपत्तियों को प्रबन्धन/शासन को जून 2007 में प्रतिवेदित किया गया और सार्वजनिक उपक्रमों की लेखा परीक्षा समीक्षा समिति (एआरसीपीएसई) की बैठक में उनकी चर्चा (29 अगस्त 2007) की गई। बैठक में विशेष सचिव (उद्योग), उत्तर प्रदेश शासन सह कम्पनी प्रबन्ध निदेशक उपस्थित हुए। समीक्षा के अन्तिमीकरण में प्रबन्धन/शासन के प्रतिनिधियों द्वारा व्यक्त किये गये विचारों को ध्यान में रखा गया है।

लेखा परीक्षा प्रेक्षणों की चर्चा अग्रलिखित प्रस्तरों में की गई है:

एसएसआई इकाईयों के संवर्द्धन एवं सहायता में कम्पनी के उद्देश्यों की प्राप्ति

2.1.7 कम्पनी का उद्देश्य प्राथमिक रूप से, कच्चे माल तथा लौह एवं इस्पात, कोयला, लौह एवं अलौह स्क्रैप को तर्कसंगत दरों पर आपूर्ति के द्वारा राज्य की एसएसआई इकाईयों की सहायता एवं संवर्द्धन करना था। यह देखा गया कि कम्पनी अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में असफल रही जिसकी चर्चा नीचे की गई है:

- कम्पनी द्वारा ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों में अवस्थित 285220 एसएसआई इकाईयों को उनके निकटस्थ स्थानों पर तर्कसंगत दरों पर कच्चे माल की आपूर्ति की जानी थी। कम्पनी ने न तो एसएसआई इकाईयों की आवश्यकताओं का विश्लेषण किया और न ही इस्पात और कोयले की उनकी आवश्यकताओं के निर्धारण के आधार पर इन इकाईयों का अलग-अलग वर्गीकरण किया। कम्पनी के पास इन इकाईयों द्वारा कच्चे माल के उपभोग से सम्बन्धित आँकड़े नहीं थे। अत: लेखा परीक्षा में कच्चे माल के आवंटन और इन एसएसआई इकाईयों द्वारा उनके उपयोग की सत्यता का सत्यापन नहीं किया जा सका। इलाहाबाद, कानपुर, आगरा और

गाजियाबाद में कच्चे माल के चार भण्डार (आरएमडी) थे। इन आरएमडी में से इलाहाबाद 2001-02 से अकार्यशील था। परिणामत:, सम्पूर्ण पूर्वी क्षेत्र की 171431 एसएसआई इकाईयाँ योजना के लाभों से वंचित रही। इसके अतिरिक्त, कम्पनी लखनऊ, नोएडा, वाराणसी, खुर्जा, फिरोजाबाद और मुरादाबाद में अवस्थित अन्य छ: का उपयोग करने में असफल रही। आयुक्त एवं उद्योग निदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा सम्पादित उद्योगों की तीसरी गणना (2001-02) के परिणामों से यह परिलक्षित होता है कि पंजीकृत एसएसआई इकाईयों की 9.34 प्रतिशत इकाईयाँ कच्चे माल की अनुपलब्धता के कारण रुग्ण थीं।

- एमओएस द्वारा जारी (मार्च 1972) अनुदेशों में प्राविधानित था कि कम्पनी को विभिन्न क्षेत्रों की लौह एवं इस्पात की आवश्यकता का निर्धारण करना चाहिए था और डिपो का एक विस्तृत नेटवर्क संचालित करना चाहिए था जिससे कि एसएसआई इकाईयाँ लम्बी दूरियों को तय किये बिना निकटस्थ स्त्रोत से सामग्रियों को प्राप्त करने योग्य हों। फिर भी, अभिलेखों की जाँच से प्रकट हुआ कि गाजियाबाद एवं आगरा के आरएमडी द्वारा इलाहाबाद और कानपुर में अवस्थित इकाईयों को लौह एवं इस्पात की आपूर्ति की गई और परिवहन लागत एसएसआई इकाईयों द्वारा वहन की गई।

- कम्पनी नगण्य संख्या में एसएसआई इकाईयों को लौह एवं इस्पात की आपूर्ति कर सकी। लौह एवं इस्पात का उपभोग करने वाली 20000 पंजीकृत इकाईयों (2000-01) के विरुद्ध यह केवल 179 इकाईयों* (0.90 प्रतिशत) को लौह एवं इस्पात उपलब्ध करा सकी। क्षेत्रीय विकास आयुक्त (लौह एंव इस्पात) द्वारा किये गये सत्यापन (सितम्बर 2001) में परिलक्षित होता है कि लौह एवं इस्पात की आपूर्ति व्यापारिक गतिविधियों से संलिप्त बन्द/आँशिक कार्यशील इकाईयों को की जा रही थी। अत: वास्तविक एसएसआई इकाईयों को लौह एवं इस्पात का वितरण सुनिश्चित करने में कम्पनी की असफलता के कारण व्यापारिक गतिविधियों में संलिप्त इकाईयों को अनुचित लाभ पहुँचाया गया जिसकी चर्चा प्रस्तर 2.1.15 में की गई है।

- पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश के लघु उद्योग निगम लाभार्थी एसएसआई इकाईयों को उनके संवर्द्धन के लिए एसएसआई रिबेट के कुछ अंश का अन्तरण कर रहे थे जबकि कम्पनी ने इसे एमओयू होल्डर्स को प्रोत्साहन राशि के रूप में उपलब्ध कराया। अत: एमओयू होल्डर्स के साथ की गई व्यवस्था एमओएस की योजना की भावनाओं के अनुरूप नही है जिसकी चर्चा प्रस्तर 2.1.13 में की गई है।

- 2006-07 तक पिछले पाँच वर्षो के दौरान कोयले की कुल बिक्री 76247.870 मीट्रिक टन के विरुद्ध कम्पनी केवल 6389.220 मीट्रिक टन (8.38 प्रतिशत) कोयला एसएसआई इकाईयों को बेच सकी और 14.80

* 2002-03: 26, 2003-04: 8, 2004-05: 35 और 2005-06: 110

करोड़ रुपये मूल्य के 69858.65 मीट्रिक टन (91.62 प्रतिशत) कोयले की अवशेष मात्रा का विक्रय शासकीय आदेशों के उल्लंघन करके गैर एसएसआई इकाईयों को किया गया। इलाहाबाद में व्यापार कर विभाग के अधिकारियों द्वारा की गई जाँच (मार्च 2001) से यह प्रकट हुआ कि एसएसआई इकाईयों को आवंटित कोयले की आपूर्ति व्यापारियों तथा ईट भट्ठा स्वामियों को की जा रही थी। अत: शासकीय आदेशों की अवहेलना करके कोयला गैर एसएसआई इकाईयों को बेचा गया और एसएसआई इकाईयों को उचित दरों पर कोयले की आपूर्ति के वांछित उद्देश्य की प्राप्ति नही हो सकी जिसकी चर्चा प्रस्तर 2.1.20 में की गई है।

- कम्पनी ने न तो एसएसआई इकाईयों को उचित दरों पर स्क्रैप की आपूर्ति के लिए कोई निरन्तर नीति लागू की और न ही भारतीय रेल, यूपीएसआरटीसी और यूपीपीसीएल जैसे वृहत स्क्रैप उत्पादकों से स्क्रैप की क्रय की संभावनाओं की खोज की। अत: अधिकांश एसएसआई इकाईयाँ स्क्रैप सामग्रियों से वंचित रहीं जिसकी चर्चा प्रस्तर 2.1.22 में की गई है।

2.1.8 कच्चे माल का क्रय, उठान एवं एसएसआई इकाईयों को उनके वितरण के क्रियाकलाप, लौह एवं इस्पात के संदर्भ में एमओयू होल्डर्स द्वारा तथा कोयले एवं स्क्रैप के संदर्भ में समन्वयकों द्वारा सम्पादित किये जाते है। लौह एवं इस्पात, कोयला और स्क्रैप का क्रय, आवंटन, उठान, एमओयू होल्डर्स/समन्यकों को भुगतान और एसएसआई इकाईयों को आपूर्ति से सम्बन्धित विभिन्न पहलुओं की चर्चा नीचे की गई है:

लौह एवं इस्पात

आवंटन एवं उठान

लौह एवं इस्पात की आबंटित मात्राओं की उठान न होने के कारण एसएसआई रिबेट प्राप्त नही हुई।

2.1.9 कम्पनी, क्षेत्रीय प्रबन्धकों और क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यरत एमओयू होल्डर्स के साथ हुई परिचर्चाओं एवं पूर्व वर्षों में सामग्रियों की उठान की शैली के आधार पर एसएसआई इकाईयों की लौह एवं इस्पात की माँग का निर्धारण करती है। लौह एवं इस्पात की माँग के निर्धारण के लिए कम्पनी द्वारा अनुकरण की गई प्रक्रिया अपर्याप्त थी, क्योंकि यह राज्य की एसएसआई इकाईयों की क्षमता/आवश्यकता पर आधारित नहीं थी।

राज्य की एसएसआई इकाईयों को आपूर्ति के लिए एमओएस द्वारा किये गये आबंटन और स्वयं द्वारा प्रस्तुत की गई माँग के विरुद्ध, कम्पनी लौह एवं इस्पात का क्रय मुख्य उत्पादकों (सेल और आरआईएनएल) से करती है। चूँकि कम्पनी के पास मुख्य उत्पादकों से लौह एवं इस्पात का क्रय तथा एसएसआई इकाईयों को उसके वितरण के कार्यों को सम्पादित करने के लिए पर्याप्त आधारभूत संरचना नहीं थी, ये कार्य उन एमओयू होल्डर्स के माध्यम से कराये गये जिनके साथ कम्पनी का एमओयू था। एसएसआई इकाईयों को लौह एवं इस्पात की आपूर्ति के लिए, कम्पनी ने एमओयू होल्डर्स से अग्रिम में धनराशि लेना प्रारम्भ कर दिया (2004-05)। एमओयू होल्डर्स की नियुक्ति का प्राविधान एमओएस की योजना में

नही था जिसके अन्तर्गत कम्पनी मुख्य उत्पादकों से उठायी गयी और एसएसआई इकाईयों को दी गई मात्राओं पर 550 रुपये प्रति मीट्रिक टन की दर से एसएसआई रिबेट प्राप्त करती रही थी। एमओयू की प्रमुख अंश निम्नवत् है:

- सामग्रियों की उठान के लिए एमओयू होल्डर्स को स्थायी वित्तीय व्यवस्था करनी था;
- एमओयू होल्डर्स को यह समझना और कम्पनी को आश्वस्त कराना था कि उनके द्वारा दिये गये ग्राहक पूर्णतया: अर्ह एसएसआई इकाईयाँ है तथा एमओयू होल्डर्स से यह भी अपेक्षित था कि वे उठान की निरन्तरता बनाये रखेंगे और माल का सम्प्रेषण राज्य में उन एसएसआई इकाईयों को त्वरित रूप से करेगें जिनकी ओर से वे सामग्री प्राप्त कर रहे हैं।
- एमओयू होल्डर्स को भुगतान उन छूटों में से होता है जो एसएसआई इकाईयों को अन्तरित करने के लिए मुख्य उत्पादकों द्वारा दी जाती है।

2.1.10 नीचे दी गई सारिणी, 2006-07 तक पिछले पाँच वर्षो के दौरान कम्पनी द्वारा वर्षवार पंजीकृत माँग, एमओएस द्वारा किये गये आबंटन और कम्पनी द्वारा उठाये गये लौह एवं इस्पात को इंगित करती है:

(मात्रा मीट्रिक टन में)

वर्ष	कम्पनी द्वारा एमओएस को पंजीकृत कराई गई माँग	एमओएस द्वारा किया गया आबंटन	माँग के सापेक्ष आबंटन का प्रतिशत	आबंटन के सापेक्ष कम्पनी द्वारा की गई उठान	उठान का प्रतिशत		उठान न की गई मात्रा
					माँग के सापेक्ष	आबंटन के सापेक्ष	
2002-03	72,000	18,760	26.06	1,934	2.69	10.31	16,826
2003-04	78,500	23,300	29.68	निरंक	--	--	23,300
2004-05	52,600	35,760	67.98	12,740	24.22	35.63	23,020
2005-06	58,600	44,767	76.39	43,873	74.87	98.00	894
2006-07	72,700	51,973	71.49	43,116	59.31	82.96	8,857
योग	**3,34,400**	**1,74,560**	--	**1,01,663**			**72,897**

स्त्रोत: एसओएस के आवंटन आदेश तथा विक्रय पंजिका।

उपरोक्त सारिणी से यह प्रकट होता है कि कम्पनी किसी भी वर्ष में आबंटित मात्रा का उठान नहीं कर सकी। 2002-03 से 2006-07 के दौरान माँग के सापेक्ष उठाई गई मात्राओं का प्रतिशत 2.69 से 74.87 प्रतिशत तक था। आवंटित मात्रा के सापेक्ष 2002-03 से 2006-07 के दौरान लौह एवं इस्पात की उठान का प्रतिशत 10.31 से 98 प्रतिशत तक था। अत: पंजीकृत माँग एसएसआई इकाईयों की माँग पर आधारित नहीं थी। एमओयू होल्डर्स द्वारा उधार पर उठाई गई मात्राओं के लिए भुगतान न किये जाने के कारण कम्पनी आवंटित मात्राओं के लिए भुगतान करने की स्थिति में नहीं थी। अत: कम्पनी और एमओयू होल्डर्स के बीच क्रियाकलाप सन्देहमुक्त नहीं है। चूंकि कम्पनी ने 31 मार्च 2001 को सेल को देय राशि 9.34 करोड़ रुपये के भुगतान में चूक की, अत: सेल ने आपूर्ति रोक दी (अप्रैल 2001) और अग्रिम भुगतान के लिए आग्रह किया।

कम्पनी ने लौह एवं इस्पात की आरआईएनएल और सेल से उठान क्रमश: 2004-05 तथा 2005-06 से पुन: प्रारम्भ की। आवंटित मात्राओं की उठान न करने के कारण एसएसआई रिबेट प्राप्त नहीं हुई।

एएओयू होल्डर्स के साथ किये गये एमओयू में पायी गयी कमियों की चर्चा नीचे की गई है:

कम्पनी ने न तो समिति की अनुशंसाओं का पालन किया और न ही स्थिर नीतियाँ अपनाई जिसके परिणामस्वरूप सामग्री की कमी हुई।

2.1.11 एमओयू के नियम एवं शर्तों की समीक्षा करने के लिए कम्पनी द्वारा गठित (अगस्त 2004) समिति की अनुशंसाओं के अनुसार एमओयू होल्डर्स और मुख्य उत्पादकों के स्टॉकयार्ड/रेलवे साइडिंग से लौह एवं इस्पात की उठान करने और कम्पनी के क्षेत्रीय कार्यालयों के कच्चे माल डिपो तक उसको परिवहन करने के उद्देश्य से हैण्डलिंग ठेकेदारों के रूप में अलग-अलग व्यक्तियों की नियुक्ति की जानी चाहिए थी। कम्पनी ने न तो समिति की अनुशंसाओं का पालन किया और न ही एमओयू होल्डर्स की नियुक्ति के लिए स्थिर नीतियाँ अपनाई, जिसकी चर्चा नीचे की गई है:

- दो सगे भाइयों के स्वामित्व वाली एमओयू होल्डर्स तथा हैण्डलिंग ठेकेदारों (कम्पनी द्वारा नियुक्त) की फर्मों के बीच दुरभिसंधि होने व बाद वाली फर्म द्वारा आरएमडी कानपुर को 1.35 करोड़ रुपये मूल्य के 944.25 मीट्रिक टन लौह व इस्पात की सुपर्दगी न देने के पूर्व प्रमाण थे (अक्टूबर 2000)। तथापि, कम्पनी ने इन्ही फर्मों को क्षेत्रीय कार्यालय आगरा एवं गाजियाबाद में एमओयू होल्डर्स तथा हैण्डलिंग ठेकेदार फर्म के रूप में नियुक्त किया (2004-05) और समझौते की अवधि को आगामी वर्षो (2005 से 2007) के लिए बढ़ा दिया। त्रुटि करने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध न तो कोई कार्यवाही की गई और न ही कोई जाँच की गई।
- गाजियाबाद के दो एमओयू धारक (देवरहा स्टील्स व डीवी स्टील्स) 2000-01 के दौरान आगरा में 8.21 करोड़ रुपये मूल्य के 5591.310 मीट्रिक टन और गाजियाबाद में 2.78 करोड़ रुपये मूल्य के 1845.355 मीट्रिक टन लौह एवं इस्पात की कमी के लिये उत्तरदायी थे। इन कमियों को परवर्ती वर्षो में एसएसआई इकाईयों के नाम से कम पाई गई मात्राओं के लिये बीजक जारी कर पूरा किया गया। कम्पनी ने उनको दण्डित करने व काली सूची में डालने के बजाय इन्हें वर्ष 2005-06 एवं 2006-07 के लिये आगरा और गाजियाबाद के क्षेत्रीय कार्यालयों में इस अनोखे आधार पर पुनर्नियुक्त किया कि चालू समझौते की अवधि चालू रहने के दौरान कमी की धनराशि को उनसे वसूल किया जायेगा। तथापि, कमियों के विरुद्ध एमओयू धारक से वसूली योग्य धनराशि अनिर्धारित पड़ी रही (अगस्त 2007) और वसूलियाँ अभी तक (अगस्त 2007) की जानी बाकी थी।
- निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, क्षेत्रीय कार्यालय हैण्डलिंग ठेकेदारों को एक वर्ष की अवधि के लिये नियुक्त करते थे। यह संज्ञान में आया कि क्षेत्रीय कार्यालय गाजियाबाद ने निक्की एसोसिएट्स, गाजियाबाद को नियुक्ति

की अवधि का उल्लेख किये बिना 88 रुपये प्रति मीट्रिक टन पर हैण्डलिंग ठेकेदार नियुक्त किया (अप्रैल 2004)। कम्पनी ने बिना किसी आकस्मिक आवश्यकता और पर्याप्त कारण के मध्यकालिक निविदा आमंत्रित की (सितम्बर 2004) और निक्की एसोसिएट्स (प्राप्त तीन निविदाओं में से न्यूनतम होने के कारण) को 110 प्रति मीट्रिक टन की उच्चतर दर पर मार्च 2005 तक अवशेष छः माह के लिये पुनर्नियुक्त किया। इसके परिणामस्वरूप, अक्टूबर 2004 से मार्च 2005 के दौरान उठाई गई 6770 मीट्रिक टन लौह एवं इस्पात की मात्रा पर 1.49 लाख रुपये का परिहार्य व्यय किया गया।

उच्चतर दरों पर प्रोत्साहन राशि का भुगतान

2.1.12 कम्पनी ने लौह एवं इस्पात के व्यवसाय को बढ़ाने के उद्देश्य से लौह एवं इस्पात के लिये प्रोत्साहन योजना लागू की (मई 1997)। निदेशक मण्डल ने पूर्ववर्ती (जुलाई 1998) से योजना को रोकने का निर्णय लिया (मार्च 1999) क्योंकि यह इच्छित परिणाम देने में असफल रही।

विवेकपूर्ण कारण के बिना प्रोत्साहन योजना के दोबारा प्रारम्भ करने के फलस्वरूप 50.54 लाख रुपये का परिहार्य भुगतान हुआ।

यह देखा गया (मार्च 2007) कि निदेशक मण्डल का अनुमोदन लिये बिना, कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक ने वर्ष 2004-05 के लिये एमओयू धारकों के लिये प्रोत्साहन योजना को दोबारा शुरू करने का निर्णय लिया (अगस्त 2004)। योजना में 75 रुपये प्रति मीट्रिक टन की दर से प्रोत्साहन राशि का प्रावधान था। निदेशक मण्डल ने, यह विचार कर कि बाजार की स्थिति मंद थी, वर्ष 2005-06 के दौरान एमओयू धारकों को स्लैब पर आधारित प्रोत्साहन* राशि का भुगतान करने का निर्णय लिया (जुलाई 2005)। अगस्त 2005 से लौह एवं इस्पात की बढ़ती दरों और सुधरी बाजार परिस्थितियों पर पुर्नविचार किये जाने की आवश्यकता थी, लेकिन प्रबन्ध निदेशक ने स्लैब आधारित प्रोत्साहन राशि के भुगतान पर पुर्नविचार करने के बजाय इसे पश्चातवर्ती वर्ष (2006-07) के लिये लागू करने का निर्णय लिया (जून 2006)। इसके परिणामस्वरूप 2005-06 और 2006-07 के वर्षों के दौरान एमओयू धारकों को 41444 मीट्रिक टन इस्पात की उठान पर प्रोत्साहन राशि को स्लैबवार दर के आधार पर आगणित करने के कारण 50.54 लाख रुपये का परिहार्य भुगतान किया गया।

एमओयू धारकों को छूट का भुगतान

2.1.13 एमओएस योजना के अर्न्तगत कम्पनी, एसएसआई इकाईयों को मुख्य उत्पादकों के बीजक मूल्य में अनुमन्य एसएसआई रिबेट 550 रुपये प्रति मीट्रिक टन जोड़कर लौह एवं इस्पात की आपूर्ति करती है। इसके अतिरिक्त कम्पनी को विपणन यन्त्रों के रूप में विभिन्न छूटें मुख्य उत्पादकों द्वारा अनुमन्य की जाती हैं। मुख्य उत्पादकों द्वारा अनुमन्य ये छूटें बैक-टू-बैक आधार पर एसएसआई इकाईयों को पहुँचायी जानी थी। इसके विरुद्ध, कम्पनी ने एमओयू धारकों से समझौते निष्पादित किये (2002 से 2007 तक) जिसमें इन छूटों की सम्पूर्ण राशि को एमओयू धारकों को दिये जाने का प्रावधान था। इसके परिणामस्वरूप 2005 से

* 75 रुपये प्रति मीट्रिक टन: 2500-5000 मीट्रिक टन के लिये, 100 रुपये प्रति मीट्रिक टन 5001-7500 मीट्रिक टन के लिये, 125 रुपये प्रति मीट्रिक टन: 7501 मीट्रिक टन एवं अधिक के लिये।

विपणन यन्त्रों को सीधे एमओयू धारकों को हस्तगत किये जाने के परिणामस्वरूप एसएसआई इकाईयों को 3.18 करोड़ रुपये के लाभों से वंचित रखा गया।

2007 के दौरान आगरा और गाजियाबाद क्षेत्रीय कार्यालयों के एमओयू धारकों द्वारा की गई आपूर्तिओं के लिये एसएसआई इकाईयों को 3.18 करोड़ रुपये के लाभों से वंचित रखा गया। जहाँ तक एमओयू धारकों को भुगतान किये जाने का सम्बन्ध है, कम्पनी द्वारा उन्हें एसएसआई छूट में से भुगतान किया जाना चाहिये था जिसे वह हैण्डलिंग प्रभारों की तरह मुख्य उत्पादकों से प्राप्त करती है। अत: एमओयू धारकों के साथ की गई व्यवस्था, एमओएस की योजना की मूल भावना के अनुरूप नही थी।

मात्रा आधारित कारोबार छूट का भुगतान

2.1.14 कम्पनी क्रमश: आरआईएनएल और सेल से लौह एवं इस्पात की उठान पर दीर्घकालीन अनुबन्ध बोनस (एलटीसी बोनस) तथा टर्नओवर डिस्काउन्ट (टीओडी) के रूप में मात्रा आधारित वार्षिक कमिटमेंट इन्सेन्टिव प्राप्त करती है। कम्पनी की नीति के अनुसार, टीओडी/एलटीसी बोनस का 90 प्रतिशत एसएसआई इकाईयों को दिया जाना था। तथापि, कम्पनी ने एमओयू धारकों से समझौते निष्पादित किये जिनमें टीओडी/एलटीसी बोनस का 90 प्रतिशत उनके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिये एमओयू धारकों को प्रदान किये जाने का प्रावधान था। इसके परिणामस्वरूप एमओयू धारकों को अनुचित लाभ पहुँचाया गया जिसकी चर्चा नीचे की गई है:

- कम्पनी ने क्रमश: 2004-05 तथा 2005-06 के दौरान क्षेत्रीय कार्यालयों आगरा और गाजियाबाद के सम्बन्ध में 21.73 लाख रुपये का एलटीसी बोनस प्राप्त किया। लेकिन इसे एसएसआई इकाई को पहुँचाने के बजाय कम्पनी ने एलटीसी बोनस के 90 प्रतिशत (19.56 लाख रुपये) का भुगतान एमओयू धारकों को कर दिया जिससे उनको अनुचित लाभ दिया गया।
- वायर राड्स की टाई-अप योजना के अन्तर्गत, सेल ने 24000 मीट्रिक टन से कम की मात्राओं के लिये 200 रुपये प्रति मीट्रिक टन और 24000 मीट्रिक टन या उससे अधिक की मात्राओं के लिये 250 रुपये प्रति मीट्रिक टन की दर से स्लैबवार टीओडी का प्रस्ताव रखा (2001-01)। कम्पनी ने अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिये वर्ष के दौरान 24000 मीट्रिक टन वायर राड्स उठाने हेतु वायदा किया। कम्पनी ने 23852.64 मीट्रिक टन के लिये 250 रुपयें प्रति मीट्रिक टन की दर से 59.63 लाख रुपये का दावा किया (नवम्बर 2005) जिसके विरुद्ध सेल ने बताया (फरवरी 2006) कि कम्पनी निर्धारित समय सीमा के अन्दर केवल 23122 मीट्रिक टन वायर राड्स की उठान कर सकी और 200 रुपये प्रति मीट्रिक टन (कम्पनी द्वारा दावा किये गये 250 रुपये प्रति मीट्रिक टन के बजाय) की दर से 46.24 लाख रुपये का डिस्काउन्ट अनुमन्य किया। अत: 878 मीट्रिक टन कम मात्रा उठाने की वजह से कम्पनी ने 250 रुपये प्रति मीट्रिक टन की दर से 13.76 लाख रुपये (24000 मीट्रिक टन × 250 रुपये – 23122 मीट्रिक टन × 200 रुपये) टीओडी अर्जित करने का अवसर खो दिया।

इसके अलावा, 46.24 लाख रुपये की कथित छूट के विरुद्ध, क्षेत्रीय कार्यालय, आगरा ने टीओडी का 90 प्रतिशत (16.40 लाख रुपये) एसएसआई इकाईयों को

नहीं पहुँचाया (अन्य क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा प्राप्त टीओडी मार्च 2007 तक समायोजन हेतु लम्बित थी)।

व्यापारिक गतिविधियों में संलिप्त इकाईयों को लौह एवं इस्पात की आपूर्ति

कम्पनी ने वास्तविक एसएसआई इकाईयों के बजाय व्यापारिक गतिविधियों में संलिप्त इकाईयों को लौह एवं इस्पात की आपूर्ति की और 1.41 करोड़ रुपये की एसएसआई रिबेट त्रुटिपूर्ण तरीके से प्राप्त की।

2.1.15 एमओएस के क्षेत्रीय विकास आयुक्त (आरडीसी) के संज्ञान में ऐसे मामले आये (सितम्बर 2001) जहाँ एसएसआई इकाईयों से इतर अन्य इकाईयों को आपूर्ति की गई थी। मामलों के विस्तृत विवरण की चर्चा नीचे की गई है:

वर्ष 2000-01 और 2001-02 के दौरान क्रमश: 42555.71 मीट्रिक टन तथा 8336.513 मीट्रिक टन लौह एवं इस्पात की बिक्री में से कम्पनी ने 2000 से 2002 के दौरान क्रमश: 18171 मीट्रिक टन (सकल बिक्री का 43 प्रतिशत) व 6542.96 मीट्रिक टन (सकल बिक्री का 77 प्रतिशत) छ: समान इकाईयों को बार-बार बेचा। आरडीसी द्वारा किये गये (सितम्बर 2001) स्थल सत्यापन से यह प्रकट हुआ कि ये इकाईयाँ बन्द/आंशिक कार्यशील थी और व्यापारिक गतिविधियों में संलिप्त थीं। आरडीसी के उप विकास आयुक्त के द्वारा बताये जाने पर कम्पनी ने इन फर्मो को काली सूची में डाल दिया (दिसम्बर 2001)। कथित आदेश के विरुद्ध काली सूची की दो इकाईयों (इस्पात की अलमारी और अनाज भण्डारण टैंक बनाने वाली) ने आरडीसी के सम्मुख अपना पक्ष रखा (फरवरी 2002) और 100 मीट्रिक टन लौह एवं इस्पात का तदर्थ आवंटन प्राप्त करने में सफल रहीं (मई 2002)। **कम्पनी ने 100 मीट्रिक टन के विरुद्ध एचआर/सीआर/जीपी शीट्स (जोकि इस्पात की अलमारी व अनाज भण्डारण टैंक के निर्माण के लिये मुख्य कच्ची सामग्री थी) के स्थान पर वायर राड्स (फासनर्स और तार खीचने में प्रयुक्त किये जाने वाला) की कुल 349 मीट्रिक टन मात्रा इन इकाईयों को आपूर्ति की।** आरडीसी ने कम्पनी को निर्मित सामग्री के विक्रय/उपयोग से सम्बन्धित विवरण प्रदान करने के लिये कहा (नवम्बर 2002) और ऐसा करने मे असफल रहने की स्थिति में, कम्पनी को इन इकाईयों को काली सूची में डालने का निर्देश दिया। यद्यपि दोनो इकाईयाँ वाँछित विवरण उपलब्ध कराने में असफल रहीं, कम्पनी ने अलमारी/अनाज भण्डारण टंकी बनाने वाली इन इकाईयों को सामग्री (ऊपर संदर्भित 349 मीट्रिक टन वायर राड्स को सम्मिलित करते हुये कुल 885.025 मीट्रिक टन मात्रा) की आपूर्ति जारी रखी (फरवरी 2003 तक)। अत: कम्पनी ने इन इकाईयों को निर्माण के उद्देश्य के स्थान पर व्यापार के लिये सामग्री की त्रुटिपूर्ण आपूर्ति की। कम्पनी ने 25598.985 मीट्रिक टन की मात्रा पर 1.41 करोड़ रुपये की एसएसआई छूट भी प्राप्त की, यद्यपि वो इसे प्राप्त करने की हकदार नही थी।

कोयला

2.1.16 कम्पनी ने राज्य की एसएसआई इकाईयों की आवश्यकता के अनुसार कोयले की वार्षिक माँग का निर्धारण कभी नही किया बल्कि वर्ष 2000 के दौरान आबंटित मात्रा के आधार पर कोयले का आबंटन करने के लिए सीएण्डडीआई से निवेदन किया। कोयला उपभोग करने वाली एसएसआई इकाईयों की संख्या को निर्धारित करने के लिए कम्पनी ने उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से सम्पर्क

नहीं किया जिससे कि कोयले का उपभोग करने वाली एसएसआई इकाईयों की संख्या का अनुमान लगाया जा सके।

कम्पनी सीआईएल द्वारा रेलवे के माध्यम से निर्धारित कोयले की उठान के लिये अधिकतम अनुमन्य मात्रा (एमपीक्यू) और सड़क द्वारा उठान के लिये निर्धारित कोटे की सीमाओं के अन्दर सीएण्डडीआई द्वारा किये गये आबंटन के विरुद्ध कोयले का क्रय सीआईएल और उसकी सहायक कम्पनियों से करती है। कोयले के विक्रय मूल्य के निर्धारण करते समय कम्पनी 10 प्रतिशत लाभांश जोड़ती है, जिसे कम्पनी और कोयला समन्वयक तय अनुपात में बाँट लेते हैं।

नीचे दिये गये विवरण 2006-07 तक पिछले पाँच वर्षो के दौरान सीएण्डआई और सीआईएल द्वारा किये गये आवंटन तथा कम्पनी द्वारा उठान की गई मात्रा को इंगित करते है:

(मात्रा मीट्रिक टन में)

वर्ष	सीएण्डडीआई द्वारा कोयले का आवंटन		सीआईएल द्वारा निर्धारित अधिकतम अनुमन्य कोटा (एमपीक्यू)		कोयले की वास्तविक उठान		कम उठान	
	रेलवे द्वारा	सड़क द्वारा	रेलवे द्वारा	सड़क द्वारा	रेलवे द्वारा	सड़क द्वारा	रेलवे द्वारा	सड़क द्वारा
2002-03	13,48,790	16,80,000	57,768	2,40,000	20,078 (34.76)	6,438 (2.68)	37,690 (65.24)	2,33,562 (97.32)
2003-04	13,48,790	16,80,000	57,768	2,40,000	16,897 (29.25)	2,186 (0.91)	40,871 (70.75)	2,37,814 (99.09)
2004-05	13,48,790	16,80,000	57,768	2,40,000	5,833 (10.10)	9,237 (3.84)	51,935 (89.90)	2,30,763 (96.15)
2005-06	शून्य	12,00,000	शून्य	5,40,000	शून्य (-)	1,403 (0.26)	शून्य (-)	5,38,597 (99.74)
2006-07	शून्य	12,00,000	शून्य	4,32,000	शून्य (-)	21,157 (4.90)	शून्य (-)	4,10,843 (95.10)
योग	**40,46,370**	**74,40,000**	**1,73,304**	**16,92,000**	**42,808 (24.70)**	**40,421 (2.39)**	**1,30,496 (75.30)**	**16,51,579 (97.61)**

स्रोत: सीएण्डडीआई का आवंटन आदेश, सीआईएल का पत्र तथा विक्रय प्रतिवेदन।

नोट: कोष्ठक के आँकड़े एमपीक्यू के सापेक्ष उठान के प्रतिशत को प्रदर्शित करते हैं।

यह देखा गया (दिसम्बर 2006) कि:

- रेल और सड़क द्वारा कोयले की कम उठान की गई और कम उठान रेल द्वारा उठान की स्थिति में एमपीक्यू के सापेक्ष 65.24 से 89.90 प्रतिशत थी और सड़क द्वारा उठान की स्थिति में यह 95.10 से 99.09 प्रतिशत थी। 2004-05 तक तीन वर्षो के दौरान सीएण्डआई द्वारा किये गये 1348790 मीट्रिक टन कोयले के वार्षिक आवंटन के विरुद्ध सीआईएल ने कम्पनी द्वारा रेल के माध्यम से कोयले की उठान के लिये 83 बाक्स वैगन* प्रति माह एमपीक्यू निर्धारित की (नान कोर सेक्टर के लिये कोयले की सीमित उपलब्धता के कारण)। रैक्स के गन्तव्य स्थानों में कम्पनी द्वारा बारम्बार परिवर्तन और कम संख्या में रैक्स की उपलब्धता के कारण कम्पनी एमपीक्यू को उठाने में असफल रही। रेलवे और सीआईएल को विलम्ब से कार्यक्रम उपलब्ध कराने के कारण भी एमपीक्यू जब्त हुई।

* एक बाक्स वैगन = 58 मीट्रिक टन

विद्यमान कोयला समन्वयकों के साथ समझौते की अवधि न बढ़ाने और नये समन्वयक की नियुक्ति में विलम्ब के कारण समन्वयको ने भी अल्प मात्रा की उठान की। इसके अलावा वर्ष 2005-06 के दौरान उठान में गिरावट का मुख्य कारण जनवरी 2005 से सीआईएल और इसकी सहायक कम्पनियों द्वारा किये गये कोयले की ई-नीलामी में कम्पनी द्वारा भाग न लेना था।

- सम्पूर्ण देश के कोयले के सूक्ष्म/लघु उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये भारत सरकार ने विभिन्न शासकीय उपक्रमों को दो मिलियन टन प्रति वर्ष अतिरिक्त कोयला अवमुक्त करने का निर्णय लिया (अप्रैल 2005)। बदले में इन उपक्रमों को अपने राज्य के सूक्ष्म/लघु उपभोक्ताओं के मध्य कोयले का वितरण करना था। जनवरी 2006 में राज्य कोटे के अन्तर्गत कोयले के वितरण के लिये राज्य सरकार द्वारा कम्पनी को नोडल एजेन्सी नामित किया गया। तत्पश्चात्, इस योजना के अन्तर्गत सीआईएल ने वर्ष 2005-06 के लिये कम्पनी के पक्ष में 5.40 लाख मीट्रिक टन कोयला आवंटित किया (फरवरी 2006) जिसके विरुद्ध मार्च 2006 तक मात्र 1403 मीट्रिक टन (0.26 प्रतिशत) कोयले की उठान की गई। परिणामस्वरूप, राज्य के सूक्ष्म/लघु उपभोक्ताओं को कोयला उपलब्ध नहीं कराया जा सका।
- 2002-03 से 2004-05 तक की अवधि के दौरान रेल परिवहन से 130496 मीट्रिक टन कोयले की मात्रा की अल्प उठान के लिये कम्पनी, 84.82 लाख रुपये के सम्भावित लाभांश से भी वंचित रही। सड़क द्वारा 1651579 मीट्रिक टन की मात्राओं की अल्प उठान के लिये लाभांश की गणना नहीं का जा सकी क्योंकि लेखा परीक्षा को लागत के ब्रेकअप के विवरण उपलब्ध नही कराये गये।

कोयला समन्वयकों को भुगतान

कोयले की कीमत पर हैण्डलिंग एवं परिवहन लागत को अनियमित रूप से प्रभारित करने के कारण समन्वयकों को 77.70 लाख रुपये का अनुचित लाभ हुआ।

2.1.17 कम्पनी, 1995-96 तक कोयला प्रायोजन योजना के अन्तर्गत कोयले की खरीद और बिक्री अपने कोल डम्पों के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा जारी कोयला नियन्त्रण आदेश 1977 (आदेश) के खण्ड 8(iii)(सी)(फुटकर* आधार पर कोयले की बिक्री करने वाले कोयला डिपो धारकों के लिये लागू) के प्राविधानों के अनुसार निर्धारित मूल्यों पर कर रही थी। फुटकर मूल्य में कोयले का क्रय मूल्य, स्थानीय हैण्डलिंग और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्धारित रेलवे साईडिंग से कोयला डिपो तक परिवहन प्रभार, छीजन भत्ता और कोयले की लैण्डेड लागत पर 10 प्रतिशत लाभ सम्मिलित है।

कम्पनी ने कोयला समन्वयकों के माध्यम से थोक बिक्री के आधार पर कोयले का वितरण करना शुरू किया (सितम्बर 1996)। कोयला समन्वयकों को निधियों की व्यवस्था करने, सीएण्डडीआई के आवंटन के विरुद्ध सीआईएल की कोयला खदानों से कोयले की खरीद करने, खरीदे गये कोयले को उनके कोल डम्पों में भण्डारित

* फुटकर बिक्री से तात्पर्य प्रतिदिन प्रति उपभोक्ता 10 क्विन्टल कोयले की बिक्री करना है।

करने और कम्पनी की ओर से एसएसआई इकाईयों को विक्रय करने के लिये उत्तरदायी बनाया गया। समन्वयकों को उनके साथ किये गये समझौते के अनुसार लाभांश में 40 प्रतिशत हिस्सा दिया गया।

यह संज्ञान में आया (दिसम्बर 2006) कि कम्पनी ने विक्रय मूल्य निर्धारित करने में खण्ड 8(iii)(सी)(फुटकर बिक्री के लिये) का आधार लेना जारी रखा यद्यपि विक्रय थोक* आधार पर किया जा रहा था। कम्पनी ने हैण्डलिंग और रेलवे साइडिंग से समन्वयक के कोल डम्प तक परिवहन के लिये 67.50 रुपये प्रति मीट्रिक टन की दर से अनुषांगिक प्रभारों को भारित किया और कथित खण्ड के अनुरूप अनुषांगिक प्रभारों पर भी 10 प्रतिशत की दर से अपना लाभ प्रभारित किया। अत:, कम्पनी ने कोयले की थोक बिक्री के लिये लागू खण्ड 8(ii)(अ) के बजाय खण्ड 8(iii)(सी) के अनुसार कोयले के विक्रय मूल्य का अनियमित निर्धारण किया। कोयले के विक्रय मूल्य के उपरोक्त विधि से निर्धारण के कारण, कम्पनी ने समन्वयकों को 35.16 लाख रुपये (52096 मीट्रिक टन × 67.50 रुपये) का अनुचित लाभ पहुँचाया। ऐसा इसलिये था, क्योंकि कोयले की खरीद एवं वितरण से सम्बन्धित समस्त क्रियाकलाप कम्पनी की ओर से समन्वयकों द्वारा लाभांश में कम्पनी का हिस्सा कम्पनी में जमा करने के बाद उनके द्वारा ही संचालित किये जाते थे। समन्वयक ने थोक आधार पर बिक्री की और हैण्डलिंग तथा भण्डारण प्रभारों को अपने पास रखा जो कि व्यय किये जाते, यदि बिक्री फुटकर आधार की जाती।

2.1.18 कोल समन्वयकों के साथ निष्पादित समझौतों के अनुसार समन्वयक कोयला खदानों से कोयला लदवाने से लेकर कम्पनी की ओर से एसएसआई इकाईयों को बेचने तक और कमियों के लिये भी उत्तरदायी था।

यह देखा गया (दिसम्बर 2006) कि, कम्पनी ने रेलवे के माध्यम से प्राप्त कोयले का विक्रय मूल्य निर्धारित करते समय कोयले की लैण्डेड कास्ट निकालने के लिये बुक्ड मात्रा के पाँच प्रतिशत की दर से छीजन भारित किया जबकि समझौते की शर्तो के अनुसार छीजन समन्वयक द्वारा वहन किया जाना था। कम्पनी ने कोयले के विक्रय मूल्य की गणना के लिये इन कमियों की लागत में 10 प्रतिशत की दर से अपना लाभ जोड़ दिया। इसके फलस्वरूप एसएसआई इकाईयों पर अनुचित भार पड़ा और समन्वयकों को अप्रैल 2001 से दिसम्बर 2004 के दौरान उनके द्वारा उठान की गई 52096 मीट्रिक टन कोयले की बिक्री पर 42.54 लाख रुपये का अनुचित लाभ दिया गया।

एसएसआई इकाईयों को उच्चतर दरों पर कोयले का वितरण

2.1.19 राज्य सरकार ने राज्य कोटा प्रणाली के अन्तर्गत राज्य में कोयले के वितरण के लिये कम्पनी को नोडल एजेन्सी नामित किया (जनवरी 2006)। योजना के अन्तर्गत, सीआईएल द्वारा अवंटित कोयले की आपूर्ति 500 मीट्रिक टन वार्षिक से अनधिक आवश्यकता रखने वाले सूक्ष्म/लघु उपभोक्ताओं को की जानी थी। राज्य कोटा प्रणाली के अन्तर्गत कोयले के वितरण के लिये सीआईएल द्वारा जारी

* थोक बिक्री से तात्पर्य प्रतिदिन एक उपभोक्ता को 10 कुन्टल से अधिक कोयले की बिक्री करना है।

(मई 2006) दिशानिर्देशों में प्रावधान था कि सूक्ष्म/लघु उपभोक्ताओं से नामांकित राज्य एजेन्सी द्वारा लिया जाने वाला विक्रय मूल्य, आधार मूल्य*, जिस पर वह कोयला प्राप्त करती है, के 105 प्रतिशत से अधिक नही होना चाहिये। अन्य प्रभार जैसे परिवहन, रायल्टी इत्यादि अलग से उपभोक्ताओं से लिया जाना था।

यह देखा गया (दिसम्बर 2006) कि विक्रय मूल्य की गणना के लिये कम्पनी ने पाँच प्रतिशत अतिरिक्त अनुषांगिक प्रभार भारित किया और इन अनुषांगिक प्रभारों पर आगे व्यापार कर और माल प्रवेश कर भारित किया। इस प्रकार से, कम्पनी ने विक्रय मूल्य निर्धारित करने में 87.67 रुपये प्रति मीट्रिक टन अतिरिक्त भारित किया। इसके परिणामस्वरूप, अक्टूबर और नवम्बर 2006 के दौरान सूक्ष्म व लघु उपभोक्ताओं को की गई कुल 5152.217 मीट्रिक टन कोयले की आपूर्ति से उन पर 4.52 लाख रुपये का अतिरिक्त भार पड़ा।

गैर एसएसआई इकाईयों को कोयले की आपूर्ति

2.1.20 सीएण्डडीआई के निर्देशों के अनुसार, कोयला प्रायोजन योजना के अन्तर्गत खरीदे गये कोयले का वितरण संयुक्त उद्योग निदेशक/जीएम, डीआईसी द्वारा जारी परमिट/अवमुक्त आदेशों के आधार राज्य की एसमएसआई इकाईयों को किया जाना चाहिये था। सीएण्डडीआई ने कम्पनी को निर्देशित किया (फरवरी 2001) कि खरीदे गये कोयले का वितरण, जीएम (डीआईसी)/संयुक्त निदेशक उद्योग को कम्पनी द्वारा निर्धारित विक्रय मूल्य सूचित करने की तिथि से 30 दिन की अवधि में एसएसआई इकाईयों को किया जाना चाहिये। 30 दिनों की समाप्ति के बाद, कोयले की अवशेष अविक्रीत मात्रा, यदि कोई है, का विक्रय 'फ्री सेल' के आधार पर किया जाना अनुमन्य था।

यह संज्ञान में आया (दिसम्बर 2006) कि गत पाँच वर्षो के दौरान 76247.870 मीट्रिक टन कोयले की बिक्री के विरुद्ध कम्पनी मात्र 6389.22 मीट्रिक टन कोयला (8.38 प्रतिशत) एसएसआई इकाईयों को बेच सकी और अवशेष 69858.65 मीट्रिक टन कोयले की अवशेष मात्रा का विक्रय गैर एसएसआई इकाईयों (व्यापारियों तथा ईट भट्ठा स्वामियों) को किया गया जैसा कि नीचे वर्णित है:

(मूल्य: लाख रुपये में)

वर्ष	विक्रय की गई कुल मात्रा (मीट्रिक टन में)	कुल मूल्य	एसएसआई को विक्रय मात्रा (मीट्रिक टन में)	मूल्य	गैर एसएसआई को विक्रय मात्रा (मीट्रिक टन में)	मूल्य
2002-03	7,552.325	134.56	1,882.90	32.06	5,669.425	102.50
2003-04	25,472.690	492.28	शून्य	शून्य	25,472.690	492.28
2004-05	19,254.790	397.40	शून्य	शून्य	19,254.790	397.40
2005-06	2,810.885	63.90	शून्य	शून्य	2,810.885	63.90
2006-07	21,157.180	547.84	4,506.32	124.30	16,650.860	423.54
योग	**76,247.870**	**1,635.98**	**6,389.22**	**156.36**	**69,858.65**	**1,479.62**

स्रोत: विक्रय प्रतिवेदन

गैर एसएसआई इकाईयों को विक्रय, शासकीय आदेशों के उल्लंघन में किया गया। अत:, एसएसआई इकाईयों को तर्कसंगत दरों पर कोयले की आपूर्ति करने का वाँछित उद्देश्य प्राप्त नहीं हो सका।

* आधार मूल्य का अर्थ फ्लोर मूल्य 20 प्रतिशत। जोड़कर

कोयले का भण्डारण

2.1.21 कम्पनी द्वारा यथा अनुमोदित (मई 1996) कोयले की खरीद एवं वितरण की प्रक्रिया में यह प्रावधानित था कि कोयला या तो समन्वयको के कोल डम्प में या समन्वयक के संरक्षण वाले कम्पनी के डम्प में भण्डारित किया जायेगा। इसमें यह भी यह दिया गया था कि समस्त कार्यकलाप डिपो मैनेजर के पर्यवेक्षण में संपादित किये जायेंगे।

यह संज्ञान में आया (दिसम्बर 2006) कि:

- उपरोक्त प्रक्रिया के विरुद्ध, कम्पनी ने समन्वयकों द्वारा दिये गये लिखित अण्डरटेकिंग पर विश्वास किया और औचक निरीक्षण द्वारा कभी यह सुनिश्चित नही किया कि, क्या कोयला वास्तव में उनके कोल डम्प में भण्डारित किया जा रहा था अथवा नही। एक मामले में परिवहनकर्ता के चालान के अनुसार दिसम्बर 2006 में 406.64 मीट्रिक टन कोयला मैण्डमम खदान (धनबाद) से कानपुर तक परिवहन किया गया और तद्नुसार परिवहनकर्ता को भुगतान किया गया। समन्वयक ने कोयले के पहुँच प्रतिवेदन को प्रस्तुत करते समय कोयले की प्राप्ति चन्दासी (मुगलसराय) में उसके कोल डम्प में होना इंगित किया। इससे कोयले का चन्दासी मे समन्वयक के कोल डम्प में मार्गीय विचलन होना दर्शित होता है।

- 2002-03 से 2005-06 के दौरान कम्पनी ने 62073.03 मीट्रिक टन कोयले की खरीद की। इसके सापेक्ष इसने केवल 55090.690 मीट्रिक टन (88.75 प्रतिशत) की बिक्री की। अवशेष मात्रा 6982.340 मीट्रिक टन (मूल्य अनिर्धारित) स्टाक अभिलेखों में उपलब्ध नही थी।

- वर्ष 1980-81 से 1992-93 तक से सम्बन्धित कानपुर (367.508 मीट्रिक टन), वाराणसी (1149.680 मीट्रिक टन), आगरा (1434.505 मीट्रिक टन) और गाजियाबाद (508.80 मीट्रिक टन) में पड़ा हुआ 21.63 लाख रुपये मूल्य का कोयला (3460.493 मीट्रिक टन) सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालयों के स्टाक विवरणों में अवशेष दिखाया जाता रहा जबकि डम्पों में कोयले की भौतिक उपलब्धता नही थी जो कि कोयला समन्वयको पर नियन्त्रण में कमी को इंगित करता है। समन्वयको से कोयले में कमी की वसूली के लिये प्रबन्धन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई।

स्क्रेप

स्माल आर्म्स क्रस्ड ब्रास स्क्रेप की खरीद व बिक्री

2.1.22 कम्पनी, रक्षा मन्त्रालय (एमओडी) और सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा समय-समय पर किये गये आवंटन के आधारपर निष्प्रयोज्य सामग्री की खरीद करती है। एमओडी द्वारा जारी ब्रास स्क्रेप के आवंटन आदेशों में यह प्राविधानित था कि स्क्रेप का विक्रय केवल एसएसआई इकाईयों को किया जाना चाहिये। यह देखा गया (फरवरी 2007) कि कम्पनी ने वर्ष 2002-03 के दौरान आवंटन आदेशों के नियम एवं शर्तो का उल्लंघन करके और कम्पनी की उद्देश्यों के विपरीत भी,

45 लाख रुपये मूल्य के 50 मीट्रिक टन ब्रास स्क्रेप का विक्रय एक गैर एसएसआई इकाई को किया। परिणामत:, एमओडी ने कम्पनी द्वारा ब्रास स्क्रेप की उठान पर तीन माह के लिये प्रतिबन्ध लगा दिया (अगस्त 2003)। इसके अलावा स्क्रेप की खरीद के लिये कम्पनी केवल एमओडी और आईडी पर निर्भर है और इसने अन्य वृहद स्क्रेप उत्पादकों जैसे भारतीय रेल, यूपीएसआरटीसी और यूपीपीसीएल से स्क्रेप की खरीद की सम्भावना का पता नही लगाया।

स्क्रेप के विक्रय मूल्य का निर्धारण

2.1.23 आईडी से खरीदा गया स्क्रेप (जला हुआ ताँबे का तार तथा इस्पात) के लिये दरें आईडी द्वारा इकॉनामिक टाइम्स (ईटी) में प्रकाशित पिछले त्रैमास के अन्तिम माह के दैनिक औसत की दरों में से 10 प्रतिशत कम करके निर्धारित की जाती हैं।

कम्पनी ने स्क्रेप के विक्रय मूल्य के गलत निर्धारण के कारण 63.33 लाख रुपये की हानि उठाई।

यह देखा गया (फरवरी 2007) कि कम्पनी ने स्क्रेप के विक्रय मूल्य के निर्धारण के लिये न तो स्थिर मूल्यांकन नीति लागू की और न ही ईटी मे प्रकाशित दरो के औसत के आधार पर मूल्य का निर्धारण किया, इसके बजाय विक्रय मूल्य का निर्धारण समन्वयकों द्वारा सुझायी गयी दरों के आधार पर किया गया। यदि कम्पनी ने विक्रय मूल्य का निर्धारण ईटी में प्रकाशित दरों के औसत के आधार पर किया होता, तो यह आईडी द्वारा 2006-07 तक गत चार वर्षो के दौरान आवंटित 3603.758 मीट्रिक टन स्क्रेप के विक्रय से 63.33 लाख रुपये का अतिरिक्त लाभांश अर्जित कर सकती थी।

2.1.24 कम्पनी, अवमुक्त आदेश जारी होने की तिथि पर ईटी में प्रकाशित भारत स्क्रेप की दरों जो (जो कि बुलेट स्क्रेप की दरों से कम होती है) पर स्माल आर्म्स क्रस्ड ब्रास स्क्रेप (बुलेट स्क्रेप की तरह जाना जाता है) की खरीद करती है। चूँकि बुलेट स्क्रेप की दरें ईटी में प्रकाशित नही होती थी, इसलिये बुलेट स्क्रेप के विक्रय मूल्य का निर्धारण कम्पनी की मूल्य निर्धारण समिति द्वारा किया जाना था। बुलेट स्क्रेप के विक्रय मूल्य के निर्धारण के लिये समिति ने अनुशंसा की कि ब्रास शीट कटिंग की दरो (जो भारत स्क्रेप के मूल्य की तुलना में सामान्यत: 10 रुपये प्रति किग्रा अधिक थी) में, जो कि अप्रैल 2004 तक ईटी में प्रकाशित होती थी, 3 रुपये से 3.50 रुपये प्रति किग्रा जोड़ देना चाहिये।

यह संज्ञान में आया (मार्च 2007) कि कम्पनी ने, फिर भी, भारत स्क्रेप की दरों में कम्पनी और समन्वयक प्रत्येक के लिये दो प्रतिशत लाभांश जोड़कर ब्रास स्क्रेप के विक्रय मूल्य का निर्धारण किया। अत: विक्रय मूल्य के गलत निर्धारण के परिणामस्वरूप 2004-05 से 2006-07 की अवधि में 24.34 लाख रुपये लाभांश की हानि हुई।

आन्तरिक नियन्त्रण एवं आन्तरिक लेखा परीक्षण

2.1.25 आन्तरिक नियन्त्रण वाँछित उद्देश्यों की प्राप्ति और भूलचूक, धोखाधड़ी व दुर्विनियोजन से अभिरक्षा के लिये क्रियाकलापों की कार्यकुशलता, वित्तीय प्रतिवेदनों की विश्वसनीयता और लागू विधि और विधानों की पूर्ति के लिये पर्याप्त

आश्वासन प्रदान करने के लिये बनाई गई एक प्रक्रिया है। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित कमियों का पता लगाया गया (मार्च 2007):

- प्रबन्धन द्वारा जारी (जून 2006) निर्देशों के अनुसार, क्षेत्रीय कार्यालयों को, अर्ह इकाईयों को लौह एवं इस्पात का वितरण सुनिश्चित करने के लिये, लौह एवं इस्पात की विशेष माँग, एसएसआई इकाईयों से प्राप्त माँगपत्र और आवंटनो की मास्टर पंजिका से सम्बन्धित अभिलेख बनाये जाने की आवश्यकता थी तथापि क्षेत्रीय कार्यालयों ने ऐसे अभिलेख नही बनाये।
- निर्देशों में आगे निर्दिष्ट था कि यह निर्धारित करने के लिये कि क्या लौह एवं इस्पात वास्तव में एसएसआई इकाईयों को उपलब्ध कराया जा रहा था, क्षेत्रीय प्रबन्धकों को एसएसआई इकाईयों का सामयिक निरीक्षण करना था। लेखा परीक्षा को उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के अनुसार जून 2006 से मार्च 2007 की अवधि के दौरान क्षेत्रीय प्रबन्धकों द्वारा ऐसा निरीक्षण नही किया गया।
- लौह एवं इस्पात की प्राप्ति व निर्गमन दर्शाने वाले अभिलेख तैयार नही किये गये। समस्त आरएमडी में स्थापित तौल-सेतु अकार्यशील थे। आरएमडी द्वारा एसएसआई इकाईयों को वितरण के लिये एमओयू होल्डर्स को लौह एवं इस्पात का निर्गमन बीजक के भार के आधार पर किया गया। अत: अभिलेखों की अनुपस्थिति और तौल-सेतुओं के कार्यशील न होने के कारण वास्तविक प्राप्ति व निर्गमन की जॉच लेखा परीक्षा में नही की जा सकी।

यह संज्ञान में आया कि कम्पनी ने कम पाई गई और एसएसआई इकाईयों को वितरित न की गई लौह एवं इस्पात की उपरोक्त मात्राओं पर 22.54 लाख रुपये की रिबेट अनियमित रुप से प्राप्त और उपयोग की।

आन्तरिक लेखा परीक्षा

2.1.26 आन्तरिक लेखा परीक्षा, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली के उचित क्रियान्वयन के साथ ही साथ उसकी प्रभावशीलता को सुनिश्चित करने और चूकों तथा धोखाधड़ी को पता लगाने के लिये बनाई गई एक प्रणाली है। कम्पनी ने कोई आन्तरिक लेखा परीक्षा शाखा की स्थापना नही की थी। परिणामस्वरूप, यह निर्धारित नियमों व विनियमों के पालन को सुनिश्चित करने में विफल रही जिसके कारण अभिलेखों का अनुचित रखरखाव, सामग्रियो की कमी, समन्वयकों और हैण्डलिंग ठेकेदारों की अनियमित नियुक्ति तथा उनको अधिक भुगतान, विक्रय मूल्य के निर्धारण में अस्थिरता और गैर एसएसआई इकाईयों को कच्चे माल की आपूर्ति की गई।

अभिस्वीकृति

2.1.27 निष्पादन लेखा परीक्षा सम्पन्न करने के विभिन्न चरणों पर कम्पनी के अधिकारियों द्वारा विभिन्न स्तरों पर दी गई सहायता और सहयोग के लिए लेखा परीक्षा आभार व्यक्त करता है।

उपरोक्त लेखा परीक्षा प्रेक्षणों को प्रबन्धन/शासन को जून 2007 में प्रतिवेदित किया गया; उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2007)।

निष्कर्ष

कम्पनी ने एसएसआई इकाईयों द्वारा कच्चे माल की मांग का अनुमान लगाने के लिये कोई प्रणाली विकसित नहीं की। यह आवंटित सामग्रियां को उठाने में विफल रही जिसके परिणामस्वरूप एसएसआई इकाईयों को उनकी आपूर्ति नही हुई। कम्पनी ने एमओयू होल्डर्स, हैण्डलिंग ठेकेदारों तथा समन्वयकों की नियुक्ति में अनियमितताये की और उनको अनुचित लाभ पहुँचाया। कम्पनी एसएसआई इकाईयों को कच्चे माल की आपूर्ति तर्कसंगत दरों पर करने में भी विफल रही। यह लौह एवं इस्पात के मुख्य उत्पादकों द्वारा अनुमन्य रिबेट/डिस्काउन्ट को अर्ह एसएसआई इकाईयों तक पहुँचाने में असफल रही, कोयले के लिये उच्च विक्रय मूल्य निर्धारित किया और मूल्यों के गलत निर्धारण के कारण स्क्रेप के व्यवसाय में लाभांश की हानि वहन की। विभिन्न आरएमडी के डिपो पर नियन्त्रण अप्रभावी था परिणामत:, सामग्रियों की हानि हुई।

संस्तुतियां

- कच्चे माल की वास्तविक माँग के निर्धारण के लिये कम्पनी को एक उपयुक्त प्रणाली विकसित करनी चाहिये;
- कम्पनी को एक ऐसी प्रणाली अपनानी चाहिये जिससे कि एमओयू होल्डर्स/समन्वयकों पर उसकी निर्भरता न्यूनतम रहे;
- कम्पनी को उन लाभों को एमओयू होल्डर्स को नही पहुँचाया चाहिये जिन्हें एसएसआई इकाईयों को दिया जाना था;
- अनर्ह-औद्योगिक इकाईयों को कच्ची सामग्रियों की आपूर्ति और व्यापार की रोकथाम के लिये कम्पनी को अपने आरएमडी तथा कोल डम्प्स पर पर्याप्त नियन्त्रण क्रियान्वित करना चाहिये;
- यह सुनिश्चित करने के लिये कि कम्पनी द्वारा आपूर्तित कच्ची सामग्रियाँ उद्दिष्ट लाभार्थियों तक पहुँच रही है और वांछित उद्देश्यो को प्राप्त कर रहीं है, कम्पनी को एक पर्याप्त अनुश्रवण प्रणाली विकसित करना चाहिये।

पश्चिमांचल एवं मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में बिलिंग एवं राजस्व संग्रहण में दक्षता पर निष्पादन समीक्षा

मुख्य अंश

पश्चिमांचल एवं मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड उपभोक्ताओं से ऊर्जा की लागत भी नहीं वसूल सकी जिसके फलस्वरूप कम्पनियों की मार्च 2007 के अन्त में संचित हानि पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (पविविनिलि) में 3902.21 करोड़ रुपये एवं मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (मविविनिलि) में 1458.69 करोड़ रुपये थी।

(प्रस्तर 2.2.7)

दोनों कम्पनियों द्वारा उपभोक्ताओं के मीटरों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने में विफल रहने के परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं को 1.30 करोड़ रुपये की कम बिलिंग हुई।

(प्रस्तर 2.2.9)

मविविनिलि द्वारा सही टेरिफ को लागू करने में विफलता एवं बिल जारी न करने के कारण 5.60 करोड़ रुपये के कुल राजस्व की वसूली न होना ।

(प्रस्तर 2.2.10)

न्यूनतम प्रभार को कम लगाये जाने, प्रोटेक्टिव भार को न लगाये जाने एवं अनियमित लोड फैक्टर छूट दिये जाने के कारण मविविनिलि को 1.12 करोड़ रुपये की राजस्व हानि ।

(प्रस्तर 2.2.13, 2.2.15, एवं 2.2.17)

उपभोक्ताओं के छोर पर कैपसिटर्स बैंक के प्रबन्धन में विफलता के कारण दोनों कम्पनियों में 4.82 करोड़ रुपये की कुल राजस्व की हानि।

(प्रस्तर 2.2.18)

दोनों कम्पनियां उपभोक्ताओं से राजस्व बकायों की वसूली करने में असफल रही। इसके फलस्वरूप मार्च 2005 के अन्त में राजस्व बकाया 1905.35 करोड़ रुपये एवं 1152.21 करोड़ रुपये से बढ़कर मार्च 2007 के अन्त में पविविनिलि एवं मविविनिलि में क्रमश: 2242.91 करोड़ रुपये एवं 1535.81 करोड़ रुपये हो गई।

(प्रस्तर 2.2.25)

मविविनिलि ने ई-सुविधा को राजस्व संग्रहण का कार्य दिया। ई-सुविधा को तीन से आठ दिनों की देरी से नकद का खण्ड के खाते में स्थानान्तरण, संग्रहित राजस्व में से लगभग 6.84 करोड़ रुपये संग्रहण के दिन से लेकर चार दिनों तक रोके रहने के बावजूद एमयूओ के प्रावधानों के विपरीत अनुचित लाभ प्रदान किया गया।

(प्रस्तर 2.2.27)

प्रस्तावना

2.2.1 पश्चिमांचल एवं मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (पविविनिलि) एवं मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (मविविनिलि), लखनऊ का गठन कम्पनीज अधिनियम, 1956 के अधीन 01 मई 2003 को, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) को चार वितरण कम्पनियों में विभाजित कर यूपीपीसीएल की सहायक कम्पनी के रूप में किया गया। पविविनिलि एवं मविविनिलि अपने कार्य क्षेत्र में उपभोक्ताओं को विद्युत वितरण एवं आपूर्ति करने के कार्य में कार्यरत है। इन कम्पनियों ने अगस्त 2003 से कार्य करना प्रारम्भ किया।

पविविनिलि एवं मविविनिलि के मुख्य क्रियाकलाप है:

- लाइसेन्स धारकों से विद्युत खरीदना;
- विद्युत उपप्रेषण एवं वितरण व्यवस्था के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास एवं संरक्षण;
- ऊर्जा का वितरण एवं खुदरा आपूर्ति;
- विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं द्वारा खपत की गई ऊर्जा का देयकीकरण एवं
- राजस्व का संग्रहण एवं लेखांकन।

दोनों कम्पनियों में कम्पनी का प्रबन्धन, निदेशक मंडल, (बीओडी) में निहित है, एक अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक के साथ अधिकतम सात निदेशक होते है। 31 मार्च 2007 को पविविनिलि एवं मविविनिलि में क्रमश: तीन एवं दो निदेशक थे। दोनों कम्पनियों में प्रबन्ध निदेशक मुख्य अधिशासी है और जिसे पविविनिलि के मुख्यालय पर तीन मुख्य अभियन्ता/महाप्रबन्धक और 13 अधीक्षण अभियन्ता/उपमहाप्रबन्धक तथा फील्ड में तीन मुख्य अभियन्ता/महाप्रबन्धक और 16 अधीक्षण अभियन्ता/उपमहाप्रबन्धक द्वारा तथा मविविलिनि में मुख्यालय पर एक मुख्य महाप्रबन्धक (एचआरडी), महाप्रबन्धक (टेक्नीकल), महाप्रबन्धक (वाणिज्यिक), महाप्रबन्धक (वित्त) एवं सात उपमहाप्रबन्धक और फील्ड में चार मुख्य अभियन्ता (जोन) एवं 19 उपमहाप्रबन्धक सहायता करते है। दोनों कम्पनियों का संगठनात्मक ढांचा का विवरण **परिशिष्ट-12 एवं 13** में दिया गया है।

लखनऊ इलेक्ट्रिक सप्लाई एडमिनिस्ट्रेशन (लेसा) जोन जो कि अब मविविनिलि का एक भाग है, पर एक निष्पादन समीक्षा 31 मार्च 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक उत्तर प्रदेश सरकार (वाणिज्यिक) के प्रतिवेदन में सम्मिलित की गई थी। जिस पर अभी तक, सार्वजनिक उपक्रम समिति में चर्चा नहीं की गई है (अगस्त 2007)।

लेखा परीक्षा का क्षेत्र

2.2.2 अक्टूबर 2006 से मई 2007 के दौरान सम्पादित वर्तमान निष्पादन समीक्षा वर्ष 2003-04 (अगस्त 2003) से 2006-07 के दौरान सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं को बेची गयी ऊर्जा के लिये देयकीकरण, राजस्व संग्रहण एवं उसके लेखाकरण की समग्र दक्षता की जाँच को सम्मिलित करती है। इसके लिए, दोनों

कम्पनियों (पविविनिलि एवं मविविनिलि) के मुख्यालय के अभिलेखों का तथा पविविनिलि के 12* खण्डों एवं मविविनिलि के आठ** खण्डों के अभिलेखों का नमूना परीक्षण किया गया।

श्रेणीवार उपभोक्ताओं की संख्या, संयोजित भार तथा निर्धारित राजस्व को **परिशिष्ट-14** में दर्शाया गया है। लेखा परीक्षण के लिये नमूना चयन का आधार चयनित उपभोक्ताओं के संयोजित भार एवं 31 मार्च 2006 को विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं के विरुद्ध निर्धारित राजस्व है जो कि कुल निर्धारित राजस्व के 25 प्रतिशत से अधिक का प्रतिनिधित्व करता है। 31 मार्च 2006 को पविविनिलि एवं मविविनिलि में कुल उपभोक्ता क्रमश: 24.98 लाख एवं 22.12 लाख थे।

उपरोक्त के अतिरिक्त, सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं के बकाया अवशेष, दोषी उपभोक्ताओं के आपूर्ति का अविच्छेदन, और उपभोक्ता की आपूर्ति के स्थाई विच्छेदन का अन्तिमीकरण करने में देरी हेतु सम्पूर्ण कार्यदक्षता की जाँच की गई।

लेखा परीक्षा के उद्देश्य

2.2.3 लेखा परीक्षा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि;

- देयकीकरण की प्रक्रिया दक्षतापूर्वक तथा टैरिफ के प्रावधानों के अनुसार की गई;
- राजस्व संग्रहण दक्ष एवं त्वरित था;
- संग्रहीत राजस्व का लेखांकन सही था और उसे बैंक को शीघ्रतापूर्वक भेजा गया;
- राजस्व बकाये की वसूली/कमी करने के लिये प्रभावी प्रयास किये गये; तथा
- आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली दक्षतापूर्ण एवं प्रभावी थी।

लेखा परीक्षा की कसौटी

2.2.4 लेखा परीक्षा उद्देश्यों की उपलब्धियों के निर्धारण के लिये अपनायी गयी लेखा परीक्षा कसौटी थी:

- देयकीकरण अनुसूची, टैरिफ, वितरण संहिता तथा यूपीईआरसी/यूपीपीसीएल द्वारा जारी की गई वाणिज्यिक एवं राजस्व नियमावलियां।
- सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं के देयकीकरण एवं राजस्व संग्रहण के लिए यूपीईआरसी/यूपीपीसीएल/वितरण कम्पनियों द्वारा बनाये गये निर्देश, नियम एवं विनियम।

* 1. विद्युत वितरण खण्ड-II मेरठ, 2. विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-II मेरठ 3. विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-III मेरठ 4. विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-I गाजियाबाद 5. विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-III गाजियाबाद 5. विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-II नोएडा 7. विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-II मुरादाबाद 8. विद्युत वितरण खण्ड, गजरौला 9. विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-II सहारनपुर 10. विद्युत वितरण खण्ड, बड़ौत 11. विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-I मुजफ्फरनगर 12. विद्युत वितरण खण्ड-I बुलन्दशहर

** 1. विद्युत नगरीय वितरण खण्ड, इन्दिरानगर 2. विद्युत नगरीय वितरण खण्ड, चौक 3. विद्युत वितरण खण्ड-I रायबरेली 4. विद्युत वितरण खण्ड-I सीतापुर 5. विद्युत वितरण खण्ड, बाराबंकी 6. विद्युत वितरण खण्ड, सुल्तानपुर 7. विद्युत वितरण खण्ड-I फैजाबाद 8. विद्युत नगरीय परीक्षण खण्ड-III लखनऊ

- दोषी उपभोक्ताओं के विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही के लिये शासन/यूपीईआरसी/यूपीपीसीएल द्वारा जारी निर्देश एवं नियम।

लेखा परीक्षा प्रक्रिया

2.2.5 निष्पादन समीक्षा के लेखा परीक्षा उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु लेखा परीक्षा प्रक्रिया के निम्न मिश्रण को अपनाया गया:

- यूपीईआरसी द्वारा जारी विनियमों/आदेशों/वितरण संहिता और दोनों कम्पनियों द्वारा अपनाये गये यूपीपीसीएल के आदेशों वाणिज्यिक एवं राजस्व नियमावली तथा इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 से सम्बन्धित प्रावधानों का अध्ययन।
- वार्षिक प्रतिवेदनों एवं निदेशक मंडल की बैठको के एजेण्डा एवं कार्यवृत्तों, कम्पनी के निष्पादन प्रतिवेदनों का परीक्षण।
- उपभोक्ताओं से किये गये अनुबन्धों, मीटर रीडिंग सीलिंग प्रमाण-पत्र से सम्बन्धित अभिलेख, देयकीकरण संचिका, पत्राचार संचिका के साथ लेजर, राजस्व संग्रहण विवरणी एवं अन्य प्रतिवेदनों की जाँच।
- राजस्व के लक्ष्यों एवं उपलब्धियों का विश्लेषण तथा राजस्व की वसूली में प्रभावशीलता।
- लेखा परीक्षा द्वारा पूछताछ और प्रबन्धन के साथ सतत् वार्ता।

लेखा परीक्षा निष्कर्ष

2.2.6 पविविनिलि एवं मविविनिलि में देयकीकरण एवं राजस्व संग्रहण में दक्षता पर निष्पादन समीक्षा से उत्पन्न लेखा परीक्षा प्रेक्षणों को प्रबन्धन/शासन को जून 2007 में प्रतिवेदित किया गया था और इस पर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों हेतु लेखा परीक्षा समिति (एआरसीपीएसई) की 30 अगस्त 2007 की बैठक में चर्चा की गई। दोनों कम्पनियों के प्रबन्ध निदेशकों ने बैठक में भाग लिया। बैठक के दौरान प्रबन्धन द्वारा व्यक्त किये गये विचार समीक्षा को अन्तिम रूप दिये जाते समय ध्यान में रखे गये। लेखा परीक्षा प्रेक्षण की अग्रलिखित प्रस्तरों में चर्चा की गयी है।

बिलिंग प्रक्रियाएं

2.2.7 वाणिज्यिक एवं राजस्व नियमावली में विहित प्रावधानों के अनुसार, कम्पनियों से अपेक्षित है कि वह अधिसूचित देयकीकरण चक्र के अन्त में प्रत्येक उपभोक्ता की ऊर्जा उपभोग रीडिंग लें। मीटर रीडिंग प्राप्त करने के पश्चात् कम्पनियां, उपभोक्ताओं के परिसर में संस्थापित मीटरों में दर्ज ऊर्जा उपभोग के लिए उन्हें देयक, प्रेषित करती है। घरेलू, वाणिज्यिक तथा लघु एवं मध्यम विद्युत उपभोक्ताओं की बिलिंग कम्प्यूटरीकृत थी जबकि अन्य श्रेणी के उपभोक्ताओं का देयकीकरण हाथ से किया जाता था। सभी उपभोक्ताओं का देयकीकरण खण्ड स्तर पर किया जाता था। घरेलू उपभोक्ताओं का बिलिंग द्विमासिक (लेसा के

अतिरिक्त, जहां यह मासिक किया जा रहा था), जबकि अन्य उपभोक्ताओं* का मासिक देयकीकरण किया जा रहा था।

पविविनिलि एवं मविविनिलि उपभोक्ताओं से ऊर्जा की लागत भी नहीं वसूल सकी जिसके फलस्वरूप मार्च 2007 के अन्त में संचित हानि क्रमश: 3902.21 करोड़ रुपये तथा 1458.69 करोड़ रुपये थी

वर्ष 2003-04 (12 अगस्त 2003 से 31 मार्च 2004 तक) से 2006-07 के दौरान पविविनिलि एवं मविविनिलि की ऊर्जा आवश्यकता, क्रय-विक्रय तथा वितरण हानि की स्थिति **परिशिष्ट-15** में दर्शित है। वर्ष 2006-07 के दौरान पविविनिलि एवं मविविनिलि के द्वारा क्रय की गई ऊर्जा की मात्रा 15086.010 एमयू एवं 7940.040 एमयू थी। मविविनिलि द्वारा क्रय की गई ऊर्जा का मूल्य 1857.97 करोड़ रुपये था (पविविनिलि के द्वारा खरीदी गई ऊर्जा का मूल्य उपलब्ध नहीं था)। पविविनिलि एवं मविविनिलि ने क्रमश: 11053.970 एमयू (73.27 प्रतिशत) और 6258.69 एमयू (78.82 प्रतिशत) ऊर्जा विक्रय की जिनका मूल्य 3060.02 करोड़ रुपये एवं 1404.05 करोड़ रुपये था तथा क्रमश: 2852.24 करोड़ रुपये एवं 1302.02 करोड़ रुपये वसूल किये। 31 मार्च 2006 के अन्त में पविविनिलि एवं मविविनिलि की ऊर्जा क्रय की बकाया देनदारी क्रमश: 5393.69 करोड़ रुपये तथा 3050.43 करोड़ रुपये थी। परिशिष्ट से यह देखा जा सकता है कि दोनों कम्पनियां अपने उपभोक्ताओं से ऊर्जा के मूल्य भी वसूली नहीं कर सकी। जिसके कारण मार्च 2007 के अन्त में कम्पनियों की संचित हानि पविविनिलि में 3902.21 करोड़ रुपये तथा मविविनिलि में 1458.69 करोड़ रुपये हो गई।

पविविनिलि प्रबन्धन ने (अगस्त 2007) बताया कि वसूली में कमी का कारण निजी नलकूपों तथा बिना मीटर के ग्रामीण संयोजनों की स्थिर दर सूची का होना है जो कि निम्न स्तर पर है। प्रबन्धन का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि दर सूची निर्धारण के समय एक श्रेणी में निम्न दर के कारण हुई हानि को दूसरी श्रेणी की उच्च दर के द्वारा क्रास सबसिडाईज्ड किया गया है।

दोनों कम्पनियों में कमी का मुख्य कारण जैसा कि लेखा परीक्षा ने विश्लेषित किया है, प्राप्त की गई ऊर्जा का कम देयकीकरण जिससे कि बिलिंग क्षमता प्रभावित हुई, दर्ज ऊर्जा खपत के स्थान पर तदर्थ देयकीकरण, अशुद्ध मीटरों के कारण कम निर्धारण, गलत दर सूची का प्रयोग, लो पावर फैक्टर का कम प्रभारण तथा बिजली चोरी को रोकने के अपर्याप्त प्रयास इत्यादि है जो कि निम्न प्रस्तरों में दर्शाया गया है:

तदर्थ देयकीकरण

2.2.8 उत्तर प्रदेश विद्युत आपूर्ति संहिता (संहिता) 2002 एवं 2005 के अनुसार, प्रत्येक उपभोक्ता का देयकीकरण मीटर रीडिंग के आधार पर समय से किया जाना चाहिए और कोई भी उपभोक्ता अदेयकीकृत नहीं छोड़ा जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त संहिता 2005 के क्लाज 5.6(सी)(II) तथा 5.7(सी) के अनुसार यदि मीटर खराब पाया जाता है तो इसे 15 दिनों के अन्दर बदल दिया जाना चाहिए। 31 मार्च 2006 को पविविनिलि एवं मविविनिलि में क्रमश: 24.98 लाख तथा 22.12 लाख उपभोक्ता थे।

* लार्ज एवं हैवी पावर मार्ग प्रकाश सार्वजनिक वाटर वर्क्स एवं स्टेट ट्यूबवेल

मविविनिलि के 22.12 लाख उपभोक्ताओं में से, 1.28 लाख (5.79 प्रतिशत) बिना मीटर वाले उपभोक्ताओं, 0.58 लाख (2.62 प्रतिशत), मीटर वाले उपभोक्ताओं का देयकीकरण नहीं किया जौर 3.28 लाख (14.83 प्रतिशत) मीटर वाले उपभोक्ताओं का तदर्थ देयकीकरण किया गया। अतएव, इस स्थिति तक देयकीकरण में कमी थी।

पविविनिलि के पांच[1] खण्डों में यह देखा गया कि मीटर वाले 1.25 लाख उपभोक्ताओं में से 0.26 लाख उपभोक्ताओं का देयकीकरण तदर्थ आधार पर किया गया। इसके अतिरिक्त, तीन[2] खण्डों में फरवरी 2007 के अन्त में उपभोक्ताओं के परिसर में स्थापित 2172 मीटर, खराब पड़े थे। इन मीटरों को 15 दिनों की निर्धारित समयावधि में नहीं बदला गया तथा ये पिछले एक माह से लेकर 95 माह तक से खराब पड़े रहे। निर्धारित समयावधि में खराब मीटरों को न बदले जाने के कारण उपभोक्ताओं को ऊर्जा के वास्तविक उपभोग का देयकीकरण तदर्थ आधार पर किया गया। इस प्रकार 5.4 लाख उपभोक्ताओं के सम्बन्ध में, ये कम्पनियां तदर्थ देयकीकरण को रोकने में असमर्थ रही जिससे देयकीकरण प्रक्रिया अक्षम रही।

प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 2007) कि खराब मीटरों को अतिशीघ्र बदलने के प्रयास किये जा रहे है। तथ्य यह है कि खराब मीटर बदलने हेतु 1 से 95 महीनों की प्रतीक्षा में है तथा इनको बदलने के लिये सभी प्रकार के प्रयास करने की आवश्यकता है।

मीटरों की शुद्धता को सुनिश्चित न करना

2.2.9 संहिता[3] 2005 में निर्दिष्ट है कि अनुज्ञप्तिधारी को मीटर परीक्षण करने का अधिकार है और यदि मीटर खराब पाया जाता है तो मीटर बदला जायेगा तथा त्रुटिपूर्ण अवधि के लिए बिलिंग उस माह से पूर्व जिसमें कि दोष संज्ञान में आया के पिछले तीन बिलिंग चक्र के औसत उपभोग के आधार पर जारी की जायेगी। इसके अलावा दिसम्बर 2004 के दर सूची के अनुसार यदि मीटर खराब होने के पूर्व पिछले तीन बिलिंग चक्र की उपभोग उपलब्ध नहीं हो अथवा आंशिक उपलब्ध हो तो मरम्मत किये गये मीटर की स्थापना/बदले जाने के बाद के लगातार तीन बिलिंग चक्र के उपभोग को अनुमानित उपभोग प्राक्कलन हेतु लिया जायेगा।

उपभोक्ताओं के मीटरों की शुद्धता सुनिश्चित न करने के कारण कम्पनियों ने 1.30 करोड़ रुपये की हानि वहन की

उपभोक्ताओं के मीटरों की शुद्धता को सुनिश्चित न करने के कारण पविविनिलि तथा मविविनिलि ने उपभोक्ताओं को 1.30 करोड़ रुपये का कम देयकीकरण किया जिसकी चर्चा नीचे की गयी है।

- पविविनिलि के नविविख-III, गाजियाबाद में यह अवलोकित हुआ कि सुनीता ट्रेडिंग कार्पोरेशन का संयोजित भार 3200 केवीए था तथा इसका विद्युत उपभोग 7.77 से 11.39 लाख केवीएएच (अप्रैल 2005 से सितम्बर 2005)

1 विविख-I बुलन्दशहर, विविख बड़ौत, विविख-II, सहारनपुर, विनविख-II, मुरादाबाद तथा विविख, गजरौला

2 विविख बड़ौत, विविख-II, मेरठ, विनविख-I, मुजफ्फरनगर

3 आपूर्ति संहिता 2005 का प्रस्तर संख्या 5.6 तथा 5.7

था। उपभोग में गिरावट (अक्टूबर 2005) शुरू हो गयी और यह 5.02 लाख से 6.09 लाख केवीएएच के बीच (अक्टूबर 2005 से जनवरी 2006)हो गयी खण्ड इस तथ्य से भिज्ञ था कि उपभोक्ता एक बड़ा औद्योगिक उपभोक्ता है, इसके बावजूद न तो कम खपत की विवेचना की गई और न ही, मीटर की शुद्धता की जांच की गई यद्यपि कि मीटर के भार सर्वे रिपोर्ट (27 नवम्बर से 27 दिसम्बर) में बराबर मीटर टैम्परिंग दर्शायी गयी।

इस सम्बन्ध में खण्ड ने:

- उपभोग में बदलाव को संज्ञान में न लेने से अपने वाणिज्यिक लाभ को संरक्षित नहीं किया
- मीटर की शुद्धता को सुनिश्चित नहीं किया।
- भार पड़ताल सूचना जिसमें कि 27 नवम्बर से 27 दिसम्बर 2007 की अवधि में मीटर में छेड़छाड़ को दर्शाया गया, की भी उपेक्षा की गई।

परिणामत: खण्ड ने उपभोक्ता को अक्टूबर 2005 से जनवरी 2006 की अवधि के दौरान 2181565 केवीएएच जिसका मूल्य 73.08 लाख रुपये (3.35 रुपये प्रति केवीएएच की दर से) है, का देयकीकरण पिछले तीन महीनों (जुलाई से सितम्बर 2005) के औसत उपभोग की तुलना में कम किया।

- मविविनिलि के अधिशासी अभियन्ता, विनविख, इन्दिरानगर, लखनऊ ने बराबर विद्युत नगरीय परीक्षण खण्ड-II, लखनऊ को इंगित किया (जनवरी से अप्रैल 2005) कि हिन्दुस्तान ऐरोनाटिक्स लिमिटेड (एचएएल) (संयोजित भार 11 केवी पर 5000 केवीए) में स्थापित मीटर कम उपभोग दर्ज कर रहा है। खण्ड के इस तथ्य से भिज्ञ होने के बावजूद कि उपभोक्ता एक वृहत औद्योगिक उपभोक्ता है, ने मीटर की शुद्धता सुनिश्चित नहीं की। जिसके उत्तरवर्ती, अधिशासी अभियन्ता विनपख ने मीटरिंग की जांच (जून 2006) की और प्रतिवेदित किया कि ट्रान्सफार्मर को आने वाले 11 केवी केबल के फेजेज बेमेल थे 11 फरवरी 2006 (वह तिथि जिस दिन खण्ड ने 11 केवी के केबल को बदला) को त्रुटि की शुरूआत मानते हुए, खण्ड ने 11 फरवरी 2006 से 14 जून 2006 की बिलिंग को उत्तरवर्ती तीन माहों के बिलिंग अवधि (जुलाई से सितम्बर 2006) के उपभोग के स्थान पर पिछले वर्ष के समतुल्य अवधि (जनवरी से मई 2005) के औसत उपभोग के आधार पर संशोधित कर दिया। यह संहिता 2005 का उल्लंघन था और 56.98 लाख रुपये का कम निर्धारण में परिणीत हुआ।

प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 2007) कि संशोधित देयक जारी किया जा चुका है और उसकी वसूली (अक्टूबर 2007) प्रतीक्षित है। इन सभी प्रकरणों में प्रबन्धन को त्रुटि संज्ञान में आने पर त्वरित कार्यवाही करने की आवश्यकता है जिससे कि सही राजस्व का निर्धारण हो सके।

गलत टैरिफ का प्रयोग

गलत टैरिफ लागू करने तथा देयक न जारी करने के कारण 5.60 करोड़ रुपये राजस्व की वसूली नहीं हुई

2.2.10 एलएमवी-3 उपभोक्ताओं (सार्वजनिक प्रकाश) पर 1 सितम्बर 2003 से लागू टैरिफ के अनुसार बिना मीटर के मार्ग प्रकाश उपभोक्ताओं का देयकीकरण 775 रुपये प्रति के. डब्ल्यू. प्रति माह की दर से किया जाना है।

- यह संज्ञान में आया कि विविख, गोला (मविविनिलि) के छः उपभोक्ताओं (कुल भार 179 के. डब्ल्यू.) को बिना मीटर के आपूर्ति की जा रही थी। अतएव उपभोक्ताओं के देयकी के लिए यह अपेक्षित था कि नियत प्रभार 775 रुपये प्रति के. डब्ल्यू. प्रति माह की दर से किया जाय परन्तु खण्ड ने टैरिफ के विपरीत उपभोक्ता को निर्धारित यूनिट पर देयकीकृत किया। इस प्रकार प्रबन्धन के द्वारा असावधानी से टैरिफ को सही लागू न करने के कारण राजस्व 24.22 लाख रुपये जनवरी 2004 से अप्रैल 2006 तक की अवधि में कम प्रभारित किया गया (कुल देयकी 46.61 लाख रुपये देयकीकृत 22.29 लाख रुपये)

प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 2007) कि संशोधित देयकी जारी किया जा चुका है तथा वसूली प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2007)। इसी प्रकार दर सूची एलएमवी-8 जो कि सभी राजकीय नलकूपों (एसटीडब्ल्यू) के साथ विश्व बैंक नलकूपों (डब्ल्यूवीटी) पर दिसम्बर 2004 से लागू है, में निहित है कि बिना मीटर के आपूर्ति प्रकरण में उपभोक्ताओं का देयकीकरण 500 रुपये प्रति बीएचपी प्रति माह की दर से किया जाय।

- मविविनिलि के विद्युत विरण खण्ड-I बदायूं के सम्बन्ध में यह पाया गया कि अधिशासी अभियन्ता, नलकूप खण्ड-I बदायूं (उपभोक्ता) जिसका कि कुल संयोजित भार 5977 बीएचपी था, का देयकीकरण बिना मीटर श्रेणी में सूची एलएमवी-8 में 500 रुपये प्रति बीएचपी प्रति माह के स्थान पर 400 रुपये प्रति बीएचपी प्रति माह के दर से (जनवरी 2004 से दिसम्बर 2005 तक) किया गया तथा उपभोक्ता को देयक (जनवरी से दिसम्बर 2006 तक का) नहीं जारी किये गये। परिणामतः 4.83 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि हुई जिसमें राजस्व के कम प्रभारण के कारण सकल 85.61 लाख रुपये (ऊर्जा प्रभार 77.83 लाख रुपये और शंट कैपसिटर प्रभार 7.78 लाख रुपये) तथा 3.97 करोड़ रुपये (ऊर्जा प्रभार 3.61 करोड़ रुपये तथा शंट कैपसिटर प्रभार 36.12 लाख रुपये) राजस्व की हानि, देयक (जनवरी से दिसम्बर 2006) न जारी करने के कारण हुई।

- मविविनिलि के विद्युत वितरण खण्ड-I बरेली के अभिलेखों की समीक्षा में पाया गया कि 470 एसटीडब्ल्यू/डब्ल्यूबीटीएस* जिनका संयोजित भार 6505 बीएचपी अधिशासी अभियन्ता नलकूप खण्ड-I एव II, बरेली (उपभोक्ता) के पक्ष में था जो नलकूपों के लिए ऊर्जा की आपूर्ति बिना उचित रेटिंग के शंट

* 1. नलकूप खण्ड-I, बरेली -76 डब्ल्यू बी टी एस (भार 970 बी एच पी) तथा 384 एस टी डब्ल्यू एस (भार 5382.50 बी एच पी) नलकूप खण्ड-II, बरेली-10 एसटीडब्ल्यू (भार 152.50 बीएचपी)

कैपसिटर्स स्थापित किये प्राप्त कर रहे थे और ऊर्जा प्रभार का देयकीकरण 500 रुपये प्रति बीएचपी प्रति माह के स्थान पर 400 रुपये प्रति बीएचपी प्रति माह की दर से (दिसम्बर 2004 से मार्च 2006) किया जा रहा था। उपभोक्ता मार्च 2006 के बाद से सही देयकीकृत किया जा रहा है। इस प्रकार विद्युत प्रभार के गलत देयकीकरण के परिणामस्वरूप उपभोक्ता से दिसम्बर 2004 से मार्च 2006 की अवधि तक 53.10 लाख रुपये के राजस्व, 100 रुपये प्रति बीएचपी प्रतिमाह के अन्तर की दर से उस पर 10 प्रतिशत शंट कैपसिटर्स सरचार्ज सम्मिलित करते हुए कम प्रभारित किया गया।

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर दोनों खण्डों ने देयक जारी कर दिया (जनवरी 2007) परन्तु उक्त की वसूली अभी प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2007)।

राजस्व का कम निर्धारण

2.2.11 1 दिसम्बर 2004 से प्रभावी दर सूची एच.वी.-2 के उपबन्ध 7 सपठित संहिता 2002 के उपबन्ध 5.21 के अनुसार जहां उपभोक्ता का मीटर खराब पाया जाता है तो उपभोक्ता को मीटर खराब होने की तिथि से पूर्व पिछले तीन माह के देयकी चक्र के औसत उपभोग के आधार देयकीकृत पर किया जायेगा।

पविविनिलि के विविख-II, सहारनपुर के तीन एचवी-2 उपभोक्ताओं के सम्बन्ध में यह पाया गया कि उनके परिसर में स्थापित मीटर समय-समय पर खराब हो गए। परन्तु खण्ड ने उपभोक्ताओं को या तो गलत या कम अवधि के लिये देयकीकृत किया। जिसके परिणामस्वरूप 16.61 लाख रुपये की राजस्व हानि हुई जिसका विवरण **परिशिष्ट-16** में दर्शित है।

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर प्रबन्धन ने देयक (अप्रैल 2007) में जारी कर दिया। वसूली प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2007)।

विद्युत चोरी के लिये शमन शुल्क का अप्रभारण

2.2.12 विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 152(1) और (2) के अनुसार उपभोक्ता विद्युत चोरी के प्रकरण में दण्ड संहित प्रक्रिया 1973 के अधीन दण्डनीय है। फिर भी व्यक्ति, अपराध के लिये शमन शुल्क निर्धारित दर से जो कि विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिये लागू है का भुगतान, अपराधिक प्रक्रिया से बचने के लिए कर सकता है।

पविविनिलि के विविख, बागपत में यह संज्ञान में आया कि गोगा फूड्स लिमिटेड (एचवी-2 उपभोक्ता जिसका संयोजित भार 200 केवीए) के परिसर में 1 जून 2006 के छापे के दौरान यह पाया गया कि उपभोक्ता मीटर को बाईपास करते हुए ऊर्जा की चोरी में संलिप्त था। उपभोक्ता ने (जून 2006) शमन शुल्क का भुगतान करने से इन्कार कर दिया। उपभोक्ता द्वारा शमन शुल्क का भुगतान करने से इन्कार करने के बावजूद खण्ड ने न तो पुलिस में प्राथमिकी दर्ज की और न ही अपराधिक प्रक्रिया प्रारम्भ न करने के स्थान पर शमन शुल्क 40 लाख रुपये प्रभारित किया।

इस प्रकार, कम्पनी अपने वाणिज्यिक हित को संरक्षित न कर सकी और अपराधिक प्रक्रिया प्रारम्भ न कर या शमन शुल्क 40 लाख रुपये न वसूल कर उपभोक्ता को अनुचित लाभ प्रदान किया।

न्यूनतम प्रभार का कम प्रभारण

2.2.13 1 सितम्बर 2003 तथा 1 दिसम्बर 2004 से लागू एचवी-4 दर सूची जो कि मध्यम तथा बड़े पम्प कैनाल जिनका भार 100 बीएचपी (75 किलोवाट) से अधिक है, पर लागू है, के अधीन मांग एवं ऊर्जा प्रभार का निर्धारण न्यूनतम प्रभार* की दर से जो कि रेट आफ चार्ज में पूरे संयोजित भार हेतु निहित है, किया जाना है।

यह संज्ञान में आया कि विविख-बलरामपुर (मविविनिलि) के अन्तर्गत पम्प कैनाल के लिफ्ट सिंचाई खण्ड फैजाबाद (उपभोक्ता) के परिसर में कोई मीटर स्थापित नहीं था। खण्ड ने उपभोक्ता का सितम्बर 2003 से जुलाई 2006 तक 2500 केवीए संयोजित भार के स्थान न्यूनतम प्रभार 1575 केवीए (संयोजित भार का 75 प्रतिशत) पर देयकीकृत किया। इसके फलस्वरूप उपरोक्त अवधि में न्यूनतम प्रभार 73.74 लाख रुपये का कम प्रभारित हुआ। लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर कम्पनी ने देयक अगस्त 2007 में जारी किया जिसकी वसूली प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2007)।

तथ्य यह है कि न्यूनतम प्रभार लगभग तीन वर्षो तक कम प्रभारित हुआ और कम्पनी के पास कोई आन्तरिक तंत्र नहीं है जिससे गलत देयकीकरण को प्रबन्धन के संज्ञान में ला सके।

संयोजित मांग से अधिक मांग पर दण्ड प्रभार का प्रभारण न होना।

2.2.14 1 दिसम्बर 2004 से लागू दर सूची एचवी-4 के उपबन्ध 9(ii) जो कि मध्यम तथा वृहत पम्प कैनाल्स, जिनका भार 100 बीएचपी (75 किलोवाट) से अधिक है, में व्यवस्था है कि अधिकतम मांग यदि किसी माह में संयोजित मांग से बढ़ती है तो इस बढ़ी मांग को सामान्य दर के दुगने से प्रभारित किया जायेगा। मविविनिलि विविख-II, रायबरेली में यह संज्ञान में आया कि 33 केवी हेड साईड पम्प कैनाल डलमऊ जिसका संयोजित भार 4000 केवीए था, को ऊर्जा 33 केवी वोल्टेज पर आपूर्ति की जा रही थी। पम्प कैनाल की वास्तविक अधिकतम मांग संयोजित मांग से अधिक थी जो कि 5700 केवीए से 5740 केवीए के बीच अगस्त से दिसम्बर 2006 (नवम्बर 2006 के अतिरिक्त) थी। खण्ड ने न तो उपभोक्ता को उन चार माह में संयोजित मांग से आहरित सकल अधिक मांग 6050 केवीए को 340 रुपये (सामान्य दर का दुगुना) प्रति केवीए की दर से प्रभारित किया और न ही आपूर्ति विच्छेदन की कोई कार्यवाही की गई जिससे कि उपभोक्ता की संयोजित मांग के बढ़ने से रोका जा सके। अधिक मांग के लिए दण्ड प्रभार प्रभारित न करने करने के फलस्वरूप राजस्व 20.57 लाख

* 1 सितम्बर 2003 से 30 नवम्बर 2004 तक 200 रुपये प्रति केवीए तथा 1 दिसम्बर 2004 से 425 रुपये प्रति केवीए प्रतिमाह की दर से

रुपये की वसूली न हो सकी। लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर कम्पनी ने देयक (जनवरी 2007) में जारी किया। वसूली अभी प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2007)।

उपभोक्ता को संरक्षित भार का अनुचित लाभ

2.2.15 1 दिसम्बर 2004 से प्रभावी दर सूची के अनुसार जिन उपभोक्ताओं को आपूर्ति 11 केवी और उससे अधिक के स्वतंत्र पोषक जो ग्रिड सब-स्टेशन (132 केवी और अधिक) से निकलते है, द्वारा की जाती है, वे संरक्षित भार की आपूर्ति सुविधा का उपयोग अनुज्ञप्तिधारी द्वारा लागू अनुसूचित कटौती की अवधि के दौरान कर सकता है। संरक्षित संयोजित भार पर प्रतिमाह अतिरिक्त प्रभार निर्धारित मांग प्रभार का 100 प्रतिशत के दर से प्रभारित होगा।

मविविलिनि में उत्तर प्रदेश सहकारी कताई मिल, बहेरी (उपभोक्ता) जिसका संयोजित भार 1700 केवीए था को अबाध ऊर्जा आपूर्ति की सुविधा प्रदान की गयी तथा अनुसूचित कटौती से मुक्त थी। दिसम्बर 2005 से मई 2006 की अवधि के दौरान खण्ड ने न तो उपभोक्ता से अनुबन्ध किया और न ही 1700 केवीए संरक्षित भार के लिए प्रभारित किया। जिसके फलस्वरूप उक्त अवधि में 18.36 लाख रुपये के राजस्व की हानि हुई।

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित करने पर कम्पनी ने देयक अगस्त 2007 में जारी कर दिया; जिसकी वसूली प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2007)।

उपभोक्ता को आफ सीजन का अनुचित लाभ

2.2.16 1 दिसम्बर 2004 से प्रभावी दर सूची के अनुसार मौसमी उद्योगों का लाभ उपभोक्ता को केवल तभी दिया जा सकता है जब वह आफ सीजन की अवधि के दौरान अपनी ऊर्जा की मांग को अपने संयोजित भार के 30 प्रतिशत पर प्रतिबन्धित करता है। यदि उपभोक्ता की मांग आफ सीजन के किसी माह में संयोजित भार के 30 प्रतिशत से बढ़ती है तो आफ सीजन उद्योग का लाभ उस मौसम में नहीं दिया जायेगा और उपभोक्ता को सामान्य दर से प्रभारित किया जायेगा।

मविविनिलि के विविख, बदायूं के 10 एचवी-2 के उपभोक्ताओं (कोल्ड स्टोरेज) जिनका संयोजित भार 97 केवीए से 132 केवीए था और ट्राई वेक्टर मीटर लगे थे, को 14.17 लाख रुपये (नवम्बर 2004 से फरवरी 2005) की आफ सीजन छूट बिना आफ सीजन के दौरान अधिकतम मांग को सुनिश्चित किये हुए, प्रदान की गयी। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों हेतु लेखा परीक्षा समिति की बैठक (अगस्त 2007) में प्रबन्धन ने आश्वस्त किया कि प्रकरण की जांच की जायेगी तथा देयक जारी किया जायेगा।

लोड फैक्टर छूट का अनियमित दिया जाना

2.2.17 दर सूची* के अनुसार, यदि ऊर्जा का उपभोग निश्चित परिभाषित अधिकतम केवीएएच अंकित मांग प्रति केवीए (अनुबन्धित मांग 1 सितम्बर 2003 से 30 नवम्बर 2004 तक) बढ़ता है तो सम्बन्धित उपभोक्ता को ऊर्जा प्रभार पर इस

* उपबन्ध 8 (i) और 10 (ii) 1 सितम्बर 2003 एवं 1 दिसम्बर 2004 से प्रभावी

अधिक उपभोग के लिए मासिक आधार पर वर्गीकृत छूट की व्यवस्था है। पुनश्च: यह छूट बकाया वाले उपभोक्ताओं को नहीं दी जानी थी। किसी प्रकरण में यदि उपभोक्ता ने किसी न्यायालय अथवा संवैधानिक प्राधिकारी से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है तो लोड फैक्टर छूट की राशि जिसका कि उपभोक्ता पात्र है के सम्बन्ध में देयक की राशि की गणना की जायेगी। परन्तु वह उपभोक्ता को उपार्जित होगा। इसके अतिरिक्त उपभोक्ता को वास्तविक लाभ उसके मासिक देयक में तब दिया जायेगा जबकि बकाया से सम्बन्धित विवाद अन्तिम रूप से सक्षम न्यायालय/संवैधानिक प्राधिकारी द्वारा निर्णीत हो जाय।

मविविनिलि के विविख, बाराबंकी में यह संज्ञान में आया कि एक उपभोक्ता (उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग मिल नं. 1 एवं नं. 2) के विरुद्ध दिसम्बर 2003 से अगस्त 2005 की अवधि के स्वतंत्र पोषक अधिभार को देरी से भुगतान करने से सम्बन्धित बकाया राशि 7.09 लाख रुपये (विलम्ब भुगतान अधिभार) सितम्बर 2006 तक बकाया था। उक्त प्रावधान के विरुद्ध, खण्ड ने सितम्बर 2005 से अगस्त 2006 की अवधि में अमान्य छूट 20.32 लाख रुपये प्रदान किया। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों हेतु लेखा परीक्षा समिति की बैठक में प्रबन्धन ने तथ्य को स्वीकार्य किया (अगस्त 2007) और देयक जारी करने का आश्वासन दिया।

उपभोक्ता के छोर पर कैपसिटर्स बैंक की प्रबन्धन में विफलता

शंट कैपसिटर एवं लो पावर फैक्टर अधिभार को पविविनिलि एवं मविविनिलि द्वारा न लगाने से 4.82 करोड़ रुपये राजस्व की हानि हुई

2.2.18 यूपीईआरसी ने (दिसम्बर 2004) सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए औसत पावर फैक्टर 0.85 बनाये रखने को अनिवार्य कर दिया है। इस सम्बन्ध में निम्न प्रावधान बनाये गये:

- पावर फैक्टर को नापने हेतु, बत्ती पंखा और शक्ति के 25 किलोवाट और उससे अधिक तथा मोटिव पावर के बीएचपी और अधिक के कोई भी नया संयोजन बिना स्टेटिक ट्राई वेक्टर मीटर (टीवीएम) के स्थापना के न दिया जाय।
- उपयुक्त क्षमता के शंट कैपसिटर्स की स्थापना के बिना तीन बीएचपी से अधिक मोटिव पावर भार का नया संयोजन न दिया जाय।
- जहाँ स्टेटिक टीवीएम्स स्थापित है और पावर फैक्टर 0.85 तथा 0.80 से नीचे रहता है उन प्रकरणों में क्रमश: 5 प्रतिशत तथा 10 प्रतिशत अधिभार लगाया जायेगा।
- यदि पावर फैक्टर 0.70 से नीचे गिरता है तो आपूर्ति अस्थाई रूप से तब तक के लिए विच्छेदित कर दी जायेगी जब तक कि उपभोक्ता सुधारात्मक उपाय नहीं कर लेता।
- बिना स्टेटिक टीवीएम के उपभोक्ताओं के प्रकरण में यदि उपयुक्त क्षमता के शंट कैपसिटर्स गायब या अकार्यशील पाये जाते हैं तो देयक की राशि पर 10 प्रतिशत का अधिभार प्रभारित किया जायेगा।

पविविनिलि एवं मविविनिलि में शंट कैपसिटर्स अधिभार तथा लो पावर फैक्टर अधिभार न प्रभारित/कम प्रभारित करने के फलस्वरूप 4.82 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि हुई जिसकी चर्चा नीचे की गई है:

- पविविनिलि एवं मविविनिलि के दो खण्डों[1] में विभिन्न श्रेणी के 30 उपभोक्ताओं के पावर फैक्टर निर्धारित सीमा से नीचे थे (दिसम्बर 2004 से जनवरी 2007) परन्तु खण्डों ने लो पावर फैक्टर अधिभार की राशि 74.39 लाख रुपये को नहीं प्रभारित किया, जैसा कि **परिशिष्ट-17** में वर्णित है।

उन उपभोक्ताओं का, जिनका पावर फैक्टर 0.70 से नीचे था, विद्युत आपूर्ति को विच्छेदित करने में भी ये खण्ड विफल रहे। प्रबन्धन ने (अगस्त 2007) देयक जारी करने तथा राशि की वसूली का आश्वासन दिया।

- पविविनिलि के चार[2] खण्डों तथा मविविनिलि के नौ[3] खण्डों के नमूना जांच में यह संज्ञान में आया कि उपभोक्ता के अधिष्ठानों पर न तो टीवीएम और न ही शंट कैपसिटर्स स्थापित थे। फिर भी खण्डों ने शंट कैपसिटर्स अधिभार 4.08 करोड़ रुपये या तो नहीं प्रभारित किया या कम प्रभारित किया जिसका विवरण **परिशिष्ट-18 तथा 19** में है। प्रबन्धन ने (अगस्त 2007) देयकी जारी करने तथा राशि को सम्बन्धित उपभोक्ताओं से वसूली करने का आश्वासन दिया।

लो पावर फैक्टर के साथ परिचालन करने वाले उपभोक्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही न करने से हानि

2.2.19 टैरिफ सूची के अनुसार, उन उपभोक्ताओं के प्रकरण में जिनके देयक केडब्ल्यूएच के आधार पर होते हैं ऐसे उपभोक्ता पावर फैक्टर 0.90 से नीचे गिरने पर वास्तविक आपूर्तित ऊर्जा के स्थान पर कम ऊर्जा के लिए भुगतान करते हैं। इस हानि की क्षतिपूर्ति के लिए टैरिफ में उपभोक्ता को औसत पावर फैक्टर को 0.85 से अधिक बनाये रखने का दायित्व दिया है। इसके बावजूद, अनुज्ञप्तिधारी को पावर फैक्टर 0.70 से नीचे गिरने पर ऊर्जा की हानि से बचाने के लिए ऊर्जा की आपूर्ति को विच्छेदित करने का अधिकार प्रदान करती है।

पविविनिलि के नविविख-II, नोएडा (10 उपभोक्ता[4]) तथा विविख-II, मेरठ (एक उपभोक्ता[5]) में यह संज्ञान में आया कि 11 उपभोक्ताओं के पावर फैक्टर बराबर 0.23 से 0.70 के स्तर के मध्य रहे (दिसम्बर 2004 से मार्च 2007)। यद्यपि कि खण्ड ने निर्धारित दर से लो पावर फैक्टर प्रभार प्रभारित किया है परन्तु

1 विनविख-II गाजियाबाद एवं विनविख-चौक, लखनऊ

2 विनविख-II, मेरठ, विविख-I, बुलन्दशहर, विविख-बड़ौत और विविख, खुर्जा

3 विनविख-II, बरेली, विविख-II, बदायूं, विविख-I, बरेली, विविख-I एवं II, फैजाबाद, विविख, अकबरपुर, विविख, बलरामपुर, विविख, बाराबंकी और विनविख, चौक, लखनऊ

4 गवर्नमेंट इम्पलाईज वेलफेयर हाउसिंग सोसाइटी, आईडीडीएसएएस, आईआईएसएएस, सेन्ट्रल गवर्नमेंट इम्पलाईज वेलफेयर हाउसिंग सोसायटी, एयर फोर्स नेवल हाउसिंग सोसायटी, गवर्नमेंट पब्लिक एस ई कारपोरेट, एफडीडी सहकारी आवास समिति, शिवा एसएएस, प्रेसिडेन्ट-राम विहार कालोनी, पब्लिक सेक्टर को-हाउसिंग सोसायटी।

5 प्रोजेक्ट मैनेजर, क्रापिंग सिस्टम

उपभोक्ताओं को पावर फैक्टर सुधारने के लिये न तो नोटिस जारी किया और न ही आपूर्ति को विच्छेदित किया। इस प्रकार, उपभोक्ताओं द्वारा कम पावर फैक्टर बनाये रखने पर भी विद्युत आपूर्ति के कारण कम्पनी को उपरोक्त अवधि में 9,88,396 के. डब्ल्यू. एच. ऊर्जा की हानि हुई (अंकित केवीएएच x 0.85 - केडब्ल्यूएच देयकीकृत) जिसका मूल्य 20.88 लाख रुपये था।

प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 2007) कि पांच उपभोक्ताओं ने पावर फैक्टर सुधार लिया है तथा बाकी उपभोक्ताओं को पावर फैक्टर सुधारने के लिये प्रेरित किया जा रहा है।

विलम्बित भुगतान अधिभार का अप्रभारण

2.2.20 यूपीईआरसी द्वारा जारी टैरिफ आदेश (नवम्बर 2004) में निहित है कि देयकों की भुगतान न की गयी बाकी राशि पर विलम्बित भुगतान अधिभार (एलपीएस) प्रथम तीन माह तक 1.25 प्रतिशत की दर से तत्पश्चात् 1.5 प्रतिशत की दर से प्रभारित होगा। उक्त क्लाज को यूपीपीसीएल द्वारा जारी (नवम्बर 2004) दर सूची एलएमवी-3 (1 दिसम्बर 2004 से प्रभावी) में शामिल नहीं किया गया। फिर भी, यूपीपीसीएल ने अपनी अधिसूचना (मार्च 2005) में बताया कि यदि कोई विसंगति दर सूची में पाई जाती है तो यूपीईआरसी द्वारा जारी टैरिफ आदेश के प्रावधान ही लागू होंगे।

पविविनिलि के विनविख-II, मेरठ में यह अवलोकित किया गया कि उपरोक्त क्लाज को यूपीपीसीएल द्वारा प्रचारित दर सूची में शामिल न करने के कारण विलम्बित भुगतान अधिभार 65.74 लाख रुपये एलएमवी-3 के उपभोक्ताओं पर विनविख-II, मेरठ द्वारा भुगतान देर से करने या न करने के कारण दिसम्बर 2004 से अक्टूबर 2006 की अवधि के दौरान प्रभारित न किया जा सका।

प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 2007) कि एलएमवी-3 (स्ट्रीट लाईट) उपभोक्ताओं का देयक सम्बन्धित नगर निगम प्राधिकारियों द्वारा मासिक आधार पर सत्यापित कराने के बाद यूपीपीसीएल को केन्द्रीयकृत भुगतान प्राप्त करने के लिए भेजा जाता है अतएव खण्ड द्वारा एलपीएस प्रभारित नहीं किया जाता जो कि एलएमवी-3 के दर सूची में शामिल नहीं है। जैसा कि प्रबन्धन ने एलपीएस प्रभारित न करने का कारण वताया, यह पद्धति की कमी है जिसे खत्म करने की आवश्यकता है। जिससे कि जब भी भुगतान देर से प्राप्त हो एलपीएस प्रभारित किया जा सके।

देयको का पुनरीक्षण

2.2.21 वितरण संहिता 2002 के प्रस्तर 4.36 के अनुसार यदि उपभोक्ता द्वारा ऊर्जा देयक का भुगतान, भुगतान की देय तिथि से सात दिन के अन्दर नहीं किया जाता है तो उसकी आपूर्ति अस्थायी रूप से विच्छेदित कर देनी जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त यदि उपभोक्ता लगातार छः माह तक ऊर्जा देयकों का भुगतान करने में असफल रहता है तो आपूर्ति स्थाई रूप (पी.डी.) से विच्छेदित की जानी है और देयकों का अन्तिमकरण किया जाना है। पी.डी. को अन्तिम रूप देने के लिए, अस्थाई विच्छेदन की तिथि एक प्रमुख कारक थी और यदि यह उपलब्ध न हो तो एलएमवी-3 और एलएमवी-5 के उपभोक्ताओं के मामले में सम्बन्धित क्षेत्र

के सहायक अभियन्ता (एई), अवर अभियन्ता (जेई) की एक समिति तथा एलएमवी-6 के मामले में अधिशासी अभियन्ता (ईई) की समिति द्वारा सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता के अनुमोदन से निर्धारित की जायेगी और उपर्युक्त संहिता के प्रस्तर 1.5 के प्रावधानों के अनुसार उनका निर्णय अन्तिम होगा। उपर्युक्त प्रस्तर आगे प्रावधान करता है कि समिति को, अस्थाई विच्छेदन की तिथि निर्धारित करने के लिये पड़ौसियों से सूचना प्राप्त करना चाहिए। स्थाई विच्छेदन को अन्तिम रूप देने के लिए समिति को सभी प्रकरणों में मीटर की स्थिति प्रदर्शित करने वाली मीटर प्रयोगशाला की जांच प्रतिवेदन एवं तार हटाने की तिथि प्राप्त करनी चाहिए। मविविनिलि के चार* खण्डों के अभिलेखों का नमूना जांच में पाया गया कि विभिन्न श्रेणी के 90 उपभोक्ताओं के विरुद्ध 1.10 करोड़ रुपये वसूली के लिए बकाया थे। कम्पनी ने 2005-06 एवं 2006-07 के दौरान पी डी मामलों का अन्तिमीकरण करते समय इन देयकों को 23.71 लाख रुपये में संशोधित कर दिया तथा 86.21 लाख रुपये को बिना उपयुक्त कार्यवाही के काल्पनिक बकाया के रूप में माफ कर दिया जो कि अनियमित था जिसके फलस्वरूप 86.21 लाख रुपये की हानि हुई।

प्रारम्भिक प्रतिभूति का कम प्रभारण

2.2.22 यूपीपीसीएल द्वारा (7 मार्च 1994) जारी आदेशानुसार विभिन्न उपभोक्ताओं द्वारा विद्युत संयोजन प्राप्त करते समय निम्नवत् प्रारम्भिक प्रतिभूति जमा करनी है:

उपभोक्ता की श्रेणी	दर
निजी नलकूप	200 रुपये प्रति बीएचपी
औद्योगिक उापभोक्ता	300 रुपये प्रति एचपी या न्यूनतम मासिक प्रभार का दुगुना
वाणिज्यिक	300 रुपये प्रति किलोवाट
पब्लिक वाटर वर्क्स	100 रुपये प्रति किलोवाट

स्रोत: दर सूची तथा अधिसूचनाएं।

यह संज्ञान में आया कि मविविनिलि के 2313 उपभोक्ता (विविख, बाराबंकी में 9 औद्योगिक और 2263 निजी नलकूप तथा 41 उपभोक्ताओं से 4.42 लाख रुपये विवख-I, सीतापुर में 35 औद्योगिक, एक वाणिज्यिक और पांच वाटर वर्क्स) से प्रारम्भिक प्रतिभूति 29.58 रुपये गलत दर लागू करने के कारण कम प्रभारित हुआ।

अतिरिक्त प्रतिभूति का अप्रभारण

2.2.23 वितरण संहिता 2005 के प्रस्तर 4.20 के अनुसार दो महीने के अनुमानित ऊर्जा उपभोग के समतुल्य प्रतिभूति जमा, संयोजन मुक्त करने के समय सुनिश्चित की जानी थी तथा प्रति वर्ष उसकी समीक्षा करनी थी। समीक्षा के पश्चात् यदि प्रतिभूति जमा पिछले वर्ष के औसत मासिक उपभोग पर आधारित दो महीने के

* लखनऊ के विनविख, आलमबाग, हुसैनगंज, विविख-I, सीतापुर, विविख-I, रायबरेली।

अनुमानित ऊर्जा उपभोग के देयक से कम हो जाती है तो कम्पनी उपभोक्ता को नोटिस देती है। उपभोक्ता को अतिरिक्त प्रतिभूति का भुगतान नोटिस के 15 दिन के अन्दर करना होता है। यदि उपभोक्ता अतिरिक्त प्रतिभूति जमा करने में असफल रहता है तो दोषी उपभोक्ता की आपूर्ति विच्छेदित कर दी जायेगी।

मविविनिलि के वितरण खण्डों (विविख-I, बरेली तथा विविख-I, फैजाबाद) के अभिलेखों की नमूना जांच करने पर ज्ञात हुआ कि अतिरिक्त प्रतिभूति की राशि 1.42 करोड़ रुपये उपरोक्त प्रावधान के अनुपालन में 16 उपभोक्ताओं से वसूली के लिए निर्धारित नहीं की गयी।

अतिरिक्त प्रतिभूति का निर्धारण/वसूली न करने के कारण 20.23 लाख रुपये परिहार्य ब्याज के भुगतान के दायित्व का वहन करना पड़ा क्योंकि कम्पनी का संचालन उधार के धन पर हो रहा है और कम्पनी 14.25 प्रतिशत प्रतिवर्ष के दर से ब्याज का भुगतान करती है।

विद्युत कर का अप्रभारण

2.2.24 वितरण संहिता 2005 के उपवाक्य 3.9 के अनुसार विद्युत कर 0.03 रुपये प्रति यूनिट और 0.09 रुपये प्रति यूनिट के दर से क्रमशः प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों/कार्यालयों और सरकारी उपभोक्ताओं के अलावा अन्य उपभोक्ताओं जिन्हें आपूति मीटर द्वारा की जाती है के दर से प्रभारित होगा। मीटर सहित आपूर्ति के प्रकरण में विद्युत कर का प्रभारण 20 प्रतिशत की दर से स्थिर टैरिफ दर पर किया जायेगा। पविविनिलि के नविविख-II, मुरादाबाद तथा नविविख-III, मेरठ में यह संज्ञान में आया कि पीएसी तथा छावनी के आवासीय कालोनियों को आपूर्ति की गई ऊर्जा पर विद्युत कर की राशि 3.60 लाख रुपये तथा 11.27 लाख रुपये या तो बिल्कुल नहीं या कम प्रभारित किये गये। इसके अलावा मविविनिलि के विविख, बहराइच ने भी 34.88 लाख रुपये विद्युत कर नहीं प्रभारित किया। जिसके फलस्वरूप अगस्त 2003 से जनवरी 2007 के मध्य 49.75 लाख रुपये विद्युत कर का कम प्रभारण हुआ।

इंगित किये जाने पर प्रबन्धन (पविविनिलि) ने देयक (अगस्त 2007) में जारी कर दिया जिसकी वसूली प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2007)।

राजस्व का संग्रहण

2.2.25 चूंकि विद्युत की बिक्री से प्राप्त राजस्व वितरण कम्पनियों के आय का मुख्य स्रोत है, इसलिए राजस्व का शीघ्र संग्रहण की धारणा अति महत्वपूर्ण हो जाती है। वितरण संहिता 2002 और 2005 में किये गये प्रक्रिया के अनुसार उपभोक्ता देयक का भुगतान मुद्रा, चेक या डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा करें। **परिशिष्ट-20**, वर्ष के प्रारम्भ में बकाया अवशेष, राजस्व निर्धारण, राजस्व संग्रहण तथा पविविनिलि एवं मविविनिलि द्वारा 2003-04 (12 अगस्त 2003 से) से 2006-07 के दौरान माफ की गई राशि दर्शाती है।

पविविनिलि तथा मविविनिलि के प्रकरण में, मार्च 2005 के अन्त में बकाया राशि क्रमशः 1906.35 करोड़ रुपये तथा 1152.21 करोड़ रुपये से बढ़कर 2242.91

करोड़ रुपये (117.65 प्रतिशत) तथा 1535.81 करोड़ रुपये (133.29 प्रतिशत) मार्च 2007 के अन्त में हो गई। पविविनिलि में कुल बकाया से सम्बन्धित वसूली का लक्ष्य का स्तर वर्ष 2004-05 से 2006-07 के दौरान 52.39 और 55.99 प्रतिशत के मध्य था और मविविनिलि में 53.05 से 60.66 प्रतिशत 31 जनवरी 2007 तक तीन वर्षों के दौरान था जो कि पुराने बकाया की खराब वसूली को दर्शाता है।

यह भी संज्ञान में आया कि राजस्व की कम वसूली का मुख्य कारण, देयकों के वितरण की अपर्याप्त व्यवस्था, बड़े बकाया वाले दोषी उपभोक्ताओं की आपूर्ति का विच्छेदन न करना, वसूली प्रमाण-पत्र (आर. सी.) का देर से/न जारी करना तथा जारी आर. सी. का अनुसरण न करना, आदि थे।

देयकों के वितरण की अपर्याप्त व्यवस्था

2.2.26 राजस्व की त्वरित वसूली के लिए विद्युत देयकों के वितरण की उचित तथा सामयिक व्यवस्था अति महत्वपूर्ण है। मविविनिलि के सभी जोनों (लेसा जोन के अतिरिक्त) में यह पाया गया कि घरेलू, वाणिज्यिक, छोटे तथा लघु शक्ति के उपभोक्ताओं के देयक कम्प्यूटर बिलिंग सर्विस सेन्टर (सीबीएससी) द्वारा निजी ठेकेदारों (कम्प्यूट्रानिक्स इण्डिया तथा साई कम्प्यूटर्स) द्वारा मई 2005 से नवम्बर 2006 की अवधि के लिए 96.38 लाख रुपये मूल्य पर बनाये गये। ये देयक 20 जिलों में स्थित सम्बन्धित खण्डों को उपभोक्ताओं को वितरण के लिए भेजे गये। चार खण्डों* के अभिलेखों के नमूना जांच में पाया गया कि यद्यपि ये विद्युत देयक निजी ठेकेदारों द्वारा विभिन्न अन्तरालों पर बांटे गये और ग्रामीण क्षेत्रों में इन बिलों के वितरण की व्यवस्था अप्रभावी थी। सम्बन्धित खण्ड देयकों के वितरण की देखरेख नहीं कर रहे थे। इस प्रकार, देयकों के वितरण की उचित व्यवस्था की कमी के फलस्वरूप राजस्व की वसूली नहीं हुई तथा बकाये की काफी धनराशि बढ़ गई।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों हेतु लेखा परीक्षा समिति की बैठक (अगस्त 2007) में प्रबन्धन ने स्वीकार किया कि वे विद्युत देयकों के वितरण में कठिनाई अनुभव कर रहे हैं और बताया कि डाक अधिकारी भी विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत देयकों को ठीक ढंग से वितरित नहीं कर पा रहे है।

ठेकेदार (ई-सुविधा) द्वारा राजस्व की वसूली

2.2.27 मविविनिलि एवं ई-सुविधा (सूचना प्रौद्योगिक एवं इलेक्ट्रानिक विभाग, उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत गठित एक समिति जो समिति निबन्धन अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत सरकारी समिति के रूप में) के मध्य लेसा के ऑन लाइन बिलिंग (ओएबी) प्रणाली को ई-सुविधा को हस्तान्तरण करने के लिए एक एमओयू हस्ताक्षरित (जुलाई 2006) हुआ। परिणामस्वरूप, ओएलबी को, ई-सुविधा को 8 अगस्त 2006 को हस्तान्तरित कर दिया गया। अनुबन्ध के अनुसार, ई-सुविधा को ओएलबी के वर्तमान हार्डवेयर तथा नेटवर्किंग के उपस्कर का अनुरक्षण करना था और प्रभावी क्रियाकलाप सुनिश्चित करना, लेसा के डाटा सेंटर के

* विविख-I रायबरेली, विविख, बाराबंकी, विविख सुल्तानपुर एवं विविख-I सीतापुर

उच्चीकरण/बिलिंग के नये हार्डवेयर नये एप्लीकेशन के साथ बदलने की योजना बनाना तथा एकत्र राशि के साथ प्राप्त किये गये चेक्स या डिमाण्ड ड्राफ्ट को सम्बन्धित खण्ड के बैंक खाते में अगले कार्य दिवस को एक समाहित बैंकर्स चेक द्वारा जमा करना था।

ई-सुविधा के साथ हुए एमओयू, मविविनिल के हित में नहीं था जैसा कि निम्न तथ्यों से प्रकट होता है:

- जिस व्यक्ति ने ई-सुविधा की तरफ से समन्वयक बनकर एमओयू पर हस्ताक्षर किये उस व्यक्ति की स्थिति को प्रकट नहीं किया गया;
- ई-सुविधा ने अनुबन्ध के प्रावधानों को पूरा नहीं किया;
- ओएलवी प्रणाली प्राय: खराब रही (अगस्त 2006 से जनवरी 2007) जिसके कारण राजस्व संग्रहण में गम्भीर परेशानियां हुई;
- लखनऊ के नविविख, इन्दिरानगर और चौक के सम्बन्ध में ई-सुविधा ने अनुबन्ध की शर्तों के विपरीत एकत्र की गई राशि को इन खण्डों के आईसीआईसीआई बैंक के खाते में तीन से आठ दिनों की देरी से स्थानान्तरित किया।
- मुख्य अभियन्ता (लेसा) ने आदेश किया (मार्च 2007) कि उपभोक्ताओं द्वारा राजस्व के सभी चेक सम्बन्धित खण्ड के नाम के स्थान पर ई-सुविधा के नाम पर आहरित किये जाय। आदेश में इसके अलावा यह भी व्यवस्था थी कि ई-सुविधा खण्ड के खाते में राशि को चौथे दिन स्थानान्तरित करेगा।

इस प्रकार ई-सुविधा को, ई-सुविधा के नाम से चेक प्राप्त करने तथा ई-सुविधा को एकत्रित राजस्व की लगभग 6.84 करोड़ रुपये (लगभग 1.71 करोड़ रुपये की प्रतिदिन संग्रहण की दर से) को संग्रहण की तिथि से चार दिन तक रखने की अनुमति प्रदान कर अनुचित पक्षपात प्रदान किया गया। प्रबन्धन ने बताया (सितम्बर 2007) कि ई-सुविधा का कार्य राज्य सरकार के आदेशानुसार दिया गया। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों हेतु लेखा परीक्षा समिति की बैठक में प्रबन्धन ने ई-सुविधा के स्थान पर सम्बन्धित खण्डों के नाम से चेक आहरित करने के लिए सहमति प्रदान की (अगस्त 2007)।

निधि हस्तान्तरण में देरी के कारण ब्याज की हानि

2.2.28 यूपीपीसीएल ने सभी क्षेत्र के इकाइयों को निर्देशित (दिसम्बर 2005) किया कि सिस्टम लोडिंग चार्जेज, सर्विस कनेक्शन चार्जेज तथा जमा कार्य की राशि को अपनी-अपनी कम्पनियों के मुख्यालय को प्रेषित करना है। यह राशि प्रत्येक माह की सात तथा 20 तारीख को भेजी जायेगी।

विविख-I, बदायूं (खण्ड) के लेखा परीक्षा के दौरान यह संज्ञान में आया (जनवरी 2007) कि खण्ड ने उपरोक्त निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त राशि को कम्पनी के मुख्यालय को स्थानान्तरित नहीं किया। जिसके फलस्वरूप 5.58 लाख रुपये (अगस्त 2005) से 1.62 करोड़ रुपये (दिसम्बर 2006) तक की राशि खण्ड स्तर पर न्यूनतम अवशेष के रूप में बैंक में रूकी रही। इसके फलस्वरूप, 17.92 लाख

रुपये ब्याज की हानि 14.25 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से, बैंक द्वारा उपरोक्त अवधि में रोकी गई न्यूनतम मासिक अवशेष पर गणना करने से हुई।

अत्यधिक बकाया वाले उपभोक्ताओं की आपूर्ति का अविच्छेदन

2.2.29 वितरण संहिता[1] 2002 तथा 2005 के अनुसार उपभोक्ता द्वारा विद्युत देय देयक में इंगित तिथि के अन्दर जमा न करने के प्रकरण में आपूति को अस्थाई रूप से विच्छेदित कर दिया जायेगा। पविविनिलि के नौ[2] खण्डों में यह संज्ञान में आया (मार्च 2007) कि 411 उपभोक्ताओं, जिनके ऊपर प्रति उपभोक्ता एक लाख रुपये या उससे अधिक बकाया था, ने विद्युत देयों का भुगतान 6 से 253 माहों से भुगतान नहीं किया तथा उक्त प्रावधानों के अन्तर्गत उनकी आपूर्ति को विच्छेदित नहीं किया गया। 411 दोषी उपभोक्ताओं की आपूर्ति को विच्छेदित न करने के कारण बकाया 10.78 करोड़ रुपये (फरवरी 2007) एकत्रित हो गया। मविविनिलि के तीन[3] प्रकरणों में यह पाया गया कि उपभोक्ताओं की समय से आपूर्ति के विच्छेदन में विफलता के कारण बकाया 4.10 करोड़ रुपये एकत्रित हो गया। इन सभी प्रकरणों में बकाया का एकत्र होना, प्रबन्धन का देयकों की वसूली के लिए संहिता के प्रावधानों के अनुसार 6 से 253 महीनों से अधिक समय तक कार्यवाही न करने के कारण था।

स्थायी विच्छेदन (पी.डी.) तथा इसके अन्तिमीकरण और वसूली प्रमाण-पत्र को निर्गत करने में देरी

2.2.30 वितरण संहिता 2005 के क्लाज 4.38 के अनुसार, जहां उपभोक्ता की आपूर्ति अस्थायी रूप से विच्छेदित की जाती है, उसको स्थायी रूप से विच्छेदित कर दिया जाए अगर बकाया 6 माह के भीतर जमा नहीं कर दिया जाता है और देयकों को उसी के अनुसार अन्तिमीकरण कर दिया जाए। यदि प्रारम्भिक प्रतिभूति के समायोजन के उपरान्त कोई बकाया निकलता है तो वसूली के लिए धनराशि का उल्लेख करते हुए एक सूचना उपभोक्ता को निर्गत करनी चाहिए। अगर सूचना की धनराशि को जमा करने में उपभोक्ता विफल हो जाता है तो उत्तर प्रदेश सरकार विद्युत उपक्रम (देय वसूली) अधिनियम, 1958 की धारा 5 के तहत बकाये की वसूली हेतु वसूली प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाते हैं।

स्थायी विच्छेदन के अन्तिमीकरण में विफल/देरी करने के कारण पविविनिलि को 9.43 करोड़ रुपये की वसूली नहीं हो पायी जैसा नीचे वर्णित है:-

स्थायी विच्छेदन प्रकरणों के अन्तिमीकरण में विफलता

2.2.31 पविविनिलि के आठ[4] खण्डों में, जैसा कि परिशिष्ट-21 में दर्शित है, 254 उपभोक्ता जिनके विरुद्ध एक लाख रुपये से अधिक बकाया था, ने अपने

1 विद्युत वितरण संहिता 2002 तथा 2005 के क्लाज 4.66.1 तथा 4.36

2 विविख, गजरौला, विनविख-II तथा III, मेरठ, विनविख-III, गाजियाबाद, विनिवख-II, नोएडा, विविख-II, सहारनपुर, विविख-बड़ौत, विविख-II, मेरठ और विनविख-I, मुजफ्फरनगर

3 दि इण्डियन टर्पेन्टाइन एण्ड रोजिन कम्पनी लिमिटेड, विनविख-II, बरेली, यू पी सहकारी कताई मिल, बहेरी, विविख-I, बरेली और इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज, विविख-I, रायबरेली

4 विविख, गजरौल, विनविख-III, मेरठ, विनविख -II, नोएडा, विविख-II, सहारनपुर, विविख-बड़ौत, विविख-मेरठ और विनविख -I, मुजफ्फरनगर विनविख-III, गाजियाबाद,

देयों को 7 से 150 महीनों से नहीं जमा किया। इन उपभोक्ताओं की आपूर्ति अस्थाई रूप से काट दी गयी तथा बिलिंग रोक दी गई। कम्पनी ने इन उपभोक्ताओं की आपूर्ति को न तो स्थाई रूप से विच्छेदित किया और न ही लेखों का अन्तिमीकरण किया। जिसके फलस्वरूप बकाया की राशि 8.43 करोड़ रुपये वसूली नहीं जा सकी (अक्टूबर 2007)।

स्थाई विच्छेदन के प्रकरण में प्रबन्धन की अकर्मण्यता के कारण बकाया एकत्रित हुआ इसके अतिरिक्त दोषी उपभोक्ताओं द्वारा ऊर्जा की चोरी को नकारा नहीं जा सकता क्योंकि उन प्रकरणों में जहां विद्युत आपूर्ति अस्थाई तौर पर विच्छेदित की गयी वहां न तो मीटर और न ही केबल को हटाया गया।

वसूली प्रमाण-पत्र का देरी से/न जारी करना

2.2.32 पविविनिलि के छ:* खण्डों में 231 उपभोक्ताओं, जिनके विरुद्ध सकल बकाया एक करोड़ रुपये था, की आपूर्ति स्थाई रूप से 1 से 179 महीनों (जनवरी 1992 से फरवरी 2007) के अन्तराल पर की गई। उपभोक्ताओं के लेखों का अन्तिमीकरण स्थाई विच्छेदन के 1 से 89 महीनों के पश्चात् किया गया। परिणामत:; वसूली प्रमाण-पत्र अस्थाई विच्छेदन की तिथि से (स्थाई विच्छेदन का अन्तिमीकरण करने के लिये छ: माह देने के बाद) 3 से 138 महीनों (जून 1995 से दिसम्बर 2006) की देरी से जारी किये जा सके। इस प्रकार वसूली प्रमाण-पत्र का देरी/न जारी करने से बकाया राशि एक करोड़ रुपये की वसूली की सम्भावना दूर-दूर तक नहीं है।

प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 2007) कि स्थाई विच्छेदन के अन्तिमीकरण के प्रयास किये जा रहे हैं।

राजस्व का लेखांकन

2.2.33 वसूल किये गये राजस्व का लेखांकन अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि वसूल किये गये राजस्व को सही तरीके से कम्पनी की पुस्तकों एवं बैंक खातों में ले लिया गया है। राजस्व के संग्रहण और इसके लेखांकन एवं बैंक में प्रेषित धनरराशि के मिलान पर उचित नियंत्रण के लिये कम्पनी ने दिन-प्रतिदिन राजस्व का संग्रहण एवं उसको अगले दिन बैंक में जमा करने के लिये प्रक्रिया निर्धारित की थी। यूपीपीसीएल के वाणिज्यिक एवं राजस्व मैनुअल में निहित है कि वितरण खण्ड में पदस्थापित सहायक अभियन्ता (ए.ई.) तथा खण्डीय लेखाकार राजस्व (डी.ए.आर.) यह सुनिश्चित करेंगे कि राजस्व वसूला गया तथा कम्पनी के लेखों की किताब में और बैंक खाते में संग्रहण के तुरन्त बाद ही लेखांकन किया गया। सात दिनों के अन्दर चेक की राशि वसूली न होने के प्रकरण में उपभोक्ता के लिए विलम्बित भुगतान अधिभार का निर्धारण किया जायेगा। इसके उत्तरवर्ती चेकों के अनादृत होने पर आपूर्ति के विच्छेदन के अतिरिक्त फिर देयकों का भुगतान चेक के द्वारा करने की सुविधा को बन्द कर दिया जायेगा। इस सम्बन्ध में निम्न बिन्दु संज्ञान में आये:

* विनविख-I, मुजफ्फरनगर, विनविख -II, नोएडा, विनविख -III, गाजियाबाद, विविख-II, सहारनपुर, विविख-II, मेरठ तथा विविख-बड़ौत,

बैंक समाधान विवरणी का न तैयार किया जाना

2.2.34 खण्ड में पदस्थापित राजस्व लेखाकार बैंक समाधान विवरणी (बै.स.वि.) प्रत्येक माह में राजस्व कैश बुक तथा बैंक विवरण में अन्तर को मिलान करने के लिए तैयार करेगा। पविविनिलि के आठ[1] खण्डों में बै.स.वि. नहीं तैयार किया गया तथा अवशेषों का मिलान मार्च 2007 के अन्त में 2 से 31 महीनों से नहीं किया गया। इसी प्रकार मविविनिलि के छ:[2] खण्डों में प्राप्ति लेखा का बै.स.वि. नहीं तैयार किया गया तथा मिलान मार्च 2007 के अन्त में 3 से 31 महीनों से नहीं किया गया। बै.स.वि. के बनाने में देरी से गबन का खतरा व निधि का कम्पनी के खाते में देरी से जमा होना इत्यादि है।

पविविनिलि के प्रबन्धन ने (अगस्त 2007) में बताया कि बैंक समाधान अद्यतन करने के प्रयास किये जा रहे है।

बिना भुनाये गये चेक

2.2.35 मविविनिलि के छ:[3] खण्डों में 2.35 करोड़ रुपये के चेक्स (दिसम्बर 2001 से मार्च 2006) बैंक में जमा किये गये उनका क्रेडिट सम्बन्धित बैंकों द्वारा कम्पनी के खाते में नहीं किया गया। इन चेकों के भुगतान के विरुद्ध खण्ड के पास न तो उपभोक्ता का विवरण, देयक माह इत्यादि है और न ही बैंक समाधान विवरणी को 3 से 31 महीनों में बनाया गया है। छः माह से अधिक विलम्ब होने पर चेक्स कालातीत हो जाते है और उनकी राशि जो कि 2.35 करोड़ रुपये है वसूली नहीं जा सकती।

अनादृत चेक

2.2.36 वितरण संहिता 2005 के उपबन्ध 6.21 के अनुसार उन उपभोक्ताओं को जिनका चेक अनादृत हो गया है उन्हें तुरन्त सूचित किया जाना चाहिए जिससे कि उनके द्वारा, उन अनादृत चेकों के विरुद्ध भुगतान सात दिनों के अन्दर नकद जमा कर सकें। विविख, सुल्तानपुर (मविविनिलि) ने 9.59 लाख रुपये के चेक जो कि उपभोक्ताओं से प्राप्त हुये थे को संग्रहण के लिए बैंक में बिना लेखों की पुस्तकों में लेखांकित किये हुए जमा (जून 2005 से सितम्बर 2006) किया जो कि बाद में अनादृत हो गये। उपरोक्त के अतिरिक्त मविविनिलि के चार[4] खण्डों में 94 चेक्स जिनका मूल्य 36.63 लाख रुपये था उपभोक्ता द्वारा जमा किये गये थे (मार्च 2003 से दिसम्बर 2006) जो कि बैंकों द्वारा अनादृत कर दिये गये।

ऐसे उपभोक्ताओं के विरुद्ध विलम्बित भुगतान अधिभार लगाने, पुनः चेक द्वारा भुगतान करने की सुविधा, आपूर्ति का विच्छेदन, अनादृत चेक के लिए दण्ड लगाने

1 विनविख-I, मुजफ्फरनगर, विनविख-II, नोएडा, विनविख-III, गाजियाबाद, विविख-II, सहारनपुर, विनविख-II, मेरठ विविख-II, मेरठ विनविख-II, मुरादाबाद तथा विविख-गजरौला,

2 विनविख-II, बरेली, विविख-II, बरेली, विविख-II, बदायूं विविख-I, रायबरेली विनविख-चौक, विविख-I, फैजाबाद

3 विनविख-II, बरेली, विविख-I, बरेली, विविख-I, रायबरेली बदायूं विविख-I, रायबरेली विनविख-चौक, विविख-I, फैजाबाद

4 विविख-I रायबरेली, विविख सीतापुर, विनविख इन्दिरानगर एवं विनविख चौक लखनऊ

तथा कोई बैंक अधिभार भुगतान किया गया हो, की वसूली के लिए कोई भी कार्यवाही नहीं की गई।

कैशबुक नहीं/देर से तैयार करना

2.2.37 मविविनिलि के विविख-I, सीतापुर में यह संज्ञान में आया कि नकद की प्राप्ति एवं भुगतान खण्ड की कार्य, राजस्व तथा पूंजीगत कैशबुक में अंकित (मई 2006 से फरवरी 2007) नहीं किये गये। इंगित किये जाने पर इसका कैश बुक में लेखन देर से (मार्च 2007) किया गया। इसके अतिरिक्त यह भी संज्ञान में आया कि उक्त अवधि की रोकड़ की गिनती से सम्बन्धित प्रमाण-पत्र का लेखन देर से माह के अन्त में किया गया यद्यपि, वास्तव में रोकड़ की गिनती नहीं की गई। इस प्रकार रोकड़ की प्रविष्टियों का कैश बुक में प्राप्ति एवं भुगतान के तुरन्त बाद लेखन न करने के कारण दुरुपयोग तथा गबन की सम्भावना को नकारा नहीं जा सकता।

धन का दुरुपयोग/गबन

2.2.38 मविविनिलि में आन्तरिक लेखा परीक्षा ने 0.80 लाख रुपये के गबन, 1.33 लाख रुपये का सन्देहपूर्ण भुगतान और 8.25 लाख रुपये की वित्तीय अनियमितताओं को प्रबन्ध निदेशक के कार्यालय में इंगित किया (मार्च 2006)। इसके कारण सम्बन्धित रोकड़िया को निलम्बित कर दिया गया तथा उसके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करा दी गई (मार्च 2006)। रोकड़िया हाईकोर्ट में चला गया (3 अप्रैल 2006), जिसने अपने आदेश (25 मई 2006) में कम्पनी को जांच त्वरित कर चार महीने के अन्दर पूरा करने को कहा। यह पाया गया कि कम्पनी जांच कर गबन के पूरे तथ्य तथा वित्तीय दुरुपयोग स्थापित कर स्वच्छ रूप से कर्मचारी के दायित्व को हाईकोर्ट के निर्देशानुसार चार माह में निर्धारित करने में असफल रही। सम्बन्धित कर्मचारी से; दुरुपयोग/गबन की गई राशि को वसूलने के लिए दायित्व निर्धारित करने के लिए जांच करने के स्थान पर मविविनिलि के प्रबन्ध निदेशक कार्यालय ने नयी रोकड़बही 9 मार्च 2006 के बैंक विवरणी के आधार पर शुरु कर दी। प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 2007) कि इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

प्रयोग की गई राजस्व रसीद बुकों का वापस न होना

2.2.39 पूर्वकालिक विद्युत बोर्ड के आदेशानुसार (जुलाई 1970), प्रयोग की गई राजस्व रसीद बुकों को, खण्ड कार्यालय को सभी पन्नों के प्रयोग होने के तुरन्त बाद या राजस्व संग्रहण में लगे कर्मचारी के स्थानान्तरण पर खण्ड कार्यालय को अभिलेख के लिए वापस कर दी जानी चाहिए। प्रयोग की गई राजस्व की बुकों के वापसी को एक रजिस्टर के माध्यम से प्रयोग की गई तथा वापस की गई रसीद बुक के विवरण को अंकित कर निगरानी की जाती है। उनके प्राप्त होने के तुरन्त बाद ही खण्ड के डीएआर/एईआर द्वारा जांची जाती है और सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाता है। राजस्व रसीद बुक के रजिस्टर को प्रत्येक माह के अन्त में बन्द किया जाता है और बची हुई रसीद बुकों का सत्यापन भौतिक रूप से करना आवश्यक है।

पविविनिलि के तीन खण्डों* तथा मविविनिलि के आठ खण्डों** को नमूना जांच में यह संज्ञान में (फरवरी 2007) आया कि क्रमश: 1218 तथा 1582 प्रयोग की गई रसीद बुकों को वापसी को बिना सुनिश्चित किये रसीद बुकें जारी की गई (मई 2002 से दिसम्बर 2006 के दौरान जारी)। रोकड़ जमा करने वालो द्वारा इतनी लम्बी अवधि तक राजस्व रसीद बुकों को न वापस करना अनियमित होने के अलावा दुरुपयोग/अस्थाई राजस्व का गबन के मौकों को प्रदान करता है।

फिक्स्ड डिपाजिट रसीदों को न भुनाना

2.2.40 यह संज्ञान में (जनवरी 2007) आया कि मविविनिलि के सेस खण्ड के पास 2.13 करोड़ रुपये के एफडीआर (संख्या में 44), किसान विकास पत्र (संख्या 290) तथा आरईसी बांड्स (संख्या 107) थे। खण्ड के पास कोई अभिलेख नहीं है जो यह दिखला सके कि इन निवेशों को किस अवधि के दौरान किया गया। इसके अतिरिक्त 1.38 करोड़ रुपये की राशि सहकारी बैंकों समेत कई बैंकों की विभिन्न शाखाओं के बचत खातों में पडी थी। इन बैंकों की कुछ शाखायें या तो बन्द कर दी गई या अन्य शाखाओं में मिला दी गई। विवरण के अभाव में प्रबन्धन के द्वारा इन एफडीआर तथा बांडों जो कि अब परिपक्व (अगस्त 2007) हो गई है, के वसूली के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई। इसके अलावा, इस राशि को खण्ड के मासिक लेखों में भी नहीं लिया गया। प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 2007) कि पूर्वकालिक विद्युत बोर्ड द्वारा खण्ड को मार्च 1993 में अधिगृहीत किया गया और कम्पनी द्वारा इसके परिसम्पतियों तथा दायित्वों को अभी अधिगृहीत करना है। दस वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है अतएव कम्पनी को एफडीआर के विवरण के लिए प्रयास करना चाहिए जिससे कि उनको भुनाया जा सके तथा धन को कम्पनी की संचालन कार्यवाही में प्रयोग किया जा सके।

वसूली के प्रयास

2.2.41 वितरण संहिता 2005 का उपबन्ध 6.15 प्रावधानित करता है कि अनुज्ञप्तिधारी के देयों के भुगतान की वसूली यूपी गवर्नमेन्ट, इलेक्ट्रिकल अंडरटेकिंग (ड्यूज रिकवरी) अधिनियम, 1958 (जैसा कि समय समय पर संशोधित) के प्रावधानों के अनुसार भूमि राजस्व बकाया के रूप में किया जायेगा।

पविविनिलि द्वारा वर्ष 2003-04 से 2006-07 (फरवरी 2007) तथा मविविनिलि द्वारा वर्ष 2004-05 से 2006-07 (अगस्त 2006) के दौरान जारी वसूली प्रमाण-पत्र तथा उनके विरुद्ध वसूली की स्थिति को **परिशिष्ट-22** में दर्शाया गया है। **परिशिष्ट-22** के विवरण से यह देखा जा सकता है कि वसूली प्रमाण-पत्र के द्वारा वसूली की स्थिति बहुत ही खराब है क्योंकि पविविनिलि द्वारा वर्ष 2003-04 से 2006-07 (फरवरी 2007) के दौरान जारी वसूली प्रमाण-पत्र 440.84 करोड़ रुपये के विरुद्ध केवल 56.61 करोड़ रुपये तथा मविविनिलि द्वारा वर्ष 2004-05 से 2006-07 के

* विनविख-I, मुजफ्फरनगर (139), विविख-II मेरठ (987), विविख-II सहारनपुर (92)

** विविख बाराबंकी (149), विविख-II बदायूं (28), विविख-I बरेली (878), विविख-I रायबरेली (70), विनविख, इन्दिरानगर (60), विविख सुल्तानपुर (89), विविख-I सीतापुर (213), विविख-I फैजाबाद (95)

दौरान 74.12 करोड़ रुपये के विरुद्ध 12.46 करोड़ रुपये वसूली गई। पविविनिलि के 241.23 करोड़ रुपये के 71469 तथा मविविनिलि के 42.09 करोड़ रुपये के 18036 वसूली प्रमाण-पत्र, देर से वसूली प्रमाण-पत्र जारी करना, गलत पहचान तथा प्रबन्धन द्वारा आवश्यक सुधार के बाद वापस न करने के कारण जिलों के अधिकारियों द्वारा बिना वसूली के वापस कर दिये गये। दोनों कम्पनियों ने उपभोक्तानुसार जारी वसूली प्रमाण-पत्र, वापस की गई वसूली प्रमाण-पत्र तथा उनके विरुद्ध की गई वसूली का सिलसिलेवार विवरण नही रखा है।

परिशिष्ट-22 से यह देखा जा सकता है कि पविविनिलि तथा मविविनिलि ने बकाया वसूली प्रमाण-पत्र की स्थिति का मिलान सही ढंग से नहीं किया है जैसा कि गत वर्ष के अन्तिम अवशेष तथा चालू वर्ष के प्रारम्भिक अवशेष के मध्य अन्तर द्वारा दर्शाया गया है।

प्रबन्धन (पविविनिलि) ने बताया (अगस्त 2007) कि खण्डों को वसूली प्रमाण-पत्रों की स्थिति का मिलान तथा जिला के अधिकारियों को वसूली करने के लिए अनुसरण करने हेतु निर्देशित किया जा चुका है।

छापा दलों का निष्पादन

लाइन हानियों एवं बकाया राशि के बढ़ने के बाद भी कम्पनी के छापा दलों द्वारा उपभोक्ताओं के परिसर की; की गई जांच नगण्य थी

2.2.42 चोरी/ऊर्जा की हानि के मामलों में कमी लाने के लिए एवं कम्पनी को इस कारण होने वाले भारी वित्तीय हानि से बचाने के लिए विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 163 विशिष्ट रूप से एक अनुज्ञप्तिधारी को उपभोक्ता के परिसर में प्रवेश करने एवं उपकरणों का निरीक्षण एवं परीक्षण करने के अधिकार को निर्दिष्ट करती है। यूपीपीसीएल के निगरानी विंग को मुख्यालय पर पुलिस के इन्सपेक्टर जनरल पद के अधिकारी के नेतृत्व में छापा/उपभोक्ता के परिसर का एई तथा वितरण कम्पनी से सम्बन्धित अन्य अधिकारियों की सहायता से निरीक्षण करने का कार्य सौंपा गया है। सम्बन्धित खण्ड के अधिशासी अभियन्ता से यह अपेक्षा की जाती है कि उपभोक्ता/क्षेत्र जहां बड़े पैमाने पर चोरी की सम्भावना है को चिन्हितकर छापा डालने के किये कार्य योजना बनाये। निगरानी विंग तथा सम्बन्धित खण्डों में समन्वय की कमी के कारण छापा से अपेक्षित फल प्राप्त नहीं हुआ।

मविविनिलि में वर्ष 2005-06 (अप्रैल से मई 2005 तथा सितम्बर से नवम्बर 2005 को छोड़कर) तथा 2006-07 के दौरान छापा डालने की स्थिति निम्नवत् थी:

(लाख रुपये में)

क्र0सं0	वर्ष	31 मार्च को कुल उपभोक्ताओं की संख्या	जांच किये गये उपभोक्ताओं की संख्या	निर्धारित राशि (रुपये)	वसूल की गई राशि (रुपये)	राशि वसूली नही की गई (रुपये)	निरीक्षण की कुल उपभोक्ताओं से प्रतिशत
1	2005-06	2198786	394497	7603.13	5992.35	1609.78 (21.17)	17.94
2	2006-07	2246012	261349	6946.83	5611.88	1334.95 (19.22)	11.63

स्रोत-वाणिज्यिक विवरणी

नोट- वसूल नहीं की गई राशि का प्रतिशत के अंक कोष्ठक के अन्दर दर्शाये गये है।

यद्यपि छापे के दौरान निर्धारित राशि के विरुद्ध वसूल की गई राशि का प्रतिशत वर्ष 2005-06 में 21.17 से घटकर वर्ष 2006-07 में 19.22 हो गया परन्तु इसके साथ ही जांचे गये उपभोक्ताओं का प्रतिशत भी घट गया। यह इंगित करता है कि चोरी को एकदम घटाने के लिए अधिक छापा मारने की आवश्यकता है।

केबल टी. वी. आपरेटरों को एल.टी. खम्भे पट्टे पर न देना

2.2.43 राजस्व वृद्धि हेतु नये क्षेत्रों की सम्भावनाओं के क्रम में यूपीपीसीएल ने कम्पनियों को दिल्ली विद्युत बोर्ड (डीवीबी) की पद्धति पर टी. वी. नेटवर्क हेतु तार बिछाने के लिये एलटी खम्भे पट्टे पर देने के लिए निर्देशित किया (अगस्त 2001) केबल टीवी आपरेटर्स एलटी खम्भों का प्रयोग पहले से ही कर रहे थे। मविविनिलि ने न तो कोई सर्वेक्षण कराया जिससे पता चल सके कि कितने खम्भे उनके द्वारा प्रयोग किये जा रहे हैं और न ही इन खम्भों को पट्टे पर देने का मामला तय करने के लिए पहल की। यह देखा गया कि मविविनिलि के लेखा जोन के पास 1935 कि.मी. उपरगामी एल. टी. लाइनें 21285 एल. टी. खम्भों के साथ थी। यदि इन खम्भों को पट्टे पर केबल टी. वी. आपरेटर्स को दिया गया हो तो मार्च 2007 को खत्म पिछले पांच वर्षो में अतिरिक्त राजस्व 4.25 करोड़ रुपये (डीवीबी द्वारा प्रभारित 500 रुपये प्रति खम्भे प्रति वर्ष की दर से आंकलित करने पर) की आय उत्पन्न कर ली होती। इन खम्भों को पट्टे पर देने के लिए कोई अतिरिक्त व्यय नहीं होना था।

इसी प्रकार, कम्पनी तीन अन्य जोन (फैजाबाद, लखनऊ और बरेली) के एलटी खम्भों को पट्टे पर देकर अतिरिक्त राजस्व 182.49 करोड़ रुपये मार्च 2007 को समाप्त होने वाले पिछले चार वर्षो में प्राप्त कर सकती थी। उत्तर में प्रबन्धन ने बताया (सितम्बर 2007) कि खम्भों को चिन्हित करने एवं पट्टे पर देने के लिए कार्यवाही की जा रही है।

आन्तरिक नियंत्रण तथा आन्तरिक लेखा परीक्षा

आन्तरिक नियंत्रण

2.2.44 आन्तरिक नियंत्रण एक प्रक्रिया हे जिसे परिचालन के उचित आश्वासन, वित्तीय प्रतिवेदन की विश्वसनीयता एवं उचित नियमों एवं विधि के अनुपालन हेतु अभिकल्पित किया जाता है। एक अन्तर्निहित आंतरिक नियंत्रण प्रणाली तथा विधि संहिता तथा निर्देशिका का कड़ाई से पालन गलतियों के जोखिम एवं अनियमितताओं को कम करता है। पविविनिलि एवं मविविनिलि में प्रचलित आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के मूल्यांकन से निम्नलिखित कमियाँ प्रदर्शित हुई:

- लाइन हानियों को रोकने तथा मीटरों की सावधिक जांच के लिये किसी नियंत्रण प्रणाली के गठन न होने के कारण कम्पनियां लाइन हानियों को रोकने में असफल रही;
- कम्पनियां राजस्व बकाया को कम करने के लिए, अपने देयों की समय से वसूली हेतु प्रणाली विकसित नहीं कर सकी;

- उपभोक्ताओं को अदेय लाभ देने के लिये नविविख, रेजीडेन्सी के आन लाइन बिलिंग का संकेत शब्द चुरा लिया गया;
- बैंक लेनदेन का बैंक विवरणी से मिलान नहीं किया जा रहा है;
- दोनों कम्पनियां प्रयोग की गई राजस्व रसीद बुकों की वापसी को सुनिश्चित करने में असफल रहीं;
- यूपीपीसीएल ने आदेश किया (अप्रैल 2006) कि विद्युत दुर्घटना के पीड़ितों को दी जाने वाली मुआवजा की राशि को महानिदेशक, विद्युत सुरक्षा या अन्य अभिकरण द्वारा दुर्घटना होने के लिए उत्तरदायी ठहराये गये अधिकारियों/कर्मचारियों से वसूली की जाय। विद्युत दुर्घटना के लिए पविविनिलि ने वर्ष 2003-04 से 2005-06 के दौरान 34.13 लाख रुपये का भुगतान किया तथा मविविनिलि ने वर्ष 2006-07 (अगस्त 2006 तक) में 14.02 लाख रुपये का किया परन्तु कोई भी राशि सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी से वसूली नहीं गई (मार्च 2007) और
- विशेष टैरिफ एचएएल (विविख, जगदीशपुर) पर वर्ष 1983 से लागू है को लागू करने के लिए यूपीईआरसी का अनुमोदन प्राप्त करने में मविविनिलि असफल रही जबकि सामान्य टैरिफ कई बार बदले गये और अन्तिम बदलाव दिसम्बर 2004 में किया गया। इसके कारण कम्पनी को 82.87 लाख रुपये की हानि हुई।

आन्तरिक लेखा परीक्षा

2.2.45 आन्तरिक लेखा परीक्षा एक प्रणाली है जिसकी रचना आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली के समुचित कार्य संचालन के साथ-साथ इसकी प्रभावशीलता को सुनिश्चित करने तथा त्रुटियों एवं कपट का पता लगाने हेतु की जाती है। एक स्वतंत्र अस्तित्व के रूप में इसे वित्तीय नियमों एवं प्रक्रियाओं के अनुपालन के स्तर की जांच एवं मूल्यांकन करना चाहिए। यह संज्ञान में आया (मार्च 2007) कि:

- दोनों कम्पनियों में आन्तरिक लेखा परीक्षा का क्षेत्र तथा विस्तार बताने वाली लेखा परीक्षा नियमावली नहीं है;
- वर्ष 2003-04 से 2006-07 के दौरान आन्तरिक लेखा परीक्षा के लिये वार्षिक लेखा परीक्षा योजना जिसमें अवधि तथा लेखा परीक्षा का समय, पर्यवेक्षण इत्यादि दर्शायी गई हो, नहीं है;
- पविविनिलि में 47 वितरण खण्डों में 169 लेखा परीक्षा के विरुद्ध 69 लेखा परीक्षा, आन्तरिक लेखा परीक्षा विंग द्वारा अगस्त 2003 से मार्च 2007 के अवधि के दौरान की गई। मविविनिलि ने लेखा परीक्षा अवधि से सम्बन्धित कोई अभिलेख नहीं रखा है;
- मार्च 2007 के अंत में बकाया प्रस्तरों की संख्या की स्थिति दोनों कम्पनियों में उपलब्ध नहीं है। सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा आन्तरिक लेखा परीक्षा की आपत्तियों का अनुश्रवण नहीं किया जा रहा है।

अभिस्वीकृति

2.2.46 निष्पादन लेखा परीक्षा सम्पन्न करने के विभिन्न चरणों पर कम्पनी के अधिकारियों द्वारा विभिन्न स्तरों पर दी गई सहायता और सहयोग के लिए लेखा परीक्षा आभार व्यक्त करता है।

उपरोक्त लेखा परीक्षा निष्कर्ष को जून 2007 में शासन को प्रतिवेदित किया गया; उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2007)।

निष्कर्ष

देयकी एवं संग्रहण प्रक्रिया में कमी थी जिससे ये कम्पनियां वितरण हानियों, जो कि मुख्यत: तदर्थ देयकीकरण, मीटरों की शुद्धता को बिना सुनिश्चित किये, गलत टैरिफ को लागू करने से, समाधान शुल्क को प्रभारित न करना, न्यूनतम प्रभार को कम प्रभारित करना, स्वीकृत भार से अधिक मांग के लिए दण्ड प्रभार प्रभारित न करना, उपभोक्ता के छोर पर कैपसिटर्स बैक के प्रबन्धन में विफलता और छापा दलों का खराब प्रदर्शन था, को कम करके ऊर्जा मूल्य को भी नहीं वसूल सकी। दोनों कम्पनियों ने राजस्व वसूली का लक्ष्य कम निर्धारित किया जिसके फलस्वरूप राजस्व वसूली कम रही। राजस्व वसूली के लिए ई-सुविधा के साथ किया गया एमओयू मविविनिलि के हित में नहीं था। दोनों कम्पनियां दोषी उपभोक्ताओं के विरुद्ध समुचित और समय से कार्यवाही करने में विफल रही जिसके फलस्वरूप बकाया एकत्र हुआ। आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली दोनों कम्पनियों में कमजोर थी क्योंकि कम्पनियां लाइन हानियों को, किसी नियंत्रण प्रणाली के न बनाये जाने से, आन लाईन बिलिंग प्रणाली के संकेत शब्द को चुराने से रोकने में, तथा बैंक समाधान विवरणी को समय से न तैयार करने के कारण रोकने में असफल रही।

संस्तुतियाँ

- दोनों कम्पनियां वितरण हानियों को कम करने के लिए प्रभावी कदम उठायें;
- कम्पनियां सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं के मीटरों की शुद्धता को निश्चित अंतराल पर निगरानी करें और राजस्व हानि को बचाने के लिए खराब मीटरों को समय से बदले;
- कम्पनियां बिना किसी समझौता के उपभोक्ताओं का देयकीकरण कठोरता से दर सूची के अनुसार करें;
- कम्पनियों को अपने देयों के त्वरित संग्रहण के लिए तंत्र में सुधार करना चाहिए;
- मविविनिलि को सुनिश्चित करना चाहिए कि ई-सुविधा द्वारा संग्रह किया गया समस्त राजस्व केवल कम्पनी के खाते में अगले दिन जमा किया जाय; और
- आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली को शक्तिशाली बनाया जाना चाहिए।

2.3 पावर सेक्टर कम्पनियों में परिवर्तको की खरीद, निष्पादन, रखरखाव एवं मरम्मत पर निष्पादन समीक्षा

मुख्य अंश

सब पावर ट्रान्सफारमेशन क्षमता वितरण ट्रान्सफारमेशन क्षमता एवं संयोजित भार में हुई वृद्धि के मेल न खाने के फलस्वरूप परिवतर्कों की अतिभारिता हुई। वितरण ट्रान्सफारमेशन की क्षमता प्रत्येक वर्ष सब पावर ट्रान्सफारमेशन क्षमता से अधिक थी जो कि वर्ष 2002 से 2007 के दौरान 5,392 से 17,375 मेगावाट रही।

(प्रस्तर 2.3.9)

निविदित मात्रा की 50 प्रतिशत से कम या अधिक के विकल्प का प्रयोग न करना और परिवर्तकों के उच्चदर पर क्रय के फलस्वरूप 9.62 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ ।

(प्रस्तर 2.3.11)

वितरण परिवर्तकों की क्षति दर असमान्य रूप से काफी ऊंची थी और यह निर्धारित मानक से 17.20 से 21.27 प्रतिशत के बीच रही। इसके कारण कम्पनी को 3,43,448 वितरण परिवर्तकों, जो कि 31 मार्च 2007 तक पाँच वर्षों की अवधि में मानक से अधिक विफल हुए थे, की मरम्मत पर 377.79 करोड़ रुपये का भारी वित्तीय भार उठाना पड़ा ।

(प्रस्तर 2.3.16)

अपनी मरम्मत कार्यशाला की क्षमता के कम उपयोग/निष्क्रिय रहने के कारण कम्पनी ने बाह्य एजेन्सियों से 12001 परिवर्तकों की मरम्मत पर 8.98 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय किया ।

(प्रस्तर 2.3.22)

193 अमितव्ययी विद्युत परिवर्तकों के अनिस्तारण से कम्पनी निस्तारण मूल्य के रूप में परिवर्तकों की लागत का 20 प्रतिशत लेते हुए कम से कम 5.18 करोड़ रुपये वसूल करने से वंचित हुई ।

(प्रस्तर 2.3.26)

प्रस्तावना

2.3.1 विद्युत के पारेषण एवं वितरण नेटवर्क में वोल्टेज को अधिक अथवा कम करने के लिए परिवर्तक नामक स्टैटिक उपकरण स्थापित किया जाता है । विद्युत का उत्पादन साधारणत: बहुत कम वोल्टेज (11 के वी से 15.75 केवी) पर किया जाता है और तत्पश्चात् भार प्रेषण केन्द्रों पर प्रेषण के लिए पावर परिवर्तकों द्वारा इसे ऊपर (132 केवी, 220 केवी तथा 400 केवी) बढ़ाया जाता है। भार प्रेषण केन्द्रों पर इसे विभिन्न उपभोक्ताओं तक विद्युत आपूर्ति के लिए कम (132 केवी,

66 केवी, 33 केवी, 11 केवी तथा 400 केवी) किया जाता है। परिवर्तक जो कि उत्पादन केन्द्रों एवं पारेषण प्रणाली में प्रयोग में लाये जाते है पावर परिवर्तक एवं जो वितरण प्रणाली में उपयोग होते है उन्हें वितरण परिवर्तक कहा जाता है। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) वितरण एवं पावर परिवर्तकों की खरीद, निष्पादन, रखरखाव एवं मरम्मत के लिए उत्तरदायी था। 1 मई 2003 के बाद चार विद्युत वितरण कम्पनियाँ (डिस्काम) पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (पूविविनिलि), वाराणसी, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (मविविनिलि) लखनऊ, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (पविविनिलि) मेरठ, एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (दविविनिलि) आगरा बनने पर वितरण परिवर्तकों की खरीद, निष्पादन, रखरखाव एवं मरम्मत सम्बन्धित डिस्काम द्वारा की जा रही है, जबकि शक्ति परिवर्तकों की खरीद, निष्पादन रखरखाव एवं मरम्मत यूपीपीसीएल द्वारा की जा रही है ।

यूपीपीसीएल के निदेशक मण्डल में एक अध्यक्ष, एक पूर्णकालिक प्रबन्ध निदेशक (दोनों ही राज्य सरकार द्वारा मनोनीत) एवं चार अन्य निदेशक वित्त, तकनीकी, वाणिज्य एवं कार्मिक प्रबन्धन एवं वितरण प्रत्येक के लिए होते है। डिस्काम के निदेशक मण्डल में एक पूर्ण कालिक प्रबन्ध निदेशक एवं दो अन्य निदेशक वितरण एवं तकनीकी प्रत्येक के लिए होते है । यूपीपीसीएल एवं चार डिस्काम की परिवर्तकों की खरीद, निष्पादन, रखरखाव एवं मरम्मत से सम्बन्धित संगठनात्मक ढाचाँ **परिशिष्ट-23** में उल्लेखित है।

लेखा परीक्षा का क्षेत्र

2.3.2 इस विषय पर समीक्षा पूर्व में भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक (वाणिज्यिक) के दिनांक 31 मार्च 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष हेतु प्रतिवेदन में सम्मिलित की गई थी जो कि सार्वजनिक उपक्रम समिति द्वारा आशिंक रूप से विवेचित की गई थी। यूपीपीसीएल एवं चार डिस्काम द्वारा परिवर्तकों की खरीद, निष्पादन, रखरखाव एवं मरम्मत पर वर्तमान समीक्षा 2002-03 से 2006-2007 अवधि के लिए नवम्बर 2006 से अप्रैल 2007 के दौरान की गई । इसमें यूपीपीसीएल के मुख्यालय एवं चारों डिस्काम द्वारा परिवर्तकों की खरीद इनके अधीन 10 कार्यशाला खण्डों में से छः एवं 14 भण्डार खण्डों में से छः के अभिलेखों की नमूना जांच की गई।

लेखा परीक्षा के उद्देश्य

2.3.3 पावर सेक्टर कम्पनियों में परिवर्तकों की खरीद, निष्पादन, रखरखाव एवं मरम्मत पर निष्पादन समीक्षा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि:

- परिवर्तकों की खरीद विकास योजना के अनुरूप , निर्धारित प्रक्रिया में, पारदर्शी, प्रभावी, सक्षम एवं मितव्ययी रूप से की गई;
- कार्यकारी मैनुअल तथा मानक जीवन के संदर्भ में प्राप्त परिवर्तको की दक्षता के आकंलन हेतु विभाग में प्रभावी प्रणाली विद्यमान थी;

- कम्पनी ने परिवर्तकों के रखरखाव हेतु, नीति बनाई थी तथा उसका अनुपालन सुनिश्चित किया था।
- क्षतिग्रस्त परिवर्तकों की मरम्मत समय से की गई; और
- आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली प्रभावी व सक्षम थी।

लेखा परीक्षा की कसौटी

2.3.4 लेखा परीक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए निम्न लेखा परीक्षा कसौटी पर मूल्यांकन किया गया:

- यूपीपीसीएल एवं वितरण कम्पनियों की विकास योजना;
- परिवर्तकों की खरीद, भण्डारण एवं गणना से सम्बन्धित यूपीपीसीएल की कार्य प्रणाली;
- निविदाओं एवं क्रय आदेशों की नियम एवं शर्तें;
- परिर्वतकों की रखरखाव नीति;
- परिनियमों एवं यूपीपीसीएल द्वारा निर्धारित मानक; एवं
- उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (यूपीईआरसी) के प्रणाली तन्त्र पर आधारित निष्कर्ष।

लेखा परीक्षा प्रक्रिया

2.3.5 लेखा परीक्षा उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित लेखा परीक्षा प्रक्रिया अपनायी गई:

- विकास योजना के अनुरूप परिवर्तकों की मांग के आकंलन का विश्लेषण;
- परिवर्तकों की खरीद के लिए दी गई निविदाएं एवं आपूर्तिकर्ताओं के साथ किये गए अनुबन्धों की जांच;
- रखरखाव कार्यक्रमों का सत्यापन, असफलता के कारण, खराब हुए परिवर्तकों की मरम्मत में लिया गया समय;
- यूपीपीसीएल/वितरण कम्पनियों के कार्यशाला एवं बाह्य एजेन्सियों द्वारा की गई मरम्मत के खर्चे का विश्लेषण,
- संचालक मण्डल की सभा में सम्मिलित की गई एजेन्डा, मिनट्स व कम्पनियों की निष्पादन प्रतिवेदन की जांच;
- लेखा परीक्षा प्रश्नावली का निर्गमन एवं प्रबन्धन के साथ विचार विमर्श ।

लेखा परीक्षा प्रेक्षण

2.3.6 निष्पादन समीक्षा के परिणामस्वरूप लेखा परीक्षा प्रेक्षणों को प्रबन्धन/सरकार को जून 2007 में निर्गत किया गया एवं सार्वजनिक उपक्रमों पर लेखा परीक्षा

समिति की सभा में 30 अगस्त 2007 को विचार विमर्श किया गया। यूपीपीसीएल एवं चार डिस्काम के प्रतिनिधियों ने सभा में भाग लिया, प्रबन्धन के सभा में उपस्थित सदस्यों द्वारा व्यक्त किये हुए विचारों को भी समीक्षा को अन्तिम रूप देते समय ध्यान में रखा गया है। पावर सेक्टर कम्पनियों में परिवर्तकों की खरीद, निष्पादन, रखरखाव एवं मरम्मत पर लेखा परीक्षा प्रेक्षणों की चर्चा आगामी प्रस्तरों में की गई है ।

परिवर्तकों की आवश्यकता/खरीद का आंकलन

2.3.7 क्रय से पहले मांग का आंकलन पूर्वापेक्षित है एवं संस्था के वित्तीय हितो की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। फील्ड इकाईयों की मांग पर, परिवर्तकों की खरीद (10 केवीए से 10 एमवीए) यूपीपीसीएल के मुख्य अभियंता एवं भण्डार नियंत्रक द्वारा वर्ष 2003-04 तक की गई एवं उसके बाद (डिस्काम के गठन के पश्चात्) ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य (आरई) एवं अग्रामीण विद्युतीकरण कार्य वार्षिक योजना में दर्शित मांग के अनुरूप सम्बन्धित डिस्काम के मुख्य अभियन्ता (सामग्री प्रबन्धन) द्वारा किए गए। शक्ति परिवर्तकों (20 एमवीए और उससे अधिक) के प्रकरण में मांग का आंकलन नये उपकेन्द्रों के निर्माण एवं वर्तमान में स्थापित उपकेन्द्रों के उच्चीकरण को ध्यान में रखते हुए यूपीपीसीएल के मुख्य अभियन्ता (पारेषण) द्वारा किया जाता है। परिवर्तकों की खरीद यूपीपीसीएल के दो विद्युत उपकेन्द्र परिकल्पना मण्डल (ईएसडीसी) I और II द्वारा निविदाओं के माध्यम से की जाती है। परिवर्तकों की खदीद की संस्तुति सक्षम उपरिलिखित अधिकारी द्वारा प्राप्त होने पर प्रबन्ध निदेशक क्रय समिति (एमडीपीसी), सम्बन्धित डिस्काम के प्रबन्ध निदेशक द्वारा दो करोड़ रुपये तक के क्रय का अनुमोदन की स्वीकृति दी जाती है। दो करोड़ रुपये से ऊपर क्रय के अनुमति कारपोरेट स्टोर परचेज कमेटी द्वारा अध्यक्ष, यूपीपीसीएल की अध्यक्षता में की जाती है।

2.3.8 निम्न तालिका 31 मार्च 2007 को समाप्त होने वाले पाँच वर्षो के लिये सभी पाँचों कम्पनियों में परिवर्तकों की आकंलित माँग व उनकी खरीद को दर्शाती है:

	पावर परिवर्तक (पारेषण)			वितरण परिवर्तक क्षमता पंक्ति 10 से 630 केवीए		
वर्ष	मांग (संख्या)	खरीद (संख्या)	मूल्य (लाख रुपये में)	मांग (संख्या)	खरीद (संख्या)	मूल्य (लाख रुपये में)
2002-03	9	9	2790.00	30574	29624	8026.12
2003-04	23	23	2570.58	1000	1000	515.49
2004-05	शून्य	शून्य	शून्य	12033	11333	2575.69
2005-06	114	88	18630.90	29222	26447	13674.09
2006-07	68	68	21363.71	31538	31538	17482.99
योग	214	188	45353.19	104367	99942	42274.38

श्रोत: कम्पनियों के खरीद आदेश

उपरोक्त तालिका यह दर्शाती है कि पावर परिवर्तकों की वर्ष 2005-06 की खरीद एवं वितरण-परिवर्तकों की खरीद वर्ष 2002-03, 2004-05 और 2005-06 में मांग के सापेक्ष काफी कम रही। परिवर्तको की मांग और खरीद में विस्तृत अन्तर का कारण मांग का असंगत आकंलन व उसकी खरीद करना रहा ।

फील्ड इकाईयों द्वारा तद्र्थ मांग की मात्रा को बारम्बार बदलने व मनमाने ढंग से क्रय करने के फलस्वरूप विभिन्न रूपांतरण स्थानों पर रूपांतरण क्षमता में कोई मेल नहीं पाया गया ।

दविविनिलि के प्रबन्धन ने कहा (सितम्बर 2007) कि भविष्य में परिवर्तकों की खरीद प्रस्तर में दिये गए बिन्दुओं के अनुसार की जाएगी।

ट्रान्सफार्मेशन क्षमता का मेल न खाना

2.3.9 यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी अवयव निष्क्रिय व अतिभारित न हो जाये ट्रान्सफार्मेशन व्यवस्था के प्रत्येक अवयव, जैसे पावर ट्रान्सफार्मेशन, सब पावर ट्रान्सफार्मेशन, वितरण परितर्वकों और जुड़े हुए भार को आपस में मेल खाना चाहिये। 31 मार्च 2007 के अन्त तक विगत पांच वर्षों में ट्रान्सफार्मेशन क्षमता का विभिन्न ट्रान्सफार्मेशन स्थानों पर मेल न खाना **परिशिष्ट-24** में दर्शाया गया है। ट्रान्सफार्मेशन क्षमता में निम्नलिखित विभिन्नताऐं पाई गई:

- वर्ष 2002-03 से 2006-07 के दौरान प्रत्येक वर्ष में वितरण ट्रान्सफार्मेशन की क्षमता सब पावर क्षमता से अधिक पाई गई जो कि 5392 से 17375 मेगावाट के बीच थी। जिसके फलस्वरूप वितरण ट्रान्सफार्मेशन क्षमता का 32.85 से 54.26 प्रतिशत का उपयोग नहीं किया जा सका क्योंकि सब ट्रांसमिशन से वितरण की क्षमता तक ऊर्जा का बहाव उपलब्ध नहीं है।
- जब वितरण ट्रान्सफार्मेशन क्षमता को जुड़े भार से मिलाया गया तो मेल न खाने की स्थिति और बिगड़ गई। वर्ष 2002-03 से 2005-06 के दौरान जुड़ा हुआ भार वितरण क्षमता से अधिक पाया गया जो कि 3 से 14.13 प्रतिशत था । जिसके फलस्वरूप वितरण परिवर्तक अत्यधिक अतिभारित हुए तथा कटौती करनी पड़ी और परिवर्तक अधिक संख्या में असफल हुए।

प्रबन्धन ने एआरसीपीएसई की बैठक (अगस्त 2007) में मेल न खाने के तथ्य को स्वीकारा। इस प्रकार मेल न खाने के कारण वितरण क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हो सका एवं परिवर्तक सम्बन्धित वित्तीय प्रभावों के साथ अतिभारित व विफल हुए।

निविदा के समापन में अत्यधिक विलम्ब

2.3.10 निविदाकारों को दिये गए निर्देश के अनुच्छेद 1.4 के अनुसार निविदा खुलने की तिथि से 4 माह तक या निविदा के खुलने की बढ़ाई हुई किसी तिथि तक वैध रहती है। पावर सेक्टर कम्पनियों की नीति के अनुसार सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के पश्चात् परिवर्तकों की खरीद के लिए क्रय आदेश, एल-1 मूल्य पर योग्य निविदाकार को दिया जाता है। निविदा का भाग-I तकनीकी योग्यता तथा भाग- II वित्तीय प्रस्ताव से सम्बन्धित होता है। पूविविनिलि के 8 एमवीए परिवर्तकों की के 10 पावर परिवर्तकों की आपूर्ति के लिये निविदा*, जिसका भाग-I दिनांक 28 मई 2004 को खोला गया, में उपरिलिखित प्रक्रिया विधि की अनदेखी की गई,। ऐसे मामलें की विस्तृत जानकारी नीचे दी गई है:

* संख्या: ईएवी-11/04-05(अप्रैल 2004)

कम्पनी ने यह जानते हुए भी कि निविदाकारों द्वारा दिये गए मूल्यों की वैधता 6 माह थी, भाग II (वित्तीय प्रस्ताव) को भाग I के खुलने की तिथि से नौ माह बाद 28 फरवरी 2005 को खोला गया। टेक्नीकल एसोसिएट, लखनऊ ने 1 अप्रैल 2004 के आधार मूल्य पर सबसे कम मूल्य 17.50 रुपये लाख प्रति परिवर्तक पर प्रस्ताव प्रस्तुत किया । टेक्नीकल एसोसिएट द्वारा अपनी समय वैधता को बढाने से मना करने पर सीएसपीसी ने अप्रैल 2005 में 5 परिवर्तकों को एल-2 और एल-3 फर्मो से एल-1 मूल्य पर क्रय करने का निर्णय लिया गया, परन्तु फर्मो ने प्रस्ताव नहीं माना अत: 2 जून 2005 को निविदा पुन: निरस्त कर दी गई। कम्पनी ने नवम्बर 2005 में पुन: निविदा[1] आमंत्रित करते हुए मार्च 2006 में 8 एमवीए के छ: परिवर्तक 1 दिसम्बर 2005 के आधार मूल्य 31.45 लाख रुपये प्रति परिवर्तक पर क्रय करने का निर्णय लिया ।

इस प्रकार प्रबन्धन के स्तर पर विलम्ब के कारण निविदा प्रक्रिया वैध समय सीमा में पूर्ण नहीं की जा सकी और 83.70 लाख रुपये (31.45 लाख रुपये - 17.50 लाख रुपये × 6) का परिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ ।

प्रबन्धन ने एआरसीपीएसई की बैठक (अगस्त 2007) में इस तथ्य को स्वीकारा।

परिवर्तकों का क्रय

2.3.11 अनुबन्ध की शर्तो के अनुसार, कम्पनी के पास अनुबन्ध की वैध अवधि में निविदा की मात्रा को 50 प्रतिशत कम करने व बढ़ाने का विकल्प है। उपरोक्त प्रक्रिया न अपनाने के कारण हुये 9.62 करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय का वर्णन निम्न प्रकार है:

निविदित मात्रा के 50 प्रतिशत से कम या अधिक के विकल्प का प्रयोग न करने और परिवर्तकों के उच्च दर पर क्रय के फलस्वरूप 9.62 करोड़ रुपये का व्यय हुआ।

- यूपीपीसीएल के ईएसडीसी-II ने अक्टूबर 2004 में 40 एमवीए के 22 परिवर्तकों की आपूर्ति के लिये निविदा[2] आमंत्रित की। ऐक्यूरेट ट्रान्सफारमर लिमिटेड नोएडा द्वारा न्यूनतम आकंलित दर 1.53 करोड़ रुपये प्रति परिवर्तक प्रस्तावित की गई। यह संज्ञान में आया कि चार फर्मे 18 परिवर्तक की आपूर्ति के लिये तैयार थी परन्तु सीएसपीसी ने अप्रैल 2005 में परिवर्तकों की मात्रा को 18 से नौ कर दिया। भविष्य की मांग को देखते हुए उसी वित्तीय वर्ष 2005-06 में 40 एमवीए के 42 परिवर्तकों की आपूर्ति के लिये एक दूसरी निविदा[3] आमंत्रित (जुलाई 2005) की गई। इस निविदा में न्यूनतम आंकलित दर 2.13 करोड़ रुपये प्रति परिवर्तक प्राप्त हुई जो कि सीएसपीसी द्वारा 18 अगस्त 2005 को 1 जून 2005 के दर की आधार तिथि पर अनुमोदित की गई। विगत निविदा[4] में परिवर्तकों की दर को आधार तिथि 1 जून 2005 को अद्यतन करते हुए मूल्य की गणना 1.89 करोड़ रुपये की गई। इस प्रकार नये निविदा की अनुमोदित दर 24 लाख रुपये (2.13 करोड़ रुपये - 1.89 करोड़ रुपये) प्रति परिवर्तक

[1] संख्या: ईएवी-25/05-06
[2] संख्या: ईएसडी-194
[3] संख्या: ईएसडी-209
[4] संख्या: ईएसडी-194

अधिक आई जिसके फलस्वरूप परिवर्तकों की खरीद पर 2.16 करोड़ रुपये (24 लाख रुपये × 9)का अतिरिक्त व्यय हुआ।

- 10 एमवीए के पांच परिवर्तकों की आपूर्ति के लिये निविदा[1] फरवरी 2001 में आमंत्रित की गई। क्रय आदेश न्यूनतम दर 27.48 लाख रुपये प्रति परिवर्तक जिसकी सुर्पुदगी अप्रैल 2002 तक अनुसूचित थी, निर्गत किया गया। 10 एमवीए के 20 परिवर्तकों की आपूर्ति की अन्य निविदा[2] जिसके भाग-2 खुलने की तिथि 12 फरवरी 2002 निर्धारित थी, दिसम्बर 2001 में आमंत्रित की गई। सीएसपीसी द्वारा इस विशिष्टि के अन्तर्गत अनुमोदित न्यूनतम दर 23.07 लाख रुपये प्रति परिवर्तक पूर्ववर्ती निविदा की दर से 4.41 लाख रुपये प्रति परिवर्तक कम थी। यह संज्ञान में आया (नवम्बर 2006) कि ईएसपीसी- I ने 11 अतिरिक्त परिवर्तकों की मात्रा का क्रय आदेश 27.48 लाख रुपये की उच्च दर जो कि फरवरी 2001 की विगत निविदा में अनुमोदित थी, 23.07 लाख रुपये की निम्न दर प्राप्त होते हुए (12 फरवरी 2002) प्रदान किया (1 जुलाई 2002) जिसके परिणामस्वरूप 11 परिवर्तकों की खरीद पर 48.51 लाख रुपये (27.48 लाख रुपये - 23.07 लाख रुपये × 11) का अतिरिक्त व्यय हुआ।

- 5 एमवीए के 100 परिवर्तकों की आपूर्ति 10.48 लाख रुपये प्रति परिवर्तक से सम्बन्धित निविदा[3] की आपूर्ति अवधि की वैधता (दिसम्बर 2003 तक) होते हुये, एक अन्य निविदा[4] 5 एमवीए के 125 परिवर्तकों के लिये सितम्बर 2002 में आमंत्रित की गई। इस निविदा में प्राप्त न्यूनतम दर 11.16 लाख रुपये सीएसपीसी द्वारा अनुमोदित की गई। यह दर विगत निविदा में प्राप्त दरों की तुलना में 0.68 लाख रुपये (11.16 लाख रुपये - 10.48 लाख रुपये) प्रति परिवर्तक अधिक थी। यह संज्ञान में आया (नवम्बर 2006) कि विगत निविदा के विरुद्ध किये गये अनुबन्ध की शर्तो के अनुसार आदेशित मात्रा को घटाने/बढ़ाने को प्रयास किये बिना ईएसपीसी- I ने 50 परिवर्तकों का एक क्रय आदेश 11.16 लाख रुपये प्रति की उच्च दर जो कि इस निविदा में प्राप्त हुई थी, पर प्रदान किया जिसके फलस्वरूप परिवर्तकों की खरीद पर 34 लाख रुपये (50 × 68000 रुपये) का अतिरिक्त व्यय हुआ।

- ईएसपीसी- I ने फरवरी 2001 में 250 केवीए के 800 परिवर्तकों की खरीद के लिये निविदा[5] आमंत्रित की। यह संज्ञान में आया (नवम्बर 2006) कि सीएसपीसी ने मनमाने ढंग से (बिना कोई कारण बताये) परिवर्तकों की खरीद का निर्णय (नवम्बर 2001) प्रदेश सरकार के एल-1 से क्रय करने के स्थायी आदेश के उल्लंघन में एल-1 की दर 0.72 लाख रुपये प्रति

1 संख्या ईएसपीसी-1/1102/2001

2 संख्या: ईएसपीसी-1/1125/2001

3 संख्या: ईएसपीसी-1/1104/2001

4 संख्या: ईएसपीसी-1/1133/2001

5 संख्या: ईएसपीसी-1/1100/2001

परिवर्तक (सीमा शुल्क व भाड़ा सहित) को अनदेखा कर एल-2 की दर 0.83 लाख रुपये प्रति परिवर्तक (सीमा शुल्क व भाड़ा सहित) पर लिया। इस प्रकार कम्पनी को एल-1 की दर 0.72 लाख रुपये प्रति परिवर्तक के स्थान पर एल-2 की दर 0.83 लाख रुपये प्रति परिवर्तक से 250 केवीए के 800 परिवर्तकों की खरीद के आदेश पारित करने पर 99 लाख रुपये की हानि उठानी पड़ी।

- ईएसडीसी-II ने 40 एमवीए के 19 परिवर्तकों की खरीद के लिये माह अगस्त 2003 में निविदा[1] आमंत्रित की। निविदा के भाग I के खुलने की तिथि 30 सितम्बर 2003 व भाग II की 3 फरवरी 2004 थी। यह संज्ञान में आया कि एक्यूरेट ट्रांसफारमर लिमिटेड (फर्म) की निविदा का भाग II टाईप टेस्ट[2] के निष्पादित न कराये जाने के कारण नहीं खोला गया। इस पर फर्म ने इस आशय के साथ पुनरीक्षण हेतु आवेदन (17 नवम्बर 2003) किया कि टाईप टेस्ट निष्पादित करने की शर्त पर उसके द्वारा दिये गये आफर का भाग II खोल दिया जाय, सीएमडी ने पूर्व में टैक्नीकल एसोसिएट, लखनऊ की निविदा[3] के भाग II जो कि बिना टाईप टेस्ट निष्पादित कराये खोला गया था, के आधार पर फर्म की निविदा के भाग II को खोलने का अनुमोदन (29 नवम्बर 2003) प्रदान किया। सीएसपीसी ने 11 फरवरी 2004 को यह ध्यान में रखते हुये कि फर्म द्वारा प्राप्त न्यूनतम मूल्यांकित दर 2.24 करोड़ रुपये प्रति परिवर्तक (एफओआर गंतव्य दर 1.01 करोड़ रुपये) विगत निविदा[4] में प्राप्त 2.46 करोड़ रुपये की मूल्यांकित दर से काफी नीचे है और सीएसपीसी ने सोचा कि अन्य फर्में, इस फर्म द्वारा दी गई दरों पर परिवर्तकों की आपूर्ति नहीं करेंगी। तदुपरान्त एक शैक्षणिक आदेश फर्म को उनके द्वारा दी गई दर पर किया तथा द्वितीय न्यूनतम फर्म (कनोहर इलेक्ट्रिकल लिमिटेड) जिसकी मूल्यांकित दर 2.63 करोड़ रुपये प्रति परिवर्तक (एफओआर गंतव्य दर 1.33 करोड़ रुपये) थी, को व्यावहारिक समझते हुए इस दर पर 18 परिवर्तकों के क्रय आदेश विभिन्न फर्मों को पारित किये। सम्प्रेक्षा को वह अभिलेख जिसके आधार पर फर्म द्वारा दी गई दर को अव्यावहारिक समझा गया, प्रस्तुत नहीं किये गये। सम्प्रेक्षा द्वारा किये गये प्रश्न (15 दिसम्बर 2006) के उत्तर में ईएसडीसी-II ने बताया (अप्रैल 2006) कि परिवर्तकों के उत्पादन में उपयोग की गई सामग्री के आधार पर लागत विश्लेषण तैयार करने की कोई व्यवस्था नहीं थी। इस प्रकार साक्ष्य प्रपत्रों के अभाव में द्वितीय न्यूनतम निविदाकार की दर पर क्रय आदेश पारित करना न्यायोचित नहीं था,

1 संख्या: ईएसडी-189

2 कम्पनी के प्रतिनिधि की उपस्थिति में सीपीआरआई/भेल/सरकारी परीक्षण संस्थान द्वारा एक प्रोटोटाइप परिवर्तक का परीक्षण।

3 संख्या: ईएसडी-143

4 संख्या: ईएसडी-170

जिसके फलस्वरूप 5.76 करोड़ रुपये (1.33 करोड़ रुपये-1.01 करोड़ रुपये × 18) का अतिरिक्त व्यय हुआ।

सुपुर्दगी की समय सारिणी में विस्तार

2.3.12 "निविदा के अनुबन्ध की सामान्य शर्तों-फार्म बी" के अनुच्छेद 26 के अनुसार, वह स्थितियाँ यथा- हड़ताल, तालाबंदी, अग्नि, दुर्घटनाऐं, दोषपूर्ण सामग्री, ड्राइंग के अनुमोदन में विलम्ब, जो कि ठेकेदार की युक्तियुक्त नियंत्रण से परे हो समुचित समय विस्तार स्वीकृत किया जायेगा। पुन: निविदा प्रपत्रों के फार्म-ए के अनुच्छेद 32 के अनुसार यदि ठेकेदार निर्धारित समय सीमा अथवा उसके विस्तार में अनुबन्ध के निष्पादन में असफल रहता है तो उस दशा में ठेकेदार अनुबन्ध मूल्य के आधा प्रतिशत प्रति सप्ताह जो कि किसी भी दशा में अनुबन्ध मूल्य के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा, की कटौती स्वीकार करेगा। उपरोक्त प्रावधानों की अनदेखी के मामलों की चर्चा नीचे की गई है:

कम्पनी/खण्ड का नाम	विशिष्ट संख्या	परिवर्तकों की मात्रा व विवरण	सुपुर्दगी की मूल समय-सारिणी	सुपुर्दगी की विस्तारित समय-सारिणी	अतिरिक्त व्यय (लाख रुपये में)	टिप्पणी
यूपीपीसीएल/ ईएसपीसी-I	1133/2002	5 एमवीए के 8 परिवर्तक	मार्च 2005	सितम्बर 2005	11.28[1]	अनुच्छेद 26 के अनुसार कारण न होते हुए भी कम्पनी ने सुपुर्दगी में विस्तार किया। मूल सुपुर्दगी की अवधि (अप्रैल 2005) पर मूल्य विचलन के लिये प्रभावी गुणांक 1.4743974 से बढ़कर 1.6311157 हो गया (अप्रैल 2006)।
पविविनिलि, मेरठ	पविविनिलि/ एमडी-204/ 2004	8 एमवीए के 4 परिवर्तक	अप्रैल 2005	अप्रैल 2006	17.44[2]	इस प्रकरण में ठेकेदार सुपुर्दगी को सुपुर्दगी की अनुसूचित समय सीमा में करने में अपनी असमर्थता बताई एवं सुपुर्दगी की समय-सीमा बढ़ाने का अनुरोध किया। समय सीमा बढ़ाने की स्वीकृति मूल्य विचलन सहित दी गई जिसके फलस्वरूप प्रभावी गुणांक का भुगतान मूल सुपुर्दगी की अवधि (1.382000)के स्थान पर पुनरीक्षित सुपुर्दगी अवधि (1.700179) पर किया गया।

स्रोत: क्रय आदेश पत्रावली।

यह उपरोक्त से देखा जा सकता है कि विस्तारित सुपुर्दगी की अवधि के दौरान मूल्य विचलन की अनुमति दिये जाने के कारण कम्पनी को 28.72 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय करना पड़ा।

कम्पनी ने अपनी असफलता और आपूर्तिकर्ताओं द्वारा विलम्बित आपूर्ति के दण्ड की अनियमित माफी के कारण 1.47 करोड़ रुपये की हानि वहन की।

छ:[3] ईएमडी के अभिलेखों की जांच से यह पता चला कि कम्पनी ने मार्च 2001 से फरवरी 2007 तक निरीक्षण में देरी, प्रेषण निर्देश का निर्गत न किया जाना और संस्थापन को पूर्ण न करने के आधार पर 46 आपूर्तिकर्ताओं पर विलम्बित

1 1.6311157 - 1.4743974 × नौ लाख रुपये × 8

2 1.700179 - 1.382000 × 13.70 लाख रुपये × 4

3 लखनऊ, मेरठ, आगरा, इलाहाबाद, गोरखपुर एवं वाराणसी।

आपूर्ति के 353 मामलों में लगाये गये 1.47 करोड़ रुपये के दण्ड को माफ कर दिया। यह सभी विलम्ब के कारण कम्पनी के नियंत्रण में थे व अनुबन्ध की सामान्य शर्तों के अनुच्छेद 32 से परे थे।

इस प्रकार कम्पनी को उनकी स्वयं की विफलता एवं विलम्ब आपूर्ति के रूप में लगाये हुये दण्ड की अनियमित माफी के स्वरूप 1.47 करोड़ रुपये की हानि उठानी पड़ी।

दविविनिलि के प्रबन्धन ने यह बताया (सितम्बर 2007) कि ईएसडी आगरा में सुपुर्दगी की समय सारिणी में विस्तार, मुख्यतया परिवर्तकों के संस्थापना के लिये सिविल कार्यों का पूर्ण न होने, विगत के आदेशों का देरी से भुगतान के कारण अनुमन्य किया गया। उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि प्रबन्धन द्वारा बताये गये विलम्ब के कारण अनुबन्ध की सामान्य शर्तों से परे थे।

आधिक्य परिवर्तकों का अनावंटन

2.3.13 अधीक्षण अभियन्ता, भण्डार को उन परिवर्तकों को आवंटित करने का अधिकार है जो विद्यमान 33/11 केवी सब-स्टेशन के सवंर्धन पर अधिशेष हो चुके थे। यह देखा गया (अप्रैल 2007) कि 1.96 करोड़ रुपये मूल्य के 0.75 से आठ एमवीए के 19 परिवर्तक (12 पविविनिलि के संदर्भ में और सात दविविनिलि के संदर्भ में) विद्यमान 33/11 केवी सब-स्टेशन के संवर्धन हेतु विभिन्न 33/11 केवी सब-स्टेशन पर अनिश्चित काल से अप्रयुक्त पड़े थे। कम्पनियों द्वारा क्रय दिनांक, इसकी संस्थापना ओर अधिशेष परिवर्तकों की क्षति को दर्शाने वाले हिस्ट्री कार्ड के रखरखाव न किये जाने के कारण, लेखा परीक्षा में क्रय और मरम्मतों के आधार पर विश्लेषण नहीं किया जा सका। इस प्रकार अधीक्षण अभियन्ता की ओर से शिथिलता के कारण कम्पनियाँ इन परिवर्तकों का इष्टतम प्रयोग करने में असफल रही।

दविविनिलि ने बताया (सितम्बर 2007) कि कम्पनी से संबंधित पाँच परिवर्तकों में एक का अनुप्रयोग कर लिया गया था और शेष चार परिवर्तकों के अनुप्रयोग के लिये कार्यवाही प्रगति पर थी।

परिवर्तकों का निष्पादन

परिवर्तकों का गुणवत्ता आश्वासन

2.3.14 परिवर्तकों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की दृष्टि से परिवर्तक क्रय के लिए विनिर्देश में कम्पनियाँ प्रावधान करती है कि आपूर्तिकर्ता हानियों को सत्यापित करने के लिए शार्ट सर्किट टेस्ट, इम्पल्स टेस्ट (टाइप टेस्ट) करने के लिए प्रत्येक आदेश के विरुद्ध एक प्रोटो-टाइप परिवर्तक का विनिर्माण, करेगा। ये परीक्षण कम्पनी के प्रतिनिधि की उपस्थिति में सेंट्रल पावर रिसर्च इन्स्टीट्यूट/भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड/गवर्नमेन्ट टेस्ट हाउस द्वारा करवाये जाते है। नियमित परीक्षण के अतिरिक्त प्रेषण निर्देश जारी करने के पहले समसंभाविक न्यादर्शन द्वारा भी निरीक्षण किया जाता है। इसके अतिरिक्त, अनुबन्ध अवधि के दौरान यद्रेच्छिक चुने गये परिवर्तक पर टाइप टेस्ट करवाने का अधिकार कम्पनी सुरक्षित रखती है और

ऐसे मामलों में टाइप टेस्ट प्रभार की प्रतिपूर्ति आपूर्तिकर्ता को की जायेगी। क्योंकि मेक, लगाने/संस्थापित करने की तिथि, क्षति की तिथि ओर इसकी मरम्मत इत्यादि को दर्शाने वाला हिस्ट्री कार्ड नहीं बनाया गया है, इसलिए जॉच रखे गये/उपलब्ध अभिलेखों तक सीमित थी।

परिवर्तकों का अनुरक्षण

2.3.15 पूर्व उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद ने परिवर्तकों की असफलता के लिए अनुमन्य सीमा संस्थापित परिवर्तकों का दो प्रतिशत निर्धारित की (मई 1982)। इस मानक को प्राप्त करने के लिए कम्पनियों के लिये आवश्यक था:

- क्षति के कारण सुनिश्चित करने सहित विस्तृत परिवीक्षण का कार्यान्वयन;
- प्रत्येक परिवर्तक के संदर्भ में हिस्ट्री कार्ड रखना;
- 99 केवीए रेटिंग पर ड्राप आउट फ्यूज का प्रयोग;
- एलटी टर्मिनल्स को शिकनी औजारों और कॉपर लग्स से संयोजित करना; और
- एलटी टर्मिलनल्स की ओवरलोडिंग से बचाना, इत्यादि।

इसके अतिरिक्त, सेन्ट्रल कारपोरेशन आफॅ इरीगेशन एण्ड पावर (सीसीआईपी) ने अपनी तकनीकी रिपोर्ट (जुलाई 1974) में अनुशंसा की कि वितरण परिवर्तकों के विद्युत रोधन प्रतिरोध (आईआर) मान की अर्द्धवार्षिक माप की जानी चाहिए जिससे दोषपूर्ण विद्युत रोधन के कारण परिवर्तकों की क्षति से बचा जा सके।

क्षतिग्रस्त वितरण परिवर्तकों की स्थिति

2.3.16 निम्न सारणी 31 मार्च 2007 को समाप्त पिछले 5 वर्षो की क्षतिग्रस्त वितरण परिवर्तकों की स्थिति दर्शाती है:

वर्ष	वितरण परिवर्तक				संस्थापित परिवर्तकों के निर्धारित मानक से अधिक असफलता का प्रतिशत
	वर्ष के आरंभ में संस्थापित (संख्या)	वास्तविक असफलता (संख्या)	2 प्रतिशत के मानक के अनुसार असफलता (संख्या)	मानक से अधिक असफलता (संख्या)	
2002-03	336095	64521	6722	57799	17.20
2003-04	357062	76996	7141	69855	19.56
2004-05	363923	71511	7278	64233	17.65
2005-06	370363	75661	7407	68254	18.43
2006-07	391641	91140	7833	83307	21.27
योग		**379829**	**36381**	**343448**	

स्त्रोत: तकनीकी डायरियाँ

एचवी और एलवी साइड पर समुचित सुरक्षा प्रणाली न लगाया जाना, निरोधी अनुरक्षण सारणी का न बनाया/न पालन किया जाना और वितरण परिवर्तकों की ओवरलोडिंग परिवर्तकों के अत्यधिक क्षति के मुख्य कारण थे।

उपरोक्त सारणी से यह देखा जा सकता है कि:

सुरक्षात्मक उपकरणों की स्थापना न करने और अनुरक्षण में लापरवाही के कारण कम्पनियों ने क्षतिग्रस्त परिवर्तकों के अनुरक्षण पर 1.16 करोड़ रुपये का परिहार्य व्यय किया।

- क्षतिग्रस्त परिवर्तकों का प्रतिशत दो प्रतिशत के मानक से अधिक था और यह 17.20 और 21.27 प्रतिशत के बीच था जो वितरण परिवर्तकों के खराब अनुरक्षण का सूचक था जिसके परिणामस्वरूप परिवर्तकों की ओवरलोडिंग हुई और उपभोक्ता को क्षतिग्रस्त परिवर्तकों का बदलने तक खराब आपूर्ति हुई;
- नियमित और निरोधात्मक अनुरक्षण के अभाव में, क्षतिग्रस्त परिवर्तकों की दर मानक से बहुत अधिक थी जिससे कम्पनी को 31 मार्च 2007 की समाप्त पिछले 5 वर्षो के दौरान मानक से अधिक विफल हुए 3,43,448 वितरण परिवर्तकों की मरम्मत पर, जो 377.79 करोड़ रुपये (टेंडर संख्या ईएसपीसी 1116 एवं 1117/01 के अनुसार 0.11 लाख रुपये प्रति परिवर्तक औसत मरम्मत लागत मानकर संगणित) का भारी वित्तीय बोझ वहन करना पड़ा;
- उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग (यूपीईआरसी) ने भी पाया था (नवम्बर 2004) कि सम्पूर्ण वितरण नेटवर्क वस्तुत: बिना किसी सुरक्षा उपकरण के संचालित था। यह देखा गया (मार्च/अप्रैल 2007) कि विविखण्डों के अधीन 2003-04 से 2006-07 के दौरान तीन से आठ एमवीए क्षमता के 16 परिवर्तक पूविविनिलि के ईएसडी, गोरखपुर और दविविनिलि के ईएसडी आगरा के 3 सुरक्षा उपकरणों (जैसे फ्यूज सेट्स, लाइटनिंग अरेस्टट इत्यादि) के लगाये जाने और रखरखाव की लापरवाही के कारण क्षतिग्रस्त हुए जिसके परिणामस्वरूप इन 19 परिवर्तकों की मरम्मत पर 1.16 करोड़ रुपये का परिहार्य व्यय हुआ।

एआरसीपीएसई की बैठक में कम्पनियों के प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 2007) कि विफलता के प्रतिशत को प्रबलता पूर्वक कम करना संभव नहीं था लेकिन हानि कम करने के प्रयास किये जाएंगे।

परिवर्तकों की मरम्मत

2.3.17 क्षतिग्रस्त परिवर्तक जिनकी मरम्मत लागत उसी क्षमता के नये परिवर्तक (नवीनतम आपूर्ति प्राप्त दर) की लागत के 40 प्रतिशत से अधिक नहीं है, मरम्मत योग्य समझे जाते है। अन्यथा, ये अमितव्ययी माने जाते है और नीलामी द्वारा निपटाए जाने चाहिए।

परिवर्तकों की मरम्मत का कार्य सामान्यत: विद्युत कार्यशाला खण्ड नाम के दस विभागीय परिवर्तक मरम्मत कार्यशालाओं (कार्यशालाओं) द्वारा किया जाता है। कम्पनियों ने अपनी कार्यशालाओं की क्षमता निर्धारित नहीं की थी। कार्यशालाओं में परिवर्तकों की मरम्मत की अपर्याप्त सुविधा के कारण, क्षतिग्रस्त परिवर्तक, वाह्य अभिकरणों के माध्यम से मरम्मत किये गये। वाह्य अभिकरणों द्वारा मरम्मत खुली निविदाएँ आमंत्रित करके ओर विभिन्न फर्मो के साथ चालू अनुबन्ध द्वारा किया गया। मरम्मत ठेके की मुख्य नियम एवं शर्ते निम्न है:

- मरम्मत ठेका का खंड 11.2.3 ओर 11.2.4 में प्रावधान है कि गारंटी अवधि के भीतर मरम्मत किये गये परिवर्तकों के क्षतिग्रस्त होने पर फर्म द्वारा उसकी पुन: मरम्मत की जाएगी और फर्म द्वारा पुन: मरम्मत न किये जाने पर सम्बन्धित भंडार खण्ड मरम्मतकर्ता के लम्बित/आगामी बिल से परिवर्तक की लागत के समतुल्य भुगतान रोक लेगा। इसके अतिरिक्त, खण्ड 11.2.6 में प्रावधान है कि सूचना की तिथि से 4 माह के भीतर मरम्मत न होने पर, इसे अन्य मरम्मतकर्ता द्वारा मरम्मत करवाया जायेगा और परिवहन लागत सहित पुन: मरम्मत के प्रभार और अर्थदण्ड, फर्म की प्रतिभूति ओर लम्बित/आगामी बिल से वसूल किये जायेगें।
- नये परिवर्तक की आपूर्ति के मामले में, उसकी गारंटी लगाये जाने की तिथि से 12 माह के लिए अथवा स्थल पर परिवर्तक की प्राप्ति से 18 माह के लिए होगी। गारंटी अवधि के भीतर विफलता की स्थिति में, आपूर्तिकर्ता बिना किसी शुल्क के मरम्मत करेगा। परिवर्तक का मरम्मत कार्य/बदलाव सूचना की तिथि से तीन माह के भीतर न होने पर, प्रेषिती फर्म के लम्बित बिल/प्रतिभूति से नये परिवर्तक के मूल्य के बराबर राशि की कटौती सुनिश्चित करेगा।

गारण्टी अवधि के भीतर क्षतिग्रस्त परिवर्तक

2.3.18 निम्न सारणी परिवर्तकों की आपूर्ति/मरम्मत करने वाली फर्मो की स्थिति (बंद/कार्यरत) के साथ गारण्टी अवधि के भीतर क्षतिग्रस्त परिवर्तकों (नये/मरम्मत किये गये) की स्थिति दर्शाती है:

खण्ड	परिवर्तक		क्षमता (केवीए)	क्षति की अवधि	मूल्य (लाख रूपये में)	फर्म की स्थिति	
	नये/ मरम्मती	संख्या				बंद/ कार्यरत	संख्या
विभंखं, कानपुर	मरम्मती	31	25 से 5000	अनुपलब्ध	31.58	बंद	1
विभंखं, लखनऊ	नये	9	25 से 1000	मई 1996 से अक्टूबर 2006	13.30	बंद	6
	मरम्मती	1	25	अनुपलब्ध	0.45	बंद	1
	नये	36	10 से 400	जुलाई 1999 से 2006	33.95	कार्यरत	12
	मरम्मती	102	25 से 630	फरवरी 2000 से दिसम्बर 2006	88.40	कार्यरत	10
विभंखं, मेरठ	नये	21	16से 400	अगस्त 2003 से अक्टुबर 2006	14.87	कार्यरत	11
	मरम्मती	41	25 से 400	जनवरी 2004 से नवम्बर 2006	25.11	कार्यरत	8
विभंखं, इलाहाबाद	नये	11	25 से 400	अप्रैल 2003 से जुलाई 2006	8.61	कार्यरत	7
विभंखं, गोरखपुर	नये	40	10से 400	अगस्त 2003 से नवम्बर 2006	18.05	कार्यरत	8
	मरम्मती	75	25 से 630	फरवरी 2000 से फरवरी 2007	61.20	कार्यरत	7
विभंखं, वाराणसी	मरम्मती	30	25 से 400	दिसम्बर 2003 से सितम्बर 2006	16.38	कार्यरत	5
					311.90		

स्त्रोत: क्षतिग्रस्त परिवर्तकों की जांच रिपोर्ट

उपरोक्त सारणी से यह देखा जा सकता है कि:

- आठ विनिर्माता फर्मो से संबंधित जो अपना व्यवसाय बन्द कर चुकी थी नौ नये परिवर्तक (25 केवीए से 1000 केवीए क्षमता के) और 32 मरम्मत किये गये परिवर्तक (25 केवीए से 5000 केवीए क्षमता के) गारन्टी अवधि के भीतर क्षतिग्रस्त हुए लेकिन संबंधित भंडार खण्ड संविदा के उपरोक्त

उपबन्धों के अनुसार परिवर्तक की लागत वसूल करने में विफल रहा। इसके परिणामस्वरूप 45.33 लाख रुपये की वसूली संदिग्ध हो गई (2005-06 के स्टॉक निर्गमन दर के आधार पर संगणित)।

- 38 विनिर्माताओं द्वारा आपूर्ति किये गये 108 नये परिवर्तक (10 केवीए से 400 केवीए क्षमता के) और 30 मरम्मतकर्ता फर्मो द्वारा मरम्मत किये गये 248 परिवर्तक (25 केवीए से 630 केवीए क्षमता के) गारंटी अवधि के भीतर क्षतिग्रस्त हुए लेकिन संबंधित विभंखं संविदा के प्रावधानो के अनुसार कार्यवाही करने में विफल रहा। इसके परिणामस्वरूप नये परिवर्तकों के विरुद्ध 75.48 लाख रुपये और मरम्मत किये गये परिवर्तकों के विरुद्ध 1.91 करोड़ रुपये वसूल नहीं हुये। ये परिवर्तक अप्रयुक्त ही पड़े रहे और वितरण कम्पनियों ने इनके स्थान पर नये परिवर्तक क्रय किये।

दविविनिलि प्रबन्धन ने बताया (सितम्बर 2007) कि विभंखं, कानपुर के संदर्भ में 15.54 लाख रुपये की वसूली लम्बित थी जिसके लिए प्रयास किये जा रहे थे। मविविनिलि प्रबन्धन ने बताया (सितम्बर 2007) कि विभंखं, लखनऊ के संदर्भ में 10 से 400 केवीए क्षमता के 45 परिवर्तकों में से 16.43 लाख रुपये मूल्य के 19 परिवर्तक मरम्मतकर्ता फर्मो से वापस मिल चुके थे और मरम्मतकर्ता फर्मो के लम्बित बिलों से 21.66 लाख रुपये की राशि वसूल की जा चुकी हैं। तथ्य यही है कि गारन्टी अवधि के दौरान क्षतिग्रस्त परिवर्तकों को फर्मो की लागत पर मरम्मत नहीं कराया जा सका।

परिवर्तकों की अमितव्ययी मरम्मत

2.3.19 चार* विभंखं के अभिलेखों की जांच के दौरान यह देखा गया कि परिवर्तकों की मरम्मत के लिए निर्धारित नीति के उल्लघंन में 69 क्षतिग्रस्त शक्ति परिवर्तकों की मरम्मत कराई गई क्योंकि क्षतिग्रस्त परिवर्तक नये परिवर्तकों की 40 प्रतिशत लागत से अधिक लागत पर मरम्मत करवाये गये थे। इसके परिणामस्वरूप 40 प्रतिशत की मितव्ययी सीमा से 49 लाख रुपये (वास्तविक व्यय 3.20 करोड़ रुपये घटाया 2.17 करोड़ रुपये) का अधिक व्यय हुआ जिसका विवरण निम्न है:

क्रम सं0	खण्डों का नाम	भुगतान की अवधि	फर्मों की संख्या	मामलों की संख्या	वास्तविक भुगतान की कुल राशि	मितव्ययी सीमा की कुल राशि (नये परिवर्तक की लागत का 40 प्रतिशत) (लाख रुपये में)	मितव्ययी सीमा से अधिक व्यय (लाख रुपये में)
1	विभंखं, इलाहाबाद	जुलाई 2003 से जून 2006	5	24	117.86	94.42	23.44
2	विभंखं, गोरखपुर	अप्रैल2002 से अक्टूबर 2006	6	14	53.67	49.11	4.56
3	विभंखं, लखनऊ	जुलाई 2003 से जुलाई 2006	9	27	126.88	109.31	17.56
4	विभंखं, मेरठ	नवम्बर 2003 से जनवरी 2006	3	04	21.76	18.12	3.64
योग			23	69	320.17	270.96	49.20

स्रोत: मरम्मत किये गये परिवर्तकों की फाइल

क्षतिग्रस्त/अमितव्ययी परिवर्तकों को न तोड़ना

2.3.20 क्रिया विधि के अनुसार निष्प्रयोज्य/मितव्ययी मरम्मत से परे घोषित परिवर्तकों को परिवर्तक के कोर, क्वायल, परिवर्तक तेल की वास्तविक मात्रा

* इलाहाबाद, गोरखपुर, लखनऊ एवं मेरठ।

सुनिश्चित करने के लिए विकाखं में खोला जाता है और तत्पश्चात् इन्हें नीलामी के लिए भंडार खण्डों को हस्तान्तरित कर दिया जाता है। चार* विकाखं के अभिलेखों की नमूना जाँच में ज्ञात हुआ कि मार्च 2007 को समाप्त पिछले 5 वर्षों से 229 क्षतिग्रस्त और निष्प्रयोज्य अमितव्ययी घोषित 25 से 630 केवीए के परिवर्तक विभिन्न कार्यशालाओं पर पड़े हैं। इस प्रकार क्षतिग्रस्त/अमिव्ययी परिवर्तकों को विकाखं द्वारा विभंखं को हस्तान्तरण में विफलता के कारण विद्युत भंडार खण्डों द्वारा इन परिवर्तकों को तोड़ने एवं निस्तारण के लिए कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी ओर कम्पनियो की 64.81 लाख रुपये मूल्य की निधि कथित अवधि के दौरान अवरोधित रही (परिवर्तकों की मूल लागत का 20 प्रतिशत के दर पर संगणित) जिसका विवरण निम्न है:

(लाख रुपये में)

खण्ड	क्षमता सीमा (केवीए)	परिवर्तकों की संख्या	मूल लागत	कुल मूल्य का 20 प्रतिशत
विकाखं, गोरखपुर	10.100	31	15.32	3.06
विकाखं, वाराणसी	25.630	54	30.30	6.06
विकाखं, लखनऊ	25.500	128	270.46	54.09
विकाखं, मेरठ	25.100	16	7.96	1.59
योग		229	324.04	64.80

स्रोत: मरम्मत परिवर्तकों की फाइल

अनुचित दर अंतिमीकरण

2.3.21 परिवर्तकों के विनिर्माण में प्रयोग किये जाने वाले मुख्य इनपुट, कोर, एचवी/एलवी क्वायल और परिवर्तक तेल टैकं है। क्षतिग्रस्त परिवर्तक की मरम्मत के लिए मरम्मतकर्ता फर्म को नये एचवी/एलवी क्वायल और नया परिवर्तक तेल उपलब्ध कराना पड़ता है और जले/क्षतिग्रस्त एचवी/एलवी क्वायल को आवश्यक क्रेडिट देने के पश्चात् प्रतिधारित करना पड़ता है। यह देखा गया कि:

- ईएसपीसी-I, लखनऊ ने विशिष्ट सं0 ईएसपीसी-1/1128/01 के अधीन क्षतिग्रस्त शक्ति परिवर्तकों की मरम्मत की दर का अंतिमीकरण किया (अगस्त 2002) और विभंखं ने तद्नुसार भुगतान किया। इस मामले में, यद्यपि नयी एचवी/एलवी क्वायल की एच-1 दर 182 रुपये प्रति किग्रा लक्ष्मी ट्रांसफार्मर्स, आगरा द्वारा प्रस्तावित की गई किन्तु सीएसपीसी ने मार्सन्स इलेक्ट्रिकल्स (एल-5) द्वारा प्रस्तावित 224.39 रुपये प्रति किग्रा की दर को इस आधार पर अनुमोदित किया कि फर्म नई है। जले/क्षतिग्रस्त एचवी/एलवी क्वायल के मामले में यद्यपि मार्सन्स इलेक्ट्रिकल्स, आगरा द्वारा प्रस्तावित 126 रुपये प्रति किग्रा की दर उच्चतम थी किन्तु सीएसपीसी ने एसोसियेटेड इलेक्ट्रिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, गाजियाबाद (एच-3) द्वारा प्रस्तावित 100 रुपये प्रति किग्रा की दर को इस आधार पर अनुमोदित किया कि एच-1 दरें व्यापारिक नहीं है यद्यपि फर्म सुस्थापित है।
- ईएसपीसी-I के निर्णय के अनुरूप छ:** विभंखं ने 3,31,544.40 किग्रा एचवी/एलवी क्वायल के बदलाव के विरुद्ध भुगतान किया जिस पर

* लखनऊ, मेरठ, गोरखपुर एवं वाराणसी।

** गोरखपुर, इलाहाबाद, मेरठ, आगरा, वाराणसी और लखनऊ

कम्पनियों को सीएसपीसी द्वारा अनुचित दरों के अनुमोदन के कारण 2.27 करोड़ रुपये की हानि उठानी पड़ी (नई क्वायलों के क्रय पर अधिक भुगतान: 1.41 करोड़ रुपये और जले/क्षतिग्रस्त क्वायलों की बिक्री से कम प्राप्ति: 0.86 करोड़ रुपये)।

एल-1 और एच-1 दरों के अस्वीकार किये जाने के आधार सही नहीं थे। जहाँ तक जिन फर्मो ने नये एचवी/एलवी क्वायल के लिए निम्नतम दरें प्रस्तावित की थी, यद्यपि ये परिवर्तक की मरम्मत के क्षेत्र में नई थी लेकिन परिवर्तकों की आपूर्ति ओर विनिर्माण के क्षेत्र में सुस्थापित थी। इसी प्रकार क्षतिग्रस्त एचवी/एलवी क्वायल के लिए एच-1 फर्म के प्रस्ताव की अस्वीकृति उचित नहीं थी क्योंकि फर्म सुस्थापित थी।

विभागीय कार्यशालाओं की क्षमता का अल्प प्रयोग

अपनी स्वयं की कार्यशालाओं की पूर्ण क्षमता का उपयोग न करने के कारण बाह्य एजेन्सियों से परिवर्तकों की मरम्मत करवाने पर 8.98 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ।

2.3.22 विभागीय परिवर्तक मरम्मत कार्यशालाऐं (टीआरडब्ल्यू) 15 वर्षो से अधिक पुरानी थी लेकिन कम्पनियों ने पाँच* टीआरडब्ल्यू से प्रत्येक की वार्षिक क्षमता का मूल्यांकन और निर्धारण नहीं किया था। टीआरडब्ल्यू द्वारा की गई 31 मार्च 2006** को समाप्त पिछले पाँच वर्षो के दौरान की गई मरम्मत की सीमा **परिशिष्ट-25** मे दी गई है। **परिशिष्ट-25** से देखा जा सकता हे कि 31 मार्च 2006 को समाप्त पिछले पाँच वर्षो के दौरान एक वर्ष में अधिकतम 2593 वितरण परिवर्तक इलाहाबाद में, 5039 मेरठ में, 4579 वाराणसी में, 2189 गोरखपुर में और 1968 आगरा में मरम्मत किये गये। इस प्रकार, एक वर्ष में प्रत्येक टीआरडब्ल्यू की प्रत्येक वर्ष अधिकतम वितरण परिवर्तकों की मरम्मत को उनकी आधार क्षमता मानते हुए कम्पनियां पिछले 5 वर्षो में 81840 वितरण वितरण परिवर्तकों की मरम्मत कर सकती थी जिसके विरुद्ध केवल 69839 वितरण परिवर्तकों की ही मरम्मत हो सकी जिससे 12001 परिवर्तकों की मरम्मत की कमी रह गई। वाह्य अभिकरणों द्वारा मरम्मत की औसत लागत 0.11 लाख रुपये (केवल श्रम लागत) प्रति वितरण परिवर्तक थी जबकि टीआरडब्ल्यू वार 31 मार्च 2006 को समाप्त पिछले 5 वर्षो की प्रति वितरण परिवर्तक औसत मरम्मत लागत इलाहाबाद में 0.05 लाख रुपये, मेरठ में 0.02 लाख रुपये, वाराणसी में 0.03 लाख रुपये, गोरखपुर में 0.04 लाख रुपये और आगरा में 0.05 लाख रुपये था। इस प्रकार, कम्पनियों को टीआरडब्ल्यू के अल्प उपयोग निष्क्रिय क्षमता के कारण वाह्य अभिकरणों से 12001 वितरण परिवर्तकों की मरम्मत करवाने में 8.89 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय वहन करना पडा।

खोये हुये परिवर्तक

2.3.23 क्षतिग्रस्त परिवर्तकों के बदलने के निर्गमन और लेखांकन क्रियाविधि के अनुच्छेद-13 के अनुसार परिवर्तक भंडार के माध्यम से ही निर्गत किये जाने चाहिए और कार्यशाला खण्ड अथवा अन्य अभिकरण द्वारा मरम्मत किये परिवर्तक पहले

* इलाहाबाद, मेरठ, वाराणसी, गोरखपुर, एवं आगरा।

** 2006-07 की सूचना लेखा परीक्षा को उपलब्ध नही करायी गई।

भंडार संगठन को हस्तांतरित किये जाने चाहिए जहाँ से ये निर्धारित क्रियाविधि के अनुसार निर्गत किये जाएंगें।

यह देखा गया कि विद्युत कार्यशाला खण्ड, लखनऊ को कार्यशाला केन्द्र, सीतापुर में 95.95 लाख रुपये मूल्य के (25 से 1000 केवीए क्षमता) के 280 लापता क्षतिग्रस्त परिवर्तकों के बारे में पता चला (नवम्बर 2004)। यह तथ्य खण्ड के संज्ञान में घटना के आठ वर्ष के बाद निम्नलिखित कारणों से आया:

- इन परिवर्तकों का निर्गमन जुलाई 1993 से जून 1996 की आवधि के दौरान सीधे कार्यशाला से मरम्मतकर्ता फर्म कों बिना उपरोक्त क्रियाविधि के पालन के किया गया।
- कनिष्ठ अभियन्ता ने, जो इन परिवर्तकों के निर्गमन के लिए जिम्मेदार था, यद्यपि अन्य खण्ड को स्थानान्तरण के कारण 30 जून 1994 को कार्यमुक्त कर दिया गया, स्टाक लेखा देरी से 1996 में और वह भी दैनिक और मासिक विवरण दिये बिना प्रस्तुत किया।
- सहायक अभियन्ता, कार्यशाला केन्द्र, सीतापुर ने न तो मामलो की रिपोर्टिंग विकाखं के खण्डीय अधिकारी, लखनऊ को की और न ही भंडार केन्द्र, सीतापुर में उपलब्ध परिवर्तकों की वास्तविक संख्या सुनिश्चित करने के लिए भौतिक सत्यापन किया गया

खण्ड की ओर से भण्डार लेखों की परिवीक्षा और भण्डार का भौतिक सत्यापन में लापरवाही से 95.95 लाख रुपये की हानि हुई।

इस प्रकार, कार्यशाला केन्द्र, सीतापुर में स्टाक के भौतिक सत्यापन और स्टाक लेखा के परिवीक्षण में खण्ड की ओर से शिथिलता के कारण कम्पनी को 95.95 लाख रुपये की हानि उठानी पड़ी।

एआरसीपीएसई की बैठक में प्रबन्धन ने लेखा परीक्षा प्रेक्षण स्वीकार किया (अगस्त 2007) और कहा कि सम्बन्धित कनिष्ठ अभियन्ता के विरुद्ध कार्यवाही शुरू की जा चुकी है।

जले परिवर्तक तेल का अल्प प्राप्ति

कम्पनियाँ क्षतिग्रस्त परिवर्तको से 10.93 करोड़ रुपये मूल्य के 5707.579 किली जले हुये/गन्दे परिवर्तक तेल की वसूली करने में विफल रही।

2.3.24 यूपीपीसीएल द्वारा निर्धारित (सितम्बर 1995, मई 2006 तक वैध) मानकों के अनुसार क्षतिग्रस्त परिवर्तक संग्रहण केंद्र (डीटीसी) पर लाये गये क्षतिग्रस्त परिवर्तकों से जले हुए और गंदे तेल की वसूली परिवर्तक की तेल टैंक क्षमता के 70 प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए थी। इसके पश्चात् वसूली प्रतिशत तेल टैंक क्षमता के 60 प्रतिशत तक कम की गई। यदि तेल की वसूली निर्धारित सीमा से नीचे रहती है तो चूककर्ता कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए कमी के कारणों को अभिलिखित किया जायेगा और जांच की जाएगी। निरंक वसूली के मामले में वितरण शाखा का खण्डीय अधिकारी निर्धरित दस्तावेज पर विस्तृत औचित्य दर्ज करेगा।

जले परिवर्तक तेल की निर्धारित सीमा से कम वसूली के मामलों की चर्चा अनुवर्ती अनुच्छेदों में की गई है:

- पाँच* विकाखं के अभिलेखों की जाँच से प्रकट हुआ कि जले और गंदे परिवर्तक तेल की वसूली मानकों से कम थी और फरवरी 2002 से मार्च 2007 के दौरान 64.01 से 8.92 प्रतिशत के बीच थी, जिसके परिणामस्वरूप 5631.084 किली परिवर्तक तेल की कम वसूली हुई जिसका मूल्य 10.78 करोड़ रुपये था (17480 रुपये से 20719 रुपये तक प्रति किली की दर से)। निम्न सारणी जले परिवर्तक तेल की पुन: प्राप्ति की स्थिति दर्शाती है:

खण्ड	परिवर्तक की क्षमता (केवीए)	कुल संख्या	मानक के अनुसार पुन: प्राप्य तेल (ली0)	वास्तविक वसूली (ली0)	अंतर (ली0)	दर (रुपये)	मूल्य (लाख रू0 में)	वसूली प्रतिशत
विकाखं, मेरठ	25 से 750	26379	2206657	873733	1332924	17.48	233.00	20.2 से 41.11
विकाखं, गोरखपुर	25 से 1000	22367	1313927	1151094	162833	18.20	29.64	3070 से 64.01
विकाखं वाराणसी	25 से 1000	66798	3948144	2829946	1118198	20.00	223.64	47.83 से 54. 39
विकाखं, इलाहाबाद	25 से 1000	32607	2052643	514028	1538615	18.52	284.95	11.80 से 26. 22
विकाखं, लखनऊ	25 से 1000	27048	1776757	298243	1478514	20.72	306.35	8.92 से 16.08
योग		**175199**	**11298128**	**5667044**	**5631084**		**1077.58**	

स्त्रोत: जले परिवर्तक तेल वसूली की फाइलें

अल्प वसूली के कारण और की गई उपचारात्मक कार्यवाही अभिलेखों मे नहीं थे।

- पाँच** विकाखं के जले और गंदे परिवर्तक तेल की वसूली से संबंधित अभिलेखों की जांच से प्रकाश में आया कि नमूना जाँच किये गये 792 क्षतिग्रस्त परिवर्तकों में 2001-02 से 2005-06 के दौरान जले और गंदे परिवर्तक तेल की वसूली शून्य थी, परिणामस्वरूप 14.68 लाख रुपये मूल्य के 76.495 किली परिवर्तक तेल की वसूली नही हुई जिसका विवरण निम्न है:

खण्ड का नाम	परिवर्तक क्षमता सीमा (केवीए)	प्रकरणों की संख्या	वसूल की जाने वाली मात्रा (लीटर)	औसत नीलामी मूल्य (रुपये प्रति लीटर)	गैर वसूली का मूल्य (लाख रुपये में)
विकाखं, गोरखपुर	25 से 630	208	16492	18.20	3.00
विकाखं, वाराणसी	25 से 400	151	10950	20.00	2.19
विकाखं, इलाहाबाद	25 से 400	121	8805	18.52	1.63
विकाखं, मेरठ	25 से 1000	165	18392	17.48	3.22
विकाखं, आगरा	25 से 1000	147	21856	21.00	4.59
योग		**792**	**76495**		**14.63**

स्त्रोत: जले परिवर्तक तेल की फाइलें

* मेरठ, गोरखपुर, वाराणसी, इलाहाबाद एवं लखनऊ।

** लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, इलाहाबाद एवं आगरा।

यह पाया गया कि शून्य वसूली के मामलें में वितरण शाखा के खण्डीय अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में कोई विवरणात्मक औचित्य दर्ज नहीं किया गया था।

एल्युमिनियम और कॉपर स्क्रेप की अल्प प्राप्ति

2.3.25 ईएसपीसी-I, लखनऊ ने एक संविदा* का अंतिमीकरण किया जिसके अनुसार टीआरडब्ल्यू पर लाये गये क्षतिग्रस्त वितरण परिवर्तकों से एल्युमिनियम/कॉपर स्क्रेप की क्षमतावार वसूली निम्नलिखित मानकों के अनुसार की जानी थी:

लपेटा गया एल्युमिनियम (वि0सं0 1116/01)		लपेटा गया कॉपर (वि0सं0 1117/01)	
25 केवीए	26 किग्रा	400 केवीए	245 किग्रा
63 केवीए	50 किग्रा	630 केवीए	330 किग्रा
100 केवीए	69 किग्रा	1000 केवीए	460 किग्रा
160 केवीए	82 किग्रा	-	-
250 केवीए	115 किग्रा	-	-

स्त्रोत: यूपीपीसीएल के मानक

- विकाखं आगरा और मेरठ के अभिलेखों की जाँच में प्रकाश में आया कि 2001-02 से 2006-07 के दौरान 14,440 क्षतिग्रस्त परिवर्तक मरम्मतकर्ताओं के पास भेजे गये थे। 29,53,236 किग्रा एल्युमिनियम और 4,56,108 किग्रा वसूली योग्य कॉपर स्क्रेप के विरूद्ध एल्युमिनियम की 27,01,301 किग्रा और कॉपर की 4,10,150 किग्रा स्क्रेप की वास्तविक वसूली हुई। इसके परिणामस्वरूप 4.92 करोड़ रुपये की एल्युमिनियम और कॉपर की कम वसूली हुई जिसका विवरण निम्न है:

(लाख रुपये में)

खण्ड	अवधि	एल्युमिनियम (किग्रा)					कॉपर (किग्रा)				
		वसूली योग्य	वास्तविक वसूली	अंतर	दर	राशि	वसूली योग्य	वास्तविक वसूली	अंतर	दर	राशि
विकाखं, मेरठ	3/02 से 10/06	2334272	2134800	199472	149	297.21	273308	237488	35820	375	134.33
विकाखं, आगरा	2/02 से 3/07	618964	566501	52463	61 से 82.50	37.78	182800	172662	10138	110 से 261	22.62
योग		2953236	2701301	251935		334.99	456108	410150	45958		156.95

स्त्रोत:- क्षतिग्रस्त परिवर्तकों की जांच रिपोर्ट और कनिष्ठ अभियन्ता का स्टाक लेखा

क्षतिग्रस्त परिवर्तको से 2,51,935 किग्रा एल्युमिनियम क्वायल और 45,958 किग्रा कापर क्वायल की कम वसूली के परिणामस्वरूप 4.92 करोड़ रुपये मूल्य के एल्युमिनियम और कापर स्क्रेप की कम वसूली हुई।

दविविनिलि प्रबन्धन ने बताया (सितम्बर 2007) कि आगरा कार्यशाला में विभिन्न क्षमताओं के परिवर्तकों की संयुक्त सत्यापन रिपोर्ट (2006-07) के अनुसार सुपर इनामेल्ड वाइंडिग वापर टाइप और डीपीसी वाइंडिग वायर टाइप परिवर्तक का प्रतिशत 23 से 54 और 46 से 77 प्रतिशत था। सुपर इनामेल्ड वाइंडिग वायर टाइप में प्रत्येक एचवी/एलवी क्वायल की मात्रा डीपीसी वाइंडिग टाइप परिवर्तकों की तुलना में 12 से 16 प्रतिशत कम हो गई। आगे यह भी कहा गया कि आग लगने की स्थिति में एल्युमिनियम की कुछ मात्रा और क्वायल में विद्युतरोधन जल गया। प्रबन्धन का उत्तर मान्य नहीं है क्योकि एचवी/एलवी क्वायल की न्यूनतम मात्रा की वसूली के मानक सभी प्रकार के परिवर्तकों के लिए थे सभी कारको

* निविदा विशिष्टि सं0 1116/01 और 1117/01

को दृष्टिगत रखते हुए निर्धारित किये गये है और लेखा परीक्षा का कार्य प्रबन्धन द्वारा निर्धारित मानकों के आधार पर किया गया था।

शक्ति परिवर्तकों का न निपटाया जाना

2.3.26 37.5/11 केवी से 33/11 केवी और 132/37.5 केवी से 132/33 केवी के अनुपात परिवर्तन के कारण अधिशेष हुए परिवर्तकों और सभी अमितव्ययी शक्ति परिवर्तकों का निपटान नीलामी के माध्यम से तत्काल किया जाना चाहिए

यह देखा गया (अप्रैल 2007) कि 193 परिवर्तक (1.5 से 12.5 एमवीए) मार्च 1985 से फरवरी 2007 से 33/11 केवी के विभिन्न सब स्टेशनों* पर पड़े है क्योकि 37.5/11 केवी और 132/37.5 केवी सिस्टम के परित्याग और कुछ परिवर्तकों के अमितव्ययी घोषित किये जाने के कारण इनका प्रयोग नहीं किया जा सका। तथापि, इन परिवर्तकों के निपटान के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई। इसके परिणामस्वरूप परिवर्तकों के मूल्य का 20 प्रतिशत निपटान योग्य मूल्य लेते हुए कम्पनियों को 5.18 करोड़ रुपये की वसूली से वंचित रहना पड़ा।

दविविनिलि प्रबन्धन ने बताया (सितम्बर 2007) कि 5 एमवीए क्षमता के तीन परिवर्तकों की मरम्मत के लिए निविदाएँ आमंत्रित की गई है। तथ्य यही है कि कम्पनियाँ अनुपयोगी परिवर्तकों के निपटान के लिए समुचित ध्यान नहीं दे रही हैं जो कम्पनियों को राजस्व प्रदान कर सकता है।

आतंरिक नियंत्रण और आंतरिक लेखा परीक्षा

2.3.27 संगठन के उद्देश्यों को प्रभावी, दक्ष और मितव्ययी ढंग से प्राप्त करने हेतु महत्वपूर्ण आश्वासन प्रदान करने के लिए आतंरिक नियंत्रण प्रबन्धन का एक उपकरण है।

यह देखा गया (अप्रैल 2007) कि शक्ति क्षेत्र की कम्पनियों में आतंरिक नियंत्रण पद्धति दोषपूर्ण थी जिसकी चर्चा नीचे की गई है:

- ट्रान्सफार्मेशन प्रणाली का प्रत्येक परिच्छेद जैसे, पावर ट्रान्सफार्मेशन, सब ट्रान्सफार्मेशन, वितरण ट्रान्सफार्मेशन और संयोजित भार बेमेल पाया गया;
- परिवर्तकों की खरीद आवश्यकता का समूचित मूल्यांकन किये बिना तदर्थ आधार पर की गयी। कम्पनियों ने क्षेत्रीय कार्यालयों से क्रय आदेश देने के लिए आवधिक मांगपत्र की प्राप्ति के लिए कोई मानक प्रक्रिया नहीं विकसित की;
- बुनियादी अभिलेख जैसे, परिवर्तकों का संख्याकंन, परिवर्तकों का हिस्ट्री कार्ड, वाह्य फर्मो और टीआरडब्ल्यू को मरम्मत हेतु प्रेषित परिवर्तकों की क्रम संख्या, पारगमन/वितरण सब स्टेशनों में परिवर्तकों की लागबुक ओर ट्रिपिंग्स वोल्टेज उतार-चढ़ाव और आउटेज इत्यादि की पंजिका न तो क्षेत्रीय इकाईयों पर और न ही मुख्यालय पर बनाये गये है;

* मेरठ, गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी इत्यादि

- अवशिष्ट परिवर्तकों के निपटान के लिए कोई दिशा निर्देश निर्धारित नहीं किये गये है।

आंतरिक लेखा परीक्षा

2.3.28 आतंरिक लेखा परीक्षा समुचित कार्यचालन सुनिश्चित करने और आतंरिक नियंत्रण पद्धति की प्रभावशीलता, गलतियों और धोखाधड़ी का पता लगाना सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई पद्धति है। इसे, स्वतंत्र निकाय के रूप में, वित्तीय नियमों और क्रियाविधियों के अनुपालन के दर्जे का मूल्यांकन ओर परीक्षण करना चाहिए। यह पाया गया (अप्रैल 2007) कि यूपीपीसीएल और चारों वितरण कम्पनियों ने आंतरिक लेखा मैनुअल नहीं तैयार किया है। यूपीपीसीएल के वैधानिक लेखा परीक्षकों ने प्रेक्षित किया (अक्टूबर 2007) कि प्रतिवेदन आवृत्ति और आवृत्त क्षेत्रों के संदर्भ में आतंरिक लेखा परीक्षा पद्धति के अधिक सशक्तीकरण और सुधार की आवश्यकता है।

एआरसीपीएसई की बैठक में कम्पनियों के प्रबन्धन ने स्वीकार किया (अगस्त 2007) कि आतंरिक नियंत्रण प्रणाली है लेकिन कुछ परिस्थितियों और जटिलताओं के कारण यह उचित रूप से कार्य नहीं कर रही है।

अभिस्वीकृति

2.3.29 निष्पादन लेखा परीक्षा सम्पन्न करने के विभिन्न चरणों पर कम्पनी के अधिकारियों द्वारा विभिन्न स्तरों पर दी गई सहायता और सहयोग के लिए लेखा परीक्षा आभार व्यक्त करता है।

उक्त लेखा परीक्षा टिप्पणियाँ प्रबन्धन/सरकार को जून 2007 में प्रतिवेदित की गई; पविविनिलि/पूविविनिलि/सरकार के उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2007)।

निष्कर्ष

परिवर्तकों की खरीद, अनुरक्षण और मरम्मत के संदर्भ में ऊर्जा क्षेत्र की कम्पनियों का प्रदर्शन क्रियाविधि के अमानकीकरण, मानकों के अनिर्धारण, और नियंत्रण के अभाव के कारण दोषपूर्ण पाया गया। खरीदे गये, निर्गत और संस्थापित परिवर्तकों का संख्याकंन कम्पनी द्वारा कभी नहीं किया गया। शक्ति और वितरण परिवर्तकों का आवधिक अनुरक्षण नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप वितरण परिवर्तकों की विफलता दर उँची रही। कम्पनी ने अपनी मरम्मत कार्यशालाओं की वार्षिक क्षमता का निर्धारण और आकंलन नहीं किया था। इसके अतिरिक्त, कम्पनी भंडार केन्द्रों पर पड़े क्षतिग्रस्त और अमितव्ययी परिवर्तकों की नीलामी करने की क्रियाविधि का पालन नहीं किया।

संस्तुतियाँ

ऊर्जा क्षेत्र की कम्पनियों को:

- **परिवर्तकों की खरीद के लिए वार्षिक योजना और लागत विश्लेषण तैयार करने;**

- परिवर्तकों का दक्ष निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए हिस्ट्री कार्ड का रखरखाव और परिवर्तकों का संख्यांकन करने;
- परिवर्तकों की अनुरक्षण सारणी निर्धारित करने और समयपूर्व विफलता से बचाव के लिए इसके पालन;
- परिवर्तक मरम्मत के संबंध में एक मानीटरिंग प्रणाली विकसित करना और प्रभावी मरम्मत के लिए उसके लागत विश्लेषण करने;
- आतंरिक नियंत्रण प्रणाली के सशक्तीकरण की आवश्यकता है।

2.4 पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के वाराणसी एवं इलाहाबाद नगरों में राजस्व बिलिंग के लिये सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित प्रणाली की निष्पादन समीक्षा

मुख्य अंश

भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) मैपिंग जिसका प्रयोग नेटवर्क एवं सम्बन्धित उपभोक्ताओं के सूक्ष्मतम विवरण प्रदान करने के लिये होना था 27.44 लाख रुपये व्यय करने के पश्चात् भी परिवीक्षण हेतु उपलब्ध नहीं थी।

(प्रस्तर 2.4.8)

मास्टर डाटा बैंक को अपडेट न करने के कारण वाराणसी नगर के 64 प्रतिशत प्रकरण सम्मिलित नहीं किये जा सके। इसमें डुप्लीकेट सेवा संयोजन संख्या, डुप्लीकेट मीटर संख्या एवं डुप्लीकेट उपभोक्ता बिना किसी निर्धारित स्थान मूल्य, महत्वपूर्ण स्थान शून्य या उच्च टैरिफ के उपभोक्ता को कम टैरिफ वाली श्रेणी में रखना इत्यादि थी जिनको मास्टर डाटा बैंक में ठीक नहीं किया गया।

(प्रस्तर 2.4.10, 2.4.11, 2.4.12 एवं 2.4.15)

बाह्य स्त्रोत से कार्य कराने से पहले कम्पनी ने त्रुटिहीन बिल बनाने हेतु साफ्टवेयर परीक्षण एंव इससे उत्पन्न डाटा के परिवीक्षण के लिये अपने कर्मचारियों की भागीदारी सुनिश्चित नहीं की। दोषपूर्ण मीटरों के प्रकरण में पिछले तीन माह की रीडिंग औसत खपत निकालने के लिये उपलब्ध नहीं थी। 31 प्रतिशत मीटर पिछले 216 महीनों से खराब थे। 380 प्रकरणों में 36.14 लाख रुपये का कम निर्धारण पाया गया। घरेलू पंखा एवं बत्ती के दोषपूर्ण मीटरों के मामलों में विद्युत प्रभार को नियत इकाइयों के अनुसार प्रभारित नहीं किया गया जैसा कि अन्य श्रेणी के उपभोक्ताओं के साथ किया गया। इसके परिणामस्वरूप 7.06 करोड़ रुपये का कम निर्धारण हुआ।

(प्रस्तर 2.4.16, 2.4.17, 2.4.18 एवं 2.4.25)

एजेन्सी के साथ हुये अनुबन्ध में प्रणाली की संरचना का विवरण प्राप्त करने, कर्मचारी दक्षता, सुरक्षा उपाय, कम्पनी या बाह्य एजेन्सियों के द्वारा आईटी लेखा परीक्षा का प्राविधान नहीं था। अपर्याप्त प्रणाली संरचना, सुरक्षा, भण्डारण क्षमता, दक्षता एवं कर्मचारी दक्षता के भौतिक सत्यापन में देखा गया कि कम्पनी ने डिजास्टर रिकवरी एवं बिजिनेस कन्टीन्यूटी प्लान का समावेश नहीं किया।

(प्रस्तर 2.4.21, 2.4.22, 2.4.23, 2.4.24 एवं 2.4.26)

प्रस्तावना

2.4.1 पूर्वांचल विद्युत विरतण निगम लिमिटेड, वाराणसी (पूविविनिलि) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ (यूपीपीसीएल) की सहायक इकाई का गठन मई 2003 में पूर्वी उत्तर प्रदेश के 21 जिलों में विद्युत वितरण हेतु किया गया। कम्पनी लगभग 24 लाख उपभोक्ताओं जिनका संयोजित विद्युत भार 808.40

मेगावाट और विद्युत विक्रय 142.33 करोड़ यूनिट था, की विकसित विद्युत आपूर्ति, सेवा उपभोक्ताओं का सन्तुष्टीकरण, अधिक राजस्व की वसूली और इसको वाणिज्यिक रूप से उपयोगी बनाने के मूल उद्देश्य के साथ सेवा करती हैं। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु यूपीपीसीएल ने सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) पर प्रणाली व्यवस्था की आवश्यकता महसूस की जिससे विद्युत विवरण व्यवस्था के वृहत नेटवर्क से सम्बन्धित आकंड़ो एवं उपभोक्ताओं की सूचना का संचय, सही एवं त्वरित बिल का निर्गमन, बिल वितरण एवं राजस्व संग्रहण की समग्र सूचना एकत्र की जा सके।

यूपीपीसीएल ने वर्ष 2004-05 में राज्य के 19 जिलों में बिलिंग एवं राजस्व संग्रह के लिए (चेक के द्वारा) बाह्य स्त्रोतो से सहायता ली। इलाहाबाद एवं वाराणसी शहर जो पूविविनिलि के अधिकार क्षेत्र मे आते थे, मे यह कार्य केएलजी सिस्टल लिमिटेड (एजेन्सी) को नवम्बर 2004 में 7.36 करोड़ रुपये[1] के संविदा मूल्य पर दिया गया। इस कार्य में, घर-घर जाकर प्रत्येक उपभोक्ता का सर्वे, इन्डेक्सिंग, विशिष्ट पहचान संख्या का आवंटन, मास्टर डाटा बैक को बनाना एवं उसको अधुनातन करना, भौगोलिक क्षेत्र एवं सड़क नक्शे का विकास, मीटर रीडिंग, बिल बनाना, बिलों का वितरण, चेक के द्वारा उपभोक्ता के घर पर राजस्व संग्रह, विच्छेदन एवं पुर्नसंयोजन इत्यादि सम्मिलित था।

संगठनात्मक ढाँचा

2.4.2 पूविविनिलि (कम्पनी) के निदेशक मंडल में एक पूर्णकालीन प्रबन्ध निदेशक एवं दो अन्य निदेशक हैं। कम्पनी के पास सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं के लिये उच्च प्रबन्धन से लेकर निचले स्तर तक किसी भी प्रकार का कर्मचारियों का आधारभूत ढाँचा उपलब्ध नही था, जिससे आईटी पर आधारित सेवाओं की कार्यकुशलता एवं प्रभाव को सुनिश्चित किया जा सके। सामान्यतया सम्बन्धित जिलों में विद्युत वितरण मंडलो के उपमहाप्रबन्धक ही इन एजेन्सियों को भुगतान करने हेतु उत्तरदायी मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। अधिशासी अभियन्ता एवं उसके अधीन नगरीय विद्युत वितरण खण्डों पर कार्यरत कर्मचारी, बिल बनाने, राजस्व संग्रह एंव एजेन्सी को दिये गये अन्य कार्यो के नियन्त्रण एवं अनुपालन के लिये उत्तरदायी हैं।

लेखा परीक्षा का कार्य क्षेत्र

2.4.3 लेखा परीक्षा के कार्य क्षेत्र में वाराणसी मंडल के छह[2] खण्डों एवं इलाहाबाद नगर के दो[3] खण्डों के अद्यतन बिलिंग चक्र (मार्च 2007 की रीडिंग जोकि मई 2007 में बिल की गई) को डाटा बैक की आधिकारिता, परिशुद्धता, पूर्णता एवं त्रुटिहीन बिल बनाने को सुनिश्चित करने हेतु सम्मिलित किया गया। सम्बन्धित कार्यकलापों की विस्तृत विवेचना हेतु इलाहाबाद[4] एवं वाराणसी[5] नगरों के

1 इलाहाबाद: 3.26 करोड़ रुपये एवं वाराणसी: 4.10 करोड़ रुपये।
2 भेलूपुर, मछोदरी, आशापुर, चेतमनी, चौकाघाट एवं अर्दली बाजार।
3 मेयो हाल एवं रामबाग।
4 विद्युत नगरीय वितरण खण्ड, मेयो हाल, इलाहाबाद।
5 विद्युत नगरीय वितरण खण्ड, मछोदरी, वाराणसी।

एक-एक खण्ड को चयनित किया गया। एजेन्सी के साथ पत्राचार, नये संयोजनो का रजिस्टर, स्थाई विच्छेदनों का रजिस्टर इत्यादि जो कि विद्युत वितरण खण्डों में उपलब्ध थें, नमूना परीक्षण किया गया।

लेखा परीक्षा के उद्देश्य

2.4.4 निष्पादन परीक्षा में बाह्य एजेन्सी द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित व्यवस्था की क्रमशः वाराणसी एवं इलाहाबाद नगरों के आठ विद्युत वितरण खण्डों में राजस्व बिलिंग एवं संग्रह हेतु लेखा परीक्षा निम्न तथ्यों को सुनिश्चित करने हेतु की गई:

- जीआईएस* मैपिंग द्वारा विद्युत नेटवर्क के नमूना परीक्षण में उपभोक्ताओं को चिन्हित करना;
- सभी उपभोक्ताओं की बिलिंग सुनिश्चित करते हेतु मास्टर डाटा को नियमित रूप से अद्यतन करना;
- बिलिंग एवं संग्रह कार्यकलापों को छिन्नभिन्न होने से बचाने हेतु बिजनेस कन्टीन्यूटी और डिजास्टर रिकवरी योजना का होना;
- पर्याप्त सही बिलो का बनाना;
- सही ऊर्जा बिलो को बनाना, एवं गलतियों/अनियमतताओं की रोकथाम चिन्हित करने के लिये पर्याप्त नियन्त्रण व्यवस्था का मौजूद होना।

लेखा परीक्षा की कसौटी

2.4.5 लेखा परीक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिये निम्नांकित लेखा परीक्षा कसौटियों का प्रयोग किया गया:

- वित्तीय उद्देश्यों की सुरक्षा हेतु कम्पनी एवं एजेन्सी के बीच निष्पादित अनुबन्ध की व्यापकता;
- एजेन्सी के पास सूचना प्रौद्योगिकी की दक्षता एवं साधनों की उपलब्धता;
- एजेन्सी की प्रणाली संरचना, सुरक्षा नियन्त्रण एवं अन्य इनपुट्स को सत्यापित करने हेतु व्यवस्था;
- प्रणाली की कमियों को आन्तरिक नियन्त्रण व्यवस्था द्वारा चिन्हित करना।

लेखा परीक्षा प्रक्रिया

2.4.6 राजस्व बिलिंग से सम्बन्धित आंकड़ो का जून 2007 में कम्प्यूटर सहायित लेखा परीक्षा विधि आईडिया** से उनकी सही पूर्णता एवं इसकी सत्यनिष्ठा की परीक्षा करने हेतु विश्लेषण किया गया। उपर्युक्त आकंड़ो की परीक्षा के अतिरिक्त सूचना प्रौद्योगिकी दक्षता, पूविविनिलि के कर्मचारियों की भागीदारी, सूचना प्रौद्योगिकी आधारित प्रणाली की दक्षता एवं प्रभाव का भी विश्लेषण किया गया।

* ज्योग्राफिकल इन्फारमेशन सिस्टम।

** इन्ट्रेक्टिव डेटा एक्सट्रेक्शन एण्ड एनालिसिस पैकेज।

लेखा परीक्षा प्रेक्षण

2.4.7 पूविविनिलि के वाराणसी एवं इलाहाबाद नगरों के आठ विद्युत वितरण खण्डों में बाह्य एजेन्सी द्वारा आईटी आधारित तकनीक से की गई राजस्व बिलिंग की निष्पादन लेखा परीक्षा के परिणामों को शासन को जून 2007 में भेजा गया । इन परिणामों पर मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य) के साथ अगस्त 2007 में चर्चा की गई। पूविविनिलि के अधिकारियों के साथ एजेन्सी की प्रणाली संरचना एवं कर्मचारियों की दक्षता का भी निर्धारण किया गया। निष्पादन लेखा परीक्षा पर 31 अगस्त 2007 को एआरसीपीएसई की मीटिंग में विचार किया गया। प्रबन्धन एवं सभा में उपस्थित सदस्यों द्वारा व्यक्त किये गये विचारों को समीक्षा को अन्तिम रूप देते समय ध्यान में रखा गया।

जीआईएस मैपिंग का प्रयोग न करना

कम्पनी द्वारा जीआईएस मैपिंग का प्रयोग न कर पाने के कारण इसपर हुआ व्यय अनुत्पादक रहा।

2.4.8 केएलजी सिस्टल लिमिटेड के साथ निष्पादित किये गये (नवम्बर 2004) अनुबन्ध के उपबन्ध 4.1 से 4.3 के अनुसार एजेन्सी को मंडलो के भौगोलिक क्षेत्रो का रूट मैप मैपिंग, अभिलेखीकरण एवं 33/11 केवी उपसंस्थान से निम्न वैभव की लाइन, उपभोक्ताओ का विवरण सबट्रान्समिशन एवं वितरण नेटवर्क को भौगोलिक क्षेत्र नक्शे पर 27.44 लाख रुपये की कीमत पर विकसित करना था। अनुबन्ध के उपबन्ध 11 के अनुसार एजेन्सी को नेशनल रिमोट सेसिंग एजेन्सी (एनआरएसए), हैदराबाद से विधिक रूप से खरीदे गये डिजिटल सैटेलाइट इमेजरी का प्रयोग करते हुए नक्शों को बनाना था एवं उसका प्रमाण भी देना था। जीआईएस मैपिग को उचित साफ्टवेयर जिसमे प्रश्नों का प्रावधान हो, के साथ प्रयोग करना था। जिससे डाटा में परिवर्तनो को, नेटवर्क में सम्मिलित उपभोक्ताओं का विवरण डिजटिल रूप में प्राप्त करने हेतु किया जा सके।

लेखा परीक्षा में देखा गया कि एजेन्सी द्वारा तैयार जीआईएस मैपिंग किसी भी कार्यालय (कारपोरेट आफिस सहित) में सम्बन्धित साफ्टवेयरों के साथ एवं एजेन्सी के सर्वर से सम्बद्ध साफ्ट कापी के रूप मे उपलब्ध नही थी। जीआईएस मैपिंग को अनुबन्ध की तकनीकी विशिष्टियों के अनुरूप विकसित नहीं किया गया था। जीआईएस मैपिंग को नियमित अन्तराल पर अपडेट करना था लेकिन इस तरह की अपडेटिंग नहीं की गई।

इसलिए कम्पनी उपभोक्ताओं के विवरण (भार, परिवर्तक से सम्बन्ध, परिवर्तको का द्वितीयक एवं प्राथमिक उपसंस्थान से सम्बन्ध, बिलिंग एवं राजस्व संग्रह की स्थिति इत्यादि) को चिन्हित करने में असफल रही जिसके कारण भार एवं विभव की समस्या को कुशलतापूर्वक नहीं सुलझाया जा सका। यह प्रत्येक परिवर्तक से सम्बन्धित तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियों को चिन्हित करके नेटवर्क की विसंगतियों को दूर करने मे भी असफल रही।

प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 2007) कि प्रत्येक खण्ड की प्रणाली पर सम्बन्धित साफ्टवेयर एवं सर्वर से सम्बद्धता के साथ जीआईएस मैपिंग को स्थापित किया जायेगा।

मास्टर डाटाबेस को अपडेट न करना

2.4.9 अनुबन्ध के उपबन्ध 4.4 एवं 5.1 के अनुसार पूविविनिलि के पास घर-घर जाकर प्रत्येक उपभोक्ता का सर्वेक्षण एवं उससे सम्बन्धित उपलब्ध अन्य अभिलेख विशिष्ट पहचान संख्या का आवंटन एवं सूचीकरण के आधार पर एक डाटा बैक का विकास, बिल बनाने, विलेख विवरण एवं उपभोक्ता के घर पर राजस्व संग्रह (चेक के द्वारा), का कार्य प्रारम्भ होने से पहले करना था। लेखा परीक्षा मे देखा गया कि उक्त प्रक्रिया के अन्तर्गत डाटा बैक का विकास करने के स्थान पर एजेन्सी ने पूर्व बाह्य एजेन्सी, इन्टीगग्रेटेड साफ्टवेयर सिस्टमस लिमिटेड, लखनऊ (आईएसएस) के बिलिंग डाटा कम्पनी से एक साफ्ट कापी में प्राप्त करके पिछले डाटा बेस को अपडेट किये बगैर ही उपभोक्ताओं की बिलिंग प्रारम्भ कर दी। एजेन्सी द्वारा घर-घर जाकर किया गया सर्वेक्षण आंशिक था जिसके कारण उपभोक्ताओं की बिलिंग न होना, प्रथम बिल निर्गत न होना, डाटा बैक में साम्यता न होना, महत्वपूर्ण क्षेत्रो का खाली रहना, एवं अन्य कमियाँ परिलक्षित हुई जिनको आगे के अनुच्छेदो में वर्णित किया गया है।

उपभोक्ताओं की बिलिंग न होना

2.4.10 एजेन्सी ने सितम्बर 2005 में बताया कि उसके द्वारा किये सर्वेक्षण के आधार पर वाराणसी के छः खण्डों में 213463 उपभोक्ता थे। इनमे से 137602 उपभोक्ताओं* (64 प्रतिशत) को (i) बिना मीटर के संयोजन लेना (ii) जिनके परिसर स्थाई रूप से बन्द थे (iii) और वे जिन्होने सर्वेक्षण के लिये प्रवेश देने से मना किया, की श्रेणी में डाला गया। सीधे संयोजन के मामलों को कोड 2005 के उपबन्ध 8.1 एवं इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 की धारा 135 के अनुसार, प्रवेश से मना करने के मामलों को कोड के उपबन्ध 6.2 (सी) के अनुसार एवं स्थाई रूप से बन्द परिसर के मामलों को उनकी स्थिति का निर्धारण एवं एजेन्सी की रिपोर्ट की आधिकारिकता को जाँचने के लिये उनका दुबारा सर्वेक्षण कराना था। इन उपभोक्ताओं के बहुत मामलों को नियमित करने सम्बन्धी प्रगति का विवरण अभिलेखों पर उपलब्ध नही था। इलाहाबाद के खण्डो से सम्बन्धित आंकड़ो को लेखा परीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया।

यह देखा गया कि इलाहाबाद के मेयो हाल खण्ड के एलएमवी-4 एवं एलएमवी-6 टैरिफ श्रेणी (पब्लिक/निजी संस्थान, औद्योगिक इकाईयां आदि) के 268 उपभोक्ताओं को नवीनीकृत डाटा बैक के बिलिंग लेजर में सम्मिलित नहीं किया गया। खण्ड ने इन उपभोक्ताओं की जानकारी होने के बावजूद इन उपभोक्ताओं को कोई बिलिंग एडवाइज जारी नहीं की।

पाँच अन्य मामलों में, डाटा बैक के अनुसार उपभोक्ताओं पर न तो मीटर नम्बर और न ही संयोजन नम्बर था। इन उपभोक्ताओं द्वारा पूविविनिलि को सम्पर्क करने पर इनकी बिलिंग फिक्सड चार्जेज के आधार पर की गई। बाह्य एजेन्सी द्वारा विस्तृत घर-घर सर्वेक्षण न करने के कारण इन सभी मामलो की पहचान सम्भव नहीं हो सकी।

* 71385 सीधे कनेक्शन + 33248 उपभोक्ताओं के परिसर स्थायी रूप से बन्द + 32969 उपभोक्ताओं द्वारा प्रवेश निषेध।

उपभोक्ताओं को बिल न किये जाने की स्थिति पर चिन्ता प्रकट करते हुये प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 2007) कि एजेन्सी के पास इतनी अधिक मात्रा में लेनदेन को संभालने के लिये उचित सर्वर, पर्याप्त एवं दक्ष कर्मचारी, समुचित, सुरक्षित सरंक्षित हैन्ड-हैल्ड मशीन इत्यादि नहीं है।। सूचना प्राद्यौगिकी में दक्षता की कमी के कारण खण्डों का एजेन्सी के डाटा पर कोई नियन्त्रण नहीं है। खण्डों को यह भी नही पता कि बिलो में सही दरों का निर्धारण किया गया है या नहीं, सभी उपभोक्ताओं की बिलिंग की गई है एवं जिन उपभोक्ताओं को बिलिंग की गई उनको बिल मिल गये। कई मामलों में उपभोक्ताओं के परिसर पर मीटर लगे थे किन्तु एजेन्सी ने इन मीटर नम्बरों को बिलिंग लेजरो में नही लिखा। प्रबन्धन ने दक्ष मानव शक्ति की कमी के कारण एजेन्सी की विफलता को स्वीकार किया (अगस्त 2007) और विचार व्यक्त किया कि वर्ष 2004 में बाह्य स्त्रोत को कार्य देते समय केवल न्यूनतम दर ही एकमात्र कसौटी नहीं होनी चाहिये बल्कि एजेन्सी के पिछले अनुभव को भी ध्यान में रखना चाहिये।

डाटा बैंक में विसंगतियाँ

डाटा बैंक में विसंगतियों के कारण 1728 डुप्लीकेट संयोजन, 3905 डुप्लीकेट मीटर नम्बर एवं 121 डुप्लीकेट उपभोक्ता थे।

2.4.11 एजेन्सी की कम्प्यूटरीकृत प्रणाली, में डुप्लीकेट/ट्रिप्लीकेट संयोजन नम्बरों, डुप्लीकेट या फर्जी मीटर नम्बर, डुप्लीकेट उपभोक्ताओं के मामलों को ढूढनें के लिये नियन्त्रणों की कमी थी। लेखा परीक्षा मे किये गये विश्लेषण ने 1728 डुप्लीकेट संयोजन नम्बर, 3905 डुप्लीकेट मीटर नम्बर और 121 डुप्लीकेट उपभोक्ताओं को दर्शाया। विवरण निम्नांकित है:

खण्ड	डुप्लीकेट/ट्रिप्लीकेट संयोजन नम्बर	डुप्लीकेट मीटर*		डुप्लीकेट उपभोक्ता जिनका समान क्षेत्र मूल्य है
		नम्बर	पुनरावृत्ति सीमा	
वाराणसी				
भेलूपुर	404	1193	2 से 13	77
मछोदरी	435	834	2 से 780	34
आशापुर	112	214	2 से 1516	निरंक
चेतमनी	175	371	2 से 56	2
चौकाघाट	54	217	2 से 190	2
अर्दली बाजार	217	226	2 से 1201	2
योग	**1397**	**3055**		**117**
इलाहाबाद				
मेयोहाल	86	124	2 से 141	2
रामबाग	245	726	2 से 224	2
योग	**331**	**850**		**4**
महायोग	**1728**	**3905**		**121**

स्त्रोत: खण्डों का इलेक्ट्रानिक डाटाबेस।

इतने अधिक संख्या में डुप्लीकेट मीटर नम्बर होने का कारण इस क्षेत्र में फर्जी प्रविष्टियों को होना था। अधिक संख्या में डुप्लीकेट/ट्रिपलीकेट उपभोक्ता संख्या होने के कारण एक उपभोक्ता द्वारा जमा किया गया पैसा दूसरे उपभोक्ता के खाते में जमा होने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। डुप्लीकेट उपभोक्ताओ के कारण, उपभोक्ताओं की दुबारा बिलिंग की सम्भावना बनी रहती

* फर्जी मीटर नम्बर सहित।

है। इससे यह प्रतीत होता था कि डाटा बैंक में कुछ गम्भीर गलतियाँ थी जिससे सभी उपभोक्ताओं से सही राजस्व की वसूली का उद्देश्य पूरा नही होता था।

पिता/पति के नाम का क्षेत्र डाटा बैंक से मिटा दिया गया था। कई मामलों में पते वाले कालम में कुछ आंशिक प्रविष्टियाँ थी। अधूरे पतों के कारण उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिकल अन्डरटेकिंग्स (ड्यूज रिकवरी) एक्ट 1958 की धारा 3 एवं 5 के अन्तर्गत नोटिस नही जारी की जा सकी।

प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 2007) कि ऐसे सभी मामलों में डुप्लीकेसी की छानबीन की जायेगी तथा स्थिति को सही करने हेतु उचित कार्यवाही की जायेगी।

2.4.12 लेखा परीक्षा में देखा गया कि एक बिलिंग चक्र के 129190 उपभोक्ताओं में से 1062 मामलों में सीक्वेंस नम्बर, 1062 मामलों में पोषक नम्बर, 1010 मामलों में उपभोक्ता क्रम संख्या खाली था तथा 21 मामलों में स्वीकृत भार शून्य था, जिसका विवरण निम्नांकित है:

खण्ड का नाम	कुल उपभोक्ता	सीकवेन्स नम्बर	पोषक नम्बर	उपभोक्ता इन्डेक्स नम्बर	स्वीकृत भार
वाराणसी					
अर्दली बाजार	10304	52	52	कोई फील्ड नहीं	2
आशापुर	9576	55	55	55	3
भेलूपुर	21191	43	43	43	0
चौकाघाट	9617	391	391	391	1
चेतमनी	18409	72	72	72	0
मछोदरी	23289	27	27	27	8
योग	**92386**	**640**	**640**	**588**	**14**
इलाहाबाद					
मेयोहाल	17289	0	0	0	2
रामबाग	19515	422	422	422	5
योग	**36804**	**422**	**422**	**422**	**7**
महायोग	**129190**	**1062**	**1062**	**1010**	**21**

स्त्रोत: खण्डों का इलेक्ट्रानिक डाटाबेस।

प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 2007) कि इन मामलों की जाँच की जायेगी।

2.4.13 अनुबन्ध के उपबन्ध 4.4.2 के अनुसार बिलिंग डाटा बैंक में उपभोक्ता एवं मीटर का विवरण होना चाहिये किन्तु ऐसा नही था। उपभोक्ता का विवरण जिसमे जमानत धनराशि, सम्बन्धित अवर अभियन्ता का नाम, उपभोक्ता के संयोजित भार एवं स्थिति पर आधारित मासिक निर्धारण, सर्विस लाइन का प्रकार, ओवरहैड लाइन, खम्भे/ब्रेकेट एवं जमीन के नीचे केबल के संयोजन सम्मिलित थे, का विवरण डाटा बैंक में उपलब्ध नही था। इसी प्रकार मीटर का विवरण जिसमे उत्पादन की क्रम संख्या, विभागीय क्रम संख्या, मीटर लगाने की तिथि, मीटर एवं सील की मौलिक स्थिति, देखने वाला शीशा, छेड़खानी का निशान (यदि कोई है) मीटर बाडी/टर्मिनल प्लेट, सील, अंको की संख्या, मीटर लगाने की स्थिति (पँहुच के अन्दर, पठनीय, पहचान योग्य) वायरिंग/केबल की स्थिति (ठीक, कटा हुआ,

जोड़, छेड़खानी किया हुआ, गुच्छे में बंधा हुआ इत्यादि) सम्मिलित हैं, उपबन्ध नहीं था।

प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 2007) कि सूचना प्रौद्योगिकी में दक्षता की कमी के कारण इस स्थिति पर नियन्त्रण सम्भव नहीं था और इन मामलों को एजेन्सी के साथ विचार करके सुलझा लिया जायेगा)।

अनूठी विद्युत खपत को न दर्शाना

4564 उपभोक्ताओं की वास्तविक खपत (129190 उपभोक्ताओं में से) स्वीकृत भार की 216 से 28080 इकाईयों के सापेक्ष अधिक थी।

2.4.14 अनुबन्ध के पैरा 6 के अनुसार एजेन्सी को प्रत्येक उपभोक्ता के संयोजित भार एवं पिछली खपत के आधार पर यूनिक इलेक्ट्रिसिटी कन्जम्पशन (यूइसी) पैटर्न का विकास करना था। इसका उपयोग उपभोक्ता के परिसर को भार एवं खपत की असामान्य स्थिति में निरीक्षण करने हेतु किया जाना था। एजेन्सी द्वारा असुरक्षित डाटाबेस में यूईसी पैटर्न उपलब्ध नहीं था।

डाटा बैंक में यूईसी पैटर्न के उपलब्ध न होने के कारण, लेखा परीक्षा ने स्वस्थ मीटरों (एचएलटी) द्वारा एक महीने के विद्युत उपभोग की गणना सभी उपभोक्ताओं के लिये स्वीकृत भार को आधार मानकर की। यह देखा गया कि सभी खण्डों में 4564 उपभोक्ताओं (129190 उपभोक्ताओं में से) की वास्तविक खपत स्वीकृत भार से 216 से 28080 यूनिट तक ज्यादा थी; जिसका विवरण निम्नांकित है:

खण्ड	कुल उपभोक्ता	एलएमवी-1		एलएमवी-2	
		उपभोक्ता की संख्या	अधिक खपत की सीमा*	उपभोक्ता की संख्या	अधिक खपत की सीमा
वाराणसी					
अर्दली बाजार	10304	187	216-19440	51	360-16200
आशापुर	9576	128	216-4752	29	360-7560
भेलूपुर	21191	859	360-8640	532	360-33120
चौकाघाट	9617	565	432-14904	132	720-10800
चेतमनी	18409	753	216-28080	59	360-25200
मछोदरी	23289	386	216-3024	70	360-5400
योग	**92386**	**2878**		**873**	
इलाहाबाद					
मेयोहाल	17289	370	216-15552	92	360-25200
रामबाग	19515	307	216-15120	44	360-5040
योग	**36804**	**677**		**136**	
महायोग	**129190**	**3555**		**1009**	

स्रोत: खण्डों का इलेक्ट्रानिक डाटाबेस।

इससे प्रतीत होता है कि कोड 2005 के प्रावधानों के अनुसार उपभोक्ता के अधिष्ठानों की जाँच, वास्तविक भार को सुनिश्चित करने एवं अधिक भार को नियमित करने हेतु आवश्यक है।

प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 2007) कि इस मामले को देखा जायेगा।

* स्वीकृत भार, 24 घण्टे आपूर्ति समय, महीनों की संख्या × 30, एवं "उत्तर प्रदेश इलेट्रिकसिटी सप्लाई कोड 2005" (पृष्ठ संख्या 96) के अनुलग्नक 6.3 के अनुसार फैक्टर के सापेक्ष यूनिटों की गणना।

टैरिफ का गलत प्रयोग

2.4.15 जब घरेलू बत्ती एवं पंखा श्रेणी (एलएमवी-1) के उपभोक्ताओं के नाम एवं पतों की जाँच की गई तो लेखा परीक्षा ने पाया कि 149 उपभोक्ता एलएमवी-2 श्रेणी (दुकान, होटल, निजी अतिथि गृह, वाणिज्यिक संस्थान, सिनेमा इत्यादि) या एलएमवी-4 (सोसाइटी, सार्वजनिक एवं निजी संस्थान, हास्टल, इत्यादि) के थे। इस प्रकार इनकी कम टैरिफ की श्रेणी में बिलिंग की गई। विवरण निम्न प्रकार है:

क्रम संख्या	खण्ड	एलएमवी-1 श्रेणी जिसमें उच्च श्रेणी के उपभोक्ता शामिल है (उपभोक्ता की संख्या)
वाराणसी नगर		
1	भेलूपुर	33
2	मछोदरी	36
3	आशापुर	16
4	चौकाघाट	08
5	चेतमनी	14
6	अर्दली बाजार	05
	योग	**112**
इलाहाबाद नगर		
7	मेयोहाल	32
8	रामबाग	05
	योग	**37**
	महायोग	**149**

स्रोत: खण्डों का इलेक्ट्रानिक डाटाबेस।

एजेन्सी द्वारा उपभोक्ताओं की सही श्रेणी को चिन्हित न करने के कारण टैरिफ के प्रयोग मे विसंगतिया हुई।

खराब मीटरों का निर्धारण न करना

2.4.16 अनुबन्ध के उपबन्ध 4.4.1 (जी) (ii) के अनुसार टैरिफ के रेट शिड्यूल पर आधारित साफ्टवेयर एवं डाटाबेस का विकास करना था। खराब मीटरों के लिये निर्धारित रेट शिड्यूल 1 दिसम्बर 2004 से प्रभावी था। इसके अनुसार पिछले तीन बिलिंग चक्रो की औसत खपत अथवा खपत का विवरण न मिलने की स्थिति में सही मीटर स्थापित होने पर बाद के तीन बिलिंग चक्रो की औसत खपत के आधार पर बिलिंग की जानी थी। इस तरीके का प्रयोग खराब मीटर के बदलने/मरम्मत होने एवं वास्तविक खपत की गणना मीटर द्वारा किये जाने तक होना था।

लेखा परीक्षा में देखा गया कि मीटर खराब होने पर पिछले तीन बिलिंग चक्रो की खपत उनकी औसत खपत निकालने के लिये डाटाबेस में उपलब्ध नही थी। बिलिंग लेजरो में खराब मीटर वाले उपभोक्ताओं की बिलिंग स्थिति का उल्लेख था किन्तु बिल बनाने हेतु पिछले तीन माह की औसत खपत का विवरण उपलब्ध नही था। कई मामलों में बिलिंग लेजरो में पिछली रीडिंग लेने की तारीख नवम्बर 1986 से मार्च 1994 के समय की थी जिससे स्पष्ट होता है कि सही खपत का विवरण

तभी से उपलब्ध नही था। एक बिलिंग चक्र के डाटा बैंक को देखने पर ज्ञात हुआ कि कुल स्थापित मीटरों मे से 31 प्रतिशत मीटर खराब थे।

यह भी देखा गया कि डाटा बैंक मे काल्पनिक मीटर संख्या की प्रविष्टि की गई थी। डाटा बैंक जिसका विकास घर-घर जाकर सर्वेक्षण पर आधारित होना चाहिये था, के द्वारा काल्पनिक मीटर संख्या स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हो जाती जिससे कि उसको वास्तविक मीटरो एवं भविष्य की योजनाओं से अलग किया जा सकता था।

प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 2007) कि यह गम्भीर मामला है और इसको देखा जायेगा।

मीटर रीडिंग के आधार पर बिलो का न बनाना

2.4.17 घरेलू बत्ती एवं पंखा (एलएमवी-1) के खराब मीटरों के मामले में बिल फिक्सड चार्जेज एवं 120 रुपये प्रति किलोवाट प्रतिमाह के आधार पर निर्गत किये जाते हैं। लेखा परीक्षा में पाया गया कि कई मामलों में उपभोक्ताओं की बिलिंग (120 रुपये प्रति माह प्रति किलोवाट) मीटर खराब होने के बहाने के आधार पर की गई, जबकि मीटर रीडिंग उपलब्ध थी। कुछ मामलों में मीटर रीडिंग के अनुसार निर्धारण के विरुद्ध खपत ज्यादा थी। ऐसे मामलों में बिल खपत की गई मात्रा पर बनाना चाहिये था। मीटर रीडिंग मे से पिछली ओके रीडिंग घटाने पर आई खपत का विश्लेषण करने पर देखा गया कि 380 मामलों में वसूली योग्य विद्युत धनराशि: 120 रुपये प्रति माह मीटर की दर से निर्धारित विद्युत धनराशि जो कि कई महीनों से वर्तमान मीटर रीडिंग से पिछली ओके रीडिंग को घटाकर ली जा रही थी, से अधिक थी। इसके कारण एक बिलिंग चक्र के 380 मामलों में 36.14 लाख रुपये का कम निर्धारण किया गया। जिसका विवरण निम्नांकित है:

मीटर रीडिंग उपलब्ध होने के बाद भी बिल बनाने की प्रक्रिया मीटर रीडिंग के आधार पर नही थी जिसके कारण 380 मामलों में 36.14 लाख रुपये का कम निर्धारण हुआ।

खण्ड	मामलों की संख्या	पिछली ओके रीडिंग* के बाद खपत	विद्युत मूल्य (रुपये)	1.20 रुपये प्रति कि.वा. /प्रतिमाह की दर से बिल किया गया (रुपये)	धनराशि जो कम बिल की गई (रुपये)
भेलूपुर	106	409291	1046846	97800	949046
मछोदरी	80	270677	622842	97080	525762
आशापुर	60	303731	758489	217440	541049
चेतमनी	57	258808	647141	201480	445661
चौकाघाट	32	221812	523679	119160	404519
अर्दली बाजार	45	386266	998351	250252	748099
योग	**380**	**1850585**	**4597348**	**983212**	**3614136**

स्रोत: खण्डों का इलेक्ट्रानिक डाटाबेस।

प्रबन्धन ने तथ्यों को स्वीकार करते हुये बताया (अगस्त 2007) कि यह गम्भीर मामला है एवं इसको ठीक करने के लिये कार्यवाही की जायेगी।

खराब मीटर वाले एलएमवी-1 श्रेणी के उपभोक्ताओं का गलत निर्धारण करने के कारण 7.06 करोड़ रुपये का कम निर्धारण हुआ।

खराब मीटरों वाले एलएमवी-1 श्रेणी के उपभोक्ताओं का गलत धनराशि पर बिल बनाना

2.4.18 विश्लेषण में पाया गया कि खराब मीटर वाले एलएमवी-1 श्रेणी के सभी उपभोक्ताओं (घरेलू बत्ती, पंखा एवं पावर उपभोक्ता) का बिल एजेन्सी को 120

* (मीटर डिजीट घटाया अन्तिम ओके रीडिंग)*गुणात्मक फैक्टर।

रुपये प्रति किलोवाट प्रतिमाह की दर से बनाया जबकि बिल में 80 यूनिट प्रति किलोवाट प्रतिमाह एवं विद्युत कर का निर्धारण भी 80 यूनिट पर दर्शाया गया। एलएमवी-1 के टैरिफ के अनुसार 80 यूनिट प्रति किलोवाट प्रतिमाह पर विद्युत मूल्य 163 रुपये* होता है। 120 रुपये प्रति किलोवाट प्रतिमाह का भुगतान प्राविजनल रूप से करना था और इसका समायोजन बाद में मीटर द्वारा दर्शायी गयी वास्तविक खपत के अनुसार बिल में किया जाना था।

खराब मीटरों के 25744 मामलों में 80 यूनिट प्रति किलोवाट प्रतिमाह के आधार पर दिसम्बर 2004 से मई 2007 तक की अवधि की गणना करने पर 7.06 करोड़ रुपये के कम निर्धारण का पता चला जिसका विवरण निम्नांकित है:

खण्ड	प्रकरणों की संख्या				कम निर्धारण (करोड़ रुपये में)			
(अ) वाराणसी	आडीएफ	एडीएफ	आरडीएफ	योग	आडीएफ	एडीएफ	आरडीएफ	योग
भेलूपुर	1574	1486	796	3856	0.38	0.53	0.16	1.07
चेतमनी	1619	1016	815	3450	0.61	0.15	0.08	0.84
अर्दली बाजार	2171	527	556	3254	0.66	0.15	0.08	0.89
चौकाघाट	491	213	500	1204	0.14	0.04	0.07	0.25
आशापुर	2282	537	584	3403	0.47	0.13	0.05	0.65
मछोदरी	1601	1053	1328	3982	0.26	0.06	0.09	0.41
योग (अ)	**9738**	**4832**	**4579**	**19149**	**2.52**	**1.06**	**0.53**	**4.11**
(ब) इलाहाबाद								
मेयोहाल	2768	576	625	3969	1.56	0.13	0.16	1.85
रामबाग	888	900	838	2626	0.63	0.27	0.20	1.10
योग (ब)	3656	1476	1463	6595	2.19	0.40	0.36	2.95
महायोग (अ + ब)	**13394**	**6308**	**6042**	**25744**	**4.71**	**1.46**	**0.89**	**7.06**

स्रोत: खण्डों का इलेक्ट्रानिक डाटाबेस।

पूर्व बिलिंग एजेन्सी ने (दिसम्बर 2004 से पहले) बिलिंग लेजर में सभी उपभोक्ताओं के विद्युत उपभोग की सूचना उल्लिखित की थी जिससे मीटर खराब होने पर (यदि आवश्यक हो) औसत उपभोग के आधार पर बिलिंग की जा सके। इस प्रकार के प्रकरणों में कम्पनी को राजस्व हानि से बचने के लिये उचित तरीको का प्रयोग करना चाहिये।

प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 2007) कि फिक्सड यूनिटों के आधार पर बिलिंग यूपीपीसीएल के पहले के आदेशो के अन्तर्गत की जा रही थी क्योंकि ऐसे प्रकरणों में लम्बी अवधि के लिये औसत खपत का निर्धारण नही हो पाता। तथ्य यह है कि यूपीपीसीएल के आदेशों के सन्दर्भ के बाद भी कम निर्धारण की प्रक्रिया जारी है।

बिल की धनराशि की गणना में त्रुटि

2.4.19 आठ खण्डों के 129190 उपभोक्ताओं में से 5195 उपभोक्ताओं के सम्बन्ध में टैरिफ के अनुसार वास्तविक विद्युत मूल्य तथा कम्प्यूटरीकृत व्यवस्था द्वारा दर्शाये गये विद्युत मूल्य में अन्तर था, जिसका विवरण निम्नांकित है:

* 70 यूनिट × 1.90 रुपये + 10 यूनिट × 3.00 रुपये

खण्ड	अघरेलू उपभोक्ताओं (एलएमवी-2) के गलत विद्युत मूल्य की गणना
वाराणसी	
भेलूपुर	29
मछोदरी	874
आशापुर	216
चेतमनी	595
चौकाघाट	176
अर्दली बाजार	154
योग	**2044**
इलाहाबाद	
मेयोहाल	3113
रामबाग	38
योग	**3151**
महायोग	**5195**

स्त्रोत: खण्डों का इलेक्ट्रानिक डाटाबेस।

प्रबन्धन ने उत्तर दिया कि गलत गणना को सही कर लिया जायेगा।

सामान्य नियन्त्रण में कमियाँ

2.4.20 एजेन्सी के साथ हुये अनुबन्ध में प्रयोग किये जाने वाली प्रणाली के हार्डवेयर की विशिष्टियां एवं बैकअप के प्रबन्ध के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं था। प्रबन्धन के पास ऐसा कोई तरीका नही था जिससे सूचना की सुरक्षा के सम्बन्ध में आश्वस्त हुआ जा सके।

2.4.21 इलाहाबाद एवं वाराणसी नगरो में एजेन्सी की प्रणाली के भौतिक सत्यापन में पाया गया कि सर्वर न होने के कारण नेटवर्क के कम्प्यूटरों में साझा जानकारी का अभाव था। एजेन्सी ने नान ब्रान्डेड पेन्टियम 4 को सर्वर के रूप में प्रयोग किया जोकि उच्च सीमा सर्वर की श्रेणी में नहीं आता। इस तथ्य को प्रबन्धन ने भी स्वयं इंगित किया। उच्च सीमा सर्वर के प्रयोन न किये जाने के कारण एजेन्सी की प्रणाली संरचना में भंडारण क्षमता सीमित थी जिसके कारण इनपुट डाटा के प्रोसेस करने की गति, डाटा की सुरक्षा, विश्वसनीयता एवं जीआईएस मैपिंग के साथ सम्बद्धता पर असर पड़ा।

2.4.22 एजेन्सी के साथ किये गये अनुबन्ध के उपबन्ध 4.4.1 (जी) (iii) के अनुसार प्रतिदिन डैट (डीएटी) ड्राइव पर बैकअप लेना एवं उसको सर्वर कक्ष से पृथक किसी अन्य स्थान पर सुरक्षित रखना था। एजेन्सी की प्रणाली संरचना की समीक्षा करने पर विदित हुआ कि बैकअप डैट ड्राइव के स्थान पर 200 जीबी की बाह्य हार्डडिस्क पर लिया गया जिससे कि डाटा को हानि या क्षति पहुँच सकती थी।

2.4.23 गलतियों को रोकने, पहचानने एवं सुधार करने हेतु अनुबन्ध में, एजेन्सी की प्रणाली एवं डाटा बैंक के आईटी आडिट का कम्पनी या बाह्य लेखा परीक्षको से कराने का कोई प्राविधान नही था।

2.2.24 अनुबन्ध के क्लाज 10.0 (ii) के अनुसार ठेकेदार को पर्याप्त संख्या में निपुण व्यक्तियों एवं उनकी शैक्षिक योग्यता व अनुभव का विवरण कम्पनी को

देना चाहिये। इसमें सम्मिलित है (अ) कम्प्यूटर प्रोगामिंग/संचालन में निपुण व्यक्ति, (ब) मान्यता प्राप्त संस्थान से डिग्री प्राप्त विद्युत अभियन्ता, (स) एकाउन्टिग एवं वाणिज्यिक मामलों में प्रशिक्षित व्यक्ति, (द) प्रशिक्षित विद्युत कर्मी, वायरमैन, लाइन मैन जिनको विद्युत सुरक्षा निदेशालय द्वारा 'अ' श्रेणी का लाइसेन्स निर्गत किया गया हो। एजेन्सी के कर्मचारियों की संख्या एवं उनकी योग्यताओं की समीक्षा करने पर ज्ञात हुआ (अगस्त/सितम्बर 2007) की एजेन्सी के पास अनुबन्ध के अनुसार दक्ष कर्मचारी नही थे।

अपर्याप्त स्वीकृति परीक्षण

2.4.25 बिलिंग एवं राजस्व संग्रह की कम्प्यूटरीकृत प्रणाली की सफलता के लिये यह आवश्यक है कि बाह्य एजेन्सी द्वारा कार्य प्रारम्भ किये जाने से पहले प्रयोगकर्ता खण्ड/मण्डल के दक्ष सदस्यों के साथ साफ्टवेयर का परीक्षण करा लिया जाये।इस परीक्षण में टैरिफ ढाँचा, बिलिंग में सम्भावित गलतियाँ, राजस्व संग्रह की प्रविष्टि, अनादृत चेकों, बिल रिवीजन, स्थाई विच्छेदन, निर्धारण का समाधान, प्राप्त धनराशि, छोड़ी गई एवं अवशेष धनराशि एवं इसका अग्रेषण, मीटर बदलने की स्थिति में खपत की गणना, खराब मीटर, आडिट ट्रेल, धारा-3 के अन्तर्गत निर्गत किये गये नोटिस एवं इनका डाटा बैंक में उल्लेख आदि अन्य तथ्यों की जानकारी होनी चाहिये।

समग्र परीक्षण से सही बिल बनाने के सम्बन्ध मे आश्वस्त हुआ जा सकता है। बाह्य एजेन्सी के द्वारा प्रयुक्त कम्प्यूटरीकृत प्रणाली का परीक्षण न तो यूपीपीसीएल और नही पूविविनिलि द्वारा कभी कराया गया। समुचित परीक्षण न होने के कारण डाटा बैंक में कमियाँ थी जिसके कारण गलत बिल बनाये गये।

लेखा परीक्षा में ऐसे प्रकरण भी प्रकाश में आये जहाँ (i) एक किलोवाट के स्वीकृत भार के विरुद्ध अविश्वसनीय उपभोग 3,33,33,333 इकाईयाँ (ii) बिल लेजर द्वारा मीटर रीडिंग के आधर पर निकाली गई खपत का गलत प्रदर्शन (iii) ऋणात्मक भार एवं अवास्तविक तथ्यों पर बिलिंग। वाराणसी एवं इलाहाबाद नगरों मे लेखा परीक्षा द्वारा देखे गये सभी खण्डों में इस प्रकार की गलतियाँ मिली जोकि परिहार्य थी और अपर्याप्त परीक्षण के कारण हुई।

पर्याप्त डिजास्टर रिकवरी एवं बिजनेस कन्टीन्यूटी प्लान की कमी

2.4.26 बाह्य एजेन्सी की स्वचालित प्रणाली के किसी आपदा (डिजास्टर) में कार्य न करने पर कम्पनी के पास ऐसा कोई डिजास्टर रिकवरी और बिजिनेस कन्टीन्यूटी प्लान नही था जिससे आश्वस्त हुआ जा सके कि डाटा प्रोसेसिंग के कार्य को समय से एवं प्रभावी रूप से संचालित कर लिया जायेगा। मुख्य संरचना आइटम (हार्डवेयर, साफ्टवेयर, परसनल एवं डाटा असेट) जोकि आईटी कार्य के लिये आवश्यक होते है, को उचित रूप से चिन्हित नहीं किया गया और न ही इसको दूर करने के लिये आवश्यक उपाय किये गये।

बिजनेस कन्टीन्यूटी एवं डिजास्टर रिकवरी प्लान न होने के कारण बाह्य एजेन्सी के सर्वर एवं अन्य कम्प्यूटरीकृत प्रणालियाँ आपदा के समय बेकार हो सकती है जिससे बिलिंग एवं राजस्व संग्रह, जो कम्पनी का मुख्य कार्य है, बाधित हो सकता है।

प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 2007) कि वह प्रणाली संरचना, क्षमता, कर्मचारियों की दक्षता से सन्तुष्ट नहीं हैं।

अभिस्वीकृति

2.4.27 निष्पादन लेखा परीक्षा के निष्पादन की विभिन्न अवस्थाओं में, कम्पनी/शासन के विभिन्न स्तरों के अधिकारियों द्वारा प्रदान किये गये सहयोग और सहायता के लिये लेखा परीक्षा आभार प्रकट करता है।

उपर्युक्त लेखा परीक्षा प्रेक्षण को जून 2007 में शासन को प्रतिवेदित किया गया था; उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2007)।

निष्कर्ष

कम्पनी ने बिल बनाने एवं राजस्व संग्रह के मुख्य कार्य को बाह्य एजेन्सी को 7.36 करोड़ रुपये में देने के बाद भी इससे आशानुरूप लाभ नही उठाया। इसका मुख्य कारण साफ्टवेयर का अपर्याप्त परीक्षण, बिलिंग लेजरों के निरीक्षण एवं परिवीक्षण में कमी, नियन्त्रण की कमी एवं अपर्याप्त आन्तरिक नियन्त्रण एवं परिवीक्षण विधा की कमी एवं कम्पनी द्वारा आधिकारिक, सही उचित एवं प्रभावी डाटा बैंक को त्रुटिहीन सही बिल बनाने के लिये सुनिश्चित न कर पाना है

संस्तुतियाँ

- कम्पनी को दक्ष मानवशक्ति एवं आईटी टूल्स का आधारभूत ढाँचा तैयार करना चाहिये जिससे बाह्य एजेन्सी द्वारा की गई त्रुटियों को ठीक किया जा सके;
- कम्पनी द्वारा अपने स्वयं के कर्मचारियों के लिये खण्ड स्तर पर ही आवश्यक निरीक्षण एवं परिवीक्षण की आवश्यकताओं को चिन्हित करने एवं उनको लिखित रूप में रखने की व्यवस्था करनी चाहिये;
- प्रत्येक खण्ड को जीआईएस मैपिंग सम्बन्धी साफ्टवेयर एवं सर्वर से सम्बद्धता के साथ रखना चाहिये जिससे संयोजित उपभोक्ताओ एवं अन्य विवरणों की जानकारी हो सके;
- संविदा पर कार्य देते समय कम्पनी को बाह्य एजेन्सी की तकनीकी क्षमता एवं दक्ष मानव शक्ति को सुनिश्चित करना चाहिये;
- कम्पनी को सम्पादन योग्य प्रारूप में प्रति माह डाटा बैंक का बैकअप लेना चाहिये जिससे डाटा का रिट्रीबल एवं विश्लेषण, सम्बद्धता एवं आवश्यकता के समय हो सके साथ ही एजेन्सी की प्रणाली के आपदा ग्रस्त होने पर डाटा को बचाया जा सके;
- बाह्य एजेन्सी द्वारा की गई गलतियों को रोकने खोजने एवं ठीक करने हेतु कम्पनी को अपने आईटी में दक्ष कर्मचारियों द्वारा अपनी स्वयं का आन्तरिक नियन्त्रण एवं परिवीक्षण तंत्र विकसित करना चाहिये।

अध्याय-III

सांविधिक निगम से सम्बंधित निष्पादन समीक्षा

3.1 उत्तर प्रदेश जल निगम के कन्स्ट्रक्शन एवं डिजाइन सर्विसेज विंग की निष्पादन समीक्षा

मुख्य अंश

212.33 करोड़ रुपये लागत के छः कार्य उप-ठेकेदारों के द्वारा क्लाइन्ट से प्राप्त किये गये तथा उन्हें ही उन कार्यों को बैक टू बैक आधार पर कम/बिना प्रतिशत प्रभार के प्रदान किये गये।

(प्रस्तर 3.1.7)

160.75 करोड़ रुपये लागत के 27 कार्य सक्षम अधिकारी से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किये बिना निष्पादित किये गये।

(प्रस्तर 3.1.10)

सीएण्डडीएस ने 531 कार्य बिना प्रतिशत प्रभार प्राप्त किये हुये तथा 90 कार्य निर्धारित दरों से नीचे प्राप्त कर निष्पादित किये, परिणामस्वरूप 35.99 करोड़ रुपये के आय की हानि हुई।

(प्रस्तर 3.1.13)

14.87 करोड़ रुपये क्लाइन्ट्स से प्राप्त धनराशि से अधिक व्यय हुआ बाद में जिसका दावा क्लाइन्ट्स को प्रस्तुत नहीं किया गया।

(प्रस्तर 3.1.18 तथा 3.1.30)

सामग्री खरीद के लागत नियन्त्रण प्रक्रिया से सम्बन्धित मैनुअल के प्राविधानों का अनुसरण न करने से प्रतियोगी दरों का लाभ नही लिया जा सका तथा अधिक व्यय प्रभावी हुआ।

(प्रस्तर 3.1.19)

निर्धारित दरों पर व्यापार कर तथा रायल्टी की कटौती न करने के परिणामस्वरूप उप-ठेकेदारों को 2.39 करोड़ रुपये का अनुचित लाभ दिया गया।

(प्रस्तर 3.1.20, 3.1.21 तथा 3.1.22)

सात कार्यों के निष्पादन में मानकों, विशिष्टियों तथा स्वीकृत प्राक्कलन से 1.97 करोड़ रुपये मूल्य की अधिक सामग्री खर्च की गई।

(प्रस्तर 3.1.24)

प्रस्तावना

3.1.1 उत्तर प्रदेश जल निगम (निगम) ने अपने निष्क्रिय श्रम शक्ति का उपयोग करने तथा कार्यकलापों का विविधीकरण, सलाहकार सेवाएं, भवन निर्माण, भूमि विकास तथा भवन निर्माण परियोजनाओं का प्रबन्धन, आन्तरिक साज सज्जा,

भूविन्यास, अग्निशमन तथा वातानुकूलन के क्षेत्र में करने हेतु, एक वाणिज्यिक शाखा की स्थापना (अप्रैल 1989) की, जिसका नाम कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज (सीएण्डडीएस) रखा गया। सीएण्डडीएस को (जून 1991) राज्य सरकार द्वारा निर्माण करने वाली संस्था के रूप में अनुमोदित किया गया।

वर्ष 2006-07 तक पिछले पाँच वर्षों के दौरान सीएण्डडीएस प्राथमिक रूप में सरकारी विभागों/संस्थानों (क्लाइन्ट्स) द्वारा सौंपे गये डिपाजिट कार्यों को लागत और प्रतिशत प्रभार के आधार पर निष्पादन में लगा रहा। ये कार्य, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम (यूपीआरएनएन, उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग (यूपीपीडब्लूडी) तथा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्लूडी) के वर्किंग मैनुअल में दिये गये प्रक्रिया, विशिष्टियों तथा दर सूची के तारतम्य में निष्पादित किये गये।

सीएण्डडीएस का प्रधान, निदेशक होता है जो कि निगम का मुख्य अभियन्ता है जिसके कार्य में दो मुख्य महाप्रबन्धक तथा एक वरिष्ठ लेखाधिकारी मुख्यालय, लखनऊ में सहायक हैं। (**परिशिष्ट - 26**)। कार्यों का निष्पादन इसके 50 फील्ड इकाइयों जोकि प्रदेश के विभिन्न भागों में तथा अन्य प्रदेश के शहरों* में भी स्थित हैं, द्वारा किया जाता है। इकाईयों के प्रधान, परियोजना प्रबन्धक (पीएम) होते हैं जो नौ महाप्रबन्धक (जीएम) के निरीक्षण में कार्य करते हैं।

वर्ष 2006-07 तक पिछले पाँच वर्षों के दौरान, पाँच अधिकारी निदेशक के प्रभार में रहे तथा इनका कार्यकाल 11 दिनों से 21 महीनों तक रहा। निदेशकों के बारंबार बदलाव से सामग्री खरीद के नियोजन तथा डिपाजिट कार्यों का निष्पादन और परिवीक्षण प्रतिकूल रूप से प्रभावित रहा।

लेखा परीक्षा का क्षेत्र

3.1.2 नवम्बर 2006 से अप्रैल 2007 के दौरान की गई निष्पादन समीक्षा, सीएण्डडीएस द्वारा 2002-03 से 2006-07 के दौरान डिपाजिट कार्यों के सम्बन्ध में नियोजन, निष्पादन तथा परिवीक्षण सन्निहित करती हैं।

43 पूर्ण कार्यों का चयन जिनकी लागत 248.08 करोड़ रुपये थी (31 अगस्त 2006 को 1763 पूर्ण कार्यों, लागत 1063.72 करोड़ रुपये में से) तथा 51 निष्पादित किये जा रहे कार्यों जिनकी लागत 231.18 करोड़ रुपये थी (31 अगस्त 2006 को 1245 कार्यों, लागत 798.97 करोड़ रुपये में से) जोकि 18 इकाईयों** द्वारा निष्पादित किये गये/किये जा रहे थे, की नमूना जाँच की गई तथा इनमें से 89 कार्यों जिनमें प्रत्येक की लागत 50.00 लाख रुपये से अधिक थी, विस्तृत जाँच के लिये चयनित किये गये।

लेखा परीक्षा के उद्देश्य

3.1.3 निष्पादन लेखा परीक्षा यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से की गयी थी कि क्या:

* अहमदाबाद, जम्मू, नागपुर एवं पटना।

** इलाहाबाद-10 एवं 33, बरेली-49, फैजाबाद-21 एवं 47, गाजियाबाद-31, गोरखपुर-14, लखनऊ-6,13,26 एवं 29, नोएडा-27,28,45 एवं 52, सीतापुर-53 एवं वाराणसी-24 एवं 30

- कार्यों का निष्पादन यूपीआरएनएन मैनुअल के प्रावधानों, विशिष्टियों, यूपीपीडब्लूडी/सीपीडब्लूडी के दर सूची तथा राज्य सरकार/प्रबन्धन द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों के संदर्भ में मितव्ययी एवं कुशल ढंग से किया गया;
- सामग्री की खरीद विहित कार्यविधि के आधार पर बिना उसकी गुणवत्ता से समझौता किये हुए न्यूनतम लागत पर की गई;
- सामग्री का उपयोग विहित पैमाने तथा विशिष्टियों के अनुरूप था;
- कार्यों का निरीक्षण तथा परिवीक्षण तरीके से था तथा सीएण्डडीएस में प्रचलित आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कुशल एवं प्रभावशाली थी; तथा
- कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु गुणवत्ता नियन्त्रण प्रणाली थी।

लेखा परीक्षा की कसौटी

3.1.4 लेखा परीक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु निम्नलिखित बिन्दुओं का अनुपालन सुनिश्चित करना लेखा परीक्षा की कसौटी आँकी गई:

- मैनुअल तथा राज्य सरकार के वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड VI (एफएचबी) के प्रावधानो;
- यूपीपीडब्लूडी/सीपीडब्लूडी की विशिष्टियों तथा दर सूची;
- राज्य सरकार के दिशा निर्देश तथा प्रबन्धन के निर्णयों/मार्ग दर्शन;
- सामग्री खरीद हेतु क्रय आदेशों की शर्तें एवं उपबन्ध; तथा
- कार्यों के नियोजन, निष्पादन तथा परिवीक्षण से सम्बन्धित आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली।

लेखा परीक्षा प्रक्रिया

3.1.5 लेखा परीक्षा कसौटी के संदर्भ में लेखा परीक्षा उद्देश्यों की प्राप्तियों हेतु लेखा परीक्षा के निम्न मिश्रण को अपनाया गया:

- एफएचबी, मैनुअल के प्रावधानों, यूपीपीडब्लूडी/सीपीडब्लूडी विशिष्टियाँ एवं दर सूची;
- सीएण्डडीएस मुख्यालय एवं फील्ड इकाइयों के अधिकारियों के बीच शक्तियों का प्रत्यायोजन;
- आरेखन एवं संरचना, कार्यों के प्राथमिक एवं विस्तृत प्राक्कलन, रोकड़ बही, जर्नल खाता तथा अन्य अभिलेख, क्रय समिति के निर्णय, पूर्ति आदेश, कार्य आदेश, भण्डार खाता, माप पुस्तिकाएं (एमबी) कार्य स्थल पर सामग्री (एमएएस) रजिस्टर, सामग्री उपयोग से सम्बन्धित उपयोग प्रपत्र तथा भण्डार और सामग्री तथा एमएएस अवशेषों से सम्बन्धित भौतिक सत्यापन रिपोर्ट;

- कार्यों के निष्पादन के दौरान निदेशक/महाप्रबन्धकों द्वारा किये गये परिवीक्षण तथा निरीक्षण प्रणाली; तथा
- प्रबन्धन के साथ विचार-विमर्श तथा लेखा परीक्षा प्रश्नावली का निर्गमन।

लेखा परीक्षा प्रेक्षण

3.1.6 निष्पादन समीक्षा से उत्पन्न लेखा परीक्षा प्रेक्षणों को प्रबन्धन/शासन को (जून 2007) प्रेषित किया गया था और इस पर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों हेतु लेखा परीक्षा समिति (एआरसीपीएसई) की 29 अगस्त 2007 की बैठक में चर्चा की गई। सीएण्डडीएस के निदेशक तथा विशेष सचिव (नगर विकास), उत्तर प्रदेश शासन ने बैठक में भाग लिया। बैठक के दौरान प्रबन्धन/शासन द्वारा व्यक्त किये गये विचार समीक्षा को अन्तिम रूप दिये जाते समय ध्यान में रखे गये।

नीचे दी गई तालिका में 31 मार्च 2007 को समाप्त हुए पिछले पाँच वर्षों के दौरान सीएण्डडीएस द्वारा 1353.32 करोड़ रुपये की लागत पर निष्पादित किये गये 1962 कार्यों तथा 50.30 करोड़ रुपये की लागत के चल रहे (डब्लूआईपी) 1701 कार्यों का विवरण दर्शाया गया है:

(करोड़ रुपये में)

विवरण	2002-03		2003-04		2004-05		2005-06		2006-07	
	संख्या	मूल्य	संख्या	मूल्य	संख्या	मूल्य	संख्या	मूल्य	संख्या	मूल्य
वर्ष के प्रारम्भ में लम्बित कार्य	1311	102.43	1241	111.85	1501	116.31	1211	134.49	1724	166.76
वर्ष के दौरान प्राप्त किये गये कार्य	373	256.49	594	276.08	330	244.21	733	291.91	612	385.32
योग	**1684**	**358.92**	**1835**	**387.93**	**1831**	**360.52**	**1944**	**426.40**	**2336**	**552.08**
वर्ष के दौरान पूर्ण किये गये कार्य	443	247.07	334	271.62	620	226.03	220	259.64	345	348.96
कार्य जो प्रगति में हैं	1241	111.85	1501	116.31	1211	134.49	1724	166.76	1991	203.12
पूर्ण किये गये कार्यों का कुल कार्य से प्रतिशत	26.31		18.20		33.86		11.32		14.77	

स्त्रोत: प्रगति विवरण।

क्लांइट्स से प्राप्त कार्यों तथा निष्पादित किये जा रहे कार्यों के वित्तीय प्रबन्धन, नियोजन एवं कार्यों का निष्पादन सामग्री खरीद एवं उपयोग निरीक्षण एवं परिवीक्षण तथा कार्यों के निष्पादन से सम्बन्धित गुणवत्ता नियन्त्रण प्रणाली से सम्बन्धित लेखा परीक्षा प्रेक्षणों की चर्चा अग्रलिखित प्रस्तरों में की गई है:

बिना निविदा आमन्त्रण के कार्यों को प्रदान करना

3.1.7 सीएण्डडीएस को राज्य सरकार के द्वारा अनुमोदित निर्माण संस्था घोषित किया गया। अत: इसे डिपाजिट कार्य प्राप्त करने में प्राथमिकता मिली। यद्यपि विभाग ने कार्यों को प्राप्त करने हेतु विभिन्न सरकारी विभागों/संस्थाओं के साथ सामंजस्य स्थापित करने हेतु कोई पद्धति या प्रणाली विकसित नहीं की। कार्यों को या तो उप-ठेकेदारों या इकाइयों के परियोजना प्रबन्धकों के माध्यम से प्राप्त किया

जाता था। चार खण्डो* में क्लाइन्ट्स से कार्य प्राप्त करने हेतु उप-ठेकेदारों के साथ निष्पादित समझौता ज्ञापनों की संवीक्षा के दौरान संज्ञान में आया (फरवरी 2007) कि 2002-03 से 2006-07 के दौरान 212.33 करोड़ रुपये लागत के छः विभागीय कार्य उप-ठेकेदारों द्वारा कम लागत/बिना प्रतिशत प्रभार, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित 12.5 प्रतिशत प्रभार अधिभारित किये बिना, प्राप्त किये गये तथा बैक टू बैक आधार पर उन्ही उप-ठेकेदारों को प्रदान कर दिये गये। मूल अभिलेखों के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि कितने ठेकेदारों को बिना निविदा आमन्त्रण के बैक टू बैक आधार पर कार्य प्रदान किये गये।

इस तरह राज्य सरकार द्वारा सीएण्डडीएस को प्राथमिकता दिये जाने के बावजूद सीएण्डडीएस ने कोडल प्रावधानों के विपरीत विभागीय कार्यो को उप-ठेकेदारों के माध्यम से प्राप्त किया तथा बैक टू बैक आधार पर उन्हीं को प्रदान कर दिया। इससे प्रतिशत प्रभार तथा ठेकदार के मुनाफे का नुकसान दस प्रतिशत की दर से हुआ जोकि कार्य के प्रत्येक मद में सम्मिलित था। सत्य यह है कि विभागीय कार्यो को बिना किसी प्रयास के उप-ठेकेदारों के माध्यम से प्राप्त करना तथा कार्य को उसी ठेकेदार को प्रदान कर देना मानक व्यवसायिक व्यवहार जैसे निविदा आमंत्रित करके कार्यो को प्रदान करने के विपरीत तथा अनैतिक था क्योंकि इन मामलों में गुणवत्ता के साथ समझौता की सम्भावना तथा राज्य सरकार के लिये वित्तीय दुष्प्रभाव से इन्कार नहीं किया जा सकता।

कार्यो को अनियमित तरीके से उप-टेकेदारों द्वारा प्राप्त किया जाना तथा बैक टू बैक आधार पर उन्हीं को प्रदान किया जाना।

प्रबन्धन ने (अगस्त 2007) बताया कि क्लाइन्ट विभागों से सामंजस्य, महाप्रबन्धक श्रेणी के नोडल अधिकारियों द्वारा स्थापित किया जा रहा था। प्रबन्धन ने (अगस्त 2007) एआरसीपीएसई बैठक में माना कि छः कार्य निजी ठेकेदारों द्वारा प्राप्त किये गये तथा उन्हे बैक टू बैक आधार पर उन्हीं ठेकेदारों को सबलेट किये गये तथा सीएण्डडीएस को कार्य के लिये पर्यवेक्षण प्रभार प्राप्त हुआ। प्रबन्धन का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कोडल प्रावधानों के विपरीत उप-ठेकदारों के माध्यम से कार्य प्राप्त करने तथा बैक टू बैक आधार पर उन्हीं को प्रदान करने से सीएण्डडीएस को केवल पर्यवेक्षण प्रभार ही प्राप्त हुआ, प्रतिशत प्रभार या तो पूर्ण रूप से छोड़ दिया गया या उसकी दर 12.5 प्रतिशत से कम कर दी गई।

वित्तीय प्रबन्धन

प्रचुर संख्या मे तकनीकी रूप से प्रशिक्षित/योग्यता प्राप्त कर्मचारी होने के बावजूद सीएण्डडीएस ने 6.96 करोड़ रुपये का भुगतान निजी वास्तुकारों को सलाह एवं आरेखन के मद में किया।

3.1.8 सीएण्डडीएस डिपाजिट कार्यो का निष्पादन, कलांइट्स से कार्यो के स्वीकृति लागत के विरुद्ध निधि प्राप्त के बाद करता है। क्लांइट्स द्वारा निधि या तो सीएण्डडीएस मुख्यालय को या कार्य सम्पन्न करने वाली इकाई को उपलब्ध कराया जाता है। कार्य के निष्पादन में सीएण्डडीएस प्रशासकीय तथा अन्य उपरिव्यय को पूरा करने तथा आय अर्जित करने हेतु कार्यो की लागत पर प्रतिशत प्रभार वसूलता है। सीएण्डडीएस की 2005-06** तक पिछले चार वर्षो के दौरान रही वित्तीय स्थिति तथा कार्यचालन फल **परिशिष्ट-27** में दी गई है।

यह संज्ञान में आया (जनवरी 2007) कि:

* इकाई-6 तथा 29, लखनऊ, इकाई-45 तथा 52, नोएडा

** 2006-07 के लेखों को सितम्बर 2007 तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

- सीएण्डडीएस ने प्रचुर संख्या में तकनीकी रूप से प्रशिक्षित/योग्यता प्राप्त कर्मचारी होने के बावजूद सलाह, आरेखन एवं संरचना व्यय के मद में 6.96 करोड़ रुपये का भुगतान किया।

प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 2007) कि आरेखन, संरचना एवं कार्यों का प्राक्कलन निजी वास्तुकारों एवं सलाहकारों से कराना शाखा के लिये लाभदायक था। उत्तर इस तथ्य की दृष्टि से मान्य नहीं है कि सीएण्डडीएस भवन निर्माण, भूमि विकास, आवास परियोजनाओं के प्रबन्धन तथा संरचना आदि कार्यों हेतु राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित संस्था थी। पुनः इसके पास प्रचुर संख्या में तकनीकी कर्मचारी व अधिकारी थे जोकि कार्यों पर लगाये जा सकते थे जिससे सलाह, आरेखन व संरचना इत्यादि तैयार करने पर हुए राज्य सरकार के व्यय को बचाया जा सकता था।

- एक इकाई* के चालू सम्पत्तियों, ऋणों व अग्रिमों मे कार्य दर श्रमिकों (पीआरडब्लू) के विरुद्ध 1.87 करोड़ रुपये का बकाया अग्रिम में शामिल है जबकि लेखा अभिलेखों के अनुसार पीआरडब्लू के विरुद्ध कोई अग्रिम बकाया नहीं था।

इकाई प्रबन्धन ने तथ्यों को स्वीकारते हुए बताया (फरवरी 2007) कि विसंगतियों का समाधान कर दिया जाएगा।

कार्यों के निष्पादन हेतु नियोजन

मानव शक्ति नियोजन

3.1.9 मैनुअल** में प्रावधान है कि सीएण्डडीएस का निदेशक कार्य प्रतिफलों को ध्यान में रखते हुए सीएण्डडीएस के सर्वाधिक लाभ हेतु विभिन्न इकाइयों का गठन तथा उनमे कार्यों के वितरण की प्रक्रिया को सुनिश्चित करेगा। एक इकाई में एक परियोजना प्रबन्धक (इकाई प्रभारी), एक सहायक परियोजना प्रबन्धक, दो या अधिक स्थानिक अभियन्ता (आरई) (कार्य/कार्य-स्थल की संख्या के आधार पर), एक लेखाकार तथा एक भण्डार पालक होगा।

यह अवलोकित किया गया (अप्रैल 2007) कि:

- इकाइयों पर आरई की तैनाती कार्यों की संख्या तथा कार्य स्थल की विशालता को बिना ध्यान में रखे हुए की गई। सीतापुर इकाई में जहाँ 97 कार्य/स्थल तथा टर्नओवर 4.19 करोड़ था सात आरई को तैनात किया गया (2006-07 में औसत व्यय 0.15 लाख रुपये × 7 प्रति वर्ष = 12.70 लाख रुपये प्रति वर्ष) जबकि लखनऊ (इकाई-29), अलीगढ़ तथा वाराणसी (इकाई-24) जिसमें क्रमशः 102 से 154 कार्य/स्थल थे तथा जिसका टर्नओवर 12.43 करोड़ रुपये से 22.85 करोड़ रुपये था, में उसी अवधि में केवल चार से छः आरई तैनात किये गये।

* इकाई-45 नोएडा मे।

** मैनुअल के पैरा 17 बी, 860 तथा 876

- किसी भी इकाई में कोई भण्डारपालक (2002-03 से 2006-07) तैनात नहीं किया गया और सामग्री की खरीद, अभिरक्षा, निर्गमन तथा उपभोग का कार्य स्वयं आरई द्वारा ही किया गया।

- सीएण्डडीएस द्वारा लागत प्रतिफल को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक इकाई को कार्यों के वितरण हेतु कोई पैमान नहीं बनाया गया जिसके फलस्वरूप प्रत्येक इकाई के कार्यों का निर्धारण तर्कसंगत नहीं था तथा कार्य/स्थल जो एक जिले में थे उनकों दूसरे जिले में स्थित इकाई को निर्धारित कर दिया गया/सौंप दिया गया।

यह कार्य के निष्पादन में कर्मचारियों की सुव्यवस्थित तैनाती की कमी को दर्शाता है जिससे कार्यों का कुशल एवं प्रभावी पर्यवेक्षण बाधित रहा।

प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 2007) कि आरई की तैनाती आवश्यकतानुसार की गई थी। क्लाइन्ट्स द्वारा विभिन्न स्थलों के कार्य सौंपे गये थे इसलिये इकाईयों के बीच कार्यों का बँटवारा मुख्यालय स्तर पर नहीं किया गया था। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि आरई की तैनाती में विहित मानकों का अनुसरण नहीं किया गया तथा इकाईयों में आरई की तैनाती आवश्यकतानुसार नहीं की गई।

प्राक्कलनों की तैयारी तथा स्वीकृति

3.1.10 मैनुअल[1], एफएचबी[2] तथा निदेशक मण्डल का जुलाई 2001 का निर्णय यह प्रतिपादित करता है कि प्राथमिक प्राक्कलन के आधार पर बिना क्लाइंट्स के प्रशासकीय स्वीकृति के कोई भी कार्य प्रारम्भ न किया जाय। सम्बद्ध सरकारी विभाग से प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात् विस्तृत प्राक्कलन तैयार किया जाय तथा उस पर सीएण्डडीएस के सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति, जिसे तकनीकी स्वीकृति (टीएस) कहा जाता है, ली जाय। तकनीकी स्वीकृति यह आश्वासति करता है कि प्रस्ताव संरचनात्मक रूप से ठीक है तथा प्राक्कलन सही तैयार किया गया है और पर्याप्त आँकड़ो पर आधारित हैं।

इस सम्बन्ध में निम्नलिखित कमियाँ संज्ञान में आई (मार्च 2007):

- 160.75 करोड़ रुपये की लागत के 27 कार्य आठ इकाइयों[3] द्वारा सीएण्डडीएस के सक्षम प्राधिकारी से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किये बिना प्रारम्भ किये गये थे। इसमें से 122.99 करोड़ रुपये लागत के 15 कार्य वर्ष 2002-03 से 2006-07 के दौरान पूर्ण किये गये थे जिनका विवरण **परिशिष्ट-28** में दिया गया है।

- यद्यपि सीएण्डडीएस को संरचना सेवाएं प्रदान करनी थी लेकिन इसने संरचना स्कंध की स्थापना नहीं की तथा कार्यों के आरेखन, संरचना एवं प्राक्कलन निजी सलाहकारों तथा मानचित्रकों से तैयार कराये गये। यह संज्ञान में आया (मार्च 2007) कि 12 कार्यों के विस्तृत प्राक्कलन जो

1 मैनुअल का पैरा 34 तथा 41

2 वित्तीय हस्त पुस्तिका का पैरा 318

3 लखनऊ-13, फैजाबाद-21 तथा 47, वाराणसी-24 नोएडा-28,45 तथा 52 एवं बरेली

सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत किये गये थे, विहित विशिष्टियों/मानकों के आधार पर तैयार नही किये गये थे तथा उनमें कार्यों की लागत 95.47 करोड़ रुपये से ज्यादा प्राक्कलित की गई थी जैसा **परिशिष्ट-29** में दर्शाया गया है, उसके लिये संशोधित प्राक्कलन तैयार नहीं किये गये थे।

- प्रत्येक निष्पादन इकाई को एक प्राक्कलन रजिस्टर बनाना था लेकिन वह पाँच इकाइयों* द्वारा नहीं बनाया गया था। प्राक्कलन रजिस्टर के अभाव में कार्यों के प्राथमिक, विस्तृत तथा संशोधित प्राक्कलन की तैयारी की वास्तविक स्थिति सुनिश्चित नही की जा सकी यह कार्यों के नियोजन में सीएण्डडीएस की तदर्थता को दर्शाता है।

प्रबन्धन ने लेखा परीक्षा के अभिमत को स्वीकार किया तथा यह बताया (अगस्त 2007) कि 15 पूर्ण कार्यों तथा 12 चल रहे कार्यों की तकनीकी स्वीकृति अब प्राप्त कर ली गई है (सितम्बर 2007)। निजी मानचित्रकों तथा सलाहकारों द्वारा आरेखन, संरचना तथा प्राक्कलन तैयार किया जाना सीएण्डडीएस के लिये लाभदायक था। प्राक्कलन रजिस्टर तैयार करने हेतु सभी इकाइयों को निर्देश जारी कर दिये गये है। एआरसीपीएसई की बैठक (अगस्त 2007) में प्रबन्धन ने स्वीकार किया कि कुछ मामले थे जिनमें कार्यों का निष्पादन बिना तकनीकी स्वीकृति के किया गया था परन्तु निजी सलाहकार/मानचित्रकों द्वारा तैयार किये गये आरेखन की जाँच परियोजना प्रबन्धकों/महाप्रबन्धकों द्वारा की गई थी।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि प्रत्येक पूर्ण कार्य की तकनीकी स्वीकृति की तिथि लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं की गई तथा कार्य पूर्ण होने के बाद दी गई तकनीकी स्वीकृति इस बात का आश्वासन नहीं देती है कि कार्यों का निष्पादन अनुमोदित आरेखन तथा विशिष्टियों के अनुरूप किया गया था। निजी मानचित्रकों एवं सहाहकारों का कार्य के आरेखन, संरचना तथा प्राक्कलन तैयार किये जाने हेतु लगाया जाना सीएण्डडीएस के लिये, इन तथ्यों के आधार पर, लाभदायक नहीं था कि सीएण्डडीएस में प्रचुर संख्या में कर्मचारी/अधिकारी थे जिनकी तैनाती कार्यों हेतु की जा सकती थी तथा संरचना, आरेखन एवं प्राक्कलन की अपर्याप्तता को बचाया जा सकता था।

कार्यों का निष्पादन

3.1.11 क्लाइंट्स से कार्य प्राप्त करने के पश्चात् सीएण्डडीएस को मैनुअल के प्रावधानों, सरकार तथा प्रबन्धन के दिशानिर्देशों तथा क्लांइट्स के साथ निष्पादित समझौता ज्ञापन के नियम व शर्तों के अनुसार कार्य दर श्रमिकों (पीआरडब्लू) द्वारा कार्यों का निष्पादन कराना होता हैं कार्यों का निष्पादन क्रय समिति की संस्तुतियों पर पीआरडब्लू द्वारा कराया जाता है। यह संज्ञान में आया (मार्च 2007) कि कार्यों के निष्पादन में सीएण्डडीएस द्वारा मैनुअल के प्रावधानों, समझौता ज्ञापन के नियम व शर्तों तथा राज्य सरकार/प्रबन्धन के दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया गया जैसा कि नीचे वर्णित है:

* इलाहाबाद-10 तथा 33, फैजाबाद-21, लखनऊ-6 एवं गोरखपुर-14

कार्यों की सबलेटिंग

3.1.12 मैनुअल* प्रावधानित करता है कि सीएण्डडीएस को जैसे भी सम्भव हो बड़े निजी ठेकेदारों को हटाना चाहिये जिससे कार्यों को उप-ठेकेदारों को न दिया जाय अपितु उनका निष्पादन, कार्यादेश जारी करके पीस रेट वर्क्र (पीआरडब्लू) से कराया जाय। इसके अतिरिक्त कार्यों का उप-ठेकेदारों को सबलेटिंग, प्रबन्ध निदेशक के अनुमोदन से किया जा सकता है जोकि ऐसा करने के लिये पूर्ण तर्क अभिलेखित कर निदेशक मण्डल की बैठक में सूचित करेगा। सबलेटिंग के सभी मामलों में मैनुअल के प्रावधान यह भी नियत करते है कि निविदाओं का आमंत्रण चार मुख्य अग्रेजी तथा हिन्दी दैनिकों में प्रचारित करा कर करना चाहिये।

यह संज्ञान में आया (मार्च 2007) कि 421 करोड़ रुपये के लागत के 19 कार्य जो सीएण्डडीएस (अगस्त 2000 से जुलाई 2006 तक) को प्राप्त हुये थे, के द्वारा बिना प्रबन्ध निदेशक के अनुमोदन तथा निदेशक मण्डल को सूचित किये उप-ठेकेदारों को सबलेट किये गये थे।

लेखा परीक्षा ने अवलोकित किया, (मार्च 2007) जो निम्न प्रकार है:

- सीएण्डडीएस द्वारा न्यू ओखला इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट अथारिटी (नोएडा) से 'नोएडा में सेक्टर 105 तथा 108 में विकास का कार्य' (नवम्बर 2002 में 23.19 करोड़ रुपये का) प्राप्त किया तथा उसे बिना निविदा आमंत्रण के, कोटेशन के आधार पर 14 उप-ठेकेदारों को 19.40 करोड़ रुपये की लागत पर प्रदान कर दिया गया (नवम्बर 2002)। अक्टूबर 2003 तक जब क्लाइन्ट्स द्वारा खराब कारीगरी के कारण कार्य निरस्त कर दिया गया, उप-ठेकेदारों ने 11.67 करोड़ रुपये का कार्य निष्पादित किया था। इसके अतिरिक्त, कुल व्यय 11.67 करोड़ रुपये (प्रतिशत प्रभार सहित) के विरुद्ध क्लाइन्ट ने केवल 10.80 करोड़ रुपये का भुगतान किया। इसके फलस्वरूप 87 लाख रुपये का अधिक व्यय हुआ जिसका भुगतान क्लाइन्ट द्वारा नहीं किया गया था (मार्च 2007)। इस प्रकार बिना निविदा आमंत्रण के कार्यों को उप-ठेकेदारों को प्रदान करने में केवल कोडल प्रावधानों का उल्लंघन नही हुआ अपितु प्रतियोगी दरों से प्राप्त हाने वाले लाभ की हानि भी हुई। इसके उपरान्त क्लाइन्ट द्वारा 87 लाख रुपये का भुगतान न किये जाने से सीएण्डडीएस को 26.75 लाख रुपये (नौ प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से गणना की गई) के ब्याज की हानि अक्टूबर 2003 से मार्च 2007 के दौरान उठानी पड़ी।
- अगस्त 2000 से मार्च 2006 के दौरान 19 कार्यों में से 17 कार्यों जिनका मूल्य 412.45 करोड़ रुपये आँका गया, के निष्पादन हेतु निविदायें आमंत्रित नहीं की गई तथा कार्यों को कोटेशन प्राप्त कर स्थानीय ठेकेदारों को प्रदान कर दिया गया जिसके सम्बन्ध में कोई कारण अभिलेखों पर नहीं थे। इसलिये यह सुनिश्चित नही किया जा सका कि क्या मान्य की गई दरें

* मैनुअल का पैरा 20,21,467 तथा 473

प्रतियोगात्मक थीं तथा कार्यों को अनुभवी उप-ठेकेदारों को प्रदान किया गया था।

प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 2007) कि कार्यों को निविदा के आधार पर प्रदान करना एक लम्बी प्रक्रिया है तथा यह राजनैतिक प्रभाव और अनैतिक तत्वों के हस्तक्षेप को आमंत्रित करती है। उत्तर गैर जिम्मेदाराना है क्योंकि मैनुअल के प्रावधानों के अनुसार सभी सबलेटिंग मामलों मे निविदाएं आमंत्रित की जानी चाहिए तथा ये प्रक्रिया समय के साथ खरी थी और यह कार्यों को किफायती लागत पर पूर्ण करने हेतु अच्छी तरह स्थापित थीं। इसके अतिरिक्त कार्यों को उप-ठेकेदारों को भी बैक टू बैक आधार पर बिना प्रबन्ध निदेशक/निदेशक मण्डल के अनुमोदन प्राप्त किये, प्रदान किया गया।

डिपाजिट कार्यों का कम लागत/बिना प्रतिशत प्रभार के निष्पादित किया जाना

राज्य सरकार द्वारा निर्धारित 12.5 प्रतिशत से कम प्रतिशत प्रभार लेने के फलस्वरूप 35.99 करोड़ रुपये की आय की हानि

3.1.13 निदेशक मण्डल ने निर्देशित किया (अक्टूबर 2005) कि सीएण्डडीएस को सभी डिपाजिट कार्यों पर 12.5 प्रतिशत की दर से प्रतिशत प्रभार जैसा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित (फरवरी 1997) है, प्रभारित करना चाहिये। यह संज्ञान में आया (मार्च 2007) कि उक्त दिशानिर्देशों के विपरीत सीएण्डडीएस ने वर्ष 2002 से 2007 के दौरान 272.87 करोड़ रुपये लागत के 531 कार्य बिना प्रतिशत प्रभार प्राप्त किये निष्पादित किये और वर्ष 2005 से 2007 के दौरान 35.35 करोड़ रुपये लागत के 90 कार्य प्रतिशत प्रभार के राज्य सरकार/प्रबन्धन द्वारा प्रस्तावित दर 12.5 प्रतिशत से कम 5 से 10 प्रतिशत, प्रतिशत प्रभार पर निष्पादित किये गये फलस्वरूप 35.99 करोड़ रुपये आय की हानि हुई।

प्रबन्धन ने एआरसीपीएसई की बैठक में बताया (अगस्त 2007) कि कार्यों को कम प्रतिशत प्रभार पर निष्पादित कराए जाने से सम्बन्धित आवश्यक अनुमति राज्य सरकार से लेने हेतु कार्यवाही की जायेगी। प्रबन्धन ने बिना प्रतिशत प्रभार प्राप्त किये कार्यों के निष्पादन के सम्बन्ध में कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया। अत: सत्यता यही है कि शासनादेश/प्रबन्धन के दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया गया, फलस्वरूप सीएण्डडीएस को आय की हानि हुई।

संकलित दरों पर कार्यों को प्रदान करना

3.1.14 सीएण्डडीएस द्वारा नोएडा के साथ 'नोएडा में गंगा जल वितरण प्रणाली के निर्माण' हेतु एक अनुबन्ध निष्पादित किया (दिसम्बर 2000) जिसकी प्राक्कलित लागत 64.97 करोड़ रुपये थी तथा उसमें 2 प्रतिशत आकस्मिक व्यय तथा 4.4 प्रतिशत प्रतिशत प्रभार सम्मिलित था। अनुबन्ध की शर्तो के अनुसार सीएण्डडीएस को कार्य को किसी उप-ठेकेदार को प्रदान नहीं करना था तथा कार्य हेतु सभी सामग्री की खरीद भी स्वंय को करनी थी। यह संज्ञान में आया (मार्च 2007) कि सीएण्डडीएस ने उपरिलिखित नियमों व शर्तो के विपरीत वर्ष 2000 से 2002 के दौरान कार्य को 33.94 करोड़ रुपये की लागत पर 15 उप-ठेकेदारों को इस शर्त पर प्रदान कर दिया कि अनुबन्ध की तिथि से 18 महीनों में कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा। कार्यों के प्राक्कलन में 9.19 करोड़ रुपये की लागत का प्री स्ट्रेस्ड कांक्रीट (पीएससी) पाइप्स की आपूर्ति, बिछाने तथा जोड़ने का कार्य था जिसमें 10

प्रतिशत ठेकेदार का मुनाफा शामिल था। यदि इकाई ने अनुबंध के शर्तो के अनुरूप पाईप की खरीद स्वंय की होती तो इसने 30.35 लाख रुपये तक का ठेकेदार का मुनाफा (पाइप के निष्पादित की गई मात्रा 18,912.90 मीटर के आधार पर की गई गणनानुसार) बचाया होता। इस प्रकार अनुबंध के नियमों व शर्तो के विपरीत कार्य को उप-ठेकेदारों को संगठित दर पर प्रदान करने के फलस्वरूप 30.35 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ।

प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 2007) कि सीएण्डडीएस के पास पर्याप्त आधारिक संरचना के अभाव में कार्य को इस आशय के साथ संकलित दर पर प्रदान किया गया कि कार्य निश्चित अवधि मे पूर्ण हो जाय। उत्तर मान्य नही है क्योंकि कार्य का संकलित दर पर प्रदान किया जाना अनुबन्ध के नियमों व शर्तो के विपरीत था। एआरसीपीएसई की बैठक (अगस्त 2007) में प्रबन्धन ने तथ्यों को स्वीकार किया तथा बताया कि मामले को देखा जाएगा।

क्लाइन्ट्स के बिना अनुमोदन के कार्यों में अतिरिक्त मदों का निष्पादन

3.1.15 सीएण्डडीएस की तीन इकाईयों* ने बिना सम्बन्धित क्लाइन्ट्स के अनुमोदन के 68.84 करोड़ रुपये लागत के तीन कार्यो में 1.79 करोड़ रुपये मूल्य के कार्यो के अतिरिक्त मदों का निष्पादन (जनवरी 2001 से मार्च 2007) किया जिसका विवरण निम्न है:

(लाख रुपये में)

कार्य का नाम	क्लाइन्ट का नाम	प्राक्कलित लागत	आरम्भ की तिथि	समापन की तिथि	अतिरिक्त मदों का मूल्य	अतिरिक्त कार्यों का विवरण
गंगा जल वितरण प्रणाली, नोएडा	न्यू ओखला इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट अथारिटी	6497.47	01.01.01	31.01.05	169.53	पीसीसी कार्य, एमएस कार्य, सीआई पाईप की खरीद तथा बिछाने इत्यादि में अतिरिक्त दर
सीएचसी सिराथू, इलाहाबाद का निर्माण	स्वास्थ्य विभाग	133.26	28.01.03	31 03 06	2.05	ब्रिक कोबा ट्रीटमेन्ट
बस अड्डा कैन्ट, वाराणसी का निर्माण	उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम	253.30	17.11.04	कार्य प्रगति पर	7.17	मिट्टी की आपूर्ति तथा भरण
योग		**6884.03**			**178.75**	

स्त्रोत: कार्यों का प्रगति तथा समापन विवरण।

सीएण्डडीएस ने कार्यो के इन अतिरिक्त मदों को सम्मिलित करते हुए संशोधित प्राक्कलन तैयार नहीं किया (सितम्बर 2007), परिणामस्वरूप अतिरिक्त मदों के निष्पादन पर किया गया व्यय 1.79 करोड़ रुपये अप्राप्त रहा तथा 17.98 लाख रुपये की प्रभावी हानि हुई (नौ प्रतिशत से मार्च 2007 तक की गणना की गई)।

प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 2007) कि अतिरिक्त मदों का निष्पादन क्लाइन्ट्स के मौखित आश्वासनों/निर्देशों पर किया गया तथा इन कार्यो के उनके द्वारा मान्य किये जाने हेतु प्रयास किये जा रहे थे। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि न तो क्लाइन्ट का

* इकाई-45, नोएडा, इकाई-30, वाराणसी तथा इकाई-26, लखनऊ

अनुमोदन प्राप्त किया गया और न ही क्लाइन्ट द्वारा दिया गया आश्वासन प्रस्तुत किया गया।

ड्रेजिंग तथा डीसिल्टिंग कार्य

3.1.16 लखनऊ में गोमती नदी पर गोमती बैराज से गऊघाट पंपिग स्टेशन तक आन्तरिक नौवहन सुविधा विकसित करने के इरादे से राज्य परिवहन विभाग ने एक प्रस्ताव भारत सरकार को अनुमोदन हेतु प्रेषित किया (जनवरी 2003)। राज्य सरकार ने कार्य को सीएण्डडीएस को 24.12 करोड़ रुपये के प्राथमिक प्राक्कलन के आधार पर आबंटित कर दिया (फरवरी 2003) तथा शहरी बुनियादी संरचना निधि से 2.40 करोड़ रुपये आबंटित किये जिसमें लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए), यूपी आवास एवं विकास परिषद (यूपीएवीपी) तथा नगर निगम, लखनऊ की बराबर की भागीदारी थी। एलडीए तथा यूपीएवीपी ने क्रमश: 40 लाख रुपये तथा 50 लाख रुपये सीएण्डडीएस को अवमुक्त किये।

यह संज्ञान में आया (नवम्बर 2006) कि सीएण्डडीएस ने बिना भारत सरकार की स्वीकृति, प्राक्कलन की स्वीकृति तथा एलडीए एवं यूपीएवीपी से बिना पूर्ण धनराशि प्राप्त किये, कलकत्ता की एक निजी कम्पनी के साथ बिना निविदा आमंत्रित किये 1.45 क्यूबिक मीटर का नहर की तलहटी से मशीन द्वारा कीचड़ मिट्टी आदि निकालने के कार्य का समझौता 1.02 करोड़ रुपये की लागत पर किया (जून 2003)। उप-ठेकेदार ने, जब सरकारी संस्थाओं के द्वारा अवशेष धनराशि न प्राप्त होने तथा भारत सरकार से परियोजना का अनुमोदन प्राप्त ने होने (सितम्बर 2007) के कारण कार्य को रोक दिया (नवम्बर 2003) तब तक 1.29 लाख क्यूबिक मीटर के कार्य (अक्टूबर 2003) 90.27 लाख रुपये लागत (89 प्रतिशत) का निष्पादन किया था। इकाई ने उप-ठेकेदार के साथ समझौते के पहले जनवरी 2002 से मई 2003 के दौरान विविध साधन कार्यों को करने पर 5.90 लाख रुपये का व्यय किया। इस प्रकार बिना भारत सरकार के अनुमोदन एवं स्वीकृति के कार्यों को प्रारम्भ करने पर 96.17 लाख रुपये का निष्फल व्यय हुआ।

प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 2007) कि राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार से परियोजना को अनुमोदित कराये जाने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कार्य रोक दिये जाने (नवम्बर 2003) से चार वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी भारत सरकार ने अनुमोदन प्रदान नहीं किया तथा एलडीए, यूपीएवीपी तथा नगर निगम, लखनऊ ने अपने अंशो को जमा नहीं किया। इस प्रकार, परियोजना की स्वीकृति के बिना कार्य प्रारम्भ करने के परिणाम स्वरूप निष्फल व्यय हुआ जिसके लिये कोई जिम्मेदारी निर्धारित नहीं की गई।

अविवेकपूर्ण निर्णय के कारण हानि

3.1.17 सीएण्डडीएस के द्वारा 6.27 करोड़ रुपये की लागत के तीन कार्यों को प्रारम्भ किया गया (मार्च 1996 से जुलाई 2004) तथा उन्हें पीआरडब्लू के द्वारा पूर्ण न किये जाने के कारण 1.75 करोड़ रुपये के व्यय उपरान्त छोड़ना पड़ा जिनका वर्णन नीचे दिया गया है:

(लाख रुपये में)

क्रम संख्या	कार्य का नाम	क्लाइन्ट का नाम	प्राक्कलित लागत	आरम्भ की तिथि	क्लाइन्ट से प्राप्त निधि	किया गया व्यय	कार्य छोड़ने की तिथि
1	आलापुर खेल स्टेडियम का निर्माण	युवा कल्याण	60.50	16 मार्च 96	15.00	14.75	मई 1996
2	बेनीबाग, वाराणसी में शापिंग काम्पलेक्स	वाराणसी विकास प्राधिकरण	206.15	1 अगस्त 01	84.50	64.39	अक्टूबर 2003
3	सीएण्डडीएस मुख्यालय, लखनऊ का निर्माण	निजी भवन	359.85	01 जुलाई 04	उपलब्ध नहीं	95.50	सितम्बर 2005
	योग		**626.50**			**174.64**	

स्त्रोत: फील्ड इकाईयों द्वारा प्रस्तुत प्रगति प्रतिवेदन।

इस सम्बन्ध में निम्न बिन्दु उद्धरित करने योग्य है:

- आलापुर, अम्बेदकर नगर में क्लाइन्ट से भूमि के स्वामित्व को सुनिश्चित किये बिना खेल स्टेडियम के निर्माण पर 14.75 लाख रुपये का व्यय (मार्च से मई 1996) किया गया ।
- वाराणसी में शापिंग काम्पलेक्स के निर्माण में 64.39 लाख रुपये का व्यय किया गया। कार्य के छोड़ देने के कारण इसका उपयोग नहीं किया जा सका, जिसके लिये अभिलेखों पर कोई कारण उपलब्ध नहीं थे।
- सीएण्डडीएस के गोमती नगर स्थित मुख्यालय भवन का निर्माण इकाई-29, लखनऊ द्वारा प्रारम्भ किया गया (जनवरी 2004) तथा 95.50 लाख रुपये का व्यय हो जाने के उपरान्त जल निगम के अध्यक्ष द्वारा बिना कोई कारण बताये रोक दिया गया (सितम्बर 2005)। कार्य रोक दिये जाने के कारण 11.32 लाख रुपये मूल्य की सामग्री कार्य स्थल पर बिना उपयोग के पड़ी रही। इस प्रकार, सीएण्डडीएस के अविवेकपूर्ण निर्णय के कारण 95.50 लाख रुपये की निधि बाधित रही तथा उसके कारण सीएण्डडीएस को 12.89 लाख रुपये की ब्याज की हानि हुई।

प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 2007) कि आलापुर स्थित खेल स्टेडियम के निर्माण के सम्बन्ध में जिलाधिकारी तथा भूमि के स्वामी भूमि उपलब्ध कराने हेतु तैयार हो गये हैं। वाराणसी स्थित शापिंग काम्प्लेक्स के मामले में कार्य न्यायालय के निर्देशानुसार रोक दिया गया है। मुख्यालय भवन का निर्माण अपने निजी निधि से पूर्ण किया जायेगा। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि आलापुर स्थित खेल स्टेडियम के निर्माण स्थल की उपलब्धता से सम्बन्धित जिलाधिकारी तथा भूमि के स्वामी द्वारा दिये गये आश्वासन से सम्बन्धित अभिलेखीय प्रमाण प्रस्तुत नहीं किये गये। मुख्यालय भवन के निर्माण में हुई देरी के परिणामस्वरूप निधि बाधित रही तथा ब्याज की हानि हुई।

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के कार्यों का निष्पादन

राज्य सरकार के आदेशों के विरुद्ध बिना प्रतिशत प्रभार के कार्यों के निष्पादन से सीएण्डडीएस के 2.56 करोड़ रुपये के आय की हानि हुई।

3.1.18 शासनादेश (मार्च 1999) प्रावधानित करता है कि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (डीआरडीए) द्वारा प्रायोजित तथा विधायक निधि एवं अन्य विकास निधियों द्वारा वित्त पोषित डिपाजिट कार्यो के कुल लागत पर सार्वजनिक उपक्रमों/कारपोरेशनों तथा निगमों द्वारा 12.5 प्रतिशत का प्रतिशत प्रभार अधिभारित किया जाएगा।

निम्न बिन्दु संज्ञान में आए (मार्च 2007):

- वर्ष 2002-03 से 2006-07 के दौरान सीएण्डडीएस ने डीआरडीए के 20.45 करोड़ रुपये की लागत के 396 कार्यों का निष्पादन बिना प्रतिशत प्रभार अधिभारित किये हुए किया। परिणामस्वरूप सीएण्डडीएस प्रतिशत प्रभार से उत्पन्न होने वाले लाभ 2.56 करोड़ रुपये से वंचित रहा।

- डीआरडीए द्वारा प्रदान किये गये कार्यों की नियम व शर्तें नियत करती है कि सीएण्डडीएस इन कार्यों का निष्पादन सामग्री खरीद कर स्वयं करेगा तथा बाहर के ठेकेदारों को सम्बद्ध नहीं किया जायेगा। डीआरडीए ने कार्यों के प्राक्कलन को यूपीपीडब्लूडी दरसूची के आधार पर स्वीकृत किया था जिसमें कुल लागत (सामग्री तथा श्रम) पर 10 प्रतिशत का ठेकेदार का लाभांश शामिल है। चार* कार्य निष्पादन इकाइयों ने संगठित दर (सामग्री तथा श्रम) पर 209 कार्यों को पीआरडब्लूज को प्रदान किया जिसमे ठेकेदारों का लाभांश शामिल था तथा उन्हें 3.06 करोड़ रुपये की लागत पर निष्पादित कराया। परिणामस्वरूप, सीएण्डडीएस ठेकेदार के लाभांश 27.82 लाख रुपये नहीं प्राप्त कर सका तथा सीएण्डडीएस को हानि हुई।

- वर्ष 2002-03 से 2006-07 के दौरान सीएण्डडीएस ने 38 कार्यों के निष्पादन में क्लाइन्ट (डीआरडीए) से प्राप्त 1.95 करोड़ रुपये निधि के विरुद्ध 2.34 करोड़ रुपये व्यय किये परिणामस्वरूप 38.97 लाख रुपये का अधिक व्यय हुआ जो अगस्त 2007 तक क्लाइन्ट से प्राप्त नहीं किया गया था परिणामस्वरूप उस सीमा तक हानि हुई।

प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 2007) कि सामान्यत: कोई भी कार्य बिना प्रतिशत प्रभार के निष्पादित नही कराया गया लेकिन राज्य निर्माण अभिकरण होने के नाते सीएण्डडीएस को अपनी साख बनाए रखने हेतु जिला प्रशासन के निर्देशों पर बिना प्रतिशत प्रभार के कार्यों को निष्पादित कराना अपरिहार्य था। प्राप्त निधियों से अधिक व्यय के सम्बन्ध में प्रबन्धन ने एआरसीपीएसई बैठक में तथ्यों को स्वीकार किया तथा आश्वासन दिया कि दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों की जिम्मेदारी नियत की जाएगी। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि डीआरडीए के कार्यों को बिना प्रतिशत प्रभार के निष्पादित किया जाना शासनादेश के विरुद्ध था जिसके लिये कोई जिम्मेदारी नियत नहीं की गई थी।

* रामपुर-2, मुरादाबाद-18, फर्रुखाबाद-43 तथा सीतापुर-53

सामग्री खरीद

3.1.19 मैनुअल* प्रावधानित करता है कि कार्यों के निष्पादन हेतु सामग्री खरीद प्रत्येक निष्पादन इकाई में गठित तीन सदस्यीय क्रय समिति (पीसी) द्वारा की जायेगी। पीसी के सदस्य अपनी रिर्पोट (पीसीआर) उचित बाजार सर्वेक्षण तथा प्रत्येक मद की वर्तमान में जारी यूपीपीडब्लूडी/सीपीडब्लूडी के दरसूची के अनुसार लागत नियन्त्रण कार्यवाही के उपरान्त प्रस्तुत करेंगे।

निम्न बिन्दु संज्ञान में आये (मार्च 2007):

- क्रय समिति ने वर्ष 2002-03 से 2006-07 के दौरान 479.26 करोड़ रुपये के 94 कार्यों के निष्पादन हेतु 18 इकाइयों द्वारा बिना प्रत्येक मद के दरों की वर्तमान में जारी यूपीपीडब्लूडी/सीपीडब्लूडी के दर सूची के सम्बन्ध में लागत नियन्त्रण कार्यवाही के क्रय की गई सामग्री की रिपोर्ट प्रस्तुत की।

- फैजाबाद स्थित इकाई संख्या-47 ने फैजाबाद में केन्द्रीय विद्यालय तथा अमेठी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भवन के निर्माण हेतु अप्रैल 2000 से अक्टूबर 2004 के दौरान 2.06 करोड़ रुपये मूल्य की सामग्री का क्रय बिना बाजार सर्वेक्षण किये तथा पीसीआर बनाए सीधे आपूर्तिकर्ताओं से कोटेशन प्राप्त करके कर ली। परिणामस्वरूप प्रतियोगी दरों का लाभ प्राप्त नहीं किया जा सका।

- एक ही जिले में स्थित इकाइयों द्वारा सामग्री क्रय दरों मे एकरूपता लाने हेतु महाप्रबन्धक के स्तर पर संयुक्त पीसीआर बनायी जानी चाहिये। मार्च 2007 में यह संज्ञान में आया कि सीएण्डडीएस ने संयुक्त पीसीआर बनाये जाने से सम्बन्धित पद्धति को विकसित नहीं किया तथा एक ही स्थान पर/जिले में स्थित इकाईयों द्वारा विभिन्न कार्यों हेतु विभिन्न दरों पर सामग्री का क्रय किया जाता रहा परिणामस्वरूप 10 मामलों में 24.75 लाख रुपये का अधिक व्यय किया गया जिसका विवरण **परिशिष्ट 30** तथा 31 में दिया गया है।

इस प्रकार, वर्तमान में जारी यूपीपीडब्लूडी/सीपीडब्लूडी के दर सूची के सम्बन्ध में लागत नियन्त्रण कार्यवाही, सामग्री क्रय हेतु पीसीआर तथा संयुक्त पीसीआर की तैयारी से सम्बन्धित कोडल प्रावधानों को न मानने से सीएण्डडीएस प्रतियोगी दरों का लाभ प्राप्त नहीं कर पाया तथा अधिक व्यय किया।

प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 2007) कि लागत नियन्त्रण कार्यवाही तथा संयुक्त पीसीआर तैयार करने हेतु निर्देश फील्ड इकाइयें को निर्गत कर दिये गये हैं लेकिन फैजाबाद इकाई के द्वारा बिना पीसीआर तैयार किये सामग्री क्रय किये जाने के सम्बन्ध में कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया। इसके अतिरिक्त यह भी बताया गया कि सामग्री खरीद की दरों में विभिन्नता का मुख्य कारण कार्य स्थलों के अलग-अलग स्थान पर होने के कारण परिवहन लागत है। एआरसीपीएसई की

* मैनुअल का पैरा 96 तथा 119

बैठक (अगस्त 2007) में प्रबन्धन ने बताया कि महाप्रबन्धक स्तर पर पीसीआर तैयार किये जाने हेतु कार्यवाही की जाएगी। प्रबन्धन का उत्तर जहाँ तक दरों की विभिन्नता से सम्बन्धित है, मान्य नहीं है। यदि संयुक्त क्रय समिति की पद्धति अपनाई गई होती तो क्रय में दरों की विभिन्नता से बचा जा सकता था।

आपूर्तिकर्ताओं/उप-ठेकेदारों को सुविधा प्रदान करना

उप-ठेकेदारों के बिलों से चार प्रतिशत के स्थान पर एक प्रतिशत के व्यापार कर की कटौती के परिणामस्वरूप 1.75 करोड़ रुपये की कम कटौती हुई।

3.1.20 उत्तर प्रदेश व्यापार कर (यूपीटीटी), अधिनियम, 1948* के अनुसार, ठेकेदार को उप-ठेकेदार को कोई भी भुगतान करते समय चार प्रतिशत की दर से कार्य के कुल संविदा मूल्य पर व्यापार कर की कटौती कर लेनी चाहिये। उप-ठेकेदार क्षतिपूर्ति बंधपत्र प्रस्तुत कर यूपीटीटी विभाग से कुल संविदा मूल्य पर चार प्रतिशत के स्थान पर एक प्रतिशत की यूपीटीटी की कटौती हेतु इस शर्त पर अनुमति प्राप्त कर सकता है कि उप-ठेकेदार राज्य के बाहर से पाँच प्रतिशत या अधिक सामग्री का आयात नहीं करेगा।

यह संज्ञान में आया (फरवरी 2007) कि नोएडा मे गंगा जल वितरण प्रणाली हेतु 'पीएससी पाइप बिछाने का कार्य' फरवरी 2001 में संगठित दरों (सामग्री तथा श्रम लागत) पर कोटेशन प्राप्त करके 51.49 करोड़ रुपये की लागत पर 25 उप-ठेकेदारों को प्रदान किया गया। उप-ठेकेदारों ने 8.05 करोड़ रुपये (कुल संविदा मूल्य का 15.63 प्रतिशत) कीमत के पीएससी पाइपों की खरीद दिल्ली के दो फर्मों से की। व्यापार कर की किये गये कार्य के कुल मूल्य (58.40 करोड़ रुपये) पर चार प्रतिशत के बजाय एक प्रतिशत की कटौती की गई। चूँकि उत्तर प्रदेश राज्य के बाहर से क्रय की गई सामग्री कार्य के कुल मूल्य के पाँच प्रतिशत से अधिक थी इसलिये व्यापार कर की कटौती चार प्रतिशत के दर से की जानी चाहिये। इस प्रकार व्यापार कर 1.75 करोड़ रुपये की कम कटौती हुई।

प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 2007) कि यदि ठेकेदार ने सामग्री राज्य के बाहर से खरीदा है तो नियमत: यह उसका दायित्व है कि वह व्यापार कर के अन्तर का भुगतान करे। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि निष्पादन इकाइयाँ नियमत: ठेकेदार के बिलों से व्यापार कर की कटौती हेतु उत्तरदायी हैं।

3.1.21 बालू तथा पत्थर की गिट्टी की कुल लागत में 25 से 67 प्रतिशत तक परिवहन की लागत सम्मिलित होती है अत: सामग्री लागत तथा परिवहन लागत हेतु आपूर्ति आदेश अलग-अलग निर्गत किये जाने चाहिये जिससे परिवहन लागत पर व्यापार कर के भुगतान से बचा जा सके। यह संज्ञान में आया (नवम्बर 2006 से अप्रैल 2007) कि सीएण्डडीएस की 12 इकाइयों** ने (दिसम्बर 1999 से दिसम्बर 2006 तक) 9.13 करोड़ रुपये लागत के 1.42 लाख क्यूबिक मीटर (बालू, मौरंग तथा पत्थर की गिट्टी) के क्रय हेतु क्रयादेश निर्गत किये तथा आपूर्ति लागत पर आठ प्रतिशत व्यापार कर का भुगतान किया। परिणामस्वरूप

* धारा 8 डी(1)

** इलाहाबाद इकाई 10 तथा 33, बरेली-49, गाजियाबाद-31, लखनऊ-6 तथा 13, नोएडा-27,28 तथा 45, सीतापुर-53 एवं वाराणसी-24 तथा 30

परिवहन लागत पर व्यापार कर का भुगतान करने से संगठित दरों में 60 प्रतिशत परिवहन लागत मानकर 43.85 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ

प्रबन्धन ने लेखा प्रेक्षण को स्वीकार किया (अगस्त 2007) तथा बताया कि व्यापार कर का भुगतान नियमानुसार किया गया था। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि व्यापार कर केवल सामग्री की लागत पर देय था न कि परिवहन लागत पर।

3.1.22 माइन्स तथा मिनरल्स (एक्सचेन्ज एण्ड डेवलपमेन्ट) एक्ट, 1957 के अधीन समय-समय पर निर्गत किये गये सरकारी अधिसूचना के अनुसार सीएण्डडीएस को आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों द्वारा बालू तथा पत्थर की गिट्टी पर भुगतान की गई रायल्टी की रसीद फार्म एमएम-11 में लेनी थी। आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों द्वारा रसीद प्रस्तुत न करने पर उनके बिलों से रायल्टी की कटौती की जानी चाहिये। यह संज्ञान में आया (मार्च 2007) कि सीएण्डडीएस की 11 इकाइयों ने न तो आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों से रसीद प्राप्त की न ही 19.67 लाख रुपये की रायल्टी की कटौती की जैसा कि परिशिष्ट-32 में दर्शाया गया है, परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारो को अनुचित लाभ प्राप्त हुआ साथ ही राजकोष को राजस्व की हानि हुई।

सामग्री का उपयोग

3.1.23 मैनुअल* प्रावधानित करता है कि कार्यों के पूर्ण होने पर तथा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त मे यूपीपीडब्लूडी/सीपीडब्लूडी के निर्धारित मानकों के अनुसार किये गये कुल कार्यों के माप के आधार पर सामग्री उपभोग विवरण तैयार किया जाना चाहिये। मानक से ऊपर हुए सामग्री उपभोग का उचित विश्लेषण किया जाना चाहिये तथा इसके कारण उपभोग विवरण में अभिलेखित किये जाने चाहिये। यदि वास्तविक सामग्री उपभोग ज्यादा पाय जाय तो सम्बन्धित परियोजना प्रबन्धक द्वारा उस विभिन्नता हेतु पूछताछ की जानी चाहिये तथा दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों की जिम्मेदारी नियत की जानी चाहिये।

इस सम्बन्ध में निम्नलिखित कमियाँ संज्ञान में आई:

सामग्री का अधिक उपभोग

3.1.24 वर्ष 2002-03 से 2006-07 के दौरान 479.26 करोड़ रुपये की लागत से निष्पादित किये गये 94 कार्यों से सम्बन्धित अभिलेखों के नमूना परीक्षण से जाहिर हुआ (मार्च 2007) कि न तो सामग्री उपभोग के अन्तिम विवरण ना ही वार्षिक उपभोग विवरण तैयार किये गये थे। परिणामस्वरूप सामग्री उपभोग मे निर्धारित मानकों से उपर हुए विभिन्नताओं का निर्धारण तथा प्रमाणन नहीं किया जा सका। इसके अतिरिक्त कार्यो के प्राक्कलन तथा एमबी की जाँच से मानकों तथा प्राक्कलित परिणामों से ऊपर सामग्री उपभोग परिलक्षित हुआ जैसा नीचे दर्शाया गया है:

- मानकों से अधिक सामग्री का उपभोग।

* मैनुअल का पैरा 159,160 तथा 167

मद का नाम	कार्यों की संख्या	कार्यों के निष्पादन की अवधि	भण्डार खाते/एमएएस के अनुसार निर्गत की गई सामग्री	माप पुस्तिका/मानक के अनुसार *उपभोग* की गई सामग्री	सामग्री का अधिक *उपभोग*	सामग्री का मूल्य (लाख रुपये में)	मानकों से अधिक खर्च की गई सामग्री का प्रतिशत
ईट	5	अप्रैल 1999 से मई 2006	52.37 लाख	43.15 लाख	9.22 लाख	15.80	21.37
इस्पात	11	सितम्बर 1997 से अक्टूबर 2006	1327.80 एमटी	1002.39 एमटी	325.41 एमटी	70.18	32.48
योग						**85.98**	

स्त्रोत: माप पुस्तिकाएं

प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 2007) कि सामग्री के अधिक उपभोग का मुख्य कारण सामग्री का सेप्टिक टैंक, मेनहोल तथा दूसरे सुविधा कार्यों पर हुआ खर्च जोकि प्राक्कलनों में सम्मिलित नहीं था। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि न तो माप पुस्तक में कार्य के इन मदों की माप अभिलेखित की गई ना ही सामग्री के मदवार उपभोग की गणना की गई तथा लेखा परीक्षा को प्रस्तुत किया गया।

- प्राक्कलित परिमाण से अधिक उपभोग।

मदों का नाम	कार्यों की संख्या	कार्यों के निष्पादन की अवधि	प्राक्कलनों के अनुसार परिमाण	माप पुस्तिका के अनुसार सामग्री *उपभोग*	सामग्री का अधिक *उपभोग*	समग्री का मूल्य (लाख रुपये में)	अधिक *उपभोग* का प्राक्कलन से प्रतिशत
ईट	5	मई 1997 से दिसम्बर 2006	39.34 लाख	59.67 लाख	20.33 लाख	38.71	51.68
सीमेन्ट	8	अक्टूबर 1999 से दिसम्बर 2006	102473 बैग	135504 बैग	33031 बैग	59.42	32.23
बालू/मौरग/ पत्थर की गिट्टी	3	अप्रैल 1999 से अक्टूबर 2006	8256.07 क्यूबिक मीटर	9817.14 क्यूबिक मीटर	1561.07 क्यूबिक मीटर	12.40	18.91
योग						**110.53**	

स्त्रोत: माप पुस्तिकाएं

मानक तथा प्राक्कलित मात्रा से अधिक भवन सामग्री के उपभोग के परिणामस्वरूप 1.97 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ।

प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 2007) सीमेंट के अधिक उपभोग का मुख्य कारण अतिरिक्त मदों का निष्पादन जो कि प्राक्कलन में शामिल नहीं थे तथा कार्य स्थल की दशानुसार आरेखन व संरचना में परिवर्तन था। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि न तो अतिरिक्त मदों की शामिल करते हुए संशोधित प्राक्कलन स्वीकृत कराया गया ना ही इस प्रकार के निष्पादित कार्यों का विवरण, अधिक उपभोग के औचित्य के साथ प्रस्तुत किया गया।

इस प्रकार, भवन सामग्री का मानकों अधिक उपभोग (ईट, सीमेन्ट, बालू, पत्थर की गिट्टी तथा इस्पात) 21 तथा 32 प्रतिशत के बीच रहा तथा स्वीकृत प्राक्कलन मात्रा से कार्यों के निष्पादन में 19 तथा 52 प्रतिशत रहा। परिणामस्वरूप 1.97 करोड़ रुपये का अधिक व्यय हुआ।

अधिशेष सामग्री का उपयोग

3.1.25 यह संज्ञान में आया (मार्च 2007) कि दो कार्यों हेतु सामग्री का क्रय आवश्यकता से अधिक किया गया, परिणामस्वरूप 69.07 लाख रुपये मूल्य की सामग्री अधिशेष हो गई तथा कार्यस्थल पर अनुपयोगी पड़ी रही जिसका विवरण निम्न है:

- इकाई-30, वाराणसी की पीवीआर से यह प्रकट हुआ (मार्च 2006) कि मूल्य 1.24 करोड़ रुपये की अवशेष सामग्री जिसमे 32.87 लाख रुपये की अधिशेष सामग्री शामिल थी, जुलाई 2002 (जिस दिनांक पर कार्य पूर्ण किया गया तथा क्लाइन्ट को सुपुर्द किया गया) से कार्य स्थल (वाराणसी मुख्य पोषक) पर पड़ी रही। इस अधिशेष सामग्री को दूसरे कार्यों में उपयोग करने हेतु कोई प्रयास नहीं किया गया।
- सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि एवं तननीकी विश्व विद्यालय स्थल पर 36.20 लाख रुपये की अधिशेष सामग्री वर्ष 2004 से पड़ी रहीं। यह दर्शाता है कि सामग्री आवश्यकता से अधिक क्रय की गई। इस अधिशेष सामग्री का दूसरे कार्यों में उपयोग करने हेतु कोई प्रयास नहीं किया गया।

प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 2007) कि विभिन्न इकाइयों के अन्य कार्यों में अधिशेष सामग्री के उपयोग के प्रयास किये जा रहे थे। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि सामग्री खरीद आवश्यकता से अधिक की गई तथा अधिशेष सामग्री का अनुपयोग जारी था।

श्रम लागत पर व्यय

3.1.26 मैनुअल* प्रावधानित करता है कि बजटीय उद्देश्यों हेतु श्रम घटक पर व्यय प्रत्यक्ष लागत का 25 प्रतिशत होना चाहिये। यह संज्ञान में आया (अप्रैल 2007) कि आठ इकाइयों** द्वारा निष्पादित (2005-06) 733 कार्यों में 108.31 करोड़ लागत के 239 कार्यों में श्रम लागत 26 से 98 प्रतिशत तक रही। श्रम पर व्यय 27.08 करोड़ रुपये (कुल लागत 108.31 करोड़ रुपये का 25 प्रतिशत) की सीमा के विरुद्ध 35.52 करोड़ रुपये हुआ। जिसके परिणामस्वरूप श्रम पर 8.44 करोड़ रुपये का अधिक व्यय हुआ।

प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 2007) कि श्रम लागत पर 25 प्रतिशत की सीमा केवल निर्देश बिन्दु था। उत्तर मान्य नहीं है, यदि श्रम लागत का कार्य प्रदान करने के पूर्व ही लागत नियन्त्रण प्रक्रिया के तहत परिवीक्षण किया गया होता तो श्रम पर हुए अधिक व्यय को बचाया जा सकता था।

निर्धारित विशिष्टियों से ऊपर निर्माण कार्य

3.1.27 यह संज्ञान में आया (मार्च 2007) कि सीएण्डडीएस ने यूपीपीडब्लूडी/सीपीडब्लूडी में प्रदत्त विशिष्टियों के ऊपर फर्श के निर्माण तथा छत के प्लास्टर से सम्बन्धित 14 कार्यों में 12.40 लाख रुपये का अधिक व्यय किया,

* मैनुअल के पैरा 1121 तथा 1122

** लखनऊ-6 तथा 29, गोरखपुर-14, वाराणसी-24 तथा 30, सीतापुर-52, अलीगढ़-25 एवं आगरा-23/35

परिणामस्वरूप 12.40 लाख रुपये की हानि हुई जिसका विवरण परिशिष्ट-33 में दिया गया है।

प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 2007) कि कार्यों का निष्पादन या तो प्राक्कलन के प्रावधानों के अनुरूप किया गया या कलाइन्ट्स के अनुरोध पर किया गया। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कार्यों का निष्पादन यूपीपीडब्लूडी/सीपीडब्लूडी के निर्धारित विशिष्टियों के विरुद्ध किया गया तथा कलाइन्ट्स को कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया।

खाली सीमेन्ट बोरियों की वसूली

3.1.28 समय-समय पर निर्गत यूपीपीडब्लूडी दर सूची के अनुसार ठेकेदार को कार्यों पर खर्च कुल सीमेन्ट बोरियों को 20 प्रतिशत की सीमा तक खाली सीमेन्ट (खाली) बोरियों को क्यूरिंग उद्देश्य हेतु प्रयोग करने की अनुमति दी जाती है। अवशेष 80 प्रतिशत अच्छी बोरियाँ वापस करनी होती हैं अन्यथा पीआरडब्लू/उप-ठेकेदार के बिलों से 2 रुपये प्रति खाली बोरी वसूली की जाती है। यह संज्ञान में आया (मार्च 2007) कि 37 कार्यों के निष्पादन में पीआरडब्लू/उप-ठेकेदारों को 5.34 लाख सीमेन्ट की बोरियाँ निर्गत की गई तथा कार्य पर खर्च (सितम्बर 1997 से फरवरी 2007) की गई। लेकिन न तो 4.27 लाख (80 प्रतिशत) खाली बोरियाँ वापस की गई ना ही उसका मूल्य 8.54 लाख रुपये पीआरडब्लू/उप-ठेकेदारों से वसूला गया।

प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 2007) कि सीमेन्ट की प्लास्टिक बोरियों में आपूर्ति के कारण खाली बोरियों की लागत नहीं वसूली गई। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि सीमेन्ट की खाली बोरियों की लागत की वसूली यूपीपीडब्लूडी के दर सूची के अनुसार की जानी थी।

मिट्टी के कार्य का निष्पादन

3.1.29 तीन कार्यों से सम्बन्धित मिट्टी के कार्य के निष्पादन (दिसम्बर 2003 से फरवरी 2007) में सीएण्डडीएस ने परिहार्य 76.18 लाख रुपये का अधिक व्यय किया जैसा नीचे उल्लिखित है:

- बरेली में 'सालिड वेस्ट मेनेजमेन्ट स्कीम' के तहत 0.43 क्यूबिक मीटर लायी हुई मिट्टी के भरने का कार्य 99 रुपये प्रति क्यूबिक मीटर की दर से 42.57 लाख रुपये में (बिना स्वीकृत प्राक्कलन के प्राविधान तथा क्लाइन्ट की अनुमति के) किया गया (अक्टूबर 2005 से फरवरी 2007) इसके अतिरिक्त 91.50 रुपये प्रति क्यूबिक मीटर की दर से 0.39 लाख क्यूबिक मीटर के मिट्टी के खुदाई के कार्य के प्राविधानों के विरुद्ध वास्तविक खुदाई 0.54 लाख क्यूबिक मीटर, उच्च दर 114 रुपये प्रति क्यूबिक मीटर पर की गई। फलस्वरूप खुदाई का 3.43 लाख रुपये का कार्य प्राक्कलन से 0.15 लाख क्यूबिक मीटर अधिक (38.46 प्रतिशत) किया गया।

प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 2007) कि कार्य अभी भी प्रगति पर था तथा यदि वास्तविक मात्रा में प्राक्कलन से कोई विभिन्नता उत्पन्न होगी उसकी अनुमति कलाइन्ट से प्राप्त कर ली जायेगी। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि न तो मात्रा की विभिन्नता के कारण, ना ही उच्च दर पर कार्य को प्रदान करने का औचित्य प्रस्तुत किया गया।

- 'एसजीपीजीआई, लखनऊ में नये क्षेत्र की सड़क तथा परिधीय सड़क' के निर्माण (दिसम्बर 2003 से मार्च 2006) में 0.45 लाख क्यूबिक मीटर के वास्तविक माप के विरुद्ध 0.32 लाख क्यूबिक मीटर मिट्टी के कार्य का अन्तिम बिल कलाइन्ट को निर्गत किया गया परिणामस्वरूप अधिक निष्पादित मात्रा का 4.36 लाख रुपये का दावा प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त, पीआरडब्लू को मशीन द्वारा मिट्टी दबाने हेतु जोकि मिट्टी भरने के कार्य के साथ निष्पादित हो चुका था, 3.04 लाख रुपये का अतिरिक्त भुगतान किया गया।

प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 2007) कि 0.45 लाख क्यूबिक मीटर की मापित मात्रा सही नहीं थी। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि वास्तविक मापित मात्रा के विवरण प्रस्तुत नहीं किये गये तथा मापित मात्रा की गणना लेखा परीक्षा द्वारा माप पुस्तिका में अभिलेखित माप के आधार पर की गई।

- लखनऊ में गोमती नदी के तट के सौन्दर्यीकरण का कार्य अप्रैल 2006 में प्रारम्भ किया गया तथा 12.61 लाख रुपये का भुगतान (नवम्बर 2006) खाई में मिट्टी भरने हेतु उप-ठेकेदार को किया गया जबकि न तो खाई खोदी गई ना ही पीआरडब्लू को इन कार्यों हेतु कार्यादेश निर्गत किये गये। इसके अतिरिक्त 4480 क्यूबिक मीटर मिट्टी के भराई के कार्य के प्राक्कलित मात्रा के विरुद्ध वास्तविक भराई 12381 क्यूबिक मीटर मापी गई। परिणामस्वरूप 9.88 लाख रुपये का अधिक व्यय हुआ।

प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 2007) कि बतायी गई योजना में खाई खोदने का प्राविधान नहीं था। संशोधित प्राक्कलन में प्राक्कलन से ऊपर की मात्रा का प्राविधान कर लिया गया है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि प्राक्कलन में खाई खोदने के कार्य का प्राविधान था तथा संशोधित प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया तथा क्लाइन्ट्स से स्वीकृत नहीं कराया गया।

अप्रयुक्त सामग्रियों की वसूली

3.1.30 यह संज्ञान में आया कि निम्न तालिका में उल्लिखित पाँच कार्यों में भवन सामग्रियों (सीमेन्ट, बालू, पत्थर की गिट्टी, स्टील और सेनिटरी मदें आदि) 77.95 लाख रुपये मूल्य की, स्थल पर कार्य के समापन (दिसम्बर 2002 से मई 2005) से अप्रयुक्त पड़ी रही (मार्च 2007)। इन सामग्रियों को न तो सम्बन्धित स्थानिक अभियन्ता द्वारा वापस किया गया और न ही इसकी लागत उनसे वसूल की गई (मार्च 2007)।

क्रम संख्या	कार्य का नाम	प्रारम्भ की तिथि	समापन की तिथि	वापस नही की गई सामग्री का मूल्य(लाख रुपये में)
1	आरएलएस राजकीय महाविद्यालय, अम्बेडकरनगर में कला संकाय मे अतिरिक्त कमरा	मई 1987	दिसम्बर 2002	10.40
2	आरएलएस राजकीय महाविद्यालय अम्बेडकरनगर में विज्ञान संकाय	जून 1996	फरवरी 2003	15.19
3	केन्द्रीय विद्यालय, फैजाबाद	जनवरी 2000	जुलाई 2003	8.36
4	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, गाजीपुर	जुलाई 2001	अक्टूबर 2004	3.72
5	कलेक्ट्रेट भवन, कौशाम्बी मे गैर आवासीय भवन	अप्रैल 2001	मई 2005	40.28
			योग	77.95

स्त्रोत: स्थल पर सामग्री का विवरण।

प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 2007) कि केन्द्रीय विद्यालय, फैजाबाद और क्लेक्ट्रेट में गैर आवासीय भवन, कौशाम्बी के सन्दर्भ में अवशेष सामग्री समायोजित की गई। अन्य कार्यो में, समायोजन कार्य के लेखे की समाप्ति के समय किया जाएगा। उत्तर मान्य नही है क्योंकि अवशेष सामग्री के समायोजन के सन्दर्भ में कोई अभिलेखित साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये।

पर्यवेक्षण और परिवीक्षण

3.1.31 मैनुअल* फील्ड इकाईयों द्वारा प्रत्येक कार्य के लाभ-हानि खाते, परिवीक्षण सूचना प्रणाली (एमआईएस) तथा मासिक खातों को सीएण्डडीएस मुख्यालय पर प्रस्तुत करने की अपेक्षा करता है। यह कार्यो के पर्यवेक्षण ओर परिवीक्षण के सम्बन्ध में इकाई प्रभारी एवं महाप्रबन्धक के कर्तव्यों को भी बताता है।

यह संज्ञान में आया (अक्टूबर 2006 से मार्च 2007) कि यद्यपि स्थिति प्रतिवेदन और मासिक खाते मुख्यालय को फील्ड इकाईयों द्वारा नियमित रूप से समर्पित किए जा रहे है, लेकिन उनका मूल्यांकन मुख्यालय पर नियमित रूप से तथा उचित ढंग से नहीं किया जा रहा है। परिवीक्षण कार्यप्रणाली का सीएण्डडीएस द्वारा कुशल एवं प्रभावी ढंग से पालन नहीं किया जा रहा है जिसकी चर्चा निम्नवत है:

क्लाइन्ट से प्राप्त निधि पर व्यय का आधिक्य

क्लाइन्ट से प्राप्त निधि पर व्यय के आधिक्य के परिणामस्वरूप 14.48 करोड़ रुपये की धनराशि अवरुद्ध रही तथा 2.85 करोड़ रुपये की ब्याज की हानि प्रभावी हुई।

3.1.32 जैसा मैनुअल** में प्रावधान है, कि निक्षेप कार्यो पर व्यय क्लाइन्ट से प्राप्त निधि की सीमा तक किये जाने चाहिए। यह संज्ञान में आया (दिसम्बर 2006) कि सीएण्डडीएस ने क्लाइन्ट से प्राप्त 197.98 करोड़ रुपये के निधि के विरुद्ध 212.46 करोड़ रुपये का व्यय, 2002-03 से 2006-07 के दौरान पूर्ण हुये 186 कार्यो के सन्दर्भ में किया। परिणामस्वरूप 14.48 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ जिसे क्लाइन्ट से अब तक वसूल नहीं किया गया (अगस्त 2007)। परिणामस्वरूप सीएण्डडीएस का 14.48 करोड़ रुपया अवरुद्ध रहा तथा 2.85 करोड़ रुपये के ब्याज की हानि (नौ प्रतिशत प्रति वर्ष पर गणना की गई) प्रभावी रही।

प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 2007) कि क्लाइन्ट/विभागों की आशा थी कि कार्य निधि के अभाव में रुकना नहीं चाहिए, परिणामस्वरूप कुछ मामलों में क्लाइन्ट

* मैनुअल का पैरा 122, 241 और 244

** मैनुअल का पैरा 39

द्वारा प्रदान किए गए निधि पर व्यय का आधिक्य हुआ। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि डिपाजिट कार्यों में प्राप्त निधि के ऊपर व्यय का आधिक्य नियमावली के प्रावधानो के विपरीत था तथा आधिक्य व्यय क्लाइन्ट से अब तक वसूल नहीं किया गया (अक्टूबर 2007)।

स्वीकृत लागत पर व्यय का आधिक्य

3.1.33 मैनुअल* मे प्रावधान है कि यदि किसी कार्य पर व्यय अधिक होता है या स्वीकृत लागत के 10 प्रतिशत से अधिक होने की सम्भावना है तो संशोधित प्रशासनिक अनुमोदन क्लाइन्ट से अवश्य प्राप्त किया जाना चाहिए। यह संज्ञान में आया (जनवरी 2007) कि 177 पूर्ण कार्यो मे से जिनमे स्वीकृत लागत से अधिक व्यय हुआ (2002-2007), 51 कार्यों में (स्वीकृत लागत 27.32 करोड़ रुपये), 3.20 करोड़ रुपये का अधिक व्यय इसकी संस्वीकृत लागत के 10 प्रतिशत से अधिक था जिसके लिए न तो संशोधित प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त किया गया था और न ही अधिक व्यय की प्रतिपूर्ति क्लाइन्ट द्वारा की गई थी (मार्च 2007)।

प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 2007) कि 2006-07 के दौरान लगभग 200 संशोधित प्राक्कलन क्लाइन्ट से स्वीकृत करवाये गये। कुछ मामलों में, जहाँ संशोधित प्राक्कलन क्लाइन्ट द्वारा स्वीकृत नहीं किये गये, चूक करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी। उत्तर मान्य नही है क्योंकि न तो प्रत्येक कार्य के विरुद्ध संशोधित प्राक्कलन की स्वीकृति की तिथि उपलब्ध कराई गई और न ही चूक करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही प्रारम्भ की गई थी।

सौंपे गए पूर्ण कार्यों पर व्यय

3.1.34 कार्यकारी इकाइयों ने 107.44 करोड़ रुपये के स्वीकृत कार्यो के सम्बन्ध में 1.32 करोड़ रुपये का व्यय सामग्री, श्रम और अन्य उपरिव्ययों पर व्यय किया (2006-07), इस तथ्य के बावजूद कि ये कार्य पहले ही पूर्ण हो चुके थे तथा क्लाइन्ट को सौंप दिए गये थे (2002-03 से 2005-06) जिनका विस्तृत वर्णन निम्न है:

पूर्ण/सौंपे गये कार्यों का वर्ष	कार्यों की संख्या	सौंपने के बाद हुआ व्यय (लाख रुपये में)
2002-03	2	6.57
2003-04	6	15.94
2004-05	15	25.02
2005-06	41	84.14
योग	**64**	**131.67**

स्त्रोत: प्रगति विवरण।

अतिरिक्त किये गये व्यय के लिए दावा क्लाइन्ट से अब तक नहीं किया गया (अक्टूबर 2007) परिणामस्वरूप 1.32 करोड़ रुपये की हानि हुई।

प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 2007) कि पूर्ण और सौंपे गए कार्यों पर व्यय उक्त कार्य के खाते की समाप्ति तक कार्यों पर लम्बित दायित्वों के निस्तारण के लिए हुआ। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि श्रम, सामग्री पर व्यय पूर्ण और सौंपे गये कार्यों

* मैनुअल का पैरा 317 एवं 320.1(बी)

के बाद नहीं किया जाना चाहिए। आगे, इन कार्यों के खाते कार्यों को सौंपने के बाद बन्द किये जाने चाहिए। यह जोड़ना संगत है कि व्यय उन कार्यों पर हुआ है जो दो वर्ष से अधिक पहले पूर्ण किए गये थे।

कार्यों के समापन में देरी

3.1.35 राज्य सरकार के आदेश (अक्टूबर 2004) प्रतिपादित करते हैं कि कार्यकारी इकाईयों द्वारा स्वीकृत एक क्लाइन्ट द्वारा स्वीकृत निधि का विचलन दूसरे क्लाइन्ट के कार्य के लिये नही किया जायेगा। फिर भी, यह संज्ञान में आया (मार्च 2007) कि सीएण्डडीएस की चार[1] इकाईयों ने सात कार्यों[2] के निष्पादन में (50.66 करोड़ रुपये के लिये स्वीकृत) 3.39 करोड़ रुपये का (मई 2002 से अगस्त 2006) एक क्लाइन्ट के कार्य से दूसरे क्लाइन्ट के कार्य में विचलन किया। परिणामस्वरूप इन कार्यों के पूर्ण होने में छः माह से पाँच वर्ष के बीच देरी हुई। आगे, 868.52 करोड़ रुपये के लिए स्वीकृत 504 कार्य (1992-93 से 2004-05) पर्याप्त निधि की उपलब्धता के बावजूद अपूर्ण रहे। इन कार्यों के पूर्ण होनें में देरी के लिये कारण एक कार्य से दूसरे कार्य में निधियों का विचलन था जो कि प्रबन्धन द्वारा पर्यवेक्षण, परिवीक्षण और वित्तीय अनुशासन की कमी की ओर संकेत करता हैं।

धन के विचलन के परिणामस्वरूप 2 से 14 वर्षों में 504 कार्य अपूर्ण रहे।

प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 2007) कि सरकारी आदेश के निर्गम से पूर्व (अक्टूबर 2004) निधि का विचलन कार्यों में हुआ और देरी के लिये मुख्य कारण निधि की अनुपलब्धता, स्थानीय प्रभाव और मतभेद थे। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि एक क्लाइन्ट से दूसरे क्लाइन्ट के कार्य में निधि का विचलन वित्तीय मानको तथा जारी किये गये शासनादेश के विरुद्ध है।

क्लाइन्ट को अप्रयुक्त शेष निधि की वापसी

3.1.36 मैनअुल[3] यह प्रतिपादित करता है कि प्रत्येक कार्य के समापन के बाद, क्लाइन्ट को कार्य पर हुए कुल व्यय के बारे में सूचित किया जायेगाा और यदि कोई धनराशि बिना खर्च की हुई रह जाती है तो उसे उनको वापस किया जायेगा। यह संज्ञान में आया (मार्च 2007) कि 20.56 करोड़ रुपये के लिए स्वीकृत 63 कार्य 19.40 करोड़ रुपये की लागत पर पूर्ण हुये थे और क्लाइन्ट को सौपे गये (2002-03 से 2005-06) जिसके विरुद्ध क्लाइन्ट से 20.70 करोड़ रुपये की धनराशि प्राप्त की गई थी लेकिन 1.30 करोड़ रुपये की बिना खर्च की गई शेष धनराशि क्लाइन्ट को अब तक वापस नहीं की गई (अक्टूबर 2007)।

प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 2007) कि अप्रयुक्त निधि कार्यों के खातों को बन्द करने के बाद क्लाइन्ट को वापस किया जायेगा। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि जैसे ही कार्य पूर्ण होता है, वैसे ही खाते बन्द होने चाहिये और अप्रयुक्त निधि क्लाइन्ट को वापस की जानी चाहिये।

1 इलाहाबाद (इकाई-10 एवं 33), नोएडा (इकाई-45) तथा फैजाबाद (इकाई-47)।

2 गैर आवासीय भवन कौशाम्बी में, सैदाबाद डिग्री कालेज, इलाहाबाद मे विज्ञान संकाय, एक्सप्रेस हाइवे/विद्युतीकरण कार्य, नोएडा, सड़को की पुनः सतहीकरण नोएडा में, आईटीआई भवन, अमेठी, डा0 भीमराव अम्बेडकर अन्तर्राष्ट्रीय स्टेडियम फैजाबाद और सीएचसी, अरैल इलाहाबाद।

3 मैनुअल का पैरा 39

पीआरडब्लू/उप-ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं के विरुद्ध अग्रिम

3.1.37 मैनुअल* प्रतिपादित करता है कि अल्पकालीन अग्रिम अनिवार्य मामलों में दिये जाये जहाँ उपठेकेदारों या पीआरडब्लू को अपने मापांकित कार्य के विरुद्ध धन की आवश्यकता हो लेकिन भुगतान नही किया गया हो। इकाई प्रभारी सुनिश्चित करेगा कि ऐसे अग्रिम यथाशीघ्र वसूल कर लिये जाते है। यह देखा गया (अप्रैल 2007) कि अग्रिमों की वसूली को या तो इकाइयों या सीएण्डडीएस के मुख्यालय द्वारा परिवीक्षित नही किया गया था परिणामस्वरूप पीआरडब्लू/उप-ठेकेदारों/ आपूर्तिकर्ताओं के विरुद्ध अग्रिम धनराशि 14.69 करोड़ रुपये 31 मार्च 2006 की समाप्ति पर असमायोजित/अवसूलीकृत रहे (अक्टूबर 2007) जिनका विवरण निम्न है:

(करोड़ रुपये में)

वर्ष की समाप्ति पर बकाया अग्रिम	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06
पीआरडब्लू/उप-ठेकेदारों से	58.05	15.46	13.20	10.86
आपूर्तिकर्ताओं से	8.89	7.60	8.33	3.83
योग	**66.94**	**23.06**	**21.53**	**14.69**

स्रोत: कार्य लेखे।

इस सन्दर्भ में, निम्नलिखित बिन्दुओं का उल्लेख करना वांछित है:

- नोएडा में, तीन कार्यों** के विरुद्ध उप-ठेकेदारों को 5.09 करोड़ रुपये का अग्रिम दिया गया था (2000-01 से 2002-03), जिसमे से 5.03 करोड़ रुपये 2002-03 से असमायोजित/अवसूलीकृत रहे। परिणामस्वरूप सीएण्डडीएस ने 1.81 करोड़ रुपये की ब्याज की हानि उठायी, अवधि 2003-04 से 2006-07 के लिए 9 प्रतिशत से गणना की गई।

- 'नोएडा में सेक्टर-105 और 108 पर विकास कार्य' के लिये सीएण्डडीएस ने (दिसम्बर 2002 से फरवरी 2003) 14 उप-ठेकेदारों के साथ एसमओयू पर हस्ताक्षर किये। एमओयू के उपवाक्य 14 के अनुसार समान धनराशि की एक बैंक गारण्टी के विरुद्ध मोबिलाइजेशन अग्रिम उनको दिया जाना था तथापि, केवल 9.60 लाख रुपये की बैंक गारण्टी (बीजी) के विरुद्ध 1.05 करोड़ रुपये अग्रिम के रूप में दिये गये (दिसम्बर 2002 से फरवरी 2003)। उप-ठेकेदारों को मोबिलाइजेशन अग्रिम प्रदान करना मैनुअल के प्रावधान के विरुद्ध था आगे, फिर भी ये अग्रिम मार्च 2007 को असमायोजित/अवसूलीकृत थे। परिणामस्वरूप सीएण्डडीएस ने 21.11 लाख रुपये की ब्याज की हानि उठायी, 9 प्रतिशत प्रतिवर्ष पर गणना की गई। चूक करने वाले अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध अब तक कोई उत्तरदायित्व निर्धारित नहीं किया गया (मार्च 2007)।

* पैरा 558 और 652

** एक्सप्रेस राजमार्ग पर सीवर लाइन की व्यवस्था करना तथा बिछाना,गंगा जल वितरण योजना और नोएडा विकास कार्य सेक्टर 50,51 और 65 नोएडा में विकास कार्य।

- मार्च 2006 के अन्त में आपूर्तिकर्ताओं के विरुद्ध बकाया कुल अग्रिम 3.83 करोड़ रुपये में से 16.29 लाख रुपये इकाई 29 लखनऊ के सन्दर्भ में 1994-95 से 2003-04 तक असमायोजित/अवसूलीकृत थे। इन अग्रिमों की वसूली की सम्भावना किंचित थी क्योंकि आपूर्तिकर्ताओं के पते सीएण्डडीएस के अभिलेखों में उपलब्ध नही थे।

प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 2007) कि नोएडा के कार्यो के सन्दर्भ में एक जाँच सीएण्डडीएस तथा राज्य सरकार के साथ प्रक्रिया अधीन थी।

पूर्ण लेकिन क्लाइन्ट को न सौंपे गये कार्य

3.1.38 204.66 करोड़ रुपये के लिए स्वीकृत 228 कार्य 146.57 करोड़ रुपये की लागत पर पूर्ण हुये (2002-03 से 2005-06) तथा क्लाइन्ट को नही सौंपे गये थे (अक्टूबर 2007)। क्लाइन्ट को कार्यो को न सौंपने के लिये मुख्य कारण सामग्रियों के उपभोग विवरण का तैयार न होना था। 1.96 करोड़ रुपये मूल्य के 55 कार्यो के सन्दर्भ में, कारण, तथापि, क्लाइन्ट से प्राप्त निधि की अधिकता में हुये, धनराशि का प्राप्त न होना था। सीएण्डडीएस ने न तो इन पूर्ण हुये कार्यो को न सौंपने के कारणों की जाँच की और न ही चूक करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की।

प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 2007) कि सीएण्डडीएस के नोडल अधिकारियों द्वारा क्लाइन्ट्स के साथ सभाएं की गई थी और कार्यो को पूर्ण करके क्लाइन्ट को सौंपने के प्रयास किये गये थे। तथापि, तथ्य बताते है कि 146.51 करोड़ रुपये की लागत के पूर्ण हुये 228 कार्य क्लाइन्ट को नही सौंपे गये थे, जिससे उद्देश्य या लक्ष्य जिसके लिये ये कार्य किये गये थे, पूरे नही हुए।

पूर्ण/सौंपे गये कार्यों के लेखों का बन्दीकरण

3.1.39 मैनुअल* और एफएचबी** प्रतिपादित करते हैं कि जैसे ही कार्य पूर्ण होते है और क्लाइन्ट को सौंपे जाते है, त्यो ही इन कार्यो के लेखों को यथाशीघ्र बन्द कर दिया जाना चाहिये। यह देखा गया (मार्च 2007) कि 1004.36 करोड़ रुपये की लागत पर पूर्ण किये गये और क्लाइन्ट को सौंपे गये (2002-03 से 2005-06) 1617 कार्यो में से, 1034 कार्यो के खाते मूल्य 594.14 करोड़ रुपये, बन्द नही किये गये (मार्च 2007)। सम्बन्धित स्थानिक अभियन्ता द्वारा भण्डार बहियों/एमएएस को पूर्ण न किया जाना, कार्यो के विरुद्ध बकाया दायित्वों का निस्तारण न किया जाना, सामग्रियो के खपत के विवरण तैयार न किया जाना, एमबी और निर्गमित कार्य आदेशों को पूरा/बन्द न किया जाना, कार्य एवं एमएएस सामग्रियों के प्रभार को सौंपे बिना एक कार्य से दूसरे कार्य पर स्थानिक अभियन्ता का स्थानान्तरण किया जाना तथा क्लाइन्ट से प्राप्त निधि पर अधिक व्यय धनराशि का प्राप्त न होना, खातो के बन्दीकरण न होने के कारण रहे।

प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 2007) कि खातों का बन्द किया जाना एक नियमित प्रक्रिया है और प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये लक्ष्य नियत थे। आगे, 1513 कार्यो

* मैनुअल का पैरा 589 तथा 591

** एफएचबी का पैरा 514

के खाते पहले ही बन्द हो चुके थे। उत्तर मान्य नही है क्योंकि इन पूर्ण कार्यों के खातों की समाप्ति के कोई भी विवरण उपलब्ध नही कराये गये।

स्टोर्स एवं स्टाक का भौतिक सत्यापन

3.1.40 मैनुअल* प्रतिपादित करता है कि भण्डार बही और एमएएस की वर्ष में एक बार इकाई प्रभारी द्वारा जाँच की जानी चाहिये और कमियाँ, यदि कोई हो, भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन में स्पष्ट रूप से बतायी जानी चाहिये। वर्ष 2002-03 तक विभिन्न कार्यों के भण्डार एवं एमएएस अवशेषों का भौतिक सत्यापन चार्टर्ड लेखाकारों की फर्मो द्वारा किया गया। 2002-03 के बाद, भण्डार और एमएएस अवशेषों के भौतिक सत्यापन का कार्य आरई को सौपे गये।

इस सन्दर्भ में, निम्नलिखित कमियाँ संज्ञान में आई:

- 18 इकाईयों की नमूना जाँच में, इकाई प्रभारी ने वर्ष के दौरान किसी भी समय स्टाक/एमएएस अवशेषों के भौतिक अवशेष की जाँच कभी नही की।
- इकाई 24, वाराणसी की पीवीआर में, मार्च 2006 के अन्त में 10 कार्यों में 6.22 लाख रुपये मूल्य के स्टाक की कमी थी लेकिन न तो सम्बन्धित आरई से वसूली की गई और न ही कमी के कारणों की जाँच की गई थी।

प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 2007) कि सामग्री की कमी नही थी लेकिन यह अभिलेखों में सामग्रियों के समायोजन न होने के कारण था। उत्तर मान्य नही है क्योंकि पीवीआर में कमी की गणना स्वयं प्रबन्धन द्वारा की गई थी।

- वर्ष 2005-06 के दौरान, पीवीआर के अनुसार स्टाक के मूल्य और आठ इकाईयों के खातों के स्टाक के मूल्य में विभिन्नताये थीं जिनका विवरण निम्न है:

(लाख रुपये में)

इकाई कोड	इकाई का नाम	पीवी प्रतिवेदन के अनुसार स्टाक का मूल्य	खातो के अनुसार स्टाक का मूल्य	विभिन्नतायें (+)/(-)
02	रामपुर	71.83	68.26	(+) 3.57
08	रामपुर	3.49	शून्य	(+) 3.49
15	महोबा	48.85	50.73	(-) 1.78
22	रांची	28.88	23.77	(+) 5.11
28	नोएडा	130.56	शून्य	(+) 130.56
49	बरेली	94.59	28.75	(+) 65.84
52	नोएडा	162.03	शून्य	(+) 162.03
53	सीतापुर	58.60	57.13	(+) 1.47
	योग	**598.83**	**228.64**	**(+) 370.29**

स्त्रोत: भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन और स्टाक खाते।

* मैनुअल का पैरा 422

उपर्युक्त संकेत करते है कि भण्डार/एमएएस अवशेषों के भौतिक सत्यापन के दौरान संज्ञान में आये अन्तर का प्रभावी और कुशलतापूर्वक मिलान नहीं किया गया और उसके कारण प्रबन्धन द्वारा विश्लेषित भी नहीं किये गये।

प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 2007) कि अन्तर के लिये मुख्य कारण भण्डार बही और एमएएस की पूर्ण न होना था और अन्तर के मिलान के लिये प्रयास किये जा रहे थे। उत्तर मान्य नही है क्योंकि भण्डार बही/एमएएस रजिस्टर के पूर्ण होने के बाद खातों में आंकड़े संकलित किये गये थे।

- एक इकाई के भण्डार/एमएएस अवशेषों का भौतिक सत्यापन अन्य इकाईयों के स्थानिक अभियन्ता द्वारा करने की कोई प्रणाली सीएण्डडीएस ने निर्मित नही की। वर्ष 2005-06 के लिये छः इकाईयों* के पीवीआर ने स्टोर्स की प्रत्येक मद के पुस्तकीय शेषों का संकेत नही किया, परिणामस्वरूप, स्टाक में अधिकता और कमियों की गणना नहीं की जा सकी। इस प्रकार, कमियों/गबन की सम्भावना से इंकार नही किया जा सकता।

प्रबन्धन ने एआरसीपीएसई की बैठक में बताया (अगस्त 2007) कि कुछ मामलों में आरई ने स्टोर की खरीद की और स्वयं सामग्रियों का भौतिक सत्यापन किया। तथापि भौतिक सत्यापन के सन्दर्भ में आवश्यक निर्देश इकाईयों को निर्गमित किये जा चुके थे। उत्तर स्वतः स्पष्ट है।

गुणवत्ता नियन्त्रण

3.1.41 गुणवत्ता नियन्त्रण पद्धति कार्यो के गुणात्मक निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिये एक महत्वपूर्ण तत्व है। सीएण्डडीएस द्वारा निष्पादित कार्य अधिकांशतः यूपीपीडब्लूडी/सीपीडब्लूडी की विशिष्टियों पर आधारित होते है और पीआरडब्लू/उपठेकेदारों के माध्यम से निष्पादित किये जाते है, अतः सामग्री तथा कार्यो के संदर्भ के गुणवत्ता नियन्त्रण का कार्य इकाई प्रभारी द्वारा किया जाना चाहिये। यह देखा गया (अप्रैल 2007) कि इकाईयों ने न तो सामग्रियो के परीक्षण प्रतिवेदन का रखरखाव किया (ईंटें, बालू, मौरंग, पत्थर की गिट्टी, सीमेन्ट आदि) और न ही कार्यो के निष्पादन में विशिष्टियों का पालन किया जिसने कार्य की गुणवत्ता के लिये सम्बद्धता के अभाव को दर्शाया।

प्रबन्धन ने बताया (सितम्बर 2007) कि कार्य स्थलों पर निर्धारित रजिस्टर के रखरखाव के लिये इकाईयों को निर्देश दिये गये थे।

आन्तरिक नियन्त्रण एवं आन्तरिक लेखा परीक्षा

3.1.42 आन्तरिक नियन्त्रण की कुशलता के लिये उचित आश्वासन, वित्तीय प्रतिवेदन की विश्वसनीयता और कुशल एवं प्रभावी ढंग से प्रबन्धन के उद्देश्यो को प्राप्त करने के लिये लागू होने वाले नियमो तथा विनियमों का अनुपालन की व्यवस्था करने के लिये एक अभिकल्पित प्रक्रिया है। मैनुअल, कार्यो के नियोजन,

* इलाहाबाद, देवरिया, फर्रूखाबाद, गोण्डा, लखनऊ तथा सोनभद्र।

निष्पादन तथा परिवीक्षण के लिये आन्तरिक नियन्त्रक प्रविधियों के लिये मानक प्रावधानित करता है।

सीएण्डडीएस में प्रचलित आन्तरिक नियन्त्रण पद्धति अपर्याप्त तथा निष्प्रभावी थी, कुछ कमियाँ जो संज्ञान में आई, निम्नवत् हैं:

- प्राक्कलनों की अशुद्ध तैयारी और स्वीकृति, बिना तकनीकी स्वीकृति के कार्यो का निष्पादन;
- पीसीआर तथा लागत नियन्त्रण प्रतिवेदनों का तैयार न किया जाना और खपत की गई सामग्री का खपत विवरण का तैयार न किया जाना;
- क्लाइन्ट से प्राप्त निधि पर व्यय का आधिक्य;
- पूर्ण कार्यो के खातों का बन्द न होना;
- एक कार्य से दूसरे कार्य में निधि के अनियमित विचलन के परिणामस्वरूप कार्यो के फलस्वरूप कार्य पूर्ण करने में देरी हुई;
- पीआरडब्लू/उप-ठेकेदारों/आपूर्तिकारो को दिये गये अग्रिमो की वसूली न होना; और
- भण्डार के भौतिक सत्यापन में कमियाँ।

आन्तरिक लेखा परीक्षा

3.1.43 आन्तरिक लेखा परीक्षा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली के उचित तरीके से कार्य करने तथा प्रभावशीलता को सुनिश्चित करने और त्रुटियों तथा गबनों को पता लगाने के लिए बनायी गई प्रणाली है। सीएण्डडीएस ने न तो अपनी आन्तरिक लेखा परीक्षा स्कंध की स्थापना की और ना ही आन्तरिक लेखा परीक्षा के संचालन के लिये कोई आन्तरिक लेखा परीक्षा नियमावली निर्मित की। आन्तरिक लेखा परीक्षा वार्षिक रूप से चार्टर्ड लेखाकारों की फर्मो द्वारा संचालित की जाती है। यह देखा गया (मार्च 2007) कि वर्ष 2002-03 से 2005-06 से सम्बन्धित लेखा परीक्षा प्रेक्षण का अनुपालन सात इकाईयों में लम्बित थें।

प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 2007) कि मैनुअल के प्रावधानो के अनुपालन हेतु प्रयास किये जा रहे हैं।

अभिस्वीकृति

3.1.44 निष्पादन लेखा परीक्षा सम्पन्न करने के विभिन्न चरणों पर सीएण्डडीएस/निगम के अधिकारियों द्वारा विभिन्न स्तरों पर दी गई सहायता और सहयोग के लिए लेखा परीक्षा आभार व्यक्त करता है।

निष्कर्ष

सीएण्डडीएस द्वारा कार्यो को प्राप्त करने के लिये क्लाइन्ट के साथ नियमित और उचित सम्पर्क नही रखा, इसलिये कार्यो को बैक टू बैक आधार पर उप-ठेकेदारों

के माध्यम से प्राप्त किया गया। कार्यो का नियोजन एक संस्थागत पद्धति की कमी को दर्शाता है क्योंकि प्राक्कलनों को निजी वास्तुकारों द्वारा तैयार किया गया था परिणामस्वरूप विस्तृत प्राक्कलनों की तैयारी और स्वीकृति में गलती हुई तथा बिना प्राक्कलनो की तैयारी एवं तकनीकी स्वीकृति के कार्यो के निष्पादन में 20.63 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ। कार्यो के उप-ठेके पर किये जाने के कारण, सीएण्डडीएस निजी ठेकेदारों को हटाने में असफल रहा। कार्यो का निष्पादन निर्धारित प्रक्रिया तथा शासन एवं प्रबन्धन के दिशानिर्देशों के विरुद्ध कम/बिना प्रतिशत प्रभार पर करने के परिणामस्वरूप 38.55 करोड़ रुपये के आय की हानि हुई। सामग्री की खरीद में निर्धारित प्रक्रिया एवं कोडल प्रावधानों का पालन नही किया गया जिसके कारण 69 लाख रुपये का अधिक व्यय हुआ। निर्धारित मानकों/विशिष्टियों के विरुद्ध सामग्री के उपयोग के कारण 1.97 करोड़ रुपये मूल्य की अधिक सामग्री की खपत हुई। संज्ञान में आयी भण्डार के भौतिक सत्यापन, परिवीक्षण, पर्यवेक्षण तथा नियन्त्रण पद्धति की प्रणाली में कमियों के अलावा आन्तरिक नियन्त्रण पद्धति पर्याप्त तथा प्रभावी नहीं थी।

संस्तुतियाँ

- प्रबन्धन को निजी ठेकेदारों को शामिल किये बिना कार्यो को प्राप्त करने हेतु क्लाइन्ट के साथ नियमित और उचित सम्पर्क रखना चाहिये।
- प्रबन्धन को कम/बिना प्रतिशत प्रभार के कार्यो के निष्पादन के हेतु पूर्ण औचित्य प्रस्तुत करना चाहिये तथा राज्य सरकार/निदेशक मण्डल से पूर्व अनुमति प्राप्त करना चाहिये।
- प्रबन्धन को निर्धारित प्रक्रिया और सरकारी दिशानिर्देशों के अनुरूप कार्यो को कठोरता से निष्पादित करने हेतु संगठित प्रयास करने चाहिये।
- सामग्री की खरीद निर्धारित प्रक्रिया और मैनुअल के प्रावधानों के अनुरूप होनी चाहिये।
- प्रबन्धन को कार्यो के निष्पादन में सामग्रियो के उपयोग हेतु निर्धारित मानको तथा विशिष्टियों का प्रयोग सुनिश्चित करना चाहिये।
- परिवीक्षण और गुणवत्ता नियन्त्रण पद्धति को मजबूत तथा प्रभावशाली बनाना चाहिये।
- आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कुशल और प्रभावी होनी चाहिये।
- महाप्रबन्धकों तथा परियोजना प्रबन्धकों के उत्तरदायित्व तथा कर्तव्य स्पष्ट रूप से बताये जाने चाहिये।

अध्याय–IV

4. व्यवहारिक लेखा परीक्षा प्रेक्षण

इस अध्याय में राज्य की सरकारी कम्पनियों एवं निगमों द्वारा किये गये व्यवहारों की नमूना जांच के दौरान पाये गये महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा निष्कर्ष सम्मिलित है।

सरकारी कम्पनियां

उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड

4.1 प्रतिशत प्रभार के अनारोपण से हानि

विधायक निधि के अन्तर्गत किये गये निक्षेप कार्यों पर प्रतिशत प्रभार के अनारोपण के फलस्वरूप कम्पनी को 79.38 लाख रुपये की हानि।

राज्य सरकार के 24 मार्च 1999 के आदेश (शासनादेश) में अभिसंविदित है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, निगमों एवं अन्य निर्माण इकाइयों/स्वायत्त निकायों के द्वारा बुन्देलखण्ड विकास निधि (बुविनि), पूर्वाचल विकास निधि (पूविनि) एवं विधायक निधि (विनि) आदि के अन्तर्गत निष्पादित निक्षेप कार्यों पर 12.5 प्रतिशत की दर से प्रतिशत प्रभार भारित किया जायेगा।

यह देखा गया (फरवरी 2006) कि 2005-06 के दौरान कम्पनी ने विभिन्न सरकारी विभागों/संस्थाओं के लिए 6.35 करोड़ रुपये मूल्य के 479 कार्य निष्पादित किये। उपरोक्त शासनादेश के प्रावधानों के अनुसार प्रतिशत प्रभार के रूप में 79.38 लाख रुपये भारित एवं ग्राहकों से वसूल किये जाने थे। तथापि कम्पनी ने अपने द्वारा निष्पादित उपरोक्त निक्षेप कार्यों पर प्रतिशत प्रभार भारित नहीं किया और 79.38 लाख रुपये की हानि उठाई।

प्रकरण प्रबन्धन एवं शासन को अप्रैल 2007 में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर प्रतीक्षित (अक्टूबर 2007) हैं।

उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड

4.2 छूट का गलत आगणन

छूट के गलत आगणन के कारण कम्पनी ने ट्रोनिका सिटी, गाजियाबाद में सीईपीटी शोधित जल निस्तारण परियोजना हेतु शोधित जल निस्तारण पाइपलाइन बिछाने में 1.39 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय किया।

कम्पनी ने ट्रोनिका सिटी, गाजियाबाद में सीईटीपी शोधित जल निस्तारण परियोजना हेतु शोधित जल निस्तारण पाइपलाइन बिछाने के लिए रूपरेखा एवं विस्तृत प्राक्कलन तैयार करने के लिए स्पान्स इनवायरोटेक प्राइवेट लिमिटेड (सलाहकार) को नियुक्त (मई 2005) किया । सलाहकार द्वारा तैयार किये गये 5.14 करोड़ रुपये के विस्तृत प्राक्कलन में लागत पीएन 6 दाब क्षमता वाले 450 मिमी. व्यास के एचडीपीई पाईप (बी आई एस 4984-1995 के अनुसार पीई 63 या उत्कृष्ट

सामग्री वाले) की आपूर्ति एवं बिछाने का कार्य भी शामिल था। एचडीपीई पाइप की दरें, पीई 100 ग्रेड सामग्री हेतु, न्यूनतम विश्लेषित दर, केडिया ट्यूब की मूल्य सूची पर 40 प्रतिशत छूट के साथ होनी चाहिए थी। कम्पनी ने प्राक्कलन स्वीकृत किया और 5.14 करोड़ रुपये की तकनीकी स्वीकृति दी। इस स्वीकृत प्राक्कलन के आधार पर कम्पनी ने निविदायें आमंत्रित की (सितम्बर 2005) और कार्य को न्यूनतम निविदादाता (ओ. पी. गुप्ता कान्स्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड) को 5.05 करोड़ रुपये की लागत (निविदा मूल्य 5.09 करोड़ रुपये) पर सौंप दिया। कम्पनी ने ठेकेदार के साथ कार्य निष्पादन हेतु एक अनुबन्ध निष्पादित (अक्टूबर 2005) किया। ठेकेदार ने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कार्य प्रारम्भ किया और फरवरी 2006 तक आंशिक रूप से पीई 100 ग्रेड सामग्री वाले 6668 मीटर एचडीपीई पाईप की आपूर्ति एवं बिछाने का कार्य निष्पादित किया, जिसके लिए ठेकेदार को 4.71 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया।

यह देखा गया (सितम्बर 2006) कि सलाहकार ने विस्तृत प्राक्कलन तैयार करते समय इकाई दर की गणना (पाइप के मूल्य एवं बिछाने की लागत) केडिया ट्यूब की मूल्य सूची पर 40 प्रतिशत छूट के साथ 5007 रुपये प्रति मीटर के स्थान पर 15 प्रतिशत छूट के साथ 7096 रुपये प्रति मीटर की। इस प्रकार छूट के गलत आगणन के कारण इकाई दर 2089 रुपये प्रति मीटर अधिक आकलित की गई, जिसके कारण निविदा का मूल्य 1.39 करोड़ रुपये से बढ़ गया जो कि सम्पूर्ण मूल्य का 27.31 प्रतिशत था। इस प्रकार कम्पनी ने दर विश्लेषण एवं तकनीकी स्वीकृति के समय 40 प्रतिशत छूट की शर्त पर ध्यान नहीं दिया, फलस्वरूप, निविदा मूल्य 1.39 करोड़ रुपये से बढ़ गया जिसने निविदादाताओं को निविदा के आगणित मूल्य से अनावश्यक रूप से ज्यादा दर देने को प्रोत्साहित किया। फलस्वरूप, कम्पनी को उस सीमा तक अतिरिक्त व्यय करना पड़ा।

प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 2007) कि दर विश्लेषण 15 प्रतिशत छूट के साथ पीई 100 सामग्री की केडिया ट्यूब की मूल्य सूची पर आधारित था। प्रबन्धन का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि दर विश्लेषण में 15 प्रतिशत छूट शामिल की गई जबकि केडिया ट्यूब की मूल्य सूची 40 प्रतिशत छूट के साथ थी।

4.3 अतिरिक्त व्यय

कम्पनी द्वारा प्राक्कलन में अतिरिक्त रबर के छल्लों की लागत शामिल करने के कारण 27.02 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय किया गया।

उद्योग निदेशालय (डी.आई.) प्रतिवर्ष आर.सी.सी. पाइप की दरों, जो कि विभिन्न व्यास के छल्लां के साथ होती है, की अधिसूचना जारी करता है और तद्नुसार, कम्पनी डी. आई. दरों पर निविदा आमंत्रित करने के लिए प्राक्कलन तैयार करती है। यह देखा गया (अक्टूबर 2006) कि कम्पनी ने प्राक्कलन तैयार करने एवं निविदा आमंत्रित करने के उपरान्त ट्रोनिका सिटी, गाजियाबाद एवं विकास केन्द्र, जैनपुर में सीवर लाइन बिछाने तथा जोड़ने एवं अन्य अनुलग्नक कार्यों हेतु 15.16 करोड़ रुपये की लागत से सात कार्य (अप्रैल 2004 से नवम्बर 2005) विभिन्न ठेकेदारों को प्रदान किये। यह आगे देखा गया कि कम्पनी ने डीआई द्वारा

अधिसूचित विभिन्न व्यास के आर.सी.सी. पाइप की दरों को प्राक्कलन तैयार करते समय आधार माना। डी.आई. द्वारा अधिसूचित दरें रबर के छल्लों के साथ थीं। परन्तु आरसीसी पाइप की दरों में रबर छल्लों की लागत शामिल होने के बावजूद, कम्पनी ने रबर छल्लों की लागत अलग से शामिल कर ली। फलस्वरूप, कार्यों का प्राक्कलन उस सीमा तक बढ़ा दिया गया जिसके कारण 27.02 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ।

प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 2007) कि दो रबर छल्लों की लागत का प्रावधान आई.आई.टी. कानपुर एवं दिल्ली की सलाह पर प्राक्कलन में शामिल किया गया था। प्रबन्धन का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि आई.आई.टी. की सलाह अनुबन्ध देने के बाद ली गई और कम्पनी ने दो रबर छल्लों की आवश्यकता न तो निविदा में शामिल की थी और न ही मात्रा विपत्र में इसका प्रावधान था।

प्रकरण शासन को मई 2007 में प्रतिवेदित किया गया; उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2007)।

4.4. आवंटी को अनुचित लाभ

हस्तान्तरण शुल्क न वसूल किये जाने के कारण कम्पनी को 2.04 करोड़ रुपये की हानि हुई।

कम्पनी के दिशा-निर्देशों (दिसम्बर 1998) के अनुसार, एक आवंटी कम्पनी का यदि दूसरी कम्पनी में विधि सम्मत संविलयन होता है और प्लाट के उप विभाजन का प्रार्थना-पत्र देते समय समान अंशधारिता कम-से-कम 51 प्रतिशत हो तो कम्पनी आवंटी कम्पनी से हस्तान्तरण शुल्क नहीं वसूल करेगी। प्रार्थना-पत्र के समय यदि समान अंशधारिता 51 प्रतिशत से कम हो तो 15 प्रतिशत की दर से हस्तान्तरण शुल्क भारित किया जायेगा, यदि प्लाट तीन वर्ष से अधिक समय से खाली हो और त्वरित विकास वाले क्षेत्र में स्थित हो।

पायनियर प्लास्टिक (साहिबाबाद) लिमिटेड (पी.पी.एस.एल.) को साईट IV, साहिबाबाद में 42550.17 वर्ग मीटर का एक प्लाट 2.95 लाख रुपये में आवंटित किया गया। पीपीएसएल ने पायनियर पालीफैब लिमिटेड (पी.पी.एल.) के साथ संविलयन की प्रार्थना की जो कि कम्पनी द्वारा मान्य (सितम्बर 1998) कर दी गई। पी.पी.एल. ने औद्योगिक उद्देश्य हेतु भावी खरीदारों को छोटे प्लाटों के रूप में बेचने के लिए प्लाट के उप विभाजन की प्रार्थना की (जुलाई 2004) जो कि कम्पनी द्वारा मान (दिसम्बर 2004) ली गई।

यह देखा गया (अप्रैल 2007) कि प्लाट के उप विभाजन के प्रार्थना-पत्र (जुलाई 2004) के समय समान अंशधारिता 54.29 प्रतिशत से घटकर 35.80 प्रतिशत हो गई थी। तद्नुसार, पी.पी.एल. प्लाट के पुनर्गठन (उप विभाजन) पर नये हस्तान्तरण की तरह, हस्तान्तरण शुल्क के लिये दायी थी।। तद्नुसार, कम्पनी को उप विभाजन मान्य करने के पूर्व 13.62 करोड़ रुपये की प्रीमियम धनराशि पर 15 प्रतिशत की दर से 2.04 करोड़ रुपये हस्तान्तरण शुल्क के रूप में वसूल करने चाहिए थे, जो कि भारित नहीं किये गये। इस प्रकार पी.पी.एल. पर हस्तान्तरण

शुल्क भारित न किये जाने के कारण कम्पनी को 2.04 करोड़ रुपये की हानि हुई।

प्रकरण प्रबन्धन एवं शासन को जून 2007 में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर प्रतीक्षित हैं (अक्टूबर 2007)।

उत्तर प्रदेश स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड

4.5 जस्तेदार लोहे के पाइपो की खरीद पर अतिरिक्त व्यय

कम्पनी द्वारा वर्तमान स्थिर अनुबन्ध के होते हुये जस्तेदार लोहे के पाइपों (जीआई) की खरीद हेतु पुनः निविदा देने के कारण 63.35 लाख का अतिरिक्त व्यय किया।

कम्पनी ने वर्ष 2006-07 में हैण्डपम्पों की स्थापना में उपयोग के लिए पांच लाख मीटर 32 मिमी. हाट डिप जस्तेदार (जीआई) पाइपों की आपूर्ति हेतु निविदायें इस शर्त के साथ आमंत्रित की कि स्वीकृत दरें 1 अप्रैल 2006 से 31 मार्च 2007 तक प्रभावी होगीं और अनुबन्ध की अवधि के दौरान कोई मूल्य विचलन अनुमन्य नहीं होगा।

यह देखा गया (फरवरी 2007) कि कम्पनी ने के. एल. कानकास्ट प्राइवेट लिमिटेड (फर्म) के पक्ष में 111.78 रुपये प्रति मीटर की दर अनुमोदित (मार्च 2006) की और जी. आई. पाइपों की आपूर्ति हेतु विभिन्न आपूर्ति आदेश (मार्च से जून 2006) निर्गत किये, जिसके विरूद्ध फर्म ने 1.28 लाख मीटर पाइपों की आपूर्ति की। फर्म ने लोहे एवं जस्ते के दामों में वृद्धि को कारण बताते हुए कम्पनी से पाइपों की दरें बढ़ाने का अनुरोध (मई 2006) किया। कम्पनी ने फर्म को स्वीकृत स्थिर दरों पर जी. आई. पाइपों की आपूर्ति का आदेश देने की जगह जीआई पाइप की शेष मात्रा (3.72 लाख मीटर) के लिए दुबारा निविदायें दी और तीन फर्मो (के. एल. कान्कास्ट प्राइवेट लिमिटेड सहित) के पक्ष में 129.31 रुपये प्रति मीटर की दरें अनुमोदित (जून 2006) की। फर्मो ने 129.31 रुपये प्रति मीटर की पुनरीक्षित दरों पर अगस्त से दिसम्बर 2006 के मध्य 3,61,384 मीटर पाइपों की आपूर्ति की और तद्नुसार भुगतान किये गये। इस प्रकार, कम्पनी द्वारा सहमत स्थिर दरों पर आपूर्ति हेतु कहने की जगह पुनः निविदा देने के कारण 63.35 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय करना पड़ा (129.31 रुपये-111.78 रुपये = 17.53 प्रति मीटर, 3,61,384 मीटर हेतु) ।

शासन ने बताया (अगस्त 2007) कि अतिरिक्त व्यय की गणना जनवरी की दर (111.78 रुपये प्रति मीटर) पर की गई है जबकि बाजार मूल्य 137.50 रुपये प्रति मीटर था। उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि अनुबन्ध की अवधि में कोई मूल्य विचलन अनुमन्य नहीं था और फर्म से सहमत दरों पर अवशेष मात्रा की आपूर्ति हेतु कहना चाहिए था।

4.6 आपूर्तिकर्ताओं को अनुचित लाभ

कम्पनी द्वारा 99.83 लाख रुपये मूल्य की जीआई पाइपों जो कि आईएस मानकों के अनुरूप नहीं थे, की आपूर्ति स्वीकार करने के कारण हानि ।

हैण्डपम्पों की स्थापना हेतु कम्पनी आई.एस. कोड 1239 के अनुसार जस्तेदार (जीआई) पाइपों की खरीद करती है। कोड के अनुसार आपूर्ति किये जाने वाले 32 मिमी. मध्यम श्रेणी के जीआई पाइपों का भार 3.13 कि.ग्रा. प्रति मीटर होना चाहिए जिसमें 10 टन भार की प्रत्येक मात्रा पर +-7.5 प्रतिशत का विचलन अनुमन्य है। इस प्रकार प्रति मीटर स्वीकार योग्य पाइपों का भार 3.365 कि.ग्रा. (अधिकतम) और 2.895 (न्यूनतम) के बीच होना चाहिए। आपूर्ति आदेश के उपबन्ध 24 के अनुसार, यदि आपूर्ति किये गये पाइप अधोमानक/कम भार के पाये जाते है तो, सभी आपूर्तित पाइप अस्वीकार कर दिये जायेंगे।

यह पाया गया (फरवरी 2007) कि कम्पनी द्वारा जीआई पाइपों की खरीद हेतु दिये गये (सितम्बर 2005 से सितम्बर 2006) 17 आपूर्ति आदेशों के विरूद्ध कम्पनी ने 26 लाटों में, 99.83 लाख रुपये के 71685 मीटर कम भार वाले पाइप जो कि आई.एस. मानकों के अनुरूप नहीं थे एवं जिनका भार 2.515 कि.ग्रा. और 2.890 कि.ग्रा. प्रति मीटर के बीच था, स्वीकार किये। कम्पनी ने आपूर्ति आदेश के उपबन्ध 24 के अनुसार लाटों को अस्वीकार करने की जगह अधोमानक पाइपों का इस्तेमाल कर लिया। इस प्रकार कम्पनी ने 99.83 लाख रुपये मूल्य के अधोमानक/कम भार वाले पाइपों को स्वीकार कर आपूर्तिकर्ता को अनुचित लाभ दिया और इस्तेमाल किये गये पाइपों की गुणवत्ता से समझौता किया।

प्रकरण प्रबन्धन एवं शासन को मई 2007 में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2007)।

उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड

4.7 अधिक व्यय

कम्पनी ने निविदा के माध्यम से प्रतिस्पर्द्धात्मक दरें मांगे बिना आरेखन एवं रूपरेखा तैयार करने हेतु वास्तुकारों की नियुक्ति में 24.53 लाख रुपये का आधिक व्यय किया।

फरवरी 1997 के शासनादेश में अभिसंविदित है कि सार्जनिक क्षेत्र के उपक्रमों एवं अन्य निष्पादन एजेन्सियों द्वारा निक्षेप कार्यो पर 12.5 प्रतिशत की दर से प्रतिशत प्रभार भारित किया जाना है, जिसमें आरेखन एवं विस्तृत प्राक्कलन (प्रारम्भिक प्राक्कलन एवं परियोजना प्रतिवेदन सहित) हेतु 1.5 प्रतिशत एवं 11 प्रतिशत कार्य निष्पादन (लेखा परीक्षा व्यय सहित) हेतु सम्मिलित है।

यह देखा गया (फरवरी 2007) कि विश्वविद्यालय परिसर में विभिन्न भवनों के निर्माण हेतु कम्पनी की इकाई-IV, कानपुर ने छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय (ग्राहक) के साथ एक एम.ओ.यू. लागत और प्रतिशत प्रभार के आधार पर निष्पादित किया। एम. ओ. यू. के उपबन्ध 12 में प्रावधान था कि

कम्पनी ग्राहक के अनुमोदन से वास्तुकारों की सूची में से वास्तुकार की नियुक्ति करेगी। वास्तुकार का व्यवसायिक शुल्क कम्पनी एवं वास्तुकार के मध्य सहमति के आधार पर निर्धारित किया जाना था।

यह पाया गया (फरवरी 2007) कि कम्पनी ने निविदा के माध्यम से प्रतिस्पर्द्धात्मक दरें मांगे बिना 1.5 प्रतिशत की सीमा के विरूद्ध, कार्य की लागत के 1.87 प्रतिशत पर आरेखन एवं विस्तृत प्राक्कलन तैयार करने के लिए आर्क-एन-डिजाइन को वास्तुकार नियुक्त किया और शुल्क के रूप में 1.24 करोड़ रुपये का भुगतान किया। परिणामस्वरूप, कम्पनी ने, 1.5 प्रतिशत की सीमा से अधिक, 24.53 लाख रुपये का भुगतान (1.24 करोड़ रुपये X 0.37/1.87) अपने स्त्रोतों से वास्तुकार को किया। अभिलेखों में वह आधार उपलब्ध नहीं था जिससे कार्य लागत के 1.87 प्रतिशत पर वास्तुकार का शुल्क निर्धारित किया गया था तथा कम्पनी ने प्रतिस्पर्द्धात्मक दरें न आमंत्रित किये जाने के कारण, वास्तुकार का शुल्क, 1.5 प्रतिशत की सीमा में निर्धारित किये जाने का अवसर खो दिया।

प्रकरण प्रबन्धन एवं शासन को मई 2007 में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर प्रतीक्षित हैं (अक्टूबर 2007)।

4.8 कार्य समाप्ति में विलम्ब के कारण हानि

कम्पनी द्वारा विलम्ब विश्लेषण प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में असफलता के परिणामस्वरूप 19.49 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति माफ नहीं करायी जा सकी।

मीकान (इण्डिया) लिमिटेड द्वारा कम्पनी को 1.96 करोड़ रुपये निविदा मूल्य पर पाकबड़ा, किच्छा एवं चन्दौसी में फुटकर निष्क्रमों के निर्माण का कार्य प्रदान (जून 2000) किया गया। पंचनिर्णय पत्र के उपबन्ध-9 के अनुसार, कार्य निश्चित समय (स्थल हस्तान्तरण तिथि से 80 दिनों के भीतर) पर पूर्ण किया जाना था, नहीं तो कम्पनी द्वारा निविदा मूल्य के एक प्रतिशत (अधिकतम 10 प्रतिशत) की दर से प्रत्येक सप्ताह या उसके किसी भाग के लिए विलम्ब पर क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जाना था।

यह देखा गया (मार्च 2007) कि 3 जुलाई 2000 को स्थल हस्तान्तरण के उपरान्त निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया जो कि 21 सितम्बर 2000 तक पूर्ण किया जाना था। तथापि, कार्य 344 दिनों के विलम्ब (30 अगस्त 2001 को) से पूर्ण किया गया। कम्पनी ने मीकान को 2.09 करोड़ रुपये का अन्तिम बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत (मई 2001) किया। मीकान ने 19.49 लाख रुपये क्षतिपूर्ति के रूप में काटने के पश्चात् 1.90 करोड़ रुपये का बिल पारित किया। कम्पनी ने क्षतिपूर्ति माफ किये जाने हेतु प्रत्यावेदन (मई 2003) दिया, किन्तु ग्राहक ने विलम्ब विश्लेषण प्रतिवेदन की मांग की (सितम्बर 2003) जिससे यह पता लग सके कि विलम्ब कम्पनी द्वारा नहीं किया गया है। चार वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात् (अप्रैल 2007) भी कम्पनी विलम्ब विश्लेषण प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं कर सकी। इस प्रकार, विलम्ब विश्लेषण प्रतिवेदन प्रस्तुत न करने के कारण कम्पनी को 19.49 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति की वापसी नहीं हो सकी।

प्रकरण प्रबन्धन एवं शासन को जून 2007 में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2007)।

दि प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इनवेस्टमेन्ट कारपोरेशन ऑफ उत्तर प्रदेश लिमिटेड

4.9 पूंजी सहायता की अनियमित स्वीकृति

योजना के दिशानिर्देशों के प्रतिकूल पूंजी सहायता स्वीकृत करने के कारण कम्पनी को 26.24 लाख रुपये की हानि वहन करनी पड़ी।

कम्पनी ने नवीन तकनीकी, उत्पाद, बाजार सर्वेक्षण के क्षेत्र में व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूहों द्वारा प्रवर्तित सार्वजनिक कम्पनियों के लिए जोखिम पूंजी योजना (योजना) प्रारम्भ (मई 1992) की। योजना के अन्तर्गत सहायता की मात्रा व्यक्तिगत प्रवर्तकों के लिए 15 लाख रुपये और विविध प्रवर्तकों हेतु 30 लाख रुपये, अधिकतम प्रवर्तक अंश का 50 प्रतिशत, तक सीमित थी। योजना के अन्तर्गत ऋण, आवधिक ऋण के लिए किये जाने वाले स्थायी सम्पत्ति पर प्रथम प्रभार और प्रवर्तकों की व्यक्तिगत प्रतिभूति से सुरक्षित था। योजना के अनुसार, कम्पनी द्वारा अभिदत्त अंश एक पूंजी बाजार में सूचीबद्ध होने थे और प्रवर्तकों द्वारा विवियोजन के पांच वर्ष के अन्दर किन्तु दस वर्षों के भीतर एक सहमत मूल्य, जो कि कम-से-कम अंशों के चुकता मूल्य और विनियोजन की तिथि से 15 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज का योग, कम्पनी द्वारा विक्रय की तिथि तक घोषित लाभांश घटाकर, होगा, पर पुनः खरीद लिया जाना था।

यह देखा गया (जून 2006) कि कम्पनी ने बी. नेट सर्विसेज (प्राइवेट) लिमिटेड, लखनऊ को प्रदेश में एक विस्तृत एवं अन्तःक्रियात्मक पोर्टल/बेवसाइट आधारित डाटाबेस की स्थापना के लिए 15 लाख रुपये की पूंजी सहायता स्वीकृत की। कम्पनी ने बी. नेट सर्विसेज से एक विशेष शर्त, कि अंशों की पुनः खरीद का प्रावधान सिर्फ केवल लाभ की स्थिति में प्रभावी होगा, के साथ अनुबन्ध (जुलाई 2000) निष्पादित किया। कम्पनी ने जुलाई और दिसम्बर 2000 में 7.50 लाख रुपये की दो किश्तों में 15 लाख रुपये अदा किये। प्रवर्तकों ने अगस्त 2004 तक कम्पनी को अंश प्रमाण-पत्र निर्गत नहीं किये। अतः कम्पनी ने ब्याज सहित सहायता वापस लेने की सूचना (अगस्त 2004) दी। प्रवर्तकों ने इकाई के परिसमापन हेतु अनापत्ति प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार से सम्पर्क (अप्रैल 2005) किया। राज्य सरकार ने कम्पनी को इकाई के परिसमापन और सहायता के अपलेखन हेतु प्रवर्तकों के आवेदन को निदेशक मण्डल में रखने का निर्देश दिया। सहायित इकाई के परिसमापन और वित्त प्रदत्त पूंजी सहायता (15 लाख रुपये) के अपलेखन का प्रस्ताव निदेशक मण्डल के समक्ष विचार एवं अनुमोदन हेतु प्रस्तुत (अगस्त 2005) किया गया। निदेशक मण्डल ने सहायता के अपलेखन एवं सहायित इकाई के परिसमापन का निर्णय (अगस्त 2005) लिया।

यह देखा गया (जून 2006) कि कम्पनी ने अनियमित रूप से इकाई को सहायता स्वीकृत की जबकि यह एक प्राइवेट कम्पनी (योजना में पात्र नहीं) थी न कि

सार्वजनिक कम्पनी। यह न केवल दिशा-निर्देशों के प्रतिकूल था बल्कि इसने प्रवर्तकों को जवाबदेही से बचने के लिए प्रेरित किया। परिणामस्वरूप, कम्पनी सहमत मूल्य पर अंशों को पुन:खरीद की शर्त का अनुपालन कराने में विफल रही। इस प्रकार, कम्पनी के अविवेकपूर्ण निर्णय के कारण 26.24 लाख रुपये (मूलधन 15 लाख रुपये और ब्याज 11.24 लाख रुपये) की हानि हुई।

प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 2007) कि निदेशक मण्डल ने देयों के अपलेखन का निर्णय प्रवर्तकों के प्रस्ताव पर विस्तृत विचार-विमर्श के बाद लिया गया था। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि बिना किसी प्रतिभूति के पूंजी सहायता प्रदान करना और अंशों की पुन: खरीद की शर्त केवल केवल लाभ की स्थिति में लागू करना, योजना के दिशा-निर्देशों के प्रतिकूल था और न ही कम्पनी के हित में था।

प्रकरण शासन को मई 2007 में प्रतिवेदित किया गया; उनका उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2007)।

विद्युत वितरण कम्पनियाँ

4.10 शन्ट कैपिसिटर अधिभार का अनारोपण

पीटीडब्ल्यू उपभोक्ताओं पर शन्ट कैपेसिटर अधिभार के अनारोपण के कारण कम्पनी को 2.79 करोड़ रुपये की राजस्व हानि हुई।

1 दिसम्बर 2004 से प्रभावी दर सूची एलएमवी-5 का खण्ड-I, जो सिंचाई उद्देश्यो हेतु 25 ब्रेक अश्वशक्ति (बीएचपी) तक अनुबन्धित भार वाले निजी ट्यूबबेलों/पम्पिंग सेटों (पीटीडब्ल्यू) उपभोक्ताओं पर लागू है, उपबन्धित करता है कि, नये संयोजन केवल उचित वर्ग के शन्ट कैपेसिटरों की स्थापना पश्चात् ही दिये जायेंगे तथा सभी विद्यमान पम्पों के लिये शन्ट कैपेसिटरों की स्थापना अपेक्षित है। पुन: दर सूची का उपबन्ध 6, स्टेटिक ट्राईवेक्टर मीटर (टीवीएम) रहित संयोजन वाले उपभोक्ताओं के सम्बन्ध में, उपबन्धित करता है कि यदि उचित वर्ग के कैपेसिटर्स गायब या निष्क्रिय पाये जाते है तो बिल की राशि का 10 प्रतिशत अधिभार भारित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त, अनुज्ञप्तिधारी को विद्युत आपूर्ति के विच्छेदन सहित किसी अन्य उचित कार्यवाही का भी अधिकार होगा।

दो विद्युत वितरण कम्पनियों के विद्युत वितरण खण्डों (विविखि) की लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया कि, निम्न खण्ड पीटीडब्ल्यू उपभोक्ताओं को टीवीएम तथा शन्ट कैपेसिटरो की स्थापना किये बिना ही विद्युत आपूर्ति कर रहे थे। इन खण्डों ने, न तो शन्ट कैपेसिटरों की स्थापना सुनिश्चित करने हेतु कोई कार्यवाही की न ही दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (दविविनिलि) एवं पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (पूविविनिलि) के इन खण्डों ने 27.97 करोड़ रुपये के उर्जा प्रभारों पर (10 प्रतिशत की दर से) 2.79 करोड़ रुपये शन्ट कैपेसिटर अधिभार के रूप में उदग्रहीत किये, जिसका विवरण निम्न है:

(करोड़ रुपये में)

कम्पनी/खण्ड का नाम	अवधि	भारित ऊर्जा प्रभार	एससीएस* का अनारोपण	टिप्पणी
दविविनिलि				
विविख, कानपुर	दिसम्बर 2004 से जुलाई 2006	7.06	0.71	यह देखा गया (अक्टूबर 2006 कि विविख, कानपुर दर सूची एलएमवी-5 के अधीन 38055 केडब्ल्यू संयोजित भार वाले 6191 पीटीडब्ल्यू उपभोक्ताओं (विद्यमान एवं नये) को अमीटरीकृत आपूर्ति दे रहा था। लेखा परीक्षा द्वारा इंगित करने के पश्चात् भी उक्त खण्ड ने न तो शन्ट कैपेसिटर अधिभार प्रभारित करने हेतु पूरक बिल निर्गत किया न ही अब तक उपभोक्ताओं को आपूर्ति विच्छेदित की (अक्टूबर 2007)।
पूविविनिलि				यह देखा गया (जून 2006 से सितम्बर 2006) कि उक्त विविख, दर सूची एलएमवी-5 के अधीन, 108070.10 बीएचपी संयोजित भार वाले 22257 उपभोक्ताओं को अमीटरीकृत आपूर्ति दे रहे थे लेखा परीक्षा द्वारा इंगित करने के पश्चात्:
विविख I,गाजीपुर	दिसम्बर 2004 से मार्च 2007	11.23	1.12	विविख I, गाजीपुर ने दिसम्बर 2004 से जुलाई 2007 की अवधि के बिल निर्गत (जुलाई2007) किये जिनकी वसूली प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2007)।
विविख II,गाजीपुर	दिसम्बर 2004 से दिसम्बर 2006	7.02	0.70	विविख II, गाजीपुर ने अब तक न तो बिल निर्गत किया, न ही आपूर्ति विच्छेदित की (अक्टूबर 2007)।
विविख I,बलिया	दिसम्बर 2004 से अगस्त 2006	2.63	0.26	विविख I, बलिया ने अब तक न तो बिल निर्गत किया, न ही आपूर्ति विच्छेदित की (अक्टूबर 2007)।
योग		**27.94**	**2.79**	

प्रकरण प्रबन्धन एवं शासन को अप्रैल/मई 2007 में प्रतिवेदित किया; उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2007)।

4.11 उपभोक्ताओं को अनुचित लाभ

विद्युत चोरी के प्रकरणों में, आपराधिक प्रक्रिया प्रारम्भ न करने के बदले में देय 26.86 लाख रुपये के शमन शुल्कों को प्रभारित न करके कम्पनी ने उपभोक्ताओं को अनुचित लाभ पहुँचाया।

विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 152 (1) एवं (2) के अनुसार, विद्युत चोरी की दशा में दोषी उपभोक्ता आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 के अधीन दण्डित किया जायेगा। हालांकि उल्लंघनकर्ता, आपराधिक प्रक्रिया के स्थान पर अपराध दोष के शमन के लिये विभिन्न श्रेणियों** के उपभोक्ताओं के लिये निर्धारित शमन शुल्क का भुगतान कर सकता है।

दो विद्युत वितरण कम्पनियों (पूविविनिलि एंव दविविनिलि) के विद्युत वितरण खण्डों (विविखि) की लेखा परीक्षा मे यह पाया गया कि, मार्च 2005 से जून 2006 के मध्य सर्तकता/प्रवर्तन दस्ता/संम्भागीय दल के छापों में 37 उपभोक्ता विद्युत चोरी में लिप्त पाये गये। कटिया द्वारा लो टेन्शन (एलटी) लाइन से सीधी आपूर्ति लेकर विद्युत चोरी की जाती थी। उक्त खण्डों द्वारा न तो पुलिस के पास प्रथम सूचना

* शन्ट कैपेसिटर सरचार्ज।

** बत्ती एवं पंखा (घरेलू): 4000 रुपये प्रति केडब्ल्यू, बत्ती एवं पंखा (वाणिज्यिक): रुपये 10000 प्रति केडब्ल्यू, कृषि: 2000 रुपये प्रति बीएचपी और औद्योगिक: 20000 रुपये प्रति बीएचपी/केडब्ल्यू या उसके अंश के लिये।

रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज करायी गयी न ही अपराध दोष के शमन के लिये 26.86 लाख रुपये का शमन शुल्क भारित किया गया जिसका विवरण निम्न है।

कम्पनी का नाम	खण्ड का नाम	उपभोक्ता की श्रेणी			शमन शुल्क जो प्रभारित किये जाने थे	टिप्पणी
		श्रेणी	उपभोक्ता की संख्या	संयोजित भार		
1	2	3	4	5	6	7
दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	विविख-II, अलीगढ़	घरेलू (एलएमवी-1)	11	16 केडब्ल्यू	0.64	खण्डीय अधिकारी ने उत्तर में बताया (मई 2007) कि उचित कार्यवाही (एफआईआर दर्ज कराना/शमन शुल्क की वसूली) जानकारी के अभाव में नही की जा सकी। लेखा परीक्षा द्वारा इंगित करने पर खण्डीय अधिकारी ने बताया कि सभी 31 मामलों को, विशेष न्यायालयों में मामला दर्ज कराने हेतु, विभागीय परिषद को हस्तांतरित कर दिया गया है।
		वाणिज्यिक (एलएमवी-2)	4	11 केडब्ल्यू	1.10	
		पीटीडब्ल्यू (एलएमवी-5)	8	66 बीएचपी	1.32	
		औद्योगिक (एलएमवी-6)	8	62 बीएचपी	12.40	
पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	विद्युत वितरण खण्ड-I, बलिया	वाणिज्यिक (एमएमवी-2)	1	1 केडब्ल्यू	0.10	लेखा परीक्षा द्वारा इंगित करने पर खण्ड ने 4.40 लाख रुपये का शमन शुल्क का बिल निर्गत किया (दिसम्बर 2006) जिसकी वसूली अभी प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2007)।
		औद्योगिक (एलएमवी-6)	2	21.5 बीएचपी	4.30	
	विद्युत वितरण खण्ड-II, गाजीपुर	औद्योगिक (एलएमवी-6)	3	35 बीएचपी	7.00	दो उपभोक्ताओं से शमन शुल्क की वसूली प्रतीक्षित है। एक उपभोक्ता को शमन शुल्क के सम्बन्ध में कोई बिल अभी तक निर्गत नही किया गया है (अक्टूबर 2007)
योग			37		26.86	

प्रकरण प्रबन्धन एवं शासन को मई 2007 में प्रतिवेदित किया गया; उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2007)।

पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

4.12 अर्थदण्ड का अल्प-प्रभारण

अर्थदण्ड के अल्प-प्रभारण के फलस्वरूप, कम्पनी को 21.96 लाख रुपये की हानि हुई।

19 फरवरी 2005 से प्रभावी, उत्तर प्रदेश विद्युत आपूर्ति संहिता-2005 (कोड) का खण्ड 8.2 (iv) उपबन्ध करता है कि विद्युत चोरी के प्रकरण में, एलएचएफडी* सूत्र द्वारा प्राप्त यूनिटो पर (मीटर द्वारा चोरी की अवधि के दौरान अभिलिखित यूनिटों को छोड़कर) उपभोक्ता को लागू दरों के तीन गुने दरो से बिलिंग कर अर्थदण्ड लगाया जायेगा। पुनः परिशिष्ट 6.3 के कंडिका स (ii) के अनुसार, प्रत्यक्ष चोरी की दशा में 'एफ' एक (100 प्रतिशत) होगा।

नगरीय विद्युत वितरण खण्ड-I, गोरखपुर में यह देखा गया (जनवरी 2007) कि छापा प्रर्वतन दल द्वारा (19 फरवरी 2005 से 19 जून 2006 के मध्य) डाले गये छापों में घरेलू श्रेणी के 102 उपभोक्ता (भारः 71.201 केडब्ल्यू) तथा वाणिज्यिक श्रेणी के 13 उपभोक्ता (भारः 57.076 केडब्ल्यू) सीधे एलटी लाइनो से विद्युत

* एल = भार (केडब्ल्यू में), एफ = गुणांक, एच = अवधि के दौरान औसत आपूर्ति घण्टे, डी = दिन।

प्रयोग कर रहे थे। संहिता के प्रावधानो के अनुसार, 18 घण्टे प्रतिदिन औसत आपूर्ति एवं गुणांक (एफ) एक (सौ प्रतिशत) मानकर, घरेलू एवं वाणिज्यिक श्रेणी के उपभोक्ताओं का निर्धारण क्रमश: 115346 यूनिटो (मूल्य: 9.95 लाख रुपये) तथा 184926 यूनिटो (मूल्य 22.11 लाख रुपये) होना चाहिये था। जबकि खण्ड ने 12 घण्टे प्रतिदिन औसत आपूर्ति एवं घरेलू एवं वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिये गुणांक क्रमश: .30 (30 प्रतिशत) तथा .50 (50 प्रतिशत) मानकर, उपभोक्ताओं का गलत निर्धारण क्रमश: 34684 यूनिटो (मूल्य: 2.58 लाख रुपये) एवं 61642 यूनिटो (मूल्य: 7.52 लाख रुपये) किया। इस प्रकार, कम औसत आपूर्ति घण्टे लेकर एवं गलत गुणाक का प्रयोग कर खण्ड ने, विद्युत चोरी के लिये उपभोक्ताओं का 21.96 लाख रुपये अल्प निर्धारण किया।

उत्तर में खण्डीय अधिकारी ने बताया (अगस्त 2007), कि लेखा परीक्षा के दृष्टान्त पर अर्थदण्ड के संशोधित बिल एवं सूचना निर्गत की जा चुकी है (अप्रैल 2007) किन्तु अभी तक केवल 0.85 लाख रुपये की वसूली की जा सकी है (अगस्त 2007)।

प्रकरण प्रबन्धन एवं शासन को जून 2007 में प्रतिवेदित किया गया; जिनके उत्तर प्रतीक्षित हैं (अक्टूबर 2007)।

दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

4.13 निम्न शक्ति गुणांक अधिभार का अनारोपण

कम्पनी ने 72.29 लाख रुपये की धनराशि निम्न शक्ति गुणांक अधिभार के रूप में प्रभारित नही की।

1 दिसम्बर 2004 से प्रभावी, एचवी-4 श्रेणी (लिफ्ट इरिगेशन वर्क्स) का खण्ड 8(i) एवं 9 (iii) उपबन्ध करते है कि उपभोक्ता का किसी भी बिलिंग अवधि में औसत शक्ति गुणांक 0.85 से ज्यादा होना चाहिये। ट्राई वेक्टर मीटर वाले उपभोक्ताओं के सन्दर्भ में, यदि, किसी बिलिंग माह में शक्ति गुणांक 0.85 से 0.80 के मध्य है तो मासिक बिल की राशि का (भार-गुणांक छूट सम्मिलित करते हुये) 5 प्रतिशत अधिभार एवं शक्ति गुणांक 0.80 से कम है तो 10 प्रतिशत अधिभार प्रभारित किया जायेगा।

विद्युत वितरण खण्ड, ललितपुर (खण्ड) में देखा गया (मई 2006) कि कार्यपालक अभियन्ता, लिफ्ट इरिगेशन डिवीजन, कानपुर के जखलोन पम्प कैनाल (भार: 4600 केवीए) का बिलिंग माह, जनवरी से जुलाई 2005 तथा नवम्बर 2005 से अप्रैल 2006 के दौरान शक्ति गुणांक 0.77 से 0.79 के मध्य रहा। अत: दर सूची के प्रावधानो के अनुसासर, बिल की धनराशि का 10 प्रतिशत निम्न शक्ति गुणांक अधिभार प्रभारित किया जाना चाहिये था। तथापि खण्ड ने उक्त अवधि के 7.23 करोड़ रुपये के विद्युत प्रभारों (मांग प्रभार जोड़ विद्युत प्रभार) पर कुल 72.29 लाख रुपये का निम्न शक्ति गुणांक अधिभर प्रभारित नही किया।

प्रबन्धन ने बताया (जून 2007) कि 72.29 लाख रुपये के पूरक बिल निर्गत कर दिये गये है (मई 2007), जिनकी वसूली अभी प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2007)।

प्रकरण शासन को अप्रैल 2007 में प्रतिवेदित किया गया; उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2007)।

4.14 राजस्व की हानि

संरक्षित भार के विनिर्दिष्ट करने वाले संशोधित अनुबन्ध के निष्पादन में विफलता के फलस्वरूप कुल 30.26 लाख रुपये की राजस्व हानि हुई।

विद्युत आपूर्ति संहिता-2005 (संहिता) का खण्ड 4.27, 1 दिसम्बर 2004 से प्रभावी दर सूची एचवी-2 के वाक्यांश-14 के साथ पठित यह उपबन्ध करता है कि, अनुज्ञप्तिधारी, अपवादात्मक प्रकरणों में, उन उपभोक्ताओं के साथ अनुबन्ध करके, जिन्होने आपातकालीन रोस्टरिंग के अधीन 24 घण्टे विद्युत उपयोग का विकल्प लिया है तथा जो ग्रिड सब स्टेशन (132 केवी या अधिक) से निकलने वाले 11 केवी के स्वतन्त्र पोषकों के माध्यम से आपूर्ति प्राप्त कर रहें है, को संरक्षित भार* प्रदान कर सकता है। ऐसे उपभोक्ताओं पर अनुबन्धित संरक्षित भार पर सामान्य मांग प्रभारों के अलावा आधार मांग प्रभारों का 100 प्रतिशत अतिरिक्त प्रभार भी प्रतिमाह प्रभारित किया जायेगा।

विद्युत वितरण खण्ड, कासंगज में यह देखा गया (फरवरी 2007) कि, स्टर्लिंग एग्रो इण्डस्ट्रिज (नोवा) लिमिटेड, जो दुग्ध उत्पादों के निर्माता है, 132 केवी सबस्टेशन, कासगंज से निकलने वाले 33 केवी स्वतन्त्र पोषकों के माध्यम से 600 केवीए भार की आपूर्ति प्राप्त कर रहे थे। कच्चे माल तथा निर्मित दुग्ध उत्पादों के अत्यधिक विनाशवान प्रकृति के कारण उपभोक्ता ने निगम से 24 घण्टे अबाधित विद्युत आपूर्ति का अनुरोध किया (मई 2005)। उपभोक्ता के अनुरोध पर निगम ने विद्युत आपूर्ति संहिता के प्रावधानो के अनुरूप, संरक्षित भार प्रदान करने के उद्देश्य से अनुबन्ध को संशोधित करने का निर्णय लिया (अगस्त 2005)। हालांकि यह देखा गया कि, संरक्षित भार निर्दिष्ट करने वाले संशोधित अनुबन्ध का निष्पादन किये बगैर ही कम्पनी ने उपभोक्ता को 24 घण्टे अबाधित विद्युत आपूर्ति की स्वीकृति दे दी। अत: दर सूची (एचवी-4 - मद-14) के उपबन्धो के अनुरूप संरक्षित भार के लिये बिल निर्गत नही किये जा सकते थे। पुन: उपभोक्ता का भार 600 केवीए से बढ़ाकर 1000 केवीए कर दिया गया (अगस्त 2006) परन्तु 1000 केवीए के लिये निष्पादित अनुबन्ध में संरक्षित भार के सम्बन्ध में कोई खण्ड नही था (अगस्त 2006)। परिणामस्वरूप, कम्पनी अगस्त 2005 से जून 2007 की अवधि के लिये संरक्षित भार के लिये बिल निर्गत नही कर सकी। इस प्रकार, संरक्षित भार के लिये अनुबन्ध निष्पादित करने मे विफलता के कारण अगस्त 2005 से जून 2007 की अवधि में निगम को 30.26 लाख रुपये राजस्व की हानि हुई।

प्रबन्धन ने बताया (अक्टूबर 2007) कि, अगस्त 2005 से अगस्त 2007 की अवधि हेतु 33.26 लाख रुपये का बिल संरक्षित भार के लिये निर्गत किया जा चुका है एवं उपभोक्ता को संरक्षित भार के लिये अनुबन्ध निष्पादित करने के लिये कहा गया है।

* संरक्षित भार से तात्पर्य सामान्य रोस्टरिंग के अधीन न आने वाले भार से है।

प्रकरण शासन को अप्रैल 2007 में प्रतिवेदित किया गया; उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2007)।

4.15 राजस्व का अल्प-निर्धारण

गलत दर के प्रयोग के कारण कम्पनी को कुल 1.53 करोड़ रुपये की राजस्व की हानि हुई।

1 दिसम्बर 2004 से प्रभावी, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड की दर सूची एचवी-4, जो 100 बीएचपी (75 किलोवाट) से ज्यादा भार वाले मध्यम एवं बड़े पम्प कैनालों पर लागू है, उपबन्ध करता है कि, 11 केवी से आपूर्ति प्राप्त करने वाले उपभोक्ताओं की मांग प्रभारों के लिये बिलिंग, अधिकतम वास्तविक मांग या संयोजित भार के 75 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, पर 180 रुपये प्रति केवीए प्रतिमाह की दर से की जायेगी तथा 3.50 रुपये प्रति केवीएएच की दर से उर्जा प्रभार लिया जायेगा।

विद्युत वितरण खण्ड, अकबरपुर, कानपुर देहात मे यह देखा गया (जुलाई 2006) कि अमरहाट पम्प कैनाल, जिसका अनुबन्धित भार 2000 बीएचपी (1667 केवीए) है, को आपूर्ति 11 केवी के स्वतन्त्र पोषकों के माध्यम से दी जा रही थी। पम्प कैनाल के द्वारा उपभोग कही गई उर्जा का अभिलेखन कैनाल के बर्हिगामी पोषक पर अवस्थित उर्जा मीटर द्वारा किया जाता था। तदनुसार, उपभोक्ता की बिलिंग दर सूची एचवी-4 के अनुसार होनी चाहिये थी (180 रुपये प्रति केवीए प्रति माह की दर से मांग प्रभार और 3.50 रुपये प्रति केवीएएच की दर से उर्जा प्रभार)। परन्तु खण्ड ने उपभोक्ता की बिलिंग दर-सूची एलएमवी-8 के अनुसार अर्थात 500 रुपये प्रति बीएचपी की दर से (अमीटरीकृत उपभोक्ताओं पर लागू) 1395 बीएचपी पर की एवं दिसम्बर 2004 से जून 2006 की अवधि के लिये, अपेक्षित दर सूची एचवी-4 के अनुसार, 2.86 करोड़ रुपये* के बजाय 1.33 करोड़ रुपये की बिलिंग की। इसके फलस्वरूप 1.53 करोड़ रुपये के राजस्व का अल्प निर्धारण हुआ।

प्रबन्धन ने बताया (अक्टूबर 2007) कि दर सूची एचवी-4 के अनुरूप दिसम्बर 2004 से जून 2007 की अवधि के लिये 2.61 करोड़ रुपये का बिल निर्गत किया जा चुका है, जिनकी वसूली अभी प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2007)।

प्रकरण शासन को अप्रैल 2007 में प्रतिवेदित किया गया; उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2007)।

4.16 अनियमित भार-गुणांक छूट

कम्पनी ने भारी शक्ति उपभोक्ताओं को 70.33 लाख रुपये की अनियमित भार-गुणांक छूट प्रदान की।

औद्योगिक तथा/या आर्क/अधिष्ठापन भट्ठी समेत प्रवर्धन उद्योगो में लगे, 75 किलोवाट से अधिक अनुबन्धित भार वाले बड़े एवं भारी विद्युत उपभोक्ताओं को लागू दर सूची एचवी-2 (दिसम्बर 2004) के वाक्यांश 10(ii) के अनुसार, निर्धारित केवीएएच प्रति केवीए (अंकित अधिकतम मांग का) के ऊपर किसी अधिक खपत

* 2.29 करोड़ रुपये उर्जा प्रभार और 36 लाख रुपये मांग प्रभार तथा 21 लाख रुपये न्यूनतम उपभोग गारण्टी।

के लिये ऊर्जा प्रभार पर इस खपत के 7.5 से 15 प्रतिशत तक श्रेणीबद्ध भार गुणांक छूट प्रदान की जाती है। ऐसे उपभोक्ता जिन पर कोई धनराशि बकाया है, इस छूट के पात्र नही है। ऐसे मामलों जिनमे उपभोक्ता ने बकाये की वसूली के विरुद्ध न्यायालय या किसी अन्य वैधानिक प्राधिकारी से स्थगन आदेश प्राप्त किया है, बिल की राशि पर पात्र भार गुणांक छूट की राशि उपभोक्ता के खाते में जमा होगी लेकिन यह छूट केवल सम्बन्धित विवाद के न्यायालय या वैधानिक प्राधिकारी द्वारा अंतिम रूप से निर्णय दिये जाने के बाद देय होगी। पुनः, सूची 11(i) के अनुसार, यदि उपभोक्ताा बकाया राशि का भुगतान नही करता तो अनुज्ञप्तिधारक को दोषी उपभोक्ता की आपूर्ति विच्छेदित करने समेत विधि द्वारा प्रदत्त कोई अन्य कार्यवाही करने का अधिकार होगा।

विद्युत वितरण खण्डँ, हमीरपुर मे यह देखा गया (अगस्त 2006) कि, अधिष्ठापन भठ्ठी के लिये 8200 केवीए अनुबन्धित भार वाले एक उपभोक्ता (रिम-झिम इस्पात लिमिटेड) ने माननीय उच्च न्यायालय में, बुन्देलखण्ड विकास छूट के अधीन छूट के लिये वाद प्रस्तुत किया था (फरवरी 1999), जिसका निर्णय अभी लम्बित है (अक्टूबर 2007)। हांलाकि, न्यायालय ने अन्तरिम आदेश में, वास्तविक रूप से उपभोग की गई विद्युत के प्रचलित दरों पर मूल्य का 50 प्रतिशत भुगतान करने से राहत दे दी थी (फरवरी 1999)। तथापि, उपभोक्ता न्यायालय के आदेश का पालन करने मे असफल रहा तथा विद्युत बिलों के भुगतान में त्रुटि करता रहा जिसके परिणामस्वरूप मार्च 2005 के अन्त तक बकाया राशि 8.45 करोड़ रुपये हो गयी। तद्नुसार दर सूची एचवी-2 के उपबन्धों के अनुरूप, उपभोक्ता जो श्रेणीबद्ध भार-गुणांक (7.5 प्रतिशत से 15 प्रतिशत के मध्य) छूट का पात्र था परन्तु उसे मासिक ऊर्जा बिलों पर श्रेणीबद्ध भार-गुणांक छूट की जमा नही दी जानी चाहिये थी एवं त्रुटिकर्ता उपभोक्ता की आपूर्ति विच्छेदित कर दी जानी चाहिये थी। तथापि यह देखा गया कि खण्डीय अधिकारी ने बकाये के संचयन एवं न्यायालय के लम्बित निर्णय के बावजूद उपभोक्ता के मासिक बिलों पर अगस्त 2005 से फरवरी 2007 की अवधि मे 70.33 लाख रुपये श्रेणीबद्ध भार-गुणांक छूट के रूप में अनुमति दी तथा उपभोक्ता की आपूर्ति विच्छेदित नही की।

प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 2007) कि अप्रैल 2007 में 70.33 लाख रुपये की बिल निर्गत किया गया है, जिसकी वसूली अभी प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2007)।

प्रकरण शासन को अप्रैल 2007 में प्रतिवेदित किया गया; उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2007)।

4.17 पावर फैक्टर सुधार अधिभार का अल्प-प्रभारण

राजकीय ट्यूबबेलों एवं विश्व बैंक ट्यूबबेलों के प्रति पावर फैक्टर सुधार अधिभार के अल्प-प्रभारण के फलस्वरूप कम्पनी को 23.22 लाख रुपये की राजस्व की हानि हुई।

1 दिसम्बर 2004 से प्रभावी दर सूची एलएमवी-8 का खण्ड 10 (iii) जो राजकीय ट्यूबबेलों/विश्व बैंक ट्यूबबेलों एवं पम्प कैनालो पर लागू है, उपबन्ध कहता है कि स्टेटिक ट्राई वेक्टर मीटर रहित उपभोक्ताओं के प्रकरण में, यदि,

उचित वर्ग के कैपेसिटर्स गायब या निष्क्रिय पाये जाते हैं तो ऊर्जा बिल की राशि का 10 प्रतिशत, पावर फैक्टर सुधार अधिभार प्रभारित किया जायेगा।

विद्युत वितरण खण्ड, कासंगज (खण्ड) में यह देखा गया (फरवरी 2007) कि, 5125 संयोजित भार वाले दो राजकीय ट्यूबबेल/विश्व बैंक ट्यूबबेल उपभोक्ता बिना स्टेटिक ट्राई वेक्टर मीटर के आपूर्ति प्राप्त कर रहे थे तथा जिनकी बिलिंग दर सूची एलएमवी-8 के अधीन होती थी। तदनुरूप, दर सूची के प्रावधानों के अनुसार, उन पर बिल की राशि का 10 प्रतिशत अधिभार पावर फैक्टर सुधार के लिये प्रभारित किया जाना चाहिये था।

लेखा परीक्षा ने देखा कि खण्ड ने जनवरी 2005 से मार्च 2006 की अवधि के लिये, 10 प्रतिशत की बजाय बिल की राशि का 2.95 से 5 प्रतिशत पावर फैक्टर सुधार अधिभार के रूप मे प्रभारित किया जिसके परिणामस्वरूप 23.33 लाख रुपये पावर फैक्टर सुधार अधिभार के रूप मे अल्पप्रभारित किया गया एवं इस सीमा तक कम्पनी को राजस्व की हानि वहन करनी पड़ी जिसका विवरण निम्न है:

(लाख रुपये में)

क्रम संख्या	उपभोक्ता का नाम	कुल भार (बीएचपी में)	बिल की राशि 500 रुपये प्रति माह प्रति बीएचपी की दर से (1/05 से 3/06 तक)	अधिभार की राशि जो बिल की राशि पर 10 प्रतिशत की दर से प्रभारित की जानी थी	बिलों पर प्रभारित अधिभार की राशि	अधिभार अल्प प्रभारण
1.	कार्यपालक अभियन्ता, ट्यूबवेल खण्ड, अलीगढ़	2602.50	195.19	19.52	5.76	13.76
2.	कार्यपालक अभियन्ता, ट्यूबवेल खण्ड, एटा	2522.50	189.19	18.92	9.46	9.46
	योग	5125.00	384.38	38.44	15.22	23.22

प्रबन्धन ने बताया (सितम्बर 2007) कि खण्डीय अधिकारी ने अधिभार में अन्तर की राशि का बिल निर्गत (मई 2007) कर दिया है, जिसकी वसूली अभी प्रतीक्षित है (सितम्बर 2007)।

प्रकरण शासन को मई 2007 में प्रतिवेदित किया गया; उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2007)।

4.18 राजस्व का अल्प निर्धारण

विद्युत चोरी के विरुद्ध राजस्व के अल्प निर्धारण के कारण कम्पनी को कुल 10.68 लाख रुपये राजस्व की हानि हुई।

विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के अनुसार, यदि किसी उपकरण या विधि द्वारा विद्युत करेण्ट के शुद्धतापूर्वक या सही पंजीयन या मीटरिंग में बाधा पहुँचायी जाती है या अन्यथा, जिसके परिणामस्वरूप विद्युत की चोरी या क्षति होती है तो ऐसा उपभोक्ता कारावास या अर्थदण्ड या दोनो से दण्डित होगा। 18 फरवरी 2005 से प्रभावी, उत्तर प्रदेश विद्युत आपूर्ति संहिता 2005 (वितरण संहिता), विद्युत चोरी के निर्धारण के सम्बन्ध में उपबन्ध करती है कि, ऐसे उपभोक्ता पर निरीक्षण की तिथि के एक माह के अन्दर, एलएफएचडी* सूत्र से संगणित विद्युत यूनिट पर, लागू शुल्क दरों के तीन गुना दर से अर्थदण्ड निर्धारित किया जायेगा।

* एल = भार (किलोवाट में), एफ = गुणांक, एच = अवधि के दौरान औसत आपूर्ति घण्टे, डी = दिन।

यह देखा गया (जनवरी 2007) कि, विद्युत वितरण खण्ड- II, मथुरा के छापा दल द्वारा एक बड़े एवं भारी शक्ति उपभोक्ता (भार 129 केवीए) के मकान पर छापा डाला गया एवं औद्योगिक उपभोक्ता द्वारा विद्युत की चोरी पकड़ी गयी (फरवरी 2006)। खण्ड ने एफआईआर दर्ज कराया (फरवरी 2006) परन्तु केवीएएच में यूनिट की गणना के लिये गलत परिवर्तन गुणांक के प्रयोग के साथ ही पूर्व विद्युत उपभोग का गलत समायोजन करने के कारण, चोरी के दौरान उपभोग की गई उर्जा के सही निर्धारण में असफल रहा एवं 47.59 लाख रुपये के स्थान पर 36.91 लाख रुपये का बिल जारी किया हुआ। इसके कारण 10.68 लाख रुपये राजस्व का अल्प निर्धारण हुआ।

प्रबन्धन ने बताया (सितम्बर 2007) कि केवीएएच की गणना के लिए सही परिवर्तन गुणांक को ध्यान मे रखते हुये, 47.75 लाख रुपये का निर्धारण किया गया एवं बिल निर्गत किया गया (अप्रैल 2007) तथा आरसी भी निर्गत हुई (अगस्त 2007), जिसकी वसूली अभी प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2007)।

प्रकरण शासन को मई 2007 में प्रतिवेदित किया गया; उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2007)।

4.19 उपभोक्ता को अनुचित लाभ

देयों की वसूली के लिये समुचित उपाय कर पाने मे कम्पनी की विफलता के फलस्वरूप विद्युत प्रभारों के प्रति 24.47 लाख रुपये के देयों का संचयन हुआ।

उत्तर प्रदेश विद्युत आपूर्ति संहिता 2002 का वाक्यांश 4.66.1 (अ) उपबन्ध करता है कि यदि उपभोक्ताा द्वारा बिल पर अंकित भुगतान की देय तिथि तक विद्युत बिलों का भुगतान नही किया जाता तो भुगतान की देय तिथि के सात दिन पश्चात् आपूर्ति विच्छेदित कर दी जायेगी। कोड का वाक्यांश 6.31.1 आगे यह भी उपबन्ध करता है कि बकाया राशि की वसूली के लिये कार्यवाही भू-राजस्व के बकाये की भाँति, उत्तर प्रदेश सरकारी विद्युत उपक्रम (देयो की वसूली) अधिनियम 1958 की धारा 5 के अनुसार की जायेगी। संहिता (2005) का वाक्यांश 6.14 यह उपबन्ध करता है कि वसूली योग्य देयों की प्रथम किश्त, कुल धनराशि के 40 प्रतिशत से कम नही होगी। यदि किश्तो की राशि 0.10 लाख रुपये से ज्यादा होती है तो उपभोक्ता को किश्तों की धनराशि पूर्वदिनांकित चेकों के रूप में जमा करनी होगी।

विद्युत वितरण खण्ड- I, इटावा में यह देखा गया कि, 71.254 एचपी अनुबन्धित भार वाला एक संयोजन 'स्वीट प्लास्टिक पाइप' (एलएमवी-6 उपभोक्ता 'लघु एवं मध्यम विद्युत') के पक्ष में जारी किया गया (जून 1999)। उपभोक्ता संयोजन की तिथि से ही मासिक विद्युत बिलों के भुगतान में त्रुटि करता रहा। उपभोक्ता द्वारा विद्युत बिलों के भुगतान में त्रुटि जारी रहने के फलस्वरूप विद्युत देय 18.36 लाख रुपये हो गये (मार्च 2003)। लेखा परीक्षा द्वारा इंगित करने (दिसम्बर 2003) के बावजूद खण्ड द्वारा विद्युत आपूर्ति के विच्छेदन के लिये कोई कार्यवाही नही की गयी। विच्छेदन के बजाय, कम्पनी ने संहिता 2002 के वाक्यांश 4.66.1 (अ) का उल्लंघन करते हुये, उपभोक्ता को उसी माह 2 लाख रुपये भुगतान करने पर, देयों

को 4.09 लाख रुपये की चार किश्तों में भुगतान की सुविधा दी (मई 2003)। तथापि, उपभोक्ता ने शर्तो का पालन नही किया एवं कुल देय बढ़कर 25.91 लाख रुपये हो गये (मार्च 2004), जब कम्पनी ने विद्युत आपूर्ति स्थायी रूप में विच्छेदित कर दी (31 मार्च 2004)। आगे यह देखा गया कि, 2.50 लाख रुपये की वसूली के पश्चात् कम्पनी ने, उत्तर प्रदेश सरकारी विद्युत उपक्रम (देयों की वसूली) अधिनियम की धारा-5 के अधीन जारी नोटिसें वापस ले ली (26 मई 2007) तथा संहिता 2005 के उपबन्धो का पुन: उल्लंघन कर, विद्युत देयो का भुगतान 5,85,204.50 रुपये प्रति (23.41 लाख रुपये का 25 प्रतिशत) की चार किश्तों में करने की सुविधा प्रदान की।

इस प्रकार, संहिता के उपबन्धो के अनुरूप कम्पनी समय से विद्युत आपूर्ति विच्छेदित करने मे असफल रही तथा भुगतान के लिये किश्त सुविधा दो बार (मई 2003 एवं मई 2007) प्रदान कर उपभोक्ता को अनुचित लाभ किया।

प्रबन्धन ने बताया (सितम्बर 2007) कि 23.41 लाख रुपये के कुल अदत्त देयो के विरुद्ध उपभोक्ता से 5.85 लाख रुपये की वसूली की जा चुकी है (जुलाई 2007) तथा 17.56 लाख रुपये की वसूली लम्बित है (अक्टूबर 2007)।

प्रकरण शासन को जून 2007 मे प्रतिवेदित किया गया; उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2007)।

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

4.20 अंशदायी भविष्य निधि को अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश न किया जाना

भविष्य निधि अंशदान को अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश न करने के फलस्वरूप 17.65 लाख रुपये के ब्याज की हानि हुई।

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) द्वारा अंगीकृत अंशदायी भविष्य निधि नियम 2004 के खण्ड-14 के अनुसार, यूपीपीसीएल द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अधीन निधि को प्राप्त सभी धनराशियाँ, शीघ्रतापूर्वक वसूली वाले माह के अन्त तक निवेशित कर दी जायेगी। निवेश, भारतीय न्यास अधिनियम 1882 (1882 का II) की धारा 20 के खण्ड (क) से (घ) तक में निर्दिष्ट प्रतिभूतियों में या समय-समय पर इस निमित्त अनुमोदित प्रतिभूतियों में किया जायेगा। भारत सरकार के वित्त एवं कम्पनी मामलो के मन्त्रालय ने 6 मार्च 2003 को अधिसूचना द्वारा सभी गैर सरकारी भविष्य निधि न्यासों को अपने निधि का 25 प्रतिशत केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों में, 15 प्रतिशत सेबी द्वारा अनुमोदित सरकारी प्रतिभूतियों में, 30 प्रतिशत सार्वजनिक क्षेत्र के बैको सहित सार्वजनिक वित्त संस्थानो के बंध पत्रों/प्रतिभूतियों में तथा 30 प्रतिशत उक्त तीन श्रेणियों मे से किसी भी श्रेणी में निवेश करने का निर्देश दिया।

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन अंशदायी भविष्य निधि-न्यास (न्यास) की लेखा परीक्षा में देखा गया (मई 2007) कि, न्यास ने, अभिदानकर्ताओं के अंशदान का विहित प्रतिभूतियों में निवेश नहीं किया। इसने उक्त राशि को 3.5 प्रतिशत ब्याज दर पर बचत बैंक खाते मे रखा। वर्ष 2005 तथा 2006 के दौरान किसान विकासपत्र (केन्द्र सरकार प्रतिभूति) पर ब्याज दर 8 प्रतिशत थी। इस प्रकार की

विभेदात्मक ब्याज दर के आधार पर संगणित (किसान विकास पत्र पर 8 प्रतिशत घटाया बचत बैंक खाते पर 3.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष) मार्च 2005 सें मार्च 2007 की अवधि के लिये 17.65 लाख रुपये की ब्याज हानि हुई।

प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 2007) कि न्यास का पंजीयक के पास पंजीकरण 26 मई 2006 को हुआ था। चूँकि न्यास का विधिवत पंजीरण नही हुआ था अत: विधि के अनुसार इसके नाम से निवेश नही किया जा सकता था। उत्तर स्वीकार्य नही है क्योंकि भारत सरकार के निर्देशों (मार्च 2003) के अनुरूप, उक्त धनराशि को बचत खाते मे रखने के बजाय यूपीपीसीएल को स्वयं के नाम से केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश करना चाहिये था।

प्रकरण शासन को जून 2007 में प्रतिवेदित किया गया; उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2007)।

सांविधिक निगम

उत्तर प्रदेश वित्त निगम

4.21 ब्याज की हानि

आईडीबीआई को ब्याज रहित किस्तों के अग्रिम भुगतान के फलस्वरूप निगम को 54.43 लाख रुपये की ब्याज आय की हानि उठानी पड़ी।

निगम के पास भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई) के पुर्नवित्त देयताओं के प्रति 31 मार्च 2005 को 55.43 करोड़ रुपये (मूल: 35.59 करोड़ रुपये तथा ब्याज 19.84 करोड़ रुपये) अदत्त दायित्व के रूप में बकाया थे। तथापि, आईडीबीआई नें निगम की खराब आर्थिक स्थिति के कारण कुल अदत्त पुर्नवित्त देयताओं 35.59 करोड़ रुपये को (दिसम्बर 2005) समाधानित किया।

यह देखा गया कि, विमर्शित समझौते के उपबन्ध एवं शर्तो के अनुसार अदत्त धनराशि 98.85 लाख रुपये प्रति की 36 मासिक किश्तों मे, 1 फरवरी 2006 से प्रारम्भ करते हुए, देय थी। पुन: लेटर आफ इन्टेन्ट की तिथि (23 दिसम्बर 2005) से 12 माह के पश्चात् अवशेष निस्तारित धनराशि पर 10.25 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज, जो मासिक अवशेष राशि पर संगणित होगा, देय था। पुन:, निगम ने प्रथम 98.85 लाख रुपये की तीन ब्याज रहित किश्तें समय से भुगतान की एवं तत्पश्चात् अदत्त धनराशि के सापेक्ष 20 करोड़ रुपये आंशिक भुगतान के रूप में एक मुश्त आईडीबीआई को (अप्रैल 2006) भुगतान किये। इस प्रकार, निगम ने ब्याज मुक्त अवधि (दिसम्बर 2006 तक) को ध्यान में न रखते हुये 20 करोड़ रुपये के अग्रिम भुगतान (अप्रैल 2006) किया और मई से दिसम्बर 2006 तक ब्याज मुक्त अवधि के लिए कुल 54.43 लाख रुपये के ब्याज आय की हानि (बैंक द्वारा अल्पकालिक स्थायी जमा पर देय 5.25 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज दर पर संगणित की गयी) उठाई जिसे टाला जा सकता था, यदि ब्याज मुक्त अवधि में आंशिक देयता का अग्रिम एक मुश्त भुगतान न कर, उपलब्ध अधिक्य निधियों को अनुसूचित बैंकों के स्थायी जमाओं में विनियोग कर दिया जाता।

सरकार ने बताया (जून 2007) कि 31 मार्च 2006 को भारी नगद एवं शेषों के कारण अग्रिम भुगतान किया गया। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि निगम ब्याज मुक्त अवधि में किये गये अग्रिम भुगतान की धनराशि का विनियोग कर ब्याज अर्जन कर सकती थी।

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

4.22 आवंटी को अनुचित लाभ

परिषद ने 17.65 लाख रुपये के देयों की वसूली न कर एवं सम्पत्ति से बेदखल न करने के कारण आवंटियों को अनुचित लाभ पहुँचाया।

उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद ने, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद अधिनियम 1965 (अधिनियम) की धारा 95 उपधारा 2 के उपबन्ध (ई) के अधीन 'भूखण्ड तथा भवनों के पंजीकरण एवं प्रदेशन संबंधी - 1979 (जून 1986 तक यथा संशोधित) (विनियम) की रचना की। विनियम के नियम 17 के अनुसार, परिषद के अधीन योजनाओं के भूखण्डों एवं भवनों का आवंटन नगद/अर्द्धनगद या किश्त आधार पर होगा। पुन: विनियम के नियम 28(2) के अनुसार, किस्त आधार पर आवंटन की दशा में प्रथम किश्त के साथ एक एकमुश्त धनराशि (भवन की श्रेणी कोटि के अनुरूप) का भुगतान किया जाना है एवं उक्त धनराशि के प्रथम किश्त के साथ प्राप्त होने तथा आवंटी के साथ एक अनुबन्ध (किराया किस्त क्रय किरायेदारी का अनुबन्ध) करने के पश्चात् ही सम्पत्ति का कब्जा दिया जा सकता है। अनुबन्ध के उपबन्ध 2 के अनुसार, तीन से ज्यादा किस्तों के लगातार भुगतान में दोषी होने पर किरायेदारी समाप्त हो जायेगी एवं क्रेता को सम्पत्ति से बेदखल कर दिया जायेगा एवं कुल अदत्त देय को वसूली प्रमाण पत्रों के माध्यम से जिला प्रशासन द्वारा वसूल किया जायेगा।

सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय (विकास नगर, लखनऊ) के अभिलेखों की जॉच में यह ज्ञात हुआ कि परिषद ने 6.63 लाख रुपये लागत का एक मध्यम आय वर्ग भवन एक आंवटी को आवंटित किया। आवंटी को निर्गमित आवंटन पत्र के अनुसार 0.67 लाख रुपये का एक मुश्त एवं शेष राशि का तीन चरणों यथा, प्रथम चरण में 1.22 लाख रुपये, 31 दिसम्बर 1998 तक, द्वितीय चरण में 1.19 लाख रुपये 28 फरवरी 1999 तक एवं तृतीय चरण में 4.17 लाख रुपये 24 त्रैमासिक किश्तों में जिसमें प्रथम किश्त 0.29 लाख की होगी जो 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज के साथ 1 मार्च 1999 को या उसके पूर्व देय होगा, भुगतान करनी थी। परिषद ने 0.64 लाख रुपये प्राप्त होने के पश्चात् आवंटी के साथ अनुबन्ध निष्पादित किया (दिसम्बर 1998) तथा भवन का कब्जा आवंटी को दे दिया (दिसम्बर 1998)। यह देखा गया कि इसके पश्चात् न तो आवंटी ने कोई भुगतान किया न ही विनियम के प्रावधानों के अनुरूप, जनवरी 2007 तक परिषद ने आवंटी को भवन के अधिकार से बेदखल किया। इसके परिणामस्वरूप कुल संचयी देय 17.65 लाख रुपये हो गये। परिषद ने देयों के निस्तारण के लिये एक मुश्त समाधान योजना का प्रस्ताव किया (नवम्बर 2003 एवं अगस्त 2006) जिसे आवंटी ने स्वीकार नहीं किया।

इस प्रकार, विनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करके, परिषद नें, प्रथम किश्त तक की प्रारम्भिक राशि (1.89 लाख रुपये) वसूल किये बिना ही सम्पत्ति का कब्जा देकर एवं अनुबन्ध के प्रावधानों के अनुरूप सम्पत्ति से बेदखल न करके, आवंटी को अनुचित लाभ पहुँचाया। 17.65 लाख रुपये के देयों की वसूली के लिये कोई भी वसूली प्रमाण पत्र निर्गमित नहीं किया गया (अक्टूबर 2007)

प्रकरण शासन/प्रबन्धन को प्रतिवेदित किया (मई 2007); उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2007)।

4.23 परिहार्य व्यय

स्थानीय प्राधिकारी को पार्क का हस्तांतरण न करने के फलस्वरूप परिषद को पार्क के रखरखाव पर 15.54 लाख रुपये का व्यय करना पड़ा।

उ0प्र0 आवास विकास परिषद अधिनियम 1965 (अधिनियम) की धारा 41 (2) के अनुसार, परिषद द्वारा किसी आवासीय या सुधार योजना के अधीन संवातन या मनोरंजन प्रयोजन के लिए यदि कोई मुक्त स्थान का प्रावधान किया जाता है तो इसे इसकी समाप्ति के पश्चात् बोर्ड के संकल्प की सूचना के द्वारा स्थानीय प्राधिकारियों को हस्तान्तरित कर दिया जायेगा। निर्माण खण्ड-15, लखनऊ के अभिलेखों के निरीक्षण में यह पाया गया कि परिषद लखनऊ में वृदांवन योजना-2, चरण-1 के निर्माण एवं विकास कार्यो में संलग्न थी जो मार्च 2004 में समाप्त हुई। योजना के अन्तर्गत कालिन्दी पार्क नाम के एक पार्क का विकास किया गया जो जनता के लिये अप्रैल 2003 में खोल दिया गया । पुन: यह पाया गया कि परिषद ने पार्क को स्थानीय प्राधिकारी अर्थात् नगर निगम, लखनऊ को हस्तान्तरण के लिये कोई कार्यवाही नहीं की एवं पार्क परिषद के पास ही रहा (अप्रैल 2007)। इसके अलावा परिषद ने पार्क के रखरखाव के लिये (जनवरी 2007 तक) इससे प्राप्त 2.23 लाख रुपये की आय के सापेक्ष 17.77 लाख रुपये का व्यय किया। इस प्रकार, परिषद द्वारा नगर निगम को उक्त पार्क के हस्तांतरण न करने के फलस्वरूप 15.54 लाख रुपये का रखरखाव संबंधी परिहार्य व्यय करना पड़ा।

प्रबन्धन ने बताया (मई 2007) कि योजना के नगर निगम के हस्तान्तरण के साथ ही पार्क का भी स्वमेव हस्तान्तरण हो जायेगा। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योकि पूर्व में, परिषद ने इसकी विभिन्न योजनाओं में कई पार्को का अन्तरण, स्थानीय प्राधिकारियों को अलग से किया है।

प्रकरण शासन को मई 2007 में प्रतिवेदित किया; उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2007)।

4.24 परिवर्तकों की ऊँचे मूल्यों पर खरीद के फलस्वरूप हानि

दरों की तर्कपूर्णता सुनिश्चित किये बिना परिवर्तकों की खरीद पर परिषद नें 28.10 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय किया।

परिषद शक्ति परिवर्तकों की खरीद के संदर्भ में, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) की यथा संशोधित दरसूची एवं विशिष्टियों का पालन करता है। यह देखा गया कि परिषद नें यूपीपीसीएल की 2005-06 के लिये प्रभावी

विशिष्टियों के अनुरूप निविदायें आमंत्रित करते हुए 5 एमबीए क्षमता के 5 शक्ति परिवर्तक 33/11 केवी विद्युत उपकेन्द्र आम्रपाली योजना लखनऊ (2 नग) एवं केशवपुरम् कानपुर (3 नग) पर स्थापना हेतु खरीदे गये। आम्रपाली योजना, लखनऊ एवं केशवपुरम् कानपुर के 33/11 के वी सब स्टेशन के लिये 5 शक्ति परिवर्तकों (क्रमश: 2 एवं 3) कि खरीद के लिये परिषद को पूर्तिकर्ता ने सभी करों एवं भारों सहित 21 लाख रुपये प्रति परिवर्तक के हिसाब से स्थिर दर उद्धरित की। इसके आगे यह देखा गया कि यूपीपीसीएल ने इसी अवधि में इसी प्रकार के परिवर्तकों की खरीद 15.38 लाख रुपये प्रति परिवर्तक (सभी करों एवं भारों सहित) के हिसाब से की। इस प्रकार यूपीपीसीएल की दरों को संज्ञान में लिये बिना ही परिवर्तकों की खरीद के फलस्वरूप परिषद ने 28.10 लख रुपये का अतिरिक्त व्यय किया।

प्रबन्धन ने बताया (जुलाई 2007), परिषद सदैव यह प्रयास करती है की क्रय दर यूपीपीसीएल की उस अवधि के दौरान प्रभावी क्रय दरों के समान ही हो परन्तु उक्त प्रकरण में, दरों की तुलना इसलिये संभव नहीं हो सकी क्योंकि उक्त क्रय की अवधि में यूपीपीसीएल द्वारा कोई निविदा स्वीकृत नहीं हुयी थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि मार्च 2005-06 में परिवर्तकों की आपूर्ति प्राप्त की थी।

प्रकरण शासन को जून 2007 में प्रतिवेदित किया; उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2007)।

उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम

4.25 विक्रय मूल्य प्राप्त किये बिना ही भूमि का अन्तरण

3.92 करोड़ रुपये का विक्रय मूल्य प्राप्त किये बिना ही, परिवहन विभाग, अलीगढ़ को भूमि का अन्तरण करने के फलस्वरूप निगम को भूमि के स्वामित्व एवं कब्जे की हानि वहन करनी पड़ी।

निगम ने अलीगढ़ में, बस स्टैन्ड, क्षेत्रीय एवं डिपो कार्यशालाओं, क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय एवं आवासीय फ्लैट्स के निर्माण के उद्देश्य से 33.93 लाख रुपये मूल्य की 24.09 एकड़ भूमि अर्जित (1987) की। परिवहन आयुक्त ने क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, अलीगढ़ के कार्यालय भवन के निर्माण के लिये निगम के पास उपलब्ध भूमि में से 2 एकड़ जमीन की जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित दरों पर निगम से बिक्री का अनुरोध किया।

प्रबन्ध निदेशक द्वारा गठित निगम की एक कमेटी बिना निदेशक मंडल की सहमति प्राप्त किये हुये, भूमि को डीएम सर्किल दरों पर बिक्री के लिये सहमत हो गयी (फरवरी 2004)। निगम ने बिना विक्रय मूल्य प्राप्त किये हुये 2.5 एकड़ (9790.38 वर्गमी0) भूमि जिसका मूल्य 3.92 करोड़ रुपये (डीएम सर्किल दर 4000 रुपये प्रति वर्गमी0 के हिसाब से) था, का भौतिक कब्जा परिवहन आयुक्त को हस्तान्तरित (मार्च 2006) कर दिया। जबकि राज्य सरकार ने केवल 8000 वर्गमी0 भूमि के क्रय के लिये 3.20 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति दी थी (अप्रैल 2006) जो बाद में राज्य सरकार द्वारा रद्द कर दी गयी (नवम्बर 2006)। निगम ने बिना मूल्य प्राप्ति ही भूमि का अन्तरण कर दिया एवं भुगतान के लिये प्रकरण

परिवहन आयुक्त को विलम्ब से भेजा (अप्रैल 2007) परन्तु भुगतान अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 2007)। इस प्रकार मूल्य प्राप्त किये बिना भूमि के अन्तरण के फलस्वरूप निगम को 3.92 करोड़ रुपये की हानि उठानी पडी।

शासन ने बताया (सितम्बर 2007) कि लेखा परीक्षा द्वारा इंगित हानि न्यायसंगत नहीं है क्योकि निगम एक सरकारी निकाय है एवं भूमि का अन्तरण राज्य सरकार के निर्देशों के अनुरूप किया गया है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि निगम ने विक्रय मूल्य प्राप्त किये बिना भूमि का अन्तरण कर दिया जिसकी प्रतिपूर्ति शासन द्वारा नहीं की गयी।

4.26 परिहार्य व्यय

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को कर्मचारी भविष्य निधि अशंदान जमा करने में विलम्ब के फलस्वरूप निगम को 1.28 करोड़ रुपये का परिहार्य व्यय करना पड़ा।

कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम 1952 (अधिनियम) के प्रावधानो के अनुसार, प्रत्येक माह की समाप्ति के पंद्रह दिन के भीतर नियोक्ता को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (आरपीएफसी) के पास कर्मचारियों के मासिक अंशदान तथा स्वयं के अशंदान को जमा करना अपेक्षित है, इसमे असफल होने की दशा मे 17 से 37 प्रतिशत तक ब्याज या क्षतिपूर्ति का भुगतान अपेक्षित है।

31 मार्च 2001 को समाप्त वर्ष के लिये उत्तर प्रदेश सरकार पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) के प्रस्तर 4ब.2 मे कर्मचारी भविष्य निधि में विलम्ब जमा के कारण क्षतिपूर्ति के भुगतान का उल्लेख होने के पश्चात् भी, प्रबन्धन द्वारा कोई सुधारात्मक कार्यवाही नहीं की गयी। निगम के अभिलेखों के निरीक्षण से ज्ञात हुआ (जुलाई 2006) कि निगम के वाराणसी एवं फैजाबाद परिक्षेत्रों ने मार्च 2000 से जुलाई 2003 की अवधि में कर्मचारी एवं स्वयं के अंशदान निर्धारित समय से जमा नही किये एवं इन्हें स्वयं के दैनिक परिचालन आवश्कताओं के लिये उपयोग किया। फलतः आरपीएफसी ने भुगतान में दोषी होने के कारण 1.28 करोड़ रुपये (ब्याज 1.22 करोड़ रुपये एवं क्षतिपूर्ति 6.49 लाख रुपये) प्रभारित किये। आरपीएफसी ने वित्तीय बाध्यताओं के आधार पर क्षतिपूर्ति में छूट देने के प्रबन्धन के अनुरोध को अस्वीकार कर उक्त धनराशि इन परिक्षेत्रों के बैंक खातों को जब्त करके वसूल कर ली। यदि निगम ने भविष्य निधि अंशदान समय पर जमा किया होता तो यह भुगतान परिहार्य हो सकता था।

प्रबन्धन ने बताया (जून 2007) कि निगम, वित्तीय समस्याओं एवं भारी हानियों के कारण भविष्य निधि अंशदान का समय से भुगतान नहीं कर सका। प्रबन्धन का उत्तर स्वीकार्य नही है क्योंकि भविष्य निधि अंशदान का भुगतान एक वैधानिक दायित्व है जिसका सामयिक भुगतान सुनिश्चित किया जाना चाहिये।

प्रकरण शासन को मई 2007 में प्रतिवेदित किया गया; उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2007)।

4.27 अधिक अनुबन्धित भार के फलस्वरूप परिहार्य व्यय

निगम द्वारा विद्युत माँग के पुनः निर्धारण में विफलता के फलस्वरूप विद्युत कम्पनी को 20.82 लाख रुपये का अधिक भुगतान हुआ।

केन्द्रीय कार्यशाला, कानपुर का वर्ष 1947 से अपनी आवश्यकताओं के लिये 300 केवीए का अनुबन्धित भार है। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड के बड़े एवं भारी विद्युत उपभोक्ताओं के लिये लागू दर सूची एचवी-2 के अनुसार, माँग प्रभार अनुबन्धित भार के 75 प्रतिशत या वास्तविक मांग, जोभी अधिक हो, के साथ वास्तविक विद्युत उपभोग पर समय-समय पर निर्धारित दरों के हिसाब से प्रभारित किया जाता है। यदि माँग एवं विद्युत प्रभारों का योग निर्धारित न्यूनतम प्रभारों से कम है तो उपभोक्ता अनुबन्धित भार पर न्यूनतम उपभोग गारण्टी प्रभार देने के लिये भी उत्तरदायी होगा।

यह देखा गया कि 300 केवीए के अनुबन्धित भार के सापेक्ष कार्यशाला की वास्तविक माँग (दिसम्बर 2001 से फरवरी 2007) 76.68 केवीए से 192 केवीए के मध्य (अक्टूबर 2006 एवं दिसम्बर 2006 माह को छोड़कर) रही। इसके परिणामस्वरूप निगम को 225 केवीए (300 केवीए के अनुबन्धित भार का 75 प्रतिशत) पर 9.22 लाख रुपये का मांग प्रभार भुगतान करना पड़ा एवं वास्तविक विद्युत प्रभार के निर्धारित न्यूनतम प्रभारों से कम होने के कारण न्यूनतम उपभोग गारण्टी प्रभार के लिये 11.60 लाख रुपये का भुगतान उक्त अवधि में करना पड़ा। इस प्रकार निगम की माँग को पुनःनिर्धारण मे विफलता के फलस्वरूप 20.82 लाख रुपये (9.22 लाख रुपये + 11.60 लाख रुपये) का अतिरिक्त व्यय करना पड़ा।

प्रकरण शासन एवं प्रबन्धन को जून 2007 में प्रतिवेदित किया; उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2007)।

4.28 अधिक व्यय

बसों के लिये रेडीमेड सीटों की खरीद पर निगम द्वारा 36.10 लाख रुपये अधिक व्यय किया गया।

नये एवं पुराने चेसिसों पर बस बाडी के निर्माण के लिये निगम के पास कानपुर में दो कार्यशालायें (केन्द्रीय कार्यशाला एंव डा0 राम मनोहर लोहिया कार्यशाला) हैं। यह देखा गया कि निगम के निदेशक मण्डल की 159वीं सभा में 700 सेट बस सीटों के निर्माण का निर्णय (जनवरी 2005) लिया। निगम ने सभी सीटों के निर्माण के बजाय निजी पक्षकारों को निविदा आधार पर 431 रेडीमेड सीटो के लिए क्रय आदेश दिया। एक सेट सीट का औसत निविदा मूल्य 0.78 लाख रुपये था। 431 सीटों के सापेक्ष पूर्तिकर्ताओं द्वारा केवल 409 सेट सीटों की आपूर्ति की गयी। शेष 269 सेट सीटें इसकी अपनी कार्यशालाओं में 0.68 लाख रुपये की औसत लागत पर निर्मित की गयी। यह देखा गया कि निगम द्वारा निर्मित सीटो की लागत बाहर से क्रय की गयी रेडीमेड सीटों की तुलना में कम थी। इस प्रकार, स्वयं की क्षमतायुक्त कार्यशालाओं में सीटों के निर्माण की बजाय निजी

पक्षकारों से रेडीमेड सीटों के क्रय में प्रबन्धन के अविवेकपूर्ण निर्णय के फलस्वरूप 36.10 लाख रुपये (विभिन्न प्रकार की सीटों के विभेदीय लागत के आधार पर संगणित) का अधिक व्यय हुआ ।

प्रकरण प्रबन्धन एवं शासन को जून 2007 में प्रतिवेदित किया गया; उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2007)।

4.29 स्टील की खरीद पर अतिरिक्त व्यय

खुले बाजार से ऊँचे मूल्यों पर स्टील के खरीद के फलस्वरूप 15.49 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ।

केन्द्रीय कार्यशाला, कानपुर (कार्यशाला) को स्टील अथारिटी आफ इण्डिया (सेल) द्वारा स्टील आपूर्ति (जीपी शीट, सीआर शीट एवं एचआर शीट) के लिये एक उत्पादन योजना निर्धारित करने के अभिप्राय से निगम ने सेल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर (जुलाई 2005 तथा अप्रैल 2006) किये। समझौता ज्ञापन के शर्त एवं उपबन्धों के अनुसार, आपूर्ति, नियोजन चक्र के अनुरूप की जायेगी एवं सेल द्वारा पूर्ति में अक्षमता की दशा में, बैकलाग की पूर्ति, अगले माह के अन्त तक, प्रभावी मूल्यों पर की जायेगी।

यह देखा गया कि निगम ने अपनी आवश्यकता योजना सेल को प्रस्तुत की (मई 2005)। परन्तु स्टील आपूर्ति के प्रकरण को सेल के पास पैरवी करने के बजाय निगम ने स्टील का क्रय खुले बाजार से किया एवं बाजार दरों के सेल की दरों से ज्यादा होने के बावजूद खुले बाजार से क्रय जारी रखा (जुलाई 2005 से अप्रैल 2006)। खुले बाजार से क्रय करते समय यह अभिलिखित किया जाता था कि सेल डिपो पर सामग्री उपलब्ध नहीं है। हांलाकि खुले बाजार से क्रय करते समय सेल से सामग्री की अनुपलब्धता का प्रमाण पत्र अभिलेखों में नही रखा गया। लेखा परीक्षा को संतुष्ट करने के लिये कि प्रकरण, सेल के किसी स्तर पर पैरवी के लिये ले जाया गया, कोई अभिलेख उपलब्ध नही था। इस प्रकार सेल से सामग्री की खरीद का विकल्प समाप्त हुये बिना ही खुले बाजार से सामग्री के क्रय के फलस्वरूप 15.49 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ।

प्रबन्धन ने बताया (अक्टूबर 2007) कि सेल को आपूर्ति सारिणी प्रेषित की गई थी परन्तु माँग के अनुसार आपूर्ति नही हुई। उत्तर स्वीकार्य नही है क्योंकि निगम को आपूर्ति के लिये प्रकरण को तत्परता से सेल के पास भेजना चाहिये था क्योंकि सामान्यतया सेल के स्टाक मे सामाग्री इस कारण से उपलब्ध होती है कि आवंटियों, जिन्हें आवंटन किया गया है, ने उनका उठान नही किया है जैसा कि प्रस्तर 2.1.10 मे इंगित है, जहाँ यूपीएसआईसी द्वारा राज्य की लघु स्तर उद्यमों को पूर्ति के उद्देश्य से आवंटित स्टील की सम्पूर्ण मात्रा का उठान नहीं हुआ।

प्रकरण शासन को जून 2007 में प्रतिवेदित किया; उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2007)।

उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम

4.30 नगद साख सीमा सुविधा का लाभ न लेने के फलस्वरूप हानि

निगम द्वारा बिक्रीत राशि को सीसी खाते के माध्यम से प्रेषण न करने एवं नगद साख सीमा का लाभ न उठाने के कारण 25.54 लाख रुपये का ब्याज भुगतान हुआ।

स्वयं की चालू पूँजी आवश्यकताओं के लिये निगम को इलाहाबाद बैंक से दो करोड़ रुपये की नगद साख सुविधा (सीसी) राज्य सरकार की गारण्टी एवं सम्पत्तियों पर दृष्टिबन्धन के उपरान्त प्राप्त हुई। सीसी की शर्तो के अनुसार, सभी डिपों/कैण्टीनों के खाते इलाहाबाद बैंक में खोले जायेंगे एवं सभी संव्यवहार इन्ही खातों के माध्यम से किये जायेंगे।

यह देखा गया कि निगम के डिपो/कैण्टीनों ने विक्रीत धनराशि को सीसी खाते में जमा नही किया (अगस्त 2003 से मार्च 2004)। सीसी खाता राज्य सरकार के हस्तक्षेप के पश्चात् मार्च 2004 में ही संचालित किया जा सका। सीसी खाता पुनः सितम्बर से नवम्बर 2005 की अवधि के दौरान संचालित नहीं किया जा सका। बैंक ने सीसी खाते के गैर संचालन की अवधि के लिये 25.54 लाख रुपये ब्याज (0.45 लाख रुपये दाण्डिक ब्याज सम्मिलित करते हुये) प्रभारित किया। चूँकि संव्यवहार सीसी खातों के माध्यम से नहीं हुये अतः खाते को बन्द कर दिया जाना चाहिये था। संव्यवहारों का प्रेषण इस खाते के माध्यम से न होने पर भी सीसी खातो के संचालन के फलस्वरूप सीसी सुविधा का उपयोग किये बिना ही 25.54 लाख रुपये का ब्याज भुगतान करना पड़ा।

शासन ने बताया (सितम्बर 2007) कि राज्य के सभी जिलों में डिपो स्थापित होने के कारण बिक्रीत धनराशि को सीसी खाते में स्थानान्तरित नहीं किया गया और इस बिक्रीत धनराशि को मुख्यालय भेजने में कम से कम 10 दिन का समय लगता। शासन के अनुसार धन की कमी के कारण खाते का संचालन नही हो सका एवं सीसी खाते के संचालन न होने की अवधि में अधिक आय अर्जित की गई। शासन के उत्तर से स्पष्ट है कि सीसी खाते का संचालन जारी रखने की आवश्यकता नही थी। जहाँ तक डिपो/कैण्टीन से धन का स्थानान्तरण का सम्बन्ध है धन को इलेक्ट्रानिक माध्यम से मुख्यालय के सीसी खातो (इलाहाबाद बैंक) में स्थानान्तरित करने के आदेश दे दिये जाने चाहिये। यह भी देखा गया कि कारपोरेशन के पास विक्रीत धनराशि में से क्रय करने के पश्चात् भी पर्याप्त मात्रा मे धनराशि शेष रहती है तो भी सीसी खाते का संचालन नही किया गया। इस प्रकार, कारपोरेशन द्वारा सीसी खाते को बन्द न करने के कारण बिना नगद साख सीमा का उपयोग किये ब्याज का भुगतान करना पड़ा।

सामान्य

4.31 हानि वाली कम्पनियाँ

प्रस्तावना

4.31.1 31 मार्च 2007 को राज्य में कम्पनी अधिनियम की धारा 617 के अधीन कुल 88 सरकारी कम्पनियाँ (48 कार्यरत, 40 अकार्यरत) और उसी अधिनियम की

धारा 619 बी में मानी गई चार सरकारी कम्पनियाँ थी। 31 मार्च 2007 को अंश पूँजी और ऋण के रूप में, इन कम्पनियों में राज्य सरकार का निवेश 18438.89 करोड़ रुपये था।

इन सार्वजनिक उपक्रमों के अद्यतन अन्तिमीकृत लेखो क अनुसार कार्यरत कम्पनियों की संचित हानि उनकी 9823.87 करोड़ रुपये की प्रदत्त पूँजी के विरुद्ध 10575.40 करोड़ रुपये थी। 34 अकार्यरत कम्पनियों के सन्दर्भ में संचित हानियाँ उनकी 338.28 करोड़ रुपये की कुल प्रदत्त पूँजी के विरुद्ध 1158.27 करोड़ रुपये थी। यह देखा गया (मई 2007) कि 12 कार्यरत कम्पनियों का निवल मूल्य उनके अद्यतन अन्तिमीकृत लेखों के अनुसार ऋणात्मक था, जिसमें से पाँच कम्पनियाँ लगातार पाँच वर्षो से हानि वहन कर रही थी।

हानियों के कारण

4.31.2 लेखा परीक्षा द्वारा विश्लेषित हानियों का मुख्य कारण कुप्रबन्धन, उच्च स्थापना लागत, कार्यशील पूँजी का अभाव, पर्याप्त आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली का अभाव, कार्यशील पूँजी की कमी, अप्रचलित मशीनरी एवं तकनीकी और बदलती बाजार स्थितियों में कम्पनियों द्वारा उनके कार्यकलापो के विविधीकरण में विफलता था। पाँच कम्पनियाँ जो लगातार पाँच वर्षो से हानि उठा रही थी, के प्रदत्त पूँजी, संचित हानियों निवल मूल्य, आय, व्यय एवं लाभ-हानि का विवरण **परिशिष्ट-34** में दिया गया है।

इन कम्पनियों के सम्बन्ध में लेखा परीक्षा आपत्तियों की चर्चा आगामी प्रस्तरों में की गई है।

यू पी स्टेट यार्न कम्पनी लिमिटेड

4.31.3 कम्पनी की स्थापना सूत कताईकर्ता और दोहराकर्ता का व्यवसाय, सूत का उत्पादन एवं विक्रय और बीमार कारखानों को रोजगार सहायता के रूप में कब्जा में लेने और चलाने के उद्देश्य से अगस्त 1974 में की गई थी। कम्पनी अपनी स्थापना के समय से ही विपरीत बाजार स्थितियों के कारण हानि उठा रही थी। कम्पनी के 2005-06 के अद्यतन अन्तिमीकृत लेखे उसकी 53.67 करोड़ रुपये की पूँजी के विरुद्ध 117.32 करोड़ रुपये की संचित हानियाँ दर्शा रहे थे। हानियों के मुख्य कारण नीचे दिये गये है:

- आधुनिकीकरण के अभाव में, कम्पनी पुराने यंत्र एवं संयत्रो से परिचालन कर रही थी जिसके परिणामस्वरूप लगातार रुकावट और मरम्मत एवं रखरखाव पर अधिक खर्च हुआ। इसने उत्पादित सूत की गुणवत्ता को प्रभावित किया, जिससे वो प्रतिस्पर्द्धामक नहीं रहे। पिछले पाँच वर्षो के दौरान कच्चे माल का मूल्य बढ़ा जबकि सूत का विक्रय मूल्य आनुपातिक रूप से नहीं बढ़ा।
- कम्पनी ने राज्य सरकार की औपचारिक स्वीकृत के बिना आधुनिकीकरण योजना हेतु फरवरी 1999 में 35 करोड़ रुपये के बाण्ड जारी किये। राज्य सरकार ने आधुनिकीकरण योजना अनुमोदित नहीं की और कम्पनी को बाण्डधारकों की राशि वापस करने का निर्देश दिया। कम्पनी ने संग्रहीत

राशि में से बैंक को 8.82 करोड़ रुपये और बाण्डधारकों को मूलधन और ब्याज के रूप में 3.61 करोड़ रुपये भुगतान (अप्रैल 1999 और अगस्त 2000 में) किया। 31 मार्च 2007 को 35.72 करोड़ रुपये की धनराशि (मूलधन 12.43 करोड़ रुपये एवं ब्याज 23.29 करोड़ रुपये) बाण्डधारकों को देय थी। इस प्रकार बिना राज्य सरकार के अनुमोदन के बाण्ड जारी करके निधियाँ इकठ्ठा करने से भी बाण्ड पर ब्याज भुगतान के रूप में हानियों में योगदान दिया।

- कम्पनी की आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर थी क्योंकि वैयक्तिक लेखे, विविध देनदार, लेनदार तथा ऋण एवं अग्रिम पक्षकारों द्वारा पुष्ट एवं समाधानित नहीं थे। कम्पनी 15 वर्षों से अधिक से देनदारों एवं पक्षकारों से देय 12.45 करोड़ रुपये वसूल नहीं सकी।

कम्पनी को एक बीमार औद्योगिक इकाई घोषित किया गया और मार्च 1992 में औद्योगिक एवं वित्तीय पुर्नगठन बोर्ड (बीआईएफआर) को पुर्नवासन योजना के लिए सन्दर्भित कर दिया गया। राज्य सरकार ने पुर्नवासन योजना के अन्तर्गत 19.75 करोड़ रुपये के ऋण एवं उस पर 1998 ब्याज 2.01 करोड़ रुपये के ब्याज को अंश पूँजी में परिवर्तित कर दिया। पुनः, राज्य सरकार ने ब्याज रहित ऋण के रूप में कम्पनी की तीन बन्द मिलों के लिए मार्च 2004 में 23.88 करोड़ रुपये वीआरएस पैकेज के रूप में दिये। कम्पनी ने 99.5 प्रतिशत कर्मचारियों को भुगतान कर दिया। बीआईएफआर ने कम्पनी के परिसमापन हेतु नोटिस (जून 2006) दिया। कम्पनी ने औद्योगिक एवं वित्तीय पुर्नगठन अपीलीय प्राधिकरण (एएआईएफआर) में अपील की जिसने परिसमापन आदेश के विरुद्ध स्थागनादेश जारी कर दिया। राज्य सरकार ने सभी चार मिलों को दीर्घकालिक पट्टे पर देने का निर्णय (अक्टूबर 2006) लिया और प्रकरण निर्णय के लिए एएआईएफआर के पास लम्बित था।

प्रबन्धन ने उत्तर में बताया (जून 2007) कि विपरीत बाजार स्थितियों के कारण तीन कम्पनियाँ बन्द हो गई क्योंकि वो हानि में चल रही थी। बाण्ड राज्य सरकार की सहमति से जारी किये गये थे लेकिन राज्य सरकार के आदेश से बाण्डधारकों को राशि वापस की गई थी जिससे वित्तीय संकट उत्पन्न हुआ। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि राज्य सरकार सैद्धान्तिक रूप से कम्पनी द्वारा बाण्ड जारी करने पर सहमत थी। बाद में राज्य सरकार ने कम्पनी को बाण्डधारकों से एकत्र राशि लौटाने का निर्देश दिया। इस प्रकार, बिना राज्य सरकार की औपचारिक अनुमोदन के बाण्ड जारी करना कम्पनी के हितो के प्रतिकूल था।

उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लिमिटेड

4.31.4 कम्पनी का गठन सूती कताईकर्ता एवं दोहराकर्ता, सूत के उत्पादन एवं विक्रय और बीमार वस्त्र कारखानों को रोजगार सहायता के रूप में कब्जा करके चलाने के उद्देश्य से अगस्त 1976 में किया गया था। वर्ष 2005-06 के अद्यतन अन्तिमकृत लेखे इसकी 93.24 करोड़ रुपये की संचित हानि दिखा रहे थे, जिससे कम्पनी के निबल मूल्य का पूर्णतया क्षरण हो गया था। लगातार हानियों के मुख्य कारण निम्न थे:

- श्रमिक अशान्ति के कारण जून 1990 में कम्पनी की अकबरपुर इकाई बन्द होने से कम्पनी ने 7.08 करोड़ रुपये मे सयन्त्र एवं मशीनरी के विक्रय हेतु उत्तर प्रदेश सहकारी कताई मिल फेडरेशन के साथ एक समझौता किया। फेडरेशन ने अन्तिम एवं पूर्ण भुगतान के रूप में सिर्फ 3.75 करोड़ रुपये अदा किये। 3.33 करोड़ रुपये की राशि अब तक वसूली नहीं जा सकी।
- मऊनाथ भंजन इकाई में फरवरी 2004 से श्रमिक अशान्ति प्रारम्भ हो गई, जिसने उत्पादन प्रक्रिया को बुरी तरह प्रभावित किया और वित्तीय संकट को जन्म दिया। यह इकाई भी जून 2005 में बन्द हो गई। सामग्री मूल्य 0.76 करोड़ रुपये मूल्य की सामग्री, जो भण्डार में अप्रैल 2004 से रखी थी, कम्पनी द्वारा इकाई की बन्दी के बाद भी निस्तारित नहीं का जा सकी।
- मुख्यालय एवं रायबरेली इकाई के कार्मिको की स्वेच्छिक सेवा निवृत्ति और आंशिक व्यय को स्थगित राजस्व व्यय मानने के बाद भी कर्मचारी एवं स्थापना व्यय बिक्री के 17.89 से 21.84 प्रतिशत के बीच था।
- प्रभावी कदमों के अभाव में, विविध देनदारों, ऋण एवं अग्रिमों और अन्य सम्बन्धित पक्षकारों के शेषों की पुष्टि नही हुई। परिणामस्वरूप, 1.23 करोड़ रुपये के ऋण एवं अग्रिम तथा 3.90 करोड़ रुपये के विविध देनदार (जून 1990 से देय) अशोध्य हो गये और जिससे कार्यशील पूँजी की कमी हो गई। यह ब्याज के वित्तीय भार को 2005-06 तक पाँच वर्षो में प्रतिवर्ष 0.51 करोड़ रुपये से 0.85 करोड़ रुपये तक ले गया।
- कम्पनी जुलाई 1992 में बीआईएफआर को सन्दर्भित की गई जिसने परिचालन संस्था, इण्डस्ट्रियल फाइनेन्स कारपोरेशन ऑफ इण्डिया (आईएफसीआई) को प्रबन्धन में बदलाव और कम्पनी की मिलो को पट्टे पर देने हेतु अधिकृत किया। कम्पनी ने बीआईएफआर के आदेश के विरुद्ध एएआईएफआर मे एक वाद दायर (जनवरी 2007) किया। एएआईएफआर ने फरवरी 2007 में स्थगनादेश दे दिया। प्रकरण निर्णय के लिए प्रतीक्षित था।

प्रबन्धन ने लेखा परीक्षा आपत्तियों को मान (अक्टूबर 2007) लिया।

घाटमपुर शुगर मिल्स लिमिटेड

4.31.5 कम्पनी का गठन चीनी मिलों जैसे, चीनी का उत्पादन एवं चीनी विक्रय, शीरा इत्यादि का व्यवसाय करने के लिए मई 1986 में किया गया था। वर्ष 2004-05 के अद्यतन अन्तिमीकृत लेखे के अनुसार, 2001-02 में 48.93 करोड़ रुपये की संचित हानियाँ, 76.29 प्रतिशत बढ़ोत्तरी के साथ 86.24 करोड़ रुपये हो गई, जिससे 8.95 करोड़ रुपये की प्रदत्त पूँजी पूर्णत: क्षरित हो गई। हानियों के मुख्य कारण निम्न थे:

- कम्पनी 1250 टीसीडी की क्षमता के साथ, कम गन्ना पैदावार वाले क्षेत्र में स्थित होने के कारण वित्तीय रूप से लाभकारी नहीं थी क्योंकि गन्ने के परिवहन की लागत बहुत ज्यादा थी।

- परिचालन परिणामों के अनुसार, 2001-02 से 2004-05 की अवधि के दौरान तैयार चीनी की उत्पादन लागत, 1192.63 रुपये से 1424.56 रुपये प्रति कुन्टल की विक्रय वसूली की सापेक्ष 1666.31 से 2762.61 रुपये प्रति कुन्टल थी। उच्चतर कर्मचारी व्यय जोकि विक्रय के 27.49 से 37.93 प्रतिशत के बीच था, उच्चतर उत्पादन लागत के लिए उत्तरदायी था।
- भारत सरकार ने गन्ने का विधिक मूल्य 72.78 रुपये से 80.25 रुपये प्रति कुन्टल (अवधि 2002-03 से 2006-07 तक) तय किया जिसके विरुद्ध राज्य सरकार ने 95 रुपये से 125 रुपये प्रति कुन्टल तय किया जिससे कच्चा माल महँगा हो गया। परिणामस्वरूप, परिचालन लागत बढ़ गई।
- 2004-05 तक पाँच वर्षों की अवधि मे ऋण राशि 42.13 करोड़ रुपये से बढ़कर 78.29 करोड़ रुपये हो गई। कम्पनी अपनी कार्यशील पूँजी की आवश्यकता पूर्ण करने के लिए बैको से नकद साख सुविधा प्राप्त कर रही थी। ब्याज एवं ऋणों पर वित्तीय प्रभार बहुत ज्यादा था जोकि 2000-01 से 2004-05 की अवधि में विक्रय के 34.08 से 61.14 प्रतिशत के बीच था।
- ऊर्जा का अभाव भी उच्च लागत में योगदान कर रहा था, क्योंकि स्वयं उत्पादित ऊर्जा की लागत, क्रमशः 2001-02, 2002-03, 2003-04 और 2004-05 में बिजली प्रदाता कम्पनी के 9.25 रुपये, 7.92 रुपये, 8.39 रुपये और 10.49 रुपये प्रति यूनिट मूल्य की अपेक्षा 11.84 रुपये, 14.70 रुपये, 14.38 रुपये और 15.55 रुपये प्रति यूनिट थी।

संचित हानियों के कारण कम्पनी अगस्त 1995 मे बीआईएफआर को सन्दर्भित कर दी गई जिसने कम्पनी के परिसमापन की अनुशंसा की (जनवरी 1999)। श्रमिक यूनियनों ने जनवरी 1999 मे बीआईएफआर के आदेशों के विरुद्ध उच्च न्यायालय मे एक याचिका दायर की। उच्च न्यायालय ने बीआईएफआर की अनुशंसा को बरकरार रखा और कम्पनी के परिसमापन का आदेश (जनवरी 2002) दिया। श्रमिक यूनियनो द्वारा योजित विशेष अपील (जनवरी 2002) मे भी, उच्च न्यायालय ने यथास्थिति बनाये रखने (मार्च 2002) का आदेश दिया। आगे के क्रियाकलाप प्रतीक्षित है।

प्रबन्धन ने अपने उत्तर (अक्टूबर 2007) में लेखा परीक्षा आपत्तियों को स्वीकार किया।

नन्दगंज सिहोरी शुगर कम्पनी लिमिटेड

4.31.6 कम्पनी का गठन चीनी, शीरा एवं अन्य उप उत्पादों को बनाने, उत्पादन और विक्रय के उद्देश्य से अप्रैल 1975 के किया गया था। वर्ष 2005-06 के अद्यतन अन्तिमीकृत लेखे 185.86 करोड़ रुपये की संचित हानियाँ दर्शा रहे थे, जिसने इसकी उस तिथि को 34.88 करोड़ रुपये की सम्पूर्ण प्रदत्त पूँजी का क्षरण कर लिया था। लेखा परीक्षा द्वारा विश्लेषित, हानियों के कारण थे:

- ऋण राशि 31 मार्च 2001 के 87.27 करोड़ रुपये से बढ़कर 31 मार्च 2006 को 154.94 करोड़ रुपये हो गई। 2005-06 तक की पाँच वर्ष की अवधि में ब्याज का भार 9.11 करोड़ रुपये से 11.91 करोड़ रुपये के बीच रहा। पुनः कम्पनी ने अपनी कार्यशील पूँजी आवश्यकता हेतु बैको से

नकद साख सुविधा प्राप्त की और पाँच वर्षो के अवधि मे 0.43 करोड़ रुपये से 1.59 करोड़ रुपये के बीच ब्याज का भुगतान किया।

- गन्ने का शासकीय मूल्य भारत सरकार द्वारा नियत किया जाता था। राज्य सरकार, भारत सरकार द्वारा घोषित मूल्य को पुन: बढ़ा देती थी। इस प्रकार गन्ने के दोहरे मूल्य ने कच्चे माल की लागत बढ़ा दी।
- कम्पनी की मिल 1500 टीसीडी क्षमता के साथ कम गन्ने की पैदावार वाले क्षेत्र मे स्थित थी। गन्ने की अधिक परिवहन लागत ने मिल के संचालन को अलाभकारी बनाया। वर्ष 2001-02 से 2004-05 में गन्ने की अनुपलब्धता के कारण मिलों के बन्द रहने का प्रतिशत पूरे सीजन में 12.43 से 65.55 प्रतिशत, एवं तकनीकी कारणों से बन्द रहने का प्रतिशत 16.85 से 34.33 प्रतिशत था। जिसके कारण उत्पादन लागत में वृद्धि हुई।
- यद्यपि वर्ष 2000-01 में कम्पनी ने स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना लागू की फिर भी कर्मचारी की लागत विक्रय से 20.64 से 31.60 प्रतिशत तक थी।

कम्पनी को बीआईएफआर को सन्दर्भित किया गया (1995) जिसने संचालन एजेन्सी (आईएफसीआई) को कम्पनी के निजीकरण की सम्भावना तलाशने के लिये कहा। प्रकरण संचालन एजेन्सी के पास लम्बित था। तभी राज्य सरकार ने कम्पनी का निजीकरण/बन्द करने का निश्चय किया (जून 2007)।

कम्पनी ने लेखा परीक्षा प्रेक्षणों को स्वीकार किया (अगस्त 2007)।

उत्तर प्रदेश स्टेट टूरिज्म डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड

4.31.7 कम्पनी की स्थापना वर्ष 1974 में पयर्टन को प्रोत्साहन देने के लिये, होटलों, परिवहन एवं पर्यटन स्थलों के विकास करने के लिये की गई। कम्पनी के अद्यतन अनितमीकृत 2003-04 के वार्षिक लेखो के अनुसार, कम्पनी की चुकता पूँजी 15.13 करोड़ रुपये के सापेक्ष संचित हानि 13.22 करोड़ रुपये थी। इस हानि के मुख्य कारण निम्नांकित थे:

- कम्पनी के टूरिस्ट बंगलों/रेस्टोरेन्ट दूरस्थ स्थानो पर होने के कारण कम पर्यटक आते थे। कर्मचारियों की लागत आय के 41.94 से 49.28 प्रतिशत तक थी। प्रशासनिक व्यय आय का 30.98 से 33.60 प्रतिशत तक था। इस प्रकार अधिक कर्मचारी लागत एवं प्रशासनिक व्यय हानि के मुख्य कारण थे।
- कम्पनी ने अपनी 12 इकाईयाँ बन्द कर दी। बन्द इकाईयों के ह्रास एवं देखभाल पर हुआ व्यय अनुत्पादक रहा।
- प्रभावी नियन्त्रण के अभाव में देनदार एवं अग्रिम 1.94 करोड़ रुपये तक संचित हुये जिसमें 1983 से लम्बित देनदार एवं अग्रिम सम्मिलित थे।

प्रबन्धन ने लेखा परीक्षा प्रेक्षणों को स्वीकार किया (जुलाई 2007) और बताया कि राज्य सरकार के आदेशानुसार (जून 2004) कम्पनी के द्वारा संचालित पर्यटन विभाग की 30 इकाईयों एवं कम्पनी की बन्द इकाईयों का निजीकरण किया जाना है।

प्रस्ताव राज्य सरकार के पास निर्णय हेतु भेजा गया है। अग्रिम कार्यवाही प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2007)।

अकार्यरत सरकारी कम्पनियों के हानि के कारण

4.31.8 लेखा परीक्षा में देखा गया कि 39 अकार्यरत कम्पनियों के लेखो एक वर्ष से लेकर 29 वर्षो तक बकाया थे। इन कम्पनियों के समापन की प्रक्रिया अभी तक प्रारम्भ नहीं हुई। इस प्रकार मार्च 2006 तक पिछले पाँच वर्षो में इन कम्पनियों के अधिष्ठान पर 4.09 करोड़ रुपये का किया गया व्यय अनुत्पादित रहा जिसके कारण कम्पनी की हानि में और वृद्धि हुई।

राज्य सरकार ने ऐसे समस्त उपक्रमों जिनका वार्षिक घाटा 10 करोड़ रुपये से अधिक तथा निबल मूल्य 50 प्रतिशत से अधिक समाप्त हो गया था, के सम्बन्ध में नीति निर्धारित (जून 1994) की। कम्पनियों से अपेक्षा की गई कि अधिक मानव शक्ति को योजनाबद्ध तरीके से कम करने, लेखों के बकाया को समाप्त करने, हानि पहुँचाने वाले कार्यो को रोकने एवं कम्पनी के अनुपयोगी सम्पत्तियों को बेचकर निधि का सृजन करने हेतु एक कारपोरेट प्लान तैयार करके इस नीति को स्पष्ट किया जाये। यह देखा गया कि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के उत्तर प्रदेश सरकार (वाणिज्यिक) के प्रतिवेदन में प्रतिवर्ष इंगित करने के बाद भी हानि में चल रही कम्पनियों की स्थिति को सुधारने व उनको बन्द करने के लिये प्रभावी प्रयास नहीं किये गये।

प्रकरण शासन को जून 2007 में प्रेषित किया गया; उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2007)।

संस्तुतियाँ

लगातार हानि होने के कारण शासन को चाहिये कि:

- **हानि मे चल रही कम्पनियों की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिये सही उपाय, जैसे, संचालन में सुधार, मानवशक्ति का उचित उपयोग, अवशेष धनराशि की वसूली एवं बाजार की माँग के अनुसार व्यवसाय का विकेन्द्रीकरण किया जाये;**
- **अकार्यरत कम्पनियों को बन्द करने के लिये भारत सरकार/कम्पनी मामलो के मन्त्रालय की अनुमति से कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 के अन्तर्गत पूर्व में भारत सरकार द्वारा घोषित एक्जिट स्कीम के अनुपालन में इन कम्पनियों के नामों को रजिस्ट्रार आफ कम्पनीज से पृथक करने के लिये प्रभावी उपाय करना; एवं**
- **इन कम्पनियों की आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली को उनके प्रशासनिक संचालन, एवं वित्तीय नियन्त्रण को उनके नियत कार्यो को उचित पर्यवेक्षण एवं परिवीक्षण, नियमित रूप से कार्य क्षमता का अनुश्रवण एवं आन्तरिक लेखा परीक्षा की लगातार निष्पादन समीक्षा द्वारा सुदृढ़ किया जाना चाहिये।**

4.32 उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम मे सूचना प्रौद्योगिकी सहायता प्रणाली

प्रस्तावना

4.32.1 उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम (कम्पनी) का गठन मार्च 1978 में एक सरकारी कम्पनी के रूप में हुआ था। यह उत्तर प्रदेश के 16 जिलों* में (24 कार्यान्वयन इकाईयों के साथ) विश्व बैंक द्वारा निधिबद्ध उत्तर प्रदेश ऊसर भूमि सुधार परियोजना में संलग्न है जिसका उद्देश्य सतत् ऊसर भूमि सुधार एवं ऊसरता** में वृद्धि की रोकथाम के माध्यम से गरीबी निवारण है। कम्पनी ने अपने प्रमुख प्रचालनों का कम्प्यूटरीकरण 1997 में प्रारम्भ किया। वित्तीय लेखांकन साफ्टवेयर (एफएएस), कार्मिक सूचना साफ्टवेयर (पीआईएस), प्रबन्ध सूचना साफ्टवेयर (एमआईएस), भौगोलिक सूचना साफ्टवेयर (जीआईएस) एवं अध्यापति एवं सूचना प्रबन्ध साफ्टवेयर (पीआईएमएस), 1999 से ही, परियोजनाओं के वित्तीय लेखांकन, कार्मिक प्रबन्धन, भौतिक एवं वित्तीय क्रियाओं के पर्यवेक्षण तथा विश्लेषण आवश्यकताओं के लिये, प्रचलन में है।

लखनऊ स्थित मुख्यालय के क्लाइन्ट सरवर आर्किटेक्चर माडल में रिलेशनल डाटाबेस प्रबन्धन प्रणाली (आरडीबीएमएस) सीबेस (संस्करण 11.0.3.3) को पश्चान्त एवं पावर बिल्डर (संस्करण 6.0) को अग्रान्त के रूप में प्रयोग कर, कम्पनी विस्तृत डाटाबेस प्रबन्धन प्रणाली का रखरखाव करती है। यह जिलों में एसक्यूएल एनीव्हेयर (संस्करण 5.0) जो एक बहु-प्रयोक्ता पीसी आधारित आरडीबीएमएस है, का उपयोग करती है। सभी साफ्टवेयर पैकेजों का विकास स्वयं द्वारा किया गया है। मुख्यालय एवं प्रत्येक परियोजना प्रबन्धकों की इकाईयों के कम्प्यूटर लोकल एरिया नेटवर्क के माध्यम से जुड़े है। मुख्यालय एवं फील्ड इकाईयों के इनपुट आँकड़े, मुख्यालय के सर्वरो के द्वारा संसाधित किये जाते है। फील्ड इकाईयों के आँकड़े प्रति माह एक काम्पेक्ट डिस्क के द्वारा भौतिक रूप में मुख्यालय लाये जाते है।

कम्पनी ने आईटी परिसम्पत्तियों के सृजन पर 2.78 करोड़ रुपये एवं 85 लाख रुपये वार्षिक आवर्ती आधार पर, आईटी स्टाफ (70 लाख रुपये) वार्षिक मरम्मत एवं रखरखाव (5 लाख रुपये) एवं अन्य उपरिव्ययों (10 लाख रुपये) के मद में व्यय किये।

संगठनात्मक ढाँचा

4.32.2 कम्पनी का प्रबन्धन, अध्यक्ष, एक प्रबन्ध निदेशक, एक संयुक्त प्रबन्ध निदेशक तथा छः अन्य निदेशकों से मिलकर बने निदेशक मण्डल में निहित हैं।

कम्पनी का सूचना प्रौद्योगिक स्कंध एक वरिष्ठ प्रबन्धक (प्रणाली) के अधीन है, जिसकी सहायता एक डाटाबेस प्रशासक/उप प्रबन्धक (प्रणाली), दो उप सहायक

* इलाहाबाद, अलीगढ़, एटा (3 इकाईयाँ), इटावा, औरेया, प्रतापगढऋ, फतेहपुर, सुल्तानपुर (3 इकाईयाँ), मैनपुरी (2 इकाईयाँ), रायबरेली (2 इकाईयाँ।), कानपुर (2 इकाईयाँ), जौनपुर, उन्नाव, सण्डीला, हरदोई एवं आजमगढ़।

** सोडियम एवं मिट्टी के विद्युत-रासायनिक बन्धनो से भरपूर मृदा को ऊसर कहते है।

प्रबन्धकों (हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर) तथा पाँच अन्य स्टाफ कर्मियों द्वारा की जाती है। जिला इकाईयाँ, वरिष्ठ परियोजना प्रबन्धकों के अधीन होती है। प्रत्येक इकाई में एक उप प्रबन्धक (प्रणाली) होता है जो इकाई स्तर पर सूचना प्रौद्योगिकी क्रियाओं के लिये उत्तरदायी होता है। फील्ड में 24 उप प्रबन्धक (प्रणाली) कार्यरत हैं।

लेखा परीक्षा का क्षेत्र

4.32.3 लेखा परीक्षा के क्षेत्र मे, कम्पनी द्वारा अप्रैल 1999 से प्रयुक्त वित्तीय लेखांकन साफ्टवेयर (एफएएस) एवं कार्मिक सूचना साफ्टवेयर (पीआईएस) मे सन्निहित नियन्त्रणों का मूल्यांकन सम्मिलित था। एफएएस पैकेज, नयी योजनाओं, बजट शीर्षो एवं प्रतिपूर्ति के दावों हेतु व्यय विवरण तैयार खाताबहियाँ भौतिक उपलब्धियों को समन्वित कर वित्तीय प्रगति पर नजर रखने, वित्तीय विवरणों को सामयिक तैयारी और इस प्रकार, वित्तीय सूचनाओं की विश्वसनीयता बढ़ाने में भी यह प्रयुक्त होता है। पीआईएस पैकेज कम्पनी के मुख्यालय एवं फील्ड स्टाफ के कार्मिकों एवं वेतनपत्रक सम्बन्धी सूचनाओं के अनुरक्षण के लिये प्रयुक्त होता है।

लेखा परीक्षा का उद्देश्य

4.32.4 कम्पनी की सूचना प्रौद्योगिकी लेखा परीक्षा यह आकंलित करने के लिये की गयी कि क्या:

- आईटी अनुप्रयोगो के दक्ष एवं प्रभावी उपयोग के लिये पर्याप्त अभिलेखन एवं नियन्त्रण विद्यमान थे।
- कम्प्यूटर अनुप्रयोगों में पर्याप्त नियन्त्रण विद्यमान थे जिनसे यह सुनिश्चित किया जा सके कि जनित आंकड़ो की अक्षुण्णता बरकरार है एवं तैयार सूचनायें विश्वसनीय एवं पूर्ण है।

लेखा परीक्षा प्रक्रिया

4.32.5 अप्रैल 1999 से फरवरी 2007 के मध्य, वित्तीय लेखांकन प्रणाली एवं कार्मिक सूचना प्रणाली से प्राप्त आंकड़ो का कम्प्यूटर सहायित लेखा परीक्षा उपकरण अर्थात आइडिया* के प्रयोग से विश्लेषण किया गया ताकि आंकड़ो की पूर्णता, उपलब्धता एवं अक्षुण्णता का परीक्षण किया जा सके। उक्त आँकड़ो के परीक्षण के अतिरिक्त, सामान्य एवं अनुप्रयोग आईटी नियन्त्रणों के अस्तित्व एवं पर्याप्तता का भी मूल्यांकन किया गया।

लेखा परीक्षा प्रेक्षण

4.32.6 उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम में सूचना प्रौद्योगिकी सहायता प्रणाली पर समीक्षा से उत्पन्न लेखा परीक्षा प्रेक्षणों को प्रबन्धन/शासन को मई 2007 में जारी किया गया। प्राप्त उत्तरों पर राज्य सार्वजनिक उपक्रमों की लेखा परीक्षा समीक्षा समिति (एआरसीपीएसई) की बैठक में चर्चा की गयी (अगस्त 2007)। प्रबन्धन/शासन द्वारा उत्तरों में एवं बैठक के दौरान दिये दृष्टिकोणों को प्रेक्षणों को सूचित करते समय ध्यान में रखा गया है।

* इन्टरेक्टिव डेटा एक्स्ट्रेक्शन एण्ड एनालिसिस।

आईटी रणनीति एवं परिवर्तन नियन्त्रण प्रक्रिया

4.32.7 प्रणाली विकास प्रक्रिया के लिये एक सुव्यवस्थित तथा योजनाबद्ध अभिगम आवश्यक है जो, अपेक्षित मानको, अभिलेखन आवश्यकताओं सन्निहित किये जाने वाले नियन्त्रणों एवं जाँचों, जो यह सुनिश्चित करे कि प्रणाली वही कार्य कर रही है जो अपेक्षित हो, को साथ-साथ परिभाषित करे। इसी प्रकार, कम्पनी को औपचारिक परिवर्तन नियन्त्रण प्रक्रिया को भी विकसित करना चाहिये जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रोग्रामों में संशोधन अधिकृत, अनुमोदित एवं अभिलेखित है। लेखा परीक्षा में यह देखा गया कि कम्पनी ने अपेक्षित मानको की स्थापना, अभिलेखन आवश्यकताओं, दीर्घकालिक (जैसे- सम्पूर्ण व्यवसायिक गतिविधियों को चरणबद्ध तरीके से एकीकृत करना) एवं अल्पकालीन व्यवसायिक आवश्यकताओं के नियन्त्रणों एवं जाँचों को निर्दिष्ट करने वाले, किसी औपचारिक आईटी रणनीति को अभिलिखित नहीं किया।

शासन ने बताया (अगस्त 2007) कि कम्पनी, दिये गये सुझाव के अनुरूप एक उचित आईटी रणनीति विकसित करने की योजना बना रही है।

विभिन्न साफ्टवेयरों में कमियाँ

वित्तीय लेखांकन साफ्टवेयर

4.32.8 व्यय/आय या सम्पत्तियों/दायित्वों के प्रत्येक मद के लिये एक स्तर के बाद कम्पनी ने कोई संकेत संख्या नियत नही की। संकेतीकरण केवल दो स्तरों तक था एवं सूक्ष्म विवरणों के लिये फील्ड आफिसों के पास अपनी सुविधानुसार इन संकेतो के चयन का विकल्प था। प्रत्येक इकाईयों/मुख्यालय द्वारा लेनदेनों के एकरूप अंकन के लिये यह जरूरी था कि प्रत्येक जिले, खाते के प्रत्येक मुख्य, उप मुख्य, लघु एवं उप लघु शीर्षो के लिये एक अद्वितीय संकेत नियत किया जाय ताकि लेखा विवरण सही रूप मे प्रदर्शित हों। इस प्रकार के पूर्व नियत संकेतीकरण का एक फायदा यह भी होता कि इससे अनावश्यक ब्योरा भरने से बचा जा सकता था क्योंकि केवल एक संकेत नाम पक्ष मे तथा तदनुरुप दूसरा संकेत जमा पक्ष में होता। जिनका विसंकेतीकरण प्रतिवेदन निर्माण के समय होता।

वित्तीय प्रबन्ध नियम पुस्तिका के परिशिष्ट 401 में, संकेतीकरण की सरंचना बतायी गयी है परन्तु आईटी सरंचना उपबन्धित व्योरों को नही दर्शाती है। नियम पुस्तिका का अनुच्छेद 4.1.7.1(2) आगे यह उपबन्ध करता है कि वार्षिक परियोजना मूल्यांकन अभिलेख (पीएडी) लक्ष्यों एवं वार्षिक बजट आंकड़े तैयार कर लिये जायें ताकि बजट विश्लेषण एवं पीएडी के साथ तुलना तिमाही, वार्षिक एवं अद्यतन तिथि तक संचयी आधार पर किया जा सके। यह पाया गया कि, वर्तमान लेखांकन पैकेज इस आवश्यकता के अनुरूप आंकड़ो को एकीकृत नही करता।

4.32.9 बैंक, नगद, जर्नल एवं विशेष बाउचरों की प्रविष्टि के लिये बाऊचर विवरण फाइल, प्राथमिक सारणी है जिसमें 806442 अभिलेख है। इस फाइल से लेनदेनों का विलय डेबिट क्रेडिट नामक एक स्टेडिंग मास्टर डाटा फाइल में किया जाता है जिसमें 4307303 अभिलेख है। यह देखा गया कि वर्ष 2001-02 के एक ऋणात्मक संख्या 8555 को छोड़कर बाऊचर विवरण फाइल के सभी डेबिटो एवं

क्रेडिटो का मिलान था। जब बाऊचर विवरण फाइल के डेबिट एवं क्रेडिट प्रविष्टियों का मिलान है तो उक्त का मिलान मास्टर डाटा बैक (डेबिट क्रेडिट फाइल) में भी होना चाहिये। परन्तु जब मास्टर डाटा फाइल के डेबिट एंव क्रेडिट मूल्यों का सारांश निकाला गया तो यह पाया गया कि 1999 से 2006 तक डेबिट, क्रेडिट से ज्यादा हो एवं 2007 में क्रेडिट, डेबिट से ज्यादा थे। यह आकड़ों के विश्वसनीय एवं अप्रमाणित प्रसंस्करण का सूचक है। विवरण निम्न है:

वर्ष	अभिलेखों की संख्या	डेबिट (रुपये)	क्रेडिट (रुपये)	अन्तर (रुपये)
1999	379107	25780171806	23831094396	1949077410
2000	513072	55402520879	51535485338	3867035542
2001	543451	67720113873	59989836707	7730277166
2002	552032	50596055488	46034219711	4561835777
2003	555964	73169398840	66993978908	6175419933
2004	559621	54739927158	50344554611	4395372547
2005	544612	52389593713	47104852770	5284740944
2006	528041	36967331996	33529783709	3437548286
2007	131085	2844694027	3106914338	-262220310

मोटे तौर पर जब बाऊचर विवरण फाइल के शेष का मिलान था तो अन्तिम प्रसंस्करण स्तर पर इन मूल्यों के मिलान न होने के सम्बन्ध में कम्पनी कोई भी कारण बताने मे असमर्थ थी। शासन ने बताया (अगस्त 2007) कि, प्रतिवेदन तैयार करने के लिये पूर्ण एवं सटीक प्रक्रिया सुनिश्चित करने हेतु अनुप्रयोग साफ्टवेयर में, पावर बिल्डर में फ्रन्ट एण्ड टूल के माध्यम से नियन्त्रणों की व्यवस्था की गयी है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि जब स्त्रोत फाइल में डेबिट क्रेडिट की विसंगतियाँ नही है (2001-02 के 8555 रुपये की ऋणात्मक विसंगति को छोड़कर) तो स्त्रोत फाइल में उक्त अन्तर नही होने चाहिये। लेखा परीक्षा समीक्षा समिति की बैठक में प्रबन्धन प्रोग्राम में निर्मित कड़ियों की जाँच करने पर सहमत हुआ जिनके कारण असंगत उत्पाद प्राप्त होते है । यह एक अतिजोखिम वाला क्षेत्र है क्योंकि अपने वित्तीय विवरणों के निर्माण के लिये कम्पनी एफएएस पैकेज पर निर्भर है और इस सम्बन्ध में स्टेडिंग मास्टर डाटा फाइल के आंकड़ों में बड़ी मात्रा में असंगतता है। यह स्पष्ट है कि प्रणाली (एफएएस) विश्वसनीय लेखांकन आंकड़े नही तैयार कर रही।

डेबिट क्रेडिट फाइल से सारांशित वर्षवार डेबिट एवं क्रेडिट मदें, विश्व बैंक द्वारा स्वीकृत वास्तविक परियोजना व्यय की तुलना में काफी ज्यादा पायी गयी। इस स्थिति के लिये कम्पनी द्वारा लेखा परीक्षा को कोई कारण नही बताया गया। पुन: लेखा परीक्षा समीक्षा समिति की बैठक में प्रबन्धन द्वारा विसंगति के निवारण के लिये कोई तार्किक व्याख्या नही दी गयी।

आगे, कम्पनी द्वारा यह सूचित किया गया कि स्टैडिंग मास्टर डाटा सारणियों में विद्यमान अपशिष्ट आंकड़े, उत्पादन परिवेश के समय से परीक्षण आंकड़ो के विद्यमानता के कारण थे। इसका अर्थ यह है कि उत्पादन परिवेश मे भी आँकड़े अविश्वसनीय थे।

4.32.10 प्रणाली ने 2008-25 की आगामी अवधि के 297 प्रविष्टियाँ स्वीकार किये। एक प्रकरण में, वर्ष 1999-2100 लिया गया तथा एक अन्य प्रकरण में वर्ष 2पी02-2003 लिया गया। शासन ने बताया (अगस्त 2007) कि उक्त बिन्दु को नोट कर लिया गया है एवं इनका सुधार कर लिया जायेगा।

4.32.11 29277 बैंक बाऊचरों में से, 183801854.60 रुपये के डेबिट मूल्य वाले 9815 प्रकरणों में चेक संख्या उल्लेखित नही थी। इसी प्रकार 8073 अभिलेखों में (डेबिट मूल्य: 1384720115.63 रुपये) चेक तिथि नही दी गयी थी। चेक तिथि स्तम्भ के 773 प्रकरणों में वर्ष के रुप 1900 उल्लिखित किया गया था। शासन ने बताया (अगस्त 2007) कि समस्या का परिशोधन कर लिया जायेगा।

कार्मिक सूचना साफ्टवेयर

4.32.12 कम्पनी ने सेवा में नियमित रूप में, प्रतिनियुक्ति या अनुबन्ध आधार पर नियुक्त कर्मचारियों के सन्दर्भ में समुचित मास्टर डाटाबेस का विकास नही किया। जब कोई व्यक्ति किसी अन्य परियोजना को या परियोजना से मुख्यालय को स्थानान्तरित होता है, उस कर्मचारी के सन्दर्भ में मूल प्रविष्टियाँ पुन: की जाती है। इस कारण उस कर्मचारी के सम्बन्ध में मूल प्रविष्टियों को दोहराव होता है जो कभी-कभी गलत भरी जाती है। इसके कारण सर्वर के डाटाबेस में उस कर्मचारी के सम्बन्ध में दोहराव होता है तथा एक ही कर्मचारी के सभी ब्योरों की पुनरावृत्ति होती है। अनावश्यक अनुलिपि प्रलेखों के निर्माण से बचने के लिये प्रत्येक कर्मचारी को एक मात्र कर्मचारी आईडी जिसमे एक बार में सभी ब्योरे दिये हो, आवंटित किया जाना चाहिये।

4.32.13 त्रुटिपूर्ण नियन्त्रणों के कारण, निम्न प्रकरण बेमेल पाये गये।:

- 4186 अभिलेखों मे से, 684 अभिलेखों में पिता/पति का नाम एक्स, श्री, एस, एम इत्यादि पाया गया। 560 प्रकरणों में गृह जनपद निरंक था।
- पाँच प्रकरणों में, कर्मचारी का नाम, 'एए0003, एए003, एए0070, एजी0001, एजी0001' कर्मचारी संख्या एए0004, एए0020, एए0114, एजी0001 तथा एजी0002 के साथ पाये गये।
- 64409 अभिलेखों में से 1143 अभिलेखों में, मूल वेतन शून्य देखा गया लेकिन इनमे से 485 प्रकरणों में एडीए 8 रुपये से 196 रुपये के बीच था तथा 447 प्रकरणों में एचआरए 90 रुपये से 1200 रुपये के मध्य दर्शाया गया था। शून्य मूल वेतन का दृष्टान्त अव्यवहारिक है। वेतन के अन्य भाग जैसे एडीए, एचआरए इत्यादि की गणना मूल वेतन के आधार पर की जाती है। यह स्पष्ट नही है कि प्रणाली द्वारा एचआए एवं एडीए इत्यादि के निश्चित मूल्य कैसे प्राप्त हुये जबकि मूल वेतन शून्य था।

शासन ने बताया (अगस्त 2007) कि पीआईएस प्रणाली की विसंगतियों को अनुपालन के लिये नोट कर लिया गया है एवं कम्पनी, आगामी समय में, प्रत्येक कर्मचारी को भिन्न कर्मचारी पहचान आवंटित कर देगी। पीआईएस के उक्त प्रकरण से यह भी स्पष्ट है कि अनुप्रयोग किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करने में विफल

था क्योंकि आंकड़े अविश्वसनीय थे तथा कर्मचारियों की भिन्न पहचान के अभाव मे कोई भी एमआईएस रिपोर्टिगं संभव नही थी।

शासन ने उक्त संस्तुतियों को बाद के साफ्टवेयर विकास प्रक्रिया में कार्यान्वित करने के लिये स्वीकृत कर लिया (अगस्त 2007)।

निष्कर्ष

आईटी सम्पत्तियों के सृजन पर 2.78 करोड़ रुपये के व्यय तथा वार्षिक आधार पर 85 लाख रुपये के आवर्ती व्यय के पश्चात् भी, एफएएस तथा पीआईएस नामक दोनो लेखा परीक्षित अनुप्रयोगों में खामियाँ पायी गयी। उक्त दोनो अनुप्रयोगों द्वारा जनित आंकड़े अविश्वसनीय पाये गये। कम्पनी ने कोई औपचारिक प्रणाली विकास अभिगम अंगीकार नही किया एवं अनुप्रयोगो का विकास अभिलेखीकरण, जाँच एवं प्रयोक्ता सहभागिता के बिना तदर्थ आधार पर किया गया। आईटी परिसम्पत्तियों मे निवेश एवं उन पर वार्षिक आवर्ती व्यय को आईटी संभावनाओं के दोहन में, उसकी गतिविधियों के भौतिक एवं वित्तीय प्रगति के परिवीक्षण उद्देश्य प्राप्ति में लाभकारी रूप में प्रयुक्त नही किया जा सका। इसके अलावा सूचनाओं को प्रबन्धकीय निर्णयो में भी प्रयुक्त नही किया जा सका।

संस्तुतियाँ

- कम्पनी को महत्वपूर्ण एवं आवश्यक प्रणालियों तथा आंकड़ा प्रवाहों के कार्यचालनो की समीक्षा, ऐसी प्रणालियों विशेषकर एफएएस तथा पीआईएस में सूचना प्रसंस्करण की विश्वसनीयता के मूल्यांकन के लिये करनी चाहिये।
- कम्पनी को भविष्य में आईटी अनुप्रयोगों के विकास के लिये एक औपचारिक प्रणाली विकास प्रक्रिया अंगीकृत करनी चाहिये तथा अनुप्रयोगो के विकास में प्रयोक्ता एवं अन्य हितधारियों की सहभागिता सुनिश्चित करनी चाहिये।
- सभी अनुप्रयोगो के लिये कम्पनी को, आईटी अनुप्रयोगो के उत्पादन परिवेश में जाने से पहले, एक विस्तृत स्वीकृति परीक्षण करना चाहिये।
- सभी आईटी अनुप्रयोगो में अनुप्रयोग नियन्त्रण सन्निहित होना चाहिये जिससे आंकड़ो की अक्षुण्णता एवं वित्तीय रिर्पोटिंग की विश्वसनीयता सुनिश्चित की जा सके।
- आँकड़ो एवं एमआईएस रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिये, कम्पनी को, विभिन्न अनुप्रयोगो के अन्तर्गत रखे गये आँकड़ो को, समयबद्ध तरीके से स्वच्छ करना चाहिये।

लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुगामी कार्यवाही

4.33 भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सरकार के विभिन्न कार्यालयों एवं विभागों में रखे गये खातों एवं प्रारम्भिक निरीक्षण में शुरू हुई जाँच प्रक्रिया के चरमोत्कर्ष का प्रतिनिधित्व करता है। इसीलिए, यह आवश्यक है कि वे कार्यकारी से उचित एवं समय से प्राप्त उत्तर को प्रकाश मे लायें।

वर्ष 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004, 2004-05 एवं 2005-06 के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन राज्य विधान मंडल में क्रमश: सितम्बर 2003, जुलाई 2004, जुलाई 2005, मार्च 2006 तथा मई 2007 में रखे गये थे। 25 विभागों के अन्तर्गत सार्वजनिक उपक्रमों से सम्बन्धित 179 प्रस्तरों/समीक्षायें वर्ष 2001-02 से 2005-06 के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) में सम्मिलित किये गये थे। 103 प्रस्तरों/समीक्षाओं के उत्तर 30 सितम्बर 2007 तक शासन से नहीं प्राप्त हुये जैसा कि नीचे इंगित किया गया:

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में कुल प्रस्तर/समीक्षाऐं	सम्बन्धित विभागों की संख्या	प्रस्तर/समीक्षाओं की संख्या जिसके उत्तर प्राप्त नहीं हुये
2001-2002	38	9	13
2002-2003	42	10	11
2003-2004	30	10	23
2004-2005	31	8	21
2005-06	38	13	35
योग	**179**		**103**

विभागवार विश्लेषण **परिशिष्ट-35** में दिया गया है। मुख्यत: ऊर्जा एवं औद्योगिक विकास विभाग उत्तर न भेजने के लिए उत्तरदायी हैं।

सार्वजनिक उपक्रम समिति (कोपू) के प्रतिवेदनों का अवशेष अनुपालन

4.34 वर्ष 1996-97 से 2005-06 तक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) में 367 प्रस्तर एवं 49 समीक्षायें शामिल की गई थी; इनमें से 30 सितम्बर 2007 तक 121 प्रस्तर एवं 16 समीक्षाओं पर कोपू ने चर्चा की। 1978-79 से 2002-03 के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों के 91 प्रस्तरों एवं 20 समीक्षाओं के सम्बन्ध में कोपू ने संस्तुतियाँ की थीं।

कोपू की संस्तुतियों पर विभागों के उत्तर/अनुगामी कार्यवाही प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2007)।

लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल सतत् अनियमितताओं पर की गयी कार्यवाही

4.35 कोपू द्वारा सतत् प्रकृति की अनियमितताओं की चर्चा एवं सहायता के दृष्टिकोण से, सम्बन्धित लेखा परीक्षित संगठन द्वारा की गई सुधारात्मक कार्यवाही को सत्यापित करने का एक प्रयास किया गया। सरकारी कम्पनियों के परिणाम **परिशिष्ट-36** मे और सांविधिक निगमों के परिणाम **परिशिष्ट-37** में दिये गये हैं।

निरीक्षण प्रतिवेदनों, ड्राफ्ट प्रस्तरों एवं समीक्षाओं पर प्रतिक्रिया

4.36 लेखा परीक्षा के दौरान संज्ञान में आये तथा तत्काल निस्तारित न हुये लेखा परीक्षा प्रेक्षणों को राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों तथा सम्बन्धित विभागों के प्रमुखों को निरीक्षण प्रतिवेदन के माध्यम से सूचित किया जाता है। सार्वजनिक उपक्रमों के प्रमुखों को, निरीक्षण प्रतिवेदनों के उत्तर सम्बन्धित विभागों के प्रमुखों के माध्यम से, छ: सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराना अपेक्षित होता है। मार्च 2007 तक 71 सार्वजनिक उपक्रमों से सम्बन्धित निरीक्षण प्रतिवेदनों में यह संज्ञान में आया कि 4528 निरीक्षण प्रतिवेदनों से सम्बन्धित 15656 प्रस्तर, सितम्बर 2007 के अन्त

तक, अनिस्तारित रहे; इनमें से 2981 निरीक्षण प्रतिवेदनों में सन्निहित, 9821 प्रस्तर पाँच वर्ष से अधिक समय से अनिस्तारित रहे। 30 सितम्बर 2007 के अन्त तक, विभाग वार अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षा प्रेक्षणों का विश्लेषण **परिशिष्ट-38** में दिया गया है।

इसी प्रकार, सार्वजनिक उपक्रमों पर ड्राफ्ट प्रस्तर एवं समीक्षाऐं प्रमुख सचिव, वित्त और प्रशासनिक विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव को अर्द्धशासकीय पत्र द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ो की पुष्टि एवं उन पर उनकी टिप्पणियाँ छः सप्ताह के अन्दर मांगी जाती है। अप्रैल से जून 2007 के मध्य विभिन्न विभागों को अग्रसारित 25 ड्राफ्ट प्रस्तरों एवं पाँच ड्राफ्ट समीक्षाओं के उत्तर अक्टूबर 2007 तक शासन से प्राप्त नहीं हुये थे, जिसका विवरण **परिशिष्ट-39** में दिया गया है।

यह संस्तुति की जाती है कि सरकार को सुनिश्चित करना चाहिये कि (अ) उन कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की प्रक्रिया अस्तित्व में हो, जो निरीक्षण प्रतिवेदनों/ ड्राफ्ट प्रस्तरों/समीक्षाओं तथा कोपू की संस्तुतियों पर की गई कार्यवाही निर्धारित समय सीमा के अन्दर नहीं दे पाये है, (ब) समयबद्ध कार्यक्रम के अन्तर्गत हानि/बकाया अग्रिम/अधिक भुगतान को वसूल करने की कार्यवाही, और (स) लेखा परीक्षा आपित्तयों के उत्तर देने की प्रक्रिया को नवीनीकृत कर दिया गया है।

(बीरेन्द्र कुमार)

महालेखाकार

(वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखा परीक्षा)

उत्तर प्रदेश

लखनऊ

दिनांक २६ दिसम्बर २००७

प्रतिहस्ताक्षरित

वि. ना. कौल

(विजयेन्द्र नाथ कौल)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली

दिनांक 28 दिसम्बर 2007

परिशिष्ट

परिशिष्ट-1

सरकारी कम्पनियों और सांविधिक निगमों के सम्बन्ध में 31 मार्च 2007 को अद्यतन प्रदत्त पूँजी, बजट बर्हिगमन, बजट से प्राप्त ऋण एवं बकाया ऋणों को दर्शाती विवरणी

(प्रस्तर संख्या 1.4, 1.5, 1.6 व 1.19 में संदर्भित)

{स्तम्भ 3(अ) से 4(र) के आंकड़े लाख रुपये में हैं}

क्रम सं0	क्षेत्र एवं कम्पनी/निगम का नाम	चालू वर्ष के अन्त तक प्रदत्त पूँजी (कोष्ठक के आंकड़े अंशपूँजी आवेदन धनराशि को और डैश शून्य राशि को इंगित करते हैं)					वर्ष के दौरान बजट से प्राप्त अंशपूँजी/ऋण		वर्ष के दौरान प्राप्त अन्य ऋण*	2006-07 की समाप्ति पर बकाया ऋण**			2006-07 के लिए ऋण/ अंशपूँजी अनुपात (गत वर्ष) 4(र)/3(य)
		राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	नियंत्रक कम्पनियाँ	अन्य	योग	समता अंशपूँजी	ऋण		सरकारी	अन्य	योग	
(1)	(2)	3(अ)	3(ब)	3(स)	3(द)	3(य)	4(अ)	4(ब)	4(स)	4(द)	4(य)	4(र)	5
अ. कार्यरत सरकारी कम्पनियाँ													
	कृषि एवं समवर्गीय												
1.	उत्तर प्रदेश स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कार्पोरेशन लिमिटेड	3667.17 (-)	332.83 (-)	(-)	(-)	4000.00 (-)	–	-	–	500.00	-	500.00	0.13:1 (0.13:1)
2.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	50.50 (-)	(-)	(-)	13.18 (1.23)	63.68 (1.23)	–	–	–	–	-	-	– (-)
3.	उत्तर प्रदेश (मध्य) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	15.30 (1.97)	- (-)	- (-)	8.22 (-)	23.52 (1.97)	-	-	-	-	-	-	- (-)
4.	उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट्स कार्पोरेशन लिमिटेड	540.00 (-)	100.00 (-)	- (-)	- (-)	640.00 (-)	-	-	-	-	-	-	- (-)
5.	उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम	150.00 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	150.00 (-)	-	-	-	-	-	-	- (-)
6.	उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम लिमिटेड	107.00 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	107.00 (-)	-	-	-	-	-	-	- (-)
7.	उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम लिमिटेड	125.00 (-)	- (-)	- (-)	67.00 (-)	192.00 (-)	-	-	-	-	-	-	- (2.60:1)
	क्षेत्रवार योग	**4654.97 (1.97)**	**432.83 (-)**	**- (-)**	**88.40 (1.23)**	**5176.20 (3.20)**	-	-	-	**500.00**	-	**500.00**	**0.1:1 (0.1:1)**
	उद्योग												
8.	उत्तर प्रदेश स्माल इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड	596.05 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	596.05 (-)	-	-	267.38	631.51	392.38	1023.89	1.72:1 (1.72:1)
9.	उत्तर प्रदेश स्टेट लेदर डेवलपमेण्ट एण्ड मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड	573.94 (-)	- (-)	- (-)	-	573.94 (-)	-	-	-	191.40	-	191.40	0.33:1 (0.33:1)

* बाण्ड, ऋणपत्र, अन्तर-निगम जमा शामिल है।

** 2006-07 के अन्त में बकाया ऋण केवल दीर्घावधि ऋण को दर्शाता है।

(1)	(2)	3(अ)	3(ब)	3(स)	3(द)	3(य)	4(अ)	4(ब)	4(स)	4(द)	4(य)	4(र)	5
10.	यू पी एस आई सी पौट्रीज लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्माल इण्डस्ट्रीज़ कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	- (-)	- (-)	76.25 (-)	- (-)	76.25 (-)	-	-	-	82.50	40.00	122.50	1.61:1 (1.61:1)
	क्षेत्रवार योग	**1169.99** **(-)**	**-** **(-)**	**76.25** **(-)**	**-** **(-)**	**1246.24** **(-)**	**-**	**-**	**267.38**	**905.41**	**432.38**	**1337.79**	**1.07:1** **(1.07:1)**
	इलेक्ट्रानिक्स												
11.	उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड	8765.98 (726.26)	- (-)	- (-)	- (-)	8765.98 (726.26)	170.00	-	-	8477.89	-	8477.89	0.89:1 (0.91:1)
12.	अपट्रान पावरट्रानिक्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	- (-)	- (-)	257.00 (-)	150.00 (-)	407.00 (-)	-	-	-	-	315.00	315.00	0.77:1 (0.79:1)
13.	श्रीट्रान इण्डिया लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	- (-)	- (-)	671.08 (-)	50.63 (-)	721.71 (-)	-	-	-	263.44	-	263.44	0.36:1 (0.36:1)
14.	अपट्रान इण्डिया लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	- (-)	- (-)	5792.51 (-)	- (-)	5792.51 (-)	-	-	-	-	970.00	970.00	0.17:1 (0.17:1)
	क्षेत्रवार योग	**8765.98** **(726.26)**	**-** **(-)**	**6720.59** **(-)**	**200.63** **(-)**	**15687.20** **(726.26)**	**170.00**	**-**	**-**	**8741.33**	**1285.00**	**10026.33**	**0.61:1** **(0.62:1)**
	वस्त्र												
15.	उत्तर प्रदेश स्टेट यार्न कम्पनी लिमिटेड	3190.52 (2176.00)	- (-)	- (-)	- (-)	3190.52 (2176.00)	-	17.80	-	2642.76	150.00	2792.76	0.52:1 (0.52:1)
16.	उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लिमिटेड	9324.43 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	9324.43 (-)	-	1357.33	-	4563.85	-	4563.85	0.49:1 (0.34:1)
	क्षेत्रवार योग	**12514.95** **(2176.00)**	**-** **(-)**	**-** **(-)**	**-** **(-)**	**12514.95** **(2176.00)**	**-**	**1375.13**	**-**	**7206.61**	**150.00**	**7356.61**	**0.50:1** **(0.41:1)**
	हैण्डलूम एण्ड हैन्डीक्राफ्ट्स												
17.	उत्तर प्रदेश स्टेट हैण्डलूम कार्पोरेशन लिमिटेड	3644.49 (-)	1062.95 (-)	- (-)	- (-)	4707.44 (-)	-	431.03	-	9658.19	500.00	10158.19	2.16:1 (2.07:1)
	क्षेत्रवार योग	**3644.49** **(-)**	**1062.95** **(-)**	**-** **(-)**	**-** **(-)**	**4707.44** **(-)**	**-**	**431.03**	**-**	**9658.19**	**500.00**	**10158.19**	**2.16:1** **(2.07:1)**
	निर्माण												
18.	उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रिज कार्पोरेशन लिमिटेड	1000.00 (-)	(-)	- (-)	-(-)	1000.00 (-)	-	1206.39	1611.00	1221.00	1611.00	2832.00	2.83:1 (0.01:1)
19.	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड	100.00 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	100.00 (-)	-	-	-	-	-	-	- (-)
20.	उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड	300.00 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	300.00 (-)	-	-	-	-	-	-	- (-)
	क्षेत्रवार योग	**1400.00** **(-)**	**-** **(-)**	**-** **(-)**	**-** **(-)**	**1400.00** **(-)**	**-**	**1206.39**	**1611.00**	**1221.00**	**1611.00**	**2832.00**	**2.02:1** **(0.01:1)**
	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का विकास												
21.	उत्तर प्रदेश शेड्यूल्ड कास्ट फाईनेन्स एण्ड डेवलपमेण्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	9008.06 (-)	8612.32 (-)	-	-	17620.38 (-)	318.75	-	2103.30	-	8510.87	8510.87	0.48:1 (0.43:1)
22.	उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम लिमिटेड	15.00 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	15.00 (-)	-	-	-	-	-	-	- (-)

(1)	(2)	3(अ)	3(ब)	3(स)	3(द)	3(य)	4(अ)	4(ब)	4(स)	4(द)	4(य)	4(र)	5
23.	उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	910.00 (357.82)	- (-)	- (-)	- (-)	910.00 (357.82)		-	1840.06	320.00	4084.83	4404.83	3.47:1 (3.47:1)
	क्षेत्रवार योग	**9933.06 (357.82)**	**8612.32 (-)**	**- (-)**	**- (-)**	**18545.38 (357.82)**	**318.75**	**-**	**3943.36**	**320.00**	**12595.70**	**12915.70**	**0.69:1 (0.65:1)**
	सर्वजनिक वितरण												
24.	उत्तर प्रदेश खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लिमिटेड	500.00 (50.39)	- (-)	- (-)	- (-)	500.00 (50.39)	-	-	-	1347.05	-	1347.05	2.45:1 (2.45:1)
	क्षेत्रवार योग	**500.00 (50.39)**	- (-)	- (-)	- (-)	**500.00 (50.39)**	-	-	-	**1347.05**	-	**1347.05**	**2.45:1 (2.45:1)**
	चीनी												
25.	उत्तर प्रदेश स्टेट शूगर कार्पोरेशन लिमिटेड	93961.46 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	93961.46 (-)		-	-	3358.93	-	3358.93	0.04:1 (0.04:1)
26.	छाता शूगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट शूगर कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	- (-)	- (-)	3618.28 (-)	- (-)	3618.28 (-)	-	-	-	-	-	-	- (0.12:1)
27.	नन्दगंज-सिहोरी शूगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट शूगर कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	- (-)	- (-)	3404.05 (-)	- (-)	3404.05 (-)	-	-	-	-	2944.80	2944.80	0.87:1 (0.87:1)
28.	घाटमपुर शूगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट शूगर कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	- (-)	- (-)	879.85 (-)	15.00 (-)	894.85 (-)	-	-	436.43	-	4503.24	4503.24	5.03:1 (4.54:1)
29.	उत्तर प्रदेश राज्य चीनी एवं गन्ना विकास निगम लिमिटेड	-	-	843.70 (54459.42)	-	843.70 (54459.42)	-	2750.00	-	4793.99	-	4793.99	0.09:1 (0.04:1)
	क्षेत्रवार योग	**93961.46 (-)**	**- (-)**	**8745.88 (54459.42)**	**15.00 (-)**	**102722.34 (54459.42)**	**-**	**2750.00**	**436.43**	**8152.92**	**7448.04**	**15600.96**	**0.10:1 (0.08:1)**
	पर्यटन												
30.	उत्तर प्रदेश स्टेट टूरिज्म डेवलपमेण्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	1512.53 (226.00)	- (-)	- (-)	- (-)	1512.53 (226.00)	226.00	-	-	-	4.45	4.45	0.002:1 (0.003:1)
	क्षेत्रवार योग	**1512.53 (226.00)**	**- (-)**	**- (-)**	**- (-)**	**1512.53 (226.00)**	**226.00**	**-**	**-**	**-**	**4.45**	**4.45**	**0.002:1 (0.003:1)**
	विद्युत												
31.	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	292380.62 (700.00)	- (-)	- (-)	- (-)	292380.62 (700.00)	40700.00	-	46518.18	21909.00	252839.87	274748.87	0.94:1 (0.92:1)
32.	उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड	40444.44 (916.00)	- (-)	- (-)	- (-)	40444.44 (916.00)	916.00	-	-	6465.00	8521.43	14986.43	0.36:1 (0.16:1)
33.	उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड	470744.89 (698450.13)	- (-)	- (-)	0.07 (-)	470744.96 (698450.13)	-	-	192500.0 0	9971.00	82432.00	92403.00	0.08:1 (0.08:1)
34.	कानपुर इलेक्ट्रीसिटी सप्लाई कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	0.07 (-)	- (-)	5999.93 (-)	- (-)	6000.00 (-)	-	-	3026.97	-	14026.97	14026.97	2.34:1 (2.34:1)

(1)	(2)	3(अ)	3(ब)	3(स)	3(द)	3(य)	4(अ)	4(ब)	4(स)	4(द)	4(य)	4(र)	5
35.	यू0पी0एस0आई0डी0सी0 पावर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	- (-)	- (-)	5.07 (-)	- (-)	5.07 (-)	-	-	-	-	-	-	- (-)
36.	दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	- (-)	- (-)	34619.00 (2382.90)	- (-)	34619.00 (2382.90)	-	-	-	5386.54	35971.44	41357.98	1.12:1 (1.12:1)
37.	मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	- (-)	- (-)	15548.00 (3537.47)	- (-)	15548.00 (3537.47)	-	-	-	12864.04	6334.92	19198.96	1:1 (0.70:1)
38.	पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	- (-)	- (-)	54005.00 (1990.36)	- (-)	54005.00 (1990.36)	-	-	-	9600.00	66415.00	76015.00	1.36:1 (1.36:1)
39.	पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	- (-)	- (-)	11520.00 (5020.84)	- (-)	11520.00 (5020.84)	-	-	58107.00	375.00	97188.00	97563.00	5.90:1 (5.90:1)
	क्षेत्रवार योग	**803507.02 (700066.13)**	**- (-)**	**121697.00 (12931.57)**	**0.07 (-)**	**925267.09 (712997.70)**	**41616.00**	**-**	**300152.15**	**66570.58**	**563729.63**	**630300.21**	**0.38:1 (0.36:1)**
	ड्रग, केमिकल्स एवं फार्मास्यूटिकल												
40.	उत्तर प्रदेश ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	55.93 (-)	- (-)	- (-)	53.73 (-)	109.66 (-)	-	-	-	-	-	-	-
	क्षेत्रवार योग	**55.93 (-)**	**- (-)**	**- (-)**	**53.73 (-)**	**109.66 (-)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	वित्तपोषण												
41.	उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेण्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	2407.51 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	2407.51 (-)	-	-	-	198.33	-	198.33	0.08:1 (0.66:1)
42.	दि प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेण्ट कार्पोरेशन आफ उत्तर प्रदेश लिमिटेड	11057.50 (-)	- (-)	- (-)	2500.00 (-)	13557.50 (-)	-	6865.00	-	8615.00	31303.23	39918.23	2.94:1 (3.36:1)
43.	उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	2999.95 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	2999.95 (-)	-	-	1820.61	752.00	8268.37	9020.37	3.01:1 (3.01:1)
	क्षेत्रवार योग	**16464.96 (-)**	**- (-)**	**- (-)**	**2500.00 (-)**	**18964.96 (-)**	**-**	**6865.00**	**1820.61**	**9565.33**	**39571.60**	**49136.93**	**2.59:1 (2.96:1)**
	विविध												
44.	उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	634.27 (-)	90.00 (-)	- (-)	- (-)	724.27 (-)	-	-	-	743.68	-	743.68	1.03:1 (1.03:1)
45.	उत्तर प्रदेश डेवलपमेण्ट सिस्टम्स कार्पोरेशन लिमिटेड	100.00 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	100.00 (-)	-	-	-	-	-	-	- (-)
46.	उत्तर प्रदेश वक्फ विकास निगम लिमिटेड	350.00 (200.00)	- (-)	- (-)	- (-)	350.00 (200.00)	-	-	-	-	-	-	- (-)
47.	उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निगम लिमिटेड	471.00 (-)	48.03 (-)	- (-)	- (-)	519.03 (-)	-	-	-	-	-	-	- (-)

(1)	(2)	3(अ)	3(ब)	3(स)	3(द)	3(य)	4(अ)	4(ब)	4(स)	4(द)	4(य)	4(र)	5
48.	उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड	42.54 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	42.54 (-)	-	-	-	-	-	-	- (-)
	क्षेत्रवार योग	**1597.81** **(200.00)**	**138.03** **(-)**	- (-)	- **(-)**	**1735.84** **(200.00)**	-	-	-	**743.68**	-	**743.68**	**0.38:1** **(0.38:1)**
	योग-अ (सभी क्षेत्रवार कार्यरत सरकारी कम्पनियाँ)	959746.15 (703804.57)	**10246.13** **(-)**	137239.72 (67390.99)	2857.83 **(1.23)**	**1110089.83** **(771196.79)**	**42330.75**	**12627.55**	306619.93	**114932.10**	**627327.80**	**742259.90**	**0.39:1** **(0.37:1)**
ब. कार्यरत सांविधिक निगम													
	परिवहन												
1.	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	25211.49 (-)	6001.46 (-)	-	-	31212.95	-	-	4320.00	347.00	17911.77	18258.77	0.58:1 (0.68:1)
	क्षेत्रवार योग	**25211.49** **(-)**	**6001.46** **(-)**	- (-)	- (-)	**31212.95** (-)	-	-	**4320.00**	**347.00**	**17911.77**	**18258.77**	**0.58:1** **(0.68:1)**
	वित्तपोषण												
2.	उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम	11450.78	-	-	6477.68	17928.46	-	-	3703.98	3000.00	97832.17	100832.17	5.62:1 (5.62:1)
	क्षेत्रवार योग	**11450.78**	-	-	**6477.68**	**17928.46**	-	-	**3703.98**	**3000.00**	**97832.17**	**100832.17**	**5.62:1** **(5.62:1)**
	कृषि एवं समवर्गीय												
3.	उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम	558.25 (220.70)	558.25 (-)	- (-)	- (-)	1116.50 (220.70)	-	-	-	-	3987.12	3987.12	2.98:1 (4.15:1)
	क्षेत्रवार योग	**558.25** **(220.70)**	**558.25** **(-)**	- (-)	- (-)	**1116.50** **(220.70)**	-	-	-	-	**3987.12**	**3987.12**	**2.98:1** **(4.15:1)**
	वन												
4.	उत्तर प्रदेश वन निगम	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- (-)
	क्षेत्रवार योग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- **(-)**
	विविध												
5.	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- (-)
6.	उत्तर प्रदेश जल निगम	-	-	-	-	-	-	-	-	9885.31	-	9885.31	- (-)
7.	उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम	-	-	-	-	-	-	-	-	165.05	-	165.05	- (-)
	क्षेत्रवार योग	-	-	-	-	-	-		-	**10050.36**	-	**10050.36**	- (-)
	योग-ब (सभी क्षेत्रवार सांविधिक निगम)	**37220.52** **(220.70)**	**6559.71** **(-)**	- (-)	**6477.68** **(-)**	**50257.91** **(220.70)**	-	-	**8023.98**	**13397.36**	**119731.06**	**133128.42**	**2.64:1** **(2.79:1)**
	कुल योग (अ+ब)	**996966.67** **(704025.27)**	**16805.84** **(-)**	137239.72 (67390.99)	**9335.51** **(1.23)**	**1160347.74** **(771417.49)**	**42330.75**	**12627.55**	**314643.91**	**128329.46**	**747058.86**	**875388.32**	**0.45:1** **(0.44:1)**
स. अकार्यरत कम्पनियाँ													
	कृषि एवं समवर्गीय												
1.	उत्तर प्रदेश पशुधन उद्योग निगम लिमिटेड	209.85 (-)	63.00 (-)	- (-)	- (-)	272.85 (-)	-	10.00	11.00	71.11	_	71.11	0.26:1 (0.26:1)

(1)	(2)	3(अ)	3(ब)	3(स)	3(द)	3(य)	4(अ)	4(ब)	4(स)	4(द)	4(य)	4(र)	5
2.	उत्तर प्रदेश (पूर्व) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	22.73 (-)	- (-)	- (-)	8.11 (0.22)	30.84 (0.22)	-	-	-	169.70	-	169.70	5.46:1 (5.46:1)
3-	उत्तर प्रदेश (रूहेलखण्ड तराई) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	38.25 (-)	- (-)	- (-)	32.95 (0.21)	71.20 (0.21)	-	-	-	654.87	-	654.87	9.17:1 (9.17:1)
4.	उत्तर प्रदेश स्टेट हार्टीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग एण्ड प्रोसेसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड	640.68 (-)	- (-)	- (-)	64.25 (-)	704.93 (-)	-	-	-	122.48	-	122.48	0.17:1 (0.17:1)
5.	उत्तर प्रदेश पौल्ट्री एण्ड लाइव स्टाक स्पेशैलिटीज लिमिटेड	44.00 (121.75)	6.00 (121.75)	- (-)	- (-)	50.00 (243.50)	-	-	-	109.75	-	109.75	0.37:1 (0.37:1)
	क्षेत्रवार योग	**955.51 (121.75)**	**69.00 (121.75)**	**- (-)**	**105.31 (0.43)**	**1129.82 (243.93)**	-	**10.00**	**11.00**	**1127.91**	-	**1127.91**	**0.82:1 (0.82:1)**
	उद्योग												
6.	उत्तर प्रदेश प्लाण्ट प्रोटेक्शन एप्लाएन्सेस (प्राईवेट) लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्माल इण्डस्ट्रीज़ कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	- (-)	- (-)	1.63 (-)	- (-)	1.63 (-)	-	-	-	-	3.00	3.00	1.84:1 (1.84:1)
7	आटो ट्रैक्टर्स लिमिटेड	562.59 (-)	- (-)	- (-)	187.41 (-)	750.00 (-)	-	-	-	37.50	-	37.50	0.05:1 (0.05:1)
8.	उत्तर प्रदेश इन्स्ट्रूमेन्ट्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलेपमेण्ट कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	-	-	177.72	15.50 (9.00)	193.22 (9.00)	-	-	-	554.62	1149.26	1703.88	8.43:1 (8.43:1)
9.	उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रासवेयर कार्पोरेशन लिमिटेड	527.86 (-)	10.00 (-)	- (-)	- (-)	537.86 (-)	-	-	-	194.23	-	194.23	0.36:1 (0.36:1)
10-	कान्टीनेन्टल फ्लोर ग्लास लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलेपमेन्ट कारपोरेशन मिमिटेड की सहायक)	- (-)	- (-)	2921.72 (-)	1702.23 (-)	4623.95	-	-	-	-	13885.08	13885.08	3.00:1 (3.00:1)
11.	उत्तर प्रदेश एक्स्काट प्राईवेट लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्माल इण्डस्ट्रियल कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	- (-)	- (-)	4.85 (-)	- (-)	4.85 (-)	-	-	-	-	-	-	- (-)
12.	उत्तर प्रदेश टायर एण्ड ट्यूब्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	- (-)	- (-)	183.16 (-)	- (-)	183.16 (-)	-	-	-	-	-	-	- (-)
	क्षेत्रवार योग	**1090.45 (-)**	**10.00 (-)**	**3289.08**	**1905.14 (9.00)**	**6294.67 (9.00)-**	-	-	-	**786.35**	**15037.34**	**15823.69**	**2.51:1 (2.51:1)**
	इलेक्ट्रानिक्स												
13.	अपट्रान सेमपैक लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	- (-)	- (-)	2.55 (-)	- (-)	2.55 (-)	-	-	-	-	2.77	2.77	1.09:1 (1.09:1)
14.	कानपुर कम्पोनेन्ट्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	- (-)	- (-)	5.25 (-)	- (-)	5.25 (-)	-	-	-	-	-	-	- (-)
	क्षेत्रवार योग	**- (-)**	**- (-)**	**7.80 (-)**	**- (-)**	**7.80 (-)**	-	-	-	-	**2.77**	**2.77**	**0.36:1 (0.36:1)**

(1)	(2)	3(अ)	3(ब)	3(स)	3(द)	3(य)	4(अ)	4(ब)	4(स)	4(द)	4(य)	4(र)	5
	वस्त्र												
15.	उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाईल कार्पोरेशन लिमिटेड	16079.37 (4332.00)	- (-)	- (-)	- (-)	16079.37 (4332.00)	-	-	-	9529.19	-	9529.19	0.47:1 (0.47:1)
16.	उत्तर प्रदेश टेक्सटाईल प्रिंटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट हैण्डलूम कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	16.20 (-)	- (-)	26.00 (-)	- (-)	42.20 (-)	-	-	-	-	-	-	- (-)
17.	भदोही वूलेन्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाईल कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	- (-)	- (-)	375.54 (-)	- (-)	375.54 (-)	-	-	-	-	-	-	- (-)
	क्षेत्रवार योग	**16095.57 (4332.00)**	**- (-)**	**401.54 (-)**	**- (-)**	**16497.11 (4332.00)**	**-**	**-**	**-**	**9529.19**	**-**	**9529.19**	**0.46:1 (0.46:1)**
	हैण्डलूम एण्ड हैन्डीक्राफ्ट्स												
18.	हैण्डलूम कार्पोरेशन इन्टेंसिव डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन (गोखपुर एवं बस्ती) लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट हैण्डलूम कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	- (-)	- (-)	3.00 (-)	- (-)	3.00 (-)	-	-	-	-	-	-	- (-)
19.	हैण्डलूम कार्पोरेशन इन्टेंसिव डेवलपमेन्ट प्रोजेक्ट (विजनौर) लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट हैण्डलूम कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	- (-)	- (-)	2.00 (-)	- (-)	2.00 (-)	-	-	-	-	-	-	- (-)
	क्षेत्रवार योग	**- (-)**	**- (-)**	**5.00 (-)**	**- (-)**	**5.00 (-)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**- (-)**
	खनन												
20.	उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	5640.48 (303.00)	- (-)	- (-)	- (-)	5640.48 (303.00)	303.00	-	-	1823.86	150.00	1973.86	0.33:1 (0.35:1)
21.	विन्ध्याचल अन्नेसिव्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	- (-)	- (-)	3.73 (-)	3.87 (-)	7.60 (-)	-	-	-	-	84.42	84.42	11.11:1 (11.11:1)
	क्षेत्रवार योग	**5640.48 (303.00)**	**- (-)**	**3.73 (-)**	**3.87 (-)**	**5648.08 (303.00)**	**303.00**	**-**	**-**	**1823.86**	**234.42**	**2058.28**	**0.35:1 (0.36:1)**
	क्षेत्र विकास												
22.	उत्तर प्रदेश बुन्देलखण्ड विकास निगम लिमिटेड	123.30 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	123.30 (-)	-	-	-	5.00	1.00	6.00	0.05:1 (0.04:1)
23.	उत्तर प्रदेश पूर्वांचल विकास निगम लिमिटेड	129.80 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	129.80 (-)	-	-	-	35.00	-	35.00	0.27:1 (0.27:1)
24.	बुन्देलखण्ड कंक्रीट स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश बुन्देलखण्ड विकास निगम लिमिटेड की सहायक)	- (-)	- (-)	1.22 (-)	- (-)	1.22 (-)	-	-	-	-	-	-	- (-)
25.	इलाहाबाद मण्डल विकास निगम लिमिटेड	67.00 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	67.00 (-)	-	-	-	65.93	-	65.93	0.98:1 (0.98:1)
26.	बरेली मण्डल विकास निगम लिमिटेड	125.00 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	125.00 (-)	-	-	-	-	-	-	- (-)
27.	लखनऊ मण्डलीय विकास निगम लिमिटेड	70.00 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	70.00 (-)	-	-	-	85.79	-	85.79	1.22:1 (1.22:1)
28.	आगरा मण्डल विकास निगम लिमिटेड	100.00 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	100.00 (-)	-	-	-	5.00	-	5.00	0.05:1 (0.05:1)
29.	गोरखपुर मण्डल विकास निगम लिमिटेड	93.56 (-)	- (-)	- (-)	32.47 (-)	126.03 (-)	-	-	-	88.24	-	88.24	0.70:1 (0.70:1)
30.	मेरठ मण्डल विकास निगम लिमिटेड	100.00 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	100.00 (-)	-	-	-	-	-	-	- (-)
31.	वाराणसी मण्डल विकास निगम लिमिटेड	70.00 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	70.00 (-)	-	-	-	30.00	-	30.00	0.43:1 (0.43:1)
32.	मुरादाबाद मण्डल विकास निगम लिमिटेड	25.00 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	25.00 (-)	-	-	-	64.60	-	64.60	2.58:1 (2.58:1)
33.	गंडक समादेश क्षेत्रीय विकास निगम लिमिटेड	46.00 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	46.00 (-)	-	-	-	-	-	-	- (-)
	क्षेत्रवार योग	**949.66 (-)**	**- (-)**	**1.22 (-)**	**32.47 (-)**	**983.35 (-)**	**-**	**-**	**-**	**379.56**	**1.00**	**380.56**	**0.39:1 (0.39:1)**

(1)	(2)	3(अ)	3(ब)	3(स)	3(द)	3(य)	4(अ)	4(ब)	4(स)	4(द)	4(य)	4(र)	5
	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का विकास												
34.	तराई अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड	45.00 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	45.00 (-)	-	-	-	125.00	-	125.00	2.78:1 (2.78:1)
	क्षेत्रवार योग	**45.00** **(-)**	**-** **(-)**	**-** **(-)**	**-** **(-)**	**45.00** **(-)**	**-**	**-**	**-**	**125.00**	**-**	**125.00**	**2.78:1** **(2.78:1)**
	सीमेण्ट												
35.	उत्तर प्रदेश सीमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	6828.00 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	6828.00 (-)	-	-	-	12476.52	-	12476.52	1.83:1 (1.83:1)
	क्षेत्रवार योग	**6828.00** **(-)**	**-** **(-)**	**-** **(-)**	**-** **(-)**	**6828.00** **(-)**	**-**	**-**	**-**	**12476.52**	**-**	**12476.52**	**1.83:1** **(1.83:1)**
	ड्रग, केमिकल्स एवं फार्मास्यूटिकल												
36.	दि इण्डियन टरपेन्टाइन एण्ड रोजिन कम्पनी लिमिटेड	18.75 (-)	- (-)	- (-)	3.27 (-)	22.02 (-)	-	-	-	533.00	-	533.00	24.21:1 (24.21:1)
37.	उत्तर प्रदेश कार्बाइड एण्ड केमिकल्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेण्ट कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	- (-)	- (-)	658.73 (-)	- (-)	658.73 (-)	-	-	-	1102.00	-	1102.00	1.67:1 (1.67:1)
	क्षेत्रवार योग	**18.75** **(-)**	**-** **(-)**	**658.73** **(-)**	**3.27** **(-)**	**680.75** **(-)**	**-**	**-**	**-**	**1635.00**	**-**	**1635.00**	**2.40:1** **(2.40:1)**
	वित्त पोषण												
38.	उत्तर प्रदेश पंचायती राज वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	77.77 (-)	- (-)	-	65.68 (-)	143.45 (-)	-	-	-	-	-	-	- (-)
39.	अपलीज फाइनेंसियल सर्विसेज लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	- (-)	- (-)	100.00 (-)	5.87 (-)	105.87 (-)	-	-	-	-	414.76	414.76	3.92:1 (3.92:1)
	क्षेत्रवार योग	**77.77** **(-)**	**-** **(-)**	**100.00** **(-)**	**71.55** **(-)**	**249.32** **(-)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**414.76**	**414.76**	**1.66:1** **(1.66:1)**
	विविध												
40.	उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम लिमिटेड	818.22 (-)	- (-)	- (-)	0.20 (-)	818.42 (-)	-	-	-	247.00	-	247.00	0.30:1 (0.30:1)
	क्षेत्रवार योग	**818.22** **(-)**	**-** **(-)**	**-** **(-)**	**0.20** **(-)**	**818.42** **(-)**	**-**	**-**	**-**	**247.00**	**-**	**247.00**	**0.30:1** **(0.30:1)**
	कुल योग-(स)	**32519.41** **(4756.75)**	**79.00** **(121.75)**	**4467.10** **(-)**	**2121.81** **(9.43)**	**39187.32** **(4887.93)**	**303.00**	**10.00**	**11.00**	**28130.39**	**15690.29**	**43820.68**	**1.0:1** **(1.0:1)**
	कुल योग (अ+ब+स)	**1029486.08** **(708782.02)**	**16884.84** **(121.75)**	**141706.82** **(67390.99**	**11457.32** **(10.66)**	**1199535.06*** **(776305.42)**	**42633.75**	**12637.55**	**314654.91**	**156459.85**	**762749.15**	**919209.00**	**0.47:1** **(0.45:1)**

टिप्पणी: उन कम्पनियों को छोड़कर, जिन्होंने वर्ष 2006-07 के लेखों को अन्तिम रूप दिया था (क्रम सं0 अ-2.3, 12. 13. 42 व सी-20) आंकड़े अनन्तिम है और जैसा कम्पनी/निगमों ने दिये है।

स्त्रोत: पीएसयू द्वारा प्रदत्त सूचना।

* राज्य सरकार का निवेश 18299.93 करोड़ रुपये (अन्य: 9771.61 करोड़ रुपये) था। वित्त लेखा 2006-07 के अनुसार यह 23559.79 करोड़ रुपये है। अन्तर का समाधान किया जा रहा है।

परिशिष्ट-2

सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों के अद्यतन वर्ष जिनके लेखों को अन्तिम रूप दे दिया गया, के संक्षिप्त वित्तीय परिणामों को दर्शाती विवरणी

(प्रस्तर संख्या 1.7, 1.8, 1.10, 1.11, 1.12, 1.14, 1.21 व 1.22 में सन्दर्भित)

(स्तम्भ 7 से 12 एवं 15 के आंकड़े लाख रुपये में)

क्रम सं0	क्षेत्र एवं कम्पनियों/निगमों के नाम	विभाग का नाम	निगमन की तिथि	लेखों की अवधि	वर्ष जिसमें लेखों को अन्तिम रूप दिया गया	शुद्ध लाभ(+)/ हानि(-)	लेखापरीक्षा टिप्पणियों का शुद्ध प्रभाव	प्रदत्त पूँजी	संचित लाभ(+)/ हानि(-)	नियोजित पूँजी (अ)	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिलाभ	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिलाभ का प्रतिशत	वर्षों के अनुसार लेखों का बकाया	आवर्त	श्रम शक्ति (कर्मचारियों की संख्या)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
अ. कार्यरत सरकारी कम्पनियाँ															
	कृषि एवं समवर्गीय														
1.	उत्तर प्रदेश स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कार्पोरेशन लिमिटेड	कृषि	29.03.1967	2003-04	2006-07	28.13		4000.00	(-)6737.62	851.84	417.63	49.02	03	36321.60	1250
2.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	चीनी उद्योग और गन्ना विकास	27.08.1975	2006-07	2007-08	86.22		63.68	(-)42.92	25.31	86.22	340.65	-	37.31	
3.	उत्तर प्रदेश (मध्य) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	चीनी उद्योग और गन्ना विकास	27.08.1975	2006-07	2007-08	73.00		23.52	(-)45.38	253.84	73.00	28.76	-	106.76	26
4.	उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट्स कार्पोरेशन लिमिटेड	सिंचाई	26.05.1976	2005-06	2007-08	625.17		640.00	1077.13	(-)456.38	625.17	-	01	20797.49	
5.	उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम	कृषि	30.03.1978	2005-06	2007-08	0.08		150.00	0.39	880.00	0.08	0.01	01	1164.11	454
6.	उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम लिमिटेड	मत्स्य उत्पादन	27.10.1979	1998-99	2007-08	28.35		107.00	(-)211.51	300.24	28.35	9.44	08	408.34	231
7.	उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम लिमिटेड	कृषि	15.02.2002	2003-04	2006-07	836.37		67.00	782.63	1024.20	967.04	94.42	03	8521.37	
	क्षेत्रवार योग					**1677.32**		**5051.20**	**1860.15** **(-)7037.43**	**3335.43** **(-)456.38**	**2197.49**	**66.81**		**67356.98**	**1961**
	उद्योग														
8.	उत्तर प्रदेश स्माल इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड	लघु उद्योग	01.06.1958	1999-00	2007-08	(-)96.41		596.05	(-)1064.95	749.51	193.87	25.87	07	10465.22	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
9.	उत्तर प्रदेश स्टेट लेदर डेवलपमेण्ट एण्ड मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड	निर्यात प्रोत्साहन	12.02.1974	2000-01	2002-03	26.16	-	573.94	(-)685.60	531.10	31.36	5.90	06	360.44	02
10.	यू पी एस आई सी पौट्रीज लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्माल इण्डस्ट्रीज़ कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	लघु उद्योग	27.04.1976	1993-94	2006-07	(-)62.71	0.41	75.00	(-)452.14	7.97	(-) 29.43	-	13	187.81	
	क्षेत्रवार योग					**26.16 (-)159.12**		**1244.99**	**(-)2202.69**	**1288.58**	**225.23 (-) 29.43**	**15.19**		11013.47	**02**
	इलेक्ट्रानिक्स														
11.	उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड	इलेक्ट्रानिक्स एवम् सूचना प्रोद्योगिकी	20.03.1974	2005-06	2006-07	6.25		8765.98	(-)196.21	9747.09	6.38	0.06	01	701.59	42
12.	अपट्रान पावरट्रानिक्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	इलेक्ट्रानिक्स एवम् सूचना प्रोद्योगिकी	10.04.1977	2006-07	2007-08	12.88	205.00	407.00	(-)985.04	503.22	65.09	12.93	शून्य	804.77	
13.	श्रीट्रान इण्डिया लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	इलेक्ट्रानिक्स एवम् सूचना प्रोद्योगिकी	01.02.1979	2006-07	2007-08	1.65	246.00	721.70	(-)291.24	696.51	2.82	0.40	शून्य	820.19	14
14	अपट्रान इण्डिया लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	इलेक्ट्रानिक्स एवम् सूचना प्रोद्योगिकी	18.10.1979	1995-96	1997-98	(-)3212.23		5315.59	(-) 19693.43	5206.05	(-) 406.07		11	9715.47	उपलब्ध नही
	क्षेत्रवार योग					**20.78 (-)3212.23**		**15210.27**	**(-)21165.92**	**16152.87**	**74.29 (-)406.07**			12042.02	**56**
	वस्त्र														
15.	उत्तर प्रदेश स्टेट यार्न कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाईल कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	वस्त्र	20.08.1974	2005-06	2006-07	(-) 476.97		3190.52	(-)11731.59	601.47	(-)33.04		01	3624.76	1301
16.	उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लिमिटेड	वस्त्र	20.08.1976	2005-06	2006-07	(-)1320.73	39.29	9324.43	(-)12443.50	2774.41	(-)1271.00		01	12125 26	2389
	क्षेत्रवार योग					**- (-)1797.70**		**12514.95**	**(-)24175.09**	**3375.88**	**(-)1304.04**			15750.02	**3690**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	हैण्डलूम एण्ड हैन्डीक्राफ्ट्स														
17	उत्तर प्रदेश स्टेट हैण्डलूम कार्पोरेशन लिमिटेड	हथकरघा एवम् वस्त्र उद्योग	09.01.1973	1992-93	2006-07	(-)209.71		1375.49	(-)1853.65	6327.14	(-)135.79	-	14	10974.16	590
	क्षेत्रवार योग					**(-)209.71**		**1375.49**	**(-)1853.65**	**6327.14**	**(-)135.79**	-		**10974.16**	**590**
	निर्माण														
18.	उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रिज कार्पोरेशन लिमिटेड	सार्वजनिक निर्माण	18.10.1972	2003-04	2006-07	(-)2829.10	371.33	1000.00	(-)3665.27	2668.36	(-)2671.19		03	22209.42	6863
19.	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड	सार्वजनिक निर्माण	01.05.1975	2005-06	2007-08	3344.44		100.00	3429.73	3786.58	3445.35	90.99	01	83417.04	3709
20.	उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड	गृह	27.03.1987	2005-06	2006-07	399.88	290.00	300.00	978.01	1251.35	399.88	31.95	01	6056.29	153
	क्षेत्रवार योग					**3744.32** **(-)2829.10**		**1400.00**	**4407.74** **(-)3665.27**	**7706.29**	**3845.23** **(-)2671.19**	**15.23**		**111682.75**	**10725**
	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का विकास														
21.	उत्तर प्रदेश शेड्यूल्ड कास्ट फाईनेन्स एण्ड डेवलपमेण्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	समाज कल्याण	25.03.1975	1999-2000	2006-07	114.34		11335.00	1240.30	19560.13	188.68		07	704.95	504
22.	उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम लिमिटेड	समाज कल्याण	25.06.1976	2005-06	2006-07	441.53	237.00	15.00	1434.65	1324.71	441.53	33.33	01	1928.49	614
23.	उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड (पूर्व में उत्तर प्रदेश पिछड़ी जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड)	पिछड़ा वर्ग कल्याण	26.04.1991	2000-01	2007-08	98.86		810.00	246.89	3500.71	167.87	4.79	06	192.89	
	क्षेत्रवार योग					**654.73**		**12160.00**	**2921.84**	**24385.55**	**798.08**	**3.27**		**2826.33**	**1118**
	सार्वजनिक वितरण														
24.	उत्तर प्रदेश खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लिमिटेड	खाद्य एवं रसद	22.10.1974	1991-92	2007-08	(-)89.61		387.39	(-)864.88	3503.29	10.38	0.30	15	12818.17	966
	क्षेत्रवार योग					**(-)89.61**		**387.39**	**(-)864.88**	**3503.29**	**10.38**	**0.30**	**15**	**12818.17**	**966**
	चीनी														
25.	उत्तर प्रदेश स्टेट शूगर कार्पोरेशन लिमिटेड	चीनी उद्योग एवम् गन्ना विकास	26.03.1971	2005-06	2006-07	5947.37	27.13	93961.46	(-)36507.98	80902.36	8770.94	10.84	01	65477.59	17067

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
26.	छाता शुगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट शूगर कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	चीनी उद्योग एवम् गन्ना विकास	18.04.1975	2005-06	2007-08	241.95		3618.28	(-)6097.64	2392.60	536.62	22.43	01	2186.60	567
27.	नन्दगंज-सिहोरी शूगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट शूगर कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	चीनी उद्योग एवम् गन्ना विकास	18.04.1975	2005-06	2007-08	(-)1434.84		3404.05	(-)18585.96	1284.05	(-)287.59		01	1723.79	
28.	घाटमपुर शूगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट शूगर कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	चीनी उद्योग एवम् गन्ना विकास	30.05.1986	2004-05	2007-08	(-)887.39		894.86	(-)8625.57	414.87	(-)189.08		02	1193.49	689
29.	उत्तर प्रदेश राज्य चीनी एवं गन्ना विकास निगम लिमिटेड	चीनी उद्योग एवम् गन्ना विकास	16.05.2002	2003-04	2006-07	46961.62		843.70	(-)76377.53	(-)2380.98	55239.91		03	4757.38	
	क्षेत्रवार योग					**53150.94** **(-)2322.23**		**102722.35**	**(-)146194.68**	**84993.88** **(-)2380.98**	**64547.47** **(-)476.67**	**77.55**		**75338.85**	**18323**
	पर्यटन														
30.	उत्तर प्रदेश स्टेट टूरिज्म डेवलपमेण्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	पर्यटन	05.08.1974	2003-04	2005-06	(-)166.76	14.13	1512.53	(-)1322.43	621.18	(-)407.63		03	1312.29	659
	क्षेत्रवार योग					**(-)166.76**		**1512.53**	**(-)1322.43**	**621.18**	**(-)407.63**			**1312.29**	**659**
	विद्युत														
31.	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	ऊर्जा	22.08.1980	2005-06	2006-07	(-)26922.05		249480.62	(-)150802.68	462175.20	14387.36	3.11	01	290580.00	9560
32.	उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड	ऊर्जा	15.04.1985	2004-05	2006-07	(-)229.78	23473.21	39394.44	(-)14409.70	33346.49	816.10	2.45	02	6001.25	
33.	उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड	ऊर्जा	30.11.1999	2003-04*	2006-07	(-)69154.32	29945.00	470744.96	(-)585546.14	445065.14	(-)52160.57		03	698012.65	
34.	कानपुर इलेक्ट्रीसिटी सप्लाई कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	ऊर्जा	21.07.1999	2002-03	2005-06	(-)12629.59	85.96	6000.00	(-)30588.92	30689.75	(-)12058.33		04	50182.14	2364

*दोहराये गये लेखे।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
35.	यू0पी0एस0आई0डी0सी0 पावर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	ऊर्जा	11.04.2000	2005-06	2006-07	-		5.07	0.09	3.02	-	-	01	कम्पनी निर्माणाधीन	उपलब्ध नहीं
36.	दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	ऊर्जा	01.05.2003	2003-04	2005-06	(-)11309.14		34624.00	(-)11309.14	71472.65	(-)9091.73	-	03	90816.81	6699
37.	मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	ऊर्जा	01.05.2003	2003-04*	2006-07	(-)4741.70		15548.00	(-)4741.70	75919.06	(-)1810.01	-	03	82162.18	9073
38.	पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	ऊर्जा	01.05.2003	2003-04*	2006-07	20400.93		54005.00	20400.93	92346.90	23444.97	25.39	03	118256.68	उपलब्ध नहीं
39.	पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	ऊर्जा	01.05.2003	2003-04	2005-06	(-)8092.12		11520.00	(-)8092.12	69642.80	(-)5329.35	-	03	98817.66	10140
	क्षेत्रवार योग					**20400.93** **(-)133078.70**		**881322.09**	**20401.02** **(-)805490.40**	**1280661.01**	**38648.43** **(-)80449.99**	-		**1434829.37**	**37836**
	ड्रग, केमिकल्स एवं फार्मास्यूटिकल														
40.	उत्तर प्रदेश ड्रग्स एवं औद्योगिक विकास फार्मास्यूटिकल लिमिटेड			2005-06	2006-07	139.02	90.49	109.66	(-)684.80	572.62	153.53	26.81	01	2734.57	342
	क्षेत्रवार योग					**139.02**		**109.66**	**(-)684.80**	**572.62**	**153.53**	**26.81**		**2734.57**	**342**
	वित्त पोषण														
41.	उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेण्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	औद्योगिक विकास	29.03.1961	2005-06	2007-08	4554.19		2407.51	4981.31	19876.58	4710.21	23.70	01	7315.15	624
42.	दि प्रदेशीय इण्डस्ट्रीयल एण्ड इन्वेस्टमेण्ट कार्पोरेशन आफ उत्तर प्रदेश लिमिटेड	औद्योगिक विकास	29.03.1972	2006-07	2007-08	1957.90		13557.50	(-)40783.66	6508.25	4166.23	64.01	शून्य	2060.47	298

* दोहराये गये लेखे।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
43.	उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ	17.11.1984	1993-94	2005-06	16.89		422.50	(-)2.86	829.61	16.89	2.03	13	43.42	34
	क्षेत्रवार योग					**6528.98**		**16387.51**	**4981.31 (-)40786.52**	**27214.44**	**8893.33**	**32.68**		**9419.04**	**956**
	विविध														
44.	उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	निर्यात प्रोत्साहन	20.01.1966	2000-01	2006-07	(-)234.15	36.64	704.27	(-)1996.84	453.39	(-)199.66	-	06	737.02	143
45.	उत्तर प्रदेश डेवलपमेण्ट सिस्टम्स कार्पोरेशन लिमिटेड	इलेक्ट्रानिक्स एवम् सूचना प्रौद्योगिकी	15.03.1977	2004-05	2007-08	113.81	103.23	100.00	130.06	229.51	113.81	49.59	02	507.65	115
46.	उत्तर प्रदेश वक्फ विकास निगम लिमिटेड	अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ	27.04.1987	1997-98	2006-07	(-)7.68		1250.00	1.78	135.90	(-)7.68	-	09	15.76	20
47.	उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निगम लिमिटेड	महिला एवं बाल कल्याण	17.03.1988	2003-04	2006-07	(-)0.20		119.03	(-)99.89	260.91	(-)2.22	-	03	19.49	13
48.	उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड	समाज कल्याण	23.05.1989	2003-04	2006-07	288.38		42.54	1536.87	1532.05	288.38	18.82	03	4240.87	
	क्षेत्रवार योग					**402.19 (-)242.03**		**2215.84**	**1668.71 (-)2096.73**	**2611.76**	**402.19 (-)209.56**	**7.37**		**5520.79**	**291**
	योग- (अ सभी क्षेत्रवार कार्यरत सरकारी कम्पनियाँ)					**86745.37 (-)144107.19**		**1053614.27**	**36240.77 (-)1057540.49**	**1462749.92 (-)2837.36**	**119795.65 (-)86090.37**	**2.31**		**1773618.81**	**77515**
ब. कार्यरत सांविधिक निगम															
	परिवहन														
1.	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	परिवहन	01.06.1972	2005-06	2006-07	1376.75	527.24	31212.95	(-)76833.78	(-)21877.00	3082.64	-	01	101867.94	35687
	क्षेत्रवार योग					**1376.75**		**31212.95**	**(-)76833.78**	**(-)21877.00**	**3082.64**			**101867.94**	**35687**
	वित्त पोषण														
2.	उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम	औद्योगिक विकास	01.11.1954	2005-06	2006-07	184.51		17928.46	(-)90778.99	120759.92	6517.13	5.40	01	6293.69	905
	क्षेत्रवार योग					**184.51**		**17928.46**	**(-)90778.99**	**120759.92**	**6517.13**	**5.40**		**6293.69**	**905**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	कृषि एवं समवर्गीय														
3.	उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम	सहकारिता	19.03.1958	2005-06	2006-07	2100.89	215.41	1116.50	14627.60	24794.00	2628.52	10.64	01	12500.83	1793
	क्षेत्रवार योग					**2100.89**		**1116.50**	**14627.60**	**24794.00**	**2628.52**	**10.64**		**12500.83**	**1793**
	वन														
4.	उत्तर प्रदेश वन निगम	वन	25.11.1974	1998-99	1999-2000	2930.30	-	-	35245.27	35756.00	2930.00	8.19	08	16284.00	2858
	क्षेत्रवार योग					**2930.30**	**-**	**-**	**35245.27**	**35756.00**	**2930.00**	**8.19**		**16284.00**	**2858**
	विविध														
5.	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद	आवास	03.04.1966	2004-05	2007-08	3224.92			31034.35	107686.23	3224.92	2.99	02	37138.24	
6.	उत्तर प्रदेश जल निगम	नगर विकास	06.06.1975	2004-05	2006-07	(-)2277.44			(-)7875.33	403907.60	(-)1090.43	-	02	29356.10	16623
7.	उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम	खाद्य एवं रसद	05.05.1965	2002-03	2007-08	(-)186.37			1132.89	189.48	(-)117.58	-	04	7279.40	
	क्षेत्रवार योग					**3224.92** **(-)2463.81**			**32167.24** **(-)7875.33**	**511783.31**	**3224.92** **(-)1208.01**	**0.39**		**73773.74**	**16623**
	योग- (ब सभी सांविधिक निगम)					**7353.56**		**50257.91**	**(-)93447.99**	**671216.23**	**17175.20**	**2.56**		**210720.20**	**57866**
	कुल योग (अ+ब)					**(-)50008.26**		**1103872.18**	**1114747.71**	**2131128.79**	**50880.48**	**2.39**		**1883978.63**	**135381**
स. अकार्यरत कम्पनियाँ															
	कृषि एवं समवर्गीय														
1.	उत्तर प्रदेश पशुधन उद्योग निगम लिमिटेड	पशुधन	05.03.1975	2003-04	2006-07	13.96		272.85	(-)826.16	183.23	40.68	22.20	03	39.14	-
2.	उत्तर प्रदेश (पूर्व) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	चीनी उद्योग एवम् गन्ना विकास	27.08.1975	2002-03	2004-05	(-)18.38	-	30.84	(-)54.75	152.67	(-)14.19	-	04	4.53	19
3.	उत्तर प्रदेश (रूहेलखण्ड तराई) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	चीनी उद्योग एवम् गन्ना विकास	27.08.1975	2001-02	2003-04	(-)64.82	-	71.20	(-)420.73	323.22	(-)64.82	-	05	12.77	21
4.	उत्तर प्रदेश स्टेट हार्टीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एण्ड प्रोसेसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड	कृषि	06.04.1977	1984-85	1994-95	(-) 66.57	-	190.76	(-) 255.33	80.72	(-) 51.97	-	22		330
5.	उत्तर प्रदेश पौल्ट्री एण्ड लाइव स्टाक स्पेशैलिटीज लिमिटेड	पशुपालन	07.12.1974	2001-02	2006-07	(-)34.61		50.00	(-)187.37	35.55	(-)23.14	-	05	17.99	
	क्षेत्रवार योग					**13.96** **(-)184.38**		**615.65**	**(-)1744.34**	**775.39**	**40.68** **(-)154.12**	-		**74.43**	**370**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	उद्योग														
6.	उत्तर प्रदेश प्लाण्ट प्रोटेक्शन एप्लाएन्सेस (प्राईवेट) लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्माल इण्डस्ट्रीज़ कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	लघु उद्योग	28.06.1972	1974-75	1984-85	(-) 0.81	-	0.92	(-) 0.81	6.79	(-) 0.81	-	11/2003 से परिसमापन के अन्तर्गत	0.39	उपलब्ध नही
7.	आटो ट्रैक्टर्स लिमिटेड	औद्योगिक विकास	28.12.1972	1991-92	1995-96	10.71	-	750.00	(-) 6482.96	1114.18	36.32	3.26	15	631.34	उपलब्ध नही
8.	उत्तर प्रदेश इन्स्ट्रूमेन्ट्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलेपमेण्ट कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	औद्योगिक विकास	1.01.1975	2001-02	2005-06	(-)28.57		193.22	(-)3874.89	34.99	(-)26.79	-	-05	16.22	259
9.	उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रासवेयर कार्पोरेशन लिमिटेड	निर्यात प्रोत्साहन	12.02.1974	1997-98	2007-08	239.37		537.86	(-)603.62	358.83	251.36	70.04	09	52.97	उपलब्ध नही
10.	कान्टीनेंटल फ्लोट ग्लास लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	औद्योगिक विकास	12.04.1985	1997-98	2002-03	-	-	4623.95	-	8387.22	-	-	01.04.2002 से परिसमापन के अन्तर्गत	कम्पनी निर्माण के समक्ष से परिसमापन के अन्तर्गत	उपलब्ध नही
11.	उत्तर प्रदेश एक्स्काट प्राईवेट लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्माल इण्डस्ट्रीज़ कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	औद्योगिक विकास	28.06.1972	1975-76	-	(-)1.55	-	4.85		12.39	(-)0.41	-	19.04.1986 से परिसमापन के अन्तर्गत		उपलब्ध नही
12.	उत्तर प्रदेश टायर एण्ड ट्यूब्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	औद्योगिक विकास	14.01.1976	1992-93	-	(-) 217.08	-	183.16	(-) 996.09	(-) 405.96	209.53	-	19.01.1996 से परिसमापन के अन्तर्गत	138.08	-
	क्षेत्रवार योग					**250.08** **(-)248.01**		**6293.96**	**(-)11958.37**	**9914.40** **(-)405.96**	**497.21** **(-)28.01**	**4.93**		**839.00**	**259**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	इलेक्ट्रानिक्स														
13.	अप्ट्रान सेमपैक लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रोद्यौगिकी	23.05.1977	1979-80	1983-84	(-) 0.78	-	2.55	(-) 3.37	1.86	(-) 0.36	-	28.11.2002 से परिसमापन के अन्तर्गत	0.05	उपलब्ध नहीं
14.	कानपुर कम्पोनेन्ट्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	इलेक्ट्रानिक्स एवम् सूचना प्रोद्यौगिकी	31.03.1978	*	–	–	–	5.25	–	–	–	–	20.02.1996 से परिसमापन के अन्तर्गत	निर्माणाधीन	उपलब्ध नहीं
	क्षेत्रवार योग					**(-)0.78**		**7.80**	**(-)3.37**	**1.86**	**(-)0.36**	-		**0.05**	-
	वस्त्र														
15.	उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाईल कार्पोरेशन लिमिटेड	औद्योगिक विकास	02.12.1969	2004-05	2006-07	(-)734.42	0.44	16079.37	(-)41909.92	(-)3460.99	(-)64.73	-	02	24.42	-
16.	उत्तर प्रदेश टेक्सटाईल प्रिंटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट हैण्डलूम कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	हथकरघा एवम् वस्त्र उद्योग	05.12.1975	1990-91	2002-03	(-)17.98		26.00	(-)33.50	53.25	(-)16.13	-	16	475.42	74
17.	भदोही वूलेन्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाईल कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	औद्योगिक विकास	14.06.1976	1994-95	-	(-) 165.77	-	375.54	(-) 1195.91	(-) 49.09	85.35	-	10.02.1006 से परिसमापन के अन्तर्गत	26.72	-
	क्षेत्रवार योग					**(-)918.17**		**16480.91**	**(-)43139.33**	**53.25** **(-)3510.08**	**85.35** **(-)80.86**	-		**526.56**	**74**
	हैण्डलूम एण्ड हैन्डीक्राफ्ट्स														
18.	हैण्डलूम कार्पोरेशन इन्टेसिव डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन (गोखपुर एवं बस्ती) लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट हैण्डलूम कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	औद्योगिक विकास	26.05.1976	1991-92	2007-08	(-)9.83	13.95	3.00	(-)55.08	70.64	(-)2.21		15	3046.14	
19.	हैण्डलूम कार्पोरेशन इन्टेसिव डेवलपमेन्ट प्रोजेक्ट (बिजनौर) लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट हैण्डलूम कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	औद्योगिक विकास	13.09.1976	1992-93	2007-08	(-)18.90	101.00	2.00	(-)32.80	177.92	6.61	3.71	14	8.64	
	क्षेत्रवार योग					**(-)28.73**		**5.00**	**(-)87.88**	**248.56**	**6.61** **(-)2.21**	**1.77**		**3054.78**	
	खनन														
20.	उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	औद्योगिक विकास	23.03.1974	2006-07	2007-08	(-)253.55		5640.48	(-)7707.92	2318.77	(-)255.26	-		51.52	03
21.	विन्ध्याचल एग्रेसिव्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	औद्योगिक विकास	05.12.1985	1987-88	1995-96	(-) 11.78	-	0.002**	(-)11.30	0.79	(-) 10.86	-	10.06.1996 से परिसमापन के अन्तर्गत	0.22	
	क्षेत्रवार योग					**(-)265.33**		**5640.482**	**(-)7719.22**	**2319.56**	**(-)266.12**			**51.74**	**03**
	क्षेत्र विकास														
22.	उत्तर प्रदेश बुन्देलखण्ड विकास निगम लिमिटेड	भूमि विकास एवम् जल संसाधन	30.03.1971	1997-98	2007-08	28.45	-	123.30	(-)120.33	8.09	28.45	351.67	09	33.59	उपलब्ध नहीं

* लेखे शुरूआत से अन्तिमीकृत नहीं किये गये।

** केवल 270 रुपये।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		(13)	(14)	(15)	(16)
23.	उत्तर प्रदेश पूर्वांचल विकास निगम लिमिटेड	भूमि विकास एवम् जल संसाधन	30.03.1971	1987-88	1994-95	(-)13.64	-	114.80	(-)107.90	19.02	(-)13.64		-	19	130.37	उपलब्ध नहीं
24.	बुन्देलखण्ड कंक्रीट स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश बुन्देलखण्ड विकास निगम लिमिटेड की सहायक)	भूमि विकास एवम् जल संसाधन	02.03.1974	1986-87	1993-94	(-) 0.01	-	2.40	(-) 0.65	4.45	(-) 0.01		-	20	शून्य	उपलब्ध नहीं
25.	इलाहाबाद मण्डल विकास निगम लिमिटेड	भूमि विकास एवम् जल संसाधन	31.01.1976	1983-84	1992-93	(-) 11.42	-	67.00	(-) 11.42	39.52	(-) 3.97		-	23		उपलब्ध नहीं
26.	बरेली मण्डल विकास निगम लिमिटेड	भूमि विकास एवम् जल संसाधन	31.01.1976	1.7.1987 से 31.03.1989	2006-07	(-)69.91		125.00	(-)152.18	385.22	(-)49.83		-	18	582.17	उपलब्ध नहीं
27.	लखनऊ मण्डलीय विकास निगम लिमिटेड	भूमि विकास एवम् जल संसाधन	31.01.1976	1981-82	1992-93	0.44	-	50.00	1.49	60.57	0.52		0.86	25	169.69	उपलब्ध नहीं
28	आगरा मण्डल विकास निगम लिमिटेड	भूमि विकास एवम् जल संसाधन	31.03.1976	1988-89	2007-08	(-)8.50		100.00	(-)35.01	91.95	(-)8.50			18	391.33	उपलब्ध नहीं
29.	गोरखपुर मण्डल विकास निगम लिमिटेड	भूमि विकास एवम् जल संसाधन	31.03.1976	1985-86	1995-96	2.36	-	122.03	(-) 118.16	61.31	2.36		3.85	21	353.94	उपलब्ध नहीं
30.	मेरठ मण्डल विकास निगम लिमिटेड	भूमि विकास एवम् जल संसाधन	31.03.1976	2002-03	2006-07	(-)3.46	13.12	100.00	(-)114.17	35.94	(-)3.49		-	04	1.32	-
31.	वाराणसी मण्डल विकास निगम लिमिटेड	भूमि विकास एवम् जल संसाधन	31.03.1976	1987-88	1993-94	(-)2.71	-	70.00	(-)26.38	88.29	(-)2.71		-	19	147.02	उपलब्ध नहीं
32.	मुरादाबाद मण्डल विकास निगम लिमिटेड	भूमि विकास एवम् जल संसाधन	30.03.1978	1990-91	2007-08	(-)19.71		25.00	(-)59.13	31.41	(-)19.71		-	16	107.22	उपलब्ध नहीं
33.	गंडक समादेश क्षेत्रीय विकास निगम लिमिटेड	भूमि विकास एवम् जल संसाधन	15.03.1975	1976-77	-	0.28	-	46.00	-	46.27	0.28		0.61	07.06.1977 से परिसमापन के अन्तर्गत	-	उपलब्ध नहीं
	क्षेत्रवार योग					**31.53 (-)129.36**		**945.53**	**1.49 (-)745.33**	**872.04**	**31.61 (-)101.86**		-		**1916.65**	
	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का विकास															
34	तराई अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड	समाज कल्याण	02.08.1975	1982-83	1990-91	(-) 4.00	-	45.00	0.45	70.44	(-) 4.00		-	24	3.13	उपलब्ध नहीं
	क्षेत्रवार योग					**(-)4.00**		**45.00**	**0.45**	**70.44**	**(-)4.00**		-		**3.13**	-
	सीमेण्ट															
35.	उत्तर प्रदेश सीमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	औद्योगिक विकास	29.03.1972	1995-96	1996-97	(-)4775.52	-	6828.00	(-) 42599.38	(-) 23980.30	(-) 2291.33		-	11	11301.85	उपलब्ध नहीं
	क्षेत्रवार योग					**(-)4775.52**		**6828.00**	**(-)42599.38**	**(-)23980.30**	**(-)2291.33**		-		**11301.85**	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	ड्रग्स, केमिकल्स एवं फार्मास्यूटिकल														
36	दि इण्डियन टरपेन्टाइन एण्ड रोजिन कम्पनी लिमिटेड	औद्योगिक विकास	22.02.1924	2004-05	2007-08	(-)363.30	29.00	22.02	(-)3049.74	(-)2244.32	(-)352.95	-	02	1384.61	उपलब्ध नहीं
37.	उत्तर प्रदेश कार्बाइड एण्ड केमिकल्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेण्ट कार्पोरेश लिमिटेड की सहायक)	औद्योगिक विकास	23.04.1979	1992-93	-	(-) 617.54	-	658.73	(-) 3531.51	(-) 1844.86	(-) 50.57	-	19.02.1994 से परिसमापन के अन्तर्गत	226.21	उपलब्ध नहीं
	क्षेत्रवार योग					**(-)980.84**		**680.75**	**(-)6581.25**	**(-)4089.18**	**(-)403.52**	-		**1610.37**	
	वित्त पोटाण														
38.	उत्तर प्रदेश पंचायती राज वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	पंचायती राज	24.04.1973	1991-92	2005-06	(-) 5.94	0.44	135.28	(-)5.28	147.42	(-)5.94	-	15	48.73	52
39.	अपलोज फाइनेंसियल सर्विसेज लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक))	इलेक्ट्रानिक्स एवम् सूचना प्रौद्योगिकी	05.01.1988	1997-98	1998-99	(-) 39.55	-	105.87	(-) 39.53	534.08	14.43	2.70	09	128.63	
	क्षेत्रवार योग					**(-)45.49**		**241.15**	**(-)44.81**	**681.50**	**14.43** **(-)5.94**	**1.24**		**177.36**	**52**
	विविध														
40.	उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम लिमिटेड	टैक्स रजिस्ट्रेशन	10.09.1975	2002-03	2006-07	(-)67.46	1.09	818.42	(-)1204.20	264.37	(-)67.46	-	04	17.65	01
	क्षेत्रवार योग					**(-)67.46**		**818.42**	**(-)1204.20**	**264.37**	**(-)67.46**	-		**17.65**	**01**
	कुल योग-स					**(-)7352.50**		**38602.65**	**(-)115825.54**	**(-)16784.15**	**(-)2729.90**	-	-	**19573.57**	**759**
	कुल योग (अ+ब+स)					**(-)57360.76**		**1142474.83**	**998922.17**	**2114344.64**	**48150.58**	**2.28**	-	**1903552.20**	**136140**

नोट- (अ) वित्त पोषक कम्पनियों/निगमों को छोड़कर जहाँ नियोजित पूँजी की गणना प्रदत्त पूँजी, मुक्त आरक्षित निधि, बाण्ड्स, जमा तथा ऋणों (पुनर्वित्त सहित) के आरम्भिक एवम् अन्तिम शेषों के योग के मध्यमान के रूप में आगणित की जाती है, नियोजित पूँजी, कार्यशील पूँजी और निबल अचल परिसम्पत्तियों (पूँजीगत प्रगतिगत कार्य सहित) के योग का प्रतिनिधित्व करती है।

(ब) क्रम सं0 स-16,18 एवं 19 की कम्पनी विलय के अन्तर्गत है।

(स) क्रम सं0 स-6,10,11,12,13,14,17,21,33 एवं 37 की कम्पनियाँ समापन के अन्तर्गत है। समापन की सम्बन्धित तिथियाँ है:

क्रम सं0	समापन की तिथि	क्रम सं0	समापन की तिथि	क्रम सं0	समापन की तिथि	क्रम सं0	समापन की तिथि	क्रम सं0	समापन की तिथि	क्रम सं0	समापन की तिथि
06	नवम्बर 2003	10	01.04.2002	11	19.04.1986	12	09.01.1996	13	10.06.1996	14	10.06.1996
17	20.02.1996	21	28.11.2002	33	07.06.1977	37	19.02.1994				

स्त्रोत: पीएसयू के अद्यतन अन्तिम लेखों से।

परिशिष्ट-3

वर्ष के दौरान प्राप्त उपदान, प्राप्त प्रत्याभूतियाँ, देयों की माफी, ऋण जिन पर विलम्बन अनुमन्य किया गया और ऋण का अंशपूँजी में परिवर्तन एवम् मार्च 2007 की समाप्ति पर प्राप्य उपदान तथा बकाया प्रत्याभूतियों को दर्शाती हुई विवरणी

(प्रस्तर संख्या 1.6, 1.7 व 1.19 में संदर्भित)

(स्तम्भ 3 (अ) से 7 तक के आंकड़े लाख रुपये में हैं)

क्रम सं0	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का नाम	वर्ष के दौरान प्राप्त उपदान[1] व अनुदान				वर्ष के दौरान प्राप्त प्रत्याभूति एवं वर्ष के अन्त में बकाया[2]					वर्ष के दौरान देयों की माफी				ऋण जिन पर विलम्बन अनुमन्य किया गया	वर्ष के दौरान ऋण जिन्हें अंशपूँजी में परिवर्तित किया गया
		केन्द्र सरकार	राज्य सरकार	अन्य	योग	बैंको से नकद साख	अन्य स्रोतों से ऋण	आयातों के सम्बन्ध में बैंको द्वारा खोले गये साख-पत्र	विदेशी सलाहकारों/ ठेकेदारों से अनुबन्ध के अन्तर्गत भुगतान देयता	योग	अपलिखित ऋण पुनर्भुगतान	ब्याज माफी	दण्ड ब्याज माफी	योग		
(1)	(2)	3(अ)	3(ब)	3(स)	3(द)	4(अ)	4(ब)	4(स)	4(द)	4(य)	5(अ)	5(ब)	(स)	5(द)	(6)	(7)
अ. कार्यरत सरकारी कम्पनियाँ																
1.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड					69.76 (69.76)				69.76 (69.76)						
2.	उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम		4604.91[3]		4604.91[3]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड	-	32.69 165.00[3]	-	32.69 165.00[3]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	अपट्रान पावरट्रानिक्स लिमिटेड	-	-	-	-	-	(300.00)	-	-	(300.00)	-	-	-	-	-	-
5.	उत्तर प्रदेश स्टेट हैण्डलूम कार्पोरेशन लिमिटेड	-	-	-	-	- (6.40)	-	-	-	- (6.40)	-	-	-	-	-	-
6.	उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रिज कार्पोरेशन लिमिटेड	-	-	-	-	- (1076.00)	- (535.00)	-	-	- (1611.00)	-	-	-	-	-	-

1 उपदान में, वर्ष की समाप्ति पर प्राप्य उपदान जिसको कोष्ठकों में दिखाया गया है, सम्मिलित है।

2 कोष्ठकों में दिखाये गये आंकड़े वर्ष के अन्त में बकाया प्रत्याभूति को इंगित करते है।

3 अनुदान।

(1)	(2)	3(अ)	3(ब)	3(स)	3(द)	4(अ)	4(ब)	4(स)	4(द)	4(य)	5(अ)	5(ब)	(स)	5(द)	(6)	(7)
7.	उत्तर प्रदेश शेड्यूल्ड कास्ट फाईनेन्स एण्ड डेवलपमेण्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	-	9734.94	-	9734.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	-	-	-	-	-	358.00 (178.00)	-	-	358.00 (178.00)	-	-	-	-	-	-
9.	उत्तर प्रदेश खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लिमिटेड	-	-	-	-	-	2000.00 (-)	-	-	2000.00 (-)	-	-	-	-	-	-
10.	उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कार्पोरेशन लिमिटेड	-	-	-	-	31380.00 (-)	-	-	-	31380.00 (-)	-	-	-	-	-	-
11.	छाता शुगर कम्पनी लिमिटेड	-	-	-	-	- (1558.31)	-	-	-	- (1558.31)	-	-	-	-	-	-
12.	घाटमपुर शुगर कम्पनी लिमिटेड	-	-	-	-	1000.00 (1000.00)	-	-	-	1000.00 (1000.00)	-	-	-	-	-	-
13.	उत्तर प्रदेश राज्य चीनी एवं गन्ना विकास निगम लिमिटेड	-	-	-	-	1150.00 (-)	-	-	-	1150.00 (-)	-	-	-	-	-	-
14.	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	-	-	-	-	-	296100.00 (164206.32)	-	-	296100.00 (164206.32)	-	-	-	-	-	-
15.	उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड	-	-	-	-	-	- (8521.43)	-	-	- (8521.43)	-	-	-	-	-	-
16.	उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड	-	-	-	-	-	67647.00 (502222.00)	14500.00 (14500.00)	-	82147.00 (516722.00)	-	-	-	-	-	-
17.	मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	-	-	-	-	22000.00 (-)	-	-	-	22000.00 (-)	-	-	-	-	-	-
18.	उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेण्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	-	438.00	-	438.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	योग-अ	-	**10205.63 4769.91***	-	**10205.63 4769.91***	**55599.76 (3710.47)**	**366105.00 (675962.75)**	**14500.00 (14500.00)**	-	**436204.76 (694173.22)**	-	-	-	-	-	-
ब. कार्यरत सांविधिक निगम																
1.	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	-	-	-	-	-	- (3126.28)	-	-	- (3126.28)	-	-	-	-	-	-
2.	उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम	-	-	-	-	-	- (51673.00)	-	-	- (51673.00)	-	-	-	-	-	-
3.	उत्तर प्रदेश जल निगम	-	262.21*	-	262.21*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	योग-ब	-	- 262.21*		- 262.21*	-	- (54799.28)	-		- (54799.28)	-	-	-	-	-	-
	कुल योग (अ+ब)	-	**10205.63 5032.12***	-	**10205.63 5032.12***	**55599.76 (3710.47)**	**366105.00 (730762.03)**	**14500.00 (14500.00)**	- (-)	**436204.76 (748972.50)**	-	-	-	-	-	-

* अनुदान।

(1)	(2)	3(अ)	3(ब)	3(स)	3(द)	4(अ)	4(ब)	4(स)	4(द)	4(य)	5(अ)	5(ब)	(स)	5(द)	(6)	(7)
स. अकार्यरत कम्पनियाँ																
1.	उत्तर प्रदेश टेक्सटाईल प्रिंटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड	-	-	-	-	- (2507.92)	-	-	-	- (2507.92)	-	-	-	-	-	-
2.	उत्तर प्रदेश स्टेट हार्टीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एण्ड प्रोसेसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड	-	-	-	-	-	- (55.51)	-	-	- (55.51)	-	-	-	-	-	-
3.	उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	-	-	-	-	-	- (325.00)	-	-	- (325.00)	-	-	-	-	-	-
4.	दि इण्डियन टरपेन्टाइन एण्ड रोजिन कम्पनी लिमिटेड	-	-	-	-	-	- (479.68)	-	-	- (479.68)	-	-	-	-	-	-
5.	उत्तर प्रदेश कार्बाइड एण्ड केमिकल्स लिमिटेड			-		- (335.00)	-	-	-	- **(335.00)**	-	-	-	-	-	-
	योग-(स)	-	-	-	-	- (2842.92)	- (860.19)	- (-)	- (-)	- (3703.11)	-	-	-	-	-	-
	कुल योग (अ+ब+स)	-	**10205.63 5032.12***	-	**10205.63 5032.12***	55599.76 (6553.39)	366105.00 (731622.22)	14500.00 (14500.00)	- (-)	436204.76 (752675.61)	-	-	-	-	-	-

स्रोत: पीएसयू द्वारा प्रदत्त सूचना।

*अनुदान।

परिशिष्ट-4

सांविधिक निगमों की वित्तीय स्थिति को दर्शाती विवरणी

(प्रस्तर संख्या 1.8 में संदर्भित)

कार्यरत सांविधिक निगम

1. उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम

(करोड़ रुपये में)

विवरण	01.04.2003 to 30.10.2003	31.10.2003 to 31.03.2004	2004-05	2005-06
अ. देयतायें				
पूँजी (पूँजीगत ऋण एवं अंश पूँजी सहित)	321.37	312.13	312.13	312.13
ऋण:				
सरकारी केन्द्र राज्य	9.40	7.47	7.47	3.47
अन्य	166.88	175.37	176.77	208.29
निधियाँ	1.02	1.23	1.17	1.28
व्यापारिक देयता एवं अन्य चालू देयतायें (प्रावधानों सहित)	801.59	603.07	684.17	735.42
उत्तर प्रदेश एवम् उत्तरांचल राज्य सड़क परिवहन निगम पुर्नगठन समायोजन लेखा	-	26.41	26.41	26.41
योग अ	**1300.26**	**1125.68**	**1208.12**	**1287.00**
ब. परिसम्पत्तियाँ				
सकल अचल परिसम्पत्तियाँ	778.46	698.19	729.52	838.31
घटाया: ह्रास	509.46	437.31	430.43	485.89
निवल अचल परिसम्पत्तियाँ	269.00	260.88	299.09	352.42
पूँजीगत प्रगतिगत कार्य (चेसिस की लागत सहित)	8.70	9.62	7.75	6.24
निवेश	1.74	1.83	1.91	2.01
चालू परिसम्पत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम	117.53	113.38	143.42	157.99
संचित हानियाँ	903.29	739.97	755.95	768.34
योग ब	**1300.26**	**1125.68**	**1208.12**	**1287.00**
स. नियोजित पूँजी*	**(-) 406.36**	**(-) 219.19**	**(-) 233.91**	**(-) 218.77**

2. उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम

(करोड़ रुपये में)

विवरण	2003-04	2004-05	2005-06
अ. देयतायें			
प्रदत्त पूँजी	179.28	179.28	179.28
अंश आवेदन राशि	-	-	-

* नियोजित पूँजी, निवल अचल परिसम्पत्तियों (पूँजीगत प्रगतिगत कार्य सहित) एवं कार्यशील पूँजी को इंगित करती है।

विवरण	2003-04	2004-05	2005-06
आरक्षित निधि एवं अन्य आरक्षण व आधिक्य	20.12	20.00	19.88
ऋण	-	-	-
(i) बाण्ड्स एवं ऋण पत्र	755.82	646.05	558.73
(ii) स्थायी जमा	7.78	4.69	3.96
(iii) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक एवं भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक	365.01	390.00	408.06
(iv) भारतीय रिजर्व बैंक	-	-	-
(v) अंश पूँजी के स्थान पर ऋण	-	-	-
(अ) राज्य सरकार	-	-	30.00
(ब) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	-	-	-
(स) न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण	-	-	-
(vi) अन्य (राज्य सरकार को सम्मिलित करके)	1.50	7.57	7.56
अन्य देयतायें एवं प्रावधान	425.24	470.32	403.06
योग अ	**1754.75**	**1717.91**	**1610.53**
ब. परिसम्पत्तियाँ			
नकद एवं बैंक अवशेष	27.75	25.11	49.95
निवेश	37.03	35.17	30.20
ऋण एवं अग्रिम	847.19	723.94	595.16
निवल अचल परिसम्पत्तियाँ	14.01	13.56	13.23
अन्य परिसम्पत्तियाँ	10.93	10.50	14.20
विविध व्यय	-	-	-
लाभ एवं हानि खाता	817.84	909.63	907.79
योग ब	**1754.75**	**1717.91**	**1610.53**
स. नियोजित पूँजी*	**1336.84**	**1268.49**	**1207.59**

3. उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम

(करोड़ रुपये में)

विवरण	2003-04	2004-05	2005-06
अ. देयतायें			
प्रदत्त पूँजी**	13.37	13.37	13.37
आरक्षण एवं आधिक्य	93.21	154.21	179.12
उपदान	-	-	-
ऋण	-	-	-
सरकारी	-	-	-
अन्य	110.62	102.02	55.45
व्यापारिक देयता एवं चालू देयतायें (प्रावधानो को सम्मिलित करके)	61.05	51.69	58.19
योग अ	**278.25**	**321.29**	**306.13**
ब. परिसम्पत्तियाँ			
सकल अचल परिसम्पत्तियाँ	278.96	278.64	281.01
घटाया: ह्रास	49.05	56.08	63.31
निवल अचल परिसम्पत्तियाँ	229.91	222.56	217.70
पूँजीगत प्रगतिगत कार्य	(-) 0.55	(-)1.35	(-)1.58

* नियोजित पूँजी, प्रदत्त पूँजी, सीड राशि, ऋण पत्र, संचय (विशिष्ट निधि एवम् वाह्य निवेशों को छोड़कर), बाण्ड्स, जमा एवं ऋण (पुनः वित्त-पोषण सहित) के प्रारम्भिक एवं अन्तिम शेषों के योग के माध्य को दर्शाता है।

** आंवटनाधीन अंश आवेदन राशि 2.21 करोड़ रुपये सहित।

विवरण	2001-02	2002-03	2003-04
चालू परिसम्पत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम	48.89	100.08	90.01
लाभ एवं हानि खाता	-	-	-
योग ब	**278.25**	**321.29**	**306.13**
नियोजित पूँजी*	**217.20**	**269.60**	**247.94**

4. उत्तर प्रदेश वन निगम

(करोड़ रुपये में)

विवरण	1996-97	1997-98	1998-99
अ. देयतायें			
आरक्षण एवं आधिक्य	287.35	323.15	352.45
ऋण	0.16	0.16	0.16
चालू देयतायें (प्रावधानों को सम्मिलित करके)	73.52	103.87	147.54
अन्य देयतायें	7.00	7.00	7.00
योग अ	**368.03**	**434.18**	**507.15**
ब. परिसम्पत्तियाँ			
निवल अचल परिसम्पत्तियाँ	10.92	10.31	11.16
चालू परिसम्पत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम	354.64	421.45	493.94
संचित हानि	-	-	-
विविध व्यय	2.47	2.42	2.05
योग ब	**368.03**	**434.18**	**507.15**
स. नियोजित पूँजी*	**292.04**	**327.89**	**357.56**

5. उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

(करोड़ रुपये में)

विवरण	2002-03 (अनन्तिम)	2003-04 (अनन्तिम)	2004-05 (अनन्तिम)
अ. देयतायें			
परिषद कोष	1409.24	1587.91	1714.19
आधिक्य	-	-	-
ऋण	0.12	-	-
जमा	144.07	134.46	140.25
अबिक्रीत परिसम्पत्तियों के अनुरक्षण हेतु संचय	6.92	16.29	-
चालू देयतायें (पंजीकरण शुल्क को सम्मिलित करके)	357.86	421.21	568.47
देयताओं पर परिसम्पत्तियों का आधिक्य	0.45	-	-
योग अ	**1918.66**	**2159.87**	**2422.91**
ब. परिसम्पत्तियाँ			
(i) निवल अचल परिसम्पत्तियाँ	28.00	8.68	11.38
(ii) निवेश	490.56	542.92	777.58
(iii) चालू परिसम्पत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम	1400.10	1608.27	1633.95
योग ब	**1918.66**	**2159.87**	**2422.91**
स. नियोजित पूँजी*	**1070.24**	**1195.74**	**1076.86**

* नियोजित पूँजी निवल परिसम्पत्तियां (पूंजीगत प्रगतिगत कार्य सहित) एवं कार्यशील पूँजी को निरूपित करती है।

6. उत्तर प्रदेश जल निगम

(करोड़ रुपये में)

विवरण	2002-03	2003-04	2004-05
अ- देयतायें			
ऋण			
लोन फन्ड			
(i) एलआईसी से	14.13	14.52	9.14
(ii) उत्तर प्रदेश सरकार से	285.58	287.97	292.24
(iii) बैंक से		7.63	-
सरकार से अनुदान	3886.88	3964.73	4112.38
जमा	-	-	-
चालू देयताएँ	-	-	-
अनुपभोगित सामग्री पर सेन्टेज	27.77	24.51	27.70
अन्य देयताएँ	1784.86	2477.32	2707.08
(i) जमा (प्रोजेक्ट हेतु प्राप्ति धनराशि)	1311.93	1402.01	1454.35
(ii) ग्रेच्यूटी हेतु प्राविधान	6.85	5.32	10.00
पेंशन एवं ग्रेच्यूटी	-	-	-
अवर्गीकृत आरक्षण	-	-	-
एलएसजीइडी से जल निगम को स्थानान्तरित प्रोजेक्ट	9.08	9.06	9.45
योग - अ	**7327.08**	**8193.07**	**8622.34**
ब- परिसम्पत्तियाँ			
सकल अचल परिसम्पत्तियाँ	23.52	25.93	25.66
घटाया -ह्रास	8.57	8.84	9.19
निबल अचल परिसम्पत्तियाँ	14.95	17.09	16.47
निवेश	-	-	-
पीएफ में निवेश	206.71	195.60	188.03
प्रोजेक्ट	-	-	-
(i) सामग्री	237.92	219.09	242.77
(ii) कार्य प्रगति पर	3305.31	3600.51	3754.23
(iii) पूर्ण रूरल वाटर प्रोजेक्ट - यूपी जल निगम द्वारा संचालित	917.38	824.27	498.08
(iv) एलएसजीईडी से जल निगम को स्थानान्तरित रूरल वाटर वर्क प्रोजेक्ट का मूल्य	9.08	9.08	9.08
चालू परिसंपत्तियाँ	1984.11	2622.80	2913.19
ऋण एवं अग्रिम	502.36	499.39	803.47
घाटा	149.26	205.24	197.02
योग - ब	**7327.08**	**8193.07**	**8622.34**
स- नियोजित पूँजी*	**3837.47**	**3879.31**	**4039.08**

स्रोत: पीएसयू के नवीन अन्तिमीकृत लेखों से।

* नियोजित पूँजी 'निबल अचल परिसम्पत्तियों (पूँजीगत प्रगति कार्य सहित) एवं कार्यशील पूँजी को निरूपित करती है।

परिशिष्ट-5

सांविधिक निगमों के कार्यचालन परिणामों को दर्शाती विवरणी

(प्रस्तर संख्या 1.8 में संदर्भित)

अ. कार्यरत सांविधिक निगम

1. उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम

(करोड़ रुपये में)

विवरण	1.04.03 से 30.10.03	31.10.03 से 31.03.04	2004-05	2005-06
परिचालनगत				
(अ) राजस्व	304.96	840.77	981.57	981.57
(ब) व्यय	327.66	850.50	987.85	987.85
(स) आधिक्य(+)/कमी(-)	(-) 22.70	(-)9.73	(-)6.28	(-)6.28
अपरिचालनगत				
(अ) राजस्व	10.09	31.46	37.11	37.11
(ब) व्यय	6.68	17.86	17.06	17.06
(स) आधिक्य(+)/कमी(-)	3.41	13.60	20.05	20.05
योग				
(अ) राजस्व	315.05	872.23	1018.68	1018.68
(ब) व्यय	334.34	868.36	1004.91	1004.91
(स) शुद्ध लाभ(+)/हानि(-)	(-) 19.29	3.87	13.77	13.77
पूँजी एवं ऋण पर ब्याज	6.68	17.86	17.06	17.06
नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिलाभ	(-) 12.61	21.74	30.83	30.83

2. उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम

(रूपये करोड़ में)

विवरण	2003-04	2004-05	2005-06
1. आय			
(अ) ऋण पर ब्याज	65.62	49.68	58.63
(ब) अन्य आय	9.72	2.47	4.36
(स) एनपीए प्रावधान वापस लाए गए	-	6.32	30.40
द- ह्रास में निवेश वापस लाये गये	0.08	0.34	-
योग 1	**75.42**	**58.81**	**93.39**
2. व्यय			
(अ) दीर्घावधि ऋण पर ब्याज	142.79	127.41	63.33
(ब) गैर निष्पादक परिसम्पत्तियों के लिए प्रावधान	-	-	-
(स) अन्य व्यय	25.37	23.20	28.21
योग 2	**168.16**	**150.61**	**91.54**
3. कर से पूर्व लाभ(+)/हानि(-) (1-2)	(-)92.74	(-)91.80	1.85
4. अन्य विनियोजन	-	-	-
5. लाभांश के लिए उपलब्ध राशि*	-	-	-
6 लाभांश दत्त/देय	-	-	-

* विशिष्ट आरक्षित निधि एवं कर निर्धारण के प्रावधान को दृष्टिगत रखते हुए लाभांश के लिए उपलब्ध चालू वर्ष के लाभ को निरूपित करता है।

(करोड़ रुपये में)

विवरण	2003-04	2004-05	2005-06
7. नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिलाभ	50.05	35.62	65.17
8. नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ का प्रतिशत	3.74	2.81	5.40

3. उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम

(करोड़ रुपये में)

विवरण	2003-04	2004-05	2005-06
1. आय			
(अ) भण्डारण प्रभार	124.08	163.23	132.99
(ब) अन्य आय	0.29	1.81	1.18
योग 1	**124.37**	**165.04**	**134.17**
2. व्यय			
(अ) स्थापना प्रभार	25.92	26.16	30.24
(ब) ब्याज	12.28	8.37	5.28
(स) अन्य व्यय	76.43	105.12	77.64
योग 2	**114.63**	**139.65**	**113.16**
3. कर से पूर्व लाभ(+)/हानि(-)	9.74	25.39	21.01
4. अन्य विनियोजन	-	-	-
5. लाभांश के लिए उपलब्ध राशि	-	-	-
6. वर्ष के लिए लाभांश	1.20	1.20	1.51
7. नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिलाभ	22.02	33.76	26.29
8. नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ का प्रतिशत	10.14	12.52	10.64

4. उत्तर प्रदेश वन निगम

(करोड़ रुपये में)

विवरण	1996-97	1997-98	1998-99
1. आय			
विक्रय	178.37	128.12	162.84
अन्य आय	29.86	27.84	35.43
अन्तिम रहतिया	67.92	106.77	147.67
योग 1	**276.15**	**262.73**	**345.94**
2. व्यय			
क्रय	39.07	74.06	124.25
अन्य व्यय	75.25	84.95	85.62
प्रारम्भिक रहतिया	117.19	67.92	106.77
योग 2	**231.51**	**226.93**	**316.64**
शुद्ध लाभ	44.64	35.80	29.30
नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिलाभ	44.64	35.80	29.30
नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ का प्रतिशत	15.29	10.92	8.19

5. उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

(करोड़ रुपये में)

विवरण	2002-03 (अनन्तिम)	2003-04 (अनन्तिम)	2004-05 (अनन्तिम)
1. आय			
(अ) सम्पत्ति से आय	310.54	320.98	196.74
(ब) अन्य आय	164.15	177.18	187.69
योग 1	**474.69**	**498.16**	**384.43**
2. व्यय			
(अ) स्थापना	236.99	238.27	263.23
(ब) ब्याज	60.34	66.07	58.80
(स) अन्य व्यय	1.92	-	-
योग 2	43.97	47.19	30.15
3. आय का व्यय पर आधिक्य	**343.22**	**351.53**	**352.18**
4. नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिलाभ	131.47	146.63	32.25
5. नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ का प्रतिशत	133.39	146.63	32.25
	12.46	12.26	2.99

6. उत्तर प्रदेश जल निगम

(करोड़ रुपये में)

विवरण	2002-03	2003-04	2004-05
1. आय			
सेन्टेज	62.61	49.53	52.00
सर्वे एवं परियोजना शुल्क	5.78	6.36	7.57
जल निगम द्वारा संचालित योजना पर ग्राहक से प्राप्ति	18.52	26.58	19.59
अन्य आय	6.68	5.25	6.08
वित्तीय क्रियाकलापों से आय	26.57	37.91	31.58
राजस्व अनुदान	-	-	-
(i) रखरखाव हेतु उत्तर प्रदेश सरकार से	42.38	15.08	150.63
(ii) एचआरडी के लिए सरकार से	0.59	-	-
सी एण्ड डी एस की आय	21.21	26.07	25.08
नलकूप विंग की आय	1.32	1.37	1.03
ब्याज	-	-	-
अनुदान	-	-	-
अन्य	-	-	-
योग -1	**185.66**	**168.15**	**293.56**
2. व्यय			
स्थापना प्रभार/परिचालन व्यय	160.02	156.10	158.33
रख-रखाव पर व्यय	29.72	31.42	29.94
ब्याज	19.31	15.95	11.87
अन्य व्यय	-	-	-
ह्रास	0.53	0.44	0.52
सी एण्ड डीएस का व्यय	15.36	19.19	17.16

नलकूप विंग का व्यय	0.96	1.03	0.90
	-	-	36.61
	-	-	61.00
योग - 2	**225.90**	**224.13**	**316.33**
कमी(-)/आधिक्य(+)	(-) 40.24	(-) 55.98	(-) 22.77
नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिलाभ	(-) 20.93	(-) 40.03	(-) 10.90

स्त्रोत: पीएसयू के अद्यतन अन्तिमीकृत लेखों से।

परिशिष्ट-6

सांविधिक निगमों के परिचालनात्मक उपलब्धियों को दर्शाती विवरणी

(प्रस्तर संख्या 1.13 में संदर्भित)

अ. कार्यरत सांविधिक निगम

1. उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम

विवरण	1.04.2003 से 31.10.2003	1.11.2003 से 31.03.2004	2004-05	2005-06
विद्यमान वाहनों की औसत संख्या				
(अ) निगम की बसें	6597	5639	5673	6031
(ब) किराये की बसें	1220	1166	1042	898
योग	**7817**	**6805**	**6715**	**6929**
सड़क पर वाहनों की औसत संख्या	6020	5276	5406	5785
वाहनों के उपयोजन का प्रतिशत (निगम)	91	94	95	96
कर्मचारियों की संख्या	38195	37747	36398	37339
कर्मचारी वाहन अनुपात	5.21:1	5.82:1	5.51:1	6.19:1
वर्ष के अन्त में परिचालित मार्गो की संख्या	2190	1840	1859	2118
मार्ग किलोमीटर	490949	397076	422846	483433
परिचालित किलोमीटर (लाख में)				
(अ) सकल	4734	2962	7499	8265
(ब) प्रभावी				
(i) निगम की बसें	3857	2377	6185	7327
(ii) किराये की बसें	735	478	1039	938
कुल प्रभावी परिचालित किलोमीटर (लाख में)	4592	2855	7224	8265
(स) मृत किलोमीटर	124	89	240	274
सकल किलोमीटर से मृत किलोमीटर का प्रतिशत	1.57	2.05	3.20	3.43
औसत किलोमीटर प्रति बस प्रतिदिन	275	276	295	315
औसत परिचालन व्यय प्रति किलोमीटर (पैसे)	1126	1164	1196	1258
प्रति किमी औसत राजस्व व्यय (पैसे)	1089	1097	1202	1275
प्रति किमी परिचालन व्यय में पिछले वर्ष से वृद्धि (प्रतिशत)	*	*	32	62
प्रति किलोमीटर लाभ(+)/हानि(-) (पैसे)	(-) 37	(-) 67	6	17
परिचालित डिपो की संख्या	116	98	100	101
खराब होने की औसत संख्या प्रति लाख किलोमीटर पर	2.92	2.27	1.40	0.79
प्रति लाख किलोमीटर पर दुर्घटना की औसत संख्या	0.15	0.14	0.14	0.13
परिचालित यात्री किलोमीटर (करोड़ में)	1409	846	2329	2441
धारित अनुपात	59	57	62	59
प्राप्त किलोमीटर प्रति लीटर:				
(अ) डीजल	4.85	4.94	5.03	5.16
(ब) इंजन तेल	1214	1611	2079	2568

* पिछले वर्ष के तुलन पत्र दो भागों में तैयार नही किया गया था। अत: वृद्धि या कमी पिछले वर्ष के उसी समय से गणना नहीं की जा सकी।

2. उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम

(रूपये करोड़ में)

विवरण	2004-05		2005-06		2006-07	
	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
वर्ष के प्रारम्भ में लम्बित आवेदन पत्र	39	29.27	14	11.55	17	12.26
प्राप्त आवेदन पत्र	34	16.49	176	93.79	314	326.34
योग	**73**	**45.76**	**190**	**105.34**	**331**	**338.61**
स्वीकृत आवेदन पत्र	23	4.45	136	63.16	205	92.59
निरस्त/वापस/अस्वीकृत/ कम किये गये आवेदन पत्र	36	29.76	37	29.91	109	231.97
वर्ष के अन्त में लम्बित आवेदन पत्र	14	11.55	17	12.27	17	14.05
वितरित ऋण	32	12.51	58	20.60	149	47.61
वर्ष की समाप्ति पर बकाया ऋण	13385	723.94	12525	595.16	11679	535.78
वर्ष की समाप्ति पर वसूली की अतिदेय राशि						
(अ) मूल	-	267.53	-	216.51	-	185.69
(ब) ब्याज	-	1768.54	-	1905.07	-	2656.93
योग (अ+ब)		**2036.07**	**-**	**2121.58**	**-**	**2842.62**
वसूली प्रमाण पत्र मामलों से सम्बन्धित राशि	-	1478.08	-	1498.20	-	3526.20
योग	**-**	**1478.08**	**-**	**1498.20**	**-**	**3526.20**
कुल बकाया ऋण पर अतिदेय ऋण का प्रतिशत	-	281.25	-	356.47	-	530.55

3. उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम

विवरण	2003-04	2004-05	2005-06
आवरित केन्द्रों की संख्या	152	158	156
वर्ष की समाप्ति तक सृजित भण्डारण क्षमता (लाख टन में)			
(अ) स्वामित्व में	24.16	24.25	24.25
(ब) किराये पर	3.24	4.21	4.41
योग (अ+ब)	**27.40**	**28.46**	**28.66**
वर्ष के दौरान औसत क्षमता उपयोग (लाख टन में)	25.82	27.18	25.34
उपयोग का प्रतिशत	94.23	95.50	88.42
औसत राजस्व प्रति टन प्रति वर्ष (रुपये)	481.68	607.20	529.48
औसत व्यय प्रति टन प्रति वर्ष (रुपये)	443.97	513.81	446.58
लाभ(+)/हानि(-) प्रति टन (रुपये)	(+) 37.71	(+)93.39	(+)82.91

4. उत्तर प्रदेश वन निगम

विवरण	1997-98	1998-99	1999-2000
1 लकड़ी, चिरान लकड़ी सहित (लाख घन मीटर में)			
(अ) प्रारम्भिक शेष*	3.92	6.70	7.53
(ब) विक्रय	1.87	3.19	4.35
(स) हानियाँ/कमियाँ	-	-	-

* प्रारम्भिक शेष में वर्ष के दौरान उत्पादन सम्मिलित है।

(द) विभागीय प्रयोग एवं अन्य निष्पादन	0.02	0.01	-
(इ) अन्तिम शेष	2.03	3.50	3.18
2 तेन्दू पत्ता (मानक बोरे लाख में)			
(अ) प्रारम्भिक शेष*	4.41	4.40	5.61
(ब) विक्रय	4.19	3.97	5.23
(स) हानियाँ/कमियाँ	-	-	-
(द) अन्तिम शेष	0.22	0.43	0.38
3. बाँस (लाख बण्डल में)			
(अ) प्रारम्भिक शेष*	2.51	3.44	2.07
(ब) विक्रय	0.90	2.63	1.47
(स) हानियाँ/कमियाँ	-	-	-
(द) अन्तिम शेष	1.61	0.81	0.60
4. कृषि उत्पादन (लाख कुन्तल में)			
(अ) प्रारम्भिक शेष*	0.38	0.22	0.22
(ब) विक्रय	0.33	0.20	0.21
(स) हानियाँ/कमियाँ	-	0.01	-
(द) अन्तिम शेष	0.05	0.01	0.01
5. बैली घास (लाख कुन्तल में)			
(अ) प्रारम्भिक शेष*	0.30	0.42	0.36
(ब) विक्रय	0.15	0.19	0.22
(स) हानियाँ/कमियाँ	-	0.01	-
(द) अन्तिम शेष	0.15	0.22	0.14
6. जड़ी-बूटी (लाख किग्रा में)			
(अ) प्रारम्भिक शेष	3.41	6.67	9.29
(ब) विक्रय	0.28	1.12	4.43
(स) हानियाँ/कमियाँ	0.01	0.03	0.34
(द) अन्तिम शेष	3.12	5.52	4.52

स्त्रोत: पीएसयू द्वारा प्रदत्त सूचनाओं से।

* प्रारम्भिक शेष मे वर्ष के दौरान उत्पादन सम्मिलित है।

परिशिष्ट-7

आन्तरिक लेखा परीक्षण/आन्तरिक नियन्त्रण पर टिप्पणियों को दर्शाती विवरणी

(प्रस्तर 1.34 में सन्दर्भित)

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम	टिप्पणी
1.	उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	आन्तरिक लेखाा परीक्षा के कार्यक्षेत्र में विभिन्न जिलों में ऋण देने की गतिविधियों सम्मिलित नहीं है जोकि कम्पनी के कार्य संचालन का महत्वपूर्ण भाग है। कम्पनी के आकार व व्यापार की प्रकृति को देखते हुए आन्तरिक लेखा परीक्षा प्रणाली के आधार को विस्तृत करना चाहिये।
2.	उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड	वर्ष के दौरान इकाईयों की आन्तरिक लेखा परीक्षा नहीं हुई। जहाँ पर इकाईयों की आन्तरिक लेखा परीक्षा हुई, आन्तरिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, शाखा लेखा परीक्षकों के सत्यापन हेतु उपलब्ध नही कराये गये। आन्तरिक लेखा परीक्षा प्रणाली कम्पनी के आकार एवं प्रकृति के अनुरूप नहीं है।
3.	उत्तर प्रदेश पशुधन उद्योग निगम लिमिटेड	आन्तरिक लेखा परीक्षा नही की गई।
4.	दि प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कारपोरेशन आफ उत्तर प्रदेश	आन्तरिक लेखा परीक्षा प्रणाली कम्पनी के व्यवसाय के आकार के अनुरूप नही है निगम के कार्य क्षेत्र की प्रकृति एवं आकार को देखते हुए; आन्तरिक लेखा परीक्षा अनुभाग में स्टाफ की कार्यक्षमता, संख्या एवं उनकी योग्यता, के अनुरूप नही है। आन्तरिक लेखा परीक्षा की समयावधि अपर्याप्त है। एवं कम्पनी के आकार एवं प्रकृति के अनुरूप नही है। यद्यपि कम्पनी द्वारा आन्तरिक लेखा परीक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करने हेतु प्रयास किये गये किन्तु आन्तरिक लेखा परीक्षा प्रकोष्ठ का दायरा बढ़ाने एवं प्रतिवेदनो पर अनुवर्ती कार्य करने की सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।
5.	हैण्डलूम डेवलपमेन्ट इन्टेन्सिव डेवलममेन्ट कारपोरेशन (गोरखपुर एवं बस्ती) लिमिटेड	आन्तरिक लेखा परीक्षा प्रणाली लागू नही है।
6.	उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निगम लिमिटेड	आन्तरिक लेखा परीक्षा प्रणाली कम्पनी के आकार एवं व्यवसाय की प्रकृति के अनुरूप नहीं है।
7.	उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम लिमिटेड	आन्तरिक लेखा परीक्षा प्रणाली कम्पनी के आकार एवं व्यवसाय की प्रकृति के अनुरूप नहीं है।
8.	उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम लिमिटेड	आन्तरिक लेखा परीक्षा प्रणाली जिसमें, आन्तरिक लेखा परीक्षा अवधि, प्रतिवेदन की स्थिति संख्या, कर्मचारियों की क्षमता सम्मिलित है, को कम्पनी के आकार एवं व्यवसाय की प्रकृति के अनुरूप सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।
9.	उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड	निगम में कोई आन्तरिक लेखा परीक्षा प्रणाली नही है।

स्त्रोतः पीएसयू के लेखों पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट।

परिशिष्ट-8

कम्पनियों, जिनके व्यवसाय विगत पाँच वर्षों के दौरान पाँच करोड़ रुपये से कम थे तथा जिनके लेखे प्रमाणित किये गए, के व्यवसाय को दर्शाती विवरणी

(प्रस्तर संख्या 1.35 में संदर्भित)

क्रम सं0	कम्पनी का नाम	अद्यतन अन्तिमीकृत लेखे (वर्ष)	अन्तिमीकृत लेखे (वर्ष)	व्यवसाय (लाख रुपये में)				
				अद्यतन वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष	चतुर्थ वर्ष	पंचम वर्ष
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	उत्तर प्रदेश स्टेट लैदर डेवलपमेन्ट एण्ड मार्केटिंग कारपोरेशन लिमिटेड	12.02.1974	2000-01	360.44	193.35	165.94	193.19	157.90
2.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	27.08.1975	2006-07	37.31	9.74	10.37	26.39	27.10
3.	उत्तर प्रदेश (मध्य) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	27.08.1975	2006-07	106.76	29.21	36.66	43.46	44.68
4.	उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम लिमिटेड	27.10.1979	1998-99	408.34	298.33	321.66	289.92	265.81
5.	यूपीएसआईसी पौट्रीज लिमिटेड	27.04.1976	1993-94	187.81	27.96	29.43	16.50	19.59
6.	उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	17.11.1984	1993-94	43.42	29.90	26.15	36.11	24.57
7.	उत्तर प्रदेश वक्फ विकास निगम लिमिटेड	27.04.1987	1997-98	15.76	14.02	14.98	15.08	15.45
8.	उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निगम लिमिटेड	17.03.1988	2003-04	19.49	84.89	16.60	6.72	22.19
9.	उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	26.04.1991	2000-01	192.89	181.58	136.79	124.92	19.31

स्त्रोत: पीएसयू के अद्यतन अन्तिमीकृत लेखों से।

परिशिष्ट-9

कम्पनियाँ, जो लगातार पाँच वर्षों से घाटा दे रही हैं, जिससे निवल मूल्य ऋणात्मक हो गया, को दर्शाती विवरणी

(प्रस्तर संख्या 1.35 में संदर्भित)

(लाख रूपये में)

क्रम सं0	कम्पनी का नाम	निगमन की तिथि	लगातार 5 वर्षों की हानि, जिससे निवल मूल्य ऋणात्मक हो गया					
1.	अपट्रान इण्डिया लिमिटेड	18.10.1979	**वर्ष**	**1995-96**	**1994-95**	**1993-94**	**1992-93**	**1991-92**
			शुद्ध मूल्य	(-) 14377.84	(-) 11165.41	(-) 8112.91	(-) 5653.09	(-) 4214.43
			वर्ष के दौरान हानि	3212.23	3118.95	3044.82	2638.66	2855.52
2.	उत्तर प्रदेश स्टेट यार्न कम्पनी लिमिटेड	20.08.1974	**वर्ष**	**2005-06**	**2004-005**	**2003-2004**	**2002-2003**	**2001-2002**
			शुद्ध मूल्य	(-)8541.07	(-)588.09	(-)5309.79	(-) 3455.04	(-) 3937.27
			वर्ष के दौरान हानि	476.97	580.25	1854.66	690.17	571.61
3.	नन्दगंज-सिहोरी शुगर कम्पनी लिमिटेड	18.04.1975	**वर्ष**	**2005-06**	**2004-2005**	**2003-2004**	**2002-2003**	**2001-2002**
			शुद्ध मूल्य	(-)15181.91	(-)13707.25	(-) 12617.27	(-) 4763.25	(-)9348.20
			वर्ष के दौरान हानि	1434.84	1089.99	1528.42	1740.65	1209.03
4.	घाटमपुर शुगर कम्पनी लिमिटेड	30.05.1986	**वर्ष**	**2004-05**	**2003-04**	**2002-2003**	**2001-2002**	**2000-2001**
			शुद्ध मूल्य	(-)7730.71	(-)7738.18	(-)5797.72	(-) 4660.48	(-) 1248.44
			वर्ष के दौरान हानि	887.39	1045.61	1137.22	662.64	476.64
5.	यूपीएसआईसी पौट्रीज लिमिटेड	27.04.1976	**वर्ष**	**1993-94**	**1992-93**	**1991-92**	**1990-91**	**1989-90**
			शुद्ध मूल्य	(-)377.18	(-)313.21	(-)249.33	(-) 196.48	(-) 149.43
			वर्ष के दौरान हानि	62.71	63.10	52.88	47.05	36.67

स्त्रोत: पीएसयू के पाँच वर्षों के अन्तिमीकृत लेखों से।

परिशिष्ट–10

अद्यतन पूर्ण लेखों के अनुसार 619–बी के अन्तर्गत कम्पनियों की प्रदत्त पूंजी, निवेश एवं संक्षिप्त कार्यचालन परिणामों को दर्शाती विवरणी

(प्रस्तर संख्या 1.36 में संदर्भित)

(5 से 20 तक के स्तम्भों में आँकड़े: लाख रूपये में)

क्रम सं0	कम्पनी का नाम	स्थिति (कार्यरत/ अकार्यरत)	लेखों का वर्ष	प्रदत्त पूंजी	अंश पूंजी				ऋण			अनुदान			अंश पूंजी, ऋण एवं अनुदान द्वारा कूल निवेश			लाभ(+) /हानि(-)	संचित लाभ(+) /हानि(-)
					राज्य सरकार द्वारा	राज्य सरकार की कम्पनियों द्वारा	केन्द्र सरकार एवं उनकी कम्पनियों द्वारा	अन्य	राज्य सरकार द्वारा	राज्य सरकार की कम्पनियों द्वारा	केन्द्र सरकार एवं उनकी कम्पनियों द्वारा	राज्य सरकार द्वारा	राज्य सरकार की कम्पनियों द्वारा	केन्द्र सरकार एवं उनकी कम्पनियों द्वारा	राज्य सरकार	राज्य सरकार की कम्पनियों	केन्द्र सरकार एवं उनकी कम्पनियों		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	अल्मोड़ा मैग्नेसाइट लिमिटेड	कार्यरत	2006-07	200.00	-	82.00 (41.00)	40.00 (20.00)	78.00 (39.00)	-		-	-	-	-	-	82.00	40.00	(+) 57.60	(+)18.42
2.	कमाण्ड एरिया पोल्ट्री डेवलपमेण्ट कारपोरेशन लिमिटेड	अकार्यरत	1994-95	24.25	उपलब्ध नही*	उपलब्ध नही	उपलब्ध नही	उपलब्ध नही	-	-	-	25.00	-	-	25.00	-	-	(+)0.003	(-) 7.06
3.	इलेक्ट्रानिक्स एण्ड कम्प्यूटर्स (इण्डिया) लिमिटेड	अकार्यरत**		-	उपलब्ध नही	उपलब्ध नही	उपलब्ध नही	उपलब्ध नही	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	स्टील एण्ड फास्टनर्स लिमिटेड	अकार्यरत	1978-79	90.00	-	55.00 (61.11)	-	35.00 (38.89)	-	-	-	-	-	-	-	55.00	-	(-)45.00	-

टिप्पणी: कोष्ठक के आंकड़े प्रदत्त पूँजी से प्रतिशतता को दर्शाते है।

स्त्रोत: पीएसयू द्वारा प्रदत्त सूचना।

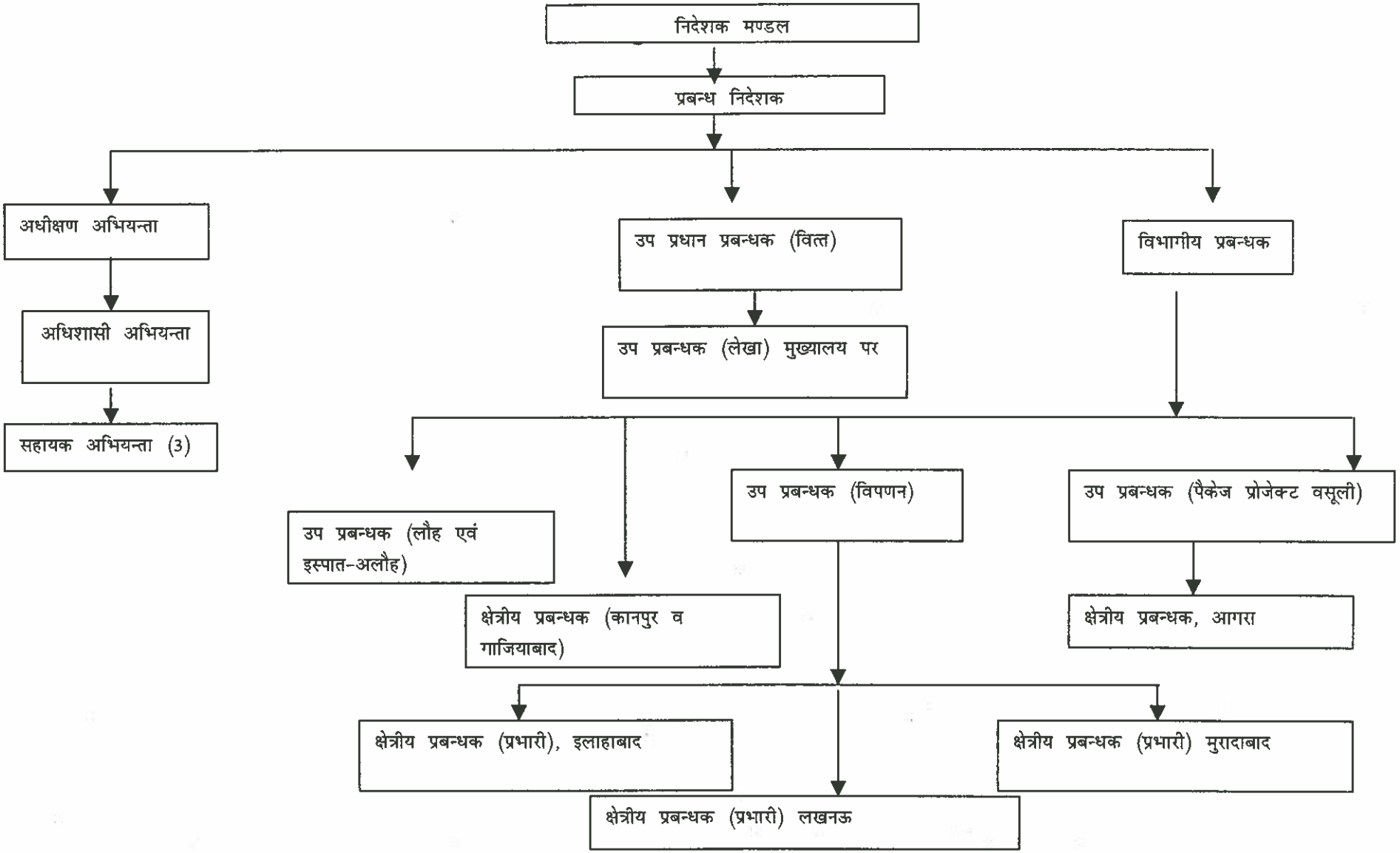
* कम्पनी द्वारा सूचना उपलब्ध नही कराई गई।

** लेखे आरम्भ से ही अन्तिमीकृत नहीं हुए।

परिशिष्ट-11

उत्तर प्रदेश स्माल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड का संगठनात्मक चार्ट

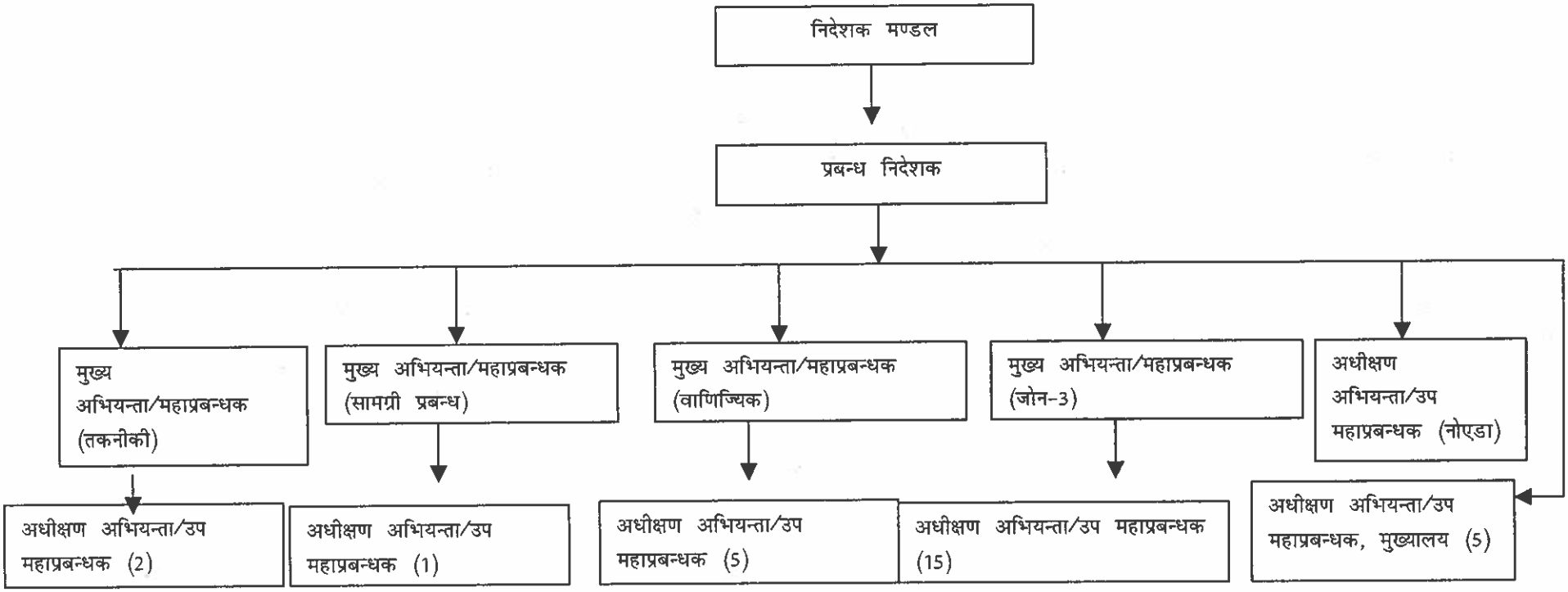
(प्रस्तर 2.1.1 में सन्दर्भित)



परिशिष्ट–12

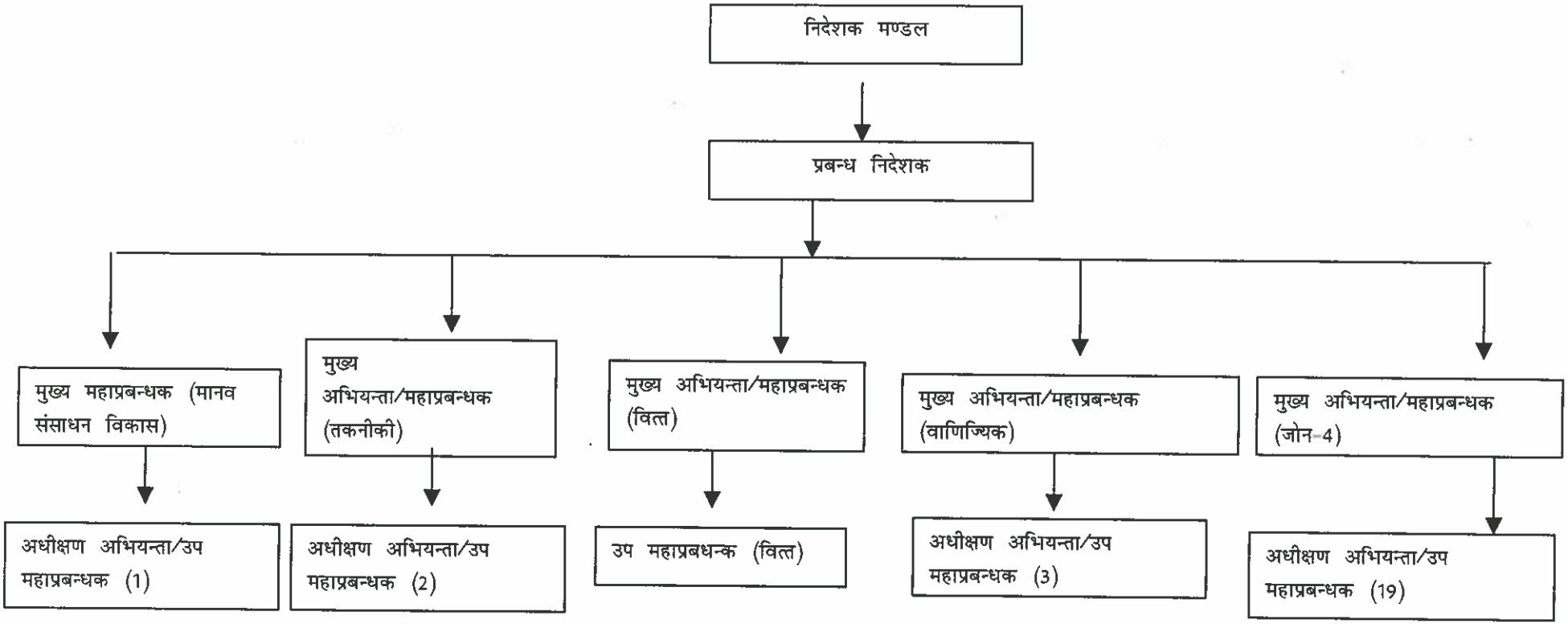
पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का संगठनात्मक चार्ट

(प्रस्तर 2.2.1 में सन्दर्भित)



स्त्रोत: कम्पनी से प्राप्त सूचना।

परिशिष्ट-13
मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का संगठनात्मक चार्ट
(प्रस्तर 2.2.1 में सन्दर्भित)



स्त्रोत: कम्पनी से प्राप्त सूचना।

परिशिष्ट-14

वर्ष 2005-06 के दौरान, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड एवं मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में, उपभोक्ताओं की संख्या, संयोजित भार तथा राजस्व के निर्धारण को दर्शाती विवरणी

(प्रस्तर 2.2.2 में सन्दर्भित)

क्रम संख्या	उपभोक्ता की श्रेणी	उपभोक्ताओं की संख्या	संयोजित भार (केडब्ल्यू)	वर्ष 2005-06 के दौरान राजस्व का निर्धारण (करोड़ रुपये में)	चयनित उपभोक्ता का संयोजित भार (केडब्ल्यू)	चयनित उपभोक्ताओं के राजस्व का निर्धारण (करोड़ रुपये में)	कुल राजस्व निर्धारण के सापेक्ष निर्धारित राजस्व का प्रतिशत
पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड							
1.	घरेलू	1904072	3904963	701.32	7187	1.8	0.03
2.	वाणिज्यिक	252033	601908	275.99	1806	1.96	0.71
3.	सार्वजनिक प्रकाश	695	25775	28.81	9800	10.79	37.45
4.	सार्वजनिक एवं निजी संस्थान	6792	110162	79.63	33420	30.22	37.95
5.	लघु एवं मध्यम शक्ति	35063	390247	233.13	54697	32.88	14.10
6.	सार्वजनिक वाटर वर्क्स	1318	48287	57.17	16779	20.64	36.10
7.	लार्ज एवं हैवी	14186	924535	1108.94	379062	458.39	41.34
8.	निजी ट्यूबबैल	279255	1257585	167.16	270172	39.06	23.37
9.	राजकीय ट्यूबबेल/लिफ्ट इरीगेशन	4746	59000	49.72	9746	6.79	13.66
10.	पम्प कैनाल	2	311	.07	-	-	0.00
11.	बल्क सप्लाई	1	45000	226.69	45000	226.69	100.00
	योग	**2498163**	**7367773**	**2928.63**	**827669**	**829.22**	**28.31**
मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड							
1.	घरेलू	1843557	2510369	524.36	714808	168.94	32.22
2.	वाणिज्यिक	211196	432506	201.03	99640	46.23	23.00
3.	सार्वजनिक प्रकाश	3442	24986	11.56	9015	8.37	72.40
4.	सार्वजनिक एवं निजी संस्थान	7692	148597	119.88	17842	15.96	13.31
5.	लघु एवं मध्यम शक्ति	25768	228315	102.49	33776	15.08	14.71
6.	सार्वजनिक वाटर वर्क्स	855	34301	29.91	4818	3.16	10.56
7.	लार्ज एवं हैवी	541	193666	210.47	116602	58.43	27.76
8.	निजी ट्यूबबेल	110030	461458	49.78	178955	21.97	44.13
9.	राजकीय ट्यूबबेल	2805	48796	45.51	17638	15.44	33.93
10.	लिफ्ट इरीगेशन	6433	112181	93.63	222944	1.99	2.13
11.	एक्स्ट्रा स्टेट	1	5000	1.17	5000	1.17	100
12.	रेलवे ट्रेक्शन	1	14025	10.64	14025	8.41	79.04
	योग	2212321	4214200	1400.43	1435063	365.15	26.07

स्रोत: वाणिज्यिक विवरण

परिशिष्ट-15

वर्ष 2003-04 से 2006-07 के मध्य, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड एवं मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में ऊर्जा की आवश्यकता, क्रय, विक्रय तथा वितरण हानियों को दर्शाती विवरणी

(प्रस्तर 2.2.7 में सन्दर्भित)

क्रम संख्या	विवरण	2003-04 (8/03 से 03/04)	2004-05	2005-06	2006-07
पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड		(अनन्तिम)			
1.	ऊर्जा की आवश्यकता (एमयू)	उपलब्ध नही	13685	14839	16314
2.	क्रय की गयी ऊर्जा (एमयू)	7918.206	12543.226	13388.170	15086.010
3.	क्रय की गयी ऊर्जा का मूल्य (करोड़ रुपये में)	1289.16	2608.99	2784.74	उपलब्ध नही
4.	क्रय की गयी ऊर्जा का कुल मूल्य* (करोड़ रुपये में)	1571.12	3059.91	3306.51	उपलब्ध नही
5.	प्रति केडब्ल्यूएच क्रय की गयी ऊर्जा का मूल्य (रुपये में) (4÷2)	1.98	2.44	2.47	उपलब्ध नही
6.	विक्रय की गयी ऊर्जा (एमयू)	5258.700	9122.076	8897.640	11053.970
7.	ऊर्जा की हानि (एमयू) (2-6)	2659.506	3421.150	4490.530	4032.040
8.	ऊर्जा का विक्रय (करोड़ रुपये में)	1140.41	2319.19	2663.47	3060.02
9.	प्रति केडब्ल्यूएच ऊर्जा की बिक्री (रुपये में) (8÷6)	2.17	2.54	2.99	2.77
10	वर्ष के मध्य वसूली गयी धनराशि	उपलब्ध नही	2304.13	2546.92	2852.24
11.	ऊर्जा की हानि का मूल्य (7×9)(करोड़ रुपये में)	577.11	868.97	1342.67	1116.88
12.	वितरण हानि का प्रतिशत (7÷2 × 100)	33.59	27.27	33.54	26.73
13.	यूपीईआरसी द्वारा वितरण हानि के लिये निर्धारित किया गया प्रतिशत	30.40	27.40	23.90	34.00
क्रम संख्या	विवरण	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड					
1	ऊर्जा की आवश्यकता (एमयू)	उपलब्ध नही	7313.00	7773.00	8716.00
2	क्रय की गयी ऊर्जा (एमयू)	4238.91	6849.56	7484.82	7940.04
3.	क्रय की गयी ऊर्जा का मूल्य (करोड़ रुपये में)	690.14	1424.70	1556.84	1857.97
4.	क्रय की गयी ऊर्जा का कुल मूल्य** (करोड़ रुपये में)	1015.98	1889.84	2036.53	उपलब्ध नही
5.	प्रति केडब्ल्यूएच क्रय की गयी ऊर्जा का मूल्य (रुपये में) (4÷2)	2.40	2.76	2.72	उपलब्ध नही
6.	विक्रय की गयी ऊर्जा (एमयू)	3122.63	5267.47	5666.19	6258.69
7.	ऊर्जा की हानि (एमयू) (2-6)	1116.28	1582.09	1818.63	1681.35
8.	ऊर्जा का विक्रय (करोड़ रुपये में)	796.33	1191.00	1292.09	1494.05
9.	प्रति केडब्ल्यूएच ऊर्जा की बिक्री (रुपये में) (8÷6)	2.55	2.26	2.28	2.39
10.	वर्ष के मध्य वसूली गयी धनराशि	1070.26	1060.26	1147.69	1302.02
11.	ऊर्जा की हानि का मूल्य (7×9)(करोड़ रुपये में)	284.65	357.55	414.65	401.84
12.	वितरण हानि का प्रतिशत (7÷2 × 100)	26.33	23.10	24.30	21.18
13.	यूपीईआरसी द्वारा वितरण हानि के लिये निर्धारित किया गया प्रतिशत	30.40	27.40	23.90	26.20

स्रोत: वाणिज्यिक विवरण एवं वार्षिक राजस्व आवश्यकता (2007)।

* ऊर्जा क्रय, मरम्मत एवं रखरखाव पर व्यय, कर्मचारी लागत, प्रशासनिक, सामान्य एवं अन्य व्यय, ह्रास, ब्याज एवं वित्तीय प्रभार, प्रावधान एवं अपलिखित किये गये प्रारम्भिक व्यय।

** ऊर्जा क्रय, मरम्मत एवं रखरखाव पर व्यय, कर्मचारी लागत, प्रशासनिक, सामान्य एवं अन्य व्यय, ह्रास, ब्याज एवं वित्तीय प्रभार, प्रावधान एवं अपलिखित किये गये प्रारम्भिक व्यय।

परिशिष्ट-16

पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में राजस्व के कम निर्धारण को दर्शाती विवरणी

(प्रस्तर 2.2.11 में सन्दर्भित)

(लाख रुपये में)

क्रम संख्या	खण्ड का नाम	उपभोक्ता का नाम	भार/श्रेणी	दोषयुक्त समय के लिये निर्धारण योग्य राजस्व		किया गया निर्धारण		कम किये गये निर्धारण का मूल्य	अभियुक्ति
				अवधि	धनराशि	अवधि	धनराशि		
1.	विविख-II, सहारनपुर	मण्डलीय अभियन्ता, उत्तर रेलवे	670 केवीए/एचवी-2	26.9.05 से 2.12.05	14.18	24.10.05 से 2.12.05	8.85	5.33	पुराने मीटर द्वारा 26 सितम्बर 2005 से कम खपत दर्शाना प्रारम्भ किया और 2 दिसम्बर 2005 को दर्शाना बन्द कर दिया लेकिन खण्ड ने केवल 24 अक्टूबर से 2 दिसम्बर 2005 की अवधि के देयक को पुनरीक्षित किया।
2.	-उपरोक्त-	-उपरोक्त-	-उपरोक्त-	23.02..06 से 31.3.06	8.04	30 दिन	5.94	2.10	उपभोक्ता का मीटर 23 फरवरी से 31 मार्च 2006 (36 दिन) तक खराब था किन्तु खण्ड ने 30 दिनों के देयक को पुनरीक्षित किया।
3.	-उपरोक्त-	एएलएम इण्डस्ट्रीज	500 केवीए/एचवी-2	28.10.05 से 1.12.05	6.75	28.10.05 से 27.11.05	3.48	3.27	34 दिनों के स्थान पर 30 दिनों के लिये निर्धारण किया गया।
4.	-उपरोक्त-	-उपरोक्त-	-उपरोक्त-	19.1.07 से 22.2.07	16.58	19.1.07 से 22.2.07	13.74	2.84	19 जनवरी से 22फरवरी 2007 के मध्य मीटर की पीटी क्षतिग्रस्त हो गयी। खण्ड ने बाहर लगाये गये मीटर द्वारा दर्शायी गयी खपत के आधार पर निर्धारण किया जबकि यह मीटर 11 से 12 प्रतिशत तक धीमा था।
5.	-उपरोक्त-	शिवालिक काटसिन	475 केवीए/एचवी-2	23.3.04 से 7.5.04	5.44	23.3.04 से 30.4.04	3.62	1.82	45 दिनों के स्थान पर 38 दिनों के लिये निर्धारण किया गया।
6.	-उपरोक्त-	-उपरोक्त-	-उपरोक्त-	25.8.04 से 30.9.04	5.84	30 दिन	4.59	1.25	36 दिनों के स्थान पर 30 दिनों के लिये निर्धारण किया गया।
				योग	**56.83**		**40.22**	**16.61**	

स्रोत: बिलिंग पत्रावलियाँ।

परिशिष्ट-17

लो पावर फैक्टर अधिभार को भारित न करने/या कम भारित करने को दर्शाती विवरणी

(प्रस्तर 2.2.18 में सन्दर्भित)

क्रम संख्या	उपभोक्ता का नाम	उपभोक्ता की श्रेणी	भार (केडब्ल्यू)	अवधि	पावर फैक्टर की सीमा	नान लेवी/कम लेवी की धनराशि (लाख रुपये में)
विनविख- II गाजियाबाद, पविविनिलि						
1.	स्टील अथारिटी ऑफ इण्डिया	एलएमवी-1	536	12/04 से 01/07	0.66-0.80	2.50
2.	ईस्ट एण्ड सहकारी विकास समिति	-उपरोक्त-	800	05/05 से 12/06	0.73-0.84	0.66
3.	रायल टावर शिप्रा सोसायटी	-उपरोक्त-	1000	04/06 से 09/06	0.84	0.19
4.	गौर सन्स (इण्डिया) लिमिटेड (एसए-134)	-उपरोक्त-	1600	08/06 से 01/07	0.73-0.83	0.64
5.	गौर सन्स (इण्डिया) लिमिटेड (एसए-265)	-उपरोक्त-	2000	05/05 से 12/06	0.78-0.84	1.67
6.	जेएम स्टेट डेवलपर्स	-उपरोक्त-	190	11/05, 03/06	0.84	0.03
7.	अंसल हाउसिंग कन्स्ट्रक्शन	-उपरोक्त-	75	12/04 से 01/07	0.30-0.70	0.81
8.	एक्सप्रेस (पी) लिमिटेड	-उपरोक्त-	400	09/06 से 01/07	0.50-0.78	0.14
9.	एएचएस ज्वाइन्ट वैन्चर	-उपरोक्त-	400	08/05 से 01/07	0.66-0.84	1.05
10.	जीवन बीमा सहकारी आवास विकास समिति	-उपरोक्त-	400	03/05 से 01/07	0.31-0.81	1.35
	उप योग	एलएमवी-1				**9.04**
11.	सूर्या मर्चेन्ट	एलएमवी-2	800	08/06 से 11/07	0.53-0.73	1.47
12.	अंसल हाउसिंग एण्ड कन्स्ट्रक्शन	-उपरोक्त-	2400	12/04 से 11/07	0.72-0.84	17.29
13.	सीसी पीएल डेवलपर्स (पी) लिमिटेड	-उपरोक्त-	2050	03/05 से 06/05	0.69-0.82	4.09
14.	खेमका स्टूआर्ट लिमिटेड	-उपरोक्त-	630	08/05 से 10/06	0.63-0.80	2.64
15.	खेमका स्टूआर्ट लिमिटेड	-उपरोक्त-	1690	11/05 से 05/06	0.76-0.84	3.93
16.	एबी मूवीज मल्टीप्लेक्स	-उपरोक्त-	1020	03/05 से 01/07	0.73-0.84	4.97
	उप योग	एलएमवी-2				**34.39**
17.	कमिश्नर इन्कम टैक्स	एलएमवी-4(अ)	740	04/05 से 01/07	0.47-0.82	2.24
18.	गोपाल नर्सिंग होम	एलएमवी-4(ब)	75	03/05 से 01/07	0.34-0.81	0.41
19.	यशोदा हास्पिटल	एलएमवी-4(ब)	200	02/06 से 01/07	0.35-0.84	1.82
20.	आरबीईएफ एमिटी स्कूल	एलएमवी-4(ब)	125	07/05 से 01/07	0.70-0.81	0.36
21.	एसके शैल गर्ग शिक्षा निकेतन	एलएमवी-4(ब)	350	03/05 से 01/07	0.65-0.84	4.05
	उप योग	एलएमवी-4				**8.88**
	योग					**52.31**
विनविख- चौक, लखनऊ मविविनिलि						
1.	लारी कार्डियोलोजी	एलएमवी-4(अ)		2/05 से 12/06	0.48-0.84	0.49
2.	कैन्सर यूनिट केजीएमसी	एलएमवी-4(अ)		4/06 से 12/06	0.70-0.79	0.35
3.	मानसिक हास्पिटल	एलएमवी-4(अ)		2/05 से 3/06	0.50-0.82	0.29
4.	ई.ई. केजीएमसी ओल्ड मार्च्युरी	एलएमवी-4(अ)		1/05 से 12/06	0.53-0.86	5.81
5.	केजीएमसी डेन्टल कालेज	एलएमवी-4(अ)		2/05 से 12/06	0.29-0.84	1.97
6.	केजीएमसी मेन बिल्डिंग	एलएमवी-4(अ)		4/05 से 12/06	0.77-0.84	4.99
7.	रजिस्ट्रार केजीएमसी	एलएमवी-4(अ)		3/05 से 12/05	0.72-0.84	5.24
8.	ट्रामा सेन्टर	एलएमवी-4(अ)		3/05 से 11/06	0.78-0.84	2.81
9.	वाइस चान्सलर साइन्टिफिक कन्वेनशन सेन्टर	एलएमवी-4(अ)		10/06 से 12/06	0.21-0.27	0.13
	उप योग					**22.08**
	महायोग					**74.39**

स्रोत: बिलिंग पत्रावलियाँ।

परिशिष्ट–18

पविविनिलि में शन्ट कैपिसिटर अधिभार को भारित न करने/या कम भारित करने को दर्शाती विवरणी

(प्रस्तर 2.2.18 में सन्दर्भित)

क्रम संख्या	उपभोक्ता का नाम	उपभोक्ता की श्रेणी	शन्ट कैपिसेटर अधिभार को न लेने/कम लेने की धनराशि (लाख रुपये में)	अवधि	अभियुक्ति
1.	विनविख- II, मेरठ	एलएमवी-7 एवं एलएमवी-8	16.72	12/2004 से 11/2006	10 प्रतिशत के स्थान पर पाँच प्रतिशत भारित किया।
2.	विविख- I, बुलन्दशहर	एलएमवी-5	75.97	12/2004 से 11/2006	देयक की 10 प्रतिशत धनराशि के स्थान पर 1 रुपया प्रति बीएचपी की दर से प्रभारित किया।
	–उपरोक्त–	एलएमवी-6	16.11	09/2003 से 12/2006	भारित नही किया।
3.	विविख-बड़ोत	एलएमवी-8	17.83	12/2004 से 12/2006	10 प्रतिशत के स्थान पर पाँच प्रतिशत भारित किया।
4	विविख-खुर्जा	एलएमवी-8	12.41	12/2004 से 12/2006	10 प्रतिशत के स्थान पर पाँच प्रतिशत भारित किया।
	योग		**139.04**		

स्रोत: बिलिंग पत्रावलियाँ।

परिशिष्ट-19

मविविनिलि में शन्ट कैपिसिटर अधिभार को भारित न करने/या कम भारित करने को दर्शाती विवरणी

(प्रस्तर 2.2.18 में सन्दर्भित)

(लाख रुपये में)

क्रम संख्या	खण्ड का नाम	कैपिसेटर अधिभार को न भारित करना							
		एसटीडब्ल्यू		इरीगेशन		वाटर वर्क्स		स्ट्रीट लाइट	
		उपभोक्ताओं की संख्या	धनराशि	उपभोक्ताओं की संख्या	धनराशि	उपभोक्ताओं की संख्या	धनराशि	उपभोक्ताओं की संख्या	धनराशि
1.	विनविख-II, बरेली					5	1.16	5	6.71
2.	विविख-II, बदायूँ							16	2.00
3.	विविख-I, बरेली					33	6.63	7	1.23
4.	विविख-I, फैजाबाद			2	15.97			3	9.34
5.	विविख-II, फैजाबाद	5	37.45					2	0.46
6.	विविख, अकबरपुर	1	10.15	1	11.90	12	3.31	5	1.56
7.	विविख, बलरामपुर			8	66.15	12	2.38	4	11.33
8.	विविख, बाराबंकी			5	44.98		9.38		4.51
9.	विनविख, चौक							1	22.27
	योग	**6**	**47.60**	**16**	**139.00**	**62**	**22.86**	**43**	**59.41**
महायोग									**268.87**

स्रोत: बिलिंग पत्रावलियाँ।

परिशिष्ट-20

पविविनिलि एवं मविविनिलि में 2003-04 से 2006-07 के मध्य, वर्ष के प्रारम्भ में बकाया धनराशि, राजस्व निर्धारण, राजस्व संग्रह एवं अपलिखित की गयी धनराशि को दर्शाती विवरणी

(प्रस्तर 2.2.25 में सन्दर्भित)

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	विवरण	पविविनिलि				मविविनिलि			
		2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
1.	वर्ष के प्रारम्भ में बकाया धनराशि	उपलब्ध नही	1906.35	2077.01	2298.18	1053.54	1152.21	1327.10	1454.01
2.	वर्ष में किया गया राजस्व निर्धारण	उपलब्ध नही	2689.24	2929.35	3060.02	1271.35	1327.99	1400.50	1494.05
3.	वसूली योग्य कुल धनराशि	उपलब्ध नही	4595.59	5006.36	5358.20	2324.89	2480.20	2727.60	2948.06
4.	वर्ष में वसूली गयी धनराशि	उपलब्ध नही	2304.13	2546.92	2852.24	1070.26	1060.26	1147.69	1302.02
5.	वर्ष में अपलिखित की गयी धनराशि	उपलब्ध नही	214.45	161.26	263.05	102.42	92.84	125.90	110.23
6.	वर्ष के अन्त में बकाया धनराशि	उपलब्ध नही	2077.01	2298.18	2242.91	1152.21	1327.10	1454.01	1535.81
7.	वसूली गयी धनराशि का वसूलने योग्य धनराशि के सापेक्ष प्रतिशत (4÷3)	उपलब्ध नही	50.14	50.87	53.23	46.03	42.75	42.08	44.17
8.	महीनों के सन्दर्भ में बकाया धनराशि (महीना){6/(2/12) महीना}	उपलब्ध नही	9.27	9.41	8.80	10.88	11.99	12.46	12.34
9.	वसूली का लक्ष्य	उपलब्ध नही	2407.77	2628.43	3000.00	उपलब्ध नही	1315.67	1533.92	1788.25
10.	वसूली लक्ष्य के सापेक्ष राजस्व निर्धारण का प्रतिशत	उपलब्ध नही	89.53	89.73	98.04	उपलब्ध नही	99.07	109.53	119.69
11.	वसूली लक्ष्य का बकाया धनराशि के सापेक्ष प्रतिशत (9/3×100)	उपलब्ध नही	52.39	52.50	55.99	उपलब्ध नही	53.05	56.24	60.66

स्रोत: वाणिज्यिक विवरण।

परिशिष्ट-21

पविविनिलि द्वारा स्थायी विच्छेदन करने में असफल रहने को दर्शाती विविरणी

(प्रस्तर 2.2.31 में सन्दर्भित)

क्रम संख्या	खण्ड का नाम	उपभोक्ता की श्रेणी	उपभोक्ताओं की संख्या जिन पर एक लाख रुपये से ज्यादा बकाया	बकाया समस्त धनराशि (लाख रुपये में)	महीनो की संख्या जबसे देय बकाया है
1	2	3	4	5	6
1.	विविख, गजरौला	एलएमवी-4,5 तथा 6	1	2.38	43
		एलएमवी-2	1	1.66	70
2.	विनविख-III,मेरठ	एलएमवी-4,5 तथा 6	27	60.67	10 से 132
3.	विनविख-II, गाजियाबाद	एलएमवी-2	1	2.41	28
		एलएमवी-6	2	2.29	10 से 15
4.	विनविख-II, नोएडा	एलएमवी-2	1	4.66	29
		एलएमवी-1	18	22.98	7 से 97
5.	विविख-II, सहारनपुर	एलएमवी-1	36	47.07	52 से 150
		एलएमवी-2	8	11.01	65 से 147
		एलएमवी-4,6	14	36.73	18 से 132
6.	विविख, बड़ौत	एलएमवी-2	13	18.13	46 से 136
		एलएमवी-5,6 तथा 7	97	480.87	7 से 122
7.	विविख-II, मेरठ	एलएमवी-2	15	19.94	43 से 141
		एलएमवी-4,5 तथा 6	19	128.81	13 से 103
8.	विनविख-I, मुजफ्फरनगर	एलएमवी-4,5 तथा 6	1	3.80	131
	योग		**254**	**843.41**	**7 से 150**

स्रोत: बिलिंग पत्रावलियाँ एवं पीडी रजिस्टर।

परिशिष्ट-22

पविविनिलि एवं मविविनिलि में वसूली प्रमाण पत्रों की स्थिति को दर्शाती विवरणी

(प्रस्तर 2.2.41 में सन्दर्भित)

(लाख रुपये में)

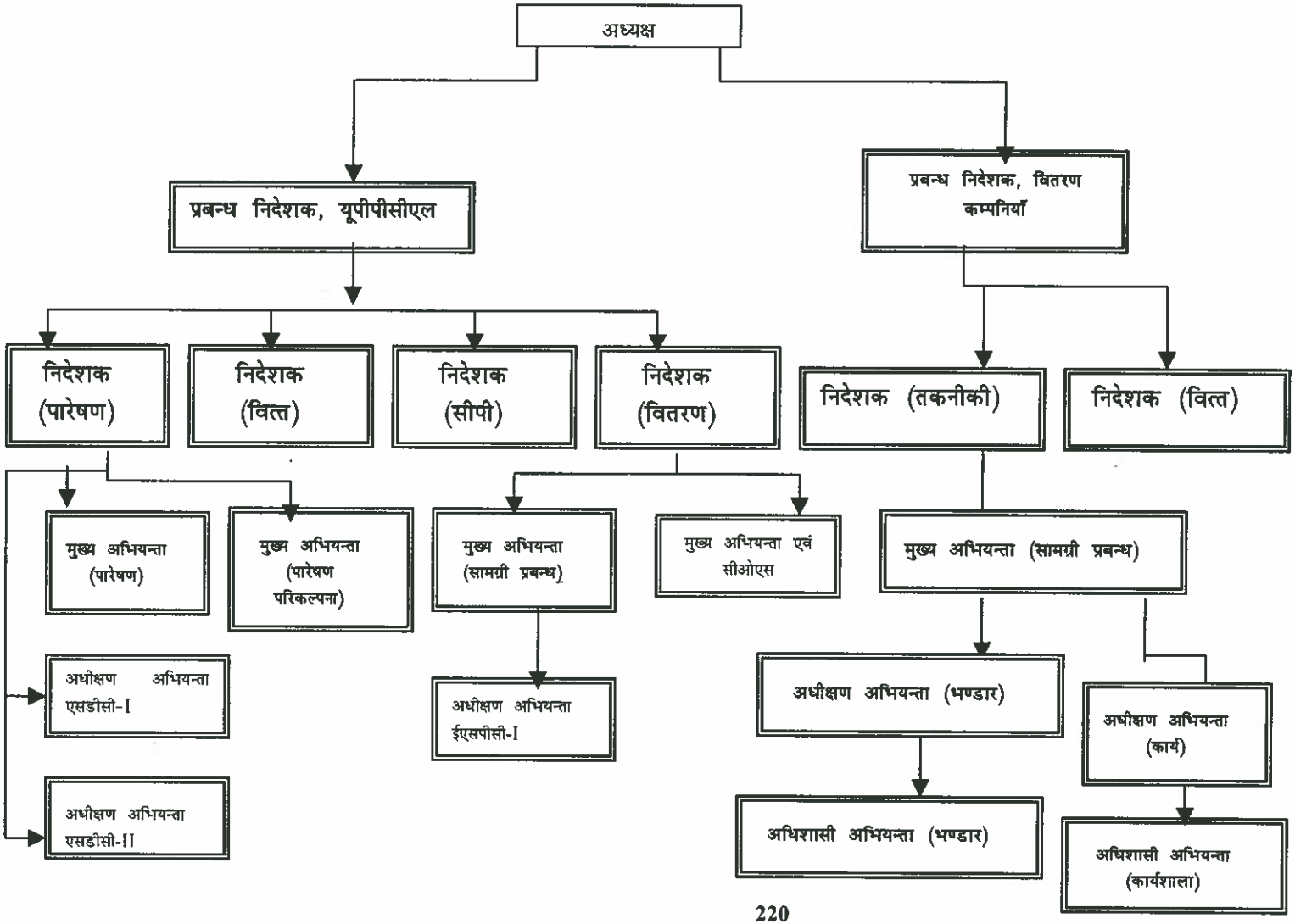
	2003-04		2004-05		2005-06[@]		2006-07 (02/07 तक)	
विवरण	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि
पविविनिलि								
प्रारम्भिक शेष	28180	5611.77	53366	13221.74	54436	9510.30	49977	8986.58
जोड़े निर्गत की गयी आरसी	45629	19489.43	40484	10717.69	37289	8887.73	22361	4988.97
वापस हुई आरसी	5885	2897.79	29244	12345.17	31490	7746.39	4850	1133.41
कुल वसूली योग्य (1+2-3)	67924	22203.41	64606	11594.26	60235	10651.64	67488	12842.14
वसूली	7990	1360.17	9545	1452.28	9658	1456.64	6817	791.91
वसूली का प्रतिशत		6.13		12.53		13.68		6.17
अन्तिम अवशेष	59934	20483.24	55061	10141.98	50577	9195.00	60671	12050.23
चालू वर्ष के प्रारम्भिक शेष एवं पिछले वर्ष के अन्तिम शेष में अन्तर	--	--	**6568**	**7621.50**	**625**	**631.68**	**600**	**208.42**
मविविनिलि								
प्रारम्भिक शेष	--	--	29605	9937.82	32010	10178.06	28188	8728.63
जोड़े निर्गत की गयी आरसी	--	--	16276	2621.23	9243	2596.59	6734	2194.04
घटाये जिले के अधिकारियों द्वारा वापस की गयी आरसी	--	--	10122	1886.12	7155	1714.74	1411	607.87
कुल वसूली योग्य (1+2-3)	--	--	35759	10672.93	34098	11059.91	33511	10314.8
वसूली	--	--	4825	516.23	3426	465.74	1948	264.46
आरसी की धनराशि के सापेक्ष वसूली का प्रतिशत (5/4 × 100)	--	--		4.84		4.21		2.56
अन्तिम शेष	--	--	30934	10156.70	30672	10594.17	31563	10050.34
चालू वर्ष के प्रारम्भिक शेष एवं पिछले वर्ष के अन्तिम शेष में अन्तर	--	--			**1076**	**21.36**	**2484**	**1865.54**

स्रोत: आरसी विवरण।

परिशिष्ट-23

परिवर्तको की खरीद, निष्पादन, रखरखाव एवं मरम्मत से सम्बन्धित उत्तर प्रदेश में पावर सेक्टर कम्पनियों का संगठनात्मक चार्ट

(प्रस्तर 2.3.1 में सन्दर्भित)



परिशिष्ट-24

31 मार्च 2007 के अन्त तक पाँच वर्षों मे विभिन्न ट्रान्सफारमेशन स्थानों पर ट्रान्सफारमेशन क्षमता को दर्शाती विवरणी

(प्रस्तर 2.3.9 में सन्दर्भित)

क्रम संख्या	विवरण	2002-03*	2003-04	2004-05**	2005-06	2006-07 (अनन्तिम)
1	सब पावर ट्रान्सफारमेशन क्षमता (33 केवी से 656 केवी)					
	एमडब्ल्यू	10914	11404	12629	13279	14649
	एमवीए	12840	13416	14032	14754	16277
2	डिस्ट्रीब्यूशन ट्रान्सफारमेशन (डीटी) क्षमता (11/0.4 केवी)					
	एम डब्ल्यू	16306	16982	19443	20521	32024
	एमवीए	19184	19979	21603	22801	35582
3	संयोजित भार					
	एमडब्ल्यू	17517	19382	20026	21562	23196
	एमवीए	20608	22802	22251	23958	25773
4	(अ) डीटी क्षमता का सब पावर ट्रान्सफारमेशन क्षमता से अधिक होना (3-2) (एम डब्ल्यू)	5392	5578	6814	7242	17375
	(ब) अधिक अप्रयुक्त डीटी क्षमता का प्रतिशत	33.07	32.85	35.05	35.29	54.26
5	(अ) संयोजित भार का वितरण क्षमता से अधिक होना (3-2) (एमडब्ल्यू)	1211	2400	583	1041	शून्य
	(ब) अधिक भार का प्रतिशत	7.43	14.13	3.00	5.07	शून्य
6	संयोजित भार एमडब्ल्यू की प्रति एमडब्ल्यू सब पावर ट्रान्सफारमेशन क्षमता	0.62	0.59	0.63	0.62	0.63
7	संयोजित भार एमडब्ल्यू की प्रति एमडब्ल्यू वितरण ट्रान्सफारमेशन क्षमता	0.93	0.88	0.97	0.95	1.38

स्रोत: यूपीपीसीएल की एमआईएस पत्रावलियाँ।

*एमडब्ल्यू के लिये परिवर्तन गुणक 2003-04 तक 0.85 लिया गया है।

**यूपीईआरसी के दिशानिर्देशों के अनुसार 2004-05 से एमडब्ल्यू के लिये परिवर्तन गुणक 0.90 लिया गया है।

परिशिष्ट-25

पावर सेक्टर कम्पनियों की विभागीय कार्यशालाओं में मरम्मत की लागत को दर्शाती विवरणी

(प्रस्तर 2.3.22 में सन्दर्भित)

(लाख रुपये में)

क्रम संख्या	कार्यशाला खण्ड		2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	योग
1.	विद्युत कार्यशाला खण्ड, इलाहाबाद	i) मरम्मत किये गये परिवर्तकों की संख्या	2593	1816	1970	1418	1666	9463
		ii) लगाई गई कुल लागत	126.79	85.74	58.55	76.81	93.31	441.2
		iii) प्रति परिवर्तक मरम्मत की औसत लागत	0.049	0.044	0.030	0.040	0.036	0.05
2.	विद्युत कार्यशाला खण्ड, मेरठ	i) मरम्मत किये गये परिवर्तकों की संख्या	3325	4147	4541	4843	5039	21895
		ii) लगाई गई कुल लागत	85.82	72.01	56.86	75.81	71.74	362.24
		iii) प्रति परिवर्तक मरम्मत की औसत लागत	0.026	0.017	0.013	0.016	0.014	0.02
3.	विद्युत कार्यशाला खण्ड, वाराणसी	i) मरम्मत किये गये परिवर्तकों की संख्या	3439	3638	3936	4579	4249	19841
		ii) लगाई गई कुल लागत	169.46	116.58	80.50	152.06	154.94	673.54
		iii) प्रति परिवर्तक मरम्मत की औसत लागत	0.050	0.030	0.020	0.030	0.040	0.03
4.	विद्युत कार्यशाला खण्ड, गोरखपुर	i) मरम्मत किये गये परिवर्तकों की संख्या	2189	1617	1908	1678	1811	9203
		ii) लगाई गई कुल लागत	86.24	43.25	63.66	40.84	104.85	338.84
		iii) प्रति परिवर्तक मरम्मत की औसत लागत	0.040	0.030	0.030	0.024	0.060	0.04
5.	विद्युत कार्यशाला खण्ड, आगरा	i) मरम्मत किये गये परिवर्तकों की संख्या	1917	1733	1968	1742	1577	8937
		ii) लगाई गई कुल लागत	54.26	118.12	116.19	110.98	66.13	465.68
		iii) प्रति परिवर्तक मरम्मत की औसत लागत	0.028	0.068	0.059	0.064	0.072	0.05

(लाख रुपये में)

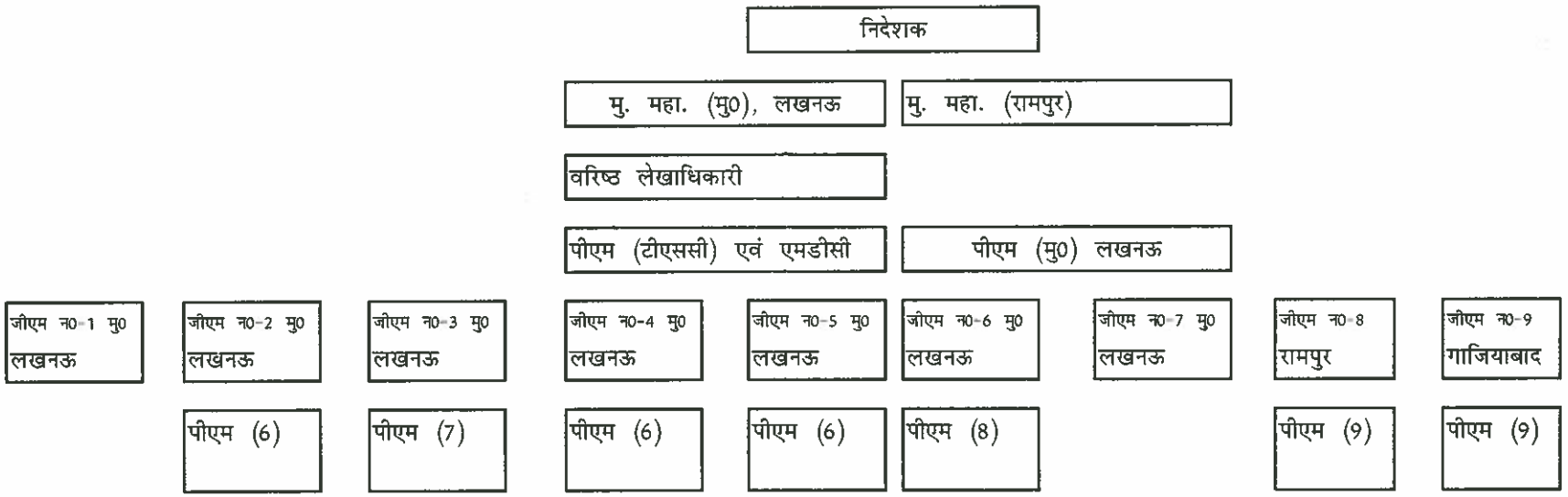
कार्यशाला खण्ड	मरम्मत किये गये (संख्या)	मरम्मत करने की उपलब्ध क्षमता (संख्या)	कम मरम्मत किये गये	मरम्मत की औसत लागत	फर्म की मरम्मत की औसत लागत	मरम्मत की लागत में अन्तर (6-5)	मरम्मत की लागत के अन्तर का कुल मूल्य (4×7)
1	2	3	4	5	6	7	8
इलाहाबाद	9963	12965	3002	0.05	0.11	0.06	180.12
मेरठ	21895	25195	3300	0.02	0.11	0.09	297.00
वाराणसी	19841	22895	3054	0.03	0.11	0.08	244.32
गोरखपुर	9203	10945	1742	0.04	0.11	0.07	121.94
आगरा	8937	9840	903	0.05	0.11	0.06	54.18
योग	**69839**	**81840**	**12001**				**897.56**

स्रोत: क्षतिग्रस्त परिवर्तकों की मरम्मत से सम्बन्धित पत्रावलियाँ एवं माप पुस्तिकाएँ।

परिशिष्ट – 26

उ0प्र0 जल निगम के कन्स्ट्रक्शन एवृ डिजाइन सर्विसेज विंग का संगठनात्मक चार्ट

(प्रस्तर 3.1.1 में सन्दर्भित)



उपर दिये गये के अलावा, निम्न कर्मचारी/स्टाफ सीएण्डडीएस के कार्यों में सम्बद्ध थे:

क्रम सख्या	श्रेणी	स्टाफ की संख्या
1.	स्थानिक अभियन्ता	266
2.	श्रेणी-III स्टाफ	134
3.	नियमित फील्ड स्टाफ/वर्कचार्ज/ मस्टर रोल	120

परिशिष्ट-27

सीएण्डडीएस के वित्तीय स्थिति तथा कार्यचालन परिणाम दर्शाती विवरणी

(प्रस्तर 3.1.8 में सन्दर्भित)

वित्तीय स्थिति

(करोड़ रुपये में)

विवरण	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06
अ-देयतायें				
आरक्षित निधि	37.46	44.17	51.95	63.95
क्लाइन्ट से प्राप्त निधि/सामग्री	1359.35	1940.68	2091.19	2346.94
चालू देयतायें एवं प्राविधान	64.50	103.87	126.19	154.31
अन्तर इकाई	21.67	65.02	90.21	145.87
योग (अ)	**1482.98**	**2153.74**	**2359.54**	**2711.07**
ब-परिसम्पत्तियाँ				
अचल परिसम्पत्तियाँ	4.31	4.77	4.12	3.76
चालू परिसम्पत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम	1472.65	1779.22	1905.62	2144.47
अन्तर इकाई	6.02	369.75	449.80	562.84
योग (ब)	**1482.98**	**2153.74**	**2359.54**	**2711.07**

कार्य चालन परिणाम

(करोड़ रुपये में)

विवरण	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06
अ-आय				
भाड़ा	18.82	23.79	22.68	27.28
बैंक का ब्याज	2.20	1.83	1.85	1.19
विविध आय	0.18	0.45	0.54	0.45
योग (अ)	**21.20**	**26.07**	**25.07**	**28.92**
ब-व्यय				
प्रशासकीय एवं स्थापना व्यय	12.65	13.80	14.29	12.75
सलाहाकार, आरेखन एवं संरचना व्यय	1.61	1.82	1.46	2.07
विविध व्यय	1.22	3.74	1.55	2.01
योग (ब)	**15.48**	**19.36**	**17.30**	**16.83**
स-आय का व्यय से आधिक्य	**5.72**	**6.71**	**7.77**	**12.09**

स्त्रोत: वार्षिक लेखे।

परिशिष्ट–28

अ– तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किये बिना निष्पादित किये गये कार्य को दर्शाती विवरणी–पूर्ण कार्य (प्रस्तर 3.1.10 में सन्दर्भित)

(लाख रुपये में)

क्रम संख्या	कार्य का नाम	प्राक्कलित लागत	संशोधित लागत	आरम्भ की तिथि	समापन की तिथि	सौपने की तिथि	समापन की तिथि तक हुआ कुल व्यय
1.	स्पोर्टस काम्प्लेक्स फेज–II एसजीपीजीआई, लखनऊ	282.00	443.98	01.04.98	31.12.02	13.01.03	442.06
2.	नर्सेज हास्टल, एसजीपीजीआई, लखनऊ	513.00	513.00	01.04.96	01.12.02	01.12.02	539.90
3.	केन्द्रीय विद्यालय, एसजीपीजीआई, लखनऊ	235.00	317.23	01.12.97	15.09.02	23.09.02	317.21
4.	प्राइवेट वार्ड, एसजीपीजीआई, लखनऊ	180.00	310.00	01.04.99	31.01.06	-	307.58
5.	उत्तर प्रदेश सहकारी आवास संघ, लखनऊ		121.41	01.05.00	31.10.06	-	103.10
6.	एक्सप्रेस हाईवे विद्युतीकरण, नोएडा	1404.48	1820.60	01.07.02	16.06.04	16.04.06	1864.02
7.	गंगा जल वितरण कार्य, नोएडा	649.87	--	01.07.02	30.11.05	30.11.05	617.58
8.	नोएडा विद्युतीकरण कार्य, नोएडा	383.87	--	01.10.00	31.03.06	31.03.06	261.82
9.	गंगा जल वितरण कार्य, गाजियाबाद	144.56	260.22	01.07.02	30.04.06	30.04.06	251.90
10.	1512 ईडब्लूएस क्वार्टर्स का निर्माण, नोएडा	2462.95	2642.95	20.06.00	20.03.03	01.05.03	2487.34
11.	गंगा वितरण योजना, नोएडा	6497.47	6570.09	01.01.01	31.12.04	--	4640.16
12.	न्यायिक अधिकारी के आवासीय भवन (टाइप IV आवास), जिला जज परिसर, वाराणसी में	106.12	--	01.04.02	31.07.04	--	105.60
13.	राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गांगुली बाजार, गाजीपुर का निर्माण	63.95	--	01.07.01	18.10.04	18.10.04	57.11
14.	केन्द्रीय विद्यालय, फैजाबाद	212.60	--	01.06.00	01.06.03	01.07.03	219.84
15.	एमबीए भवन, बरेली का निर्माण	98.24	--	01.02.02	31.01.06	--	84.16
योग							**12299.38**

ब- तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किये बिना निष्पादित किये गये कार्य को दर्शाती विवरणी - कार्य प्रगति पर

((लाख रुपये में)

क्रम संख्या	कार्य का नाम	प्राक्कलित लागत	संशोधित लागत	आरम्भ की तिथि	लक्ष्य की तिथि	मार्च 2007 तक का व्यय	भौतिक प्रगति (प्रतिशत में)
1.	एसजीपीजीआई, लखनऊ में टेली मेडिसन विभाग का निर्माण	330.00	956.22	30.11.03	उपलब्ध नही	878.61	90
2.	एसजीपीजीआई, लखनऊ में परिधीय सड़क तथा नये क्षेत्र में सड़क का निर्माण	262.26	--	दिसम्बर 2003	उपलब्ध नही	244.91	92
3.	एसजीपीजीआई, लखनऊ में मार्चुयरी/नये पिडियाट्रिक्स ब्लाक का निर्माण	223.79	480.93	01.12.98	01.06.01	210.90	60
4.	डायगनोस्टिक ब्लाक, एसजीपीजीआई, लखनऊ	497.00	--	01.12.01	01.03.03	443.00	95
5.	सीवरेज कार्य, एसजीपीजीआई, लखनऊ	108.00	118.56	02.04.02	उपलब्ध नही	163.06	98
6.	वेलनेश क्लीनिक, एसजीपीजीआई, लखनऊ	108.77	--	22.03.02	उपलब्ध नही	157.27	95
7.	एसजीपीजीआई, लखनऊ में बाउन्ड्री वाल का निर्माण	226.24	298.18	12.03.04	उपलब्ध नही	209.33	95
8.	एसजीपीजीआई, लखनऊ में टाइप IV क्वार्टर्स का निर्माण	201.97	281.41	12.03.04	उपलब्ध नही	187.36	75
9	एसजीपीजीआई, लखनऊ में टाइप III क्वार्टर्स का निर्माण	94.00	145.85	12.03.04	उपलब्ध नही	89.24	75
10	एसजीपीजीआई, लखनऊ में टाइप V क्वार्टर्स का निर्माण	250.00	496.95	12.03.04	उपलब्ध नही	332.39	80
11.	फैजाबाद में डा0 भीमराव अम्बेडकर स्टेडियम का निर्माण	1024.35	--	03.06 2006	उपलब्ध नही	657.27	--
12	लखनऊ में भारतखण्डे हिन्दुस्तानी संगीत महाविद्यालय का निर्माण	192.60	285.43	01.03.98	01.12.02	202.34	85
					योग	3775.68	

स्रोत: प्रगति विवरण

परिशिष्ट–29

प्राक्कलनों को गलत तरीके से तैयार करने को दर्शाती विवरणी

(प्रस्तर 3.1.10 में सन्दर्भित)

क्रम संख्या	कार्य का नाम	प्रारम्भ की तिथि	प्राक्कलित लागत (लाख रुपये में)	समापन की तिथि/डब्लूआईपी	मदों का विवरण जो कि गलत तरीके से प्राक्कलन में अधिक प्रावधानित किये गये थे।	अधिक प्राविधानों का मूल्य (लाख रुपये में)
1	हज हाउस, लखनऊ का निर्माण	20.09.05	476.00	डब्लूआईपी	6 एमएम के स्थान पर छत के प्लास्टर हेतु 10 से 12 एमएम का प्राविधान।	1.34
2	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पूरब बाजार फैजाबाद का निर्माण	04.08.04	137.91	डब्लूआईपी	प्राक्कलन में मानक से अधिक ईटों का प्रावधान। प्राक्कलन में इन्जीनियरिंग एप्रीशियेशन का प्रावधान।	1.02 10.71
3	राजकीय पालीटेक्निक मऊ का निर्माण	01.09.02	414.55	डब्लूआईपी	प्राक्कलन में मानक से अधिक ईटों का प्रावधान।	8.75
4	टीबी क्लीनिक, उन्नाव	01.09.01	39.48	01.10.02	यूपीपीडब्लूडी मानकों के ऊपर आरसीसी कार्य 1:2:4 में सीमेन्ट, मौरंग तथा पत्थर की गिट्टी का अधिक प्रावधान।	1.77
5	सरकाता नाला, लखनऊ में पुल तथा सड़क का निर्माण	11.11.02	605.02	31.03.06	प्राक्कलनों में 78.70 मीट्रिक टन अधिक इस्पात का प्रावधान (वास्तविक खर्च 273.34 मीट्रिक टन प्राक्कलित प्राविधान 352.04 मीट्रिक टन)।	20.54
6	डा0 राम मनोहर लोहिया पार्क रेन वाटर हारवेस्टिंग, लखनऊ	20.09.05	99.49	पूर्ण	प्रतिशत प्रभार के ऊपर आकस्मिक प्रभार का दावा।	4.25
7	सीएचसी जनखड़, उन्नाव	20.07.06	163.36	डब्लूआईपी	प्राक्कलनों में मानक से अधिक ईटों का प्रावधान।	0.69
8	बैरन नं0 2, लखनऊ	20.09.05	67.13	डब्लूआईपी	प्राक्कलनों में मानक से अधिक ईटों का प्रावधान। यूपीपीडब्लूडी मानकों के विरुद्ध भूकंप प्रतिरोध का प्रावधान।	0.42 2.29
9	गैर आवासीय भवन तहसील, बीघापुर उन्नाव में	01.02.01	146.56	पूर्ण	स्वीकृत लागत के ऊपर तकनीकी स्वीकृति की स्वीकृति।	38.44
10	सहायता केन्द्र, व्यापार कर नौबतपुर वाराणसी का कोटि उन्नयन करना	01.05.01	140.47	31.12.05	प्राक्कलन में प्लिंथ एरिया दरों का गलत प्रावधान।	0.92
11	पीएचसी रामकोट, सीतापुर का निर्माण	01.06.01	37.06	30.08.06	प्राक्कलन में मानक से अधिक ईटों का प्रावधान।	1.01
12	सीएचसी सिराथू, कौशाम्बी का निर्माण	फवरी 2005	108.86	31.03.06	प्राक्कलन में मानक से अधिक ईटों का प्रावधान। यूपीपीडब्लूडी मानकों के विरुद्ध भूकंप प्रतिरोध का प्रावधान।	0.80 2.52
	योग					**95.47**

स्रोत: विस्तृत प्राक्कलन एवं प्रगति विवरण।

परिशिष्ट-30

उच्च दरों पर क्रय किये गये ईटो को दर्शाती विवरणी

(प्रस्तर 3.1.19 में सन्दर्भित)

क्रम संख्या	कार्य का नाम	क्रय की गई ईटो की मात्रा (संख्या हजार में)	दर प्रति हजार (रुपये)	क्रय की अवधि	इकाई का नाम/कार्य जहाँ पर विभिन्न दरों पर ईट क्रय की गई	दर प्रति हजार (रुपये)	क्रय की अवधि	प्रति हजार दरों का अन्तर (रुपये)	अधिक व्यय (लाख रुपये में)
1	बहुउद्देशीय हाल, चौक लखनऊ में	268	2095.00	25.03.05 से 10.12.05	एसजीपीजीआई में पिडियाट्रिक्स सेन्टर	1750.00	25.03.05 से 10.12.05	345.00	0.92
2	लखनऊ में हज हाउस का निर्माण	1590	2150.00	25.10.05 से 11.11.06	एसजीपीजीआई कार्य	1750.00	25.10.05 से 11.11.06	400.00	6.36
3	गाजियाबाद में हज हाउस का निर्माण	30 23 279.60	2300.00 2600.00 2200.00	05/05 से 06/05	ग्रेटर नोएडा में नालेज पार्क	2100.00 2100.00 2100.00	05/05 से 06/05	200.00 500.00 100.00	0.06 0.12 0.28
4	सीएचसी नौगढ़, वाराणसी	799	2250.00	17.04.05 से 22.06.06	बस स्टेशन, वाराणसी	1900.00	17.04.05 से 22.06.06	350.00	2.80
	योग	**2989.60**							**10.54**

स्रोत: आपूर्ति आदेश

परिशिष्ट-31

उच्च दरों पर क्रय की गई भवन सामग्री दर्शाती विवरणी

(प्रस्तर 3.1.19 में सन्दर्भित)

क्रम संख्या	कार्य का नाम	मदें	क्रय की गई मात्रा (क्यूबिक मीटर)	दर प्रति क्यूबिक मीटर (रुपये)	इकाई का नाम/कार्य जिसमें मदों का क्रय विभिन्न दरों पर किया गया	दर प्रति क्यूबिक मीटर (रुपये)	क्रय की अवधि	दरों का अन्तर प्रति क्यूबिक मीटर (रुपये)	अतिरिक्त व्यय (लाख रुपये में)
1	चौक स्टेडियम, लखनऊ में बहुउद्देशीय हाल	बालू	397.61	550	एसजीपीजीआई कार्य	350	05/ 05 से 01/ 06	200	0.80
		मौरग	466.68	770		750		20	0.09
		पत्थर की गिट्टी	513.36	975		900		75	0.39
2.	तहसील भवन, जखनिया, वाराणसी	बालू	863.88	475--575	बस अड्डा, वाराणसी	350	02 /05 से 07/ 06	125--225	0.70
		मौरग	364.50	1050-1125		950		100--175	0.52
		पत्थर की गिट्टी	455.95	1250-1375		980		270--395	1.51
3.	100 बिस्तरीय अस्पताल चकिया, वाराणसी	बालू	1256.60	550	बस अड्डा, वाराणसी	425	06 / 05 से 09 / 06	125	1.57
		मौरग	952.80	1050-1150		950		100--200	1.01
		पत्थर की गिट्टी	908.76	950-1150		980		170	1.54
4.	सीएचसी नौगढ़, वाराणसी	बालू	1390.50	635	बस अड्डा, वाराणसी	425	06 / 05 से 06 / 06	210	2.92
		मौरग	564.70	1050-1200		950		100--250	0.68
5.	तिब्बती शिक्षा का नया एकेडेमिक भवन, वाराणसी	मौरग	150.30	1125-1150	बस अड्डा, वाराणसी	950	04/05 से 02/06	175--200	0.28
		पत्थर की गिट्टी	687.19	1200-1400		980		220--420	1.96
6.	गाजियाबाद में हज हाऊस का निर्माण	मौरग	187.70	780-810	ग्रेटर नोएडा में नालेज पार्क	728	05 / 05	52--82	0.15
		पत्थर की गिट्टी	40.95	790-806		617		173--189	0.09
योग									14.21

स्रोत: आपूर्ति आदेश।

परिशिष्ट–32

रायल्टी की कटौती नहीं की गई दर्शाती विवरणी

(प्रस्तर 3.1.22 में सन्दर्भित)

क्रम सं0	कार्य का नाम	आरम्भ की तिथि	समापन की तिथि/कार्य की स्थिति	क्रय की अवधि	क्रय की गई पत्थर की गिट्टी की मात्रा (क्यूबिक मीटर)		क्रय की गई मौरंग की मात्रा (क्यूबिक मीटर)		क्रय की गई बालू की मात्रा (क्यूबिक मीटर)	
					15.12.04 तक	16.12.04 से	15.12.04 तक	16.12.04 से	15.12.04 तक	16.12.04 से
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	पंचायती राज भवन, लखनऊ	06.07.06	51% - डब्लूआईपी	07/06–11/06	--	313.97	--	226.99	--	209.02
2	शिल्प हाट सांस्कृतिक केन्द्र, फेज II इलाहाबाद	01.01.02	02.02.03	04/02—06/02	150.74	--	134.87	--	126.22	--
3	सीएचसी अरैला, प्रतापगढ़	01.06.02	70%- डब्लूआईपी	09/02—12/04 09/05—09/06	234.36	-- 207.15	116.24	-- 160.87	187.84	-- 226.45
4	हज हाउस, लखनऊ का निर्माण	20.09.05	90% - डब्लूआईपी	10/05—11/06	--	2859.62	--	3715.22	--	2557.63
5	सीआईएचटीएस, सारनाथ वाराणसी में वेस्ट जल योजना का विकास	12.09.05	80%- डब्लूआईपी	09/05—02/07	--	591.28	--	349.00	--	126.80
6	आईटी सिटी सीवरेज, ग्रेटर नोएडा	25.05.06	82%- डब्लूआईपी	05/06—01/07	--	691.00	--	646.38	--	--
7	सीएचसी धौलाना, गाजियाबाद	02.02.05	85%- डब्लूआईपी	02/05—01/07	--	440.84	--	509..16	--	366.00
8	सेक्टर-टेक. जोन (आई सिटी), ग्रेटर नोएडा में आन्तरिक व बाह्य जल आपूर्ति कार्य	25.05.06	82%- डब्लूआईपी	05/06—01/07	--	578.72	--	323.35	--	--
9	जिला महिला अस्पताल, गाजियाबाद	07.03.06	75%- डब्लूआईपी	03/06—01/07	--	205.40	--	509.50	--	259.75
10	नोएडा में 1512 ईडब्लूएस क्वार्टर्स का निर्माण	20.06.00	19.10.02	06/00—09/02	10565.48	--	13696.53	--	1147.30	--
11	रैनी वेल, नोएडा	15.03.02	90%-- डब्लूआईपी	05/02—03/04	1950.00	--	975.00	--	50.00	--
12	क्वार्टर गार्ड तथा मास्टर स्टोर, भुल्लनपुर, वाराणसी	01.05.05	30.05.06	05/05—05/06	--	295.92	--	311.09	--	239.45
13	सीएचसी नौगढ़, वाराणसी	24.08.05	80%- डब्लूआईपी	08/05—02/07	--	734.98	--	703.13	--	1454.50
14	ओएचटी प्रताप बिहार, गाजियाबाद	29.11.03	15.11.04	12/03—07/04	432.81	--	216.11	--	--	--
15	सीएचसी सिराथू, कौशाम्बी	28.01.03	31.03.06	02/05—11/06	--	438.34	--	557.64	--	615.25
16	मेडिकल कालेज, इलाहाबाद में इनटर्न हास्टल का निर्माण	04.09.04	89%- डब्लूआईपी	02/05—02/06	--	534.94	--	482.97	--	897.45
17	सेक्टर-IV गाजियाबाद में नालेज पार्क का आन्तरिक विकास	02.02.05	90%- डब्लूआईपी	02/05—11/05	--	8630.41	--	377.23	--	--

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	ग्रेटर नोएडा मे छाई फाई का सीवरेज कार्य	02.02.05	90%-डब्लूआईपी	02/05—07/05	--	1134.58	--	1345.77	--	--
19	सिग्मा- IV तथा छाई-फाई, ग्रेटर नोएडा मे पेयजल कार्य	02.02.05	80%-डब्लूआईपी	03/05--09/05	--	1171.41	--	622.45	--	--
20	8वी वाहिनी पीएसी 96 क्वार्टर्स, बरेली	20.03.06	95% डब्लूआईपी	03/06--02/07	--	897.62	--	1143.34	--	639.80
21	सालिड वेस्ट प्रबन्धन, बरेली	24.10.05	75% डब्लूआईपी	10/05--02/07	--	5424.10	--	1174.31	--	538.31
22	जिला पुरुष अस्पताल, बरेली का निर्माण	10.11.06	90% डब्लूआईपी	11/06--02/07	--	149.29	--	600.16	--	116.06
23	आरडीसी बरेली	01.08.02	30.11.03	08/02--11/03	115.49	--	284.57	--	87.71	--
24	बी-टेक, एमजेपी-आरकेयू, बरेली	01.12.99	08.06.02	12/99--06/02	852.91	--	1042.05	--	163.68	--
25	जिला रायबरेली में 6 पीएचसी	05.03.06	30.11.06	03/06--11/06	--	278.54	--	352.19	--	468.95
26	जीडीसी साइंस ब्लाक, चारा अलीगढ़	30.04.03	31.05.06	04/03--05/06	544.03	--	734.82	--	1049.81	--
	योग				**14,845.82**	**25,578.11**	**17,200.19**	**14,110.75**	**2,812.56**	**8,715.42**
	मात्रा का महायोग मीट्रिक टन									**83,262.85**
	रायल्टी की दर प्रति मीट्रिक टन (रुपये)				**23**	**32**	**17**	**23**	**15**	**17**
	रायल्टी का मूल्य (रुपये)				**3,41,454**	**8,18,500**	**2,92,403**	**3,24,547**	**42188**	**148162**
	महायोग								**रुपये**	**19,67,254**

स्रोत: आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों के बिल।

परिशिष्ट-33

विशिष्टियों (सीसी फ्लोरिंग) को नकारते हुए निष्पादित किये गये कार्यों को दर्शाती विवरणी

(प्रस्तर 3.1.27 में सन्दर्भित)

क्रम संख्या	कार्य का नाम	क्लाइन्ट का नाम	प्रारम्भ की तिथि	समापन की तिथि	निष्पादित कार्यों के मद	मात्रा (वर्ग मीटर)	दर प्रति वर्ग मीटर (रुपये)	कार्य जोकि विशिष्टियों के अनुसार निष्पादित होने थे	दर प्रति वर्ग मीटर (रुपये)	दर का अन्तर (रुपये)	परिहार्य अतिरिक्त व्यय (लाख रुपये में)
1	जिला जज परिसर, वाराणसी में टाइप IV आवास	विधि विभाग	01.04.02	31.07.04	20एमएम मोटे सफेद अलबेट्टा स्टोन का पी/एल	40.90 वर्ग मीटर	1292	सीसी फ्लोरिंग	103	1189	0.49
					पी/एल कोटा स्टोन स्कर्टिंग	22.88 वर्ग मीटर	560			457	0.10
					कोटा स्टोन स्लैब	85.80 वर्ग मीटर	484			381	0.33
2	गैर आवासीय भवन 47वीं बटालियन गाजियाबाद	गृह विभाग	13.08.03	25.06.06	कोटा स्टोन फ्लोरिंग	367.97	640	मोजैक फ्लोरिंग	299	341	1.25
					कोटा स्टोन स्कर्टिंग	27.44	511		195	316	0.09
3	अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद में परीक्षा हाल	डा0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय फैजाबाद	11.10.99	05.09.05	कोटा स्टोन फ्लोरिंग	221	560	सीसी फ्लोरिंग	103	457	1.01
4	जिला मुख्यालय महाराजगंज में क्वार्टर्स	राजस्व विभाग	01.03.01	डब्लूआईपी	20 एमएम मोटे सफेद अलबेट्टा स्टोन का पी/एल	164.24	786	सीसी फ्लोरिंग	103	683	1.19
					पी/एल कोटा स्टोन स्कर्टिंग	10.58	786				
5	भारतखण्डे हिन्दुस्तानी संगीत महाविद्यालय, लखनऊ	सांस्कृतिक विभाग	01.03.98	डब्लूआईपी	पी/एल कोटा स्टोन फ्लोरिंग	364.55	546	सीसी फ्लोरिंग	103	443	1.61
					मारबल चिप फ्लोरिंग	580.38	215			112	0.65
					मारबल स्कर्टिंग	126.87	181			78	0.10
					मारबल टाइल्स	247.98	892			789	1.96
	योग										**8.78**

ब- विशिष्टियों (सीलिंग प्लास्टर) को नकारते हुए निष्पादित किये गये कार्यों को दर्शाती विवरणी

क्रम संख्या I	कार्य का नाम	क्लाइन्ट का नाम	निष्पादित सीलिंग प्लास्टर की मात्रा वर्ग मीटर (अवधि)	विशिष्टियाँ जिन पर सीलिंग प्लास्टर किया गया	के अनुसार वास्तविक खपत		6 एमएम सीलिंग प्लास्टर हेतु होने वाले सीमेन्ट तथा बालू की खपत		अधिक खपत	दर (रुपये)	मूल्य (रुपये में)
					सीमेन्ट (बेग)	बालू (क्यूबिक मीटर)	सीमेन्ट (बेग)	बालू (क्यूबिक मीटर)			
1	47वी बटालियन पीएसी गाजियाबाद में गैर आवासीय भवन	गृह विभाग	1527.56 (08/03-06/06)	12एमए/ 15एमएम	168.03	22.91	84.01	12.22	सी- 84.02	162	13611
									एस - 10.69	345	3688
2	जिला जज परिसर, वाराणसी में टाइप IV आवास	विधि विभाग	1944.22 (04/02-07/04)	10एमएम	213.86	29.16	106.93	15.55	सी - 106.93	138	14756
									एस - 13.61	270	3675
3	राजकीय पालीटेक्निक, मऊ	तकनीकी शिक्षा विभाग	1428.39 (03/98-03/06)	10एमएम	157.12	21.43	78.56	11.43	सी - 78.56	138	10841
									एस - 10	270	2700
4	हज हाऊस, लखनऊ का निर्माण	उत्तर प्रदेश हज कमेटी	7617.38 (06/05-11/06)	10एमएम	1165.46	114.26	556.07	45.70	सी - 609.39	184	112128
									एस - 68.56	325	22282
5	स्कूल ऑफ टेलीमेडिसिन आफ बायोलाजिकल बिल्डिंग एसजीपीजीआई, लखनऊ	चिकित्सा शिक्षा विभाग	3526.06 (11/03-11/06)	10एमएम	387.87	52.89	193.93	28.21	सी - 193.94	184	35685
									एस - 24.68	325	8021
6.	जिला मुख्यालय महाराजगंज में क्वार्टर्स	राजस्व विभाग	4343.87 (06/01-01/07)	10एमएम	477.83	65.16	238.91	34.75	सी - 238.92	150	35838
									एस - 30.41	400	12164
7	सीएचसी बिजुआ, खीरी	स्वास्थ्य विभाग	1038.59 (04/97-02/06)	10एमएम	114.24	15.58	57.12	8.30	सी - 57.12	187	10681
									एस - 7.28	290	2111
8	ब्वाएज हास्टल महाविद्यालय, ऋषिकेश	उच्च शिक्षा विभाग	2471.55 (07/01-12/04)	10एमएम	284.23	37.07	135.93	19.77	सी - 148.30	160	23728
									एस - 17.30	520	8996
9	नर्सेज एकोमोडेशन फेज-II एसजीपीजीआई, लखनऊ	चिकित्सा शिक्षा विभाग	3008.32 (09/97-08/03)	10एमएम	460.27	45.13	219.61	18.05	सी - 240.66	130	31286
									एस- 27.08	350	9478
	योग										361669

अर्थात् 3.62 लाख रुपये

सी- बोरियों में सीमेन्ट दर्शाता है।

एस- क्यूबिक मीटर में बालू दर्शाता है।

स्रोत: विस्तृत प्राक्कलन, माप पुस्तकें तथा यूपीपीडब्लूडी विशिष्टियाँ।

परिशिष्ट–34

कम्पनियों की प्रदत्त पूँजी, संचित हानि, शुद्ध मूल्य, आय, व्यय तथा लाभ एवं हानि को दर्शाती विवरणी

(प्रस्तर 4.31 में सन्दर्भित)

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	प्रदत्त पूँजी	संचित हानि	शुद्ध मूल्य	आय	बिक्री	व्यय	कर्मचारी लागत	लाभ/हानि
1. उत्तर प्रदेश स्टेट यार्न कम्पनी लिमिटेड								
2001-02	53.67	93.04	(-) 39.67	34.01	32.63	39.72	6.00	(-) 5.71
2002-03	53.67	88.22	(-) 34.55	34.27	32.76	41.17	6.24	(-) 6.90
2003-04	53.67	106.76	(-) 53.09	27.64	26.00	46.36	18.72	(-) 18.72
2004-05	53.67	112.55	(-) 58.88	33.00	31.14	38.80	5.61	(-) 5.80
2005-06	53.67	117.32	(-) 63.65	36.25	33.75	41.02	5.12	(-) 4.77
2. उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लिमिटेड								
2001-02	88.65	108.62	(-)19.97	153.94	152.42	166.59	29.68	(-)12.65
2002-03	88.65	93.37	(-)4.72	163.47	162.00	169.89	28.98	(-)6.42
2003-04	88.65	102.20	(-)13.55	166.01	164.13	174.96	28.21	(-)8.95
2004-05	93.24	111.22	(-)17.98	138.99	136.88	151.05	28.61	(-)12.06
2005-06	93.24	124.44	(-)31.20	121.25	118.86	133.81	25.08	(-)12.56
3. घाटमपुर शुगर कम्पनी लिमिटेड								
2000-01	8.95	48.93	(-) 39.98	21.78	10.30	26.55	3.21	(-) 4.77
2001-02	8.95	55.55	(-) 46.60	21.50	10.45	28.13	3.29	(-) 6.63
2002-03	8.95	66.93	(-) 57.98	18.01	8.70	29.38	3.30	(-) 11.37
2003-04	8.95	77.38	(-) 68.43	20.19	10.37	30.65	3. 86	(-) 10.46
2004-05	8.95	86.26	(-) 77.31	19.81	11.93	28.68	3.28	(-) 8.87
4. नन्दगंज सिहोरी शुगर कम्पनी लिमिटेड								
2001-02	34.08	127.92	(-) 93.84	41.28	17.72	53.37	5.60	(-) 12.09
2002-03	34.08	145.32	(-) 111.24	35.47	18.43	52.88	4.78	(-) 17.41
2003-04	34.08	160.61	(-) 126.53	30.61	19.82	45.89	4.09	(-) 15.28
2004-05	34.08	171.51	(-) 137.43	26.01	17.93	36.91	4.09	(-) 10.90
2005-06	34.08	185.86	(-) 151.78	26.28	17.24	40.63	4.41	(-) 14.35
5. उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम								
1999-00	15.13	4.63	10.50	12.47	10.65	13.26	5.23	(-) 0.79
2000-01	15.13	5.77	9.36	13.55	11.32	14.33	5.65	(-) 0.78
2001-02	15.13	7.44	7.69	12.43	10.44	13.94	5.80	(-) 1.51
2002-03	15.13	9.13	6.00	12.62	10.47	14.16	6.15	(-) 1.54
2003-04	15.13	13.22	1.91	13.90	11.44	15.57	6.85	(-) 1.67

स्रोत: कम्पनियों के अद्यतन अन्तिमीकृत लेखे।

परिशिष्ट-35

प्रस्तर/समीक्षा जिनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये थे, को दर्शाती विवरणी

(प्रस्तर संख्या 4.33 में सन्दर्भित)

क्रम संख्या	विभाग का नाम	2001-02		2002-03		2003-04		2004-05		2005-06	
		लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में प्रस्तरों की संख्या	प्रस्तर जिनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये है	लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में प्रस्तरों की संख्या	प्रस्तर जिनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये है	लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में प्रस्तरों की संख्या	प्रस्तर जिनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये है	लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में प्रस्तरों की संख्या	प्रस्तर जिनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये है	लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में प्रस्तरों की संख्या	प्रस्तर जिनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	उर्जा	20	6	20	11	14	11	14	7	18	18
2.	परिवहन	3	0	1	0	--	--	4	4	--	--
3.	सहकारिता	--	--	2	0	--	--			1	1
4.	समाज कल्याण	1	0	--	--	3	3	1*	1*	2	2
5.	पिछड़ा वर्ग कल्याण	1	1	--	--	--	--	--	--	--	--
6.	वक्फ एवं अल्प संख्यक	--	--	--	--	1	1	1*	1*	--	--
7.	महिला कल्याण	--	--	--	--	--	--	1*	1*	--	--
8.	कृषि	1	0	2	0	--	--	--	--	2	2
9.	वस्त्र उद्योग	1	1	--	--	--	--	--	--	2	2
10.	औद्योगिक विकास	8	5	9	0	4	3	5	1	4	4
11.	लोक निर्माण	--	--	2	0	1	1	1	1	1	1
12.	पर्यटन	--	--	1	0	--	--	--	--	--	--
13.	लघु उद्योग	2	0	1	0	--	--	--	--	--	--
14.	चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास	--	--	3	0	1	0	--	--	3	--
15.	शहरी विकास	--	--	--	--	--	--	2	2	--	--
16.	गृह	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
17.	वन	--	--	1	0	1	1	--	--	--	--
18.	आवास	--	--	--	--	1	0	--	--	1	1
19.	सिंचाई	1	0	--	--	2	2	--	--	1	1
20.	मत्स्य एवं पशुधन	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
21.	इलेक्ट्रानिक्स	--	--	--	--	--	--	1	0	--	--
22.	सार्वजनिक उपक्रम	--	--	--	--	2	1	3	3	--	--
23.	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	--	--	--	--	--	--	--	--	1	1
24.	हथकरघा	--	--	--	--	--	--	--	--	1	1
25.	ड्रग्स	--	--	--	--	--	--	--	--	1	1
	योग	38	13	42	11	30	23	31	21	38	35

टिप्पणी:- प्रस्तरों की संख्या तथा प्रस्तर जिनके उत्तर पिछले वर्षो (2001-02 से 2004-05) से प्राप्त नहीं हुये है, को कम्पनियों/निगमों का प्रशासनिक विभाग में परिवर्तित हो जाने के कारण री-ग्रुप्ड कर दिया गया।

* समाज कल्याण क्षेत्र की कम्पनियो द्वारा अनुसचित जातियों, अल्पसंख्यको एवं महिलाओं के उत्थान पर एक समीक्षा ने तीन विभिन्न विभागों के प्रशासनिक नियन्त्रण के अधीन (उत्तर प्रदेश शेडयूल्ड कास्ट्स फाइनेन्स एण्ड डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड: समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड: वक्फ एवं अल्पसंख्यक विभाग तथा उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निगम लिमिटेड: महिला कल्याण विभाग) के प्रेक्षणों को कवर किया। अत: इसको एक प्रस्तर गिना गया है।

परिशिष्ट-36

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (वाणिज्यिक), उत्तर प्रदेश सरकार में सम्मिलित सरकारी कम्पनियों से सम्बन्धित निरन्तर अनियमितताओं को दर्शाती विवरणी

(प्रस्तर 4.35 में सन्दर्भित)

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	प्रस्तर संख्या	मूल्य (करोड़ रूपये में)	निरन्तर अनियमितताओं का सारांश	विचारणीय बिन्दु/की ज़ाने वाली कार्यवाही	कृत कार्यवाही का विवरण
1. दि प्रादेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कारपोरेशन ऑफ उत्तर प्रदेश लिमिटेड					
1998-99	4अ.4	5.60	अपर्याप्त स्वीकृति-पूर्व मूल्यांकन एवं देयो के अल्प अनुश्रवण के कारण हानि	ऋण मूल्यांकन प्रक्रिया एवं कार्य-प्रणाली तथा देयों की वसूली के अनुश्रवण को मजबूत बनाये जाने के अतिरिक्त कर्मचारियों की जिम्मेदारी भी सुनिश्चित की जानी थी।	कम्पनी 48.32 लाख रूपये वसूल कर सकी। किसी कर्मचारी पर उत्तरदायित्व निर्धारित नहीं किया गया।
1999-2000	2अ.7.1	75.25	तदैव	तदैव	कम्पनी 9.57 करोड़ रुपये वसूल सकी। किसी कर्मचारी पर उत्तरदायित्व निर्धारित नहीं किया गया।
	2अ.7.2	28.09	तदैव	तदैव	कम्पनी 1.98 करोड़ रुपये वसूल सकी। किसी कर्मचारी पर उत्तरदायित्व निर्धारित नहीं किया गया।
	2अ.7.3	8.70	तदैव	तदैव	कम्पनी 2.04 करोड़ रुपये वसूल सकी। किसी कर्मचारी पर उत्तरदायित्व निर्धारित नहीं किया गया।
	योग	117.64			
2. ऊर्जा क्षेत्र की कम्पनियाँ					
1997-98	3स.10.2(अ)	2.37	चेकों के अनादरण के बाद भी चेक द्वारा भुगतान की सुविधा को समाप्त नही किया जाना तथा विद्युत आपूर्ति विसंयोजित नही किये जाने से बकायों में वृद्धि	समुचित कार्यवाही न किये जाने हेतु कर्मचारियों को जिम्मेदारी निर्धारित की जानी थी।	न्यायालय द्वारा स्थगनादेश पारित किये जाने के कारण उपभोक्ता के विरूद्ध बकाये की कुल राशि वसूल नही की जा सकी। उप्रराविप/कम्पनी द्वारा किसी भी कर्मचारी के विरूद्ध, बकायों की वृद्धि हेतु कोई भी कार्यवाही नही की गई।
1998-99	3अ.6.2.3	8.99	तदैव	तदैव	प्रबन्धन का उत्तर तथा अग्रेतर कार्यवाही प्रतीक्षित थी।
	3अ.6.2.6	16.66	तदैव	तदैव	तदैव
1999-2000	4अ.14	11.45	तदैव	तदैव	तदैव

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	प्रस्तर संख्या	मूल्य (करोड़ रूपये में)	निरन्तर अनियमितताओं का सारांश	विचारणीय बिन्दु/की जाने वाली कार्यवाही	कृत कार्यवाही का विवरण
	4अ.17	0.99	तदैव	तदैव	प्रबन्धन ने बकाया वसूली हेतु कृत कार्यवाही की सूचना दी। 0.99 करोड़ रुपये की वसूली हेतु अग्रेतर कार्यवाही प्रतीक्षित थी। उ. प्र.रा.वि.प ने किसी कर्मचारी की जिम्मेदारी निर्धारित नही की।
2001-02	3अ.10	0.55	तदैव	तदैव	प्रबन्धन का उत्तर तथा अग्रेतर कार्यवाही प्रतीक्षित थी।
	3अ.12	0.18	तदैव	तदैव	तदैव
2002-03	2.2.25	0.79	तदैव	तदैव	तदैव
2003-04	2.3.16	16.10	तदैव	तदैव	प्रबन्धन ने बताया कि कार्यवाही की जाएगी।
	3.11	0.51	तदैव	तदैव	प्रबन्धन ने बताया कि वसूली प्रमाण पत्र न्यायालय में लम्बित है
2005-06	4.17	0.46	तदैव	तदैव	प्रबन्धन का उत्तर तथा अग्रेतर कार्यवाही प्रतीक्षित थी।
1997-98	3स.12.1	61.39	परिवर्तकों की अतिशय क्षति (दो प्रतिशत के मानक से अधिक वितरण परिवर्तकों की क्षति) के कारण मरम्मत पर अतिरिक्त वित्तीय भार	अतिशय क्षति के कारणों की जाँच एवं निरोधात्मक रख-रखाव हेतु समयबद्धता की आवश्यकता थी।	उपचारात्मक उपायों के तौर पर, प्रबन्धन ने समय-समय पर आंचलिक कार्यालयों को परिवर्तकों की अतिशय क्षति में कमी लाने हेतु निर्देश निर्गत किया तथा सूचित किया कि उ.प्र.रा.वि.प. वर्तमान परिवर्तकों की क्षमता में वृद्धि तथा नये उपगृह की स्थापना कर रहा था। उपचारात्मक उपायों के प्रभाव जिनसे परिवर्तकों की क्षति में कमी होती, प्रतीक्षित थी।
1999-2000	3ब.6.2	325.28	तदैव	तदैव	तदैव
1999-2000	4अ.19	1.94	ऊर्जा उपभोग हेतु निर्धारण में हुए विलम्ब के कारण उपभोक्ताओं से वसूली में विलम्ब हुआ।	बिलों को जारी किये जाने की प्रणाली को सृदृढ किए जाने के अतिरिक्त उन कर्मचारियों, जोकि बिलो को देरी से जारी किये जाने की त्रुटि कर रहे थे, की जिम्मेदारी निर्धारित किए जाने की आवश्यकता थी।	प्रबन्धन का उत्तर एवं अग्रेतर कार्यवाही प्रतीक्षित थी।
2000-01	4अ.8	2.90	तदैव	तदैव	तदैव
2002-03	2.2.21	0.43	तदैव	तदैव	तदैव

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	प्रस्तर संख्या	मूल्य (करोड़ रूपये में)	निरन्तर अनियमितताओं का सारांश	विचारणीय बिन्दु/की जाने वाली कार्यवाही	कृत कार्यवाही का विवरण
1998-99	3अ.5.17	3.17	अल्प निर्धारण एवं न्यूनतम उपभोग प्रतिभूति की अनियमित माफी	उन मामलों में, जहाँ पर कम्पनी को हानि हुई तथा कर्मचारियों की घोर लापरवाही परिलक्षित थी, जिम्मेदारी का निर्धारण किया जाना था।	तदैव
1999-2000	4अ.13(अ)	0.23	तदैव	तदैव	राज्य सरकार द्वारा यूपीपीसीएल को दिये गये ऋण से अदत्त देयों का समायोजन करने हेतु शासन ने निर्देश दिया। यूपीपीसीएल के बकायों को सरकारी ऋण से समायोजित किये जाने की सूचना प्रतीक्षित थी।
	4अ.26	0.10	तदैव	तदैव	प्रबन्धन द्वारा कोई उत्तरदायित्व अभी तक निर्धारित नहीं किया गया।
2001-02	3अ.19	0.49	तदैव	तदैव	प्रबन्धन द्वारा कोई उत्तरदायित्व अभी तक निर्धारित नहीं किया गया।
2002-03	2.2.21	0.52	तदैव	तदैव	प्रबन्धन का उत्तर एवं अग्रेतर कार्यवाही प्रतीक्षित थी।
2005-06	2.2.15	1.32	तदैव	तदैव	प्रबन्धन ने बताया कि उपभोक्ताओं की अधिक संख्या के कारण निर्धारित समय में बिलिंग सम्भव नहीं हो सकी।
2004-05	3.3	171.15	तदैव	तदैव	प्रबन्धन द्वारा कोई उत्तरदायित्व अभी तक निर्धारित नहीं किया गया।
2003-04	3.9	8.22	शीर्ष समय उल्लघंन के दण्ड की अनियमित माफी	कर्मचारियों द्वारा किये गये मुख्य उपेक्षापूर्ण मामलों तथा जहाँ कम्पनी को हानि हुयी में उत्तरदायित्व निर्धारित करने की आवश्यकता थी।	प्रबन्धन का उत्तर एवं अग्रेतर कार्यवाही प्रतीक्षित थी।
	3.13	0.44	तदैव	तदैव	तदैव
	3.18	0.18	तदैव	तदैव	प्रबन्धन द्वारा कोई उत्तरदायित्व अभी तक निर्धारित नहीं किया गया।
2004-05	3.10	0.36	तदैव	तदैव	प्रबन्धन का उत्तर एवं अग्रेतर कार्यवाही प्रतीक्षित थी।

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	प्रस्तर संख्या	मूल्य (करोड़ रूपये में)	निरन्तर अनियमितताओं का सारांश	विचारणीय बिन्दु/की जाने वाली कार्यवाही	कृत कार्यवाही का विवरण
2003-04	3.14	0.79	शीर्ष समय उल्लघंन के दण्ड को भारित न करना/अप्रतिबन्धित आपूर्ति की दर को न लगाना	कर्मचारियों पर उचित कार्यवाही न करने का उत्तरदायित्व निर्धारित किये जाने की आवश्कता थी।	तदैव
	3.15	0.47	तदैव	तदैव	तदैव
	3.16	1.24	तदैव	तदैव	तदैव
2004-05	3.13	0.19	तदैव	तदैव	तदैव
1998-99	3अ.6.2.1	68.95	मासिक देयकों का किश्तों में भुगतान एवं विलम्ब भुगतान अधिभार की माफी	राजस्व संग्रहण की प्रक्रिया का उल्लंघन करने हेतु कर्मचारी की जिम्मेदारी निर्धारित किये जाने की आवश्यकता थी।	प्रबन्धन ने उत्तर दिया कि सक्षम अधिकारी/समिति की अनुमति के पश्चात ही उद्योग मे व्याप्त मंदी एवं उपभोक्ता की वित्तीय स्थिति को देखते हुए ही किश्तों मे भुगतान की सुविधा प्रदान की गई थी। यूपीपीसीएल द्वारा उपभोक्ता से बकाया धनराशि की वसूली हेतु कार्यवाही की जा रही थी। कार्यवाही के परिणाम प्रतीक्षित थे।
2000-01	4अ.22	2.80	तदैव	तदैव	प्रबन्धन ने उत्तर दिया कि उपभोक्ता, पूर्ववर्ती केसा से सम्बद्ध एक महत्वपूर्ण कम्पनी थी, केसा द्वारा लिये गये निर्णय को निगम द्वारा अंगीकृत किया गया तथा केसा द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार वसूली की गई।
2003-04	3.12	0.27	दर अनुसूची का गलत प्रयोग करने के कारण कम बीजकीकरण	लागू दर पर बीजकीकरण सुनिश्चित न करने वाले कर्मचारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित किये जाने की आवश्यकता थी।	प्रबन्धन का उत्तर और आगे की कार्यवाही प्रतीक्षित थी।
2004-05	3.7	1.12	तदैव	तदैव	प्रबन्धन का उत्तर और आगे की कार्यवाही प्रतीक्षित थी।
2005-06	4.25	0.10	तदैव	तदैव	प्रबन्धन का उत्तर और आगे की कार्यवाही प्रतीक्षित थी।
	योग	712.59			
3. उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लिमिटेड					
2000-01	4अ.1	1.41	प्राकल्लन/संशोधित प्राक्कलन से अधिक जिन्हें ग्राहक द्वारा अनुमोदित नही किया गया था। अनुबन्ध मे विहित न किये गये एवं ग्राहक द्वारा स्वीकार नही किये गये मदो पर व्यय हानि मे परिणामित हुआ।	व्ययाधिक्य के नियमितीकरण की आवश्यकता थी।	शासन के उत्तर मे यह राय व्यक्त की गई कि व्ययाधिक्य तकनीकी आवश्यकता/अनिवार्यता के कारण थी। तकनीकी स्वीकृति प्रतीक्षित थी।
2001-02	2द.2.4.4	0.22	तदैव	तदैव	संशोधित प्राक्कलन ग्राहक द्वारा अनुमोदित किया गया।
	योग	1.63			

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	प्रस्तर संख्या	मूल्य (करोड़ रूपये में)	निरन्तर अनियमितताओं का सारांश	विचारणीय बिन्दु/की जाने वाली कार्यवाही	कृत कार्यवाही का विवरण
4. उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कारपोरेशन लिमिटेड					
1999-2000	4अ.8	0.51	अनुचित भंडारण के कारण चीनी की क्षति एवं परिणामी हानि।	अनुचित भंडारण के कारण हुई हानि की पुनरावृत्ति रोकने हेतु उपचारात्मक कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता थी।	प्रबन्धन द्वारा यह बताया गया कि चीनी अपरिहार्य स्थितियों में गीली हो गयी थी जिसके लिये कोई कर्मचारी जिम्मेदार नही था।
2000-01	4अ.5	0.83	तदैव	तदैव	सरकार/प्रबन्धन द्वारा बताया गया कि चीनी निदेशालय ने रहतिये के अनुसार निर्गमन आदेश जारी नही किया एवं लम्बे समय तथा अत्यधिक रहतिये को रखने के कारण चीनी गीली हो गयी।
2002-03	3.1.6	1.19	तदैव	तदैव	प्रबन्धन का उत्तर प्रतीक्षित था।
	योग	2.53			

परिशिष्ट-37

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (वाणिज्यिक), उत्तर प्रदेश सरकार में सम्मिलित सरकारी निगमों से सम्बन्धित निरन्तर अनियमितताओं को दर्शाती विवरणी

(प्रस्तर 4.35 में सन्दर्भित)

लेखा परीक्षा का प्रतिवेदन	प्रस्तर संख्या	मूल्य (करोड़ रूपये में)	निरन्तर अनियमितताओं का सारांश	विचारणीय बिन्द/की जाने वाली कार्यवाही	कृत कार्यवाही का विवरण
1. उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम					
1997-98	3अ.7.2.1	2.39	वह ईकाइयाँ जो प्रारम्भ से ही लाभकारी नही थी के ऋण स्वीकृत करने हेतु प्रस्ताव के त्रूटिपूर्ण मूल्यांकन के कारण हानि अथवा ऋण की वसूली बाधित हुई।	मूल्यांकन प्रक्रिया एवं कार्य प्रणाली को सशक्त बनाये जाने के अतिरिक्त, उन कर्मचारियों, जिन्होनें ऋण स्वीकृति हेतु परियोजना का मूल्यांकन किया था, की जिम्मेदारी निर्धारित की जाने की आवश्यकता थी।	निगम सहाय्यित इकाई के निदेशकों से मात्र 36.32 लाख रूपये की वसूली कर सका तथा शेष राशि के लिये व्यक्तिगत प्रमाण पत्र (पीआरसी) जारी किया गया था। किसी भी कर्मचारी की जिम्मेदारी सुनिश्चित नहीं की गई।
	3अ.7.2.3	1.66	-तदैव-	-तदैव-	निगम प्रर्वतकों से मात्र 28.53 लाख रूपये ही वसूल कर सका। शेष धनराशि की वसूली हेतु व्यक्तिगत वसूली प्रमाण पत्र जारी किया गया था। किसी भी कर्मचारी की जिम्मेदारी निर्धारित नही की गई थी।
1999-2000	4ब.2	1.30	-तदैव-	-तदैव-	निगम सम्पत्तियों की ब्रिकी द्वारा 11.54 लाख रुपये वसूल कर सका। देयो की वसूली के लिए निगम ने निदेशको तथा प्रतिभूतिकर्ताओं के विरुद्ध वसूली प्रमाण पत्र (आरसी)/व्यक्तिगत वसूली प्रमाण मत्र (पीआरसी) निर्गत किये। किसी कर्मचारी पर उत्तरदायित्व निर्धारित नहीं किया गया।
	4ब.7	1.39	-तदैव-	-तदैव-	निगम सहाय्यित इकाई की सम्पत्तियों की बिक्री के माध्यम से मात्र 25.15 लाख रुपये ही वसूल कर सकी। पीआरसी निर्गत की गयी है। किसी भी कर्मचारी पर उत्तरदायित्व निर्धारित नहीं किया गया।
2002-03	3.2.2	11.68	-तदैव-	-तदैव-	कोई वसूली नहीं की जा सकी। आरसी निर्गत की गई है।
	3.2.3	7.09	-तदैव-	-तदैव-	निगम 44.13 लाख रुपये वसूल कर सका। पीआरसी निर्गत की गई है।
	3.2.4	4.85	-तदैव-	-तदैव-	निगम ने 1.95 करोड़ रुपये का ओटीएस अनुमोदित किया जिसके विरुद्ध 1.45 करोड़ रुपये अभी तक जमा हुये।

लेखा परीक्षा का प्रतिवेदन	प्रस्तर संख्या	मूल्य (करोड़ रूपये में)	निरन्तर अनियमितताओं का सारांश	विचारणीय बिन्द/की जाने वाली कार्यवाही	कृत कार्यवाही का विवरण
2004-05	3.16	5.65	-तदैव-	-तदैव-	प्रबन्धन का उत्तर तथा अग्रेतर कार्यवाही प्रतीक्षित थी।
1997-98	3अ.8.2.1	2.82	वितरण पूर्व शर्तो का पालन न किये जाने के कारण ऋणों की वसूली के असंभव होने के कारण हानि हुई।	ऋण वितरण की प्रक्रिया एवं प्रणाली को सुदृढ किये जाने के अतिरिक्त, उन कर्मचारियों, जो वितरण पूर्व की शर्तो का पालन करवाने में विफल रहे, की जिम्मेदारी निर्धारित की जानी चाहिए थी।	निगम एक मुश्त निपटारा (ओटीएस) निर्णय के अन्तर्गत मात्र 75 लाख रूपये ही वसूल कर सका।
	3अ.8.2.2	1.75	-तदैव-	-तदैव-	निगम 74.60 लाख रुपये (51.10 लाख रुपये के ओटीएस के विरुद्ध, 32.75 लाख रुपये सहित) वसूल कर सका। किसी भी कर्मचारी पर अभी तक कोई उत्तरदायित्व निर्धारित नही किया गया।
	3अ.8.2.3	1.36	-तदैव-	-तदैव-	निगम ने सम्पत्तियों की बिक्री से 12 लाख रुपये वसूले। निगम ने पीआरसी निर्गत की तथा पीआरसी के विरुद्ध एक प्रर्वतक से 70.50 लाख रुपये वसूले। किसी भी कर्मचारी का उत्तरदायित्व निर्धारित नही किया।
	3अ.8.2.4	2.14	-तदैव-	-तदैव-	निगम बकायों को नही वसूल सका। किसी कर्मचारी की जिम्मेदारी निर्धारित नही की गई।
2003-04	3.21	2.21	-तदैव-	-तदैव-	निगम देयों की वसूली नही कर सका। अग्रेतर कार्यवाही प्रतीक्षित थी।
2004-05	3.15	13.59	-तदैव-	-तदैव-	प्रबन्धन का उत्तर तथा अग्रेतर कार्यवाही प्रतीक्षित थी।
1999-2000	4ब.6	0.56	अनियमित विधिक दस्तावेजों/जाली दस्तावेजों पर ऋण वितरण किये जाने से हानि	त्रुटिविहीन सत्यापन हेतु प्रणाली का सुदृढीकरण/दस्तावेजों की स्वतंत्र जॉच की आवश्यकता थी।	निगम ने 62.74 लाख रुपये का ओटीएस अनुमोदित किया जिसके विरुद्ध ऋणी ने अभी तक 31.30 लाख रुपये जमा किया।
2000-01	4ब.3	4.44	-तदैव-	-तदैव-	निगम प्रर्वतकों से नाम मात्र की धनराशि ही वसूल कर सका। पीआरसी निर्गत की गई है।
	4ब.5	0.97	-तदैव-	-तदैव-	निगम मात्र 28.80 लाख रूपये ही वसूल कर सका। प्रवर्तको एवं प्रतिभूतिकर्ताओं के विरुद्ध पीआरसी निर्गत की गई।
	4ब.6	0.62	-तदैव-	-तदैव-	निगम प्रर्वतको से कोई धनराशि वसूल नही कर सका। अग्रेतर कार्यवाही प्रतीक्षित थी।
2002-03	3.2.6	4.50	-तदैव-	-तदैव-	निगम 1.46 करोड़ रुपये वसूल कर सका। आरसी निर्गत की गई है। प्रबन्धन ने इन प्रकरणों की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु उपचारात्मक उपायों को भी नही दर्शाया।

लेखा परीक्षा का प्रतिवेदन	प्रस्तर संख्या	मूल्य (करोड़ रूपये में)	निरन्तर अनियमितताओं का सारांश	विचारणीय बिन्द/की जाने वाली कार्यवाही	कृत कार्यवाही का विवरण
2003-04	3.22	2.06	इकाई का कब्जा लेने में विलम्ब से हानि।	इकाई का कब्जा लेने में विलम्ब के लिए कर्मचारियों पर उत्तरदायित्व का निर्धारण करने की आवश्यकता थी	प्रबन्धन का उत्तर तथा अग्रेतर कार्यवाही प्रतीक्षित थी।
2004-05	3.18	10.79	-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-
2005-06	4.30	11.64	-तदैव-	-तदैव-	सुरक्षा पर अधिक व्यय के कारण कब्जा नही लिया गया था।
	योग	**96.18**			
2. उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम					
1997-98	4ब.2	0.32	विलम्ब से जमा किये गये इपीएफ पर क्षतिपूर्ति का परिहार्य भुगतान	विलम्बित जमा पर क्षति के आरोपण को बचाने के लिए समयानुसार ईपीएफ का भुगतान आवश्यक था।	प्रबन्धन का उत्तर प्रतीक्षित था।
1998-99	4ब.1	0.19	-तदैव-	-तदैव-	प्रबन्धन ने सूचित किया कि न्यायालय के स्थगन आदेश के क्रम में क्षति की धनराशि को समायोजित कर दिया गया था।
2000-01	4ब.2	0.27	-तदैव-	-तदैव-	प्रबन्धन ने सूचित किया कि कर की राशि को जमा करने हेतु एक कार्य योजना तैयार की गयी थी। अग्रेतर कार्यवाही प्रतीक्षित थी।
	योग	**0.78**			

परिशिष्ट-38

विभागवार अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदनों को दर्शाती विवरणी

(प्रस्तर संख्या 4.36 में सन्दर्भित)

क्रम संख्या	विभाग का नाम	पीएसयू की संख्या	अनस्तिारित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	अनिस्तारित प्रस्तरों की संख्या	वर्ष जब से प्रस्तर अनिस्तारित है
1.	कृषि	2	13	61	1985-86
2.	मत्स्य एवं पशुधन	5	39	88	1991-92
3.	चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास	9	91	271	1984-85
4.	सिंचाई	2	40	112	1984-85
5.	लघु उद्योग	2	18	143	1982-83
6.	औद्योगिक विकास	7	61	260	1980-81
7.	निर्यात प्रोत्साहन	2	20	72	1987-88
8.	वस्त्र उद्योग	2	19	43	1994-95
9.	इलेक्ट्रानिक्स	6	25	105	1980-81
10.	लोक निर्माण	2	346	1114	1979-80
11.	समाज कल्याण	3	17	49	1993-94
12.	महिला कल्याण	1	4	8	1994-95
13.	पिछड़ा वर्ग कल्याण	1	8	31	1996-97
14.	गृह	1	3	7	1996-97
15.	खाद्य एवं जनापूर्ति	3	175	678	1987-88
16.	पर्यटन	1	2	5	1994-95
17.	वक्फ एवं अल्पसंख्यक	2	9	53	1994-95
18.	परिवहन	1	82	352	1988-89
19.	सहकारिता	1	7	32	1991-92
20.	वन	1	86	388	1996-97
21.	पंचायती राज	1	4	6	1983-84
22.	ऊर्जा	10	1956	7046	1989-90
23.	ड्रग्स	1	3	13	1996-97
24.	आर्युवेदिक एवं यूनानी	1	7	18	1984-85
25.	आवास एवं शहरी विकास	2	1446	4523	1988-89
26.	हथकरघा	1	13	60	1991-92
27.	विविध	1	34	118	1991-92
	योग	**71**	**4528**	**15656**	

स्रोत: निरीक्षण प्रतिवेदनों की प्रगति पंजिका।

परिशिष्ट–39

विभागवार प्रस्तरों/समीक्षाओं, जिनके उत्तर प्रतीक्षित थे, को दर्शाती विवरणी

(प्रस्तर संख्या 4.36 में सन्दर्भित)

क्रम संख्या	विभाग का नाम	प्रस्तरों की संख्या	समीक्षाओं की संख्या	जारी करने की अवधि
1	कृषि	1	--	मई 2007
2	औद्योगिक विकास	4	--	अप्रैल से जून 2007
3	लोक निर्माण	2	--	मई से जून 2007
4	आवास एवं शहरी विकास	3	1	मई से जून 2007
5	उर्जा	11	3	अप्रैल से जून 2007
6	लघु उद्योग	1	1	अप्रैल से जून 2007
7	परिवहन	3	--	मई से जून 2007
	योग	**25**	**5**	

सर्वाधिकार सुरक्षित

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक

2007

मूल्य : रू. 65 डालर 5

आर्मी प्रिंटिंग प्रेस, लखनऊ से मुद्रित
33 नेहरू रोड, सदर कैन्ट, लखनऊ–226 002
फोन : 2481164